सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

आर्थिक समीक्षा
2020-21

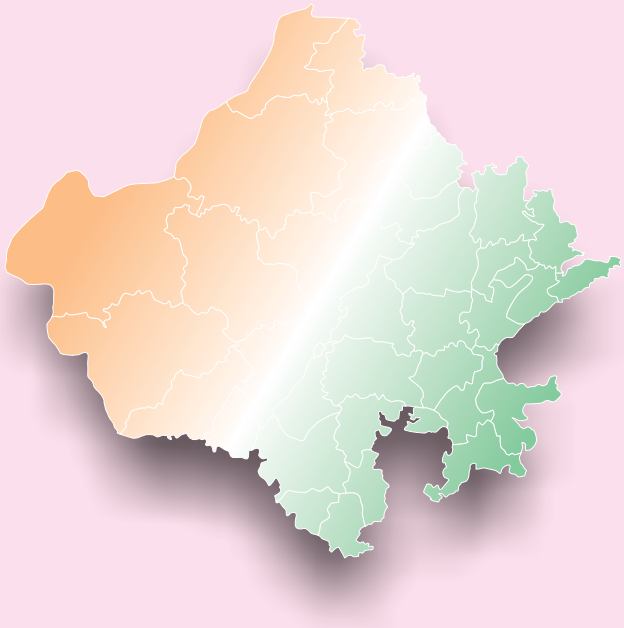

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार

आर्थिक समीक्षा
2020–21

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
राजस्थान, जयपुर

सत्यमेव जयते

मुख्यमंत्री
राजस्थान

संदेश

राजस्थान सरकार द्वारा कोविड–19 वैश्विक महामारी के विरूद्ध मुकाबला करने एवं कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए वर्तमान स्वास्थ्य प्रणाली को और भी सशक्त बनाने हेतु अनेक महत्वपूर्ण पहल एवं नवाचार किये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों से आये प्रवासियों की आजीविका के लिए अनेक अवसर भी प्रदान किये गये हैं। बडे पैमाने पर राहत/जनकल्याणकारी उपायों और उन पर किये गये व्यय के बावजूद राज्य के आर्थिक कल्याण को बनाये रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक ईमानदार प्रयास किया गया है।

''आर्थिक समीक्षा, 2020–21'' में राज्य के वृहद आर्थिक परिदृश्य एवं सामाजिक विकास के विवरण और डेटा को सम्मिलित किया गया है। इस विकट काल में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा किए गए प्रयासों और प्रगति को भी संक्षिप्त में प्रदर्शित किया गया है।

मुझे विश्वास है कि यह प्रकाशन जन–प्रतिनिधियों एवं राजकीय विभागों के लिये ही नहीं अपितु राज्य के चहुँमुखी सामाजिक एवं आर्थिक विकास के अध्ययन में रूचि रखने वाले सभी संगठनों एवं व्यक्तियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

(अशोक गहलोत)

सत्यमेव जयते

मुख्य सचिव
राजस्थान सरकार

प्राक्कथन

राज्य में गुड गर्वनेन्स के माध्यम से आमजन को लोककल्याणकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ नियत अवधि में सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है।

राज्य में आर्थिक वृद्धि एवं विकास में आ रही चुनौतियों, विशेषतः राजकोषीय प्रबंधन, उत्पादकता वृद्धि, रोजगार के अवसरों के सृजन तथा स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं के क्षेत्र में उपयोगी सुझाव देने हेतु ''आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद'' का गठन भी किया गया है।

राज्य की आर्थिक वृद्धि एवं सामाजिक–आर्थिक क्षेत्र में हुए विकास की प्रगति को आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा **''आर्थिक समीक्षा, 2020–21''** में परिलक्षित करने का प्रयास किया है।

मुझे विश्वास है कि यह प्रकाशन राज्य के सभी हितधारकों के लिए उपयोगी रहेगा।

(निरंजन आर्य)

सत्यमेव जयते

शासन सचिव

आयोजना एवं सांख्यिकी विभाग

राजस्थान सरकार

प्रस्तावना

''आर्थिक समीक्षा, 2020–21'' में आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा राज्य के आर्थिक विकास एवं क्रियान्वित विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति पर विहंगम दृष्टि डालने का प्रयास किया गया है।

इस प्रकाशन में, राज्य की अर्थव्यवस्था के विभिन्न संकेतक यथा राज्य घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय अनुमान, सार्वजनिक वित्त, राज्य की मूल्य स्थिति के साथ–साथ ही कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, आधारभूत संरचना एवं सामाजिक सेवाओं इत्यादि पर विभिन्न राजकीय विभागों द्वारा अर्जित उपलब्धियों को प्रस्तुत किया गया है। कोविड–19 महामारी के मध्यनजर विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए किए गये विशेष प्रयासों को सम्मिलित किया गया है।

आशा है कि, यह प्रकाशन राज्य की अर्थव्यवस्था के सामाजिक एवं आर्थिक विकास की स्थिति के विश्लेषण में रूचि रखने वाले सभी व्यक्तियों के लिए उपयोगी रहेगा।

(नवीन जैन)

सत्यमेव जयते

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
राजस्थान सरकार

भूमिका

आर्थिक समीक्षा को राज्य सरकार के बजट के साथ प्रतिवर्ष राजस्थान विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। **''आर्थिक समीक्षा, 2020–21''** में 11 अध्याय हैं, जो राजस्थान के सभी क्षेत्रों की वर्तमान सामाजिक–आर्थिक स्थिति का विस्तृत परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकाशन में मुख्य सामाजिक–आर्थिक सूचकों के डेटासेट को भी सांख्यिकीय परिशिष्ट के रूप में सम्मिलित किया गया है।

इसके साथ ही वर्तमान प्रकाशन में कोविड–19 महामारी के विकट समय में राज्य सरकार के द्वारा गरीब, बेसहारा, असहाय एवं जरूरतमंदों हेतु किये गए विशेष प्रयासों को भी समाहित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा बेहतर प्रबंधन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं और खाद्य सुरक्षा हेतु आमजन को प्रदान की गई राहत को भी इसमें सम्मलित किया गया है।

मैं उन सभी का आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने प्रकाशन को समय पर तैयार करने में अपना सहयोग प्रदान किया है। इस प्रकाशन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सुझावों का स्वागत है।

(डॉ. ओम प्रकाश बैरवा)

अध्याय	पृष्ठ	विवरण
	i	**आर्थिक विकास के मुख्य सूचक**
	iv	**सारांश**
1.	1	**वृहद् आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य**
		राज्य घरेलू उत्पाद
		प्रति व्यक्ति आय
		सकल स्थाई पूंजी निर्माण
		थोकमूल्य सूचकांक
		उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
2.	19	**कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र**
		कृषि परिदृश्य
		भू–उपयोग
		प्रचालित जोत धारक
		मानसून
		कृषि उत्पादन
		उद्यानिकी
		कृषि विपणन
		जल संसाधन
		उपनिवेशन
		सिंचित क्षेत्र विकास
		इंदिरा गांधी नहर परियोजना
		भू–जल
		जल ग्रहण विकास
		राज्य भण्डारण निगम
		पशुपालन
		गोपालन विभाग
		डेयरी विकास
		मत्स्य पालन
		वानिकी
		पर्यावरण विभाग
		सहकारिता
3.	49	**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज**
		ग्रामीण विकास
		पंचायती राज
		ग्रामीण आधारभूत संरचना
		ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूडा)
4.	63	**औद्योगिक विकास**
		औद्योगिक परिदृश्य
		उद्योग विभाग
		निवेश संवर्धन ब्यूरो (बी.आई.पी)
		राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको)
		राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (राजसीको)
		राजस्थान वित्त निगम (आर.एफ.सी)
		दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कोरिडोर (डी.एम.आई.सी.)
		खादी एवं ग्रामोद्योग
		कारखाना एवं बॉयलर्स
		राजस्थान में खनन क्षेत्र
		तेल एवं प्राकृतिक गैस
		श्रम
		रोजगार विभाग
		राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आर.एस.एल.डी.सी.)

अध्याय	पृष्ठ	विवरण
5.	86	**आधारभूत संरचना का विकास**
		ऊर्जा
		सड़क
		परिवहन
		रेलवे
		डाक एवं दूर संचार सेवाएं
		आपदा प्रबन्धन एवं सहायता
6.	101	**उभरता सेवा क्षेत्र**
		राजस्थान में सेवा क्षेत्र का परिदृश्य
		पर्यटन
		संस्कृति
		पुरातत्व एवं संग्रहालय
		देवस्थान विभाग
		वित्तीय सेवाऐं
		सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार
		राजस्थान जन–आधार योजना
		विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
		राजस्थान फाउण्डेशन
		आयोजना (जनशक्ति) विभाग
		मूल्याकंन संगठन
7.	119	**शहरीकरण और शहरी विकास**
		राजस्थान में शहरीकरण
		राजस्थान में शहरी विकास
		राजस्थान आवासन मण्डल
		नगर नियोजन विभाग
		स्वायत्त शासन विभाग
		शहरी जलापूर्ति
8.	136	**बुनियादी सामाजिक सेवाऐं –शिक्षा एवं स्वास्थ्य**
		शिक्षा
		चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
		आयुर्वेद एवं अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ
		कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ई.एस.आई.)
		परिवार कल्याण
		राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.)
9.	161	**अन्य सामाजिक सेवाऐं / कार्यक्रम**
		जलापूर्ति
		मिड–डे मील योजना (एम.डी.एम.एस.)
		समेकित बाल विकास सेवाऐं (आई.सी.डी.एस.)
		बाल अधिकारिता
		सार्वजनिक वितरण प्रणाली
		सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
		विशेष योग्यजन
		अल्पसंख्यक मामलात
		महिला अधिकारिता
		बीस सूत्री कार्यक्रम
10.	184	**राज्य वित्त एवं विकास के अन्य संसाधन**
		राजकोषीय प्रबन्धन
		स्कीमवार परिव्यय
		बाह्य सहायतित परियोजनाएं
		सार्वजनिक निजी सहभागिता
11.	206	**सतत् विकास गोल्स**
	प1-प45	**सांख्यिकीय परिशिष्ठ**

आर्थिक विकास के मुख्य सूचक

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अ) स्थिर (2011-12) कीमतों पर (ब) प्रचलित कीमतों पर	₹करोड़	 596746 760587	 624831 828661	 655713 921789	 688714 998999	 643222 957912
2.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर (अ) स्थिर (2011-12) कीमतों पर (ब) प्रचलित कीमतों पर	प्रतिशत	 5.93 11.61	 4.71 8.95	 4.94 11.24	 5.03 8.38	 -6.61 -4.11
3.	सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्षेत्रवार योगदान स्थिर (वर्ष 2011-12) कीमतों पर (अ) कृषि (ब) उद्योग (स) सेवाऐं	प्रतिशत	 26.42 33.17 40.41	 25.33 32.70 41.97	 25.61 29.49 44.90	 26.73 28.57 44.70	 29.45 28.15 42.40
4.	सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्षेत्रवार योगदान प्रचलित कीमतों पर (अ) कृषि (ब) उद्योग (स) सेवाऐं	प्रतिशत	 28.02 29.46 42.52	 26.26 29.37 44.37	 25.69 27.27 47.04	 26.80 26.03 47.17	 29.77 24.80 45.43
5.	शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (अ) स्थिर (2011-12) कीमतों पर (ब) प्रचलित कीमतों पर	₹करोड़	 529650 682626	 554429 744622	 580594 829068	 610292 899143	 570143 862633
6.	प्रति व्यक्ति आय (अ) स्थिर (2011-12) कीमतों पर (ब) प्रचलित कीमतों पर	₹	 71324 91924	 73109 98188	 75555 107890	 78390 115492	 72297 109386

टिप्पणीः वर्ष 2018-19 संशोधित अनुमान II, वर्ष 2019-20 संशोधित अनुमान I एवं वर्ष 2020-21 अग्रिम अनुमान (अ.)

चित्र 1

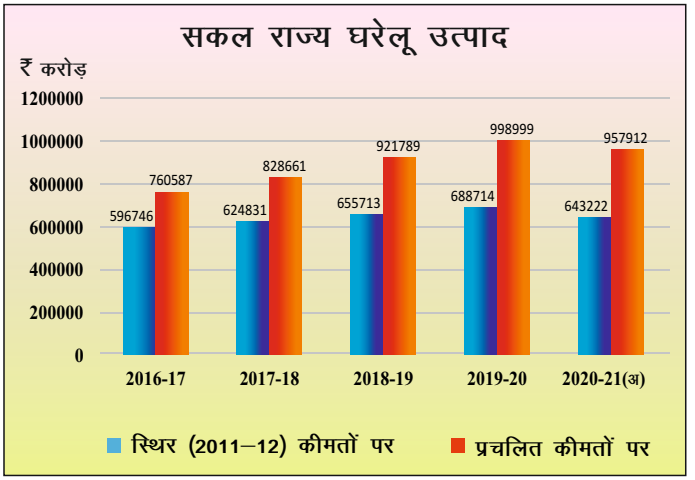

चित्र 2

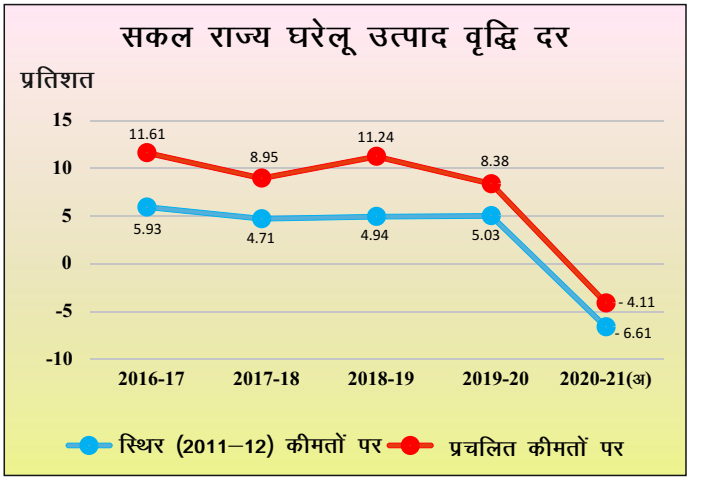

चित्र 3

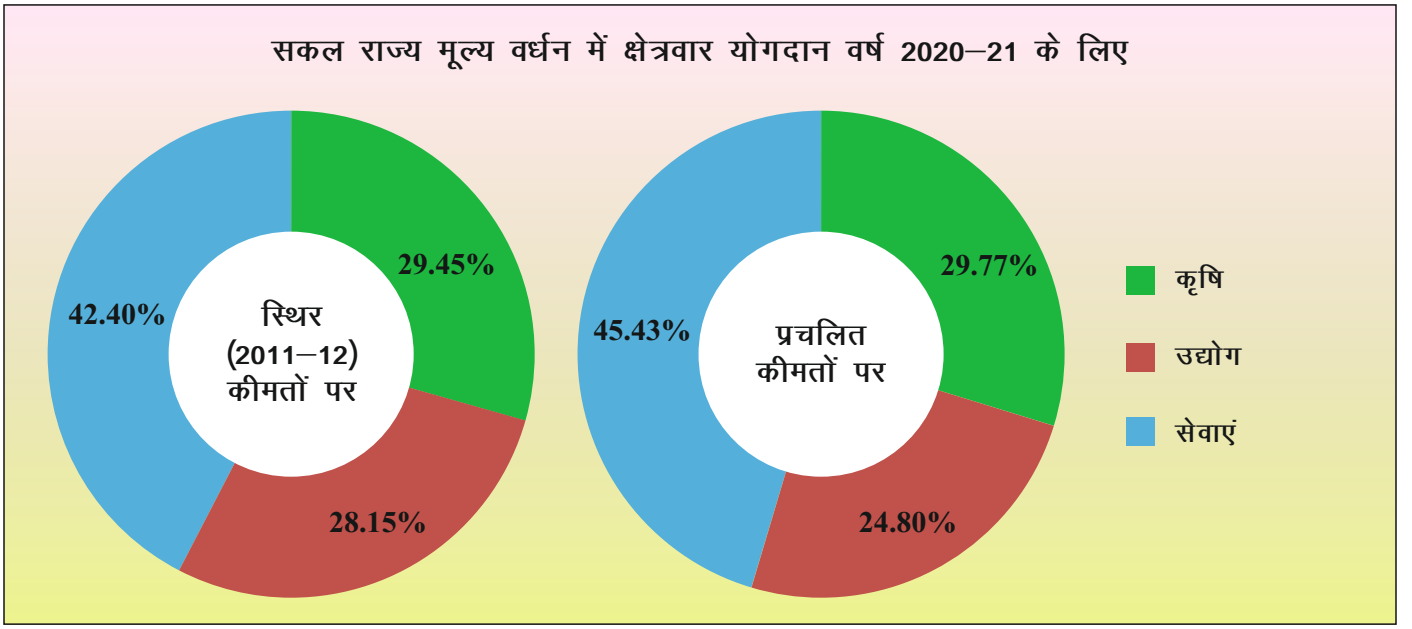

चित्र 4

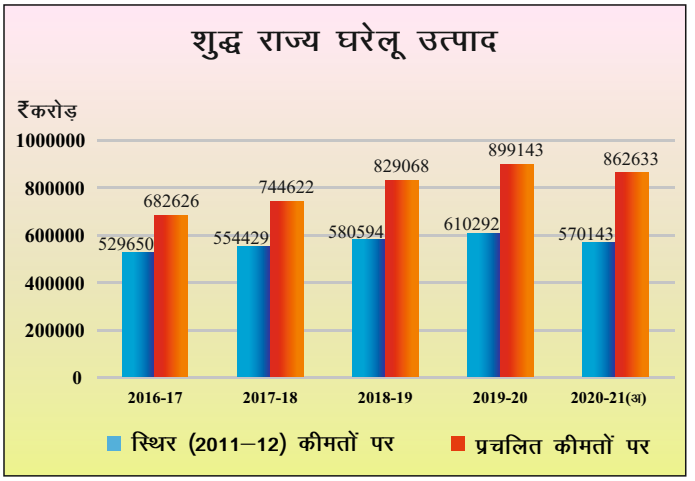

चित्र 5

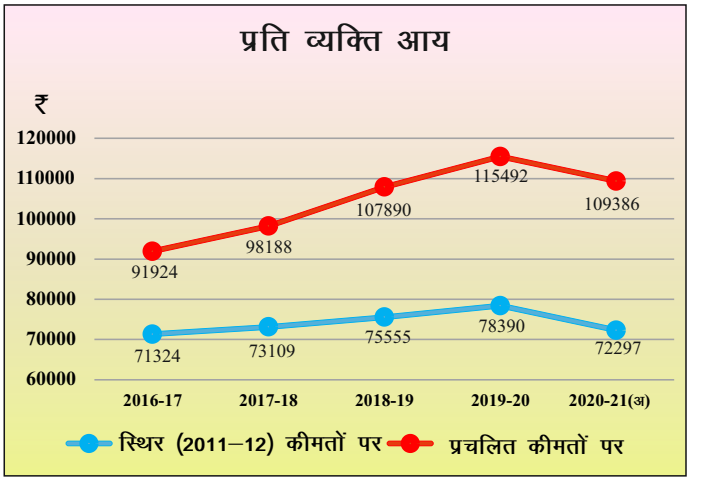

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	सकल स्थाई पूँजी निर्माण प्रचलित कीमतों पर[@]	₹करोड़	211986	236610	264622	271696	-
8.	कृषि उत्पादन सूचकांक * (आधार वर्ष 2005-06 से 2007-08=100)		175.12	170.17	183.08	201.69	-
9.	कुल खाद्यान्न उत्पादन*	लाख मै. टन	231.40	221.05	231.60	265.81[+]	271.33[@]
10.	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार वर्ष 2011-12=100)		122.11	133.08	140.37	126.9[@]	115.67[@@]
11.	थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1999-2000=100) प्रतिशत परिवर्तन		287.24 5.00	292.34 1.78	301.74 3.22	316.00 4.73	334.19[~] 5.76
12.	अधिष्ठापित क्षमता (ऊर्जा)	मेगावाट	18677	19553	21078	21176	21836[$]
13.	वाणिज्यिक बैंक साख (सितम्बर)	₹करोड़	196698	219643	267523	315149	343406

* कृषि वर्ष से संबंधित है।
+ अन्तिम
@ प्रावधानिक
@@ प्रावधानिक दिसम्बर 2020 तक
$ दिसम्बर, 2020 तक
~ दिसम्बर, 2020 तक (अप्रेल एवं मई 2020 का सूचकांक कोविड–19 महामारी के कारण जारी नहीं)

सारांश

राजस्थान 3.42 लाख वर्ग किमी. भौगोलिक क्षेत्रफल के साथ देश का सबसे बड़ा राज्य है। यह देश के उत्तर–पश्चिम भाग में स्थित है तथा इसके उत्तर–पूर्व में पंजाब, हरियाणा और उत्तरप्रदेश, दक्षिण–पूर्व में मध्यप्रदेश एवं दक्षिण–पश्चिम में गुजरात राज्य स्थित है। यह एक लंबी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से पाकिस्तान से भी जुड़ा हुआ है।

भौगोलिक दृष्टि से राज्य को चार मुख्य भागों में विभाजित किया गया है, जो कि (1) पश्चिमी रेगिस्तानः जिसमें बंजर पहाड़ियाँ, चट्टानी व रेतीले मैदान है, (2) अरावली पहाड़ियाँः जो कि दक्षिण–पश्चिम में गुजरात से प्रारम्भ होकर उत्तर–पूर्व में दिल्ली में समाप्त होती है, (3) पूर्वी मैदानः जलोढ़ / कछारी मिट्टी से समृद्ध, (4) दक्षिणी–पूर्वी पठार। राज्य में विविध जलवायु परिस्थितियां पायी जाती हैं जो कि अर्द्ध–शुष्क से लेकर शुष्क तक है। प्रशासनिक दृष्टि से यह 7 सम्भाग एवं 33 जिलों में विभाजित है।

राज्य की मुख्य विशेषताओं का भारत से तुलनात्मक विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

राजस्थान की प्रमुख विशेषताओं का अखिल भारत से तुलनात्मक विवरण

सूचक	वर्ष	इकाई	राजस्थान	भारत
भौगोलिक क्षेत्रफल	2011	लाख वर्ग किमी.	3.42	32.87
जनसंख्या	2011	करोड़	6.85	121.09
दशकीय वृद्धि दर	2001-2011	प्रतिशत	21.3	17.7
जनसंख्या घनत्व	2011	जनसंख्या प्रति वर्ग किमी.	200	382
कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का प्रतिशत	2011	प्रतिशत	24.9	31.1
अनुसूचित जाति की जनसंख्या	2011	प्रतिशत	17.8	16.6
अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	2011	प्रतिशत	13.5	8.6
लिंगानुपात	2011	महिलाएं प्रति हजार पुरूष	928	943
बाल लिंगानुपात (0–6 वर्ष)	2011	बालिकाएं प्रति हजार बालक	888	919
साक्षरता दर	2011	प्रतिशत	66.1	73.0
साक्षरता दर (पुरूष)	2011	प्रतिशत	79.2	80.9
साक्षरता दर (महिला)	2011	प्रतिशत	52.1	64.6
कार्य सहभागिता दर	2011	प्रतिशत	43.6	39.8
जन्म दर	2018*	प्रति हजार जनसंख्या	24.0	20.0
मृत्यु दर	2018*	प्रति हजार जनसंख्या	5.9	6.2
शिशु मृत्यु दर	2018*	प्रति हजार जीवित जन्म	37	32
मातृ मृत्यु अनुपात	2016-18*	प्रति लाख जीवित जन्म	164	113
जन्म के समय जीवन प्रत्याशा	2014-18*	वर्ष	68.7	69.4

*एस.आर.एस.बुलेटिनः भारत का महारजिस्ट्रार कार्यालय।

जनसांख्यिकीय रूपरेखा

- 2011 की जनगणना के अनुसार, राजस्थान की कुल जनसंख्या 6.85 करोड़ है, जो देश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। क्षेत्रवार वर्गीकरण की दृष्टि से, राजस्थान की शहरी आबादी 1.70 करोड़ है जो कि कुल आबादी की 24.9 प्रतिशत है जबकि ग्रामीण आबादी 5.15 करोड़ है जो कि कुल आबादी की 75.1 प्रतिशत है।
- 2011 की जनगणना के अनुसार, राजस्थान का समग्र लिंगानुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर 928 महिलाओं का है। राजस्थान के शहरी क्षेत्र के लिंगानुपात में 2011 में प्रति 1,000 पुरुषों पर 914 महिलाएं है, जबकि 2001 में प्रति हजार पुरुषों की तुलना में 890 महिलाएं थी, जिससे यह दृष्टिगत होता है कि शहरी क्षेत्र के लिंगानुपात में प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या में 24 की वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र की तुलना में अधिक संतुलित लिंगानुपात रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात वर्ष 2011 में प्रति 1,000 पुरुषों पर 933 महिलाओं का है जो शहरी क्षेत्रों की तुलना में कुछ अधिक है। 2001 में, ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर 930 महिला का था, जो शहरी क्षेत्र की तुलना में काफी अधिक था।
- राज्य में 1961 से 2011 के दौरान साक्षरता दर में लगातार वृद्धि हुई है। 2011 में राजस्थान में साक्षरता दर 2001 के 60.4 प्रतिशत से बढ़कर 66.11 प्रतिशत हो गई है। क्षेत्रवार साक्षरता अनुसार 2011 में राजस्थान के शहरी क्षेत्र की औसत साक्षरता दर 79.70 प्रतिशत की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में 61.4 प्रतिशत रही है।

राज्य की अर्थव्यवस्था

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) एवं प्रति व्यक्ति आय (पी.सी.आई.) राज्य की अर्थव्यवस्था की समग्र प्रगति को प्रदर्शित करते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद को प्रायः 'राज्य आय' के नाम से जाना जाता है, जो एक निश्चित समयावधि में राज्य के आर्थिक निष्पादन के आंकलन का प्रमुख साधन है तथा यह आर्थिक विकास के स्तर में आए परिवर्तन व इसकी दिशा को इंगित करता है। प्रति व्यक्ति आय, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की मध्यवर्षीय कुल जनसंख्या से विभाजित कर आंकलित की जाती है। प्रति व्यक्ति आय, लोगों के जीवन स्तर एवं सम्पन्नता की सूचक है।

- वर्ष 2020–21 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान ₹9.58 लाख करोड़ अनुमानित किए गए हैं, जो कि गत वर्ष 2019–20 के ₹9.99 लाख करोड़ से 4.11 प्रतिशत की कमी को दर्शाते हैं।
- वर्ष 2020–21 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, स्थिर (2011–12) कीमतों पर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान ₹6.43 लाख करोड़ अनुमानित किए गए हैं, जो कि वर्ष 2019–20 के ₹6.89 लाख करोड़ से 6.61 प्रतिशत की कमी को दर्शाते हैं।
- वर्ष 2020–21 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान ₹8.63 लाख करोड़ अनुमानित किए गए हैं, जो कि गत वर्ष 2019–20 के ₹8.99 लाख करोड़ से 4.06 प्रतिशत की कमी को दर्शाते हैं।
- वर्ष 2020–21 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, स्थिर (2011–12) कीमतों पर, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान ₹5.70 लाख करोड़ अनुमानित किए गए हैं, जो कि वर्ष 2019–20 के ₹6.10 लाख करोड़ से 6.58 प्रतिशत की कमी को दर्शाते हैं।
- प्रचलित कीमतों पर (अग्रिम अनुमानों के अनुसार), प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2020–21 में ₹1,09,386 अनुमानित की गई है, जो कि गत वर्ष 2019–20 की ₹1,15,492 से 5.29 प्रतिशत की कमी को दर्शाती है। स्थिर (2011–12) कीमतों पर (अग्रिम अनुमानों के अनुसार), प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2020–21 में ₹72,297 अनुमानित की गई है, जो गत वर्ष 2019–20 की ₹78,390 से 7.77 प्रतिशत की कमी को दर्शाती है।

थोक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

राज्य का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1999–2000=100) वर्ष 2019 के 310.56 से बढ़कर वर्ष 2020 में 330.86 हो गया है, जो कि गत वर्ष से 6.54 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। गत वर्ष से प्राथमिक वस्तु, ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उपस्नेहक एवं विनिर्मित उत्पाद समूह के सूचकांक में क्रमशः 4.41, 10.42 तथा 6.05 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जबकि अखिल भारतीय स्तर पर सामान्य थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12=100) में वर्ष 2020 में 0.41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वर्ष 2020 के दौरान निरन्तर वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है। सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) में वर्ष 2020 (अगस्त, 2020 तक) में गत वर्ष से जयपुर केन्द्र पर 3.83 प्रतिशत, अजमेर केन्द्र पर 2.74 प्रतिशत तथा भीलवाड़ा केन्द्र पर 3.72 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्तमान में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक माह सितम्बर, 2020 से आधार वर्ष

2016=100 पर जारी किये जा रहे हैं, जिसमें राज्य में अजमेर केन्द्र के स्थान पर अलवर केन्द्र को शामिल किया गया है।

बैंकिंग एवं वित्त

राज्य में बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली का व्यापक नेटवर्क विद्यमान है। राज्य में सितम्बर, 2020 तक 7,685 बैंक कार्यालय/ शाखाएं हैं, जिनमें से 4,272 राष्ट्रीयकृत बैंक, 1,566 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 1,489 निजी क्षेत्र के बैंक, 7 विदेशी बैंक तथा 351 लघु वित्त बैंक हैं।

राजस्थान में सितम्बर, 2020 तक जमाओं में सितम्बर, 2019 की तुलना में 13.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि में अखिल भारतीय स्तर पर यह वृद्धि 11.03 प्रतिशत रही है। सितम्बर, 2020 तक राजस्थान में समस्त सूचीबद्ध वाणिज्यिक बैंकों का साख जमा अनुपात 75.41 प्रतिशत है एवं अखिल भारतीय स्तर पर इसी अवधि में यह अनुपात 72.04 प्रतिशत रहा है, जबकि सितम्बर, 2019 तक राजस्थान में यह अनुपात 78.30 प्रतिशत तथा अखिल भारतीय स्तर पर 75.62 प्रतिशत रहा था।

कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं

- राजस्थान में पूरे मानसून सत्र 2020 के दौरान अधिकांश जिलों में असामान्य, सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा हुई है, जबकि अलवर, बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धोलपुर, गंगानगर, कोटा तथा टोंक जिलों में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई।
- राज्य में 1 जून से 30 सितम्बर, 2020 तक की समयावधि में वास्तविक वर्षा 520.79 मिमी. हुई, जो कि सामान्य वर्षा 520.98 मिमी. की तुलना में 0.04 प्रतिशत कम है।
- कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र के सकल राज्य मूल्य वर्धन में स्थिर मूल्य के साथ–साथ प्रचलित मूल्य में भी निरन्तर वृद्धि हुई है। यह वर्ष 2015–16 के ₹1.37 लाख करोड़ से बढकर वर्ष 2020–21 में ₹1.77 लाख करोड़ हो गया जो कि 5.26 प्रतिशत की कम्पाउण्ड एन्यूवल ग्रोथ रेट (सी.ए.जी.आर) दर्शाता है जबकि प्रचलित मूल्यों पर यह वर्ष 2015–16 के ₹1.68 लाख करोड़ से बढकर वर्ष 2020–21 में ₹2.68 लाख करोड़ हो गया जो कि 9.81 प्रतिशत की कम्पाउण्ड एन्यूवल ग्रोथ रेट (सी.ए.जी.आर.) दर्शाता है ।
- प्रारम्भिक पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में वर्ष 2020–21 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन 271.33 लाख मैट्रिक टन होने की सम्भावना है, जो कि गत वर्ष के 265.81 लाख मैट्रिक टन की तुलना में 2.08 प्रतिशत अधिक है।
- प्रमुख फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि विभाग कठिन प्रयास कर रहा है। राज्य सरकार के सतत् प्रयासों एवं केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता से राज्य ने कृषि उत्पादकता में नए आयाम स्थापित किए हैं। वर्ष 1997–98 से 2001–02 की औसत उत्पादकता की तुलना में वर्ष 2019–20 में अनाज की उत्पादकता में 89.66 प्रतिशत, दलहन में 50.21 प्रतिशत एवं तिलहन में 44.80 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कपास (रुई) की वर्ष 1997–98 से 2001–02 की औसत उत्पादकता 337 किलोग्राम/हैक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2019–20 में 626 किलोग्राम/हैक्टेयर हो गई है, जो 85.76 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।
- राजस्थान में उद्यानिकी विकास की प्रचुर सम्भावनाएं हैं। यह ग्रामीण लोगों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराती है, साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कृषि प्रसंस्करण एवं अन्य गौण गतिविधियों की तरफ उन्मुख करती है। वर्ष 2020–21 के लिए राज्य आयोजना मद में स्वीकृत ₹515.27 करोड़ (केन्द्रीयांश सहित) के प्रावधान की तुलना में दिसम्बर, 2020 तक ₹172.08 करोड़ व्यय किए गए हैं।
- ''राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना'' के अन्तर्गत कृषि विपणन हेतु कृषकों, खेतिहर मज़दूरों एवं हम्मालों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2020–21 के दौरान दिसम्बर, 2020 तक 1,345 किसानों को वित्तीय सहायता के रूप में ₹19.94 करोड़ वितरित किए गए हैं।

सिंचाई

- वृहद्, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं ने राज्य के सीमित जल संसाधनों के प्रबंधन एवं उपयोग द्वारा राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विभाग के सतत् प्रयासों से, वृहद्, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण करके कुल 42.91 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक 9,504 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधाओं का सृजन किया गया है।
- 27 जिलों में 4.70 लाख हेक्टेयर खेती योग्य कमांड क्षेत्र का उपचार करने के लिए 137 सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्वास एवं नवीनीकरण के लिए जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी (जे.आई.सी.ए.) से ऋण सहायता प्राप्त करने के लिए राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (आर.डब्ल्यू.एस.एल.आई.पी.) को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना की अवधि 8 वर्ष की होगी। परियोजना

की अनुमानित लागत ₹2,348.87 करोड़ (35,468 मिलियन येन) है।

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–सूक्ष्म सिंचाई (पी.एम.के. एस.वाई.–एम.आई.) योजना राज्य में चलाई जा रही है जो लघु सिंचाई में ड्रिप एवं फव्वारा सिंचाई पद्धति पर आधारित, प्रभावी जल प्रबन्धन की व्यवस्था है। इस योजना में फंड़िंग पैटर्न केन्द्र व राज्य के बीच 60:40 है। वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक ₹77.43 करोड़ (केन्द्रीयांश ₹46.41 करोड़ एवं राज्यांश ₹31.02 करोड़) एवं अतिरिक्त सब्सिडी के ₹13.72 करोड़ व्यय किए गए हैं।
- गिरते भू–जल को रोकने तथा भू–जल के बेहतर प्रबंधन के लिए भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक की सहायता (50:50) से 1 अप्रैल, 2020 को अटल भू–जल योजना शुरू की गई है। राजस्थान राज्य के लिए 5 वर्षों के लिए कुल बजट राशि ₹1,189.65 करोड़ है। इस योजना के लिए, राजस्थान राज्यों के 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों की 1,144 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया है। चिन्हित 1,144 ग्राम पंचायत के लिए एक जल सुरक्षा प्लान बनाया जाना प्रस्तावित है।

उद्योग

- राज्य सरकार द्वारा उद्योगों से सम्बन्धित किये गये विशिष्ट सुधारों व पहलों के कारण राज्य के समग्र औद्योगिक वातावरण में काफी सुधार हुआ है। सार्वजनिक नीति में पर्यावरणीय रूप से संवहनीय औद्योगिकीकरण के साथ रोजगार के अधिकतम अवसर सृजित करना एवं राज्य के राजस्व में वृद्धि पर बल दिया गया है। राज्य के कुल सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.) में वर्ष 2020–21 में प्रचलित कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का कुल योगदान 24.80 प्रतिशत है। वर्ष 2020–21 में प्रचलित कीमतों पर जी. एस.वी.ए. में विनिर्माण और खनन क्षेत्र का योगदान क्रमशः 9.31 प्रतिशत और 4.15 प्रतिशत अनुमानित है। राजस्थान में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में वर्ष 2016–17 से वर्ष 2018–19 तक वृद्धि तथा वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 में कमी रही है।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयां अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि राज्य के औद्योगिक उत्पादन, निर्यात, रोजगार और उद्यमिता के आधार निर्माण में इनका उल्लेखनीय योगदान है। विशेष रूप से, रोजगार सृजन में इसके योगदान को व्यापक रूप से मान्यता मिली है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 30 जून, 2020 तक, 29,185 औद्योगिक इकाइयों का यूएएम पोर्टल पर ऑनलाईन पंजीयन किया गया। भारत सरकार द्वारा यू.ए.एम. पोर्टल के स्थान पर 1 जुलाई, 2020 से ''उद्यम रजिस्ट्रकरण पोर्टल'' प्रारम्भ किया गया है।
- राज्य में विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में नये उद्यम स्थापित करने तथा वर्तमान उद्यमों के विस्तार/आधुनिकीकरण /परिवर्तन के लिए वित्तीय संस्थानों के माध्यमों से ₹10 करोड़ रूपये तक का ऋण उपलब्ध करवाये जाने हेतु ''मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना'' 13 दिसंबर, 2019 से प्रारम्भ की गई है। इस योजनान्तर्गत लघु उद्योगों के उद्यमियों को ₹25 लाख तक के ऋण पर 8 प्रतिशत, ₹5 करोड़ तक के ऋण पर 6 प्रतिशत और ₹10 करोड़ तक के ऋण पर 5 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 में (दिसम्बर, 2020 तक) ₹685.57 करोड़ 4,068 लोगों को वितरित किये गए।
- निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो (बी.आई.पी.) राज्य में निवेश प्रस्तावों की सुविधाओं के लिए प्राधिकारी है। बी.आई.पी. सक्रिय रूप से विभिन्न वर्गों में उपलब्ध निवेश अवसरों की ओर घरेलू एवं विदेशी कम्पनियों के सम्भावित निवेशकों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करता है। राज्य सर्वाधिकार प्राप्त समिति की जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2020 तक सम्पादित 2 बैठकों में ₹47,408.81 करोड़ के प्रस्तावित निवेश और 5,851 व्यक्तियों हेतु रोजगार की 5 परियोजनाओं की अनुशंषा की गई।
- वर्तमान सिंगल विण्डो क्लीयरेन्स सिस्टम को सुदृढ़ बनाने, निवेश प्रस्तावों को और अधिक प्रभावी रूप से सुविधा प्रदान करने और शीघ्र अपेक्षित अनुमोदन/स्वीकृति/अनुमति एक ही स्थान पर समयबद्ध तरीके से प्रदान करने के उद्देश्य से ''वन स्टॉप शॉप'' सुविधा की स्थापना बी. आई.पी में की जा रही है। वन स्टॉप शॉप के तहत, निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति/अनुमति प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में एक ''बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेन्ट'' का गठन किया गया है।
- राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको), राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है। यह राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने के साथ वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। रीको द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में (दिसम्बर, 2020 तक) 118.82 एकड़ भूमि विकसित की गई तथा 833 औद्योगिक भूखण्ड आवंटित किए गए। इस अवधि के

दौरान निगम द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों पर ₹226.30 करोड़ का व्यय किया गया तथा औद्योगिक इकाइयों से ₹529.61 करोड़ की ऋण वसूली की गई।

निर्यात

- राज्य सरकार ने निर्यात को आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने वाले क्षेत्रों में से एक क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया है। राज्य से निर्यात का महत्व न केवल देश के राजकोष के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने में निहित है, बल्कि राज्य को अप्रत्यक्ष लाभ जैसे इसके उत्पादों हेतु बाजारों की उपलब्धता व विस्तार के अवसर, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार और उसको बनाये रखने की तकनीकी जानकारियां, संयंत्र, मशीनरी और विनिर्माण प्रक्रिया का तकनीकी उन्नयन, अधिकाधिक रोजगार अवसर आदि में भी हैं।
- राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष पाँच वस्तुओं के अन्तर्गत इंजीनियरिंग वस्तुएं, कपड़ा, हस्तशिल्प, रत्न एवं आभूषण तथा धातु शामिल हैं। जिनका राज्य से होने वाले निर्यात में 50 प्रतिशत से अधिक योगदान है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल निर्यात ₹49,946.10 करोड़ हुआ है।

खान एवं खनिज

- राजस्थान का हर पहलू भू–सम्पदा के दृष्टिकोण से अद्वितीय है। देश में खनिजों की उपलब्धता और विविधता के मामले में राजस्थान समृद्ध राज्य है। यहां विभिन्न प्रकार के 81 खनिजों के भण्डार हैं। इनमें से वर्तमान में 57 खनिजों का उत्खनन् किया जा रहा है। राजस्थान सीसा एवं जस्ता अयस्क, सेलेनाईट और वॉलेस्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य है। देश में चाँदी, केल्साईट और जिप्सम का लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान में होता है। राजस्थान देश में बॉल क्ले, फास्फोराइट, ओकर, स्टीएटाईट, फेल्सफार एवं फायर क्ले का भी प्रमुख उत्पादक है। इसका आयामी और सजावटी पत्थरों यथा– संगमरमर, सेण्डस्टोन, ग्रेनाईट आदि के उत्पादन में भी देश में प्रमुख स्थान है। राज्य, भारत में सीमेन्ट ग्रेड व स्टील ग्रेड लाइम स्टोन के उत्पादन में भी अग्रणी है। वर्तमान में खनन पट्टों का आवंटन ई–नीलामी बोली प्रक्रिया द्वारा किया जा रहा है। राज्य में प्रधान खनिजों के 176 खनन् पट्टे तथा अप्रधान खनिजों के 14,982 खनन् पट्टे एवं 17,481 खदान लाईसेन्स जारी है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान खान एवं भू–विज्ञान विभाग द्वारा ₹7,000.00 करोड़ का राजस्व अर्जित करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसकी तुलना में दिसम्बर, 2020 तक कुल ₹3,125.70 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया।
- राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (आर.एस.एम.एम.एल.) राजस्थान सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख उपक्रमों में से एक है, जो मुख्य रूप से राज्य में औद्योगिक खनिजों के खनन् एवं विपणन के कार्य से जुडा है। इस कम्पनी का मुख्य उद्देश्य किफायती तकनीकों का उपयोग करते हुए खनिज सम्पदा का दोहन करना और क्षेत्र में खनिज आधारित परियोजनाओं को बढ़ावा देना है। कम्पनी के द्वारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ हल्के सिलिका लाइम स्टोन आपूर्ति का दीर्घकालिक अनुबंध किया गया है। आर.एस.एम.एम.एल. के द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान अनुमानित सकल राजस्व तथा कर पूर्व लाभ क्रमशः ₹1,04,380.22 लाख तथा ₹21,318.99 लाख रहा है।

तेल एवं गैस

- राजस्थान, भारत में कच्चे तेल का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है। भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन (32 एम.एम.टी.पी.ए.) में राज्य का योगदान लगभग 22–23 प्रतिशत (7 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष) है और बॉम्बे हाई जो कि लगभग 40 प्रतिशत योगदान देता है, के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। राज्य में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र 4 पेट्रोलीफेरस बेसिन के अन्तर्गत लगभग 1,50,000 वर्ग किमी. (14 जिलों) क्षेत्र में फैला हुआ है। वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) के दौरान ₹1,210.46 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया है।
- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा तेल और गैस अन्वेषण हेतु नवीन हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं लाईसेन्सिंग नीति (एच.ई.एल.पी.) की खुला रकबा लाईसेन्सिंग नीति (ओ.ए.एल.पी.)– चतुर्थ के अर्न्तगत (बीकानेर–नागौर बेसिन) में एक नवीन ब्लॉक 2 जनवरी, 2020 को आवंटित किया गया और राज्य सरकार द्वारा दिनांक 13 जुलाई, 2020 को पेट्रोलियम अन्वेषण लाईसेन्स (पी.ई.एल.) जारी किया गया है।

श्रम एवं रोजगार

- राज्य सरकार द्वारा दिनांक 19 अगस्त, 2020 को अधिसूचना जारी कर 1 मई, 2019 से न्यूनतम मजदूरी की दरों में अभिवृद्धि कर अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी क्रमशः ₹225, ₹237, ₹249 व ₹299 प्रतिदिन कर दी गई है।

- राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना 1 फरवरी, 2019 को शुरू की गई। इस योजना के तहत, बेरोजगारी भत्ता ₹3,000 पुरूषों के लिए तथा ₹3,500 महिलाओं, ट्रांसजेडर और दिव्यांगजनों के पात्र बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह अधिकतम दो वर्ष या रोजगार पाने तक जो भी पहले हो, वितरित किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ से दिसम्बर, 2020 तक 2,49,433 अभ्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है एवं ₹800.44 करोड़ की राशि को बेरोजगारी भत्ते के रूप में वितरित की जा चुकी है।

ऊर्जा

- राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन स्रोतों के अन्तर्गत परम्परागत स्रोत जैसे– कोयला, लिग्नाईट, प्राकृतिक गैस, तेल, पन–बिजली एवं परमाणु ऊर्जा के साथ–साथ वृहद गैर–परम्परागत स्रोत जैसे– पवन, सौर तथा बायोमास अपशिष्ट सम्मिलित हैं।
- राज्य में मार्च, 2020 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता 21,176 मेगावाट थी। वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक 660 मेगावाट की और वृद्धि हुई है।
- राज्य में मार्च, 2013 तक कुल अति उच्च वॉल्टेज (ई.एच.वी.) प्रसारण नेटवर्क 29,605 सर्किट किमी था, जो कि (सार्वजनिक निजी सहभागिता के साथ) मार्च, 2020 तक बढ़कर 41,718 सर्किट किमी हो गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) के दौरान प्रसारण नेटवर्क में 844 सर्किट किमी की और वृद्धि हुई है।
- राज्य में मार्च, 2013 तक विद्युत की उपलब्धता कुल 5,531 करोड़ यूनिट थी, जो कि मार्च, 2020 तक बढ़कर 8,069 करोड़ यूनिट हो गई। वर्ष 2012–13 से 2019–20 तक कुल विद्युत उपलब्धता में 45.88 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार कुल शुद्ध विद्युत के उपभोग में भी 49.83 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- राज्य में 100 प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण को प्राप्त करने के लिए, राज्य सरकार ने दिसंबर, 2020 तक 43,199 गांवों का विद्युतीकरण किया है।
- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के आंकलन के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा से 142 गीगावाट तक विद्युत उत्पादन क्षमता विद्यमान है। शुष्क मरूस्थल के लिए जाना जाने वाला राज्य अब तेजी से सौर ऊर्जा के सबसे बड़े क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। दिसम्बर, 2020 तक राज्य में 5,002 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा निवेशकों के अनुकूल राजस्थान सौर ऊर्जा नीति, 2019 जारी की गई है।
- राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पवन एवं हाईब्रिड ऊर्जा नीति 2019 दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 को जारी की गई है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के तहत नेशनल इस्टीटूयट ऑफ विण्ड एनर्जी द्वारा किये गये एक अध्ययन के अनुसार राज्य में 120 मीटर की हब ऊँचाई पर पवन ऊर्जा की अनुमानित क्षमता लगभग 1,27,750 मेगावाट है। दिसम्बर, 2020 तक कुल 4,337.65 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा इकाइयां स्थापित की जा चुकी है।

सड़क एवं परिवहन

- राजस्थान में एक वृहद गतिशील परिवहन व्यवस्था कायम है जो इसके आर्थिक विकास के प्रमुख वाहकों में से एक है। राज्य में मोटर वाहनों के पंजीकरण में वृद्धि परिवहन संसाधनों के निरन्तर प्रगति व विकास की स्पष्ट सूचक है। यातायात विभाग में वर्ष 2019–20 तक कुल 192.36 लाख मोटर वाहन पंजीकृत हुए थे, जो कि दिसम्बर, 2020 के अन्त तक बढ़कर 199.50 लाख तक पहुँच गए, जो कि 3.71 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।
- विगत वर्षों में राज्य की सड़क परिवहन प्रणाली में सुधार के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं, फिर भी अभी बहुत बड़े अंतराल हैं जिन पर कार्य करने की आवश्यकता है। राज्य में वर्ष 1949 में सड़कों की लम्बाई सिर्फ 13,553 किलोमीटर थी, जो मार्च, 2020 तक बढ़कर 2,69,028.16 किलोमीटर हो गयी है। मार्च, 2020 तक, राज्य में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों का घनत्व 78.61 किलोमीटर है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर सड़क घनत्व 152.04 किमी. है।
- वर्ष 2019–20 की बजट घोषणा के अनुसार आगामी 5 वर्षो में प्रत्येक ग्राम पंचायत में वाल टू वाल विकास पथ का निर्माण किया जाना है। इस हेतु प्रथम चरण में 183 ग्राम पंचायतों में 173.75 किलोमीटर लम्बाई एवं ₹143.53 करोड़ की अनुमानित लागत के विकास पथ निर्माण की स्वीकृति नवंबर, 2019 में जारी कर दी गई है। जिनमें से 38 कार्य पूर्ण हो गए है और 145 कार्य प्रगतिरत है।
- राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा हरिद्वार के लिए मोक्ष कलश विशेष सेवाओं का संचालन किया गया। इसके अन्तर्गत 25 मई, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक 578 वाहनों का संचालन कर 12,481 मोक्ष कलश एवं 24,455 यात्रियों को सुविधा प्रदान की गई।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) समस्त राज्य में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना पर वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान (दिसम्बर, 2020 तक), ₹220.31 करोड़ के बजट प्रावधान के विरूद्ध ₹161.10 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.) के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान (दिसम्बर, 2020 तक), कुल ₹7,240.78 करोड़ की राशि व्यय की गई और 69.29 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाकर 3,432.36 लाख मानव रोजगार दिवसों का सृजन किया गया।
- प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएमएवाई–जी) का शुभारम्भ दिनांक 20 नवम्बर, 2016 को किया गया था। योजनान्तर्गत लाभार्थी का चयन सामाजिक – आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना – 2011 (एस.ई.सी.सी.–2011) के समंकों के आधार पर किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी को ₹1,20,000 की वित्तीय सहायता राशि देय है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान (दिसम्बर, 2020 तक), ₹2,459.85 करोड़ व्यय किये गये और 2,18,500 नए आवास निर्मित किए गए हैं।
- केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार और स्वच्छता की सुविधा प्रदान करने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया। राज्य ने सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण के लक्ष्यों के विरूद्ध 70 प्रतिशत प्रगति प्राप्त की है। इस योजना में तीसरा स्थान प्राप्त करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्य को पुरस्कृत किया गया है।

शहरी विकास

- राज्य के शहरी क्षेत्र में कुल जनसंख्या का एक चौथाई हिस्सा निवास करता है और यह समग्र रूप से शहरीकरण की ओर राष्ट्रीय वृद्धि दर के अनुरुप ही बढ़ रहा है। राजस्थान की कुल जनसंख्या में 1961 में शहरी जनसंख्या का अंश 16.28 प्रतिशत से बढ़कर 2001 में 23.39 प्रतिशत और इसके उपरान्त 2011 में बढ़कर 24.87 प्रतिशत हो गया है।
- शहरी आबादी के संदर्भ में राजस्थान में, कोटा (60.31 प्रतिशत), जयपुर (52.40 प्रतिशत), अजमेर (40.08 प्रतिशत), जोधपुर (34.30 प्रतिशत) और बीकानेर (33.86 प्रतिशत) सबसे अधिक शहरी आबादी वाले जिले हैं, जबकि जालोर (8.30 प्रतिशत), प्रतापगढ़ (8.27 प्रतिशत), बांसवाड़ा (7.10 प्रतिशत), बाड़मेर (6.98 प्रतिशत) और डूंगरपुर (6.39 प्रतिशत) सबसे कम शहरी जनसंख्या वाले जिले हैं।
- 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी घरों को उनकी स्थिति के आधार पर तीन श्रेणियों यथा अच्छे, रहने–योग्य और जीर्ण–शीर्ण में वर्गीकृत किया गया है। जिनमें राजस्थान के लगभग 69 प्रतिशत घर अखिल भारतीय स्तर के 68 प्रतिशत की तुलना में 'अच्छी' स्थिति में है। इसके अलावा 29 प्रतिशत घरों को 'रहने–योग्य' तथा 2 प्रतिशत घरों को उचित भौतिक बुनियादी ढांचे के बिना जीर्ण–शीर्ण अवस्था में वर्गीकृत किया गया है।
- जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए), जयपुर क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए कार्य कर रहा है। यह रिंग रोड, फ्लाईओवर, पुल, पार्किंग स्थल, पार्क, सामुदायिक केंद्र आदि का निर्माण कराता है। वर्ष 2020–21 के दौरान (दिसम्बर, 2020 तक), जयपुर विकास प्राधिकरण की कुल प्राप्तियां ₹685.06 करोड़ थी, जिसमें ₹49 करोड़ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन.सी.आर.पी.बी.) से प्राप्त ऋण राशि शामिल है। वर्ष 2020–21 के दौरान (दिसंबर, 2020 तक), ₹725.18 करोड़ का व्यय किया गया है, जिसमें से ₹302.77 करोड़ पूंजीगत व्यय था।
- वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) में जोधपुर विकास प्राधिकरण की कुल आय ₹119.56 करोड़ रही है। जोधपुर विकास प्राधिकरण ने वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) के दौरान सड़क फ्लाईओवर, पुल, विद्युतीकरण, सीवरेज कार्य, सड़कों के निर्माण/रखरखाव, पार्कों के विकास और अन्य नए निर्माण और रखरखाव कार्यों पर ₹57.40 करोड़ का व्यय किया है।
- राजस्थान आवासन मण्डल की गतिविधियां मुख्यतः समाज के विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को वहन करने योग्य लागत पर आवास उपलब्ध कराने पर केन्द्रित हैं। इस सम्बंध में आवासन मण्डल द्वारा विभिन्न योजनायें प्रारभ की गई है, जैसे ई–बिड सबमिशन के माध्यम से बुधवार नीलामी उत्सव, अपनी दुकान अपना व्यवसाय, महात्मा गाँधी दस्तकार नगर योजना, मुख्यमंत्री शिक्षक आवास योजना और मुख्यमंत्री प्रहरी आवास योजना, महात्मा गाँधी संबल आवासीय योजना, ''एआईएस रेजीडेन्सी'' आवासीय योजना, विधायकों हेतु आवास, प्रताप नगर, जयपुर में कोचिंग हब का विकास,

मानसरोवर, जयपुर में ''सिटी पार्क'' का विकास और जयपुर चौपाटी आदि।

- दिसम्बर, 2020 तक, राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा 2,51,431 आवासीय इकाइयां बनाने का कार्य प्रारम्भ किया गया, जिसमें से 2,49,943 इकाइयों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है तथा 2,46,221 आवासीय इकाइयां आवंटित की गई जिसमें से 2,32,207 इकाइयों का कब्जा आवेदनकर्ताओं को दिया जा चुका है। बोर्ड द्वारा निर्मित आवासों में से 60 प्रतिशत से अधिक आवास आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के लिए निर्मित किए गए हैं।
- राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा ई–बिड सबमिशन के माध्यम से बुधवार नीलामी उत्सव के अन्तर्गत 50 प्रतिशत तक की छूट के साथ 156 मासिक किश्तों में आवास क्रय करने की अनूठी योजना ''10 प्रतिशत दीजिए गृह प्रवेश कीजिए'' प्रारम्भ की गई। दिसम्बर, 2020 तक नीलामी के माध्यम से कुल 3,267 सम्पत्तियों का निस्तारण किया गया, जिससें ₹490.01 करोड प्राप्त हुए।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार

- नागरिकों को सरकारी सेवाओं की जानकारी सुलभ, पारदर्शी और विश्वसनीय तरीके से प्रदान करने के लिए वर्तमान में संबंधित विभाग से प्राप्त सुझावों के आधार पर विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित पोर्टल विकसित किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा क्रियान्वित सभी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध करवाने हेतु विभाग द्वारा जनसूचना पोर्टल बनाया गया है, जिसे समय–समय पर अद्यतन किया जा रहा है। वर्तमान में 55 विभागों में चल रही 99 योजनाओं की 277 सूचनाएं पोर्टल पर उपलब्ध है।
- राज्य में स्टार्टअप क्षेत्र को गति प्रदान करने की राज्य सरकार की वचनबद्धता के अन्तर्गत अनेक नवाचारों को लागू किया गया है। आईस्टार्ट पोर्टल (istart.rajasthan.gov.in) स्टार्टअप्स के लिए एक सिंगल विण्डो की तरह कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त, चैलेन्ज फोर चेन्ज, राजस्थान स्टैक, क्यूरेट रैंकिंग सिस्टम, इनक्यूबेटर, आईस्टार्ट नेस्ट (जयपुर, कोटा एवं उदयपुर) भी राज्य के स्टार्टअप्स के लिए उपलब्ध है। जोधपुर, अजमेर, भरतपुर और बीकानेर में नये इनक्यूबेटर सेन्टर खोलने का कार्य प्रगति पर है।
- राजस्थान सम्पर्क पोर्टल को केन्द्रीयकृत शिकायत निवारण मंच के रूप में तैयार किया गया है। इसके साथ ही मोबाइल ऐप, रियलिटी चेक मॉड्यूल, जी.आई.एस. एकीकरण और एडवांस डेटा एनालिटिक्स जैसे एप्लीकेशन्स व मॉड्यूल्य को उपयोगकर्ता की सुविधा के लिए विकसित कर लागू किया गया है। राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के साथ वास्तविकता जांच मॉड्यूल व 'स्वतः वार्तालाप प्रणाली' (ए.एस.आर.) को जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के लिए एक नया टोल फ्री नम्बर–181 प्रारम्भ किया गया है। कोविड–19 के दौरान वार रूम द्वारा प्राप्त 2,79,206 से अधिक शिकायतों/समस्याओं में से लगभग 2,78,559 शिकायतों/समस्याओं का समाधान किया गया।
- राज–काज परियोजना के माध्यम से सरकारी कार्मिकों के अवकाश प्रबंधन एवं अवकाश के नकदीकरण का आवेदन, वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट, अनापत्ति प्रमाणपत्र (पासपोर्ट, विदेश यात्रा और उच्च शिक्षा के लिए) और फाइल ट्रेकिंग सिस्टम आदि कार्य किए जा रहे हैं। राज–काज परियोजना का कार्यान्वयन सिंगल साइन ऑन (एसएसओ) के माध्यम से किया जा रहा है। इस परियोजना के अन्तर्गत 70 प्रशासनिक विभागों के 382 संस्थानों के 30,794 कार्यालयों तथा 3,17,650 सरकारी कार्मिकों का विवरण शामिल किया गया है। इस पोर्टल को राज्य के सभी सरकारी विभागों में प्रभावी और अनिवार्य बनाने के लिए कार्मिक विभाग द्वारा राज्यव्यापी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- वर्तमान में राज्य में 380 से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टूडियो काम कर रहे हैं। कोविड–19 महामारी के कारण, जनप्रतिनिधियों/अधिकारियों/कर्मचारियों का आवागमन प्रतिबंधित था, इसलिए फेस–टू–फेस संचार के लिए पंचायत स्तर तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेट–अप का व्यापक रूप से उपयोग किया गया। वर्तमान महामारी अवधि में, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 185 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया गया, जिसमें से 88 बार से अधिक कोविड–19 पर अन्य राज्यों तथा माननीय प्रधानमंत्री से संवाद किया गया।
- कोविड–19 से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। जिसके अन्तर्गत कोविड–19 से सम्बन्धित सूचनाओं को विभिन्न स्त्रोतों से एकत्रित कर प्रसरण के लिए www.covidinfo.rajasthan.gov.in वेबसाइट का संचालन किया जा रहा है, जिस पर समस्त स्तरों से जारी आदेशों/निर्देशों/प्रेस विज्ञप्तियों आदि को एक ही जगह पर देखा जा सकता है। ''ई–औषधी–कोविड–19'' के माध्यम से कोविड–19

महामारी में काम आने वाली 57 प्रकार की महत्वपूर्ण औषधियों व अन्य सामानों के स्टॉक की मॉनिटरिंग की जा रही है। 'The Raj-Covidinfo App' के माध्यम से कोविड–19 के प्रसार को ट्रेक करने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करते हुए ताप आधारित/विषयगत मानचित्रों की एक प्रणाली भी विकसित की गई है।

राजस्थान जन–आधार योजना

'एक नम्बर, एक कार्ड, एक पहचान' के उद्देश्य को पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 'राजस्थान जन–आधार योजना' लागू करने की घोषणा परिवर्तित बजट भाषण 2019–20 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य विभिन्न योजनाओं के तहत हस्तांतरित लाभों को सरल, सुलभ और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना है। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 से ही राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020 प्रदेश में प्रभावी हो चुका है। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की स्थापना व गठन तथा कार्यकारिणी समिति से संबंधी अधिसूचना दिनांक 7 मई, 2020 को जारी की जा चुकी है। इस योजना के अन्तर्गत कुल नामांकित परिवारों की संख्या 1.79 करोड़, नामांकित व्यक्तियों की संख्या 6.70 करोड़, कुल नकद व गैर–नकद लाभ के ट्रांजेक्शन 87.69 करोड़ तथा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण–लाभार्थियों के बैंक खातों में नकद लाभ हस्तांतरण ₹38,006 करोड़ 31 दिसम्बर, 2020 तक किये जा चूके हैं।

पर्यटन

- पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान, भारत के सबसे आकर्षक स्थलों में से एक है तथा विश्व के पर्यटन मानचित्र पर अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। यहाँ देशी–विदेशी पर्यटकों हेतु अनेक आकर्षण के केन्द्र है।
- राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहित करने तथा नवीन एवं अनुभवजन्य पर्यटन उत्पादों के माध्यम से राज्य को पसंदीदा व अग्रणी पर्यटक गंतव्य स्थल बनाने के लिए दिनांक 09 सितम्बर, 2020 को जारी अधिसूचना के द्वारा नवीन पर्यटन नीति ''राजस्थान पर्यटन नीति'', 2020 को लागू किया गया है।
- राज्य सरकार द्वारा राज्य में पर्यटन विकास के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए जा रहे हैं। यह क्षेत्र राजस्थान के निवासियों के लिए रोजगार एवं आय की असीम सम्भावनाएं रखता है। कलैण्ड़र वर्ष 2020 के दौरान, 155.63 लाख (151.17 लाख स्वदेशी एवं 4.46 लाख विदेशी) पर्यटकों ने राजस्थान में भ्रमण किया।
- 'वंदे भारत मिशन' के अन्तर्गत 22 मई, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक 56,348 प्रवासी (एन.आर.आई.) 414 अन्तर्राष्ट्रीय उडानों के माध्यम से राजस्थान पहुचे, जिनमें से 8,550 प्रवासियों के लिए विभाग द्वारा 7 दिवस का अनिवार्य होटल क्वारंटीन हेतु उचित दरों पर होटल उपलब्ध कराने संबंधी व्यवस्थाएं की गई।

शिक्षा

- राज्य सरकार, राज्य के लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए शिक्षा एवं शिक्षा संसाधनों में व्यापक सुधार के माध्यम से ठोस प्रयास कर रही है। राज्य विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं जैसे समग्र शिक्षा अभियान, साक्षरता एवं सतत् शिक्षा कार्यक्रम, साक्षर भारत मिशन के माध्यम से सम्पूर्ण साक्षरता एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रयासरत् है।
- कोविड–19 द्वारा उत्पन्न विषम परिस्थितियों को देखते हुए, राज्य में विभाग द्वारा एक नवाचार के रूप में कक्षा 6 से 12 के छात्रों के लिए डिजिटल ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन करके छात्रों को शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए एक स्थाई शिक्षा प्रावधान की अनूठी पहल की गई है।
- विशेष शिक्षक/संदर्भ व्यक्ति(CWSN) और अंत में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जोड़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ''स्टेट इनक्लूसिव एडू–राज'', CWSN के ऑनलाइन लर्निंग के लिए स्टेट रिसोर्स ग्रुप, CWSN के स्टेट ऑनलाइन लर्निंग ग्रुप, CWSN का डिस्ट्रिक्ट ऑनलाइन लर्निंग ग्रुप और CWSN का ब्लॉक ऑनलाइन लर्निंग ग्रुप बनाया गया है।
- दूरदर्शन राजस्थान पर सभी कक्षाओं के लिये रोज सवा तीन घण्टे (12.30–2:30 बजे एवं 3:00 से 4:15 बजे तक) शिक्षादर्शन कार्यक्रम प्रसारित किया गया तथा लॉकडाउन अवधि के दौरान ऑडियो शिक्षण सामग्री को आकाशवाणी के माध्यम से 30 जून, 2020 तक प्रतिदिन 55 मिनट के लिए प्रसारित की गई।
- मिड डे मील योजनान्तर्गत, कोविड–19 के कारण विद्यालय बन्द रहने की अवधि में राजकीय विद्यालयों, मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत् विद्यार्थियों के माता–पिता/अभिभावकों को विद्यालय में खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) एवं चना दाल (कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट के बदले में) वितरण करने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में मिड डे मील योजनान्तर्गत कोविड–19 के कारण विद्यालय बन्द रहने की अवधि 14 मार्च, 2020 से 30 जून, 2020 तक (कुल 94 दिवस), जुलाई, 2020

से अगस्त, 2020 तक (कुल 48 दिवस) एवं सितम्बर, 2020 से अक्टूबर, 2020 तक (कुल 49 दिवस) का खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) वितरित किया जा रहा है।

- राज्य में 35,331 राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 19,639 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 14,990 राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रारम्भिक कक्षाओं के साथ चल रहे हैं। डाईस रिपोर्ट 2019–20 के अनुसार राजकीय विद्यालयों में कुल 62.48 लाख विद्यार्थी नामांकित है।
- निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार, राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर के माध्यम से सभी सरकारी विद्यालयों में कक्षा–1 से 8 तक नियमित पढ़ने वाले छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करा रही है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में पाठ्य पुस्तक वितरण हेतु कुल राशि ₹70 करोड़ प्राप्त हुई एवं ₹38.70 करोड़ मूल्य की पाठ्य पुस्तकें सफलतापूर्वक सभी राजकीय विद्यालयों में वितरित की गई।
- प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., एस.बी.सी. और डी.टी.एन.टी सीमान्त क्षेत्र (ओ.बी.सी.) के छात्रों को प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक इस योजना के अन्तर्गत आवंटन राशि ₹2,620 लाख के विरूद्ध ₹580 लाख व्यय किए गए।
- राज्य में दिनांक 1 अप्रैल, 2010 से निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 लागू किया गया है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटे कमजोर और वंचित समूह के बालक/बालिकाओं के लिए आरक्षित रखी गई है। राज्य सरकार द्वारा निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत निःशुल्क प्रवेश की प्रभावी निगरानी एवं समय पर राशि पुनर्भरण (राज्य सरकार के मापदण्डों के अनुसार) के लिए एक वेबपोर्टल www.rte.raj.nic.in विकसित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12 (जी) के तहत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों के प्रवेश के लिए आय सीमा 1.00 लाख से बढ़ाकर 2.50 लाख की गई। राज्य सरकार द्वारा इन विद्यालयों को वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक ₹226.48 करोड़ का पुनर्भरण किया जा चुका है।
- राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, 319 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (के.जी.बी.वी.) संचालित है और इन विद्यालयों में 37,554 बालिकाएं अध्ययनरत् हैं।
- शिक्षा प्रणाली में माध्यमिक शिक्षा, प्रारम्भिक एवं उच्च शिक्षा के मध्य आवश्यक सेतु है। विद्यार्थियों को रोजगार व उद्यमिता हेतु तैयार करने के लिए वर्तमान में 14,791 उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय तथा 134 स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल, राजकीय क्षेत्र में संचालित है। राजस्थान में 16,017 उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय निजी क्षेत्र में संचालित है। राजकीय विद्यालयों में 26.03 लाख बालिकाओं सहित 51.31 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत् है और 51,365 विद्यार्थी स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों में अध्ययनरत् है।
- उच्च शिक्षा विभाग, सामान्य शिक्षा के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों का प्रबन्धन करता है। प्रदेश में सामान्य शिक्षा के कुल 2,163 महाविद्यालय है, जिनमें से 322 राजकीय महाविद्यालय, 16 राजकीय विधि महाविद्यालय, 1,817 निजी महाविद्यालय, 2 स्ववित्तपोषी संस्थाएं तथा 6 निजी सहभागिता से स्थापित महाविद्यालय है। विभाग द्वारा 1,407 शिक्षक–प्रशिक्षक महाविद्यालय भी संचालित किये जा रहे हैं। राज्य में 27 राज्य स्ववित पोषित विश्वविद्यालय, 51 निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय तथा 7 डीम्ड विश्वविद्यालय है।
- स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर अभियांत्रिकी शिक्षा हेतु राज्य में कुल 88 (जिसमें आर्किटेक्चर शाखा वाला 02 इंजीनियरिंग कॉलेज शामिल) अभियांत्रिकी महाविद्यालय संचालित है। इनमें से 11 राजस्थान सरकार के अधीन स्वायत्त अभियांत्रिकी कॉलेज, 1 केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित स्वायत्त अभियांत्रिकी कॉलेज, 4 राज्य विश्वविद्यालय के संघटक कॉलेज है और 72 निजी गैर–सहायता प्राप्त कॉलेज है, जिनकी कुल विद्यार्थी क्षमता 34,072 विद्यार्थी प्रतिवर्ष है। इसी प्रकार स्नातकोत्तर स्तर पर प्रबन्धन शिक्षा के 50 एम.बी.ए. संस्थान (07 राजकीय/राजकीय सहायता प्राप्त एवं 43 निजी संस्थान) संचालित है, जिनकी वार्षिक प्रवेश क्षमता 3,402 विद्यार्थी है। सभी स्नातक एवं स्नातकोत्तर अभियांत्रिकी महाविद्यालय राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा और बीकानेर से सम्बद्ध है। एम.बी.ए. संस्थान राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा एवं बीकानेर से सम्बद्ध है। इसके अतिरिक्त, राज्य में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.), जोधपुर में, आईआईआईटी कोटा, एमएनआईटी जयपुर तथा एक भारतीय प्रबन्धन संस्थान (आई.आई.एम.), उदयपुर में संचालित है।
- राजस्थान में 23 चिकित्सा महाविद्यालय है, जिनमें से 6 सरकारी क्षेत्र में, एक झालावाड़ हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज सोसाइटी, झालावाड़, एक राजस्थान स्वास्थ्य

विज्ञान विश्वविद्यालय (आर.यू.एच.एस) का संघटक कॉलेज, 7 राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी (राजमेस) के द्वारा संचालित एवं शेष 8 निजी क्षेत्र के हैं। 15 नई मेड़िकल कॉलेज अलवर, बारां, बांसवाड़ा, बून्दी, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, करौली, नागौर, श्रीगंगानगर, सिरोही, दौसा, झुन्झुनूं, हनुमानगढ़, टोंक एवं सवाईमाधोपुर को सीएसएस–III के तहत स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इसी तरह राज्य में 16 दन्त महाविद्यालय है, इसमें से एक सरकारी क्षेत्र में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (आर.यू.एच.एस.) का संगठक और 15 निजी क्षेत्र में है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

- राज्य सरकार द्वारा प्रमुख स्वास्थ्य सुधारों और सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति नवाचारों को लागू कर सभी के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों, गरीबों और जरूरतमंदों पर ध्यान देने के उद्देश्य से निरन्तर प्रयास किए गये हैं। राज्य सरकार, संक्रामक एवं अन्य रोगों पर नियन्त्रण एवं उन्मूलन तथा राज्य के नागरिकों को उपचारात्मक एवं निवारक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है।
- 31 दिसम्बर, 2020 तक राज्य में 107 चिकित्सालय, 655 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 2,147 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (ग्रामीण), 190 औषधालय (डिस्पेंसरी), 118 मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र, 51 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (शहरी) और 14,497 उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है।
- ''आयुष्मान भारत–महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना'' को प्रदेश में दिनांक 01 सितम्बर, 2019 से आरम्भ किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब परिवारों (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 एवं सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना, 2011 (SECC) के आधार पर पात्र लाभार्थी परिवार) को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष चिन्हित सामान्य बीमारियों हेतु ₹30,000 तथा चिन्हित गम्भीर बीमारियों हेतु ₹3.00 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर सामयिक आधार पर दिया जाता है। इस योजना में कुल 1,401 बीमारियों के पैकेज सम्मिलित हैं, जिसमें चिन्हित गम्भीर बीमारियों हेतु 663 तृतीयक पैकेज एवं सामान्य बीमारियों हेतु 738 द्वितीयक पैकेज को सूचीबद्ध किया गया है। सामान्य बीमारियों के पैकेज की आरक्षित सूची में 46 पैकेज राजकीय चिकित्सा संस्थानों एवं 14 पैकेज निजी चिकित्सा संस्थानों के शामिल है।
- आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का नवीन चरण दिनांक 30 जनवरी, 2021 से प्रारम्भ किया गया है। इसके लिए दिनांक 14 जनवरी, 2021 को दी न्यू इण्डिया एश्योरेंस एजेंसी एवं राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी के मध्य अनुबंध किया गया है। इस योजना में लगभग ₹1,750 करोड़ का व्यय प्रति वर्ष होगा, जिसका लगभग 79 प्रतिशत वित्तीय भार राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। इस नवीन चरण में पात्र लाभार्थियों का बीमा कवर ₹3.30 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख प्रति वर्ष किया गया है। इसमें सामान्य बीमारियों के लिए ₹50,000 एवं गंभीर बीमारियों के लिए ₹4.5 लाख तक का ईलाज प्रति परिवार प्रति वर्ष देय है। नवीन चरण में बीमारियों के पैकेज को 1,401 से बढ़ाकर 1,576 कर दिया गया है।
- राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की सभी स्कूल जाने वाली कक्षा 6 से 12 तक की किशोरियों एवं स्कूल नहीं जाने वाली 10 से 19 वर्ष तक की किशोरियों को निःशुल्क सैनेटरी नैपकिन्स उपलब्ध कराने की योजना प्रारम्भ की गई है। योजनान्तर्गत प्रत्येक बालिका को प्रतिमाह 12 सैनेटरी नेपकिन्स निःशुल्क वितरित किए जाने का प्रावधान रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक इस योजना के अन्तर्गत ₹10.60 करोड़ के 5.66 करोड़ सैनेटरी नैपकिन्स स्कूल जाने वाली बालिकाओं एव ₹1.94 करोड़ के 1.14 करोड़ सैनेटरी नेपकिन्स स्कूल नहीं जाने वाली बालिकाओं को वितरित किए जा चुके हैं।
- राज्य में शिशु मृत्यु दर एवं प्रसव के दौरान उच्च मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं व नवजात शिशुओं को निःशुल्क चिकित्सा एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) में 26.95 लाख गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क दवा, 9.93 लाख गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क जाँच, 6.58 लाख गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क गरम भोजन, 4.84 लाख गर्भवती महिलाओं को घर से अस्पताल निःशुल्क परिवहन, 41,250 गर्भवती महिलाओं को चिकित्सालय से उच्च चिकित्सा संस्थान तक निःशुल्क परिवहन, 5.44 लाख गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा संस्थान से घर तक निःशुल्क परिवहन एवं 49,891 गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क रक्त सुविधा प्रदान की गई है।
- राज्य में कोविड–19 को रोकने, बचाव, नियंत्रण, जांच (कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग), उपचार और सूचना के प्रसारण के लिए विभिन्न उपाय किए गए। इस क्रम में, सक्रिय और निष्क्रिय

निगरानी के रूप में डोर–टू–डोर सर्वेक्षण किया गया और मार्च, 2020 से ओपीडी रोगियों की स्क्रीनिंग शुरू की गई। राज्य के सभी जिलों में 60 प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें कोविड–19 का पता लगाने के लिए आरटीपीसीआर परीक्षण की सुविधा है तथा इनकी कुल संचयी क्षमता 65,886 जांच प्रतिदिन करने की है। जांच हेतु कुल 117 आरटीपीसीआर मशीन उपलब्ध करवाई गई है। राजकीय प्रयोगशालाओं में कोविड–19 की जांच निःशुल्क की जा रही है तथा निजी प्रयोग शालाओं में कोविड–19 की जांच हेतु विभाग द्वारा अधिकतम राशि ₹800 निर्धारित की गई है। राज्य में कोविड–19 के रोगियों के उपचार हेतु कुल 427 चिकित्सा संस्थान चिन्हित है, इनमें से 287 कोविड केयर सेन्टर, 80 डेडीकेटेड कोविड हैल्थ सेन्टर एवं 60 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हैं। वर्तमान में 225 निजी चिकित्सालयों को भी कोविड–19 के उपचार हेतु अधिकृत किया जा चुका है। राज्य में 43,419 आईसोलेशन बैड, 8,532 ऑक्सीजन सपोर्टेड बैड़ एवं 2180 आईसीयू बैड़ उपलब्ध है।

- वर्तमान में जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा एवं उदयपुर के मेडिकल कॉलेजों में गंभीर स्थिति में रोगियों को प्लाज्मा थेरेपी देने की सुविधा शुरू की गई है। दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 तक, राज्य में कुल 3,505 यूनिट प्राप्त हुई है इनमें से 3,209 यूनिट मरीजों को लगाई गई। राज्य में संदिग्ध कोरोना रोगियों/व्यक्तियों को निगरानी में रखने अथवा उपचार हेतु राज्य में 1,14,288 क्वारेंटाईन बेड़ की पहचान की गई है।
- राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस से संक्रमित और संदिग्ध लोगों के ईलाज एवं ट्रेसिंग में लगे हुए संबंधित चिकित्सकों (₹5,000), पैरामेडिकल स्टाफ (₹2,500) एवं अन्य कार्मिकों (₹2,500) को प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है। कोविड–19 ड्यूटी के दौरान कार्मिकों की कोविड से मृत्यु होने पर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की बीमा योजना के अन्तर्गत क्लेम की सुविधा भी उपलब्ध करवायी जा रही है। मृतक के परिवार के लिए ₹50 लाख दावा राशि के रूप में निर्धारित की गई है। अब तक 19 क्लेम विभाग को प्राप्त हुये हैं, जिनमें से 6 क्लेम का भुगतान किया जा चुका है।
- कोविड–19 की रोकथाम व नियंत्रण के लिए भीलवाड़ा जिले में विशेष रणनीति तैयार की गई। जिसके तहत जिले में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया गया और पड़ोसी जिलों की सीमाओं को भी सील कर दिया गया था। साथ ही रेलवे, रोडवेज व अन्य निजी साधनों के आवागमन पर प्रतिबंध कर उद्योग व कारखाने भी बंद कर दिये गए। सभी संदिग्ध व्यक्तियों की स्क्रीनिंग कर जांच की गई। भोजन, पानी, दूध, दवाईयां व अन्य आवश्यक सामग्री लोगों को घरों पर ही उपलब्ध कराई गई।
- जयपुर शहर के अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र रामगंज में कर्फ्यू, महाकर्फ्यू, सक्रिय व निष्क्रिय निगरानी, सर्विलेंस, आरटीपीसीआर परीक्षण व आईईसी की गयी। गलियों में सर्वे कराने के लिए ड्रोन का उपयोग तथा पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों की स्क्रीनिंग के लिए मिसा लिसा मिशन को लॉन्च किया गया था। भोजन, पानी, दूध, दवाईयां व अन्य आवश्यक सामग्री लोगों को घरों पर ही उपलब्ध कराई गई।

जलापूर्ति

- राज्य भूजल स्रोतों की कमी का सामना कर रहा है। राज्य में पिछले दो दशकों से भू–जल के अत्यधिक दोहन के कारण भू–जल की स्थिति अत्यन्त चिंताजनक हो गई है। राज्य की भौगोलिक विषमता और भूगर्भीय तथा सतही जल की सीमित उपलब्धता के कारण शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना अत्यन्त कठिन है, इस हेतु राज्य सरकार द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न पेयजल योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।
- राज्य सरकार के अथक प्रयासों से पेयजल की समस्या का चरणबद्ध रूप से समाधान किया जा रहा है। कुल 1,21,978 बस्तियों/ढाणियों में से 1 अप्रेल, 2020 तक 50,335 बस्तियां को पूर्णतः तथा 56,982 बस्तियां को आंशिक रूप से पेयजल उपलब्ध करवाया जा चुका है और शेष 14,661 बस्तियां/ढाणियां पेयजल गुणवत्ता प्रभावित हैं। वित्तीय वर्ष 2019–20 में विभाग द्वारा 2,150 बस्तियों/ढाणियों को पेयजल से लाभान्वित करने का कार्य हाथ में लिया गया है, जिसके विरूद्ध 5,060 बस्तियों/ढाणियों को लाभान्वित किया जा चुका है, इनमें 1,204 गुणवत्ता प्रभावित, 408 अनुसूचित जाति बहुल्य, 518 अनुसूचित जनजाति बहुल्य एवं 198 अल्पसंख्यक बहुल्य बस्तियां/ढाणियां शामिल है।
- प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफ.एच.टी.सी.) के माध्यम से पीने योग्य पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए 'जल जीवन मिशन' कार्यान्वित किया जा रहा है। इस मिशन हेतु केन्द्र तथा राज्य के बीच फंडिंग पैटर्न 1:1 है। राज्य स्तर पर राज्य जल और स्वच्छता मिशन (एस.डब्ल्यू.एस.एम), जिला स्तर

पर जिला जल और स्वच्छता समिति (डी.डब्ल्यू.एस.सी.) और ग्राम स्तर पर ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वी. डब्ल्यू.एस.सी.) जल जीवन मिशन के लिए मुख्य कार्यान्वयन और निगरानी एजेंसी हैं। 31 मार्च, 2020 तक 12.76 लाख घरों में नल कनेक्शन थे और वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) के अन्तर्गत कुल 4.40 लाख नए नल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं।

सतत् विकास गोल्स (एसडीजी)

- संयुक्त राष्ट्र (यू.एन.) महासभा ने 25 सितम्बर, 2015 को आयोजित अपने 70वें सत्र में, 17 सतत् विकास गोल्स (एस.डी.जी.) एवं 169 टार्गेट्स वाले ''ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्डः द 2030 एजेण्डा फॉर सस्टेनेबल डवलपमेंट'' शीर्षक वाले दस्तावेज को अंगीकार किया। एस.डी.जी. विकास के सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय आयामों के एकीकृत वैश्विक गोल्स की एक व्यापक सूची है। सतत् विकास गोल्स सार्वभौमिक (सभी देशों–विकसित, विकासशील और अविकसित के लिए), अन्तःसंबंधी एवं अविभाज्य है तथा इसलिए सभी को साथ में लाने के लिये व्यापक एवं सहभागी दृष्टिकोण की आवश्यकता है ताकि ''कोई भी पीछे ना रहे''। 17 एस.डी.जी. और संबद्ध 169 टार्गेट्स 1 जनवरी, 2016 से प्रभावी हुए हैं।
- राज्य में सतत् विकास गोल्स के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आयोजना विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है। संकेतकों के समंकों का संकलन तथा प्रगति की सामयिक समीक्षा हेतु आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय (डी.ई.एस.) में एस.डी.जी. कार्यान्वयन केन्द्र/प्रकोष्ठ स्थापित एवं कार्यरत है। मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं मोनिटरिंग समिति संस्थापित है। इस राज्य स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर सतत् विकास गोल्स के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 8 सेक्टॉरल वर्किंग ग्रुप्स का गठन किया गया है।
- धरातल पर बेहतर कार्य योजना एवं एस.डी.जी. के क्रियान्वयन के स्थानीयकरण को ध्यान में रखते हुए, राजस्थान सरकार द्वारा संबंधित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय एस.डी.जी. क्रियान्वयन और मोनिटरिंग समिति का गठन किया गया है। सभी 33 जिलों ने उक्त जिला स्तरीय समिति का गठन कर दिया है तथा इसकी प्रथम बैठक संबद्ध विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ आयोजित की जा चुकी है।
- राज्य द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं (सी.एस.एस.) एवं राज्य सरकार की योजनाओं/कार्यक्रमों/नवाचारों के साथ गोल्स एवं संबद्ध टार्गेट्स की मैपिंग का कार्य पहले ही किया जा चुका है। योजनान्तर्गत आवंटन को भी एस. डी.जी. के साथ जोड़ा गया है तथा बजट 2020–21 में राजस्थान विधान सभा के पटल पर रखा गया है।

मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद

प्रदेश के आर्थिक–वित्तीय परिदृश्य में सुधार के लिए थिंक–टैंक के रूप में कार्य करने हेतु दिनांक 7 मार्च, 2020 को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद् का गठन किया गया। डॉ. अरविन्द मायाराम, आर्थिक सलाहकार, मुख्यमंत्री एवं पूर्व वित्त सचिव भारत सरकार को परिषद में उपाध्यक्ष एवं 23 अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सदस्य मनोनीत किया गया है। परिषद् निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य कर रही है।

- राज्य की आर्थिक वृद्धि एवं विकास में आ रही चुनौतियों, विशेषतः राजकोषीय प्रबंधन, उत्पादकता बढ़ानें, रोजगार के अवसरों का सृजन आदि की पहचान करना तथा स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के संबध में विशिष्ट कार्यवाही योग्य सलाह देना।
- राज्य के विशिष्ट आर्थिक एवं वित्तीय नीतिगत विषयों के गहन विश्लेषण हेतु अध्ययन करना।
- राज्य में की जा रही नवीन पहल को चिन्हित कर, उनकी मध्य अवधि प्रगति को सुनिश्चित करना तथा इनके क्रियान्विति के विभिन्न स्तरों की समीक्षा करना।
- राज्य की विकास योजनाओं में आने वाली चुनौतियों के संबध में समुचित समाधान देने एवं इनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सुझाव देना।
- परिषद् की सिफारिशों को लागू करने के लिए संबद्ध विभागों को समय–समय पर मार्गदर्शन प्रदान करना और आवश्यकतानुसार मध्य अवधि सुधार/संशोधन के सुझाव देना।
- राज्य की आर्थिक विकास एवं वृद्धि पर प्रभाव डालने वाले विषयों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित वक्ताओं के व्याख्यान आयोजित करना।

परिषद की प्रथम बैठक दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्पन्न हुई, जिसमें परिषद् के सदस्यों द्वारा दिये

गये महत्वपूर्ण सुझावों को सम्बन्धित विभागों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया गया है।

फ्लेगशिप योजनाएं

राज्य सरकार द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के सशक्तिकरण तथा उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से निम्न योजनाओं/ कार्यक्रमों को स्टेट फ्लेगशिप कार्यक्रम घोषित करने का निर्णय लिया है।

- **शुद्ध के लिये युद्ध अभियानः**– राज्य के समस्त उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके, इस हेतु राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर, 2020 से 'शुद्ध के लिये युद्ध अभियान' चलाया जा रहा है। जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी, विधिक माप विज्ञान अधिकारी तथा डेयरी के प्रतिनिधि आदि को सम्मिलित कर एक टीम का गठन किया गया है। इस अभियान के तहत, वर्ष 2020 में, 10,175 निरीक्षण के बाद 7,439 नमूने लिए गए, जिनमें से 809 को घटिया, 376 को गलत और 255 को असुरक्षित पाया गया।
- **निरोगी राजस्थान अभियानः**– इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक गांव और शहरी वार्ड में स्वास्थ्य स्वयंसेवक (स्वास्थ मित्र) का चयन किया गया है। 79,731 स्वास्थ मित्र गांवों व 14,007 स्वास्थ मित्र शहरी वार्डों के लिए चयनित और प्रशिक्षित किए जा चुके हैं।
- **मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजनाः**– मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। 4 नई दवाईयां आवश्यक दवा सूची में जोड़ी गई हैं। इस योजना में वर्तमान में 713 आवश्यक दवाईयां, 77 टांके और 181 सर्जिकल आइटम सूचीबद्ध हैं और वर्ष 2020–21 के दौरान (दिसंबर, 2020 तक), ₹489.82 करोड़ का व्यय किया गया।
- **मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजनाः**– मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) में 34.26 करोड़ जांचे की जाकर 15.54 करोड़ लोगों को इस योजना में लाभान्वित किया जा चुका है।
- **आयुष्मान भारत–महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजनाः**– इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब परिवारों (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 एवं सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के आधार पर पात्र लाभार्थी परिवार) को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है। इस योजना में कुल 1,401 बीमारियों के पैकेज सम्मिलित हैं और 1 सितंबर, 2019 से 31 दिसंबर, 2020 तक इस योजना के अन्तर्गत ₹715.47 करोड़ की दावा राशि का भुगतान किया जा चुका है।
- **महात्मा गांधी गवर्मेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल (एम.जी.जी.ई.एस.)**:– राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर कक्षा 1 से 12 तक महात्मा गांधी सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल शुरू किए गए। कुल 301 ब्लॉकों में से 134 ब्लॉकों में स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल है, इन 134 ब्लॉकों को छोड़कर, शेष 168 ब्लॉकों में महात्मा गांधी सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल स्थापित किए जा चुके हैं।
- **₹1 प्रति किलो गेहूँ**:– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत, AAY परिवारों को प्रति राशन कार्ड पर 35 किलोग्राम गेहूँ और प्रति माह बीपीएल और राज्य बीपीएल परिवारों को 5 किलोग्राम गेहूँ की मात्रा ₹2 प्रति किलो के बजाय ₹1 प्रति किलोग्राम पर प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 2020 से दिसंबर, 2020 तक कुल 7,52,392.95 मीट्रिक टन गेहूँ 1,51,82,113 व्यक्तियों को उपलब्ध कराया गया है।
- **सिलिकोसिस नीतिः**– राज्य सरकार द्वारा 3 अक्टूबर, 2019 को सिलिकोसिस नीति शुरू की गई। उक्त नीति में खदानों, कारखानों, पत्थर तोड़ने, पत्थर की घिसाई, पत्थर पीसकर पाउडर बनाने, गिट्टी बनाने, सेंड़ स्टोन से मूर्ति बनाने इत्यादि कार्यों से धूल के संपर्क में आने से श्रमिक एक लाइलाज बीमारी सिलिकोसिस से पीड़ित हो जाता है। इस नीति के तहत सिलिकोसिस से पीड़ित लोगों को वित्तीय मदद के साथ–साथ ऐसे कार्य स्थल और श्रमिकों की पहचान, पुनर्वास, बीमारी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उपायों को अपनाया जा रहा है।
- **मुख्यमंत्री कन्यादान योजनाः**– 'सहयोग और उपहार योजना' के स्थान पर 'मुख्यमंत्री कन्यादान योजना' शुरू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के बी.पी.एल. परिवार की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की लड़कियों के विवाह के अवसर पर ₹31,000 प्रोत्साहन स्वरूप दिए जाते हैं, यदि लड़की दसवीं पास है तो अतिरिक्त ₹10,000 तथा यदि लड़की स्नातक है तो ₹20,000 की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। शेष सभी श्रेणियों के बी.पी.एल. परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्ड धारक, आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाएं, विशेष योग्यजन व्यक्ति, पालनहार योजना में लाभार्थी लड़कियों के विवाह

और 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला खिलाड़ियों को भी इस योजना में विवाह के अवसर पर ₹21,000 प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त यदि लड़की दसवीं पास है तो अतिरिक्त ₹10,000 तथा यदि लड़की स्नातक है तो ₹20,000 की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि विवाह के अवसर पर प्रदान की जा रही है। इस योजना में वर्ष 2020–21 में (दिसम्बर, 2020 तक), 6,073 लाभार्थियों को ₹2,416.68 लाख की राशि से पुरस्कृत किया जा चुका है।

- **मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजनाः**– वृद्धावस्था पेंशन के अन्तर्गत 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिलाओं एवं 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरूषों को वृद्धावस्था सम्मान पेंशन के रूप में ₹750 प्रतिमाह व 75 वर्ष की आयु होने के पश्चात ₹1,000 प्रतिमाह पाने के लिए पात्र है। वर्ष 2020–21 में दिसंबर, 2020 तक, 47,57,856 लाभार्थियों को ₹4,57,017.86 लाख कुल राशि वितरित की जा चुकी है।
- **मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजनाः**– इस योजना के अन्तर्गत विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन दी जा रही है। वर्ष 2020–21 में दिसंबर, 2020 तक इस पेंशन योजना के तहत 16,20,032 लाभार्थियों को कुल ₹1,49,168.50 लाख रुपये वितरित किए जा चुके है।
- **मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजनाः**– राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न विशेष योग्यजनों को प्रति माह ₹750 से ₹1,500 की पेंशन दी जा रही है। वर्ष 2020–21 (दिसंबर, 2020 तक) में, इस पेंशन योजना के अन्तर्गत 5,40,411 लाभार्थियों को ₹41,160.29 लाख की कुल राशि वितरित की जा चुकी है।
- **पालनहार योजनाः**– इस योजना का उद्देश्य उन बच्चों की देखभाल करना है, जिनके माता–पिता दोनों की मृत्यु हो गई है या माता–पिता आजीवन कारावास या मौत की सजा काट रहे हैं या माता की मृत्यु हो गई है और पिता आजीवन कारावास काट रहा हो या पिता की मृत्यु हो गई है और माता आजीवन कारावास सजा काट रही हो। वर्ष 2020–21 (दिसंबर, 2020 तक) के दौरान, ₹43,490.79 लाख व्यय कर 4,71,999 बच्चों को इस योजना के तहत लाभान्वित किया गया है।
- **राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2019:**– इस नीति के अन्तर्गत कृषि–प्रसंस्करण और आधारभूत इकाइयां स्थापित करने हेतु कृषक एवं उनके संगठनों को परियोजना लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम ₹100 लाख तथा अन्य पात्र उद्यमियों को 25 प्रतिशत या अधिकतम ₹50 लाख तक पूंजीगत अनुदान दिये जाने का प्रवधान है।
- **मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (एमएलयूपीवाई):**– इस योजनान्तर्गत लघु उद्योगों के उद्यमियों को ₹25 लाख तक के ऋण पर 8 प्रतिशत, ₹5 करोड़ तक के ऋण पर 6 प्रतिशत और ₹10 करोड़ तक के ऋण पर 5 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में (दिसम्बर, 2020 तक) ₹685.57 करोड़ 4,068 लोगों को वितरित किए जा चुके हैं।
- **राजस्थान सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेबलिशमेंट एण्ड ऑपरेशन) अधिनियमः** वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिसंबर, 2020 तक) में 4,608 डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट प्राप्त हुए जिन्हें तुरंत प्रभाव से पावती प्रमाणपत्र जारी किए जा चुके हैं। इनमें से 2,145 सूक्ष्म (माइक्रो) श्रेणी, 1,526 लघु श्रेणी और 937 मध्यम श्रेणी के आवेदन जारी किए गए हैं। कुल प्राप्त डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट में से 61 प्रतिशत विनिर्माण क्षेत्र के जबकि 39 प्रतिशत सेवा क्षेत्र के थे।
- **राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2019:**– राज्य में तेजी से, सतत् और संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2019 को 17 दिसंबर, 2019 से प्रभावी बनाया गया। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में दिसंबर, 2020 तक ₹56,238.05 करोड़ के निवेश प्रस्ताव के साथ 2,273 आवेदनों के लिए छूट प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं।
- **जन सूचना पोर्टलः**– सरकार द्वारा लागू की गई सभी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा जन सूचना पोर्टल बनाया गया है, जिसे समय–समय पर अद्यतन किया जा रहा है। वर्तमान में इस पोर्टल पर 55 विभागों की 99 स्कीमों की 277 सूचनाएं उपलब्ध करवाई जा रही है।
- **राजस्थान जन–आधार योजनाः**– जन–आधार कार्ड को भारत सरकार (यूआईडीएआई) द्वारा परिवार और उसके सदस्यों के पहचान प्रमाणीकरण एवं पते के दस्तावेज के रूप में 9 मई, 2020 के परिपत्र द्वारा मान्यता दी गई है। इस योजना के तहत 31 दिसंबर, 2020 तक कुल 1.79 करोड नामांकित परिवार, कुल 6.70 करोड़

नामांकित व्यक्ति, कुल 87.69 करोड़ लेन–देन की संख्या (नकद और गैर–नकद) है और डीबीटी के माध्यम से कुल ₹38,006 करोड के लाभ स्थानान्तरित किए गए।

पुरस्कार एवं सम्मान

- जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्य को गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लक्ष्यों के विरूद्ध 70 प्रतिशत प्रगति के साथ तीसरा स्थान प्राप्त करने के लिए पुरस्कृत किया गया।
- राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के लिए सुरक्षित वाहन संचालन हेतु 4001–7500 वाहन बेड़े की श्रेणी में केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय के न्यूनतम दुर्घटना अवार्ड से सम्मानित किया गया ।
- राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2018 में राज्य को 18 वां स्थान प्राप्त हुआ था जबकी वर्ष 2020 में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है।
- दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के अंतर्गत उत्तम राज्य (सामान्य राज्य) की श्रेणी में राजस्थान को सम्मानित किया गया है।
- कोरोना महामारी के दौरान 5 लाख से अधिक यात्रियों को अपने गन्तव्य तक पहुचाने के उल्लेखनीय कार्य के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को एक्सीलेंस इन ट्रांसपोर्ट केटेगरी में राष्ट्रीय पीएसयू अवार्ड से सम्मानित किया गया।
- आवासन मण्डल द्वारा 10 जून, 2020 से 08 जुलाई, 2020 तक, 12 दिनों में ''बुधवार नीलामी उत्सव'' के अन्तर्गत 1,213 सम्पत्तियों को बेचा गया है, जिसकी सराहना वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लंदन, यूके द्वारा की गई है ।
- 22 फरवरी, 2020 को नई दिल्ली में आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड के अन्तर्गत राजस्थान को ''बेस्ट इण्डिया वेडिंग डेस्टिनेशन'' पुरस्कार प्रदान किया गया।
- अक्टूबर, 2020 में कॉन्डेनॉस्ट रिडर्स चॉईस अवार्ड– 2020 के अन्तर्गत पैलेस ऑन व्हील्स–सेकण्ड लग्ज़ीरियस ट्रेन इन द वर्ल्ड अवार्ड।
- 26 अक्टूबर, 2020 को नई दिल्ली में पिंक सिटी जयपुर को–बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन इन द कन्ट्री एवं रणथम्भौर (सवाई माधोपुर) –बेस्ट वाइल्ड लाईफ डेस्टिनेशन इन द कन्ट्री अवार्ड प्राप्त हुए।
- 25 नवम्बर, 2020 को ट्रेवल़लीज़र इण्डिया एण्ड साउथ एशिया के अन्तर्गत राजस्थान को डोमेस्टिक डेस्टिनेशन–बेस्ट स्टेट अवार्ड।

*****

अध्याय

01

वृहद् आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य

- राज्य अर्थव्यवस्था का आकार 2020–21 में ₹9.58 लाख करोड़ रहने का अनुमान है।
- वर्ष 2020–21 में प्रचलित मूल्यों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद देश के सकल घरेलू उत्पाद का 4.92 प्रतिशत है।
- कोविड–19 महामारी के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था में 6.61 प्रतिशत की गिरावट संभावित है।
- प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2020–21 के लिए कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान क्रमशः 29.77 प्रतिशत, 24.80 प्रतिशत एवं 45.43 प्रतिशत होने की संभावना है।
- वर्ष 2020–21 में प्रति व्यक्ति आय ₹1,09,386 अनुमानित है।
- वर्ष 2019–20 में प्रचलित कीमतों पर सकल स्थाई पूंजी निर्माण, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 27.20 प्रतिशत है।
- वर्ष 2019 में सामान्य थोक मूल्य सूचकांक 310.56 था जो वर्ष 2020 में 6.54 प्रतिशत बढ़कर 330.86 हो गया है।
- राजस्थान का सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वर्ष 2019 में 144.91 था जो कि वर्ष 2020 (माह नवम्बर, 2020 तक) में 5.62 प्रतिशत बढ़कर 153.06 हो गया है।

कोविड–19 महामारी के प्रकोप के कारण मार्च, 2020 में पूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया, जो लगभग आधे वर्ष तक पूर्ण या आंशिक रूप से लागू रहा। इस लॉकडाउन में लाखों नागरिकों को उनके घरों तक सीमित रहना पड़ा तथा व्यवसायिक एवं आर्थिक गतिविधियाँ बंद रही। इसने अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर धकेल दिया है जिससे अर्थव्यवस्था की वृद्धि प्रभावित हुई है। वर्ष 2020–21 के राज्य के अग्रिम अनुमानों में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र तथा बिजली, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाओं में सकारात्मक वृद्धि आई हैं जबकी अन्य मुख्य क्षेत्रों में गिरावट आई है। अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने हेतु सिफारिशें करने के लिए एक विशेष कार्य बल (मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद) का गठन किया गया। इस समिति ने महामारी के कारण होने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कई सिफारिशें की हैं। यद्यपि लॉकडाउन के बाद सभी क्षेत्रों में सुधार देखा गया है फिर भी लॉकडाउन अवधि के कारण अखिल भारत स्तर पर अर्थव्यवस्था में 7.73 प्रतिशत गिरावट की तुलना में राज्य की कुल अर्थव्यवस्था में 6.21 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है।

वृहद् आर्थिक समूह

राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान, राज्य में उत्पादित समस्त अन्तिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को प्रदर्शित करता है, जो कि राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले महत्वपूर्ण सूचकों में से एक है। ये अनुमान राज्य में किए गए नीतिगत निर्णयों, निवेश तथा उपलब्ध कराए गए अवसरों के परिणामों की वृहद् तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

राज्य घरेलू उत्पाद राज्य के आर्थिक विकास का प्रतिबिम्ब है तथा इससे तैयार की गई प्रति व्यक्ति आय जन समूह के कल्याण का उपयुक्त मापदण्ड है। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान द्वारा नियमित रूप से राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार किये जाते हैं तथा राष्ट्रीय लेखा प्रभाग, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देशों और कार्यप्रणाली के अनुसार समय–समय पर अद्यतन किया जाता है।

राज्य घरेलू उत्पाद (एस.डी.पी.)

राजस्थान के राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान प्रचलित एवं स्थिर, दोनों कीमतों पर तैयार किए जाते हैं। राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के लिए सकल एवं शुद्ध, दोनों आधार पर तैयार किए जाते हैं। सकल अनुमानों में से स्थायी पूँजी का उपभोग (सी.एफ.सी.), जो कि उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त होती है, घटाया नहीं जाता है, जबकि शुद्ध अनुमानों के लिए सकल मूल्यों के समंकों में से स्थायी पूंजी का उपभोग (सी.एफ.सी.) घटाया जाता है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)

राज्य अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत बिना दोहरी गणना किए हुए एक निश्चित अवधि में उत्पादित समस्त अन्तिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के योग को सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहा जाता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमानों को प्रचलित एवं स्थिर दोनों कीमतों पर अनुमानित किया जाता है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों पर :

प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान ज्ञात करने के लिए वर्ष के दौरान उत्पादित विभिन्न उत्पादों को प्रचलित मूल्यों के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान समय के साथ वास्तविक आर्थिक विकास को प्रकट नहीं करता है क्योंकि इसमें निम्नलिखित का सामूहिक प्रभाव सम्मिलित हैं– (i) वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा में परिवर्तन तथा (ii) वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में परिवर्तन।

अग्रिम अनुमानों के अनुसार, सांकेतिक अथवा प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2020–21 में ₹9.58 लाख करोड़ अनुमानित है, जोकि वर्ष 2019–20 में ₹9.99 लाख करोड़ था। यह वर्ष 2019–20 में 8.38 प्रतिशत की वृद्धि तथा वर्ष 2020–21 में 4.11 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान तथा इसकी गत वर्ष की तुलना में विचलन तालिका–1.1 व चित्र–1.1 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 1.1 राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान

(₹ करोड़)

वर्ष	स्थिर (2011–12) कीमतों पर		प्रचलित कीमतों पर	
	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	गत वर्ष की तुलना में विचलन (प्रतिशत में)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	गत वर्ष की तुलना में विचलन (प्रतिशत में)
2015-16	563340	8.02	681482	10.69
2016-17	596746	5.93	760587	11.61
2017-18	624831	4.71	828661	8.95
2018-19	655713	4.94	921789	11.24
2019-20	688714	5.03	998999	8.38
2020-21 (अ.)	643222	-6.61	957912	-4.11

वर्ष 2018–19– संशोधित अनुमान– II, वर्ष 2019–20–संशोधित अनुमान–I और वर्ष 2020–21 अग्रिम अनुमान (अ.)

चित्र 1.1

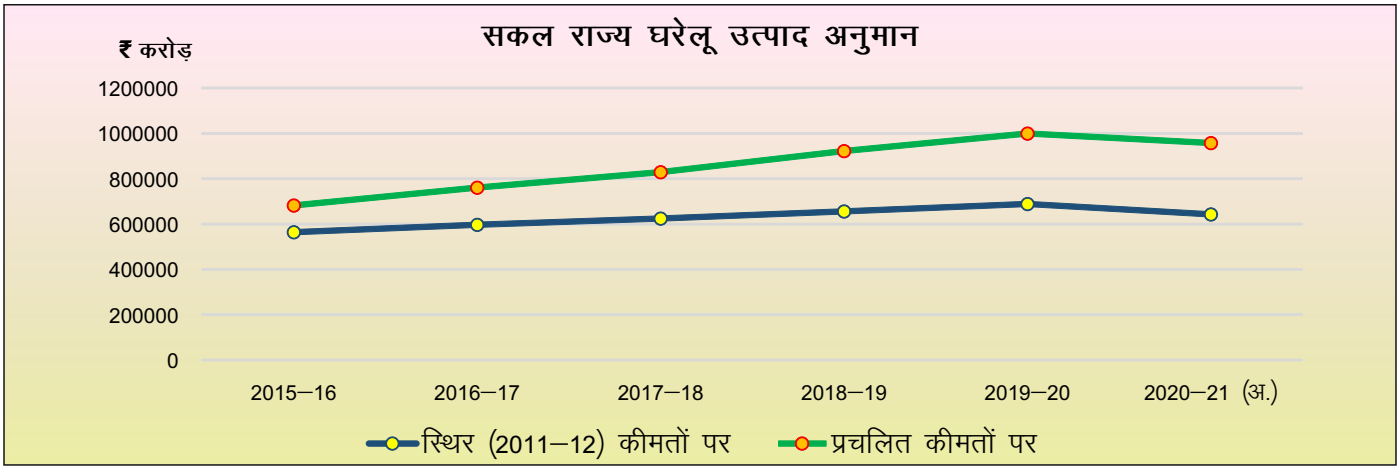

अ. अग्रिम अनुमान

सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर (2011–12) कीमतों पर

सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमानों में मूल्य परिवर्तन/मुद्रास्फीति के प्रभाव को शून्य करने के लिए, वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य की गणना हेतु आधार वर्ष के रूप में निश्चित वर्ष की कीमतों का उपयोग करके स्थिर मूल्यों पर जी.एस.डी.पी की गणना की जाती है।

अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2020–21 में वास्तविक/स्थिर (2011–12) कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹6.43 लाख करोड़ होने का अनुमान है, जो वर्ष 2019–20 में ₹6.89 लाख करोड़ था। यह वर्ष 2019–20 में 5.03 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में वर्ष 2020–21 में 6.61 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है।

राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं भारत का सकल घरेलू उत्पाद

प्रचलित कीमतों पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अंश, अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद से वर्ष 2020–21 में 4.92 प्रतिशत तक पहुँचने की सम्भावना है। राजस्थान का अखिल भारत के सकल घरेलू उत्पाद में अंश प्रचलित एवं स्थिर (2011–12) कीमतों पर क्रमशः तालिका–1.2 व 1.3 में दर्शाया गया है। चित्र–1.2 राजस्थान तथा अखिल भारत के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर (2011–12) कीमतों पर हुई वृद्धि को दर्शाता है।

तालिका–1.2 अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में राजस्थान का अनुपात प्रचलित कीमतों पर

(₹ करोड़)

वर्ष	राजस्थान		अखिल भारत		राजस्थान का अखिल भारत में अंश (प्रतिशत)
	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	गत वर्ष से वृद्धि (प्रतिशत)	सकल घरेलू उत्पाद	गत वर्ष से वृद्धि (प्रतिशत)	
2015-16	681482	10.69	13771874	10.46	4.95
2016-17	760587	11.61	15391669	11.76	4.94
2017-18	828661	8.95	17098304	11.09	4.85
2018-19	921789	11.24	18971237	10.95	4.86
2019-20	998999	8.38	20339849	7.21	4.91
2020-21 (अ.)	957912	-4.11	19481975	-4.22	4.92

राज्य के लिए वर्ष 2018–19– संशोधित अनुमान– II, वर्ष 2019–20–संशोधित अनुमान– I और वर्ष 2020–21 अग्रिम अनुमान
अखिल भारत के लिए वर्ष 2019–20 प्रावधानिक अनुमान वर्ष 2020–21 अग्रिम अनुमान

तालिका–1.3 अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में राजस्थान का अनुपात स्थिर (2011–12) कीमतों पर

(₹ करोड़)

वर्ष	राजस्थान		अखिल भारत		राजस्थान का अखिल भारत में अंश (प्रतिशत)
	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	गत वर्ष से वृद्धि (प्रतिशत)	सकल घरेलू उत्पाद	गत वर्ष से वृद्धि (प्रतिशत)	
2015-16	563340	8.02	11369493	8.00	4.95
2016-17	596746	5.93	12308193	8.26	4.85
2017-18	624831	4.71	13175160	7.04	4.74
2018-19	655713	4.94	13981426	6.12	4.69
2019-20	688714	5.03	14565951	4.18	4.73
2020-21 (अ.)	643222	-6.61	13439662	-7.73	4.79

राज्य के लिए वर्ष 2018–19– संशोधित अनुमान– II, वर्ष 2019–20–संशोधित अनुमान– I और वर्ष 2020–21 अग्रिम अनुमान
अखिल भारत के लिए वर्ष 2019–20 प्रावधानिक अनुमान वर्ष 2020–21 अग्रिम अनुमान

चित्र–1.2

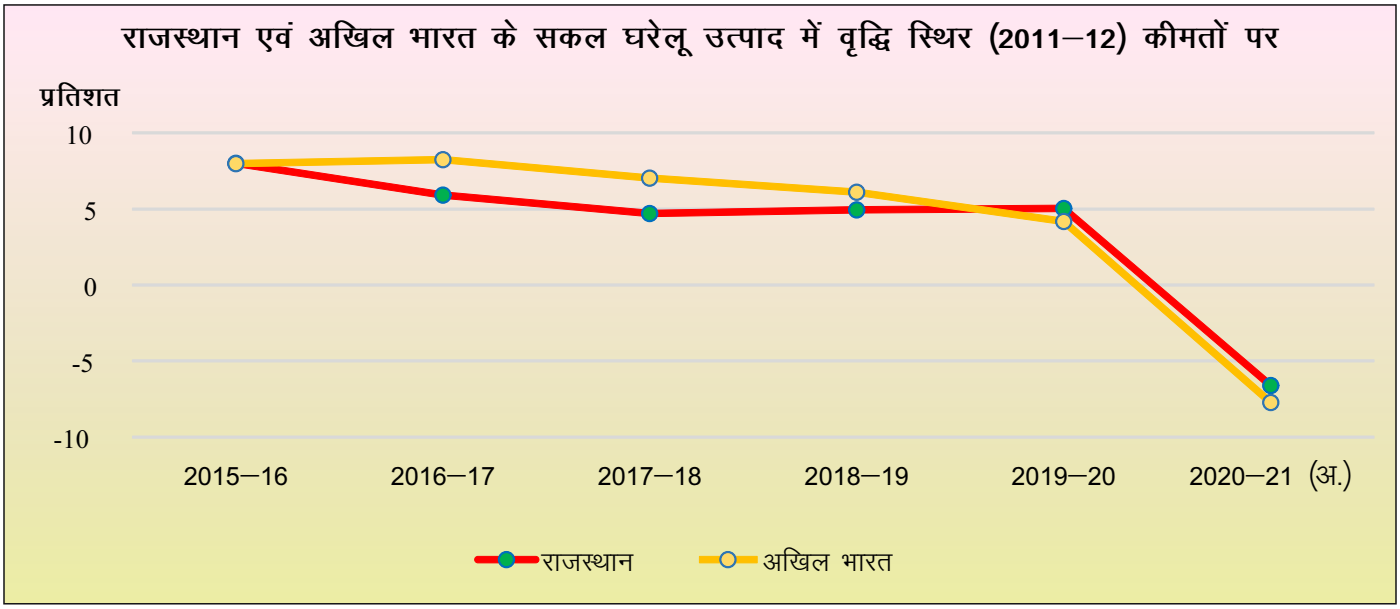

अ. अग्रिम अनुमान

शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (एन.एस.डी.पी.)

सकल घरेलू उत्पाद समंको में से सकल स्थाई पूंजीगत उपभोग को घटाकर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान प्राप्त किया जाता है। सकल स्थाई पूंजी उपभोग, पूंजीगत स्कन्ध के उस हिस्से के प्रतिस्थापन मूल्य को मापता है, जिसका उपयोग वर्ष के दौरान उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है।

शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर (2011–12) कीमतों पर

वर्ष 2020–21 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर (2011–12) कीमतों पर ₹5.70 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जो वर्ष 2019–20 में ₹6.10 लाख करोड़ था। यह वर्ष 2019–20 में 5.12 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2020–21 में 6.58 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है।

शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों पर

अग्रिम अनुमानों के अनुसार, प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2020–21 में ₹8.63 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जो वर्ष 2019–20 में ₹8.99 लाख करोड़ था। यह वर्ष 2019–20 में 8.45 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2020–21 में 4.06 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है।

शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान एवं वृद्धि दर तालिका–1.4 एवं चित्र–1.3 में दर्शाये गये हैं।

तालिका–1.4 राजस्थान का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान

(₹ करोड़)

वर्ष	स्थिर (2011–12) कीमतों पर		प्रचलित कीमतों पर	
	शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद	गत वर्ष की तुलना में विचलन (प्रतिशत में)	शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद	गत वर्ष की तुलना में विचलन (प्रतिशत में)
2015-16	501922	7.85	610713	10.73
2016-17	529650	5.52	682626	11.78
2017-18	554429	4.68	744622	9.08
2018-19	580594	4.72	829068	11.34
2019-20	610292	5.12	899143	8.45
2020-21 (अ.)	570143	-6.58	862633	-4.06

राज्य के लिए वर्ष 2018–19– संशोधित अनुमान– II, वर्ष 2019–20–संशोधित अनुमान– I और वर्ष 2020–21 अग्रिम अनुमान

चित्र–1.3

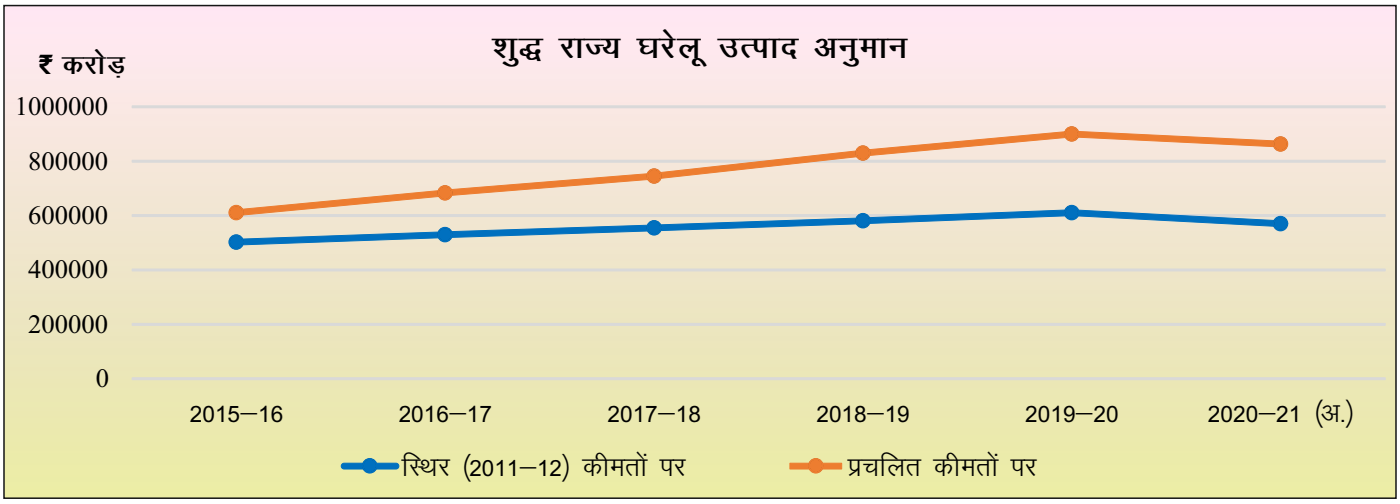

अ.– अग्रिम अनुमान

सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.)

सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर (2011–12) बुनियादी मूल्यों पर

वास्तविक सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर (2011–12) बुनियादी मूल्यों पर वर्ष 2019–20 में ₹6.40 लाख करोड़ की तुलना में वर्ष 2020–21 में ₹6.01 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जो वर्ष 2019–20 में 4.90 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2020–21 में 6.11 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है। वर्ष 2020–21 में वर्ष 2019–20 की तुलना में कृषि क्षेत्र में 3.45 प्रतिशत की वृद्धि , उद्योग क्षेत्र में 7.50 प्रतिशत की गिरावट तथा सेवा क्षेत्र में 10.95 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है।

अर्थव्यवस्था के क्षेत्रवार सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर (2011–12) बुनियादी कीमतों पर वर्ष 2015–16 से आगे के वर्षों के लिए तालिका–1.5 तथा वर्ष 2011–12 एवं 2020–21 के लिए चित्र–1.4 में दिए गए हैं।

तालिका–1.5 स्थिर (2011–12) बुनियादी मूल्यों पर क्षेत्रवार सकल राज्य मूल्य वर्धन

(₹ करोड़)

वर्ष / क्षेत्र	कृषि	उद्योग	सेवा	सकल राज्य मूल्य वर्धन
2015-16	136858.50	176053.37	215985.01	528896.88
	(25.88)	(33.29)	(40.83)	(100)
2016-17	148788.69	186778.26	227530.26	563097.21
	(26.42)	(33.17)	(40.41)	(100)
2017-18	148653.76	191895.58	246245.27	586794.61
	(25.33)	(32.70)	(41.97)	(100)
2018-19	156140.70	179842.22	273774.04	609756.97
	(25.61)	(29.49)	(44.90)	(100)
2019-20	170988.06	182737.41	285914.48	639639.95
	(26.73)	(28.57)	(44.70)	(100)
2020-21(अ.)	176884.10	169028.25	254614.71	600527.06
	(29.45)	(28.15)	(42.40)	(100)

योग मिलान पूर्णांकन के कारण नहीं है।
तालिका में कोष्ठक में स्थिर (2011–12) बुनियादी कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन का प्रतिशत योगदान दर्शाया गया है।
राज्य के लिए वर्ष 2018–19– संशोधित अनुमान– II, वर्ष 2019–20–संशोधित अनुमान– I और वर्ष 2020–21 अग्रिम अनुमान

चित्र–1.4

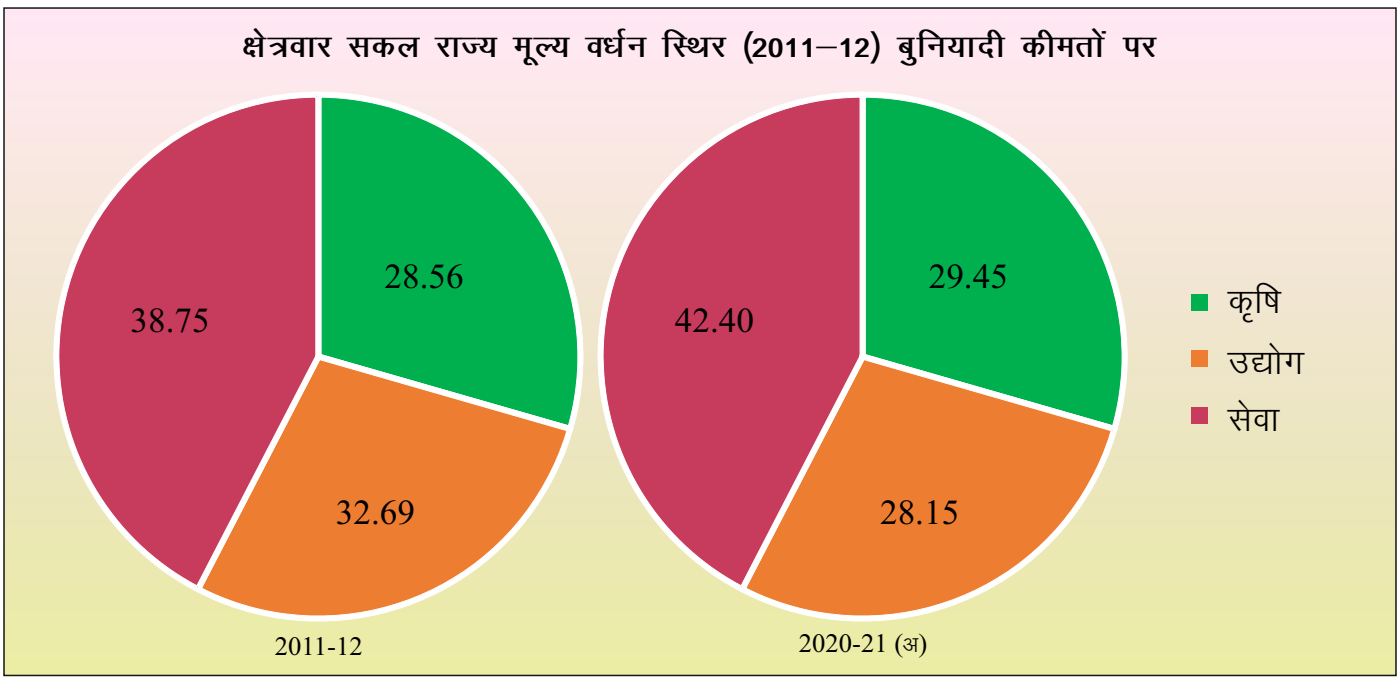

अ.– अग्रिम अनुमान

स्थिर (2011–12) बुनियादी कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन की क्षेत्रवार विशेषताएं इस प्रकार हैं:–

कृषि क्षेत्र, जिसमें फसल, पशुपालन, वानिकी तथा मत्स्य क्षेत्र सम्मिलित हैं, का सकल राज्य मूल्य वर्धन में वर्ष 2011–12 में योगदान 28.56 प्रतिशत था जो बढ़कर वर्ष 2020–21 में 29.45 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वर्ष 2020–21 में इस

क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन ₹1,76,884 करोड़ अनुमानित किया गया है, जो गत वर्ष से 3.45 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

उद्योग क्षेत्र में खनन, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं उपयोगी सेवाएं तथा निर्माण क्षेत्र सम्मिलित हैं, का सकल राज्य मूल्य वर्धन में वर्ष 2011–12 में योगदान 32.69 प्रतिशत था जो घटकर वर्ष 2020–21 में 28.15 प्रतिशत होने की संभावना है। वर्ष 2020–21 में इस क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन ₹1,69,028 करोड़ अनुमानित किया गया है, जो गत वर्ष से 7.50 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है।

सेवा क्षेत्र में रेलवे, अन्य यातायात, भण्डारण, संचार, ट्रेड, होटल एवं रेस्टोरेंट, स्थावर सम्पदा, गृह स्वामित्व, लोक प्रशासन, वित्तीय तथा अन्य सेवाओं का सकल राज्य मूल्य वर्धन में वर्ष 2011–12 में योगदान 38.75 प्रतिशत था जो बढकर वर्ष 2020–21 में 42.40 प्रतिशत होने की संभावना है। वर्ष 2020–21 में इस क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन ₹2,54,615 करोड़ अनुमानित किया गया है, जो गत वर्ष से 10.95 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है।

अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रवार वृद्धि

वर्ष 2020–21 में स्थिर (2011–12) कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में समग्र स्तर पर 6.61 प्रतिशत की गिरावट अनुमानित है। वर्ष 2020–21 में कृषि एवं संबद्धित क्षेत्र में 3.45 प्रतिशत की वृद्धि एवं उद्योग क्षेत्र में 7.50 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र में 10.95 प्रतिशत की गिरावट अनुमानित है। क्षेत्रवार वृद्धि दर तालिका–1.6 में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.6 क्षेत्रवार वृद्धि दर स्थिर (2011–12) कीमतों पर

क्षेत्र / वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21(अ.)
कृषि	8.72	-0.09	5.04	9.51	3.45
उद्योग	6.09	2.74	-6.28	1.61	-7.50
सेवा	5.35	8.23	11.18	4.43	-10.95

वर्ष 2018–19– संशोधित अनुमान– II, वर्ष 2019–20–संशोधित अनुमान–I और वर्ष 2020–21 अग्रिम अनुमान (अ.)

प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन

प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2019–20 में ₹9.38 लाख करोड़ की तुलना में वर्ष 2020–21 में ₹8.99 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जो वर्ष 2019–20 में 8.34 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में वर्ष 2020–21 में 4.08 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है। वर्ष 2020–21 में वर्ष 2019–20 की तुलना में क्षेत्रवार प्रतिशत विचलन कृषि क्षेत्र में 6.52 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र में –8.62 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र में –7.60 प्रतिशत है।

प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन की क्षेत्रवार संरचना वर्ष 2015–16 से आगे के वर्षों के लिए तालिका–1.7 में दर्शाए गए हैं।

प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन की क्षेत्रीय संरचना का विश्लेषण करने से यह प्रकट होता है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि (जिसमें फसल, पशुपालन, वानिकी तथा मत्स्य) क्षेत्र के योगदान में वर्ष 2011–12 से 2020–21 में वृद्धि हो रही है। कृषि क्षेत्र का योगदान, जो कि वर्ष 2011–12 में 28.56 प्रतिशत था, वर्ष 2020–21 में बढ़कर 29.77 प्रतिशत अनुमानित है। उद्योग क्षेत्र, जिसमें खनन, विनिर्माण, विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति एवं उपयोगी सेवाएं तथा निर्माण क्षेत्र सम्मिलित हैं, का सकल राज्य मूल्य वर्धन में योगदान वर्ष 2011–12 में 32.69 प्रतिशत था, जो वर्ष 2020–21 में घटकर 24.80 प्रतिशत अनुमानित है। सेवा क्षेत्र जिसमें व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेन्ट, परिवहन, भण्डारण एवं संचार, वित्तीय सेवाएं, स्थावर सम्पदा, गृह स्वामित्व, पेशेवर सेवाएं, लोक प्रशासन, रेलवे तथा अन्य सेवाएं सम्मिलित हैं, का राजस्थान की अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदान है। सेवा क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन में योगदान वर्ष 2011–12 में 38.75 प्रतिशत था, जो कि वर्ष 2020–21 में बढ़कर 45.43 प्रतिशत सम्भावित है।

तालिका–1.7 प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर क्षेत्रवार सकल राज्य मूल्य वर्धन

(₹ करोड़)

वर्ष/क्षेत्र	कृषि	उद्योग	सेवा	सकल राज्य मूल्य वर्धन
2015-16	167705.47	199053.59	276201.34	642960.40
	(26.08)	(30.96)	(42.96)	(100)
2016-17	202318.63	212677.24	306975.95	721971.82
	(28.02)	(29.46)	(42.52)	(100)
2017-18	205871.85	230205.18	347742.24	783819.26
	(26.26)	(29.37)	(44.37)	(100)
2018-19	222309.16	236006.38	407185.89	865501.43
	(25.69)	(27.27)	(47.04)	(100)
2019-20	251341.01	244054.15	442250.24	937645.40
	(26.80)	(26.03)	(47.17)	(100)
2020-21(अ.)	267718.24	223028.47	408633.89	899380.60
	(29.77)	(24.80)	(45.43)	(100)

योग मिलान पूर्णांकन के कारण नहीं है।
तालिका में कोष्ठक में मूल प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन का प्रतिशत योगदान दर्शाया गया है।
राज्य के लिए वर्ष 2018–19– संशोधित अनुमान– II, वर्ष 2019–20–संशोधित अनुमान– I और वर्ष 2020–21 अग्रिम अनुमान

शुद्ध राज्य मूल्य वर्धन स्थिर (2011–12) बुनियादी मूल्यों पर

शुद्ध राज्य मूल्य वर्धन स्थिर (2011–12) बुनियादी मूल्यों पर वर्ष 2019–20 में ₹5.61 लाख करोड़ की तुलना में वर्ष 2020–21 में ₹5.27 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जो वर्ष 2019–20 में 4.97 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2020–21 में 6.02 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है। वर्ष 2020–21 में वर्ष 2019–20 की तुलना में कृषि क्षेत्र में 3.53 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र में –8.01 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र में –10.85 प्रतिशत का विचलन प्रदर्शित होता है।

शुद्ध राज्य मूल्य वर्धन स्थिर (2011–12) बुनियादी मूल्यों पर वर्ष 2015–16 से आगामी वर्षों के लिए तालिका–1.8 में दर्शाया गया है।

तालिका–1.8 क्षेत्रवार शुद्ध राज्य मूल्य वर्धन स्थिर (2011–12) बुनियादी मूल्यों पर

(₹ करोड़)

वर्ष/क्षेत्र	कृषि	उद्योग	सेवा	शुद्ध राज्य मूल्य वर्धन
2015-16	127538.77	148664.29	191275.80	467478.86
	(27.28)	(31.80)	(40.92)	(100)
2016-17	138988.67	156852.17	200161.24	496002.08
	(28.02)	(31.63)	(40.35)	(100)
2017-18	138340.59	159996.93	218055.27	516392.79
	(26.79)	(30.98)	(42.23)	(100)
2018-19	145361.12	147529.20	241747.58	534637.90
	(27.19)	(27.59)	(45.22)	(100)
2019-20	159038.09	149808.90	252370.84	561217.83
	(28.34)	(26.69)	(44.97)	(100)
2020-21(अ.)	164649.84	137802.18	224996.42	527448.43
	(31.21)	(26.13)	(42.66)	(100)

योग मिलान पूर्णांकन के कारण नहीं है।
तालिका में कोष्ठक में मूल स्थिर (2011–12) कीमतों पर शुद्ध राज्य मूल्य वर्धन का प्रतिशत योगदान दर्शाया गया है।
राज्य के लिए वर्ष 2018–19– संशोधित अनुमान– II, वर्ष 2019–20–संशोधित अनुमान– I और वर्ष 2020–21 अग्रिम अनुमान

शुद्ध राज्य मूल्य वर्धन प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर

शुद्ध राज्य मूल्य वर्धन प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर वर्ष 2019–20 में ₹8.38 लाख करोड़ की तुलना में वर्ष 2020–21 में ₹8.04 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जो वर्ष 2019–20 में 8.41 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2020–21 में 4.02 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है। वर्ष 2020–21 में वर्ष 2019–20 की तुलना में कृषि क्षेत्र में 6.47 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र में –8.86 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र में –7.68 प्रतिशत विचलन होने की संभावना है।

शुद्ध राज्य मूल्य वर्धन प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर वर्ष 2015–16 से आगामी वर्षों के लिए तालिका–1.9 में दर्शाया गया है।

तालिका–1.9 क्षेत्रवार शुद्ध राज्य मूल्य वर्धन प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर

(₹ करोड़)

वर्ष / क्षेत्र	कृषि	उद्योग	सेवा	शुद्ध राज्य मूल्य वर्धन
2015-16	155956.00	168127.04	248107.88	572190.92
	(27.26)	(29.38)	(43.36)	(100)
2016-17	189536.77	178865.75	275608.18	644010.71
	(29.43)	(27.77)	(42.80)	(100)
2017-18	192061.33	193381.94	314336.66	699779.92
	(27.45)	(27.63)	(44.92)	(100)
2018-19	207401.87	197650.46	367728.02	772780.36
	(26.84)	(25.58)	(47.58)	(100)
2019-20	233899.21	204352.01	399538.12	837789.34
	(27.92)	(24.39)	(47.69)	(100)
2020-21(अ.)	249023.56	186241.16	368836.42	804101.14
	(30.97)	(23.16)	(45.87)	(100)

योग मिलान पूर्णांकन के कारण नहीं है।
तालिका में कोष्ठक में मूल प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राज्य मूल्य वर्धन का प्रतिशत योगदान दर्शाया गया है।
राज्य के लिए वर्ष 2018–19– संशोधित अनुमान– II, वर्ष 2019–20–संशोधित अनुमान– I और वर्ष 2020–21 अग्रिम अनुमान

प्रति व्यक्ति आय

प्रति व्यक्ति आय की गणना शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की मध्यवर्षीय कुल जनसंख्या से विभाजित कर प्राप्त की जाती है। प्रति व्यक्ति आय लोगों के जीवन स्तर एवं कल्याण का सूचक है। स्थिर (2011–12) कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2019–20 में ₹78,390 की तुलना में अग्रिम अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2020–21 में ₹72,297 अनुमानित है, जो गत वर्ष 2019–20 की तुलना में वर्ष 2020–21 में 7.77 प्रतिशत की गिरावट दर्शाती है। प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2019–20 में ₹1,15,492 की तुलना में अग्रिम अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2020–21 में ₹1,09,386 अनुमानित है, जो गत वर्ष 2019–20 की तुलना में वर्ष 2020–21 में 5.29 प्रतिशत की गिरावट दर्शाती है।

राजस्थान एवं अखिल भारत की प्रति व्यक्ति आय स्थिर (2011–12) कीमतों पर तालिका–1.10 एवं चित्र–1.5 में दर्शाई गई है।

तालिका–1.10 राजस्थान एवं अखिल भारत की प्रति व्यक्ति आय स्थिर (2011–12) कीमतों पर (₹)

वर्ष	राजस्थान		अखिल भारत	
	प्रति व्यक्ति आय	गत वर्ष की तुलना में विचलन (प्रतिशत में)	प्रति व्यक्ति आय	गत वर्ष की तुलना में विचलन (प्रतिशत में)
2015-16	68565	6.31	77659	6.67
2016-17	71324	4.02	83003	6.88
2017-18	73109	2.50	87828	5.81
2018-19	75555	3.35	92085	4.85
2019-20	78390	3.75	94954	3.12
2020-21 (अ.)	72297	-7.77	86456	-8.95

राज्य के लिए वर्ष 2018–19– संशोधित अनुमान– II, वर्ष 2019–20–संशोधित अनुमान– I और वर्ष 2020–21 अग्रिम अनुमान
अखिल भारत के लिए वर्ष 2019–20 प्रावधानिक अनुमान वर्ष 2020–21 अग्रिम अनुमान

चित्र–1.5

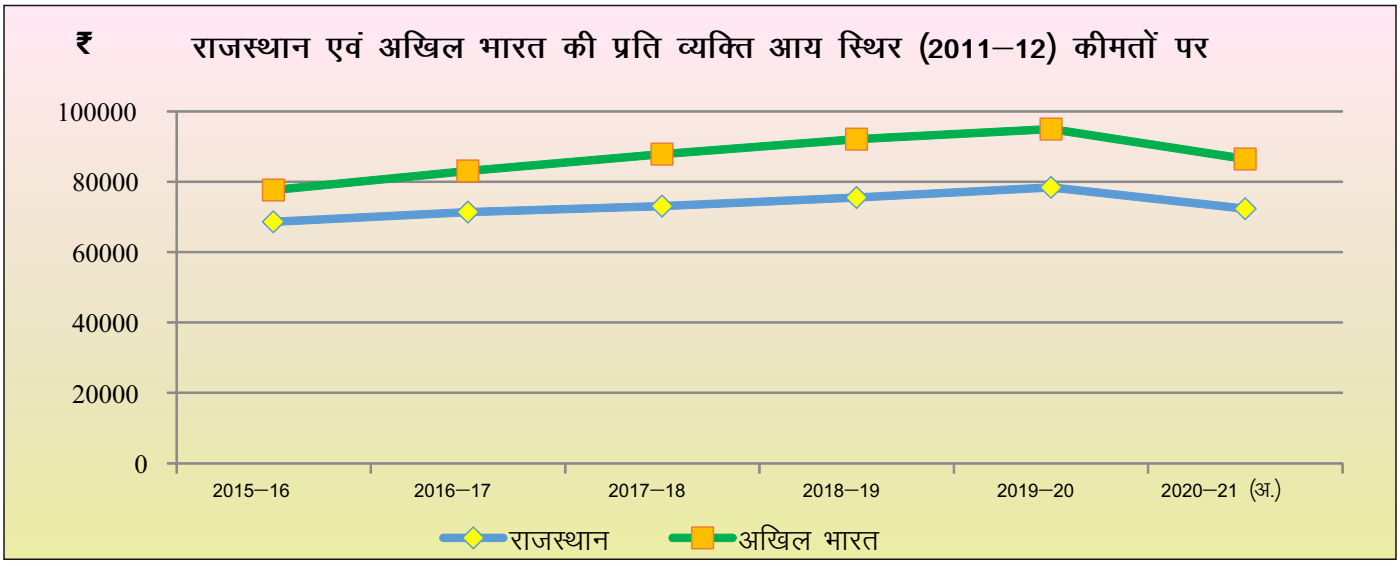

अ. अग्रिम अनुमान

राजस्थान एवं अखिल भारत की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर तालिका–1.11 एवं चित्र–1.6 में दर्शाई गई है:–

तालिका–1.11 राजस्थान एवं अखिल भारत की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर (₹)

वर्ष	राजस्थान		अखिल भारत	
	प्रति व्यक्ति आय	गत वर्ष की तुलना में विचलन (प्रतिशत में)	प्रति व्यक्ति आय	गत वर्ष की तुलना में विचलन (प्रतिशत में)
2015-16	83426	9.16	94797	9.40
2016-17	91924	10.19	104880	10.64
2017-18	98188	6.82	115293	9.93
2018-19	107890	9.88	126521	9.74
2019-20	115492	7.05	134226	6.09
2020-21 (अ.)	109386	-5.29	126968	-5.41

राज्य के लिए वर्ष 2018–19– संशोधित अनुमान– II, वर्ष 2019–20–संशोधित अनुमान– I और वर्ष 2020–21 अग्रिम अनुमान
अखिल भारत के लिए वर्ष 2019–20 प्रावधानिक अनुमान वर्ष 2020–21 अग्रिम अनुमान

चित्र–1.6

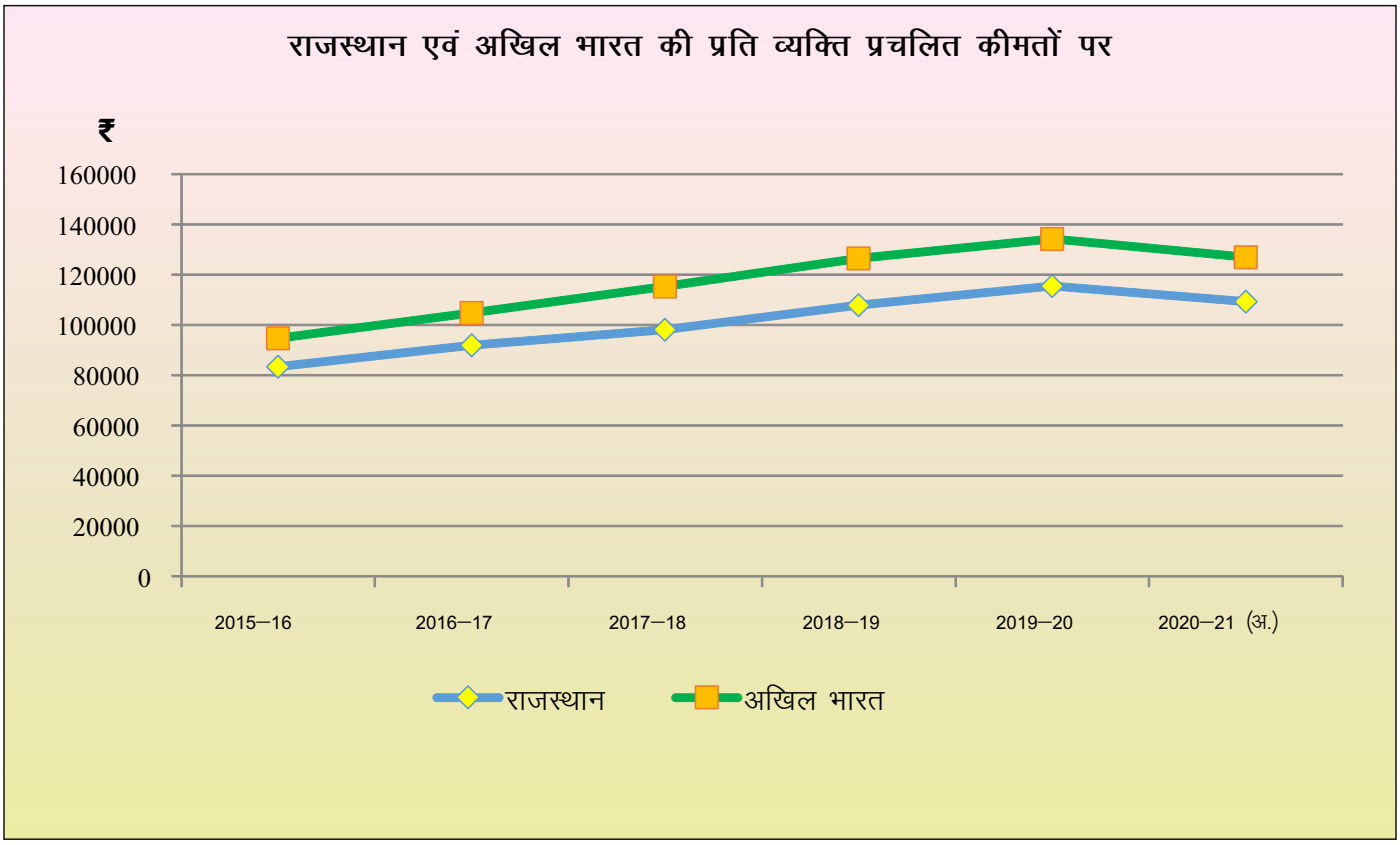

अ. अग्रिम अनुमान

सकल स्थाई पूँजी निर्माण

सकल स्थाई पूंजी निर्माण को वर्ष के दौरान उत्पादनकर्ता द्वारा सृजित की गई परिसम्पत्तियों में से निस्तारित सम्पत्तियों को घटाने के बाद तथा गणना अवधि में गैर उत्पादित परिसम्पत्तियों को उत्पादन गतिविधियों में उपयोग की कीमत के आधार पर मापा जाता है।

प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2019–20 के अन्त में कुल सम्पत्तियाँ ₹2,71,696 करोड़ अनुमानित की गई हैं, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹9,98,999 करोड़) का 27.20 प्रतिशत है। वर्ष 2019–20 में सकल स्थाई पूंजी निर्माण में गत वर्ष 2018–19 की तुलना में 2.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य में निर्मित सकल स्थाई पूंजी निर्माण वर्ष 2015–16 से तालिका–1.12 एवं चित्र–1.7 में दर्शाया गया है। सकल स्थाई पूंजी निर्माण में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान वर्ष 2019–20 में क्रमशः 74.21 एवं 25.79 प्रतिशत रहा है। वर्ष 2015–16 से क्षेत्रवार सकल स्थाई पूंजी निर्माण तालिका–1.13 में दर्शाया गया है।

तालिका–1.12 सकल स्थाई पूँजी निर्माण (प्रावधानिक)

(₹ करोड़)

क्षेत्र / वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
सार्वजनिक	56170	59279	61227	66819	70059
निजी	147318	152707	175383	197803	201637
योग	203488	211986	236610	264622	271696

चित्र–1.7

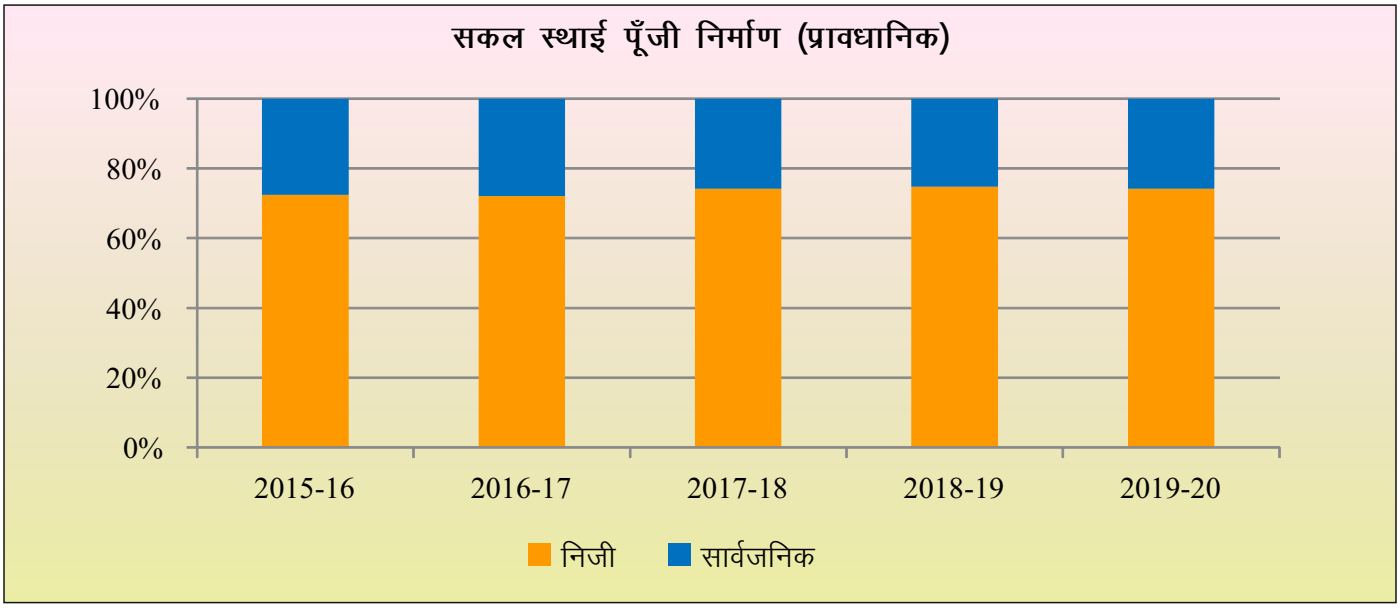

तालिका–1.13 क्षेत्रवार सकल स्थाई पूँजी निर्माण (प्रावधानिक)

(₹ करोड़)

क्र.सं.	क्षेत्र / वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1.	कृषि	7836	8994	10260	11451	12426
2.	वानिकी	205	195	177	112	120
3.	मत्स्य	1	4	4	2	3
4.	खनन	2619	2646	2729	2834	2738
5.	पंजीकृत विनिर्माण	11033	12156	15420	15564	15636
6.	निर्माण	67769	70779	77603	90862	93594
7.	विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति	18458	17942	14826	16947	17851
8.	रेलवे	1269	971	1185	1373	1200
9.	संचार	8287	7663	14352	15283	12433
10.	अपंजीकृत विनिर्माण, ट्रेड, होटल एवं रेस्टोरेंट, अन्य यातायात एवं अन्य सेवा	11169	8423	11053	10312	10040
11.	बैंकिंग एवं बीमा	1038	801	517	1530	949
12.	स्थावर सम्पदा	50999	52843	57908	63322	66877
13.	लोक प्रशासन	22806	28568	30577	35031	37829
योग		**203488**	**211986**	**236610**	**264622**	**271696**

योग का मिलान पूर्णांकन के कारण नहीं है।

मूल्य सांख्यिकी

कीमतों में विभिन्न आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कारणों से समय के साथ–साथ भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर परिवर्तन होता है। चूंकि कीमतें विभिन्न आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करती हैं, विशेष रूप से मूल्य परिवर्तन की वित्तीय निगरानी अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका सीधा असर आर्थिक नीति एवं नियोजन पर पड़ता हैं। इनमें होने वाले परिवर्तनों के पर्यवेक्षण के लिए प्राथमिक उपकरण मूल्य सूचकांक हैं। किसी निश्चित समयावधि के दौरान किसी क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य स्तरों में होने वाले सापेक्ष परिवर्तनों को मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक दो महत्वपूर्ण संकेतक हैं, जो क्रमशः खुदरा एवं थोक स्तर के मूल्यों को मापते हैं।

राजस्थान में मूल्य सांख्यिकी

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा साप्ताहिक आधार पर वस्तुओं के थोक एवं खुदरा भावों का सन् 1957 से राज्य के चयनित केन्द्रों से नियमित संग्रहण किया जा रहा है। इसके साथ ही पशुधन उत्पाद, उप उत्पाद, भवन निर्माण हेतु भवन सामग्री एवं मजदूरी दरों के भाव राज्य के सभी जिलों से प्राप्त कर संकलित किये जा रहे हैं। थोक मूल्यों के आधार पर राज्य का मासिक थोक मूल्य सूचकांक तैयार किया जाता है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रम ब्यूरो, शिमला के द्वारा तैयार कर जारी किया जाता है।

राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.) (आधार वर्ष 1999–2000=100)

थोक मूल्य सूचकांक एक ऐसा सामान्य सूचकांक है जो व्यापक रूप से मूल्यों के उतार–चढ़ाव को व्यक्त करता है और सभी प्रकार के व्यापार एवं लेनदेनों में वस्तुओं के मूल्य के परिवर्तन को व्यक्त करने का संकेतक है। सरकार के द्वारा व्यापार, राजकोषीय, मौद्रिक और अन्य आर्थिक नीतियों के निर्माण में थोक मूल्य सूचकांक की एक महत्वपूर्ण भूमिका हैं तथा वित्तीय संस्थानों, उद्योगों तथा व्यापार मण्डलों के द्वारा भी उपयोग में लिया जाता है। अर्थव्यवस्था में होने वाले मूल्य परिवर्तनों के मापन के अतिरिक्त सकल राज्य घरेलू उत्पाद की गणना में थोक मूल्य सूचकांक को एक संकेतक के रूप में भी उपयोग में लिया जाता है। यह विभिन्न वस्तु समूहों जैसे–प्राथमिक वस्तुएं, कृषि वस्तुएं, कच्चे माल, औद्योगिक उत्पाद, खाद्य व अखाद्य वस्तुओं के मूल्यों में होने वाले सापेक्ष परिवर्तनों के पर्यवेक्षण में भी सहायक है। राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों के तुलनात्मक अध्ययन में भी मूल्य सूचकांक सहायक है।

राजस्थान सरकार द्वारा थोक मूल्य सूचकांक को मासिक आधार पर जारी किया जाता है। इसमें 154 वस्तुओं को सम्मिलित किया गया है, जिसमें से 75 प्राथमिक वस्तु समूह में, 69 विनिर्मित उत्पाद समूह में तथा 10 ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उपस्नेहक समूह में सम्मिलित हैं। प्राथमिक वस्तु समूह को 33.894, विनिर्मित उत्पाद समूह को 49.853 तथा ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उपस्नेहक वर्ग को 16.253 भारांकन दिया गया है।

राज्य का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक वर्ष 2019 में 310.56 से बढ़कर वर्ष 2020 में 330.86 रहा है, जो कि 6.54 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता हैं। वर्ष के दौरान इसी अवधि में वार्षिक आधार पर प्राथमिक वस्तु समूह का सूचकांक 317.48 से बढकर 331.49, ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उपस्नेहक समूह का सूचकांक 461.22 से बढकर 509.26 एवं विनिर्मित उत्पाद समूह का सूचकांक 256.74 से बढ़कर 272.27 रहा। गत वर्ष की तुलना में प्राथमिक वस्तु समूह, ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उपस्नेहक समूह एवं विनिर्मित उत्पाद समूह के सूचकांक में क्रमशः 4.41, 10.42 एवं 6.05 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक वर्ष 2019 में 121.2 से बढकर वर्ष 2020 में 121.7 हो गया, जिसमें 0.41 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर्ज की गई।

वर्ष 2015 से 2020 के दौरान वृहद् वस्तु समूहवार थोक मूल्य सूचकांक एवं उनका गत वर्ष से प्रतिशत परिवर्तन क्रमशः तालिका 1.14 व 1.15 तथा चित्र 1.8 व 1.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.14 राजस्थान का थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1999–2000=100)

क्र. सं.	वृहद्–समूह	वार्षिक औसत सूचकांक					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	प्राथमिक वस्तुएं	286.93	301.94	294.05	299.08	317.48	331.49
(अ)	कृषि वस्तुएं	287.50	303.29	292.40	295.87	314.89	328.58
(ब)	खनिज	282.62	291.72	306.55	314.95	337.05	353.47
2	ईंधन, शक्ति, प्रकाश व उपस्नेहक	374.32	391.74	428.71	463.78	461.22	509.26
3	विनिर्मित उत्पाद	229.99	233.89	243.61	247.78	256.74	272.27
समस्त वस्तुऐं		**272.75**	**282.61**	**290.79**	**300.27**	**310.56**	**330.86**

(माह अप्रेल एवं मई, 2020 का थोक मूल्य सूचकांक कोरोना–19 महामारी के कारण जारी नहीं किया जा सका)

तालिका 1.15 राज्य के समूहवार थोक मूल्य सूचकांक में परिवर्तन

(आधार वर्ष 1999–2000=100)

क्रम संख्या	वृहद् समूह	वार्षिक औसत प्रतिशत परिवर्तन (वर्ष दर वर्ष आधारित)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	प्राथमिक वस्तुएं	5.97	5.23	-2.61	1.71	6.15	4.41
(अ)	कृषि वस्तुएं	5.70	5.49	-3.59	1.19	6.43	4.35
(ब)	खनिज	8.08	3.22	5.08	2.74	7.02	4.87
2	ईंधन, शक्ति, प्रकाश व उपस्नेहक	-0.75	4.65	9.44	8.18	-0.55	10.42
3	विनिर्मित उत्पाद	0.80	1.70	4.16	1.71	3.62	6.05
समस्त वस्तुऐं		**2.22**	**3.62**	**2.89**	**3.26**	**3.43**	**6.54**

(माह अप्रेल एवं मई, 2020 का थोक मूल्य सूचकांक कोरोना–19 महामारी के कारण जारी नहीं किया जा सका)

चित्र 1.8

(आधार वर्ष 1999–2000=100)

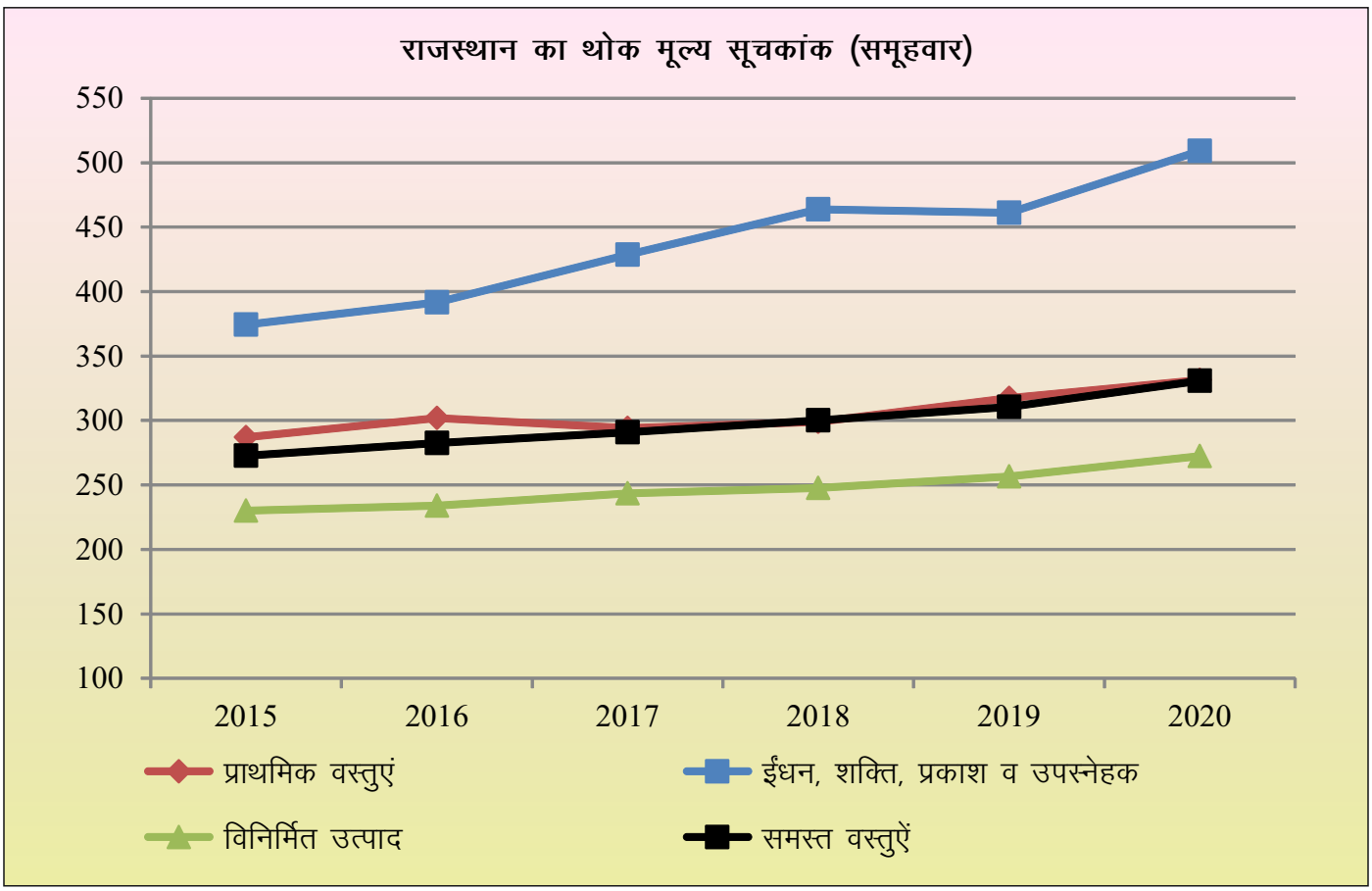

(माह अप्रेल एवं मई, 2020 का थोक मूल्य सूचकांक कोरोना–19 महामारी के कारण जारी नहीं किया जा सका)

चित्र 1.9

(आधार वर्ष 1999–2000=100)

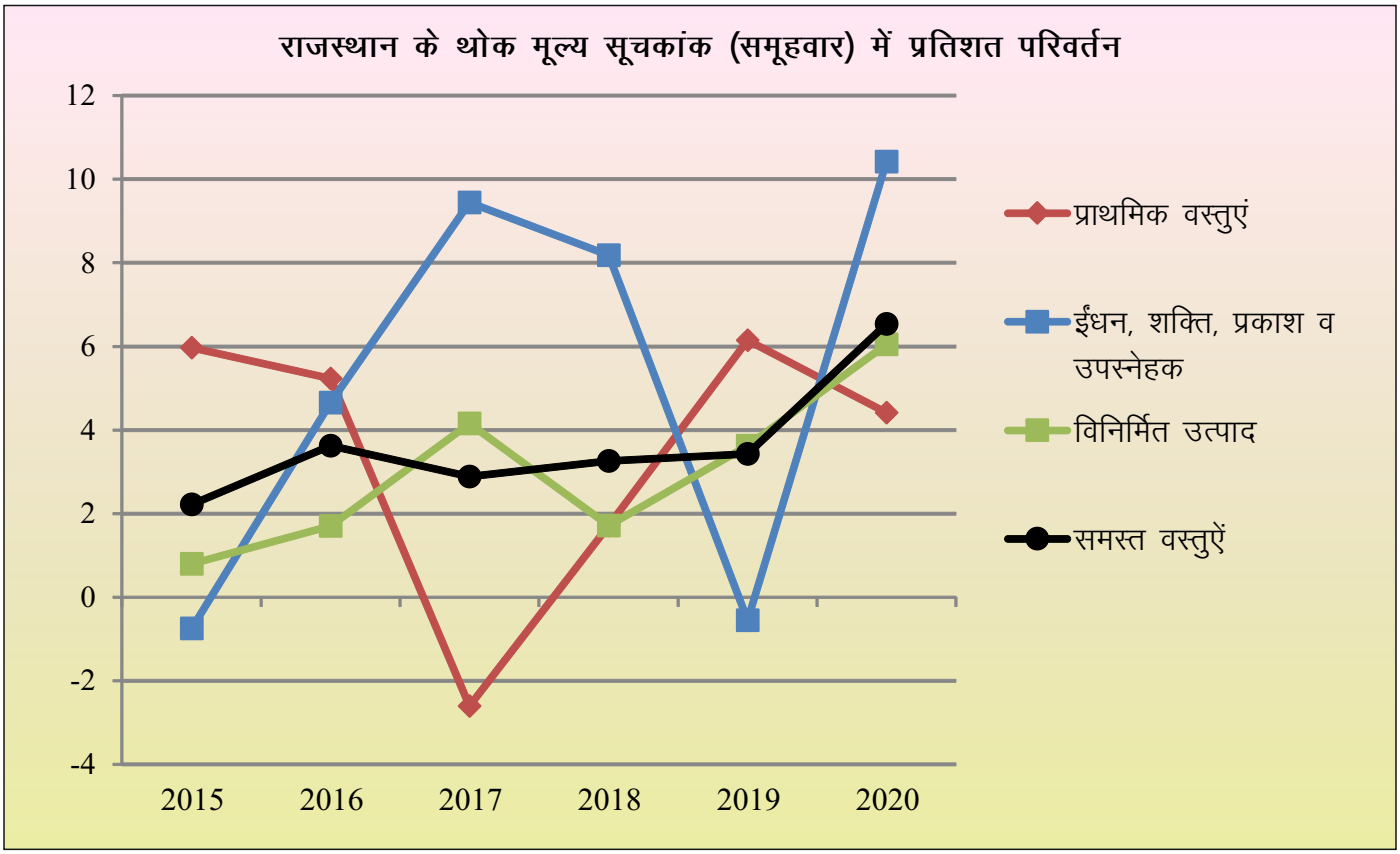

(माह अप्रेल एवं मई, 2020 का थोक मूल्य सूचकांक कोरोना–19 महामारी के कारण जारी नहीं किया जा सका)

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.)

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक समयावधि के अन्तर्गत उन चुनिंदा वस्तुओं एवं सेवाओं के खुदरा मूल्यों के सामान्य स्तर में परिवर्तनों के मापन हेतु तैयार किया गया है, जिसे उपभोक्ता द्वारा उपभोग हेतु क्रय किया जाता है। इस तरह के बदलाव उपभोक्ताओं की आय और उनके कल्याण की वास्तविक क्रय शक्ति को प्रभावित करते हैं। सरकार द्वारा थोक मूल्य सूचकांक वृद्धि की तुलना में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। प्रतिमाह चार विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार किये जा रहें हैं। वे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हैं:– (अ) औद्योगिक श्रमिकों हेतु (सी.पी.आई–आई.डब्ल्यू.) (ब) कृषि श्रमिकों हेतु (सी.पी.आई–ए.एल.) (स) ग्रामीण श्रमिकों हेतु (सी.पी.आई–आर.एल.) (द) ग्रामीण एवं शहरी हेतु (सी.पी.आई–आर.एण्ड यू.)। प्रथम तीन प्रकार के सूचकांक श्रम ब्यूरो, शिमला तथा चतुर्थ सूचकांक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एन.एस.ओ.), नई दिल्ली द्वारा तैयार एवं जारी किए जाते हैं। औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2001=100 पर माह अगस्त, 2020 तक जारी किये गये तथा वर्तमान में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक माह सितम्बर, 2020 से आधार वर्ष 2016=100 पर जारी किये जा रहे हैं, जिसमें राज्य में अजमेर के स्थान पर अलवर केन्द्र को शामिल किया गया है।

औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.– आई.डब्ल्यू.)

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसी भी देश में औसत औद्योगिक मजदूर परिवार द्वारा उपभोग की जा रही वस्तुओं एवं सेवाओं की स्थाई बास्केट के खुदरा मूल्यों में होने वाले सामयिक परिवर्तनों को मापने का महत्वपूर्ण कारक है और इस प्रकार यह देश के औद्योगिक श्रमिकों के उपभोग स्तर पर होने वाले परिवर्तन हेतु महत्वपूर्ण सूचक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक–आई.डब्ल्यू. का लक्षित समूह कारखाना, खनन, वृक्षारोपण, मोटर परिवहन, पोत, रेलवे एवं विद्युत (उत्पादन व वितरण) में नियोजित श्रमिक हैं। यह सूचकांक मुख्य रूप से सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्तें के निर्धारण के लिए उपयोग किया जाता हैं।

औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक – (सी.पी.आई.–आई.डब्ल्यू.) (आधार वर्ष 2001=100): राज्य के जयपुर, अजमेर एवं भीलवाडा केन्द्रों के औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2001=100 पर श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा तैयार कर जारी किये जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय श्रृखंला का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक–आई.डब्ल्यू. देशभर के औद्योगिक रूप से विकसित 78 चयनित केन्द्रों के लिए तैयार किये जा रहे हैं, जिसमें राज्य के तीन केन्द्र (जयपुर, अजमेर व भीलवाडा) शामिल हैं। वर्ष 2020 के दौरान उपभोक्ता मूल्यों में वृद्धि देखी गई। अखिल भारतीय स्तर पर वार्षिक आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वर्ष 2019 के माह दिसम्बर तक 317 से बढकर वर्ष 2020 के माह अगस्त तक 331 रहा है। औसत वार्षिक आधार पर मुद्रा स्फीति की दर माह अगस्त 2020 तक 4.42 प्रतिशत रही है जो कि गत वर्ष 7.46 प्रतिशत थी। सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वर्ष 2020 (अगस्त माह तक) में पिछले वर्ष की तुलना में जयपुर केन्द्र पर 3.83 प्रतिशत, अजमेर केन्द्र पर 2.74 प्रतिशत तथा भीलवाड़ा केन्द्र पर 3.72 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक – (सी.पी.आई.–आई.डब्ल्यू.) (आधार वर्ष 2016=100) : वर्तमान में श्रम ब्यूरों, शिमला द्वारा माह सितम्बर, 2020 से नवीन आधार वर्ष 2016=100 पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किये जा रहे हैं, जिसके अन्तर्गत राज्य के अजमेर केन्द्र के स्थान पर अलवर केन्द्र को शामिल किया गया है। दिसम्बर, 2020 में अलवर, भीलवाडा एवं जयपुर केन्द्र का सूचकांक क्रमशः 118.5, 115.9 एवं 113.5 रहा जो माह नवम्बर, 2020 में 118.9, 116.3 एवं 114.2 था। अखिल भारतीय स्तर पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक माह दिसम्बर, 2020 में 118.8 रहा जो कि माह नवम्बर, 2020 में 119.9 था।

जयपुर, अजमेर एवं भीलवाड़ा केन्द्रों के सभी वस्तु समूहों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संक्षेप में तालिका 1.16 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 1.16 औद्योगिक श्रमिकों के समूहवार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार वर्ष 2001=100)

क्रम संख्या	समूह	जयपुर केन्द्र		2019 की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन	अजमेर केन्द्र		2019 की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन	भीलवाड़ा केन्द्र		2019 की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन
		2019	2020*		2019	2020*		2019	2020*	
1	खाद्य	312	323	3.53	320	333	4.06	319	332	4.08
2	पान, सुपारी, तम्बाकू एवं मादक पदार्थ	382	396	3.66	431	443	2.78	401	403	0.50
3	ईंधन एवं प्रकाश	224	234	4.46	272	290	6.62	321	327	1.87
4	आवास	388	410	5.67	420	432	2.86	261	283	8.43
5	वस्त्र, बिस्तर एवं जूते	236	237	0.42	214	201	-6.07	206	207	0.49
6	विविध	276	280	1.45	205	207	0.98	261	265	1.53
सामान्य सूचकांक		**313**	**325**	**3.83**	**292**	**300**	**2.74**	**296**	**307**	**3.72**

*(माह अगस्त, 2020 तक)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि सामान्य सूचकांक में सभी तीन केन्द्रों पर वर्ष 2020 (माह अगस्त, 2020 तक) में वर्ष 2019 की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई है। जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा एवं अखिल भारतीय स्तर के औसत सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) वर्ष 2015 से तालिका 1.17 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 1.17 औद्योगिक श्रमिकों का वर्षवार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार वर्ष 2001=100)

वर्ष	जयपुर		अजमेर		भीलवाड़ा		अखिल भारत	
	सूचकांक	पिछले वर्ष से प्रतिशत परिवर्तन	सूचकांक	पिछले वर्ष से प्रतिशत परिवर्तन	सूचकांक	पिछले वर्ष से प्रतिशत परिवर्तन	सूचकांक	पिछले वर्ष से प्रतिशत परिवर्तन
2015	245	2.94	248	3.33	259	5.71	261	5.67
2016	257	4.90	256	3.23	269	3.86	274	4.98
2017	268	4.28	260	1.56	274	1.86	281	2.55
2018	282	5.22	272	4.62	278	1.46	295	4.98
2019	313	10.99	292	7.35	296	6.47	317	7.46
2020*	325	3.83	300	2.74	307	3.72	331	4.42

*(माह अगस्त, 2020 तक)

कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.–ए.एल.) (आधार वर्ष 1986–87=100)

श्रम ब्यूरो, शिमला द्वारा कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 1986–87=100 पर तैयार किए जाते हैं। राजस्थान राज्य एवं अखिल भारत स्तर पर वर्ष 2016–17 से 2020–21 कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तालिका 1.18 तथा चित्र 1.10 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 1.18 कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

आधार वर्ष 1986–87=100 (कृषि वर्ष–जुलाई से जून)

वर्ष (कृषि वर्ष जुलाई से जून)	राजस्थान		अखिल भारत	
	खाद्य समूह	सामान्य सूचकांक	खाद्य समूह	सामान्य सूचकांक
2016-17	938	960	841	873
2017-18	899	950	846	893
2018-19	951	997	863	920
2019-20	1058	1083	955	999
2020-21*	1057	1094	1002	1041

* माह जुलाई से दिसम्बर, 2020 के औसत पर आधारित

चित्र 1.10

आधार वर्ष 1986–87=100 (कृषि वर्ष–जुलाई से जून)

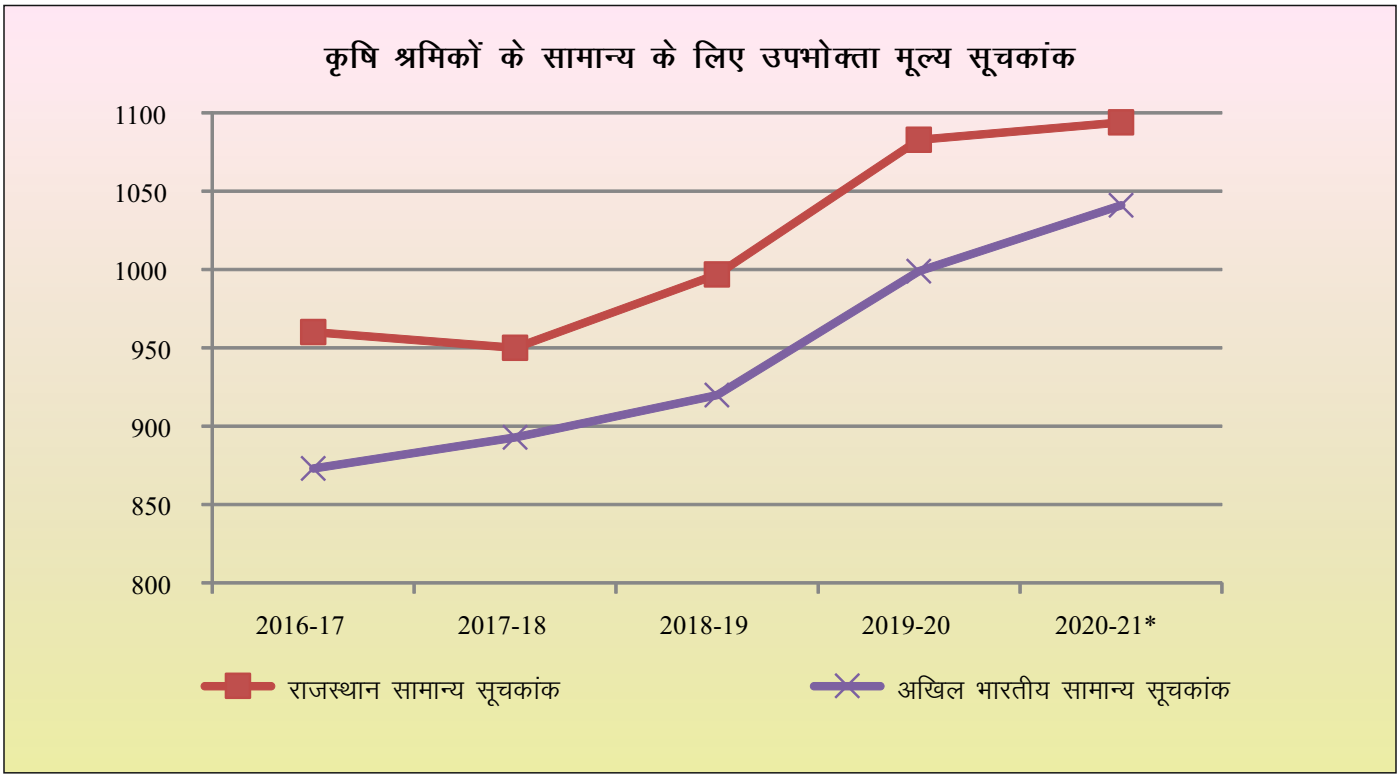

* माह जुलाई से दिसम्बर, 2020 के औसत पर आधारित

सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण, शहरी एवं संयुक्त) (आधार वर्ष 2012=100)

राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एन.एस.ओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा ग्रामीण, शहरी तथा संयुक्त के लिए अखिल भारत तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए अलग–अलग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक नवीन आधार वर्ष 2012 के आधार पर माह जनवरी, 2011 से जारी किए जा रहे हैं। सामान्य सूचकांक वर्ष 2016 से वर्ष 2020 का विवरण तालिका 1.19 में अंकित है।

तालिका 1.19 ग्रामीण, शहरी एवं संयुक्त के लिए सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार वर्ष 2012=100)

क्र.सं.	वर्ष	राजस्थान			अखिल भारत		
		ग्रामीण	शहरी	संयुक्त	ग्रामीण	शहरी	संयुक्त
1	2016	132.79	127.92	131.07	131.28	126.83	129.20
2	2017	137.29	132.96	135.73	135.63	131.03	133.50
3	2018	139.33	138.56	139.05	140.73	136.50	138.77
4	2019	145.33	144.11	144.91	144.89	142.82	143.93
5	2020*	153.30	152.68	153.06	154.18	151.93	153.12

* माहवार औसत (जनवरी से नवम्बर, 2020 तक) एवं राजस्थान का सूचकांक (माह मार्च से मई, 2020 तक) कोविड–19 महामारी के कारण जारी नहीं किया गया

*****

अध्याय

02

कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र

- राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.) में प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2020–21 में, कृषि और संबद्ध क्षेत्र का योगदान 29.77 प्रतिशत है।
- वर्ष 2020–21 के लिए प्रारंभिक पूर्वानुमान के अनुसार, राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन 271.33 लाख टन होने का अनुमान है, जो कि गत वर्ष के 265.81 लाख टन के उत्पादन की तुलना में 2.08 प्रतिशत अधिक है।
- 24.97 लाख किसानों को वर्ष 2020–21 में दिसंबर, 2020 तक मध्यकालीन ऋण (कृषि और गैर–कृषि) ₹244.31 करोड़ और अल्पकालीन फसल ऋण ₹11,007.74 करोड़ वितरित किए गए।
- 'राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना' के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में दिसंबर, 2020 तक, 1,345 किसानों को ₹19.94 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गई है।
- वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, दिसंबर, 2020 तक 9,504 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया।
- वर्ष 2020–21 के दौरान, पशुओं की बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए, 134.38 लाख टीकाकरण किए गए। नस्ल सुधार के लिए 2.18 लाख बड़े पशुओं और 3.88 लाख छोटे पशुओं का बंध्याकरण और 24.62 लाख कृत्रिम गर्भाधान दिसंबर, 2020 तक किए गए।
- सौर ऊर्जा आधारित पंप परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में, दिसंबर, 2020 तक ₹25.53 करोड़ व्यय कर 5,011 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए।

कृषि परिदृश्य

राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं सहायक क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र गतिविधियों में प्राथमिक रूप से फसल, पशुधन, वानिकी एवं मत्स्य सम्मिलित हैं। जीविकोपार्जन हेतु अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं सहायक गतिविधियों पर निर्भर रहती है। राजस्थान में कृषि मूलतः वर्षा पर आधारित है। राज्य में मानसून की अवधि कम है। राज्य में मानसून अन्य राज्यों की तुलना में विलम्ब से आता है एवं जल्दी ही चला जाता है। वर्षा की अवधि में भी उतार–चढ़ाव रहता है, जो अपर्याप्त, कम एवं अनिश्चित रहती है। राज्य में भूमिगत जल स्तर तेजी से गिरता जा रहा है। इसके बावजूद कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद में इसका प्रमुख योगदान है।

चित्र–2.1 यह दर्शाता है कि कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.) स्थिर (2011–12) मूल्यों पर वर्ष 2015–16 में ₹1.37 लाख करोड़ से बढ़कर वर्ष 2020–21 में ₹1.77 लाख करोड़ हो गया, जो कि 5.26 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि (सी.ए.जी.आर.) दर्शाता है, जबकि प्रचलित मूल्यों पर कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.) वर्ष 2015–16 में ₹1.68 लाख करोड़ से बढ़कर वर्ष 2020–21 में ₹2.68 लाख करोड़ हो गया, जो कि 9.81 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि (सी.ए.जी.आर.) दर्शाता है।

चित्र–2.1

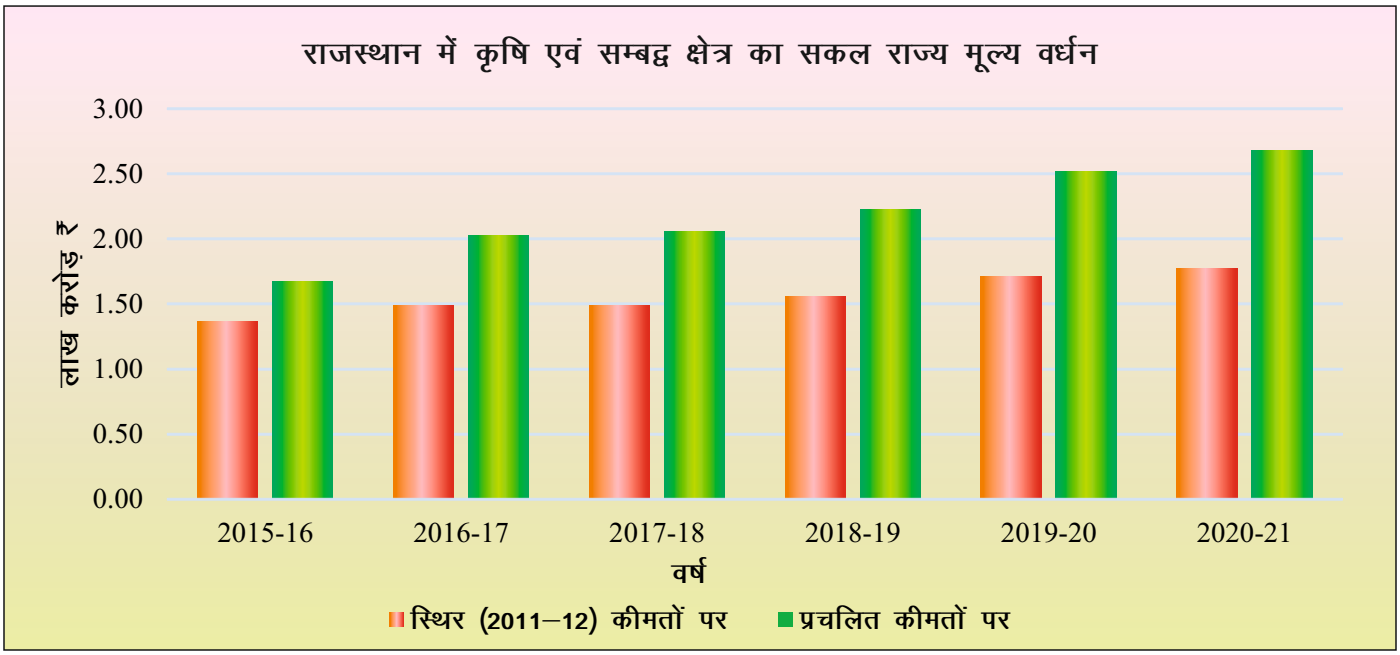

नोटः–वर्ष 2018–19 संशोधित अनुमान द्वितीय, वर्ष 2019–20 संशोधित अनुमान प्रथम, वर्ष 2020–21 अग्रिम अनुमान

कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र में स्थिर (2011–12) मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.) की वृद्धि दर

विकास के सन्दर्भ में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र में वर्ष 2020–21 में वर्ष 2019–20 की तुलना में 3.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कृषि की विकास दर जो वर्ष 2015–16 में यह –0.33 प्रतिशत थी, तीव्र गति से बढ़कर वर्ष 2016–17 में 8.72 प्रतिशत हो गयी।

राजस्थान के जी.एस.वी.ए. में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का योगदान और इसके उप क्षेत्रों की संरचना

राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.) में प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2011–12 में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का योगदान 28.56 प्रतिशत था, जो कि बढकर वर्ष 2020–21 में 29.77 प्रतिशत हो गया। कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र के उप क्षेत्रों में फसल, पशुधन, मत्स्य तथा वानिकी व लॉगिंग है। वर्ष 2020–21 में फसल क्षेत्र का अंश 48.36 प्रतिशत, पशुधन क्षेत्र का अंश 42.62 प्रतिशत, वानिकी एवं लॉगिंग क्षेत्र का अंश 8.67 प्रतिशत और मत्स्य क्षेत्र का अंश 0.34 प्रतिशत हैं। कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र के विभिन्न उप क्षेत्रों के योगदान को चित्र–2.2 में दर्शाया गया है।

चित्र–2.2

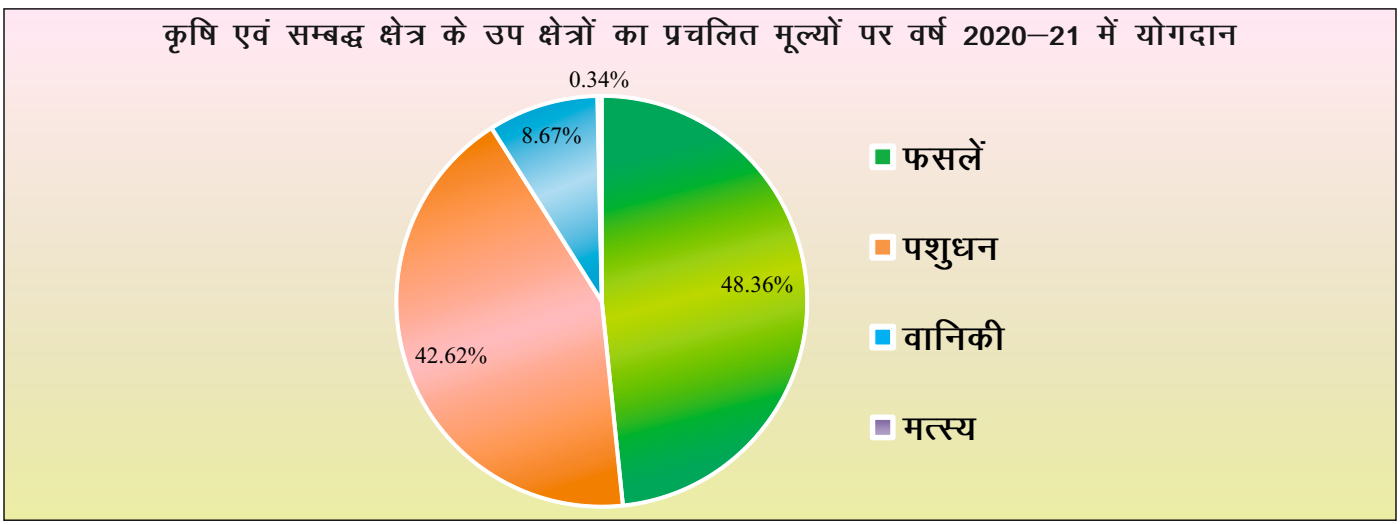

नोटः– वर्ष 2020–21 अग्रिम अनुमान

भू–उपयोग

राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल वर्ष 2018–19 में 342.87 लाख हैक्टेयर है। इसमें से 8.05 प्रतिशत क्षेत्रफल (27.60 लाख हैक्टेयर) वानिकी के अन्तर्गत, 5.81 प्रतिशत क्षेत्रफल (19.93 लाख हैक्टेयर) कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग भूमि के अन्तर्गत, 6.95 प्रतिशत क्षेत्रफल (23.83 लाख हैक्टेयर) ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि के अन्तर्गत, 4.86 प्रतिशत क्षेत्रफल (16.68 लाख हैक्टेयर) स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि के अन्तर्गत, 0.08 प्रतिशत क्षेत्रफल (0.26 लाख हैक्टेयर) वृक्षों के झुण्ड तथा बाग के अन्तर्गत, 11.04 प्रतिशत क्षेत्रफल (37.84 लाख हैक्टेयर) बंजर भूमि के अन्तर्गत, 6.14 प्रतिशत क्षेत्रफल (21.06 लाख हैक्टेयर) अन्य चालू पड़त भूमि के अन्तर्गत, 5.22 प्रतिशत क्षेत्रफल (17.89 लाख हैक्टेयर) चालू पड़त के अन्तर्गत एवं 51.85 प्रतिशत (177.78 लाख हैक्टेयर) शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल के अन्तर्गत है (चित्र 2.3)।

चित्र–2.3

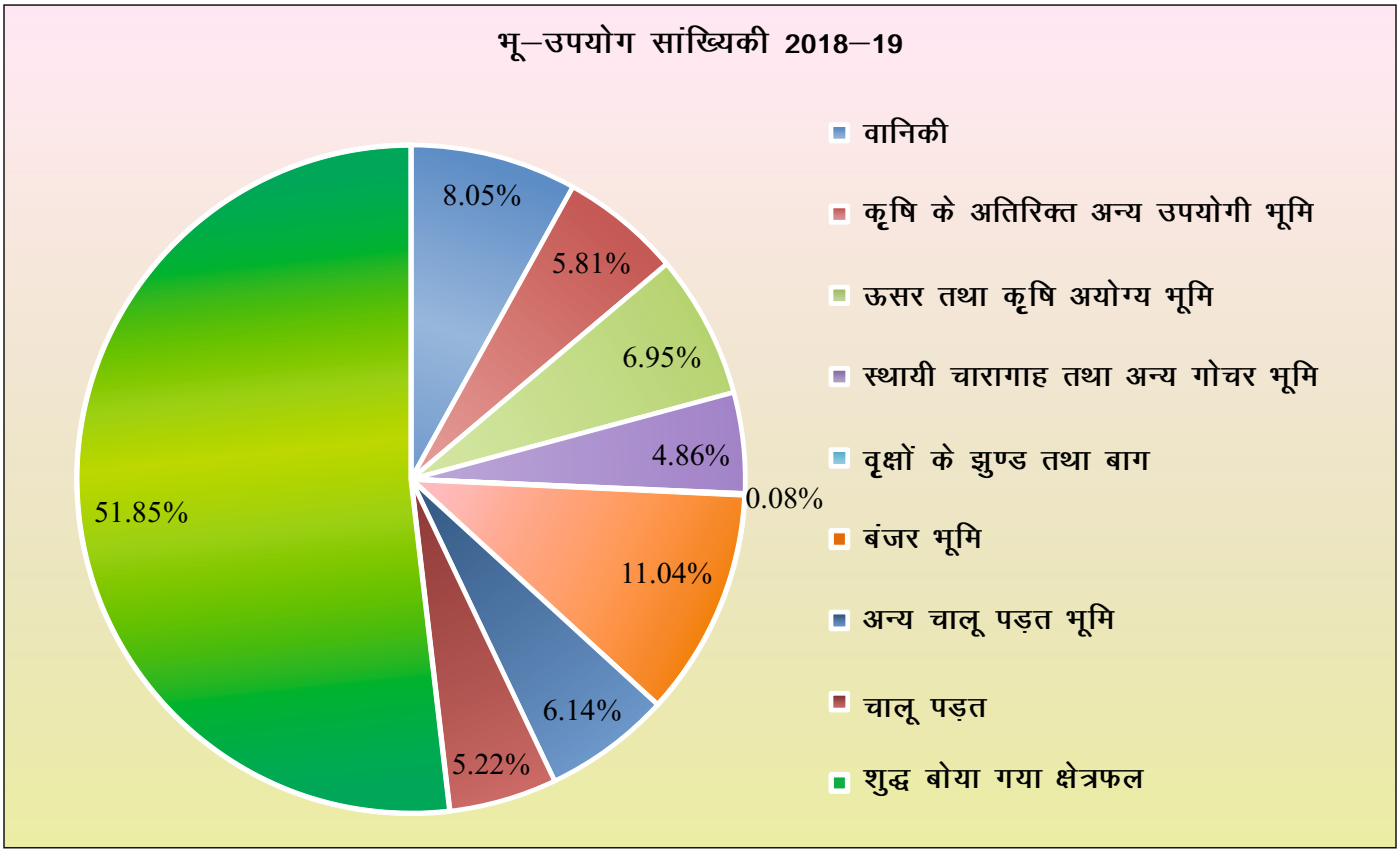

प्रचालित जोत धारक

राज्य में कृषि गणना, 2015–16 के अनुसार कुल प्रचालित भूमि जोतों की संख्या 76.55 लाख है, जबकि वर्ष 2010–11 में यह संख्या 68.88 लाख थी, अर्थात् भूमि जोतों की संख्या में 11.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई (तालिका–2.1)। सीमान्त, लघु, अर्द्ध मध्यम, मध्यम एवं बड़े आकार की वर्गीकृत जोत, कुल जोतों का क्रमशः 40.12 प्रतिशत, 21.90 प्रतिशत, 18.50 प्रतिशत, 14.79 प्रतिशत एवं 4.69 प्रतिशत है। वर्ष 2010–11 की तुलना में वर्ष 2015–16 में सीमान्त, लघु, अर्द्ध मध्यम, एवं मध्यम आकार वर्गों की जोतों में वृद्धि हुई है व बड़े आकार वर्गों की जोतों में कमी हुई है। बड़े आकार की भू–जोतों की संख्या में 11.14 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। इससे यह प्रतीत होता है कि संयुक्त परिवारों के विघटन के कारण भूमि नामान्तरण के मामले बढ़ रहे हैं।

वर्ष 2010–11 में कुल जोतों का क्षेत्रफल 211.36 लाख हैक्टेयर था, जो वर्ष 2015–16 में घटकर 208.73 लाख हैक्टेयर हो गया, अर्थात् जोतों के कुल क्षेत्रफल में 1.24 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई है।

वर्ष 2010–11 की तुलना में वर्ष 2015–16 में क्षेत्रफल की दृष्टि से सीमान्त, लघु व अर्द्ध मध्यम आकार की जोतों के क्षेत्रफल में क्रमशः 19.79 प्रतिशत, 10.50 प्रतिशत व 5.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई है (तालिका–2.1)। इसके विपरीत बड़े आकार एवं मध्यम आकार की जोतों के कुल

क्षेत्रफल में क्रमशः 13.20 प्रतिशत एवं 0.27 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई है। कृषि गणना, 2015–16 के अनुसार राज्य में भूमि जोतों का औसत आकार 2.73 हैक्टेयर रहा है, जो वर्ष 2010–11 में 3.07 हैक्टेयर था, जो 11.07 प्रतिशत की कमी दर्शाता है।

महिला प्रचालित जोत धारक

राज्य में कृषि गणना, 2015–16 के अनुसार कुल महिला प्रचालित भूमि जोतों की संख्या 7.75 लाख है, जबकि वर्ष 2010–11 में यह संख्या 5.46 लाख थी, अर्थात् भूमि जोतों की संख्या में 41.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई (तालिका–2.1)। सीमान्त, लघु, अर्द्ध मध्यम, मध्यम एवं बड़े आकार की वर्गीकृत महिला जोत धारकों का कुल जोतों से क्रमशः 49.55 प्रतिशत, 20.77 प्रतिशत, 14.97 प्रतिशत, 11.74 प्रतिशत एवं 2.97 प्रतिशत है। वर्ष 2010–11 की तुलना में वर्ष 2015–16 में सभी आकार वर्गों की जोतों में वृद्धि हुई है (तालिका–2.1)।

राज्य में वर्ष 2010–11 में महिला भूमि जोतों का क्षेत्रफल 13.30 लाख हैक्टेयर था, जो वर्ष 2015–16 में बढ़कर 16.55 लाख हैक्टेयर हो गया, अर्थात् महिला भूमि जोतों के कुल क्षेत्रफल में 24.44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है (तालिका–2.1)।

तालिका 2.1 लिंगानुसार जोतों के मुख्य आकार वर्ग के अनुसार प्रचालित जोतों की संख्या एवं क्षेत्रफल का प्रतिशत विचलन (समस्त सामाजिक वर्ग)

क्र. स.	जोत की श्रेणी (आकार वर्ग)	लिंग	जोतों की संख्या (000)			जोतों का क्षेत्रफल (000 है.)		
			2010–11	2015–16	प्रतिशत विचलन	2010–11	2015–16	प्रतिशत विचलन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सीमान्त (1.0 हैक्टेयर से कम)	पुरूष	2268	2683	18.30	1120	1304	16.43
		स्त्री	239	384	60.67	116	177	52.59
		संस्थागत	4	4	0.00	2	2	0.00
योग			**2511**	**3071**	**22.30**	**1238**	**1483**	**19.79**
2	लघु (1.0–2.0 हैक्टेयर)	पुरूष	1389	1514	9.00	1988	2158	8.55
		स्त्री	120	161	34.17	171	227	32.75
		संस्थागत	2	2	0.00	3	4	33.33
योग			**1511**	**1677**	**10.99**	**2162**	**2389**	**10.50**
3	अर्ध–मध्यम (2.0–4.0 हैक्टेयर)	पुरूष	1240	1297	4.60	3509	3655	4.16
		स्त्री	92	116	26.09	258	325	25.97
		संस्थागत	3	3	0.00	7	8	14.29
योग			**1335**	**1416**	**6.07**	**3774**	**3988**	**5.67**
4	मध्यम (4.0–10.0 हैक्टेयर)	पुरूष	1051	1038	-1.24	6459	6334	-1.94
		स्त्री	74	91	22.97	445	549	23.37
		संस्थागत	2	3	50.00	14	16	14.29
योग			**1127**	**1132**	**0.44**	**6918**	**6899**	**-0.27**
5	बड़े (10.0 हैक्टेयर एवं अधिक)	पुरूष	381	334	-12.34	6621	5657	-14.56
		स्त्री	21	23	9.52	340	377	10.88
		संस्थागत	2	2	0.00	83	80	-3.61
योग			**404**	**359**	**-11.14**	**7044**	**6114**	**-13.20**
समस्त		पुरूष	6329	6866	8.48	19697	19108	-2.99
		स्त्री	546	775	41.94	1330	1655	24.44
		संस्थागत	13	14	7.69	109	110	0.92
योग			**6888**	**7655**	**11.14**	**21136**	**20873**	**-1.24**

मानसून

राजस्थान में कृषि मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर है तथा मानसून की अवधि भी कम है। मौसम की स्थिति अस्थिर होने के कारण किसानों को कृषि हेतु वर्षा और भूमिगत जल दोनों पर निर्भर रहना पड़ता है। वर्षा की प्रवृत्ति यह स्पष्ट करती है कि राज्य में मानसून के पहुँचने की सामान्य तिथि 15 जून है, जबकि इस वर्ष 9 दिनों की देरी से राज्य में मानसून की शुरूआत 24 जून से प्रारम्भ होकर जुलाई, 2020 के प्रथम सप्ताह तक सम्पूर्ण राज्य में सक्रिय हुआ।

राज्य में 1 जून से 30 सितम्बर, 2020 तक की समयावधि में वास्तविक वर्षा 520.79 मिमी. दर्ज की गई, जो कि सामान्य वर्षा 520.98 मिमी. की तुलना में 0.04 प्रतिशत कम रही है।

राजस्थान के अधिकांश जिलों में पूरे मानसून सत्र 2020 में सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा हुई है, जबकि अलवर, बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, गंगानगर, कोटा एवं टोंक जिलों में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई।

कृषि उत्पादन

राज्य में कृषि का उत्पादन मुख्यतः मानसून के उचित समय पर आने पर निर्भर करता है। खरीफ फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता केवल वर्षा की मात्रा पर ही निर्भर नहीं है, अपितु यह पर्याप्त समयावधि में वर्षा के उचित एवं समान वितरण और सघनता पर भी निर्भर करता है।

गत तीन वर्षों की खरीफ और रबी फसलों के उत्पादन का विस्तृत विवरण तालिका–2.2 एवं चित्र–2.4 में दर्शाया गया है।

तालिका–2.2 राज्य में खरीफ और रबी फसलों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन

फसल	क्षेत्रफल (लाख हैक्टेयर में)			उत्पादन (लाख टन में)		
	2018–19	2019–20 (अन्तिम)	2020–21 (अग्रिम)	2018–19	2019–20 (अन्तिम)	2020–21 (अग्रिम)
(अ) अनाज	**90.92**	**97.96**	**96.38**	**194.02**	**220.86**	**222.45**
खरीफ	58.66	59.94	60.92	66.22	71.25	90.41
रबी	32.26	38.02	35.46	127.80	149.61	132.04
(ब) दलहन	**59.06**	**63.36**	**64.81**	**37.58**	**44.95**	**48.88**
खरीफ	42.75	38.39	39.95	18.68	17.76	20.01
रबी	16.31	24.97	24.86	18.90	27.19	28.87
(अ+ब) खाद्यान्न	**149.98**	**161.32**	**161.19**	**231.60**	**265.81**	**271.33**
खरीफ	101.41	98.33	100.87	84.90	89.01	110.42
रबी	48.57	62.99	60.32	146.70	176.80	160.91
(स) तिलहन	**48.13**	**57.98**	**52.65**	**76.64**	**72.74**	**87.15**
खरीफ	19.88	23.17	24.49	28.43	25.20	37.94
रबी	28.25	34.81	28.16	48.21	47.54	49.21
(द) गन्ना	**0.05**	**0.04**	**0.05**	**4.48**	**3.26**	**2.84**
(य) कपास (रूई)*	**6.29**	**7.60**	**8.08**	**20.43**	**27.88**	**28.33**

* उत्पादन लाख गांठों में (प्रत्येक गांठ में 170 किलो)।

प्रारम्भिक पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में वर्ष 2020–21 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन 271.33 लाख मैट्रिक टन होने की सम्भावना है, जो कि गत वर्ष के 265.81 लाख मैट्रिक टन की तुलना में 2.08 प्रतिशत अधिक है।

वर्ष 2020–21 में खरीफ खाद्यान्न का उत्पादन 110.42 लाख मैट्रिक टन होने की सम्भावना है, जो कि गत वर्ष के 89.01 लाख मैट्रिक टन की तुलना में 24.05 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2020–21 में रबी खाद्यान्न का उत्पादन 160.91 लाख मैट्रिक टन होना अनुमानित है, जो कि गत वर्ष 2019–20 में 176.80 लाख मैट्रिक टन की तुलना में 8.99 प्रतिशत की कमी को दर्शाता है।

वर्ष 2020–21 में खरीफ अनाज का उत्पादन 90.41 लाख मैट्रिक टन होना अनुमानित है, जो कि गत वर्ष के खरीफ उत्पादन 71.25 लाख मैट्रिक टन की तुलना में 26.89 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2020–21 में रबी अनाज का उत्पादन 132.04 लाख मैट्रिक टन होने की सम्भावना है, जो कि वर्ष 2019–20 के 149.61 लाख मैट्रिक टन की तुलना में 11.74 प्रतिशत की कमी दर्शाता है।

वर्ष 2020–21 में खरीफ दलहन का उत्पादन 20.01 लाख मैट्रिक टन होने की सम्भावना है, जो कि वर्ष 2019–20 के 17.76 लाख मैट्रिक टन उत्पादन की तुलना में 12.61 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2020–21 में रबी दलहन का उत्पादन 28.87 लाख मैट्रिक टन होने की सम्भावना है, जो कि वर्ष 2019–20 के 27.19 लाख मैट्रिक टन की तुलना में 6.18 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

तिलहन के अन्तर्गत खरीफ फसलों में मूंगफली, तिल, सोयाबीन व अरण्डी तथा रबी फसलों में राई, सरसों, तारामीरा एवं अलसी सम्मिलित है। तिलहन का उत्पादन वर्ष 2020–21 में 87.15 लाख मैट्रिक टन होने का अनुमान है, जो कि वर्ष 2019–20 के 72.74 लाख मैट्रिक टन की तुलना में 19.81 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

खरीफ तिलहन का वर्ष 2020–21 में 37.94 लाख मैट्रिक टन उत्पादन होने की सम्भावना है, जो कि वर्ष 2019–20 में 25.20 लाख मैट्रिक टन की तुलना में 50.56 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। रबी में तिलहन का उत्पादन वर्ष 2019–20 के 47.54 लाख मैट्रिक टन की तुलना में वर्ष 2020–21 में 49.21 लाख मैट्रिक टन होने की सम्भावना है, जो कि 3.51 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

गन्ने का उत्पादन वर्ष 2019–20 के 3.26 लाख मैट्रिक टन की तुलना में वर्ष 2020–21 में 2.84 लाख मैट्रिक टन होने की सम्भावना है, जो कि 12.88 प्रतिशत की कमी दर्शाता है। वर्ष 2020–21 में कपास का उत्पादन 28.33 लाख गाँठें उत्पादित होने की सम्भावना है, जबकि वर्ष 2019–20 में यह उत्पादन 27.88 लाख गाँठें था, जो कि 1.61 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

चित्र–2.4

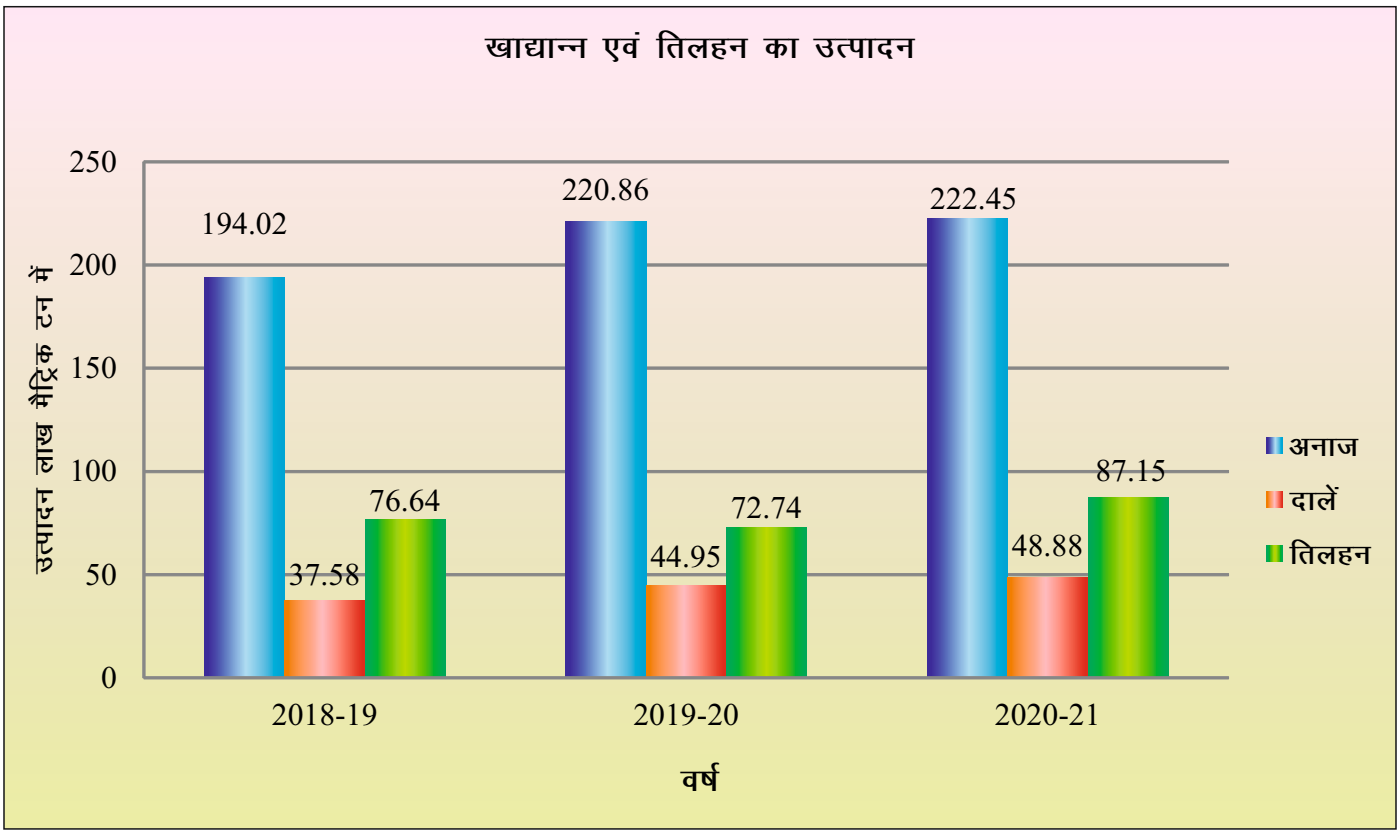

कृषि विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रमः

मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजनाः इस योजना का प्रमुख उद्देश्य कृषकों द्वारा स्वयं के खेतों में अच्छी किस्म के बीज निर्माण को बढ़ाना है। प्रारम्भ में इस योजना का क्रियान्वयन राज्य के तीन कृषि जलवायुविक खण्डों यथा– कोटा, भीलवाड़ा तथा उदयपुर में किया गया। वर्ष 2018–19 से योजना राज्य के समस्त 10 कृषि जलवायुविक खण्डों में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजनान्तर्गत गेहूं, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, मोठ मूंगफली एवं उड़द की 10 वर्ष तक की पुरानी किस्मों का बीज उत्पादन को शामिल किया गया है।

गैर–स्थानिक क्षेत्रों में कीट और रोगों का उन्मूलनः उत्पादन के लिए इकॉनोमिक थ्रेसहोल्ड लेवल (ई.टी.एल) से नीचे के जीवों को रखने के लिए फसलों को कीड़ों, कीटों और बीमारी के संक्रमण से बचाना अत्यन्त आवश्यक है, इसलिए स्थानिक/गैर–स्थानिक क्षेत्रों में टिड्डी एवं अन्य कीटों/रोगों के उन्मूलन के लिए पौध संरक्षण रसायन के अनुदान का प्रावधान रखा गया है।

महिला प्रशिक्षणः इस योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर महिला कृषकों हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है तथा महिला कृषकों को उन्नत कृषि तकनीक की जानकारी दी जाती है ताकि वे कृषकों को तकनीकी ज्ञान हस्तांतरित कर सके। 30 महिला कृषकों के प्रशिक्षण हेतु सहायता राशि ₹3,000 देने का प्रावधान है।

कृषि शिक्षा में अध्ययनरत् छात्राओं को प्रोत्साहन राशिः लड़कियों को औपचारिक रूप से कृषि का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए कृषि विभाग, उच्च माध्यमिक, स्नातक (कृषि), स्नातकोत्तर और पीएचडी करने में प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा उच्च माध्यमिक (कृषि) के लिए प्रति वर्ष ₹5,000 प्रति छात्रा, स्नातक (कृषि) के लिए प्रति वर्ष ₹12,000 प्रति छात्रा, स्नातकोत्तर (कृषि) और पी.एचडी. के लिए प्रति वर्ष ₹15,000 प्रति छात्रा को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।

कृषि प्रदर्शनः ''देखकर विश्वास करने'' के कृषि के सिद्धान्त पर कृषि तकनीक को प्रसारित करने हेतु कृषकों के खेतों पर फसल प्रदर्शन आयोजित किये जा रहे हैं। नई उन्नत एवं नवोन्मेषी कृषि तकनीक का हस्तान्तरण करने के लिए फसल प्रदर्शन का आयोजन कृषि विस्तार का एक महत्वपूर्ण साधन है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.) से वंचित जिलों में राज्य की विशिष्ट फसलें– ग्वार, गेहूं एवं जौ पर फसल प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं।

बीज मिनिकिटः विभिन्न नवीन फसलों की किस्मों को बढ़ावा देने हेतु 0.1 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए बीज मिनिकिट कृषकों को टोकन राशि पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

सूक्ष्म पोषक तत्व मिनिकिटः मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर सूक्ष्म पोषक तत्वों के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु 90 प्रतिशत अनुदान पर सूक्ष्म पोषक तत्व उपलब्ध करवाये जाते हैं।

इनके अलावा नवाचार के अन्तर्गत ग्राह्य परीक्षण केन्द्रों एवं जैविक खेती करने वाले किसानों को पुरस्कार दिये जाने का कार्यक्रम भी है।

जीरो बजट नेचुरल फार्मिंगः माननीय मुख्यमंत्री की वर्ष 2019–20 की बजट घोषणा की अनुपालना में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पर एक पायलट प्रोजेक्ट टोंक, बांसवाड़ा एवं सिरोही में क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2020–21 में यह कार्यक्रम राज्य के 15 जिलों में आन्ध्रप्रदेश पैटर्न पर लागू करने के प्रस्ताव राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये गये हैं। इससे कृषक, कृषि आदानों में आत्मनिर्भर बन सकेंगे, कृषि उत्पादन लागत में कमी होगी एवं कृषि उत्पाद रसायन मुक्त होगें।

राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना (आर.ए.सी.पी.)

कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने, कृषकों की आय में वृद्धि, जलवायु प्रतिरोध क्षमतायुक्त कृषि, कृषि में सिंचाई जल के उपयोग को कम करने, कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व बैंक पोषित यह परियोजना राज्य के 17 जिलों में 17 चयनित क्लस्टरों में क्रियान्वित की जा रही है।

इनके अतिरिक्त, राज्य योजनान्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों में परिचालन व्यय एवं संस्थापन हेतु स्टाफ/प्रयोगशालाओं/किसान आयोग/निर्माण कार्य, किसान सेवा केन्द्र सहविलेज नॉलेज केन्द्र, कम्प्यूट्रीकृत योजना एवं केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं हेतु वर्ष 2020–21 में आवश्यक राज्यांश का प्रावधान रखा गया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.)

- केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना के रुप में वर्ष 2007–08 से राज्य में गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारम्भ किया गया था। केन्द्रीयांश एवं राज्यांश का वित्त पोषण अनुपात 60:40 है।
- गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.) के अन्तर्गत प्रमाणित बीजों का वितरण, उन्नत उत्पादन तकनीक का प्रदर्शन, जैविक खाद, सूक्ष्म तत्वों, जिप्सम, समन्वित कीट प्रबन्धन (आई.पी.एम.), कृषि यंत्रो, फव्वारा, पम्प सैट, सिंचाई जल हेतु पाइप लाईन एवं फसल तंत्र आधारित प्रशिक्षण द्वारा किसानों को सहयोग देना आदि महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं।
- राज्य में गेहूं के लिए 14 जिलों यथा– बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बीकानेर, जयपुर, झुन्झुनूं, जोधपुर, करौली, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक एवं उदयपुर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को लागू किया गया है।
- राज्य में मोटा अनाज मक्का के लिए 5 जिलों यथा– बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, तथा उदयपुर में एन.एफ.एस.एम. क्रियान्वित किया जा रहा है। मोटा अनाज जौ के लिए 7 जिलों यथा– अजमेर, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, जयपुर, नागौर, श्रीगंगानगर तथा सीकर में एन.एफ.एस.एम. क्रियान्वित किया जा रहा है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन न्यूट्रिसीरियल योजना एक केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के रूप में राज्य में वर्ष 2018–19 में प्रारम्भ किया गया है। इस योजना में प्रमाणित बीज का वितरण एवं उत्पादन, उत्पादन तकनीक में सुधार का प्रदर्शन, जैव उर्वरकों को बढ़ावा देना, सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग, समन्वित कीट प्रबन्धन और फसल प्रदर्शन पर किसानों को प्रशिक्षण देना है। इस योजना में चयनित जिलों में भारत सरकार द्वारा ज्वार फसलें 10 जिलों यथा– अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, जोधपुर, नागौर, पाली व टोंक तथा बाजरा फसलें 21 जिलों यथा– अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, चूरू, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झुन्झुनूं, जोधपुर, करौली, नागौर, पाली, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही व टोंक में सम्मिलित की गई हैं।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.)– वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत कपास के लिए अग्रिम प्रदर्शन और पौध संरक्षण रसायन सम्मिलित है।
- राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पॉम मिशनः–इस मिशन की मुख्य गतिविधियां आधारभूत एवं प्रमाणित बीज का उत्पादन, प्रमाणित बीज का वितरण, फसल प्रदर्शन, समन्वित जीवनाशी प्रबन्धन, पौध संरक्षण रसायन, पौध संरक्षण उपकरण, जैव उर्वरक, जिप्सम, जल संवहन के लिए पाइन लाईन, कृषक प्रशिक्षण, कृषि सुधार, नवाचार, बीज उपचार ड्रम, फव्वारा सेट, बीज मिनी किट वितरण तथा आधारभूत विकास आदि हैं। केन्द्रीयांश एवं राज्यांश का वित्त पोषण पैटर्न का अनुपात 60:40 है।

वर्ष 2020–21 के अन्तर्गत ₹352.45 करोड़ के प्रावधान के विरुद्ध माह दिसम्बर, 2020 तक ₹197.22 करोड़ व्यय किए गए हैं।

राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन (एन.एम.ए.ई.टी.)

इस मिशन का उद्देश्य कृषि विस्तार का पुनर्गठन एवं सशक्तिकरण करना है, जिसके द्वारा किसानों को उचित तकनीक एवं कृषि विज्ञान की अच्छी पद्धतियों का हस्तांतरण किया जा सके। केन्द्रीयांश एवं राज्यांश का वित्त पोषण पैटर्न का अनुपात 60:40 है। ''राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन'' के अन्तर्गत चार उप मिशन सम्मिलित किए गए हैं–

- कृषि विस्तार पर उप मिशन (एस.एम.ए.ई.)
- बीज एवं रोपण सामग्री पर उप मिशन (एस.एम.एस.पी.)
- कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन (एस.एम.ए.एम.)
- कृषि में राष्ट्रीय ई–गवर्नेन्स प्लान (एन.ई.जी.पी.–ए.)

वर्ष 2020–21 के अन्तर्गत ₹96.52 करोड़ के प्रावधान के विरुद्ध माह दिसम्बर, 2020 तक ₹65.34 करोड़ व्यय किए गए हैं।

राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन (एन.एम.एस.ए.)

पूर्व में संचालित योजनाओं– राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना, राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबन्ध परियोजना तथा वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन को केन्द्रित करते हुए पुनर्गठन कर एक नया कार्यक्रम राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है। केन्द्रीयांश एवं राज्यांश का वित्त पोषण पैटर्न का अनुपात 60:40 है। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अन्तर्गत चार सब–मिशन सम्मिलित किए गए हैं :–

- **वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (आर.ए.डी.)**: राज्य के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में विशिष्ट क्षेत्र के विभिन्न प्रकार की समन्वित कृषि पद्धति यथा– पशुपालन

आधारित, उद्यानिकी आधारित और कृषि वानिकी (वृक्ष आधारित) कृषि प्रणालियों की परिकल्पना की गई है। कृषकों को समन्वित कृषि पद्धति एवं सहायक गतिविधियों हेतु सहायता प्रदान की जाती है। समन्वित कृषि पद्धति के साथ वर्मी कम्पोस्ट इकाईयों की स्थापना की गतिविधियां की जाती है।

- **मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (''स्वस्थ धरा, खेत हरा'')** : यह योजना मृदा परीक्षण सेवाओं को बढ़ावा देने, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने और विभिन्न फसलों के लिए विवेकपूर्ण पोषक तत्व प्रबन्धन तकनीकी के विकास की परिकल्पना करती है। राज्य में कुल 6,940 गांवों का चयन कर कृषकों में मृदा स्वास्थ्य एवं संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन हेतु जागरूकता निर्माण करने के लिये कृषको को प्रशिक्षित किया गया है।
- **परम्परागत कृषि विकास योजना (पी.के.वी.वाई.)**: जैविक खेती में पर्यावरण आधारित न्यूनतम लागत तकनीकों के प्रयोग से रसायनों एवं कीटनाशकों का प्रयोग कम करते हुए कृषि उत्पादन किया जाता है। परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत क्लस्टर एवं पी.जी.एस. प्रमाणन के माध्यम से जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाता है एवं पी.के.वी.वाई कार्यक्रम के तहत सहभागिता गारण्टी प्रणाली (पी.जी.एस.) के तहत गुणवत्ता में विश्वास प्रमुख दृष्टिकोण है। किसानों के पास पी.जी.एस.–भारत मानकों के अनुपालन में जैविक खेती के किसी भी रूप को अपनाने का विकल्प है।
- **कृषि वानिकी पर उप मिशन (एस.एम.ए.एफ.)**: राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के तहत वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने और विस्तार करने के उद्देश्य से कृषि वानिकी पर एक उप मिशन वर्ष 2017–18 में प्रारम्भ किया गया, जिसके अन्तर्गत गुणवत्ता रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना, विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के डेटाबेस को समर्थ बनाने के लिए भूमि की स्थिति और कृषि वानिकी के क्षेत्र में सुधार करना आता है।

राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में ₹90.05 करोड़ प्रावधान के विरुद्ध माह दिसम्बर, 2020 तक ₹9.58 करोड़ व्यय किए गए हैं।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई./राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम)

कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में निवेश में लगातार हो रही कमी को देखते हुए, केन्द्र सरकार ने वर्ष 2007–08 के दौरान कृषि क्षेत्र के लिए योजनाओं को अधिक व्यापक रूप से तैयार करने के लिए आर.के.वी.वाई. की शुरुआत की। राज्य के कृषि–जलवायु परिस्थितियों, प्राकृतिक संसाधन मुद्दों और प्रौद्योगिकी पर विचार करने के लिए एवं कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, बागवानी, डेयरी और कृषि विश्वविद्यालयों आदि के क्षेत्र में एकीकृत जिला कृषि योजना तैयार करने हेतु परियोजना आधारित सहायता प्रदान की जा रही है। केन्द्र और राज्य सरकार का वित्त पोषण पैटर्न क्रमशः 60:40 अनुपात में है। वर्ष 2020–21 में ₹319.50 करोड़ प्रावधान के विरुद्ध माह दिसम्बर, 2020 तक ₹133.31 करोड़ व्यय किए गए हैं।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)

इस योजना का नोडल विभाग उद्यानिकी विभाग है तथा कृषि एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा विभिन्न गतिविधियां क्रियान्वित की जा रही है। केन्द्रीयांश एवं राज्यांश का वित्त पोषण अनुपात 60:40 है। वर्ष 2020–21 में ₹185.00 करोड़ प्रावधान के विरुद्ध माह दिसम्बर, 2020 तक ₹28.01 करोड़ व्यय किए गए हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ, 2016–17 से प्रारम्भ की गई है। इस योजना में खाद्यान्न फसलों (अनाज, मोटा अनाज और दालें), तिलहन और वार्षिक वाणिज्यिक/वार्षिक बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। कृषक से प्रीमियम राशि के अन्तर्गत खरीफ फसल में 2 प्रतिशत, रबी में 1.5 प्रतिशत एवं वार्षिक वाणिज्यिक/वार्षिक बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत लेकर फसल का बीमा किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार मौसम खरीफ 2020 में असिंचित क्षेत्रों के लिये 30 प्रतिशत एवं सिंचित क्षेत्रों के लिये 25 प्रतिशत की अधिकतम प्रीमियम का अनुदान ही केन्द्रीयांश द्वारा वहन किया जायेगा। राज्य में प्रीमियम सब्सिडी का भुगतान और फसल कटाई प्रयोगों के संचालन हेतु राज्य वित्त पोषित योजना क्रियान्वित की जा रही है।

टिड्डी प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयास

राज्य और जिला स्तर पर टिड्डी के प्रकोप के प्रबंधन के लिए कार्य योजना तैयार की गई थी और इसके लिए अलग से सर्वेक्षण और नियंत्रण दल गठित किए गए थे। राज्य के कृषि विभाग द्वारा 120 सर्वेक्षण वाहनों का उपयोग किया गया और 45

नियंत्रण वाहनों को टिड्डी चेतावनी संगठन (एल.डब्लयू.ओ.) को उपलब्ध कराये गये। ट्रैक्टर द्वारा स्प्रेयर, ट्रैक्टर के साथ पानी के टैंकर, फायर ब्रिगेड और जरूरत के अनुसार पौधों की सुरक्षा करने वाले रसायनों का इस्तेमाल किया गया। टिड्डी प्रभावित जिलों में, राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना (आर.ए.सी.पी.) द्वारा 411 एवं उप–मिशन द्वारा कृषि तकनीकी के तहत 620 ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर्स निःशुल्क उपलब्ध कराये गये। हॉपर की निगरानी के लिए, कृषि विभाग द्वारा राजकिशन टिड्डी मोबाइल ऐप विकसित किया गया। टिड्डी चेतावनी संगठन (एल.डब्लयू.ओ.), भारत सरकार ने राज्य के अगम्य क्षेत्रों में टिड्डी को नियंत्रित करने के लिए 2 हेलीकॉप्टर और 15 ड्रोन उपलब्ध कराए और 104 वाहन योजित स्प्रेयर का भी उपयोग किया गया। टिड्डी चेतावनी संगठन ने टिड्डी को नियंत्रित करने के लिए 190 मैनपावर की मदद से 2,61,595 हेक्टेयर क्षेत्र में 2,28,717 लीटर मैलाथियान 96 प्रतिशत अल्ट्रा लो वोल्यूम (यू.एल.वी.) का उपयोग किया गया।

राज्य के कृषि विभाग ने 2,59,806 हेक्टेयर में टिड्डी सुरक्षा के लिए 70,156 किसानों को 94,565 लीटर कीटनाशी रसायन प्रदान किये गये। इसके साथ ही 498 फायर ब्रिगेड, 20,044 ट्रेक्टर माउंटेड स्प्रेयर्स और 3,950 सर्वे वाहनों का इस्तेमाल टिड्डी नियंत्रण के लिए किया गया। 5,240 प्रशिक्षणों का आयोजन कर 1,18,717 हितधारकों को टिड्डीयों की निगरानी, नियंत्रण और जागरूकता के उद्देश्य के लिए प्रशिक्षित किया गया।

वर्ष 2020–21 के दौरान कृषि विभाग के द्वारा संचालित प्रमुख गतिविधियों की भौतिक प्रगति तालिका–2.3 में दर्शाई गई है।

तालिका–2.3 वर्ष 2020–21 के दौरान प्रमुख गतिविधियों की भौतिक प्रगति

कार्यक्रम	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धियां*
पाइप लाईन	किमी.	5603	2046
फार्म पोन्ड	संख्या	12500	3107
कृषि यंत्र	संख्या	3149	2755
पौध संरक्षण यंत्र	संख्या	18534	4179
जिप्सम वितरण	मैट्रिक टन	106805	35555
फसल प्रदर्शन	संख्या	161272	114595
फसल मिनी किट वितरण	संख्या	456375	434490
समन्वित कीट प्रबन्धन प्रदर्शन	संख्या	300	222
कृषक प्रशिक्षण (1 व 2 दिवसीय)	संख्या	9483	1632
मृदा स्वास्थ्य कृषक प्रशिक्षण	संख्या	6940	764
मृदा स्वास्थ्य कार्ड / नमूनें	संख्या	6940	5710
कांटेदार तारबंदी	मीटर	647869	193000

* दिसम्बर, 2020 तक

उत्पादकता

कृषि विभाग प्रमुख फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए गम्भीर प्रयास कर रहा है। राज्य सरकार के सतत् प्रयासों एवं केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता से बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादकता के परिणामों में उल्लेखनीय वृद्वि हुई है। कृषि उत्पादकता का तुलनात्मक विवरण तालिका–2.4 में दर्शाया गया है।

तालिका–2.4 कृषि फसलों की उत्पादकता (किलोग्राम/हैक्टेयर)

फसल	1997–98 से 2001–02 (औसत)	2002–03 से 2006–07 (औसत)	2007–08 से 2011–12 (औसत)	2017–18	2018–19	2019–20 (अन्तिम)
अनाज	1189	1294	1617	2013	2134	2255
दलहन	472	407	481	620	636	709
खाद्यान्न	991	1058	1291	1470	1544	1648
तिलहन	866	1086	1144	1473	1593	1254
गन्ना	46184	51707	61432	70365	83448	73054
कपास (रूई)	337	286	428	551	552	626
ग्वार	221	277	409	369	334	452

उपरोक्त तालिका–2.4 से स्पष्ट है कि वर्ष 1997–98 से 2001–02 की औसत उत्पादकता की तुलना में वर्ष 2019–20 में अनाज की उत्पादकता में 89.66 प्रतिशत, दलहनों में 50.21 प्रतिशत, एवं तिलहनों में 44.80 प्रतिशत वृद्वि हुई है। कपास (रूई) की वर्ष 1997–98 से 2001–02 की औसत उत्पादकता 337 किलोग्राम/हैक्टेयर थी, जो कि बढ़कर वर्ष 2019–20 में 626 किलोग्राम/हैक्टेयर हो गई है, जो कि 85.76 प्रतिशत की वृद्वि दर्शाती है।

उद्यानिकी

राजस्थान में उद्यानिकी विकास की विपुल सम्भावनाएं हैं। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि प्रसंस्करण एवं अन्य गौण गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण लोगों को अतिरिक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। बजट प्रावधान वर्ष 2020–21 में राज्य आयोजना मद में स्वीकृत ₹515.27 करोड़ (केन्द्रीयांश सहित) के प्रावधान की तुलना में दिसम्बर, 2020 तक ₹172.08 करोड़ व्यय किए गए हैं। राज्य योजनान्तर्गत 18 हैक्टेयर क्षेत्र में फल बगीचों की स्थापना, 557 हैक्टेयर क्षेत्र में पौध संरक्षण उपाय एवं सब्जी के 2,361 प्रदर्शन लगाए गए हैं।

राज्य में उद्यानिकी विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं:–

राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.)

राज्य के चयनित 24 जिले क्रमशः जयपुर, अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़, जोधपुर, पाली, जालौर, बाड़मेर, नागौर, बांसवाड़ा, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बून्दी, झुन्झुनूं, सिरोही, जैसलमेर एवं श्रीगंगानगर में विभिन्न उद्यानिकी फसलों यथा– फल, मसाला एवं फूलों के क्षेत्रफल, उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि की गई है। इस योजना में बजट प्रावधान वर्ष 2020–21 में ₹90.00 करोड़ (₹54.00 करोड़ केन्द्रीय अंश तथा ₹36.00 करोड़ राज्य अंश के रूप में) के विरूद्व दिसम्बर, 2020 तक ₹34.88 करोड़ (₹20.93 करोड़ केन्द्रीयांश तथा ₹13.95 करोड़ राज्यांश के रूप में) व्यय किए गए हैं। इसी अवधि में 1,657 हैक्टेयर में फलों के बगीचे स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक 2.58 लाख वर्गमीटर क्षेत्र में ग्रीन हाऊस, 0.30 लाख वर्गमीटर क्षेत्र में शेडनेट, 3.16 लाख वर्गमीटर क्षेत्र में प्लास्टिक टनल, 1,186 हैक्टेयर क्षेत्र में प्लास्टिक मल्चिंग, 133 वर्मी कम्पोस्ट इकाई स्थापित, 776 कम लागत के प्याज भण्डारणों का निर्माण, 36 पैक हाउस एवं 54 जल संग्रहण स्त्रोतों का विकास किया जा चुका है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–सूक्ष्म सिंचाई (पी.एम.के.एस.वाई.–एम.आई.)

राज्य में जल एक सीमित एवं बहुमूल्य संसाधन है। इस दृष्टि से फसल उत्पादकता बढ़ाने एवं पानी को बचाने के लिए लघु सिंचाई पद्धति में ड्रिप एवं फव्वारा सिंचाई पद्धति, प्रभावी जल प्रबन्धन की व्यवस्था है। इसमें सभी श्रेणी के कृषकों के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार का अनुपात 60:40 है। इन पद्धतियों के समुचित उपयोग को बढावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020–21 में विभिन्न श्रेणी के कृषकों को सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है, इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त अनुदान भी दिया जा रहा है।

वर्ष 2020–21 के लिए ₹91.67 करोड़ (केन्द्रीयांश ₹55.00 करोड़ व राज्यांश ₹36.67 करोड़) का प्रावधान किया गया है। ड्रिप एवं फव्वारों द्वारा सिंचाई के लिए राज्य निधि में अतिरिक्त अनुदान के रूप में ₹15.77 करोड रखे गए है। वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक ₹77.43 करोड़ (केन्द्रीयांश ₹46.41 करोड़ एवं राज्यांश ₹31.02 करोड़) एवं अतिरिक्त सब्सिडी के ₹13.72 करोड़ व्यय किए गए हैं। दिसम्बर, 2020 तक राज्य का 13,755 हैक्टेयर क्षेत्र ड्रिप, मिनी फव्वारा संयंत्रों एवं 28,526 हैक्टेयर क्षेत्र फव्वारा सिंचाई के अन्तर्गत आता है।

सौर ऊर्जा आधारित पम्प परियोजना (प्रधानमंत्री 'कुसुम' योजना कम्पोनेंट 'बी')

वर्ष 2019–20 से भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पी.एम. कुसुम (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा–अभियान) कम्पोनेन्ट–बी स्टैण्ड अलोन सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र योजना क्रियान्वित की जा रही है। जिसमें 3 एचपी से 10 एचपी क्षमता तक के सौर ऊर्जा पम्प संयंत्रों की स्थापना के प्रावधान के साथ अधिकतम 7.5 एचपी क्षमता तक के पम्प हेतु अनुदान देय है। राज्य में वर्ष 2010–11 से वर्ष 2018–19 तक 40,224 सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापित करवाये जा चुके है जिससे लगभग 161 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है एवं लगभग 1,00,000 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जा रही है।

इस योजनान्तर्गत कुल 60 प्रतिशत (केन्द्रीयांश 30 प्रतिशत, राज्यांश 30 प्रतिशत) अनुदान देय है। वर्ष 2020–21 में इस योजनान्तर्गत राज्य मद से कुल प्रावधान ₹267.00 करोड़ के विरूद्व ₹25.53 करोड़ व्यय कर कुल 25,000 सौर ऊर्जा संयंत्रों के लक्ष्यों के विरूद्व दिसम्बर, 2020 तक 5,011 सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना हो चुकी है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में बागवानी विभाग के लिए गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा वर्ष 2020–21 में ₹97.40 करोड़ उद्यानिकी विकास परियोजनाओं के लिए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अन्तर्गत खजूर की खेती, राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन से वंचित जिलों में उद्यानिकी विकास कार्यक्रम, शहरी क्षेत्रों में वेजिटेबल क्लस्टर, झालावाड़, धौलपुर, टोंक, बूंदी, चित्तौड़गढ़ व सवाई माधोपुर एवं उदयपुर में उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना, बस्सी (जयपुर) में अनार व नान्ता (कोटा) में खट्टे फलों के उन्नत उत्पादन केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण, संरक्षित खेती का विकास आदि पर दिसम्बर, 2020 तक ₹14.69 करोड़ व्यय किए गए हैं।

फल, सब्जियों और मसालों का क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता का विवरण तालिका–2.5 में दर्शाया गया है।

तालिका–2.5 फल, सब्जियों और मसालों का क्षेत्रफल, उत्पादन, एवं उत्पादकता

वर्ष	फल			सब्जियां			मसाले		
	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	उत्पादन (मैट्रिक टन में)	उत्पादकता (किग्रा./हैक्टेयर में)	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	उत्पादन (मैट्रिक टन में)	उत्पादकता (किग्रा./हैक्टेयर में)	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	उत्पादन (मैट्रिक टन में)	उत्पादकता (किग्रा./हैक्टेयर में)
2002-03 से 2006-07 (औसत)	24503	297563	12144	115388	606632	5257	453719	416021	917
2007-08 से 2011-12 (औसत)	31936	473238	14818	145183	890147	6131	668692	653742	978
2012-13 से 2016-17 (औसत)	41726	712658	16987	160320	1450711	8870	891384	916568	1006
2017-18	54207	736350	13584	166234	1699584	10224	902650	1392301	1542
2018-19	57933	956430	16509	166175	1663007	10008	916848	1096838	1196
2019-20	62328	997948	16011	178961	1885210	10534	1013343	1097801	1083

कृषि विपणन

राज्य के कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने हेतु अच्छी विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने तथा राज्य में मण्डी नियामक एवं प्रबन्धन को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु कृषि विपणन निदेशालय कार्यरत है।

''राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना'' के अन्तर्गत कृषकों, खेतिहर मज़दूरों एवं हम्मालों आदि को कार्य स्थल पर कृषि विपणन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायी गई है। वर्ष 2020–21 में 1,345 किसानों को दिसम्बर, 2020 तक ₹19.94 करोड़ से लाभान्वित किया गया है। राज्य में 'सुपर', 'अ' एवं 'ब' श्रेणी की कृषि उपज मण्डी समितियों (फल और सब्जी मंडियों के यार्डों के अतिरिक्त) के प्रांगण में अपनी उपज विक्रय करने हेतु आने वाले कृषकों को अनुदानित दर पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ''किसान कलेवा योजना'' प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में 18.28 लाख कृषकों एवं मज़दूरों को मण्डी प्रांगण में अनुदानित दरों पर भोजन उपलब्ध कराया जाकर दिसम्बर, 2020 तक ₹4.67 करोड़ की सहायता राशि दी गयी है।

राज्य में **''महात्मा ज्योतिबा फूले मण्डी श्रमिक कल्याण योजना–2015''** लागू की गयी है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:–

- **प्रसूति सहायता:** महिला अनुज्ञप्तिधारी श्रमिकों को अधिकतम दो प्रसूतियों के लिए राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक के रूप में निधारित प्रचलित मजदूरी दर के अनुसार 45 दिवस की मजदूरी के समतुल्य सहायता राशि का भुगतान किया जाता है। पितृत्व अवकाश के रूप में शिशु के पिता को राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक के रूप में निर्धारित प्रचलित मजदूरी दर के अनुसार 15 दिन की मजदूरी के समतुल्य राशि का भुगतान किया जा रहा है। वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर, 2020 तक 46 महिला श्रमिकों को ₹1.87 लाख से लाभान्वित किया गया है।
- **विवाह के लिये सहायता:** अनुज्ञप्तिधारी महिलाओं की पुत्रियों के विवाह के लिए ₹50,000 की सहायता राशि देय होगी। यह सहायता अधिकतम दो पुत्रियों के लिये ही देय होगी। वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर, 2020 तक 250 अनुज्ञप्तिधारी महिला श्रमिकों को ₹126.80 लाख से लाभान्वित किया गया है।
- **छात्रवृत्ति/मेधावी छात्र पुरस्कार योजना:** मण्डी में ऐसे अनुज्ञप्तिधारी श्रमिक, जिसके पुत्र/पुत्री, जो 60 प्रतिशत एवं उससे अधिक अंक प्राप्त करता है, को इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति दी जाएगी। वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर, 2020 तक 106 छात्र/छात्राओं को ₹3.62 लाख से लाभान्वित किया गया है।
- **चिकित्सा सहायता:** अनुज्ञप्तिधारी हम्माल को गम्भीर बीमारी (केन्सर, हार्ट अटैक, लीवर, किडनी आदि) होने की दशा में सरकारी अस्पताल या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी भी अस्पताल में भर्ती रहने पर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति अधिकतम ₹20,000 की राशि स्वीकृत की जाएगी। वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर, 2020 तक 1 मण्डी श्रमिक को इस योजना में ₹20,000 से लाभान्वित किया गया है।
- **पितृत्व अवकाश:** पुरूष अनुज्ञप्तिधारी श्रमिक को दो प्रसुतियों के लिए राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक के रूप में निर्धारित प्रचलित मजदूरी दर के अनुसार 15 दिवस की मजदूरी के समतुल्य राशि का पितृत्व अवकाश के रूप में सहायता राशि का भुगतान किया जाता है। इस योजना में वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर, 2020 तक 29 पुरूष श्रमिकों को ₹0.88 लाख से लाभान्वित किया गया है।

वर्ष 2020–21 के अन्तर्गत इन योजनाओं में माह दिसम्बर, 2020 तक 432 मण्डी श्रमिकों को ₹133.37 लाख से लाभान्वित किया गया है।

कृषि विपणन बोर्ड

राज्य में एक व्यापक नीति ''राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति–2019'' दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 से प्रारम्भ की गयी है।

इस नीति की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार है:–

- समूह आधारित कार्य प्रणाली द्वारा फसल कटाई के बाद की हानियों को कम करना।
- कृषकों एवं उनके संगठनों की सहभागिता बढाना।
- कृषकों एवं उनके संगठनों की आपूर्ति एवं मूल्य संवर्धन श्रृंखला में प्रत्यक्ष भागीदारी बढ़ाते हुए उनकी आय मे वृद्धि के उपाय करना।
- राज्य की उत्पादन बहुलता वाली विशिष्ठ फसलों जैसे–जीरा, धनिया, सौंफ, अजवाइन, ग्वार, ईसबगोल, दलहन, तिलहन, मेहंदी, किन्नू, सेन्ना, अनार एवं ताजा सब्जियों आदि के मूल्य संवर्धन तथा निर्यात को प्रोत्साहन देना।
- खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के द्वारा कौशल विकास कर रोजगार का सृजन करना।

वित्तीय प्रावधान:

- किसानों और उनके संगठन के लिए कृषि–प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास के लिए पूंजीगत अनुदान के रूप में

परियोजना लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम ₹100 लाख, कृषकों को और अन्य सभी पात्र उद्यमियों के लिए परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम ₹50 लाख का प्रावधान है।

- भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं फूड पार्क, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर और प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र, ग्रामीण क्षेत्रों में फलों और सब्जियों के संग्रह केंद्र हेतु पूंजी निवेश परियोजना लागत का 10 प्रतिशत के अतिरिक्त टॉप अप अनुदान के रूप में एवं अन्य सभी उद्यमियों के लिए अधिकतम 50 लाख तक देय है।
- परिचालन लागत को कम करने के लिए टर्म लोन पर 5 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।
- जनजाति उप–योजना क्षेत्र या पिछड़े जिलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति किसानों और उनके संगठनों के 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली इकाइयाँ या महिला उद्यमी और युवा उद्यमी, जिनकी आयु 35 वर्ष से कम हो को एक प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी देय है।
- किसानों और उनके संगठनों तथा ढ़ाचागत परियोजनाओं के लिए ब्याज सब्सिडी की अधिकतम सीमा ₹100 लाख है एवं अन्य सभी परियोजनाओं के लिए ₹50 लाख है।
- राज्य के फल, सब्जियों और फूलों को अन्य राज्यों के बाजारों में ले जाने के लिए 300 किमी. से अधिक परिवहन के लिए तीन साल की अवधि तक प्रतिवर्ष ₹15 लाख तक का अनुदान का प्रावधान है।
- भोजन, सब्जियां, फूल, मसाले संसाधित कृषि उत्पाद और असंसाधित उत्पाद के निर्यात के किराए में तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रति वर्ष अधिकतम ₹10 से ₹15 लाख का अनुदान देय है।
- जैविक उत्पादों की गुणवत्ता उत्पादन और निर्यात बाजारों का उपयोग करने के लिए, 5 साल की दीर्घावधि हेतु अधिकतम ₹20 लाख प्रतिवर्ष के परिवहन अनुदान का प्रावधान किया गया है।
- 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिवर्ष ₹2.00 लाख की अधिकतम सीमा के साथ ₹1 किलोवाट प्रति घण्टा की दर से बिजली दर अनुदान तथा ₹10 लाख की अधिकतम सीमा के साथ सौर ऊर्जा संयंत्र पर लागत का 30 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है।

कृषक कल्याण कोष का गठन

''किसानों को व्यापार व खेती करने में आसानी के लिए प्रमुख पहल करते हुए ₹1,000 करोड़ की राशि से दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 को 'कृषक कल्याण कोष' का गठन किया गया है। इस कोष के लिए बैंकों से कुल ₹2,000 करोड़ का ऋण लिया गया है। इस राशि का उपयोग कृषि उपज के उचित मूल्यों के लिए और सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ किसान कल्याण से जुड़ी किसी भी अन्य गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा।

वर्ष 2020–21 में मण्डी यार्डों, उप यार्डों एवं सड़क निर्माण कार्यों पर ₹213.57 करोड़ व्यय किए गए हैं। कृषि उपज मण्डी समितियों में दिसम्बर, 2020 तक 37.58 किमी. सड़कों का निर्माण किया गया है।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना (पी.एम.–एफ.एम.ई.)

पी.एम.–एफ.एम.ई. योजना को भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा देश में असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के उन्नयन के लिए शुरू किया गया है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को राज्य में इस योजना को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

योजनाओं के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार हैं–

- मौजूदा सूक्ष्म प्रसंस्करण उद्यमियों, एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों और सहकारी समितियों द्वारा ऋण की पहुंच में वृद्धि।
- ब्रांडिंग और विपणन को मजबूत करके संगठित आपूर्ति श्रृंखला के साथ एकीकरण।
- मौजूदा 2 लाख उद्यमों को औपचारिक ढ़ांचे में लाने हेतु सहायता।
- आम प्रसंस्करण सुविधा, प्रयोगशालाओं और भंडारण, पैकेजिंग, विपणन और इन्युवेशन सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना।
- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में संस्थानों, अनुसंधान और प्रशिक्षण को मजबूत बनाना।
- उद्यमों के वृद्धि हेतु पेशेवर और तकनीकी सहायता।

जल संसाधन

राज्य की अर्थव्यवस्था में जल संसाधन विभाग का वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से राज्य के अल्प जल संसाधनों के दोहन, उपयोग एवं प्रबंधन का महत्वपूर्ण योगदान है। विभाग के सतत प्रयासों से वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कर कुल 42.91 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई गयी है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक 9,504 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधाओं का सृजन किया गया है।

कृषि सिंचित प्रबन्धन के अतिरिक्त महत्वपूर्ण सिंचाई

परियोजनाओं के निर्माण कार्य सम्पादित किए गए। सिंचाई परियोजनाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2020–21 (इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अलावा) में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण, जल दक्षता सुधार और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की नई योजनाओं को लागू करने के लिए ₹3,192.89 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, जिसमे से दिसम्बर, 2020 तक ₹1160.02 करोड़ व्यय किये जा चुके है। परवन परियोजना, धोलपुर लिफ्ट परियोजना एवं नर्मदा नहर परियोजना के बजट प्रावधान क्रमशः ₹866.00 करोड़, ₹325.00 करोड़ एवं ₹166.81 करोड़ के विरूद्ध दिसम्बर, 2020 तक क्रमशः ₹446.00 करोड़, ₹41.42 करोड़, ₹22.86 करोड़ व्यय किए जा चुके हैं।

वर्ष 2020–21 में 7 वृहद् (नर्मदा नहर परियोजना, परवन, धौलपुर लिफ्ट, राजस्थान के मरू क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना (आर.डबल्यू.एस.आर.पी.डी.) एवं नवनेरा बांध (ई. आर.सी.पी.), ऊपरी उच्च स्तरीय नहर एवं पीपलखूंट, 6 मध्यम परियोजनाएं (गरड़दा, ताकली, गागरिन, ल्हासी, राजगढ़ एवं हथियादेह) तथा 46 लघु सिंचाई परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है।

'परवन' वृहद बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना झालावाड़ के निकट परवन नदी पर निर्माणाधीन है। राज्य सरकार द्वारा परवन परियोजना की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि ₹7,355.23 करोड़ की जारी की गई। परियोजना के अर्न्तगत 1,821 गांवों में पेयजल उपलब्ध करवाने के साथ–साथ झालावाड़, बारां एवं कोटा जिले के 637 गांवों की 2,01,400 हैक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह परियोजना तापीय विद्युत परियोजना हेतु 79 मिलियन घनमीटर जल उपलब्ध करवाएगी, जिससे कुल 2,970 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा सकेगा। परियोजना पर वित्तीय वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक ₹446.00 करोड व्यय किये जा चुके हैं। परियोजना को वर्ष 2023 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

नर्मदा नहर परियोजनाः भारत में पहली बडी सिंचाई परियोजना है जिसमें जालौर एवं बाडमेर जिलों के 2.46 लाख हैक्टेयर के पूरे कमांड क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अनिवार्य की गयी है। इस परियोजना की संशोधित लागत ₹3,124.00 करोड़ है, दिसम्बर, 2020 तक 2.46 लाख हैक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गयी है। इस परियोजना पर वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक ₹22.86 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं तथा अब तक ₹3087.40 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं।

नवनेरा बैराज (ई.आर.सी.पी.): यह परियोजना पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ई.आर.सी.पी.) का एक अभिन्न हिस्सा होगी। नवनेरा बैराज परियोजना की लागत ₹1,595.06 करोड़ है, परियोजना का कार्य प्रगतिरत है। इस परियोजना पर वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक ₹100.34 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं तथा अब तक कुल ₹167.68 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं। यह परियोजना 2023 तक पूरी होने की सम्भावना है।

राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (आर.डबल्यू.एस.एल.आई.पी.)

27 जिलों में 137 सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्वास और नवीनीकरण के लिए राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना को जापान इन्टरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी (जाइका) से ऋण सहायता प्राप्त करने के लिए मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के तहत कुल सिंचित क्षेत्र 4.70 लाख हैक्टेयर को जल दक्षता में वृद्धि से लाभ होगा। परियोजना की अवधि 8 वर्ष होगी। परियोजना की अनुमानित लागत ₹2,348.87 करोड़ (35,468 मिलियन येन) है।

प्रस्तावित 137 सिंचाई परियोजनाओं में भाखड़ा नहर प्रणाली, गुड़गांव नहर प्रणाली सहित 27 जिलों (यथा– अजमेर, अलवर, सीकर, झुन्झुनू, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, बारां, झालावाड़, बूंदी, कोटा, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, राजसमन्द, पाली, जालोर, सिरोही, दौसा, जयपुर, हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर) की मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाएं सम्मिलित हैं। प्रथम चरण के अन्तर्गत राज्य के 21 जिले –अजमेर, अलवर, सीकर, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, बारां, झालावाड, बूंदी, कोटा ,उदयपुर, प्रतापगढ, चित्तौडगढ, डूंगरपुर, भीलवाडा, पाली, हनुमानगढ एवं श्रीगंगानगर के 2.62 लाख हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र की 65 लघु तथा मध्यम सिचाई परियोजनाओं का जीर्णोद्वार किया जा रहा है।

65 उप–परियोजनाओं में से 7 उप–परियोजनाओं के 43,000 हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र में ₹101.20 करोड़ के जीर्णोद्वार कार्य पूर्ण हो चुके हैं ₹442.82 करोड़ की उप–योजनाओं का जीर्णोद्वार कार्य प्रगति पर है, जिसमें से वित्तीय वर्ष 2020–21 में 21 उप–परियोजनाओं की ₹120.67 करोड़ के कार्यादेश जारी किये गये हैं तथा दिसम्बर, 2020 तक ₹63.44 करोड़ व्यय किए जा चुके है। इस परियोजना पर अब तक कुल ₹383.82 करोड़ व्यय किये जा चुके है।

राजस्थान के मरू क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना (आर.डबल्यू.एस.आर.पी.डी.)

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण के पुनर्गठन के लिए न्यू डवलपमेंट बैंक द्वारा इस परियोजना को वित्त पोषित किया गया है। इसका लाभ श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू,

नागौर, बीकानेर, झुन्झूनू, सीकर जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों को मिलेगा। इस परियोजना की कुल लागत ₹3,291.63 करोड़ एवं समयावधि 5 वर्ष है। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:–

- इन्दिरा गांधी फीडर आर.डी 496 से 671 (53 किमी.) तथा इन्दिरा गांधी मुख्य नहर आर.डी. 0 से 200 (61 किमी.), कुल 114 किमी. लम्बाई के जीर्णोद्धार कार्य।
- इन्दिरा गांधी मुख्य नहर के प्रथम चरण के अन्तर्गत वितरण प्रणाली के (1,705 किमी.) जीर्णोद्धार का कार्य।
- 22,851 हैक्टेयर जल भराव वाले क्षेत्र में सेम की समस्या से निजात मिलेगी।
- जल उपयोगिता संघों की क्षमता वर्द्धन, सिंचित क्षेत्र विकास गतिविधियों में सूक्ष्म सिंचाई, कृषि विविधीकरण आदि सम्मिलित हैं।

वर्ष 2020 में 43.43 कि.मी. में इंन्दिरा गांधी फीडर एवं मुख्य नहर रिलाईनिंग का कार्य प्रस्तावित था जो कि कोविड–19 महामारी के चलते स्थगित करना पड़ा। परियोजना के अंतर्गत अक्टूबर, 2020 तक 777 किमी. लम्बाई की वितरिकाओं का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं इंदिरा गांधी नहर के प्रथम चरण में वितरिकाओं के 928 किमी. लम्बाई में जीर्णोद्धार कार्य करवाया जाएगा। आगामी 3 वर्षों में 49.83 किमी. इंदिरा गांधी फीडर तथा 66.85 किमी. मुख्य नहर का जीर्णोद्धार कार्य क्रमशः वर्ष 2021 एवं 2022 में करवाया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2020–21 में इस परियोजना हेतु ₹314.44 करोड़ का बजट आवंटित है। जिसके विरूद्ध माह दिसम्बर, 2020 तक ₹145.12 करोड़ व्यय किये जा चुके है। इस परियोजना पर कुल ₹727.19 करोड़ का व्यय किया जा चुके हैं।

राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना

यह परियोजना जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार (विश्व बैंक परियोजना) द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना की कुल लागत ₹128.00 करोड (भारत सरकार से 100 प्रतिशत अनुदान) और समयावधि 8 वर्ष (2016–17 से 2023–24) है। राज्य भर में 147 स्वचालित वर्षामापी व 112 स्वचालित नदी/बांध गेज संयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं। इन उपकरणों की मदद से सैटेलाइट से निरन्तर और सटीक डेटा प्राप्त करने के बाद, ऑनलाइन डेटा जनता के लिए उपलब्ध होगा। इस ऑनलाइन जानकारी की मदद से जल प्रबन्धन में सुधार हो रहा है।

पारदर्शी जल प्रबंधन हेतु बांधों और नहर प्रणाली के लिए राज्य में सर्वप्रथम बीसलपुर बांध पर स्कॉडा (सुपरवाइजरी कंट्रोल एण्ड डेटा एक्जिविशन) प्रणाली को स्थापित किया जा चुका है। इसी क्रम में गुढा बांध (बून्दी) एवं जवाई बांध (पाली), नर्मदा नहर परियोजना, सांचोर (जालोर), गंग नहर तथा भांखडा नहर (श्रीगंगानगर) एवं हनुमानगढ की नहरों पर पारदर्शी जल प्रबंधन हेतु स्कॉडा सिस्टम स्थापित करने हेतु कार्यादेश जारी कर दिये गये हैं।

राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक ₹289.00 लाख व्यय किये जा चुके है। अब तक कुल ₹893.00 लाख व्यय किये जा चुके हैं।

इन्दिरा गांधी फीडर (पंजाब का भाग) और सरहिन्द फीडर

इन्दिरा गांधी फीडर की री–लाइनिंग के लिए 23 जनवरी, 2019 को भारत सरकार और पंजाब सरकार के साथ एक अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। परियोजना की कुल लागत ₹1,976.00 करोड़ है। पंजाब सरकार ने नवम्बर से दिसम्बर, 2019 में क्लोजर लेकर सरहिंद फीडर की 16.67 किमी. में कार्य पूर्ण कर दिया है। सरहिंद फीडर की लगभग 10 किमी. और इंदिरा गांधी फीडर की लगभग 30 किमी. लम्बाई में मार्च–अप्रैल–जून, 2020 में रिलाइनिंग कार्य प्रस्तावित था परन्तु कोविड–19 महामारी के कारण यह कार्य निष्पादित नहीं हो पाया।

वर्ष 2020–21 में पंजाब सरकार ने सरहिन्द फीडर में लगभग 39 किमी एवं इन्दिरा गांधी फीडर में लगभग 54 किमी. लंबाई में कार्य की योजना प्रस्तावित की है। राज्य की हिस्सा लागत के विरूद्ध पंजाब सरकार को दिसम्बर, 2020 तक ₹118.83 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।

बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डी.आर.आई.पी.)

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट 2020–21 में राज्य के बडे बांधों के जीर्णोद्वार, आधुनिकीकरण एवं सुरक्षा प्रबंधन हेतु ₹965.00 करोड़ की योजना आरम्भ करने की घोषणा की है। योजना के प्रथम चरण में 7 बांधों बीसलपुर बांध, छापी बांध (झालावाड़), जवाई बांध, सूकली सेलवाडा बांध (सिरोही), माही बांध, गंभीरी बांध (चित्तौडगढ़) तथा मातृकुण्डियां बांध (भीलवाडा) की ₹151.00 करोड़ की निविदाएं आमंत्रित कर ली गई हैं। 6 बांधों राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, रायपुर लूनी बांध (पाली), छापरवाड़ा बांध (जयपुर) एवं पांचना बांध (करौली) की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट (डी.पी.आर.) केन्द्रीय जल आयोग को अनुमोदन हेतु प्रेषित की जा चुकी है। जिसमें से 4 बांध राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज तथा पांचना बांध की डीपीआर विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित की जा चुकी हैं। समयबद्ध प्रयासों द्वारा ड्रिप परियोजना में शामिल 18 राज्यों में राजस्थान प्रथम स्थान पर है।

नवाचार के अंतर्गत किये जा रहे प्रयास तथा प्राप्त सम्मान/अवार्ड

- राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2018 में राज्य को प्राप्त 18 वां स्थान के विरूद्व वर्ष 2020 में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ हैं।
- दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के अंतर्गत उत्तम राज्य (सामान्य राज्य) की श्रेणी में राजस्थान को सम्मानित किया गया है।
- भारत सरकार के सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एण्ड पावर (सी.बी.आई.पी.) द्वारा वर्ष 2020 में राज्य को जल प्रबन्धन के क्षेत्र में दो श्रेणीयों में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है।

उपनिवेशन

उपनिवेशन विभाग का मुख्य कार्य इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र मे भूमि आवंटन करना है। उपनिवेशन विभाग द्वारा आरम्भ से दिसम्बर, 2020 तक 14.60 लाख हैक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया है। उपनिवेशन विभाग द्वारा वर्ष 2020–21 में ₹66.60 करोड़ के लक्ष्य के विरूद्व दिसम्बर, 2020 तक ₹25.74 करोड़ की राजस्व वसूली की गई। कोविड –19 के कारण राजस्व वसूली धीमी है, लेकिन उम्मीद है कि स्थिति सामान्य होने पर लक्ष्य हासिल किया जाएगा।

सिंचित क्षेत्र विकास

सिंचित क्षेत्र विकास एवं भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय के जल प्रबन्धन (सी.ए.डी.डबल्यू.एम.) कार्यक्रम के अन्तर्गत सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना, अमर सिंह उप शाखा परियोजना एवं गंग नहर प्रथम एवं द्वितीय चरण, भाखड़ा नहर परियोजना प्रथम चरण, बीसलपुर और चम्बल परियोजना क्षेत्र में भूमि विकास कार्यों के अन्तर्गत पक्के खालों का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। भारत सरकार ने दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से गंग नहर परियोजना द्वितीय के अतिरिक्त, इसकी अन्य परियोजनाओं में वित्तीय सहायता रोक दी है। भारत सरकार ने गंग नहर परियोजना द्वितीय में गंग नहर परियोजना के 73,100 हेक्टेयर कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र को विलय करने की मंजूरी 31 दिसंबर, 2019 को जारी की गई है जिसकी लागत ₹146.74 करोड़ से संशोधित कर ₹353.40 करोड़ कर दी है। जबकि वर्ष 2020–21 के अन्तर्गत इन परियोजनाओं में 9,857 हैक्टेयर क्षेत्र में दिसम्बर, 2020 तक ₹41.30 करोड़ व्यय कर पक्के खालों का निर्माण पूर्ण करवाया जा चुका है।

चम्बल नहर प्रणाली के पुनर्विकास परियोजना का कार्य, नाबार्ड द्वारा वित्तीय सहायता के साथ उपरोक्त कार्यों में वर्ष 2020–21 के अन्तर्गत दिसम्बर, 2020 तक ₹16.40 करोड़ व्यय कर 42 किमी. लम्बाई की नहरों का निर्माण किया गया है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत भारत सरकार की नई ''इन्सेन्टिवाइजेशन स्कीम फोर ब्रिडिजिंग इरिगेशन गेप'' (आई.एस.बी.आई.जी.) योजना में वर्तमान में चल रही 7 परियोजनाओं की 6,83,656 हैक्टेयर कल्चरेबल कमाण्ड एरिया (सी.सी.ए.) हेतु राशि ₹4,423.74 करोड़ तथा 3,05,862 हैक्टेयर सी.सी.ए. के 8 नई परियोजनाओं हेतु ₹1,760.28 करोड की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट (डी.पी.आर.) स्वीकृति के लिए भारत सरकार को प्रेषित की गई है।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (आई.जी.एन.पी.)

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना को पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। यह परियोजना प्रकृति की विषमताओं से मनुष्य के साहसपूर्ण संघर्ष का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस अत्यन्त महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य पश्चिमी राजस्थान की सदियों से प्यासी मरूभूमि को दूरस्थ हिमालय के जल से सिंचित करना है। इस परियोजना के उद्देश्यों में सूखा प्रभावित, पर्यावरण और वन सुधार, रोजगार सृजन, पुनर्वास भी सम्मिलित हैं। पानी की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2005 से राज्य सरकार द्वारा 16.17 लाख हैक्टेयर (प्रथम चरण में 5.46 लाख हेक्टेयर और द्वितीय चरण में 10.71 लाख हेक्टेयर) सिंचित क्षेत्र में प्राथमिकता से नहर निर्माण कार्य पूर्ण करने का निर्णय लिया गया है। यह लक्ष्य नहर निर्माण कार्यों को पूरा करने के बाद हासिल किया गया है।

इन्दिरा गांधी नहर द्वितीय चरण के निरन्तर उपयोग एवं नहरों के क्षतिग्रस्त होने के कारण अत्यधिक जल का ह्रास हो रहा है। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में नहर प्रणालियों के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण की दो परियोजनायें– बीकानेर व जैसलमेर संभाग प्रत्येक में एक–एक इस वर्ष नाबार्ड से वित्त पोषण के तहत शुरू की गई हैं। बीकानेर संभाग की परियोजना दातौर, नांचना, अवाई, सांकड़िया प्रणाली व मुख्य नहर की सीधी नहरों का आधुनिकीकरण और पुनरूद्वार की लागत ₹121.00 करोड़ और जैसलमेर संभाग की परियोजना ''शहीद बीरबल शाखा'' का आधुनिकीकरण और पुनरूद्वार की लागत ₹58.42 करोड़ है।

वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर, 2020 तक निर्माण एवं रखरखाव के अन्य कार्यो के अंतर्गत 5.14 कि.मी. लक्ष्य के विरूद्व 3.70 कि.मी. रामगढ खुली नहर का निर्माण किया गया हैं तथा नहरों में अन्तिम छोर तक पानी पहुंचाने के लिये

डिसिल्ट सफाई के तहत् 1,782.62 हजार घनमीटर मिट्टी का कार्य किया गया है।

जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार की भागीदारी में आयोजित एल्टस वाटर इनोवेशन अवार्ड के लिए इन्दिरा गांधी नहर मण्डल को अग्रणी स्टेट वाटर बोर्ड की श्रेणी के लिए माह अगस्त, 2020 में पुरस्कार दिया गया है।

वर्ष 2020–21 मे प्रेशर सिंचाई कार्यो हेतु ₹75.00 करोड़ एवं अन्य मदों में ₹0.15 करोड़ के अतिरिक्त आंवटन सहित कुल ₹325.42 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। जिसमें कंवरसेन लिफ्ट योजना हेतु ₹1.35 करोड़ तथा ₹324.07 करोड़ द्वितीय चरण की नहरों के संचालन, नये आवश्यक कार्यों तथा उनके रखरखाव हेतु आवंटित किए गए है। इसमें नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण परियोजना हेतु नाबार्ड ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास कोष XXV (आर. आई.डी.एफ.)के अन्तर्गत ₹15.25 करोड़ भी सम्मिलित है। माह दिसम्बर, 2020 तक कुल ₹149.21 करोड़ व्यय किए गए हैं।

भू–जल

राज्य के भू–जल संसाधनों के विकास एवं प्रबन्धन हेतु भू–जल विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। राजस्थान में, जहाँ अकाल की स्थिति बनी रहती है, ऐसे में जल की कमी की समस्या के समाधान हेतु काफी हद तक भू–जल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सतत् एवं सफल प्रयासों से राज्य के रेगिस्तानी व पहाड़ी जिलों में सिंचाई के लिए अतिरिक्त भूमिगत जल जुटाने के साथ स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता बढ़ी है। भू–जल विभाग मुख्यतः निम्नलिखित गतिविधियां संचालित करता है:–

- सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों व पीजोमीटर की संरचना का निर्माण एवं जल संसाधनों की खोज, मूल्यांकन एवं विकास करना।
- पेयजल एवं अन्य उद्देश्य हेतु नलकूपों व हैण्डपम्पों का निर्माण करवाना।
- सरकार की व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं के अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभ देने हेतु कुँओं को विस्फोटन द्वारा गहरा कर लाभान्वित करना।

वर्ष 2020–21 में किसानों के लिए 126 नलकूप, 185 हैण्डपम्प एवं 4 पिजोमीटर को स्थापित किया गया तथा 194 पुराने नलकूपों की मरम्मत कर चालू किया गया है। इसके अतिरिक्त सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्यक्रम के अन्तर्गत 16,178 कुँओं का सर्वेक्षण, 12,982 जल नमूनों का एकत्रीकरण, 7,335 जल नमूनों के रासायनिक विश्लेषण एवं 244 स्थानों पर भू–भौतिकीय सर्वेक्षण कार्य दिसम्बर, 2020 तक पूर्ण हो चुके हैं।

फसल उत्पादन के पूर्वानुमान के लिए मौसमी उपज आंकड़ो का उपयोग करके और भू–जल स्थितियों की जानकारी प्रदान करके सूखा प्रबन्धन के लिए तकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना विश्व बैंक व केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है। इस योजना हेतु नोडल विभाग जल संसाधन विभाग, राजस्थान है एवं भू–जल विभाग इसमें सहयोगी विभाग है।

इस योजना के अन्तर्गत 150 पिजोमीटर, 150 टेलीमैट्रिक डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर (टी.डी.डबल्यू.एल.आर.) स्थापित करने का प्रावधान रखा गया है। जिसमें से 76 टेलीमैट्रिक डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर (टी.डी.डबल्यू.एल. आर.) पिजोमीटर पर दिसम्बर, 2020 तक स्थापित किए जा चुके हैं। इस योजना में रसायन प्रयोगशालाओं हेतु उपकरण खरीदने का प्रावधान रखा गया है तथा केन्द्र द्वारा वित्त पोषित ₹899.10 लाख इस योजना पर व्यय किए गए है।

अटल भू–जल योजना

अटल भू–जल योजना भारत सरकार एंव विश्व बैंक के सहयोग से (50:50 प्रतिशत) देश के सात राज्यों क्रमशः हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट, राजस्थान, उतरप्रदेश एंव मध्यप्रदेश राज्यों में भू–जल के गिरते स्तर को रोकने, भू–जल के बेहतर प्रबन्धन हेतु 1 अप्रेल 2020 से लागू की गई है। यह योजना पांच वर्षो 2020–21 से वर्ष 2024–25 तक के लिये है। इस योजना की अनुमानित लागत रुपये ₹6,000 करोड़ है जिसमें से 3,000 करोड़ विश्व बैंक का हिस्सा एंव ₹3000 करोड भारत सरकार का हिस्सा है। जिसमें से राजस्थान राज्य हेतु 5 वर्षो के लिये कुल बजट ₹1,189.65 करोड़ स्वीकृत है।

इस योजना के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के 17 जिलों की 38 पंचायत समिति के 1,144 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया है। चिन्हित 1,144 ग्राम पंचायत स्तर पर जल सुरक्षा प्लान बनाया जाना प्रस्तावित है।

जलग्रहण विकास

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 342.87 लाख हैक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.40 प्रतिशत है। राज्य के क्षेत्रफल में से 101 लाख हैक्टेयर भूमि बंजर है, जबकि राज्य में कुल स्त्रोतों से उपलब्ध जल की मात्रा 1.16 प्रतिशत ही है। इसके अतिरिक्त वर्षा के कम दिन, वर्षा की तीव्रता एवं वर्षा पद्वति में हुए परिवर्तन के कारण राज्य में भू–जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है साथ ही उपजाऊ भूमि भी बंजर भूमि में परिवर्तित हो रही है।

इस भीषण समस्या के समाधान हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य में वर्षा जल के अधिकतम संग्रहण, संरक्षण एवं उपलब्ध जल का न्यायोचित उपयोग करने के परिप्रेक्ष्य में "राजीव गांधी जल संचय योजना" प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है।

"राजीव गाँधी जल संचय योजना" के अन्तर्गत राज्य में संचालित विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य की योजनाओं में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का प्रभावी कनवर्जेन्स, विभिन्न लाईन विभागों के समन्वय, कॉर्पोरेट जगत, धार्मिक ट्रस्टों एवं सामाजिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों एवं जनसहयोग एवं राज्य सरकार द्वारा पृथक से बजट उपलब्ध करवाकर कर जल संरक्षण एवं जल भराव संरचनाओं की गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है।

राजीव गांधी जल संचय योजना के प्रथम चरण का सूत्रपात दिनांक 20 अगस्त, 2019 को राज्य के 33 जिलों के सभी 295 ब्लॉकों के लगभग 4,000 गावों में किया गया है, जिसकी कार्य अवधि 2 वर्ष निर्धारित की गई है। प्रथम चरण के अन्तर्गत लगभग 1.88 लाख कार्य चिन्हित किये गए हैं, जिनकी लागत लगभग ₹2,250 करोड़ है। दिसम्बर, 2020 तक 23,146 कार्य शुरू किए गए एवं 19,036 कार्य पूर्ण किए जा चुके है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड कम्पोनेंट) इस योजना में केन्द्रीयांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 निर्धारित किया गया है। राज्य को दिसम्बर, 2020 तक कुल ₹4,161.87 करोड़ केन्द्रीयांश एवं राज्यांश के हिस्से के रूप में प्राप्त हुए हैं, जो कुल स्वीकृत राशि का लगभग 53.29 प्रतिशत है। इस योजना पर ₹4,030.52 करोड़ व्यय कर कुल 33.41 लाख हैक्टेयर क्षेत्र उपचारित किया गया।

राज्य भण्डारण व्यवस्था

राजस्थान राज्य भण्डार निगम (आर.एस.डबल्यू.सी.) का मुख्य कार्य किसानों, सहकारी समितियों, व्यापारियों, सरकार एवं अन्य संस्थाओं के कृषि उत्पादों, रासायनिक उर्वरक, बीज, खाद, कृषि यंत्र एवं अन्य निर्दिष्ट वस्तुओं के वैज्ञानिक पद्धति से भण्डारण हेतु राज्य में गोदामों एवं भण्डार गृहों का निर्माण करना है। निगम की अधिकृत अंश पूंजी ₹800 लाख तथा प्रदत्त अंश पूंजी ₹785.26 लाख है।

निगम राज्य के 31 जिलों में कुल औसत भण्डारण क्षमता 16.20 लाख मैट्रिक टन के साथ 93 भण्डार गृह संचालित कर रहा है (जिसमें 11.31 लाख मैट्रिक टन निगम की स्वनिर्मित क्षमता भी सम्मिलित है), जिनकी वर्ष 2020–21 के दौरान माह दिसम्बर, 2020 तक औसत उपयोगिता भण्डारण क्षमता 15.46 लाख मैट्रिक टन रही है, जो कि भण्डारण क्षमता की कुल औसत उपयोगिता भण्डारण का 95.43 प्रतिशत है। निगम द्वारा भण्डारण शुल्क में अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को 70 प्रतिशत, अन्य कृषकों को 60 प्रतिशत एवं सहकारी समितियों को 10 प्रतिशत छूट प्रदान की जा रही है, जो कि केन्द्र और अन्य राज्यों के भण्डारण निगमों की तुलना में सर्वाधिक है। वर्ष 2020–21 के दौरान निगम द्वारा 1,800 मैट्रिक टन भण्डारण क्षमता का निर्माण कार्य किया गया एवं दिसम्बर, 2020 तक 4.52 लाख मैट्रिक टन भण्डारण क्षमता निर्माणाधीन है। राजस्थान राज्य भण्डारण व्यवस्था निगम की उपलब्धियां तालिका–2.6 में दर्शाई गई है।

तालिका–2.6 राजस्थान राज्य भण्डारण व्यवस्था निगम की उपलब्धियां

क्र.सं.	मद	उपलब्धियां				
		2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21*
1.	औसत भण्डारण क्षमता (लाख मैट्रिक टन)	11.03	11.93	14.84	14.69	16.20
2.	औसत उपयोगिता (लाख मैट्रिक टन)	9.17	10.47	15.36	14.63	15.46
3.	औसत उपयोगिता प्रतिशत	83.14 %	87.76 %	103.50 %	99.59 %	95.43 %
4.	भण्डारण क्षमता का निर्माण (मैट्रिक टन)	43050	57500	21600	16350	1800
5.	भण्डार गृहों की संख्या	93	93	93	93	93
कुल आय (₹ लाख में)		9111.10	12343.41	20536.58	23443.32	19693.38 (संभावित)

* दिसम्बर, 2020 तक

पशुपालन

राजस्थान में पशुपालन, विशेषकर शुष्क व अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों में कृषि की सहायक गतिविधि ही नहीं है, बल्कि एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि है, जो कि अकाल की स्थिति में कृषक को अत्यधिक सुरक्षा प्रदान करती है। कृषि उत्पादन के साथ–साथ पशुपालन राजस्थान की एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। पशुपालन शुष्क कृषि का एक महत्वपूर्ण अंग है। पशुपालन वर्षा आधारित क्षेत्र में कृषि प्रणाली की आर्थिक व्यवहार्यता और स्थायित्व को बढ़ाता है। शुष्क पश्चिमी क्षेत्र में पशुपालन, सूखे एवं अकाल की मार के विरूद्ध सुरक्षा कवच का काम करता है और गरीब ग्रामीणों को सतत् एवं स्थायी आजीविका प्रदान करता है।

राज्य में शुष्क क्षेत्र में दूध देने वाली उन्नत नस्ल (राठी, गीर, साहीवाल तथा थारपारकर), दूध व खेती दोनों कार्य के लिए कांकरेज व हरियाणा नस्ल के गौवंश तथा नागौरी व मालवी की संकर नस्ल प्रचुर मात्रा में हैं। राजस्थान पशु सम्पदा में समृद्ध राज्य है। देश के सर्वोत्तम गौवंश, भेड़, बकरी, घोड़ा व ऊँट की नस्लें राज्य में हैं।

पशु गणना–2019 के अनुसार, राज्य में कुल 568.01 लाख पशुधन एवं 146.23 लाख कुक्कुट हैं। देश के कुल पशुधन का 10.58 प्रतिशत पशुधन राजस्थान में उपलब्ध है। यहाँ देश का 7.20 प्रतिशत गौवंश, 12.47 प्रतिशत भैंस, 13.99 प्रतिशत बकरियां, 10.64 प्रतिशत भेड़ तथा 98.43 प्रतिशत ऊँट उपलब्ध है। राष्ट्रीय उत्पादन में वर्ष 2017–18 में राज्य का योगदान दूध उत्पादन में 12.72 प्रतिशत एवं ऊन उत्पादन में 34.46 प्रतिशत है।

पशुपालन विभाग, पशुधन में नस्ल सुधार के साथ प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल की समन्वित सेवाएं तथा पशुपालकों में जागरूकता कार्यक्रमों में सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दूरस्थ इलाकों तक पशु चिकित्सा तथा आधारभूत सुविधाएं पहुँचाने का प्रयास कर रहा है। राज्य में पशु चिकित्सा संस्थाओं के विस्तार की स्थिति तालिका–2.7 में दर्शाई गई है।

तालिका–2.7 राज्य में पशु चिकित्सा संस्थाएं

संस्थाएं	2013	2018	2019	2020*
बहुउद्देश्यीय पशु चिकित्सालय	34	35	35	35
प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय	775	785	786	786
पशु चिकित्सालय	1518	1710	1709	1709
पशु औषधालय	202	198	198	198
पशु चिकित्सा उप केन्द्र	2167	5067	5467	5638
जिला चल पशु चिकित्सा इकाई	34	102	102	102

* दिसम्बर, 2020 तक

तालिका–2.8 में विभिन्न पशुधन उत्पादों के उत्पादन स्तर को दर्शाया गया है। दूध का उत्पादन 2015–16 के 18,500 हजार टन से बढ़कर वर्ष 2019–20 में 25,573 हजार टन हो गया है, जो कि 38.23 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इसी तरह अण्डों का उत्पादन वर्ष 2015–16 के 1,385 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2019–20 में 2,696 मिलियन हो गया है।

तालिका–2.8 पशुधन उत्पाद उत्पादन

वर्ष	दुग्ध उत्पादन (हजार टन)	मांस उत्पादन (हजार टन)	अण्डा उत्पादन (दस लाख)	ऊन उत्पादन (लाख किग्रा.)
2015–16	18500	180	1385	134
2016–17	20850	180	1363	143
2017–18	22427	188	1455	143
2018–19*	23668	192	1662	145
2019–20*	25573	200	2696	127

*प्रावधानिक

मांस उत्पादन में यही प्रवृत्ति देखी गई है। वर्ष 2015–16 में मांस उत्पादन 180 हजार टन से बढ़कर वर्ष 2019–20 में 200 हजार टन हो गया है तथापि वर्ष 2015–16 में ऊन उत्पादन 134 लाख किग्रा. से घटकर वर्ष 2019–20 में 127 लाख किग्रा. हो गया है।

पशुओं में रोग नियन्त्रण हेतु वर्ष 2020–21 में 134.38 लाख टीकाकरण किए गए। पशुओं में उन्नत नस्लों के लिए दिसम्बर, 2020 तक 2.18 लाख बड़े पशुओं एवं 3.88 लाख छोटे पशुओं का बंध्याकरण तथा 24.62 लाख कृत्रिम गर्भाधान किए गए।

वर्ष 2020–21 के दौरान पशुपालन विभाग द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमः

- राज्य के गौ एवं भैंस वंशीय पशुओं को एफ.एम.डी. (खुरपका एवं मुँहपका रोग) रोग से मुक्त किए जाने के लिए केन्द्र सरकार के सहयोग से चलाए जा रहे राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत एक वर्ष में दो बार टीकाकरण अभियान चलाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 के द्वितीय चरण में 32.84 लाख खुरपका एवं मुँहपका रोग टीकाकरण नवम्बर, 2020 तक किए जा चुके है।
- पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के अन्तर्गत पशुपालकों को नियमित लाभान्वित किया जा रहा है। यह सुविधा योजना समस्त विभागीय पशु चिकित्सा संस्थाओं एवं समस्त उपचार शिविरों में उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में 51.90 लाख किसान दिसम्बर, 2020 तक लाभान्वित हो चुके है।
- नस्ल सुधार कार्यक्रम का भी क्षमतावर्द्धन किया जा रहा है। निजी एकीकृत पशुधन विकास केन्द्रों के विस्तार के माध्यम से प्रजनन सेवाओं में सुधार किया जा रहा है।
- पशुधन एवं कुक्कुट पालकों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार कर विस्तार किया गया है।
- भारत सरकार के राष्ट्रीय पशुधन मिशन अन्तर्गत राजस्थान में भेड़ व बकरी वंश की नस्ल सुधार (जी.आई. जी.एस.) योजना संचालित की जा रही है, जिसमे केन्द्र एवं राज्य की हिस्सा राशि का प्रतिशत 60:40 है। पसंदीदा आनुवंशिक बकरे एवं बकरियों के चयन के लिए प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। यह परियोजना वर्तमान में राजस्थान के अजमेर, जयपुर, सीकर, राजसमन्द, चित्तौड़गढ़, चूरू, सिरोही, नागौर एवं कुचामनसिटी (नागौर) जिलों में संचालित है।
- मूर्गी पालकों के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन अन्तर्गत इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट (आई.पी.पी.पी.) शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत ब्रायलर और एल.आई.टी. बर्डस को सम्मिलित किया गया है।
- वर्ष 2020–21 में उन ग्राम पंचायतों में, जहाँ विभागीय पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नही है, 200 नवीन पशु चिकित्सा उप–केन्द्र खोले जाने प्रस्तावित है जिसमें से 171 पशु चिकित्सा उपकेन्द्र स्वीकृत हो चुके हैं।

गोपालन विभाग

गोपालन निदेशालय का उद्देश्य राज्य में मवेशियों की देशी नस्लों के प्रसार, संरक्षण और विकास के लिए कार्य करना है। इस प्रयोजन के लिए, निदेशालय गोपालन गौवंश संरक्षण के सतत् विकास एवं समृद्धि निधि नियमों, 2016 के दृष्टिकोण के माध्यम से पशुपालन संस्थान जैसे गौशाला/कांजीहाउस और

नंदीशाला का विकास किया जा रहा है। निदेशालय, जैविक खेती, चारा उत्पादन, और दूध, गाय के गोबर और गोमूत्र के मूल्य वर्धन पंचगव्य सहित एवं गौ क्षेत्र और राज्य के गौशाला प्रतिनिधियों के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

वर्ष 2020–21 के दौरान, गोशालाओं कांजी हाउस में आश्रय प्राप्त अनाथ घुमंतू और अनुत्पादक बूढ़े मवेशियों की आबादी को चारा, पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, दो चरण 90–90 दिवस कुल 180 दिनों के लिए सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए योग्य गौशालाओं को ₹585.00 करोड आवंटित किए गए है।

बड़े मवेशियों के लिए ₹40 प्रति दिन और छोटे मवेशियों के लिए ₹20 प्रति दिन की दर से, गोहत्या और तस्करी एवं पुलिस द्वारा बचाए गए मवेशियों की सहायता के लिए एक साल की अवधि तक सहायता देने का प्रावधान है। दिसंबर, 2020 तक 625 पशुओं को वध व तस्करी से बचाया गया है, इसके लिए ₹43.78 लाख का खर्च किया गया है।

निराश्रित नर गाय की समस्या के समाधान के लिए नंदीशाला जन सहभागिता योजना संचालित है। 11 नंदीशालाओं को अब तक मंजूरी दी गई है, और इस योजना के तहत ₹495 लाख आवंटित किए गए है।

गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से गौशाला बायोगैस सहभागिता योजना संचालित है। इस योजना के तहत 4 बायोगैस संयंत्र स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से एक गौशाला (श्री गौशाला पदमपुर, श्रीगंगानगर) का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और शेष 3 गौशालाओं में निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है।

गौशाला विकास योजना के तहत राज्य की पंजीकृत गौशालाओं में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अधिकतम ₹10.00 लाख दिए गए हैं। यह एक जन सहयोग योजना है जिसमें राज्य सरकार द्वारा 90 प्रतिशत सहायता दी जाती है और आवेदक गौशाला द्वारा 10 प्रतिशत वहन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में निदेशालय गोपालन ने 68 प्रशासनिक स्वीकृतियां और 35 वित्तीय स्वीकृतियां जारी की। वित्तीय वर्ष 2020–21 में, 48 गौशाला को ₹3.44 करोड़ आवंटित किए गए है। इस योजना के तहत 4 नए प्रशासनिक स्वीकृतियां और 25 वित्तीय स्वीकृतियां जारी की।

दो गौशालाओं को राज्य के प्रत्येक जिले से सर्वश्रेष्ठ जिला गोशालाओं के रूप में चुना जाएगा, इसके लिए 66 सर्वश्रेष्ठ गोशालाओं का चयन कर प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर प्रशंसा पत्र, प्रतीक चिन्ह और नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में ₹3.99 लाख का आवंटन जिलों को किया गया है।

कामधेनु डेयरी योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत स्वदेशी नस्ल के संवर्धन के लिए संचालित की जा रही है। इसके अन्तर्गत 6 डेयरियां स्थापित की गई हैं और 7 नई डेयरियों के लिए बजट जारी किया गया है।

थारपारकर और गिर नस्ल के संरक्षण और प्रसार के लिए, आर.के.वी.वाई. योजना के तहत भ्रूण हस्तांतरण तकनीक के माध्यम से भ्रूण के इन–वीवो निषेचन और आरोपण का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस योजना के तहत, अब तक 36 भ्रूणों को प्रत्यारोपित किया गया है और 18 बछड़ों का जन्म हुआ है।

डेयरी विकास

राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम, सहकारी समितियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक 15,318 दुग्ध सहकारी समितियों को राज्य में 21 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों एवं राज्य स्तर पर शीर्षस्थ संस्थान, राजस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन (आर.सी.डी.एफ.) लिमिटेड, जयपुर से सम्बद्ध किया गया है।

विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध वित्तीय सहायता एवं स्वयं के संसाधनों से जिला दुग्ध संघ संयंत्रों की दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता बढ़कर 40.95 लाख लीटर प्रतिदिन हो गई है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर, 2020 तक आर.सी.डी.एफ. से सम्बद्ध सभी दुग्ध संघों ने प्रतिदिन औसतन 23.19 लाख किग्रा. दुग्ध संकलित किया गया है। वर्तमान में, राज्य भर में 8.44 लाख दुग्ध उत्पादक, सहकारिता पर आधारित डेयरी विकास कार्यक्रम से सम्बद्ध हैं एवं वर्ष पर्यन्त दुग्ध का पारिश्रमिक प्राप्त कर रहे हैं। दुग्ध संघों ने वर्ष 2020–21 के दौरान दुग्ध उत्पादकों को माह दिसम्बर, 2020 तक ₹2,314.50 करोड़ का भुगतान किया है। डेयरी विकास क्षेत्र की मुख्य गतिविधियों की उपलब्धियां तालिका–2.9 में दर्शाई गई हैं।

तालिका –2.9 वर्ष 2020–21 के दौरान डेयरी गतिविधियां

मद	इकाई	लक्ष्य 2020–21	उपलब्धियां*
औसतन दुग्ध संकलन	लाख किग्रा. प्रतिदिन	31.63	23.19
औसतन दुग्ध विपणन	लाख लीटर प्रतिदिन	24.91	17.20
पशु आहार विक्रय (संघ)	000' मैट्रिक टन	348	156
पुनर्जीवित समितियां	संख्या	901	316
नई समितियां	संख्या	555	251
कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान	000' संख्या	422	256

* दिसम्बर, 2020 तक

राजस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन द्वारा पौष्टिक पशु आहार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक 2,39,806 मैट्रिक टन पशु आहार का उत्पादन किया गया है एवं राज्य के दुग्ध उत्पादकों को 2,39,338 मैट्रिक टन पशु आहार बेचा गया है। डेयरी फैडरेशन द्वारा घी, छाछ, लस्सी, श्रीखण्ड, पनीर, दही, चीज़ इत्यादि उत्पादों का उत्पादन भी किया जा रहा है। राजस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन द्वारा वर्ष 2020–21 के दौरान दिसम्बर, 2020 तक लगभग 13,067 मैट्रिक टन घी का विपणन किया गया। सामाजिक दायित्वों को पूर्ण करने के उद्देश्य से राजस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन एवं इससे सम्बद्ध जिला दुग्ध संघ, दुग्ध उत्पादकों को बीमा उपलब्ध करवा रहे हैं।

राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना (चतुर्थ चरण): एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना 1 जनवरी, 2020 से लागू की गई है। इस योजना में दुग्ध उत्पादक की दुर्घटना मृत्यु एवं पूर्ण स्थायी विकलांगता पर ₹5.00 लाख एवं आंशिक स्थायी विकलांगता होने पर 2.50 लाख की बीमा राशि देय है। इस योजनान्तर्गत दिसम्बर, 2020 तक 1,35,587 दुग्ध उत्पादकों को बीमित किया गया है।

सरस सामूहिक आरोग्य बीमा: जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों द्वारा सरस सामूहिक आरोग्य बीमा का 15 वां चरण दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 प्रारम्भ किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2020 तक 46,506 दुग्ध उत्पादकों का बीमा किया गया हैं।

मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना: वित्तीय वर्ष 2020–21 में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजनान्तर्गत जिला दुग्ध संघों द्वारा माह अप्रैल, 2020 से नवम्बर, 2020 तक दुग्ध उत्पादकों को ₹2 प्रति लीटर की दर से अनुदान राशि का भुगतान देय/जारी है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 में ₹200.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है जिसके विरूद्व ₹50.00 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां गोपालन विभाग राजस्थान द्वारा प्रसारित की गई है। अप्रैल, 2020 से दिसम्बर, 2020 तक दुग्ध उत्पादकों को लगभग ₹93.11 करोड़ अनुदान राशि का भुगतान देय है।

आर.सी.डी.एफ. द्वारा वर्ष 2020–21 में भारत सरकार की केंद्रीय प्रवर्तित योजना नेशनल लाईव स्टॉक मिशन फोडर सीड प्रोक्योरमेन्ट, प्रोडक्शन एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना अन्तर्गत 60:40 के फण्डिंग पैटर्न पर ₹29.63 लाख (भारत सरकार का अंशदान) के माह दिसम्बर, 2020 तक विभिन्न जिला दुग्ध संघों के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों हेतु जई चारा फसल प्रमाणित बीज के 17,107 मिनीकिटस वितरित किये गये तथा शेष 40 प्रतिशत राशि लाभार्थी द्वारा वहन की गई है। जिला दुग्ध संघों के दुग्ध उत्पादकों को दिसम्बर, 2020 तक 4,051 क्विंटल उन्नत चारा बीज उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया गया हैं।

मत्स्य

मत्स्य क्षेत्र द्वारा राज्य में उपलब्ध जल संसाधनों में मत्स्य विकास के कार्य के अलावा मछली के रूप में प्रोटीनयुक्त आहार तथा कमजोर ग्रामीण वर्ग को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। राजस्थान में पर्याप्त मात्रा में जलस्रोत उपलब्ध हैं, जो लगभग 4.23 लाख हैक्टेयर में फैला हुआ है। इस जल क्षेत्र में 3.29 लाख हेक्टेयर बड़े और मध्यम जलाशयों के रूप में एवं 0.94 लाख हैक्टेयर छोटे जलाशयों और तालाबों के रूप में उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में लगभग 0.87 लाख हैक्टेयर नदियों एवं नहरों के रूप में जलमग्न क्षेत्र उपलब्ध है। जल संसाधनों के आधार पर राजस्थान देश में ग्यारहवें स्थान पर है। केन्द्रीय मत्स्यिकी शिक्षण संस्थान, मुम्बई (2010) द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, राज्य में 80,000 मैट्रिक टन से अधिक वार्षिक मत्स्य उत्पादन क्षमता है, जबकि राज्य में वर्ष 2020–21 में मत्स्य उत्पादन दिसम्बर, 2020 तक केवल 34,832.11 मैट्रिक टन हुआ है।

तालिका –2.10 मत्स्य उत्पादन

क्र.सं.	वर्ष	मत्स्य उत्पादन (मैट्रिक टन)	मत्स्य बीज उत्पादन (मिलियन फ्राई)
1	2016–17	50199.30	1098.33
2	2017–18	54035.34	1094.01
3	2018–19	55848.99	1032.93
4	2019–20	58138.21	1226.41
5	2020–21*	34832.11	995.46

* दिसम्बर, 2020 तक

राज्य में विभिन्न वर्षों में घटते मत्स्य उत्पादन को तालिका–2.10 में दर्शाया गया है। मत्स्य विभाग द्वारा आदिवासी मछुआरों के उत्थान हेतु महत्वाकांक्षी योजना 'आजीविका मॉडल', जो शून्य राजस्व मॉडल है, राज्य के तीन जलाशयों जयसमन्द (उदयपुर), माही बजाज सागर (बांसवाड़ा) एवं कडाना बैक वाटर (डूंगरपुर) में प्रारम्भ की गई है। इस नए मॉडल के अनुसार लिफ्ट अनुबन्ध सबसे अधिक बोलीदाता को दिया गया है। आदिवासी मछुआरों को मछली पकड़ने की सम्पूर्ण कीमत स्थानान्तरित करने से मछली पकड़ने की दर देश में सर्वाधिक होना एक महत्वपूर्ण स्थिति है। 57 मछुआरा सहकारी समितियों के लगभग 6,218 मछुआरों को लाभान्वित किया गया हैं तथा नियमित आधार पर कार्य करने वाले आदिवासी मछुआरों की आमदनी में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। इस प्रकार, विभाग राजस्व अर्जन करने के बजाय मछुआरों की आजीविका पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) के अन्तर्गत फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए राजस्थान में 41 मत्स्य लेण्डिंग सेन्टर के आधुनिकीकरण/निर्माण हेतु ₹15.30 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें रामसागर (धौलपुर), बीसलपुर (टोंक) एवं राणा प्रताप सागर (रावतभाटा), जवाई बांध (पाली) एवं जयसमन्द (उदयपुर) बांधों का कार्य पूर्ण हो चुका है।

उन्नत किस्म के मत्स्य बीज का संग्रहण तथा मत्स्य स्टॉक के संवर्द्धन हेतु जलाशय विकसित किए जा रहे हैं। राज्य के लिए राजस्व प्राप्ति हेतु मछली उत्पादन के लिए जलाशय पट्टे (लीज) पर दिए गए। मत्स्य विभाग को जलाशयों के पट्टों से वर्ष 2020–21 के दौरान दिसम्बर, 2020 तक ₹26.17 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है।

क्राफ्ट एवं गियर अनुदान के अन्तर्गत 900 मछुआरों को लाभान्वित किया गया है एवं 89 आदिवासी मछुआरों को आवास निर्माण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई हैं। इसके अतिरिक्त 7,788 आदिवासी मछुआरों को सेविंग कम रिलीफ योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया है।

नेशनल मिशन फोर प्रोटीन सप्लीमेन्ट योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा ₹3.44 करोड़ की केज कल्चर योजना बांध माही बजाज सागर (बांसवाड़ा) में आधुनिक मत्स्य तकनीकों के प्रोद्यौगिकी विस्तार एवं प्रदर्शन हेतु स्वीकृत की गई है और योजना के अनुसार 56 तैरते हुए पिंजरे स्थापित किए जा चुके हैं। योजना के दो चरण विभाग द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं तथा तृतीय चरण हेतु स्थापित पिंजरों को आदिवासी मछुआरा सहकारी समिति बस्सीपाड़ा (बांसवाड़ा) को मत्स्य पालन हेतु आवंटित कर दिया है। नवाचार के रूप में बीसलपुर बांध (टोंक) में सजावटी मछली परियोजना के निर्माण के लिए ₹5.63 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं तथा इस योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है।

विभाग द्वारा स्पोर्ट मत्स्य के रूप में एक नया क्षेत्र बीसलपुर बांध (टोंक) को विकसित किया जा रहा है। महासीर एवं कैट फिश आदि मछलियों को स्पोर्ट फिश हेतु उपयोग किया जाता है। इस परियोजना के तहत 0.45 लाख महासीर मछली (स्पोर्ट फिश) का मत्स्य बीज लोनावाला (महाराष्ट्र) से लाकर बीसलपुर बांध में संचय किया गया है।

कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूर्व में चल रही मत्स्य विकास की लाभकारी योजनाओं को एकीकृत कर ₹3,000 करोड़ की नीली क्रान्ति योजना प्रारम्भ की गयी है, जिसके क्रियान्वयन से मत्स्य कृषकों एवं मछुआरों की समृद्धि के साथ साथ भोजन एवं पोषण की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। यह कार्य उपलब्ध जल स्त्रोतों का सुनियोजित तरीके से जैविक सुरक्षा एवं वातावरण संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मत्स्य क्षेत्र का विकास किया जायेगा।

राज्य में उपलब्ध समस्त प्रभावी जल क्षेत्रों में वैज्ञानिक तरीकों से मत्स्य पालन के लिए संग्रहण हेतु प्रतिवर्ष 368.50 मिलियन फिंगर लिंग मत्स्य बीज की प्रतिवर्ष आवश्यकता है इसके लिए 4,865 मिलियन स्पॉन या 1,216 मिलियन फ्राई उत्पादन की प्रतिवर्ष आवश्यकता होगी। वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक 1,050 मिलियन फ्राई मत्स्य बीज उत्पादन के लक्ष्यों के विरूद्व 995.46 मिलियन फ्राई मत्स्य बीज उत्पादन किया गया।

वानिकी

वन, जैव वानस्पतिक एवं पर्यावरणीय संतुलन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। राज्य में कुल घोषित वन क्षेत्र 32,737 वर्ग किमी है जो कि राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 9.57 प्रतिशत है। राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र 4.86 प्रतिशत है जो कि वन क्षेत्र तथा उसके बाहर अवस्थित है। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार, द्विवर्षीय सर्वेक्षण अवधि 2017–19 में राज्य के वनाच्छादित क्षेत्र में 58 वर्ग किमी. की वृद्धि दर्ज की गई है।

जैव विविधता, मृदा एवं जल के संरक्षण, ग्रामवासियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने एवं वन सुरक्षा तथा वन संरक्षण एवं प्रबन्धन में जनता का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने पर विशेष बल दिया गया है। राज्य में दूरस्थ क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करना भी वन विभाग की एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के तहत, 6,022 ग्राम वन संरक्षण और प्रबंधन समितियां (वी.एफ.पी.एम.सी.)/पारिस्थितिकी–विकास समितियां विभाग के मार्गदर्शन में 11.84 लाख हेक्टेयर वन भूमि की रक्षा और प्रबंधन कर रही हैं। इन 6,022 समितियों में से 682 पर्यावरण–विकास समितियों और राष्ट्रीय उद्यानों के आसपास वन्यजीव प्रबंधन में स्थानीय लोगों की भागीदारी प्राप्त करने के लिए गठित किए गए हैं। पंचायती राज संस्थाओं को वन व गैर वन क्षेत्रों के लघु वन उत्पादों से राजस्व संग्रहण द्वारा आय प्राप्ति के लिए अधिकृत किया गया है। गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य भी पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा गया है।

औषधीय पौधों, जो कि विलुप्त होने के कगार पर हैं, के संरक्षण हेतु राज्य में 17 औषधीय पौध संरक्षित क्षेत्र पहले से ही स्थापित किए जा चुके हैं। वर्ष 2020–21 में बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 51,195.38 हैक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण के लक्ष्य की तुलना में दिसम्बर, 2020 तक 29,756.69 हैक्टेयर में वृक्षारोपण किया गया है।

विभिन्न विकास कार्यों पर ₹272.28 करोड़ के प्रावधान के विरूद्व दिसम्बर, 2020 तक ₹130.25 करोड़ व्यय किए गए हैं। वर्ष 2020–21 के अन्तर्गत केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, जिनमें पारिस्थितिक विकास, मृदा संरक्षण कार्य, सांभर नम भूमि का संरक्षण एवं विकास, अग्नि से बचाव, अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों एवं चिड़ियाघर आदि का विकास सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न कार्यों जैसे– नई वन सुरक्षा एवं प्रबन्धन समितियों के गठन, स्वयं सहायता समूहों, महिला स्वयं सहायता समूहों, सामुदायिक विकास तथा वन्य जीवों का संरक्षण आदि के विकास कार्य करवाए गए हैं।

राज्य में ईको–टूरिज़्म की विपुल सम्भावनाएं मौजूद हैं। राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यान, 27 वन्यजीव अभयारण्य और 14 संरक्षित क्षेत्र हैं, इसके अलावा 3 बॉयोलोजिकल पार्क भी जयपुर, उदयपुर एवं जोधपुर में विकसित किए गए हैं।

पर्यावरण विभाग

पर्यावरण विभाग की स्थापना पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के मामलों, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (आर.एस.पी.सी.बी.) से सम्बन्धित मामलों से निपटने, आर.पी.सी.बी., जिला प्रशासन एवं अन्य सम्बन्धित विभागों व संगठनों की सहायता से प्रदूषण से सम्बन्धित सभी मामलों का समाधान एवं नियंत्रण हेतु एक नोडल विभाग के रूप में की गई। पर्यावरण विभाग राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड एवं अन्य सम्बन्धित विभाग तथा जिला प्रशासन के सहयोग से पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता से सम्बन्धित मामलों को देखता है।

पर्यावरण विभाग द्वारा निम्नलिखित योजनाएं/कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं:–

- **विभिन्न अधिनियमों, नियमों एवं न्यायालय आदेशों की पालना:** पर्यावरण विभाग को पर्यावरण से सम्बन्धित विभिन्न अधिनियमों एवं नियमों की अनुपालना विभिन्न विभागों, मण्डलों एवं संस्थाओं के माध्यम से सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है। यह विभिन्न अदालती आदेशों (उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, एन.जी.टी. आदि) के क्रियान्वयन के लिए भी जिम्मेदार है।
- **पर्यावरणीय शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम:** पर्यावरण विभाग समय–समय पर शैक्षिक एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करवाता है। जिला पर्यावरण समितियों के माध्यम से विश्व पृथ्वी दिवस (22 अप्रैल),

विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस (5 जून) एवं विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस (16 सितम्बर) को रैलियों, प्रश्नोत्तरी, निबन्ध प्रतियोगिताओं आदि का आयोजन कर मनाया जाता हैं। प्रत्येक कार्यक्रम के लिए ₹50,000 की राशि आर.एस.पी.सी.बी. द्वारा प्रत्येक जिले को उपलब्ध कराई गई थी।

- **संचार एवं प्रसार (प्रचार):** विभाग की विभिन्न गतिविधियों, राज्य सरकार के निर्णयों, चल रही विभिन्न योजनाओं, पर्यावरण से सम्बन्धित तथ्यों की जानकारी समय–समय पर जनता तक प्रसारित की जाती है। तीन अन्तर्राष्ट्रीय दिवसों यथा– विश्व पृथ्वी दिवस (22 अप्रैल), विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस (5 जून) तथा विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस (16 सितम्बर) के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से सन्देश प्रकाशित एवं प्रसारित किए गए। वित्तीय वर्ष 2020–21 में ₹28.00 लाख के वित्तीय लक्ष्यों के विरूद्ध दिसम्बर, 2020 तक ₹27.58 लाख व्यय किए गए है।

राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधान के तहत राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया है। राजस्थान राज्य ने जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा–63(1) के तहत राजस्थान जैविक विविधता नियम, 2010 को अधिसूचित किया है। वर्ष 2020–21 का बजट प्रावधान ₹132.01 लाख है, राजस्थान को दिसम्बर, 2020 तक ₹37.00 लाख की राशि जारी की गई है।

राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार

राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार को पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सभी तीन श्रेणियों अर्थात संगठनों, नागरिकों और नगर पालिका के लिए अलग–अलग पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है (ये पुरस्कार विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर दिए गए हैं)।

सहकारिता

सहकारी साख संरचना

वर्तमान में, सहकारिता क्षेत्र में शीर्ष स्तर पर 29 केन्द्रीय सहकारी बैंक, 21 दुग्ध संघ, 37 उपभोक्ता थोक भण्डार, 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंक, 6,687 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां, 273 फल एवं सब्जी विपणन समितियां है। राज्य में 23 संघों सहित कुल 36,122 सहकारी समितियां प्रदेश में पंजीकृत हैं। राज्य के कृषकों को फसल उत्पादन हेतु दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किए जा रहे हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान ₹250.00 करोड़ के लक्ष्य के विरूद्ध ₹108.22 करोड़ के दीर्घकालीन ऋण वितरित किए गए है। वर्ष 2020–21 मे 24.97 लाख किसानों को दिसम्बर, 2020 तक ₹244.31 करोड़ के मध्यकालीन कृषि ऋण एवं ₹11,007.74 करोड़ के अल्पकालीन कृषि ऋण वितरित किए गए हैं।

तालिका 2.11 सहकारी साख संरचना

(₹ करोड़ में)

ऋणों के प्रकार	2019–20 (दिसम्बर तक)	2020–21 (दिसम्बर तक)	प्रतिशत परिवर्तन
अल्पकालीन	7215.97	11007.74	52.55
मध्यकालीन	216.14	244.31	13.03
दीर्घकालीन	41.35	108.22	161.72

शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर लघु अवधि के कृषि ऋण

राज्य के किसानों को राहत देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2012–13 की पूर्व योजना जिसमें ₹1.50 लाख का फसली ऋण निर्धारित समय सीमा में चुकाने वाले किसान के लिए सब्सिडी को जारी रखने की घोषणा की गई है। इस घोषणा के तहत, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को सदस्यों से केवल मूल ऋण की वसूली करनी है और ब्याज राशि के लिए दावा राज्य और केंद्र सरकार द्वारा समायोजित किया जाना है। वर्ष 2019–20 के लिए, केंद्रीय सहकारी बैंकों ने सहकारी समितियों के माध्यम से ₹9,541.02 करोड़ के कृषि ऋण वितरित किए गए है।

राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना 2019

राज्य के किसानों के हित में, राज्य सरकार ने 30 नवंबर, 2018 तक के बकाया सभी लघु अवधि के फसली ऋण पात्रता मानदंडों के तहत कवर किए गए पात्र ऋणी किसानों का ऋण माफ करके एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। लोन के प्रमाणीकरण के लिए अंगूठे के निशान के माध्यम से आधार आधारित प्रमाणीकरण की एक प्रक्रिया लागू की गई है। इस योजना के तहत दिसम्बर, 2020 तक 20.58 लाख ऋणी किसानों को ₹7,737.29 करोड़ से लाभान्वित किया गया है।

उन लघु और सीमांत किसानों को राहत देने के लिए जो अपनी भूमि को बैंकों की गिरवी से मुक्त नहीं करवा पा रहे हैं, राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना 2019 (मध्यम अवधि/दीर्घकालिक साख संरचना) ₹2.00 लाख तक का 30 नवंबर, 2018 तक के अवधिपार ऋण बकाया की माफी के लिए मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत 31 दिसम्बर, 2020 तक 29,946 ऋणदाता किसानों को ₹348.03 करोड़ से लाभान्वित किया गया है।

राजस्थान फसल ऋण माफी योजना 2018 के तहत कुल 27.96 लाख किसानों को दिसम्बर, 2020 तक ₹7,549.97 करोड़ के अल्पकालिक फसल ऋण माफी से लाभान्वित किया गया है।

एकमुश्त समझौता योजना वर्ष 2020–21

प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के अवधिपार ऋणों की वसूली के लिए एकमुश्त समझौता योजना वर्ष 2020–21 में शुरू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के सभी प्रकार के कृषि क्षेत्र और गैर–कृषि क्षेत्र के ऋण जो 1 जुलाई, 2019 को अवधिपार की श्रेणी में वर्गीकृत है, को सम्मिलित किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत ब्याज राशि में 50 प्रतिशत की राहत दी जाएगी।

रहन से मुक्ति

प्राथमिक भूमि विकास बैंकों द्वारा 32,601 ऋणियों को उनके ऋण के पूर्ण भुगतान के बाद रहन मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।

कृषि मांगों की वसूली

वर्ष 2019–20 में जून, 2019 तक कुल कृषि ऋणों की मांग ₹11,766.98 करोड़ के मुकाबले केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा ₹10,155.29 करोड़ की वसूली की गई जो कुल कृषि ऋणों की मांग का 86.30 प्रतिशत है। वर्ष 2020–21 में कुल कृषि ऋणों की मांग ₹9632.67 करोड़ के मुकाबले केन्द्रीय सहकारी बैंको द्वारा ₹2532.46 करोड़ की वसूली की गई है। जो कुल कृषि ऋणों की मांग का 26.29 प्रतिशत है।

दीर्घकालीन ऋणों की वसूली

वर्ष 2019–20 में प्राथमिक भूमि विकास बैंकों द्वारा कुल मांग ₹1,139.24 करोड़ के मुकाबले ₹346.80 करोड़ की वसूली की गई है जो कुल मांग का 30.44 प्रतिशत है। वर्ष 2020–21 में (1 जुलाई, 2019 से 31 दिसम्बर, 2020 तक) प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा कुल मांग ₹821.67 करोड़ के मुकाबले ₹94.63 करोड़ की वसूली की गई जो कुल मांग का 11.52 प्रतिशत है।

फसली ऋण वितरण की ऑन–लाईन प्रक्रिया

खरीफ, 2019 से सहकारी फसली ऋण ऑनलाईन पंजीयन एवं वितरण योजना, 2019 का शुभारम्भ किया गया है। राज्य सरकार द्वारा अल्पकालीन फसली ऋण के सम्बन्ध में जारी सहकारी साख नीति दिनांक 11 जुलाई, 2018 एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां द्वारा फसली ऋण वितरण में स्थानीय विवेकाधीनता को समाप्त कर इसके एकरूपी, पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित बनाने के दृष्टिकोण से ''आधार'' आधारित प्रमाणीकरण के पश्चात् डिजिटल सदस्य रजिस्टर (डी.एम.आर.) के माध्यम से किसानों को फसली ऋण वितरण किये जाने के उद्देश्य से सहकारी फसली ऋण प्रक्रिया में किसान से आवेदन प्राप्त करने से लेकर नाबार्ड से पुनर्भरण प्राप्त करने की प्रक्रिया को ऑनलाईन करते हुए अल्पकालीन फसली ऋण वितरण हेतु सहकारी फसली ऋण पोर्टल सृजित किया गया है, जिस पर पंजीयन एवं आधार आधारित प्रमाणीकरण के पश्चात् डिजिटल सदस्य रजिस्टर के माध्यम से अल्पकालीन फसली ऋण वितरण किया जा रहा है।

किसान सेवा पोर्टल

राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा किसानों को सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं एवं योजनाओं का एक ही प्लेटफार्म के माध्यम से लाभ प्रदान करने के लिए किसान पोर्टल की शुरूआत की गई है। यह पोर्टल सरकार के नीति निर्धारण में सहायक होगा। यह पोर्टल एक ही छत की नीचे किसानों को सभी प्रकार की सेवाऐं भी प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना का लाभ

राज्य के किसानों को प्रदान करने में राजस्थान देश में अग्रणी राज्य है। इस योजना में माह दिसम्बर, 2020 तक 84.08 लाख किसानों द्वारा पोर्टल पर आवेदन किया गया तथा 74.69 लाख आवेदन पत्र अपलोड हुए है जिसमें से 69.71 लाख आवेदन पत्रों का सत्यापन हुआ ओर 68.08 लाख किसानों को ₹1,394.29 करोड की राशि प्रथम किश्त के रूप में सीधे किसानों के खाते में हस्तांतरित की गई।

सरकार की नीति एवं अभिनव योजनाओं का प्रभाव :–

- कृषकों के जीवन स्तर में सुधार के साथ उनकी आय में वृद्वि हुई है।
- महिलाओं एवं ग्रामीण नवयुवकों हेतु स्वरोजगार के साधन उपलब्ध हुये हैं।
- कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण का भी प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ है।
- कृषकों को स्वयं के अनाज भण्डारण हेतु गौदाम की सुविधा उपलब्ध हुई है।

राज सहकार पोर्टल

सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं यथा– अल्पकालिक फसल ऋण आवेदन, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) आवेदन, ऑनलाइन भुगतान, नई सोसायटी के पंजीकरण का आवेदन, गैर–सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) पंजीकरण, गेम्स फेडरेशन पंजीकरण, सहकारी संस्था की चुनाव प्रणाली, कोर्ट केश की स्थिति, ऑडिट रिपोर्ट, फसल ऋण और ऋण माफी की स्थिति आदि सुविधाओं के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म राज सहकार पोर्टल शुरू किया गया है।

ज्ञान सागर क्रेडिट योजना

राज्य में ग्रामीण एवं शहरी छात्र–छात्राओं को व्यावसायिक व तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने एवं छात्रों और अभिभावकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना प्रारम्भ की गई है। भारत में शिक्षा प्राप्त करने पर ऋण की अधिकतम सीमा ₹6.00 लाख तथा विदेश में ₹10.00 लाख निर्धारित है। छात्राओं को ब्याज दर में 0.50 प्रतिशत छूट का प्रावधान है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

राज्य सरकार द्वारा राज्य में वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना शुरू की गई, जिसके अन्तर्गत सूचीबद्ध क्षेत्र में फसल उगाने वाले किसानों की फसल का बीमा अनिवार्य रूप से किया जाता है। खरीफ, 2020 फसल हेतु राज्य के समस्त केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा माह दिसम्बर, 2020 तक ₹91.45 करोड़ की राशि से 14.68 लाख किसानों की पॉलिसियां जारी की गई है।

स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना

स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत गैर कृषि गतिविधियों हेतु ₹50,000 तक के ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं। ऋण की अवधि पाँच वर्ष है। इस योजना में वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक ₹5.90 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है।

महिला विकास ऋण योजना

महिला विकास ऋण योजना के माध्यम से भूमि विकास बैंक कृषि भूमि की सुरक्षा के बिना, 2 व्यक्तियों की गारंटी के माध्यम से गैर–कृषि उद्देश्यों और डेयरी व्यवसाय के लिए ₹50,000 का ऋण प्रदान करके महिलाओं के लिए आय के स्रोत बना रहे हैं। वर्ष 2020–21 में, इस योजना के तहत 385 महिलाओं को ₹10.72 करोड़ का कुल ऋण वितरित किया गया है।

सहकारी किसान कल्याण योजना

किसानों की कृषि ऋण एवं साख की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सहकारी किसान कल्याण योजना शुरू की गई है। इस योजना के अनुसार, केन्द्रीय सहकारी बैकों (सी.सी.बी.) द्वारा कृषि और संबद्ध कृषि उद्देश्यों के लिए अधिकतम ₹10.00 लाख का ऋण प्रदान करते हैं। इस योजना के तहत वर्ष 2020–21 के दौरान दिसम्बर, 2020 तक ₹108.09 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है।

जन औषधि केन्द्र

प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के अन्तर्गत कॉनफैड द्वारा 200 जन औषधि केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। वर्तमान में जन औषधि केन्द्र– उदयपुर, जोधपुर, झुंझुनूं और डूंगरपुर जिलों में थोक उपभोक्ता भंडार द्वारा और जयपुर में कॉनफैड द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। एक जन औषधि केन्द्र एस.एम. एस. अस्पताल, जयपुर में और एक केन्द्र संतोकबा दुर्लभजी मेमोरियल हॉस्पिटल (एस.डी.एम.एच.) जयपुर में कॉनफैड द्वारा संचालित किया जा रहा है।

अरबन को–ऑपरेटिव बैंक

राज्य में वर्तमान में 33 अरबन को–ऑपरेटिव बैंक कार्यरत है। जिनमें से 3 बैंक रेलवे कर्मचारी सैलेरी अर्नर सहकारी बैंक है एवं 6 बैंक महिला अरबन को–ऑपरेटिव बैंक की श्रेणी में आते है। आदर्श को–ऑपरेटिव बैंक, फिनग्रोथ को–ऑपरेटिव बैंक मल्टी स्टेट को–ऑपरेटिव एक्ट, 2002 में रजिस्टर्ड है। इन बैंकों में ₹6,896.80 करोड़ की अमानतें है तथा हिस्सा पूंजी ₹250.44 करोड़ है। अरबन बैंक लगभग 4.47 लाख लोगों को बैंकिंग सुविधा प्रदान कर रहे हैं। 31 मार्च, 2020 को इन बैंकों का ऋण बकाया ₹3,669.78 करोड़ एवं कार्यशील पूंजी ₹8,264.26 करोड़ है, इनका शुद्व लाभ ₹74.04 करोड़ है।

सहकारी विपणन संरचना

राज्य में प्रत्येक मण्डी यार्ड 273 क्रय–विक्रय सहकारी समितियां कार्यरत हैं। ये समितियां राज्य में किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलवाने, कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उन्नत किस्म के प्रमाणित बीज, खाद, एवं कीटनाशक दवाईयां उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने का कार्य कर रही हैं। अपेक्स स्तर पर राजफैड कार्यरत है। वर्ष 2020–21 के दौरान दिसम्बर, 2020 तक सहकारी विपणन समितियों द्वारा उपभोक्ता सामग्री, कृषि आदान एवं कृषि उपज पर क्रमशः ₹235.56 करोड़, ₹559.93 करोड़, एवं ₹4,401.85 करोड़ का विपणन किया गया है। वर्ष 2020–21 के दौरान राजफैड द्वारा किसानों को दिसम्बर, 2020 तक 2,095 क्विंटल बीज वितरित किए गए हैं।

सहकारी उपभोक्ता संरचना

उपभोक्ताओं को कालाबाजारी और बाजार में कृत्रिम अभाव से बचाने के लिए सहकारी संस्थाएं प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं जैसे– उपभोक्ता उत्पादों को उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाना। इस उद्देश्य के लिए जिला स्तर पर राज्य मे 37 सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार पंजीकृत तथा शीर्ष संस्था के रूप में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (कॉनफैड) कार्यरत हैं। उपभोक्ता क्षेत्र का व्यापार वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक ₹444.17 करोड़ हो गया है।

सहकारी आवास योजना

इसके अन्तर्गत, गृह निर्माण समितियों/प्रारम्भिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) के सदस्यों को आवास निर्माण हेतु दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराना है। इस योजना में ₹15.00 लाख तक का ऋण 15 वर्ष तक की अवधि के लिए मकान बनाने/क्रय करने एवं मकान के विस्तार हेतु उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 1998 से मकान मरम्मत/रखरखाव हेतु बेबी ब्लेंकेट योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना में निर्मित भवनों की मरम्मत एवं रखरखाव हेतु ₹5.00 लाख तक का ऋण 7 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाता है। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान सहकारी आवासन संघ (आर.सी.एच.एफ.) को ₹108.60 लाख हिस्सा राशि के रूप में दिए गए हैं। कुल हिस्सा पूंजी ₹252.19 लाख है।

भण्डारण

राज्य में सहकारी संस्थाओं/समितियों के अन्तर्गत 8,522 गोदाम निर्मित हैं। इन गोदामों का उपयोग कृषि उपज एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) तथा ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत खाद्यान्न भण्डारण हेतु किया जाता है।

विभाग का योजना प्रावधान

वर्ष 2020–21 के वार्षिक आयोजना के ₹4776.98 करोड़ के प्रावधान के विरूद्व ₹4116.87 करोड़ राज्य निधि एवं ₹0.17 करोड़ केन्द्रीय सहायता के व्यय किए जा चुके हैं।

कोविड–19 के प्रभाव और महामारी को दूर करने के लिए किए गए प्रयासों का संक्षिप्त विवरण–

- कोविड–19 लॉकडाउन अवधि के दौरान कंटेनमेंट जोन में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ एवं जिला सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डारों ने 11,82,884 परिवारों को ₹28.89 करोड़ राशि की सूखी राशन सामग्री एवं ₹8.51 करोड़ राशि के 2,53,501 राशन किट विक्रय हेतु उपलब्ध कराये हैं।
- खरीफ 2019 के अल्पकालीन फसली ऋणों की निर्धारित तारीख 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2020 और उसके बाद 30 जून 2020 से बढ़ाकर 31 अगस्त, 2020 तक या एक वर्ष अथवा ऋण प्राप्त करने की तारीख से जो भी अवधि पहले हो, की गई। तत्पश्चात् खरीफ 2019 एवं रबी 2019–20 फसली ऋणों की देय दिनांक 30 जून, 2020 से बढ़ाकर 31 अगस्त, 2020 की गई।
- सहकार किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को कृषि उपज के विरूद्ध रहन ऋण पर ब्याज दर 11 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत की गयी। सहकारी बैंकों ने इस योजना

के तहत 5 अगस्त, 2020 तक 2,018 किसानों को ₹2,046.32 लाख के ऋण का वितरण किया है।

- कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से रियायती ब्याज दर 4.40 प्रतिशत पर ऋण उपलब्ध कराए जाने हेतु राज्य के सहकारी बैकों को नाबार्ड द्वारा ₹1,500 करोड़ स्वीकृत किए है। जिला सहकारी बैंकों द्वारा ₹1,380 करोड के ऋण कृषकों को उपलब्ध कराये गये।
- कटाई पश्चात बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए गोदाम, धर्मकांटा, कोल्ड स्टोरेज, भण्डार गृह एवं प्रसंस्करण इकाइयों आदि के प्रस्ताव आमंत्रित किए गए और 460 प्राथमिक सहकारी समितियां, 90 क्रय विक्रय सहकारी समितियों को गौण मण्डी का दर्जा प्रदान किया गया है।
- कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाईन पंजीयन एवं फसली ऋण वितरण योजना के माध्यम से ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा दिनांक 1 अप्रेल, 2020 से 31 अगस्त, 2020 की अवधि में खरीफ, 2020 हेतु अल्पकालीन फसली ऋण के रूप में 24.71 लाख किसानो को ₹7,734.59 करोड़ के ऋण वितरित किये गये।
- रबी 2020–21 के लिए 1 सितम्बर, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक की अवधि में 8.87 लाख किसानों को ₹3273.15 करोड़ के ऋण वितरित किये गये।
- राज्य के सहकारी बैंकों द्वारा अल्पकालीन फसली ऋणों के अलावा मध्यकालीन व अन्य ऋणों की 1 मार्च, 2020 उपरांत देय किश्तों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार स्थगन अवधि का विकल्प उपलब्ध करवाया गया।
- सहकारी भूमि विकास बैंकों की अधिस्थगन के ऋणी सदस्यों द्वारा ऋण की किस्तों के पुनर्भुगतान पर राहत प्रदान की गई। 1 मार्च, 2020 से 31 मई, 2020 तक की किस्तों को जून, 2020 तक स्थगित किया गया।
- दीर्घकालिक कृषि ऋणों पर 5 प्रतिशत ब्याज पर अनुदान दिया गया। इसकी दिनांक 31 मार्च, 2020 से बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दी गई है।
- भूमि विकास सहकारी बैंकों द्वारा किसानों और छोटे उद्यमियों को दीर्घकालिक ऋणों के ब्याज दर में 1.45 प्रतिशत की कमी करते हुए ब्याज दर 11.65 प्रतिशत के स्थान पर 10.20 प्रतिशत पर निर्धारित की।

रबी मौसम 2020 में राज्य में समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए पंजीयन माह मार्च 2020 में शुरू किया गया था परन्तु कोविड–19 के महामारी के कारण 22 मार्च, 2020 से इसे स्थगित किया गया। कोटा संभाग में इसे 16 अप्रैल, 2020 से शुरू किया गया एवं राज्य के शेष जिलों में 1 मई, 2020 से शुरू किया गया। मौसम रबी 2020 के दौरान राज्य में सरसों/चना की खरीद के लिए गत वर्ष 250 खरीद केन्द्र थे, उनको बढाते हुए 783 खरीद केन्द्र स्थापित किए गए, ताकि किसानों को फसल विक्रय करने में किसी प्रकार की असुविधा नही हो एवं कोविड–19 संक्रमण के मध्यनजर किसानों की एक स्थान पर अधिक भीड एकत्रित नहीं हो।

*****

अध्याय

03

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

- कोविड–19 महामारी के कारण प्रवासी कामगारों को राहत प्रदान करने हेतु, गरीब कल्याण रोजगार अभियान 22 जिलों में संचालित किया गया है जिसके तहत 48.83 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) के अन्तर्गत वर्ष 2020–21, दिसम्बर 2020 तक कुल 69.29 लाख परिवारों को रोजगार प्रदान कर 3,432.36 लाख मानव दिवसों का सृजन किया गया।
- विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत, प्रत्येक विधायक द्वारा वर्ष 2020–21 और 2021–22 के लिए प्रतिवर्ष ₹1.00 करोड की राशि का उपयोग केवल स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे (उपकरण, भवन आदि) से संबंधित कार्यों में किया जायेगा।
- महात्मा गाँधी आदर्श ग्राम योजना 27 नवम्बर, 2019 को प्रारम्भ की गई। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में एक गाँव का चयन कर गाँधीवादी मूल्यों के अनुसार विकसित किया जाना है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के तहत, वर्ष 2020–21 के दौरान माह दिसम्बर, 2020 तक 2,18,500 नये आवास निर्मित किये गए।
- राजस्थान बायोफ्यूल नियम–2019 के अन्तर्गत छः बायोडीजल उत्पादक एवं दस रिटेल आउटलेट का पंजीकरण किया जा चुका है।

ग्रामीण विकास

ग्रामीण विकास, अपेक्षाकृत मुख्य धारा से दूर और बिखरी आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक स्थिति में सुधार की आवश्यक प्रक्रिया है। राज्य के नियोजित विकास के लिए क्रियान्वित लगभग सभी विकास गतिविधियों पर विशेष ध्यान देकर ग्रामीण क्षेत्रों व ग्रामीण आबादी को लाभान्वित किया जाता है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा पृथक से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की स्थापना की गई है, जो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से राज्य के ग्रामीण विकास हेतु विभिन्न स्तरों पर विशेष कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का कार्य कर रहा है।

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक कार्यक्रम/योजनाएं संचालित की जा रही हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मुख्य योजनाएं– आजीविका परियोजनाएं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना एवं डी.आर.डी.ए. (प्रशासन) प्रायोजित की जा रही हैं। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा तथा सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम, गृह मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, स्व–विवेक जिला विकास योजना, डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम व मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम आदि राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किए जा रहे हैं।

इन योजनाओं का मूल उद्देश्य गरीबी को कम करना, ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि करना, मज़दूरी आधारित रोजगार व स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना और विकास व ग्रामीण आवास में क्षेत्रीय असंतुलन को मिटाना है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं:–

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (आर.जी.ए.वी.पी.) – राजीविका की स्थापना राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में अक्टूबर, 2010 में एक स्वायत्त परिषद के रूप में की गई। यह परिषद सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत है और इसे स्वयं सहायता समूह आधारित संस्थानिक अवधारणा के आधार पर समस्त ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का कार्य सौंपा गया है।

इस सोसायटी का उद्देश्य ग्रामीण निर्धनों के लिए स्थाई वित्तीय और प्रभावी संस्थानिक आधार सृजित करना, सतत् आजीविका में वृद्धि के माध्यम से घरेलू आय में वृद्धि करना, वित्तीय व चिन्हित लोक सेवाओं तक उनकी पहुँच बढ़ाना और तेजी से बदलते बाहरी सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप उनकी व्यवहार क्षमता को बढ़ाना है। सभी ग्रामीण निर्धनों को सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (एस.ई.सी.सी.) सर्वेक्षण एवं सहभागिता पहचान प्रक्रिया द्वारा चिन्हित किया जाता है।

वर्तमान में भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित राजीविका द्वारा निम्नलिखित आजीविका परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं:–

- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) सम्पूर्ण राज्य में क्रियान्वित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में ₹195.35 करोड़ बजट प्रावधान के विरूद्ध ₹154.65 करोड़ व्यय किये गये हैं तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान दिसम्बर, 2020 तक ₹220.31 करोड़ बजट प्रावधान के विरूद्ध ₹161.10 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपान्तरण परियोजना (एन.आर.ई.टी.पी.) राज्य के 9 जिलों के 36 ब्लॉकों मे संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में ₹48.72 करोड़ बजट प्रावधान के विरूद्ध ₹7 करोड़ व्यय किये गये हैं तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान माह दिसम्बर, 2020 तक ₹36.12 करोड़ बजट प्रावधान के विरूद्ध ₹28.16 करोड व्यय किये जा चुके हैं।

राजीविका के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही मुख्य गतिविधियां में संगठन निर्माण, क्षमता संवर्द्धन, वित्तीय समावेशन, आजीविका विकास, कनवर्जेन्स, सम्मिलित है।

राजीविका– संक्षिप्त प्रगति

इस परियोजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2020 तक लगभग 21.50 लाख गरीब परिवारों को 1,84,994 स्वयं सहायता समूहों, 13,465 ग्राम संगठन (वी.ओ.) एवं 442 क्लस्टर लेवल फेडरेशन के रूप में संगठित किया गया है। 1,40,720 स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फण्ड सहयोग द्वारा वित्तीय सहायता एवं 90,066 स्वयं सहायता समूहों को आजीविका संवर्द्धन राशि उपलब्ध कराई गई है। राजीविका के अन्तर्गत क्रमोन्नत हुए स्वयं सहायता समूहों में से कुल 1,59,000 समूहों के बचत खाते बैंक में खुलवाए गए हैं एवं बैंक द्वारा 1,19,672 स्वयं सहायता समूहों को ऋण प्रदान किया गया है।

परियोजना क्रियान्वयन दृष्टिकोण

- केवल स्वयं सहायता समूहों पर ही केन्द्रित नहीं बल्कि उच्च स्तरीय सहयोग संरचना को भी विकसित करना।
- एक से अधिक बार वित्त उपलब्ध करवाना।
- बचत एवं साख (ऋण) मॉडल।
- आजीविका के स्रोतों का विविधीकरण।
- सामाजिक एवं आजीविका सुरक्षा।
- राज्य से ग्राम स्तर तक प्रतिस्पर्धात्मक सहयोग संरचना।
- समुदाय लागत आधारित ब्याज दरें।
- समुदाय से समुदाय को सीख (सी.आर.पी. मॉडल)।
- कौशल विकास एवं सुनिश्चित रोजगार।
- वैब बेस एम.आई.एस. प्रणाली, लेखा एवं वितरण सम्बन्धी प्रक्रिया की टेली सॉफ्टवेयर द्वारा प्रभावी मोनिटरिंग।

विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक की उपलब्धियों की सूचना तालिका–3.1 में दर्शाई गई है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.)

यह योजना ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने एवं समावेशी विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से सम्पूर्ण राज्य में संचालित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका सुरक्षा में वृद्धि के लिए, ऐसे प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराना है, जिसके व्यस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है। योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:–

- ग्राम पंचायत के सभी स्थानीय निवासी इस योजना के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु योग्य हैं।
- लाभान्वितों में कम से कम एक तिहाई महिलाएं होंगी।
- परिवार के सभी व्यस्क सदस्यों को पंजीकरण के 15 दिवस में फोटोयुक्त जॉबकार्ड निःशुल्क जारी किए जाते हैं।

तालिका 3.1 विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत अर्जित उपलब्धियां

क्र.स.	गतिविधियां	लक्ष्य 2020–21	प्रगति 2020–21*	संचयी प्रगति
1	स्वयं सहायता समूह गठन	20000	9506	184994
2	बैंक में खोले गए बचत खातों वाले स्वयं सहायता समूहों की संख्या	29000	18351	159000
3	क्रमोन्नत ग्राम संगठन की संख्या	3500	1098	13465
4	क्रमोन्नत क्लस्टर लेवल फेडरेशन की संख्या	40	15	442
5	रिवॉल्विंग फण्ड प्राप्त स्वयं सहायता समूहों की संख्या	27000	26109	140720
6	आजीविका संवर्धन राशि प्राप्त स्वयं सहायता समूहों की संख्या	10700	8987	90066
7	बैंक ऋण प्राप्त स्वयं सहायता समूहों की संख्या	67470	22808	119672
8	व्यय (₹करोड में)	220.31	161.10	694.39

*दिसम्बर, 2020 तक

- रोजगार हेतु आवेदन की प्राप्ति रसीद दिनांक सहित दी जाएगी।
- आवेदन की दिनांक से 15 दिवस में रोजगार उपलब्ध करवाने की गारण्टी है।
- आवेदन के 15 दिवस की अवधि में रोजगार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जाएगा।
- गांव से 5 किमी. की परिधि में ही कार्य उपलब्ध करवाया जाएगा। 5 किमी. से अधिक दूरी होने पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त मज़दूरी देय होगी।
- किए गए कार्य के आधार पर मज़दूरी का भुगतान किया जाता है।
- कार्यस्थल पर पीने के पानी, छाया, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा एवं शिशु पालना गृह की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।
- ग्राम सभा, कार्यों के चयन एवं वार्षिक कार्य योजना तैयार किए जाने हेतु मुख्य रूप से अधिकृत है।
- किसी भी ठेकेदार एवं श्रम विस्थापित मशीनों से कार्य की अनुमति नहीं है।
- ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण।
- सभी प्रकार की मज़दूरी का भुगतान केवल बैंक/डाकघरों के माध्यम से।
- ग्राम सभा को योजना की प्रगति एवं कार्य की गुणवत्ता के पर्यवेक्षण हेतु सशक्त किया गया है।
- प्रभावी जन अभाव अभियोग निराकरण प्रणाली।

मनरेगा के अकुशल श्रमिकों की कोविड–19 से सुरक्षा के लिए श्रमिकों को उचित सामाजिक दूरी बनाए रखने एवं हाथ धोने के लिए कार्यस्थल पर साबुन एवं पानी की व्यवस्था करने तथा नियमानुसार कार्य उपलब्ध करवाकर प्रत्येक श्रमिक को जॉब कार्ड जारी करने हेतु विभाग द्वारा निर्देश जारी किये गये।

वर्ष 2019–20 में कुल ₹6,701.70 करोड़ व्यय किया गया तथा 3,288.90 लाख मानव रोजगार दिवसों का सृजन कर 55.78 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। 8.48 लाख परिवारों को पूर्ण 100 दिवसों का रोजगार प्रदान किया गया है।

वर्ष 2020–21 के दौरान दिसम्बर, 2020 तक कुल ₹7,240.78 करोड़ व्यय किया गया तथा 3,432.36 लाख मानव रोजगार दिवसों का सृजन कर 69.29 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। 3.37 लाख परिवारों को पूर्ण 100 दिवसों का रोजगार प्रदान किया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण

इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) को प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण (पी.एम.ए.वाई.–जी.) में पुनर्गठित किया गया है। इस योजना का विधिवत् शुभारम्भ भारत सरकार द्वारा 20 नवम्बर, 2016 को किया गया था। योजनान्तर्गत लाभार्थी के चयन का आधार सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना–2011 के समंको के आधार पर किया जाता है। सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी को

सहायता राशि ₹1,20,000 देय है। वर्ष 2020–21 के दौरान दिसम्बर, 2020 तक ₹2,459.85 करोड़ व्यय कर 2,18,500 नए आवास निर्मित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक लाभार्थी को स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण हेतु राशि ₹12,000 देय है। मनरेगा योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को मज़दूरी (90 मानव दिवस तक) भी देय है। व्यय राशि केन्द्र व राज्य के मध्य 60:40 अनुपात में वहन की जाती है।

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.एल.ए.एल.ए.डी.)

इस योजना का उद्देश्य स्थानीय आवश्यकतानुसार आधारभूत संरचना का विकास, जनोपयोगी परिसम्पत्तियों का निर्माण और विकास के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है। यह योजना राज्य के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है। प्रत्येक विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष ₹2.25 करोड़ तक के कार्यों की अनुशंसा करने के लिए अधिकृत है। कुल वार्षिक आवंटित राशि में से कम से कम 20 प्रतिशत राशि अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के विकास पर अनुशंषित करना अनिवार्य है।

पेयजल से सम्बन्धित कार्य, सम्पर्क सड़कें, आबादी क्षेत्र में जल निकासी प्रणाली, शहरी क्षेत्र में सीवरेज का कार्य, राजकीय शिक्षण संस्थाओं के भवन निर्माण, पानी के टेंकों की सफाई, पारम्परिक जल स्रोतों का विकास कार्य, पर्यटन स्थलों पर आधारभूत विकास, पशुओं के लिए पेयजल की सुविधा, पशुओं के स्वास्थ्य के लिए चिकित्सालय/औषधालयों के भवन निर्माण, राजकीय चिकित्सालयों के लिए चिकित्सा उपकरण, चिकित्सालय/औषधालय भवन निर्माण, बस स्टैण्ड, सामुदायिक केन्द्र, खेल मैदान, विद्युतीकरण, शैक्षणिक संस्थाओं में कम्प्यूटर्स, अदालत के भवन आदि कार्य इस योजना के अन्तर्गत रखे गए हैं। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 हेतु आवंटित राशि में से प्रत्येक विधानसभा सदस्य द्वारा प्रतिवर्ष ₹1 करोड की राशि का उपयोग स्वास्थ्य आधारभूत संरचना (उपकरणों, भवनों इत्यादि) से संबंधित कार्यों में किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल उपलब्ध राशि ₹1,653.24 करोड़ के विरूद्ध ₹473.19 करोड़ व्यय कर 11,650 कार्य पूर्ण किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान दिसम्बर, 2020 तक कुल उपलब्ध राशि ₹1,479.44 करोड़ के विरूद्ध ₹213.62 करोड़ व्यय कर 5,553 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.एल.ए.डी.)

राजस्थान राज्य से 25 लोकसभा एवं 10 राज्यसभा सदस्य हैं। इस योजनान्तर्गत प्रत्येक लोकसभा सांसद अपने संसदीय क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष ₹5 करोड़ तक की राशि के कार्यों हेतु जिला कलेक्टर को अनुशंसा कर सकता है। सम्पूर्ण राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सभा के निर्वाचित सांसद राज्य के किसी भी जिले में कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं। "गम्भीर प्राकृतिक आपदा" की स्थिति में सांसद अपने संसदीय क्षेत्र/राज्य के बाहर भी देश में पुनर्वास हेतु निर्धारित दिशा–निर्देश के अनुसार प्रत्येक आपदा के लिए अधिकतम ₹1 करोड़ तक की स्थाई सम्पत्ति का निर्माण करवा सकते हैं।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के विकास के लिए सामाजिक एवं आधारभूत सुविधाओं तथा जनोपयोगी परिसम्पत्तियों का सृजन करना है, जो कि क्षेत्रीय विकास हेतु महत्वपूर्ण है। योजना में जन समूह द्वारा दीर्घ अवधि तक उपयोग में ली जाने वाली स्थायी/जनोपयोगी परिसम्पत्तियों के निर्माण पर विशेष ध्यान रखा जाता है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों का स्वामित्व सरकार में निहित होता है।

कार्य हेतु चयनित क्षेत्र में परिवर्तन सांसद की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक सम्भव हो, सम्बन्धित सांसद से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार कार्यों की सभी स्वीकृतियां प्रस्ताव प्राप्ति के 75 दिवस में प्रदान की जाती है। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, कोरोना महामारी के कारण इस योजना को वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 हेतु नॉन ऑपरेशनल रखा गया है। इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में उपलब्ध राशि ₹647.66 करोड़ के विरूद्ध ₹168.20 करोड़ व्यय कर कुल 3,385 कार्य पूर्ण किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020) तक कुल उपलब्ध राशि ₹499.61 करोड़ के विरूद्ध ₹64.66 करोड़ व्यय कर कुल 1,439 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं।

मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम

मेव समुदाय मुख्यतः अलवर व भरतपुर जिले के 12 खण्डों में बहुलता से निवास करते हैं। इस मेव बाहुल्य वाले क्षेत्र को मेवात क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास के लिए राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 1986–87 से मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मेवात क्षेत्र के लोगों के लिए

आवश्यक आधारभूत सुविधाओं तथा अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन कर क्षेत्र के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना तथा मेवात क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाना है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल उपलब्ध राशि ₹86.42 करोड के विरूद्ध ₹33.57 करोड़ व्यय कर कुल 664 कार्य पूर्ण किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान माह दिसम्बर, 2020 तक कुल उपलब्ध राशि ₹56.96 करोड के विरूद्ध ₹7.39 करोड़ व्यय कर कुल 240 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.)

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक केन्द्रीय प्रवर्तित कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम आधारभूत ढांचे के विकास और सीमावर्ती आबादी के मध्य सुरक्षा की भावना को बढावा देने के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करने के लिए शूरू किया गया था। यह कार्यक्रम राज्य के चार सीमावर्ती जिलों– बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर तथा जैसलमेर के 16 खण्डों में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल उपलब्ध राशि ₹439.96 करोड के विरूद्ध ₹202.96 करोड़ व्यय कर कुल 1,131 कार्य पूर्ण किए गए हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान माह दिसम्बर, 2020 तक कुल उपलब्ध राशि ₹303.03 करोड के विरूद्ध ₹96.60 करोड़ व्यय कर कुल 563 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं।

महात्मा गांधी जन–भागीदारी विकास योजना (एम.जी.जे.वी.वाई.)

फरवरी, 2020 में गुरू गोलवलकर ग्रामीण जन–भागीदारी विकास योजना का नाम महात्मा गांधी जन–भागीदारी विकास योजना किया गया है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, रोजगार सृजन तथा सामुदायिक सम्पत्तियों के निर्माण एवं रखरखाव के लिए जन–भागीदारी सुनिश्चित करना है। यह योजना राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है, जो केवल राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत शमशान/कब्रिस्तान की चारदीवारी के निर्माण के लिए 90 प्रतिशत राशि तथा अन्य सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु 70 प्रतिशत (टी.एस.पी. क्षेत्र की स्थिति में 80 प्रतिशत) राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। शेष राशि का संकलन जनता से किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में तक कुल उपलब्ध राशि ₹146.96 करोड के विरूद्ध ₹85.23 करोड़ व्यय कर कुल 1,012 कार्य पूर्ण किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान माह दिसम्बर, 2020 तक कुल उपलब्ध राशि ₹94.62 करोड के विरूद्ध ₹31.70 करोड़ व्यय कर कुल 400 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं।

डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम

बीहड़ क्षेत्र तथा संकुचित घाटी युक्त दस्यु ग्रस्त क्षेत्र को 'डांग क्षेत्र' के नाम से जाना जाता है। ये पिछड़े हुए क्षेत्र हैं और इनमें विकास को गति प्रदान करने हेतु आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए निवेश की आवश्यकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम वर्ष 2005–06 में राज्य सरकार द्वारा पुनः प्रारम्भ किया गया। यह कार्यक्रम 8 जिलों (सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बारां, झालावाड़, भरतपुर, कोटा एवं बून्दी) की 26 पंचायत समितियों में लागू है। इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल उपलब्ध राशि ₹83.88 करोड़ के विरूद्ध ₹42.66 करोड व्यय कर कुल 898 कार्य पूर्ण किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान माह दिसम्बर, 2020 तक कुल उपलब्ध राशि ₹44.95 करोड़ के विरूद्ध ₹8.56 करोड व्यय कर कुल 256 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं।

मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

राजस्थान का दक्षिणी–मध्य भाग, जो कि पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है, विशेषतः अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़, एवं राजसमन्द, जो जनजाति क्षेत्रीय विकास के अन्तर्गत नहीं आता है, मगरा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में विकास के स्रोत यथा– भूमि, पानी एवं पशुधन कम होने के साथ–साथ यहाँ निवासियों का भारी मौसमी पलायन होता है। यहाँ के निवासियों के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर में सुधार हेतु मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम वर्ष 2005–06 में उपरोक्त 5 जिलों के 14 खण्डों में शुरु किया गया था। वर्तमान में यह कार्यक्रम उपरोक्त जिलों के 16 खण्डों में क्रियान्वित है। इस क्षेत्र के विकास के लिए जलग्रहण विकास, लघु सिंचाई, पशुपालन, पीने का पानी, विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सड़क निर्माण की गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल उपलब्ध राशि ₹93.02 करोड के विरूद्ध ₹37.65 करोड़ व्यय कर कुल 814 कार्य पूर्ण किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान दिसम्बर, 2020 तक कुल उपलब्ध राशि ₹54.71 करोड के विरूद्ध ₹14.53 करोड़ व्यय कर कुल 206 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं।

स्व–विवेक जिला विकास

स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं के अनुसार कार्यों को पूर्ण करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं एवं विद्यमान स्थितियों को ध्यान में रखकर यह योजना वर्ष 2005–06 में प्रारम्भ की गई। क्षेत्र के विकास के लिए जलग्रहण विकास, लघु सिंचाई, पशुपालन, पीने का पानी, विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सड़क निर्माण की गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है। योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कराए जाने वाले कार्यों के लिए जिला कलेक्टर अधिकृत है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल उपलब्ध राशि ₹11.74 करोड के विरूद्ध ₹3.35 करोड़ व्यय कर कुल 104 कार्य पूर्ण किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान माह दिसम्बर 2020 तक कुल उपलब्ध राशि ₹9.58 करोड के विरूद्ध ₹1.75 करोड़ व्यय कर कुल 50 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं।

बायो–फ्यूल प्राधिकरण

बायो–फ्यूल, ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोत के रूप में ऊभर कर आया है, जिसके द्वारा ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में आगे बढा जा सकता है। राजस्थान की कृषि योग्य व्यर्थ भूमि एवं वन क्षेत्र की अनुपयोगी भूमि में रतनजोत व अन्य समकक्ष तेलीय पौधों की खेती से जैविक ईंधन के उत्पादन की प्रबल संभावनाओं को देखते हुए वर्ष 2007 में राज्य सरकार द्वारा राज्य में बायोफ्यूल नीति घोषित कर अलग से बायोफ्यूल प्राधिकरण का गठन किया गया है। राज्य के 12 जिले (बारां, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बून्दी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, राजसमन्द, सिरोही, उदयपुर एवं प्रतापगढ़) रतनजोत एवं अन्य समकक्ष तेलीय पौधों के उत्पादन के लिए उपयुक्त पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त राज्य के 8 पूर्वी जिले (अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर एवं टोंक) में करंज के पौधारोपण हेतु उपयुक्त पाए गए हैं।

राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड को राज्य की बंजर भूमि और चारागाहों को विकसित करने के उद्देश्यों के साथ 22 दिसम्बर, 2016 को ''बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड'' के रूप में पुनर्गठित किया गया है। चारागाह विकास के कार्य के लिए महात्मा गाँधी नरेगा से अभिसरण कर राज्य में दिसम्बर, 2020 तक कुल 10,613 चारागाह विकास कार्य स्वीकृत किये गये हैं।

बायो–फ्यूल प्राधिकरण की उपलब्धियाँ (दिसम्बर, 2020 तक)

- राज्य के 12 बायो–फ्यूल जिलों में मनरेगा के अन्तर्गत अभिसरण द्वारा रतनजोत/करंज के लगभग 3 करोड़ 20 लाख पौधों का रोपण कार्य किया गया।
- 8,050 जिला एवं ब्लॉक स्तर के अधिकारियों, लाभान्वितों एवं किसानों को रतनजोत पौधारोपरण की तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया।
- राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका) के महिला स्वयं सहायता समूहों के 7,542 सदस्यों को उनकी आमदनी में बढोतरी हेतु रतनजोत पौधारोपण एवं बीज एकत्रीकरण का प्रशिक्षण दिया गया।
- भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एण्ड ऑयल पाम (एन.एम.ओ.ओ.पी.) के अन्तर्गत राज्य के 20 जिलों में 1.40 लाख रतनजोत करंज, महुआ एवं नीम का पौधारोपण किया गया है।
- बायो–फ्यूल के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व बायो–फ्यूल दिवस, 2020 के अवसर पर राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया।
- राजस्थान बायोडीजल नियम–2019 तैयार किये गये एवं विश्व बायो–फ्यूल दिवस 2019 के अवसर पर लागू किये गये।
- राजस्थान बायोफ्यूल नियम–2019 के अन्तर्गत 6 बायोडीजल उत्पादक एवं दस रिटेल आउटलेट का पंजीकरण किया जा चुका है।
- न्यू नेशनल बायोगैस आर्गेनिक मैनर प्रोग्राम (एन.एन.बी.ओ.एम.पी.) के अन्तर्गत माह जनवरी, 2019 से दिसम्बर 2020 तक 748 घरेलू बायोगैस प्लांट तैयार करवाये गये एवं 627 लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तानान्तरण (डी.बी.टी.) प्रक्रिया के तहत अनुदान राशि हस्तानान्तरित की गई।

सांसद आदर्श ग्राम योजना (एस.ए.जी.वाई.)

सांसद आदर्श ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य चयनित ग्राम पंचायतों के समग्र विकास में तेजी लाना है तथा अन्य उद्देश्यों में सभी वर्गों के निवासियों के जीवन स्तर और जीवन गुणवत्ता में पर्याप्त रूप में सुधार करना सम्मिलित है एवं गाँव और उसकी जनता के मन में कुछ स्पष्ट नैतिक भावनाएं उत्पन्न करना है ताकि वह अन्य ग्रामों के लिए आदर्श बन सके। इन ग्राम पंचायतों का चयन माननीय सांसदो द्वारा किया जाता है। एस.ए.जी.वाई. की चरणवार प्रगति तालिका 3.2 में प्रदर्शित है।

तालिका 3.2 सांसद आदर्श ग्राम योजना (एस.ए.जी.वाई.) की चरणवार प्रगति

फेज	चयनित ग्राम पंचायतों की संख्या	बेसलाईन सर्वे एवं वीडीपी कार्य	वी.डी.पी. में सम्मिलित कुल कार्य	कुल पूर्ण कार्य	प्रगतिरत कार्य
I	34	34	1611	1114	145
II	31	31	2247	1534	188
III	17	17	793	326	92
IV	23	17	465	45	76
V	10	1	-	-	-

वी.डी.पी. – ग्राम विकास योजना

मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना (एम.ए.जी.पी.वाई.)

यह योजना अद्वितीय और परिवर्तनकारी है, क्योंकि यह विकास की दिशा में एक समग्र दृष्टिकोण रखती है। इस योजना के माध्यम से चयनित गांवों के कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण, आजीविका आदि विभिन्न क्षेत्रों के समग्र विकास की परिकल्पना की गई है। मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना सामुदायिक सहभागिता पर केन्द्रित है। ग्रामीणों को सामाजिक लामबंदी के द्वारा गांव में अन्य विकास गतिविधियों में तेजी लाते है। ग्राम पंचायतों को मजबूत और पारदर्शी बनाना, ग्राम सभाओं को सक्रिय करना और सुशासन के माध्यम से स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत बनाना भी इसका का मुख्य उद्देश्य है। खेल, नियमित शारीरिक व्यायाम, संतुलित पोषण एवं व्यक्तिगत स्वच्छता के माध्यम से व्यक्तित्व विकास, इस योजना का विशेष पहलू है। इस के अन्तर्गत, विभिन्न केन्द्र/राज्य प्रयोजित योजनाओं के तहत कार्य करवाये जाने का प्रावधान है।

योजना के प्रथम चरण में 196 आदर्श ग्राम पंचायतों का चयन माननीय विधायकों द्वारा किया जा चुका है एवं ग्राम विकास योजना (वी.डी.पी.) में सम्मिलित 16,643 कार्यों में से 7,077 कार्य पूर्ण एवं 674 कार्य प्रगतिरत् हैं। द्वितीय चरण में 97 आदर्श ग्राम पंचायतों का चयन माननीय विधायकों द्वारा किया जा चुका है।

स्मार्ट विलेज

वर्ष 2017–18 में ''स्मार्ट विलेज'' योजना में 3,000 से अधिक आबादी वाले गाँवों का चयन कर शहर जैसी आधुनिक सुविधाओं के साथ ग्रामों को विकसित करने के लिए प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के लिए वित्त विभिन्न विभागीय योजनाओं के तहत प्रदान किया जा रहा है। इस योजना में 3,275 गाँवों को स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित करने के लिए चयन किया गया।

स्मार्ट विलेज योजना के तहत मुख्य गतिविधियों में जल निकासी प्रबंधन एवं पक्की नालियां, सामुदायिक शौचालय का निर्माण, खुले जिम सहित सार्वजनिक पार्क/खेल मैदान, गलियों में एल.ई.डी. लाईट या सोलर लाईट, एक मुख्य मार्ग को स्व–राज मार्ग के नाम से विकसित करना, प्राथमिक/उप स्वास्थ्य केन्द्र, उच्च माध्यमिक विद्यालय, अन्न भंडार गृह, पशु चिकित्सालय, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पी.एम.ए. वाई.–जी.) के तहत सभी लाभार्थियों को आवास उपलब्ध करवाना सम्मिलित है।

महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना

महात्मा गाँधी आदर्श ग्राम योजना, राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की 150वीं जयन्ती (वर्ष 2019) के अवसर पर 27 नवम्बर, 2019 को प्रारम्भ की गई। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले के एक गाँव का चयन कर गाँधीवादी मूल्यों के अनुसार विकसित किया जाना है। योजना की मुख्य गतिविधियों में जनसंख्या नियन्त्रण के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सहयोग, बच्चों के स्वास्थ्य की जांच और टीकाकरण, नशा मुक्त समाज की स्थापना तथा शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है।

इस योजना में किए जाने वाले कार्यों में सभी प्राकृतिक संसाधनों, ऐतिहासिक धरोहरों, सांस्कृतिक धरोहरों, धार्मिक स्थलों, शमशान, कब्रिस्तान आदि की सुरक्षा एवं सतत् सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास, आवास एवं शौचालय उपलब्ध कराना शामिल है।

इस योजना का उद्देश्य सद्भावना का माहौल विकसित करने हेतु प्रत्येक वर्ष स्वतन्त्रता दिवस, महात्मा गाँधी जयंती और गणतन्त्र दिवस का आयोजन करना है। इसके साथ ही प्रत्येक वर्ष 14 नवम्बर को उक्त गांवों में ''मेरा गांव मेरा गौरव'' दिवस भी आयोजित किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य

के 22 जिलों में ''गांधी ज्ञान केन्द्र पुस्तकालय एवं वाचनालयों'' का उद्घाटन किया गया है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी, रूर्बन मिशन (एस.पी.एम.आर.एम.)

श्यामा प्रसाद मुखर्जी, रूर्बन मिशन (एस.पी.एम.आर.एम.), हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक एवं भौतिक रूप से स्थायी क्षेत्र बनाने का प्रयास है। इस मिशन का उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार करते हुए देश का स्थायी एवं संतुलित क्षेत्रीय विकास करना है। राष्ट्रीय रूर्बन मिशन (एन.आर.यू.एम.) का उद्देश्य अगले तीन वर्षो में देश भर में 300 ग्रामीण विकास क्लस्टरों का निर्माण करना है। राज्य में प्रथम चरण 2015–16 में भरतपुर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर और उदयपुर जिलों में पाँच क्लस्टरों का चयन किया गया है। द्वितीय चरण 2016–17 के लिए राज्य में अलवर, बीकानेर, जालौर, प्रतापगढ, बांसवाड़ा और जयपुर जिलों में छः क्लस्टरों का चयन किया गया है। तृतीय चरण 2017–18 के लिए राज्य में बांसवाडा, डूंगरपुर, प्रतापगढ और हनुमानगढ जिलों में चार क्लस्टरों का चयन किया गया है। इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल उपलब्ध राशि ₹130.20 करोड के विरूद्ध ₹37.95 करोड़ व्यय कर कुल 296 कार्य पूर्ण किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान माह दिसम्बर, 2020 तक कुल उपलब्ध राशि ₹122.85 करोड के विरूद्ध ₹48.78 करोड़ व्यय कर कुल 413 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं।

पंचायती राज

राजस्थान, देश में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू करने में अग्रणी राज्य रहा है, जहाँ देश में पंचायती राज व्यवस्था को नागौर जिले से 2 अक्टूबर, 1959 को देश के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा आरम्भ किया गया था। दिनांक 24 अप्रैल, 1993 को भारतीय पंचायती राज इतिहास में ऐतिहासिक दिन रहा है, जब पंचायती राज संस्थाओं को प्रशासन के तृतीय स्तर के रूप में संवैधानिक दर्जा प्रदान कर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों को पूर्ण करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायतों को स्वायत्त इकाई के रूप में स्थापित करने हेतु पर्याप्त शक्तियां एवं अधिकार प्रदान किए गए। संविधान के अनुच्छेद–243(जी) में पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियों के महत्वपूर्ण मुद्दे समाहित हैं। संवैधानिक संशोधनों के अनुक्रम में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1953 को 1994 में संशोधित किया गया तथा पंचायती राज नियम, 1996 में लागू किए गए।

पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्थाः

ग्राम पंचायत– ग्राम पंचायत प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय है और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है, जो विशिष्ट उत्तरदायित्वों के साथ स्थानीय सरकार है। ग्राम पंचायत की भाँति, ग्राम सभा, ग्राम के सम्पूर्ण नागरिकों की सामान्य सभा है।

पंचायत समिति– पंचायत समिति एक स्थानीय निकाय है। यह ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद के बीच की कड़ी है।

जिला परिषद– जिला परिषद, ग्रामीण आबादी के लिए आवश्यक सेवाएं एवं सुविधाएं प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर एक स्थानीय निकाय है।

पंचायती राज विभाग/संस्थाओं के मूल कार्य हैं:–

- पंचायती राज संस्थाओं में 73वें संवैधानिक संशोधन की मूल भावना के अनुसार विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था को सुनिश्चित करना।
- पीसा (पी.ई.एस.ए.) अनुसूचित क्षेत्रों में नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन।
- पंचायती राज संस्थानों में कार्मिकों की भर्ती सहित सभी प्रशासनिक/संस्थापन कार्य।
- पंचायती राज संस्थाओं में संगठन क्षमता का निर्माण, निर्वाचित प्रतिनिधियों की व्यावसायिक क्षमता, विशेषतः निर्वाचित महिला जन–प्रतिनिधियों एवं कार्मिकों की क्षमता का संवर्द्धन करना ताकि वे अपनी भूमिकाओं का प्रभावी रूप से निर्वहन कर सकें।
- उपलब्ध विभिन्न संसाधनों और अनेक योजनाओं के समन्वयन में बेहतर परिणामों की प्राप्ति के लिए पंचायती राज संस्थाओं और जिला आयोजना समिति के माध्यम से एकीकृत विकेन्द्रीकृत सहभागितापूर्ण आयोजना निर्माण की व्यवस्था स्थापित करना।
- सामाजिक अंकेक्षण के लिए ग्राम सभाओं को मजबूत बनाना ताकि पंचायती राज संस्थाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
- पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के जीवन से सीधी जुड़ी विभिन्न योजनाओं यथा– चौदहवां वित्त आयोग, पंचम राज्य वित्त आयोग, स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) एवं राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सहित राज्य एवं केन्द्र द्वारा संचालित विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रमों की निगरानी एवं प्रभावी क्रियान्वयन द्वारा समावेशी विकास सुनिश्चित करना।
- पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से क्षेत्रीय पिछड़ेपन को कम करना।
- ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए समयबद्ध तरीके से क्रियात्मक व्यवस्था के साथ सभी को स्वच्छता और स्वच्छ पर्यावरण सुविधा उपलब्ध कराना।

- सभी घरों, सरकारी स्कूलों एवं आँगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यशील शौचालय एवं मूत्रालय की समुचित व्यवस्था कर सभी परिवारों के उपयोग हेतु योग्य बनाना।
- पंचायतों को ई–एनेबलमेंट के माध्यम से अपने कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही हेतु सहयोग प्रदान करना।

केन्द्र एवं राज्य द्वारा संचालित विभिन्न फ्लैगशिप एवं विकास कार्यक्रम, जो कि सीधे ही ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन से जुड़े हैं और समावेशी विकास को बढ़ाते हैं, उनका क्रियान्वयन राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा किया जाता है। वर्तमान में 33 जिला परिषद, 352 पंचायत समितियां और 11,341 ग्राम पंचायतें राज्य में अस्तित्व में हैं।

पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान

पन्द्रहवां वित्त आयोग

पन्द्रहवें वित्त आयोग, की पंचाट अवधि 2020–21 से 2024–25 तक (5 वर्ष) है। पंचम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राशि पंचायती राज संस्थाओं यथा जिला परिषद्, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत में क्रमशः 5:20:75 के अनुपात में वितरित की जायेगी। 15 वें वित्त आयोग, भारत सरकार की अन्तरिम रिपोर्ट में अनुशंसित अनुदान का 50 प्रतिशत अनटाईड अनुदान एवं 50 प्रतिशत टाईड अनुदान के रूप में होगा। अनटाईड अनुदान का उपयोग स्थानीय आवश्यकताओं जैसे स्ट्रीट लाईट और प्रकाश व्यवस्था, सार्वजनिक परिसम्पत्तियों/भवनों जैसे प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों, स्वास्थ्य उप केन्द्रों, सहकारी बीज एवं उर्वरक भण्डारण केन्द्रों, सडकों की मरम्मत, उद्यान, खेल मैदान, शमशान स्थलों के रखरखावत की व्यवस्था को पूरा करने हेतु किया जा सकेगा। टाईड अनुदान का उपयोग स्वच्छता, खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति को बनाये रखने एवं बुनियादी सेवाओं यथा पेयजल आपूर्ति, जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के लिए किया जा सकेगा। वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु ₹2,000 करोड़ के बजट प्रावधान के विरूद्ध दिसम्बर, 2020 तक राशि ₹1,931 करोड़ (प्रथम किस्त) पंचायती राज संस्थाओं को हस्तानान्तरित की गई एवं राशि ₹677.04 करोड़ व्यय किया जाकर कुल 11,602 कार्य पूर्ण किए गए है।

चौदहवां वित्त आयोग

चौदहवें वित्त आयोग की पंचाट अवधि 2015–16 से 2019–20 तक (5 वर्ष) थी। चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत अनुदान ग्राम पंचायतों को दिया जाता है। इस अनुदान का उपयोग जलापूर्ति, स्वच्छता, सीवरेज, जल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था, ग्रामीण सड़कों एवं फुटपाथों, पार्कों, खेल मैदानों तथा कब्रिस्तान एवं शमशान स्थलों का रखरखाव जैसी मूलभूत सेवाओं को प्रदान करने एवं सुदृढ़ करने हेतु किया जाता है। चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्रदत्त अनुदान के उपयोग हेतु कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत ही है। जिला परिषद एवं पंचायत समिति उक्त अनुदान का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान दिसम्बर, 2020 तक कुल ₹877.85 करोड़ का व्यय किया जाकर 28,281 कार्य पूर्ण किए गए हैं।

पंचम राज्य वित्त आयोग

- पंचम राज्य वित्त आयोग की पंचाट अवधि 2015–2020 है। आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व के 7.182 प्रतिशत हिस्से का वितरण पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य 75.10 एवं 24.90 के अनुपात में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाना है।
- आयोग द्वारा वर्ष 2019–20 की अन्तिम रिपोर्ट के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के मध्य राशि के वितरण का अनुपात 5:20:75 रहेगा।
- संस्तुति के अनुसार, अनुदान की 55 प्रतिशत राशि का उपयोग मूलभूत एवं विकास कार्यों के लिए, 40 प्रतिशत राशि का उपयोग राष्ट्रीय और राज्य प्राथमिकता योजनाओं को लागू करने के लिए एवं शेष 5 प्रतिशत राशि विभिन्न कार्यों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के प्रोत्साहन के लिए है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल राशि ₹2,267.93 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राशि ₹294.93 करोड़ (पंचायत सहायकों के मानदेय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 हेतु) एवं राशि ₹49.44 करोड (कोविड–19 स्पेशल पैकेज हेतु) ग्राम पंचायतों को जारी किये गये। दिनांक 1 अप्रैल, 2020 को उपलब्ध प्रारम्भिक शेष सहित वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान दिसम्बर, 2020 तक कुल ₹434.70 करोड़ व्यय कर 13,942 कार्य पूर्ण करवाए गए हैं।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर, 2014 को प्रारम्भ किया गया था। मार्च, 2018 तक राज्य खुले में शौच से मुक्त (ओ.डी.एफ.) हो चुका है। भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का द्वितीय चरण वर्ष 2020–21 से प्रारम्भ किया गया है जो पांच वर्षो तक क्रियान्वित किया जावेगा।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एस.बी.एम.जी. II का मुख्य उदेश्य गांवों में ओ.डी.एफ. की स्थिति को बनाए रखना है और ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन द्वारा स्वच्छता के स्तर में सुधार कर गांवों को ओ.डी.एफ.प्लस बनाना है।

स्वच्छ भारत मिशन हेतु प्रावधान (एस.बी.एम.–जी.):

व्यक्तिगत शौचालय (आई.एच.एच.एल.): व्यक्तिगत शौचालय की एक ईकाई के निर्माण एवं उपयोग के लिए गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों (बी.पी.एल.) एवं चिन्हित गरीबी रेखा के ऊपर के परिवारों (ए.पी.एल.) (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, लघु एवं सीमांत कृषक, भूमिहीन मजदूरों, शारीरिक रूप से विकलांग एवं महिला मुखिया वाले परिवारों) को राशि ₹12,000 तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान दिसम्बर 2020 तक राशि ₹544.38 करोड व्यय की जाकर कुल ₹2,57,313 शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है।

सामुदायिक स्वच्छता केन्द्र (सी.एस.सी.): ग्राम पचांयत द्वारा ₹3.00 लाख की लागत से विकलांग व्यक्ति के लिए विशेष प्रावधान के साथ सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया जा रहा है। जिसमें 30 प्रतिशत राशि 15वें वित्त आयोग से व्यय करने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान दिसम्बर 2020 तक राशि ₹50.17 करोड व्यय की जाकर कुल 10,695 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किए गए हैं।

ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन (एस.एल.आर.एम.) : राज्य के 8,653 गांवों में ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन कार्य किए जाने का प्रस्ताव है, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से 70 प्रतिशत राशि एवं 15 वें वित्त आयोग से 30 प्रतिशत राशि व्यय करने का प्रावधान है। उपरोक्त गांवों के ठोस और तरल कचरा प्रबंन्धन की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

विशेष उपलब्धि: केन्द्र सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार और स्वच्छता सुविधा प्रदान किये जाने हेतु गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया गया। राज्य के सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण के लक्ष्यों के विरूद्ध 70 प्रतिशत प्रगति हासिल की है। योजनान्तर्गत जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्य को तृतीय स्थान प्राप्त करने पर पुरस्कृत किया गया है।

पंचायत पुरस्कार

73वें संविधान संशोधन के अनुसार भारत सरकार द्वारा यह योजना वर्ष 2010–11 में लागू की गई है। इसके तहत प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निम्न श्रेणियों में पुरस्कार दिये जाते हैं:–

- दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार (डी.डी.यू.पी.एस.पी.): इसके अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट कार्य करने वाली राज्य की एक जिला परिषद, दो पंचायत समितियों एवं पाँच ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाता है। वर्ष 2020 में चयनित पंचायती राज संस्थाओं हेतु राज्य को 163 लाख की राशि पुरस्कार स्वरूप प्राप्त हुई, जिसे संबंधित पंचायती राज संस्थाओं को हस्तानान्तरित किया गया। वर्ष 2020 में पुरस्कृत पंचायती राज सस्थाओं का विवरण तालिका 3.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.3 पुरस्कृत पंचायती राज संस्थाओं का विवरण

क्रम संख्या	पुरस्कृत पंचायती राज संस्थाएं
1	जिला परिषद–गंगानगर, जिला गंगानगर
2	पंचायत समिति–मण्डौर, जिला जोधपुर
3	पंचायत समिति–लाडपुरा, जिला कोटा
4	ग्राम पंचायत–भाडूण्डा खुर्द, पंचायत समिति–झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं
5	ग्राम पंचायत–उदावास, पंचायत समिति–झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं
6	ग्राम पंचायत– 4-के.एस.एम. पंचायत समिति–अनूपगढ़, जिला गंगानगर
7	ग्राम पंचायत– 12-एन.डी. पंचायत समिति–अनूपगढ़, जिला गंगानगर
8	ग्राम पंचायत–नंदरी, पंचायत समिति–मण्डौर, जिला जोधपुर

- नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार (एन.डी.आर.जी.जी.एस.पी.): इसके अन्तर्गत पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा तय किए गए अधिनियमों, नियमों और प्रावधान के अनुसार ग्राम सभा के उत्कृष्ट आयोजन के लिए एक ग्राम पंचायत का चयन कर पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 2020 में ग्राम पंचायत जखौरा, पंचायत समिति लाडपुरा, जिला परिषद् कोटा का चयन किया गया है और ₹10 लाख की राशि से पुरस्कृत किया गया।
- बाल हितेषी ग्राम पंचायत पुरस्कार (सी.एफ.जी.पी.ए.): इसके अन्तर्गत सर्वश्रेष्ठ बाल हितैषी कार्य करने पर राज्य की एक ग्राम पंचायत को पुरस्कृत किया जाता है। वर्ष 2020 हेतु ग्राम पंचायत सुनारा, पंचायत समिति निवाई, जिला टोंक को पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चयनित किया गया है और ₹5 लाख की राशि से पुरस्कृत किया गया।
- ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.ए.) पुरस्कार– यह पुरस्कार वर्ष 2019 से शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत राज्य से एक ग्राम पंचायत को सहभागी नियोजन, गुणवत्ता पूर्ण नियोजन, संवहनीय विकास लक्ष्यों का समावेश, शून्य एवं कम लागत की गतिविधियों का समावेश, मॉनेटरिंग एवं सफल क्रियान्वयन का प्रभावी ढांचा, कन्वेर्जेन्स, निजी आय का नियोजन, दस्तावेजीकरण तथा योजना नियोजन में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग इत्यादि के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वर्ष 2020 में ग्राम पंचायत–नंदरी, पंचायत समिति–मण्डौर, जिला–जोधपुर को पुरस्कृत किया गया है और ₹5 लाख की राशि से पुरस्कृत किया गया।

ग्राम पंचायत विकास योजना

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार वर्ष 2015 से ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) का निर्माण किया जा रहा है। ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा जी. पी.डी.पी. की गुणवत्ता एवं उसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य की विशिष्ट मार्गदर्शिका ''आपणी योजना आपणो विकास'' पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के केन्द्रीय मॉडल दिशा–निर्देशों के अनुरूप तैयार की जा चुकी है। ग्राम पंचायत विकास योजनाएं ग्राम सभा में प्रस्ताव लेकर भागीदारी मोड में तैयार की जाती है। सक्षम अधिकारियों से नियोजित गतिविधियों की व्यवहार्यता और तकनीकी पुष्टिकरण के पश्चात् ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित जी.पी.डी.पी. को ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जाता है।

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021–22 की विकेन्द्रीकृत सहभागी ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) तैयार करने के लिए सभी राज्यों में जन योजना अभियान (2 अक्टूबर, 2020 से 31 जनवरी, 2021) ''सबकी योजना, सबका विकास'' चलाया गया है। उक्त अभियान के तहत लोगों की भागीदारी, आवश्यकताओं की पहचान कर सहभागी एवं समन्वित ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी. डी.पी.) तैयार की जा रही हैं एवं ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड की जा रही हैं।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.)

पंचायत सशक्तिकरण अभियान (पी.एस.ए.) के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2018–19 से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.) के नाम से क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत वित्तीय प्रावधान 60 प्रतिशत केन्द्रीयांश एवं 40 प्रतिशत राज्यांश के रूप में है। इस योजना में विशेष ध्यान जन–प्रतिनिधियों एवं कार्मिकों की क्षमता संवर्द्धन, पंचायती राज संस्थानो का आधारभूत संरचनात्मक निर्माण कार्य एवं प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियों पर है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020–21 हेतु ₹103.04 करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया। वित्तीय वर्ष 2020–21, दिसम्बर 2020 तक कुल राशि ₹15.58 करोड (₹9.35 करोड़ केन्द्रीयांश एवं ₹6.23 करोड राज्यांश) जारी किये गये एवं राशि ₹7.70 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं।

विलेज मास्टर प्लान

शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसंख्या विस्तार, खेल सुविधा, पार्क, सरकारी भवन, सड़क और अन्य विकास गतिविधियों हेतु भविष्य के प्रावधान के लिए भूमि की आवश्यकता के आंकलन का मास्टर प्लान बनाया जाएगा। आगामी 30 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये राजस्व विभाग और पंचायती राज विभाग के कार्मिकों द्वारा संयुक्त रूप से विलेज मास्टर प्लान तैयार किये जा रहे हैं। जन–प्रतिनिधि और अन्य नागरिकों को भी उनके सुझावों के लिए आमंत्रित किया जाता है। सर्वप्रथम ग्राम पंचायत की बैठक में प्लान को मंजूरी दी जाएगी और फिर ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। प्लान की पूर्ण जानकारी के साथ–साथ प्रगति ई–पंचायत पोर्टल पर उपलब्ध करवाई जा रही है। राज्य के समस्त 46,106 गांवों के विरूद्ध 41,597 गांवों की आवश्यकताओं का आकलन एवं भूमि का चिन्हिकरण करने संबंधी सर्वे कार्य करवाया जा चुका है।

ग्राम पंचायत भवन निर्माण

ग्राम पंचायतों के भवनों का निर्माण कम से कम 5 बीघा भूमि में करने के लिए प्रस्तावित किया गया है, ग्रामीण सचिवालय की दृष्टि और आम आदमी को सुविधा प्रदान करने के लिए एक परिसर में सभी कार्यालयों को ग्राम पंचायत स्तर पर लाने का प्रावधान है। इन ग्राम पंचायतों के मॉडल ड्रॉइंग और नक्शे पूर्व में ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। प्रत्येक भवन की सम्भावित लागत ₹50 लाख है।

वर्ष 2014 में, राज्य में 723 नवीन ग्राम पंचायतें गठित की गईं। इन 723 ग्राम पंचायतों में से 685 ग्राम पंचायतों हेतु भूमि आवंटित की गई है और 678 ग्राम पंचायतों के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है, 539 कार्य पूर्ण हो चुके हैं और 129 कार्य प्रगति पर हैं। 14 ग्राम पंचायतें स्कूल भवनों और अन्य सरकारी भवनों/परिसर में संचालित हो रही हैं।

वर्ष 2019 में, राज्य में 1,456 नवीन ग्राम पंचायतें गठित की गईं। इन 1,456 ग्राम पंचायतों में से 917 ग्राम पंचायतों हेतु भूमि आवंटित की गई है और 616 ग्राम पंचायतों को वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है एवं 314 कार्य प्रगति पर हैं। 63 ग्राम पंचायतें स्कूल भवनों और अन्य सरकारी भवनों/परिसर में संचालित हो रही हैं।

पंचायत समिति भवन निर्माण

वर्ष 2014 में, राज्य में 47 पंचायत समितियों का गठन किया गया था। इनमें से 33 पंचायत समिति के भवनों के कार्य पूर्ण किये जा चूके हैं एवं 13 कार्य प्रगति पर हैं। प्रत्येक पंचायत समिति के लिए भवन की सम्भावित लागत राशि ₹250–300 लाख है। इन भवनों के निर्माण के लिए, राज्य सरकार द्वारा राशि ₹200 लाख का प्रावधान किया गया है और शेष राशि अन्य विभागीय योजनाओं से वहन की जा रही है।

वर्ष 2019 में, राज्य में 57 पंचायत समितियों का गठन किया गया था। 21 पंचायत समितियों को भूमि आवंटित कर दी गई है। 3 पंचायत समितियां स्कूल भवनों और अन्य सरकारी भवनों/परिसर में संचालित हो रही हैं। इन भवनों हेतु कोष की व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है।

अम्बेडकर भवन

बजट घोषणा, 2019–20 के अनुसार नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पालिका मुख्यालयों को छोड़कर शेष सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर अम्बेडकर भवन बनाया जायेगा। तद्नुसार कुल 146 पंचायत समिति मुख्यालयों पर पंचायत समितियों के माध्यम से अम्बेडकर भवन बनाया जायेगा। एक अम्बेडकर भवन की अनुमानित लागत राशि ₹55.00 लाख है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत ₹80.30 करोड की होगी। 146 अम्बेडकर भवनों में से 121 भवनों हेतु भूमि चिन्हित कर ली गई है।

कोविड–19 की रोकथाम के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों में किये गये विशिष्ट कार्य/प्रयास निम्नानुसार हैः–

- ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए एक विशेष अभियान प्रारम्भ किया गया। पांचवे राज्य वित्त आयोग के तहत कोविड–19 की रोकथाम हेतु प्रत्येक जिले को ₹5.00 लाख, प्रत्येक पंचायत समिति को ₹1.50 लाख तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत को ₹50 हजार व्यय करने के लिए अधिकृत किया गया। पंचम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत कुल राशि ₹49.44 करोड हस्तानान्तरित किये गये जिसमें से दिसम्बर, 2020 तक लगभग ₹32 करोड का व्यय किया गया।
- ग्राम पंचायतों द्वारा ग्रामीणों एवं कोरोना योद्धाओं को मास्क, हैंड–ग्लव्स, सैनिटाइजर, मैनुअल स्प्रे मशीन, खाने के पैकेट, सूखे राशन के पैकट वितरित किए गये तथा सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव भी किया गया।
- राज्य के 22 जिलों में कोविड–19 महामारी के मध्यनजर गांवों में लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जी.के.आर.ए.) लागू किया गया है। अभियान में केन्द्रीय अनुदान से ₹877.18 करोड का व्यय किया जाकर 48,82,629 मानव दिवस सृजित किये गये।

राजीव गाँधी जल संचय योजना (आर.जी.जे.एस.वाई.)

राजस्थान जल उपलब्धता की दृष्टि से काफी पिछड़ा राज्य है, जहाँ भू–जल उपलब्धता के गिरते स्तर एवं बारहमासी जलप्रवाह की कमी के कारण, स्थिति और विकट होती जा रही है। यहां के पर्यावरण, भौगोलिक स्थिति एवं बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता जल उपलब्धता की इस स्थिति को और अधिक विकट बना रही है। अधिकतम वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण और उपलब्ध जल स्रोतों के विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने, पानी की कमी के मुद्दे को हल करने और प्रभावी अभिसरण के माध्यम से राज्य में भू–जल और खेती योग्य क्षेत्र की स्थिति में सुधार करने के लिए राजीव गांधी जल संचय योजना (आर.जी.जे.एस.वाई.) 20 अगस्त, 2019 को शुरू की गई।

राजीव गांधी जल संचय योजना के प्रथम चरण का सूत्रपात राज्य के 33 जिलों के सभी 295 ब्लॉकों के 4,000 गांवों में

किया गया है। प्रथम फेज की निर्धारित कार्य अवधि 2 वर्ष है। प्रथम चरण के अन्तर्गत लगभग 1.88 लाख कार्य चिन्हित किये गये हैं जिसकी लागत लगभग ₹2,250 करोड है। दिसम्बर, 2020 तक 23,146 कार्य शुरू किए गए हैं एवं 19,036 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–वाटरशेड कम्पोनेंट (पी.एम.के.एस.वाई.–डब्ल्यू.सी.)/इंटिग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम (आई.डबल्यू.एम.पी.)

जलग्रहण विकास कार्यों के माध्यम से भूमि के उपचार के लिए वर्ष 2009–10 में इंटिग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम (आई.डबल्यू.एम.पी.) शुरू किया गया था। आई.डबल्यू. एम.पी. के तहत स्वीकृत परियोजनाएं 2015–16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड कम्पोनेंट) के तहत चल रहीं हैं। दिसम्बर, 2020 तक कुल ₹4,161.87 करोड़ की राशि केन्द्र और राज्य के अंश के रूप में प्राप्त हुई है, जो स्वीकृत राशि का 53.29 प्रतिशत है। दिसम्बर 2020, तक ₹4,030.52 करोड़ का व्यय किया जा चुका है एवं कुल 33.41 लाख हैक्टेयर क्षेत्र उपचारित किया गया है।

ग्रामीण आधारभूत संरचना

ग्रामीण सडकें

सड़कें आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं एवं सामाजिक हितों की पूर्ति करती है। देश के विकास और उन्नति में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सड़क तंत्र रोजगार, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाएं उपलब्ध कराने के अतिरिक्त गरीबी के विरूद्ध संघर्ष मे भी महत्वपूर्ण योगदान देता हैं।

सड़क तंत्र में एक्सप्रेस–वे के साथ पूरक स्थानीय सड़कें भी होनी चाहिए, जिससे तेज गति के वाहनों का बाधा रहित आवागमन हो सके। अच्छी स्थिति की पक्की सड़कें वाहन की परिचालन लागत में 15 से 40 प्रतिशत की कमी लाती है। राज्य में ग्रामीण सडकों की लम्बाई तालिका–3.4 में दी गई है:–

तालिका– 3.4 राज्य में 31.03.2019 तक ग्रामीण सडकों की लम्बाई

डामर	मैटल	ग्रेवल	मौसमी	योग
139623.23	1692.16	36223.39	2678.57	180217.35

राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार 43,264 आबाद ग्राम हैं। वर्ष 2019–20 तथा दिसम्बर, 2020 तक विभिन्न आबादी–समूह के अनुसार डामर की सड़क से जुड़े गांवों का विवरण तालिका–3.5 में दर्शाया गया है:–

तालिका–3.5 गांवों का सड़क संयोजन

क्र.सं.	आबादी समूह	कुल आबाद ग्रामों की संख्या (जनगणना 2011 के अनुसार)	सड़कों से जुड़े ग्रामों की संख्या मार्च, 2020 तक	सड़कों से जुड़े ग्रामों की संख्या दिसम्बर, 2020 तक (प्रावधानिक)	सड़कों से जुड़े ग्रामों का प्रतिशत
1	1000 व अधिक	17284	17136	17176	99.38
2	500-1000	12421	11704	11721	94.36
3	250-500	7638	6116	6116	80.07
4	100-250	3518	1739	1739	49.43
5	100 से कम	2403	880	880	36.62
योग		**43264**	**37575**	**37632**	**86.98**

वित्तीय वर्ष 2020–21 के अन्तर्गत सड़क विकास हेतु दिसम्बर 2020 तक अर्जित उपलब्धियॉ निम्न है :–

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मिसिंग लिंक, राज्य सड़क निधि एवं ग्रामीण सड़क के अन्तर्गत 821 किलोमीटर डामर सड़कों का निर्माण किया गया।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 250 एवं अधिक आबादी के 6 आबाद (ढ़ाणी/मजरों) को जोड़ा गया।
- राज्य सड़क निधि ग्रामीण सम्पर्क योजना के अन्तर्गत जनगणना 2011 के अनुसार 500 एवं अधिक आबादी के 57 गावों को जोड़ा गया।
- 40 किलोमीटर ग्रामीण गौरव पथ (सीसी रोड) का निर्माण किया गया।
- वर्ष 2019–20 की बजट घोषणा के अनुसार, आगामी 5 वर्षों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में वॉल टू वॉल विकास पथ का निर्माण किया जाना है। विकास पथ सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक, ढकी हुई नालियां एवं यूटिलिटी सेवाओं इत्यादि के साथ बनाये जाने हैं। विकास पथ के ग्राम और एलाइनमेंट का चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। प्रथम चरण में 183 ग्राम पंचायतों में 173.75 किलोमीटर लम्बाई एवं ₹143.53 करोड़ की अनुमानित लागत के विकास पथ निर्माण की स्वीकृति नवंबर 2019 में जारी कर दी गई है। 38 कार्य पूर्ण हो गए है और 145 कार्य प्रगतिरत हैं। वर्ष 2020–21 में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में दो विकास पथ या 8 से 10 किलोमीटर लम्बी सड़क का नवीनीकरण किया जाना है।

ग्रामीण विद्युतीकरण

राज्य में शत प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा दिसम्बर, 2020 तक 43,199 गांवों तथा 1.14 लाख ढाणियों को विद्युतीकृत किया गया एवं 93.88 लाख ग्रामीण परिवारों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराये गये। मार्च, 2019 तक ग्रामीण क्षेत्रों के सभी इच्छुक परिवारों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराये गये। वर्ष 2020–21 के दौरान माह दिसम्बर, 2020 तक किसानों को 30,711 कृषि विद्युत कनेक्शन जारी किये गये।

ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूडा)

राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूडा) की स्थापना माह नवम्बर, 1995 में एक स्वतंत्र अभिकरण के रूप में राज्य में ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक स्वतंत्र एजेन्सी के रूप में की गई थी। रूडा, स्थायी आजीविका के व्यवहारिक मार्ग के रूप में दस्तकार परिवारों को स्वरोजगार प्रदान करने के अवसर को बढ़ावा देने के लिए उप क्षेत्रीय, एकीकृत एवं क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। राज्य के दस्तकारों के विकास के लिए रूडा विभिन्न सुधारों को लागू करता है, जिसमें कौशल वृद्धि, तकनीकी विकास एवं प्रसार, डिजाइन एवं उत्पाद विकास, मेलों और प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन के माध्यम से ऋण और बाजार सुविधा/सहायता शामिल है। इन गतिविधियों के द्वारा बड़ी संख्या में दस्तकारों, बुनकरों, कुम्भकारों, मूर्तिकारों को स्थायी रोजगार प्रदान किया जा रहा है।

रूडा के इन क्रियाकलापों का प्रभाव राजस्थान जैसे सुखा प्रभावी राज्य में भाग लेने वाले दस्तकारों की ऊन, चर्म, लघु खनिज आदि उपक्षेत्रों में स्वरोजगार द्वारा अतिरिक्त सतत् आय तथा क्षमताओं में बढोतरी के रूप में देखा जा सकता है। भारत में यह संस्था गैर कृषि क्षेत्र को विकसित करने के क्षेत्र में अनोखी है।

भौगोलिक संकेतक (जी.आई.) पंजीकरणः– बौद्धिक सम्पदा अधिकार पहल के तहत पोकरण पोटरी, ब्ल्यू पोटरी, कोटा डोरिया तथा सांगानेर एवं बगरू हैण्ड ब्लॉक प्रिन्टिंग जैसे शिल्प के लिए रूडा ने जी.आई. (भौगोलिक संकेतक) पंजीकरण प्राप्त किया है।

रूडा प्रमुख रूप से तीन उप क्षेत्रों के अन्तर्गत अपनी गतिविधियां संचालित करता हैः–

- चमड़ा
- ऊन एवं वस्त्र
- लघु खनिज (एस.सी.पी.)

राज्य आयोजना मद रूडा की गतिविधियों के संचालन के लिए वित्त का मुख्य स्रोत है। इस मद में वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए ₹225.00 लाख का वित्तीय प्रावधान कर 1,500 दस्तकारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया जिसके विरूद्ध दिसम्बर, 2020 तक कुल ₹88.94 लाख व्यय किए गए हैं।

*****

अध्याय

04 औद्योगिक विकास

- राजस्थान राज्य देश के कच्चे तेल उत्पादन में लगभग 22–23 प्रतिशत योगदान के साथ दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
- राजस्थान सीसा एवं जस्ता अयस्क, सेलेनाईट और वॉलेस्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य है। देश में चाँदी, केल्साइट और जिप्सम का लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान में होता है।
- वर्तमान सिंगल विण्डो क्लीयरेन्स सिस्टम को सुदृढ़ बनाने और निवेश प्रस्तावों को अधिक प्रभावी रूप से सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से ''वन स्टॉप शॉप'' सुविधा की स्थापना की जा रही है।
- राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम (फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेबलिशमेंट एण्ड ऑपरेशन) अधिनियम–2019, के अन्तर्गत पंजीकृत एमएसएमई इकाईयों को 3 साल की अवधि तक राज्य के सभी कानूनों के तहत अनुमोदन और निरीक्षण से छूट दी गई है।
- राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना – 2019 के अन्तर्गत विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के उद्योगों में नवीन निवेश हेतु 7 वर्षो के लिए एस.जी.एस.टी का 100 प्रतिशत तक पुनर्भरण तथा विद्युत कर, स्टाम्प ड्यूटी एवं मण्डी शुल्क में 100 प्रतिशत तक छूट जैसी रियायतें प्रदान की जा रही हैं।
- राज्य सरकार द्वारा दिनांक 19 अगस्त, 2020 को अधिसूचना जारी कर 1 मई, 2019 से न्यूनतम मजदूरी की दरों में अभिवृद्धि कर अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी क्रमशः ₹225, ₹237, ₹249 व ₹299 प्रतिदिन कर दी गई है।

औद्योगिक परिदृश्य

सरकार द्वारा किए गए उद्योग आधारित अनेक सुधारात्मक पहलों के कारण राज्य के समग्र औद्योगिक वातावरण में काफी सुधार हुआ है। राज्य सरकार का प्रयास पूर्णतः पर्यावरण संवहनीय औद्योगीकरण के साथ रोजगार के अधिकतम अवसर सृजित करना एवं राज्य के राजस्व में वृद्धि करना है। राज्य के सकल राज्य मूल्य संवर्द्धन (जी.एस.वी.ए.) में उद्योग क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान 2020–21 में प्रचलित कीमतों पर 24.80 प्रतिशत है। प्रचलित कीमतों पर जी.एस.वी.ए. में विनिर्माण और खनन क्षेत्र का योगदान वर्ष 2020–21 में क्रमशः 9.31 प्रतिशत और 4.15 प्रतिशत है।

राज्य प्रचुर भौतिक संसाधनों, समृद्ध खनिज सम्पदा, विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प, हथकरघा और उत्कृष्ट कौशल से सम्पन्न है। ये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक (एम.एस.एम.ई.) इकाइयों के लिए लाभकारी विनिर्माण, प्रसंस्करण गतिविधियों और सेवाओं के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं, जो कि राज्य की ताकत रही है। राज्य के पास एम.एस.एम.ई. के लिए रत्न एवं आभूषण, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटो कम्पोनेंट, वस्त्र, चमड़ा और आयामी पत्थरों के क्षेत्र में एक अत्यन्त मजबूत आधार है। राज्य का प्रमुख ध्येय राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा देना और उन्हें प्रोत्साहित करना तथा उद्यमों द्वारा उच्च क्षमता स्तर प्राप्त करने हेतु सक्षम एवं अनुकूल परिवेश का निर्माण करना है।

राज्य सरकार द्वारा आर्थिक विकास हेतु निर्यात को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है। राज्य में निर्यात की अत्यन्त सम्भावनाएं हैं। राष्ट्रीय निर्यात में राज्य निर्यात की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए, राज्य विभिन्न निर्यातोन्मुख सुधारों को लागू करने हेतु निरन्तर प्रयासरत् है। राजस्थान निर्यात संवर्द्धन परिषद और निर्यात संवर्द्धन औद्योगिक पार्क (ई.पी.आई.पी.) का विकास ऐसे ही महत्वपूर्ण उपाय हैं, जो राज्य से निर्यात को बढ़ावा देंगे। राज्य द्वारा निरंतर किए गए समस्त प्रयास राजस्थान को भारत में समावेशी एवं संवहनीय औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल इको–सिस्टम के साथ सर्वाधिक पसंदीदा निवेश स्थल बनाने पर केन्द्रित हैं।

राजस्थान में विनिर्माण क्षेत्र

उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत खनन एवं उत्खनन, विनिर्माण विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं तथा निर्माण क्षेत्र शामिल हैं। राज्य में उद्योग क्षेत्र के सकल राज्य मूल्य वर्धन में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। राजस्थान में विनिर्माण क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2020–21 में लगभग ₹83766 करोड़ है, जिसका राज्य के कुल जी.एस.वी.ए. में 9.31 प्रतिशत का योगदान है। इस क्षेत्र में स्थिर (2011–12) कीमतों पर 2019–20 की तुलना में 2020–21 में 8.01 प्रतिशत की कमी का अनुमान है। अधातु खनिज उत्पाद, मोटर वाहन एवं मोटर वाहनों के लिए सहायक सामग्री, वस्त्र, रसायन एवं रासायनिक उत्पाद तथा धातु निर्मित उत्पाद उद्योग का विनिर्माण क्षेत्र के जी.एस.वी.ए. में सर्वाधिक योगदान हैं।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई.आई.पी.)

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक अर्थव्यवस्था में औद्योगिक गतिविधियों के सामान्य स्तर में परिवर्तन की तुलना आधार वर्ष के सन्दर्भ में करता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक राज्य में औद्योगिक निष्पादन का एक प्रमुख संकेतक है, जिसे मासिक आधार पर तैयार किया जाता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक श्रृंखला (आधार वर्ष 2011–12) तीन वृहद् समूहों यथा–विनिर्माण, खनन एवं विद्युत पर आधारित है। राजस्थान में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में वर्ष 2016–17 से वर्ष 2018–19 तक वृद्धि तथा वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 में कमी रही है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2020–21 के लिए समग्र रूप से औद्योगिक निष्पादन तालिका–4.1 एवं चित्र–4.1 में दर्शाया गया है।

तालिका–4.1 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12)

क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20*	2020-21**
विनिर्माण	115.71	134.71	143.39	125.93	114.68
खनन	135.04	132.85	134.76	125.60	114.34
विद्युत	125.32	124.96	137.70	135.15	124.16
सामान्य सूचकांक	122.11	133.08	140.37	126.90	115.67

** औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 2019–20 (प्रावधानिक)
*दिसम्बर, 2020 तक (प्रावधानिक)

चित्र 4.1

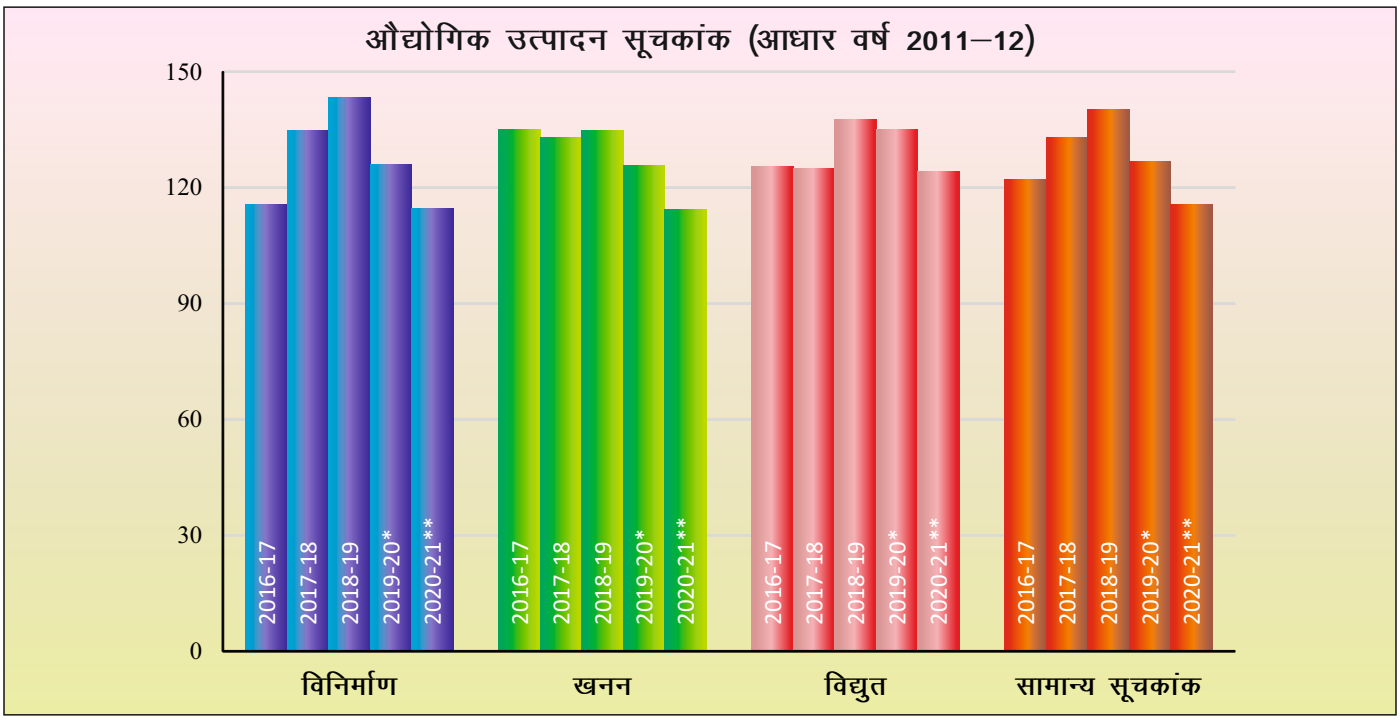

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.)

राज्य की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयां औद्योगिक उत्पादन, निर्यात, रोजगार और उद्यमिता के सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। विशेष रूप से, रोजगार सृजन में इसका योगदान व्यापक है। इस प्रकार, राज्य में एम.एस.एम.ई. उद्यमों को बढ़ावा देने और सहयोग के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय लागू किए गए हैं, जिनमें से कुछ निम्नानुसार दिए गए हैं:–

- **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग आधार मेमोरेण्डम (यू.ए.एम.):** सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों की उद्योग आधार ज्ञापन अधिसूचना अधिनियम, 2015 राजस्थान राज्य में लागू की गई है और ऑनलाइन पंजीयन 18 सितम्बर, 2015 से प्रारम्भ किया गया है। भारत सरकार के "यू.ए.एम. पोर्टल" पर एम.एस.एम.ई. द्वारा मेमोरेण्डम दाखिल किया जा सकता है।

  वित्तीय वर्ष 2020–21 (30 जून, 2020 तक) के दौरान 29,185 औद्योगिक इकाइयों का यू.ए.एम. पोर्टल पर ऑनलाईन पंजीयन किया गया। इन इकाइयों में ₹6058.44 करोड़ के निवेश से 1,69,395 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न किये गये हैं।

  भारत सरकार द्वारा यू.ए.एम. पोर्टल के स्थान पर 1 जुलाई 2020 से ''उद्यम रजिस्ट्रकरण पोर्टल'' प्रारम्भ किया गया है।

- **मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (एम.एल.यू.पी.वाई.):** राज्य में विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने तथा वर्तमान उद्यमों के विस्तार/आधुनिकीकरण/विविधिकरण के लिए वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ₹10 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध करवाये जाने हेतु ''मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना'' 13 दिसम्बर, 2019 को प्रारम्भ की गई है। इस योजनान्तर्गत उद्यमियों को ₹25 लाख तक के ऋण पर 8 प्रतिशत, ₹5 करोड़ तक के ऋण पर 6 प्रतिशत तथा ₹10 करोड़ तक के ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज पर अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) के दौरान 4,068 उद्यमियों को ₹685.57 करोड़ की राशि का वितरण किया गया।

- **राजस्थान सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेबलिशमेंट एण्ड ऑपरेशन) अधिनियम, 2019:** राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की व्यवधान रहित स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए, 17 जुलाई, 2019 को राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेबलिशमेंट एण्ड ऑपरेशन) अधिनियम 2019, लागू किया गया।

  राजस्थान सरकार ने इस अधिनियम के निष्पादन हेतु, 12 जून, 2019 को एक वेब पोर्टल https://rajudyogmitra.rajasthan.gov.in/ लॉन्च किया गया, जिस पर आवेदन दर्ज किए जा सकते हैं। इसमें एमएसएमई इकाई को, इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप से डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट नोडल एजेंसी को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, जिस पर एक 'पावती प्रमाण पत्र' (Acknowledgement Certificate) जारी किया जाता है, 'पावती प्रमाण पत्र' जारी होने से लेकर 3 साल तक आवेदक को राज्य के सभी कानूनों के तहत अनुमोदन और निरीक्षण से छूट दी जाएगी।

  इस पोर्टल के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिसंबर 2020 तक) में 4,608 डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट प्राप्त हुए एवं उनको तुरंत प्रभाव से पावती प्रमाणपत्र जारी किए जा चुके हैं। इनमें से 2,145 सूक्ष्म (माइक्रो) श्रेणी, 1,526 लघु श्रेणी और 937 मध्यम श्रेणी के आवेदन जारी किए गए हैं। कुल प्राप्त डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट में से 61 प्रतिशत विनिर्माण क्षेत्र में तथा 39 प्रतिशत सेवा क्षेत्र में थे।

निर्यात

राज्य सरकार ने निर्यात की पहचान आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में की है। राज्य से निर्यात का महत्व न केवल देश के राजस्व के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने में निहित है, बल्कि राज्य को अप्रत्यक्ष लाभ पहुँचाने जैसे– उत्पादन हेतु बाजारों के विस्तार के अवसर, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार एवं अनुवर्ती तकनीक संचालन, संयंत्रों में तकनीकी उन्नयन, मशीनरी और विनिर्माण प्रक्रिया, रोजगार के वृहद अवसर आदि में भी है।

राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष पाँच वस्तुओं में इंजीनियरिंग वस्तुएं, कपड़ा, हस्तशिल्प, रत्न एवं आभूषण तथा धातु शामिल हैं। जिनका राज्य से होने वाले निर्यात में 50 प्रतिशत से अधिक योगदान है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल निर्यात ₹49,946.10 करोड़ हुआ है।

राजस्थान से किए गए निर्यातों का विवरण तालिका–4.2 एवं चित्र–4.2 में दर्शाया गया है।

तालिका–4.2 राजस्थान से निर्यात

(₹करोड़)

क्र.सं.	उत्पाद	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	कपड़ा	4812.36	5256.61	5667.30	6750.11	6165.79
2	कृषि एवं खाद्य उत्पाद	3093.67	3720.43	4204.84	4525.87	3708.96
3	जवाहरात एवं आभूषण	5344.84	5695.33	5264.38	5737.55	5109.60
4	अभियांत्रिकी	4754.48	5629.20	7350.17	7632.99	7674.76
5	धातु 1. लौह 2. अलौह	 753.70 1023.61	 745.06 3129.20	 935.07 4065.19	 970.59 3343.21	 1216.60 3182.29
6	आयामी संगमरमर पत्थर, ग्रेनाइट तथा अभ्रक पत्थर की वस्तुएं आदि	2904.17	3102.51	3172.40	3354.58	3208.81
7	खनिज ईंधन, खनिज तेल और उत्पाद, बिटुमिन्स पदार्थ, खनिज वैक्स, अयस्क, स्लैग एवं ऐश	9.66	13.40	138.96	168.96	871.39
8	इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	2305.02	2439.73	2531.42	2833.24	2729.70
9	ऊन एवं ऊनी कपड़े	78.36	62.93	91.73	139.11	130.74
10	रासायनिक एवं सम्बद्ध	4144.56	3404.74	4231.55	5901.94	4260.30
11	ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स	398.21	469.28	604.64	1027.35	1899.69
12	प्लास्टिक एवं लिनालियम	636.18	701.94	922.87	896.85	1178.65
13	हस्तशिल्प	3342.65	3831.36	3701.55	4825.42	5219.48
14	चमड़ा एवं चर्म उत्पाद	230.02	266.66	296.89	356.85	226.25
15	तैयार वस्त्र	1579.36	1660.61	1831.51	2078.28	2073.20
16	कालीन (ड्यूरीज)	568.92	626.84	1095.32	625.67	563.08
17	अन्य	67.70	20.28	371.13	9.84	526.81
योग		**36047.47**	**40776.11**	**46476.92**	**51178.41**	**49946.10**

चित्र 4.2

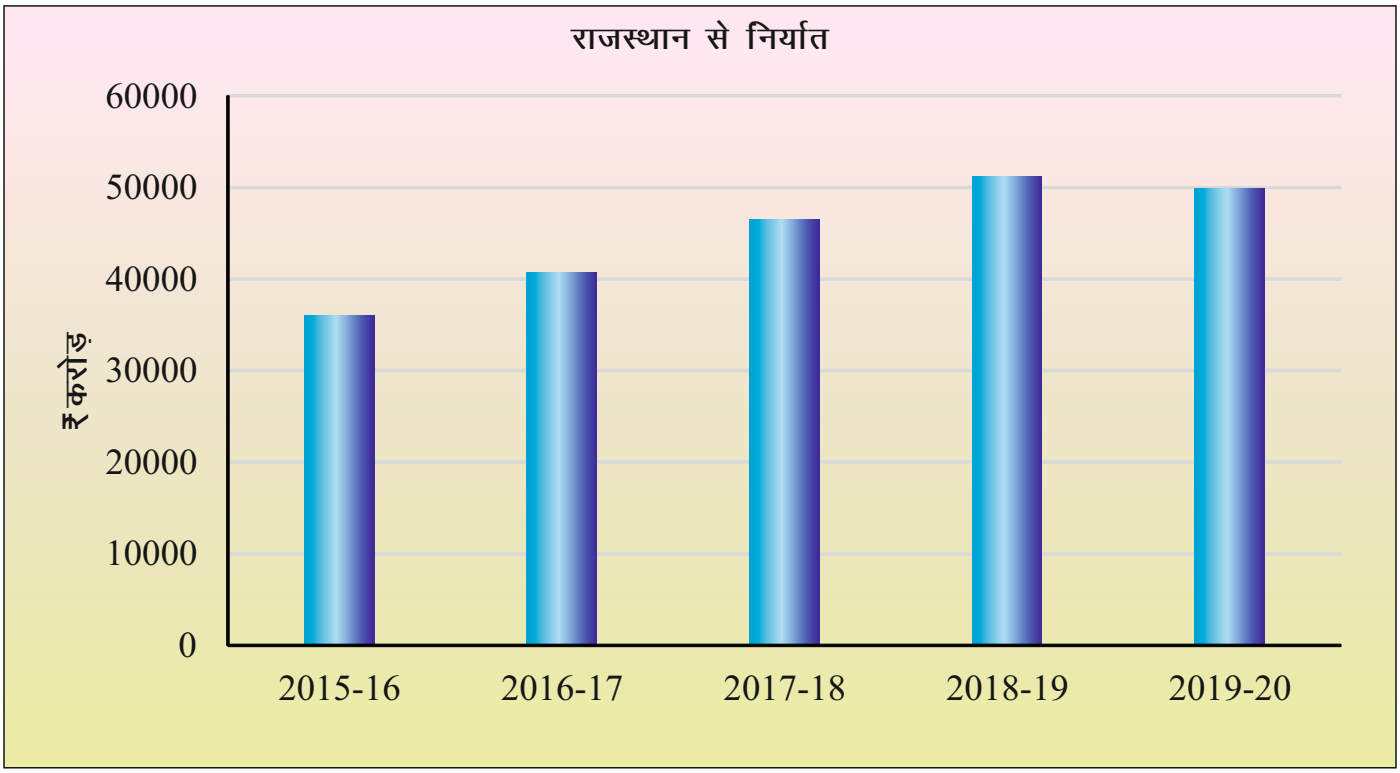

राज्य, निर्यात के व्यापक विस्तार के लिए निरन्तर विभिन्न प्रोत्साहन पहलों को प्रारम्भ करने में प्रयासरत् है, जो कि निम्नानुसार दिए गए है:–

राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना: राज्य में निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस योजना को औद्योगिक नीति, 1994 में घोषित किया गया था। इसके अन्तर्गत 16 श्रेणियों में 33 उत्कृष्ट निर्यातकों के चयन का प्रावधान है। इसके तहत, राज्य में प्रतिवर्ष एक सर्वश्रेष्ठ निर्यातक को ''लाइफटाईम अचीवमेंट एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड'' से भी पुरस्कृत किया जाएगा। राज्य में निर्यात प्रोत्साहन हेतु ''राजस्थान निर्यात संवर्द्धन परिषद'' (8 नवम्बर, 2019) एवं ''राजस्थान निर्यात संवर्द्धन समन्वय परिषद'' (25 अक्टूबर, 2019) का भी गठन किया गया।

निर्यात संवर्द्धन, प्रक्रिया एवं प्रलेखन/दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम: यह योजना बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू की गयी थी। इसकी क्रियान्वयन अवधि 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दी गई है। योजनान्तर्गत ऐसे उद्यमी, जो अपना निर्यात व्यापार प्रारम्भ करना चाहते हैं, के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान यह कार्यक्रम 7 जिलों यथा– अजमेर, झुंझुनू, जालौर, धौलपुर, बारां, प्रतापगढ़ तथा टोंक में आयोजित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं।

उद्यम स्थापित करने हेतु प्रक्रियाओं का सरलीकरण (ईज़ ऑफ डूइंग बिज़निस)

राज्य सरकार द्वारा व्यवसायों एवं उद्योगों की स्थापना के लिए नियामक प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने के लिए निरन्तर प्रयास किए गए हैं। राज्य उद्यम स्थापित करने हेतु प्रक्रियाओं के सरलीकरण (ईज़ ऑफ डूइंग बिज़निस) के लिए भारत सरकार के उद्योग संवर्द्धन एवं आन्तरिक व्यापार विभाग की वार्षिक व्यापार सुधार कार्य योजनाओं का अनुसरण एवं कार्यान्वयन कर रहा है। उद्योग संवर्द्धन एवं आन्तरिक व्यापार विभाग राज्यों की वार्षिक व्यापार सुधार कार्य योजना जारी करता है।

उद्योग संवर्द्धन एवं आन्तरिक व्यापार विभाग एवं विश्व बैंक समूह ने राज्यों द्वारा क्रियान्वित सुधार कार्य योजनाओं का आंकलन किया गया तथा सभी राज्यों के लिए लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिज़निस रैंकिंग जारी की गई है।

व्यापार सुधार कार्य योजना/बिज़निस रिफॉर्म एक्शन प्लान (बी.आर.ए.पी.) के अन्तर्गत पारदर्शिता बढ़ाने से संबंधित सिफारिशें, ऑनलाईन स्वीकृतियां जारी करना, निरीक्षणों का

युक्तिकरण, एकल खिड़की स्वीकृति/अनुमति प्रणाली (सिंगल विण्डो क्लीयरेन्स सिस्टम) तथा नीतिगत सुधार शामिल है। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़निस हेतु उद्योग विभाग नोडल विभाग है।

बिजनिस रिफॉर्म एक्शन प्लान की संक्षिप्त स्थिति वर्ष 2015 से निरन्तर निम्न प्रकार दर्शायी गयी है।

अ. बिज़निस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2015 (285 सुधार बिन्दु): राजस्थान रिफॉर्म बिन्दुओं के 61.04 प्रतिशत क्रियान्वयन के साथ छठे स्थान पर रहा तथा राजस्थान सहित शीर्ष सात राज्यों को ''एस्पायरिंग लीडर स्टेट्स'' के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया।

ब. बिज़निस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2016 (340 सुधार बिन्दु): राजस्थान 96.43 प्रतिशत (राष्ट्रीय औसत 48.93) रिफॉर्म बिन्दुओं के क्रियान्वयन के साथ आठवें स्थान पर रहा और भारत के ''अग्रणी राज्यों/लीडस स्टेट्स'' में से एक घोषित किया गया।

स. बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2017 (372 सुधार बिन्दु): राजस्थान द्वारा रिफॉर्म एविडेंस/सुधार साक्ष्यों के 95.70 प्रतिशत क्रियान्वयन और 372 बिन्दुओं के फीडबैक के संयुक्त स्कोर कार्ड के साथ देश में नौवीं रैंक हासिल की तथा राज्य को भारत के ''टॉप अचीवर्स'' में से एक घोषित किया गया।

द. बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 (80 सुधार बिन्दु): राजस्थान को भारत में सुधार बिन्दु निष्पादन में 8वाँ स्थान प्राप्त हुआ है।

राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए कार्यशील विभिन्न विभागों की प्रगति अग्रगामी भाग में दर्शाई गई है।

उद्योग विभाग

राज्य में औद्योगिक विकास के लिए उद्योग विभाग के नेतृत्व में कई संस्थानों के माध्यम से सार्वजनिक नीतियां एवं सुधार क्रियान्वित किए जाते हैं। उद्योग विभाग राज्य में उद्योगों एवं हस्तशिल्प के प्रोत्साहन तथा औद्योगिक गतिविधियों के संचालन हेतु आवश्यक मार्गदर्शन, सहायता एवं सुविधाएं प्रदान करने के लिए नोडल विभाग है। वर्तमान में, उद्यमियों को इनपुट तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु 36 जिला उद्योग केन्द्र एवं 8 उप केन्द्र कार्यरत हैं। उद्यमियों की सुविधा हेतु जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर में एम.एस.एम.ई. निवेशक सुविधा केन्द्र (एम.आई.एफ.सी.) की स्थापना की गयी है, ताकि उद्यमियों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाई जा सके।

राज्य में आने वाले निवेश को प्रोत्साहित करने व नव उद्यम स्थापना में आने वाली कठिनाईयों को निराकरण हेतु जिला स्तर पर जिला कलेक्टर तथा राज्य स्तर पर मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में विवाद एवं निराकरण शिकायत तन्त्र के रूप में समिति का गठन किया गया है, जिसके निर्णय सभी विभागों पर बाध्यकारी है।

राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के विलम्बित भुगतान के निस्तारण हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्थापित 4 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषदों का पुर्नगठन कर राज्य स्तर पर 2 एवं संभाग स्तर पर 7 सुविधा परिषदों का गठन किया गया है। इस प्रकार कुल 9 परिषदों का गठन किया गया है।

औद्योगिक विकास के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के तहत उपलब्धियां इस प्रकार हैं:–

वृहद् एवं मध्यम उद्योग (एल.एम.आई.): राज्य में वर्ष 2019–20 (प्रावधानिक) तक 452 वृहद् औद्योगिक इकाइयों में ₹1,48,541.78 करोड़ के निवेश के साथ 2,21,573 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए एवं 235 मध्यम औद्योगिक इकाइयों में ₹2,018.42 करोड़ के निवेश के साथ 19,471 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं।

औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन (आई.ई.एम.): वृहद् उद्योगों की स्थापना हेतु भारत सरकार को वित्तीय वर्ष 2020–21 (नवम्बर, 2020 तक) के दौरान ₹9,328 करोड़ निवेश के साथ 25 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.): इस योजना का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक सेवा एवं व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है। वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) के दौरान 732 इकाईयों को बैंकों से ऋण प्रदान किया गया एवं सरकार द्वारा ₹20.55 करोड़ की मार्जिन मनी प्रदान की गई है।

औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर: औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने तथा लोगों को औद्योगिक इकाई स्थापित करने से सम्बन्धित नियमों की जानकारी देने के लिए जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर

आयोजित किए गए। वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) के दौरान 5 जिला स्तरीय एवं 67 पंचायत समिति स्तरीय शिविर आयोजित किए गए हैं।

चर्म प्रशिक्षण उद्योग: चर्म उद्योगों को प्रोत्साहन दिए जाने के क्रम में वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) के दौरान 375 व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के वार्षिक लक्ष्य की तुलना में 125 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। यह प्रशिक्षण चमड़े की रंगाई/चर्म उत्पाद आधारित तकनीक सुधार पर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) के दौरान योजनान्तर्गत ₹3.37 लाख का व्यय किया गया है।

राजस्थान औद्योगिक विकास नीति–2019: राजस्थान को भारत में सर्वाधिक पसंदीदा निवेश स्थल के रूप में एक मजबूत इको–सिस्टम के साथ उभारने हेतु सतत्, संतुलित, समावेशी एवं पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक विकास करने, आधारभूत सरंचना एवं रोजगार के अवसर सृजित करने तथा संतुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से 1 जुलाई, 2019 राजस्थान औद्योगिक विकास नीति–2019 लागू की गई है।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2019: राज्य में तीव्र, स्थायी एवं संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2019 दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 से प्रभावी की गई है। इस योजना में विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के उद्योगों में नवीन निवेश हेतु 7 वर्षो के लिए एस.जी.एस.टी का 100 प्रतिशत तक पुनर्भरण तथा विद्युत कर, स्टाम्प ड्यूटी एवं मण्डी शुल्क में 100 प्रतिशत तक छूट जैसी रियायतें प्रदान करने के प्रावधान किए गये है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक 2,273 आवेदकों को निवेश करने पर छूट प्रमाण पत्र जारी किये गये जिसमें ₹56,238.05 करोड़ का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2014 के तहत, वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) के दौरान ₹1,126.51 करोड़ के निवेश प्रस्ताव के साथ 132 आवेदन प्राप्त हुए। उक्त आवेदनों में से 45 आवेदनों (₹532.63 करोड़ के निवेश प्रस्ताव) को छूट प्रमाण–पत्र जारी किए गए हैं।

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) राजस्थान: कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा–135 के अनुसार, ऐसी कम्पनियां, जिनकी वार्षिक कुल सम्पत्ति ₹500 करोड़ या अधिक हो अथवा टर्न ओवर ₹1,000 करोड़ या अधिक हो अथवा किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ ₹5 करोड़ या अधिक हो तो ऐसी कम्पनियों को सी.एस.आर. के तहत उनके विगत 3 वर्षों में शुद्ध लाभ के औसत के 2 प्रतिशत को अनुसूची–VII में वर्णित गतिविधियों पर व्यय किए जाने का प्रावधान है।

राजस्थान सी.एस.आर. वेबपोर्टल www.csr.rajasthan.gov.in उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा बनाया गया एक अनूठा इंटरेक्टिव पोर्टल है। यह पोर्टल राज्य में सी.एस.आर. कम्पनियों, सी.एस.आर.परियोजनाओं/कार्यक्रमों को पहचानने और सूचीबद्ध करने के लिए बनाया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से कम्पनियां सीधे ही क्रियान्वयन एजेन्सियों का पता लगा सकती हैं एवं उन्हें सी.एस.आर. परियोजना की सिफारिश कर सकती हैं।

31 दिसम्बर, 2020 की स्थिति के अनुसार राज्य में 122 कॉरपोरेट्स, 21 राजकीय विभागों, 260 क्रियान्वयन एजेन्सियों एवं 47 सेवा प्रदाताओं ने सी.एस.आर. पोर्टल पर अपना पंजीयन कराया है। सम्पूर्ण राज्य में 149 सी.एस.आर. परियोजनाओं में ₹579.40 करोड़ राशि का व्यय अनुमानित है।

राज्य सरकार द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) के प्रावधानों को उचित प्रकार से क्रियान्वयन करने के लिए कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व प्राधिकरण का गठन 6 नवम्बर, 2019 को किया गया है। यह नए प्रावधानों के बारे में उचित मार्गदर्शन प्रदान करता है और इस हेतु प्राप्त राशि से समुचित बुनियादी सुविधाओं का सृजन करता है।

साझेदारी फर्मों का पंजीयन: वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) के दौरान कुल 3,426 साझेदारी फर्मों के पंजीयन से राशि ₹12.69 लाख का राजस्व तथा 5 गैर व्यापारिक कम्पनियों के पंजीयन से ₹5,000 का राजस्व प्राप्त हुआ है।

दस्तकार परिचय पत्र: जिला उद्योग केन्द्रों के द्वारा हस्तकला से जुड़े 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के कारीगरों को ऑनलाइन दस्तकार पहचान पत्र एस.एस.ओ. पोर्टल के माध्यम से जारी किया जाता है। कार्यालय विकास आयुक्त, हस्तशिल्प, भारत सरकार द्वारा भी हस्तशिल्पियों के लिए ''पहचान पत्र'' जारी किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21

(दिसम्बर, 2020 तक) के दौरान विकास आयुक्त, हस्तशिल्प राजस्थान द्वारा कुल 2,728 दस्तकारों के परिचय पत्र जारी किए गए हैं।

निवेश संवर्द्धन ब्यूरो (बी.आई.पी.)

निवेश संवर्द्धन ब्यूरो राजस्थान सरकार की निवेश संवर्द्धन एजेन्सी है, जो राज्य में बड़े निवेश प्रस्तावों की स्थापना हेतु सुविधा प्रदान करती है। वर्ष 1991 में अपनी स्थापना के समय से ही, सरकार एवं निवेशकों के मध्य मुद्दों के त्वरित मंजूरी एवं निवारण हेतु बी.आई.पी एक इन्टरफेस की तरह कार्य कर रहा है। बी.आई.पी. ₹10 करोड़ से अधिकता वाले निवेश प्रस्तावों के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य सर्वाधिकार प्राप्त समिति (स्टेट एम्पावार्ड कमेटी-एस.ई.सी.) के लिए नोडल एजेन्सी है। स्टेट एम्पावार्ड कमेटी अनुमति एवं विशेषीकृत पैकेज हेतु प्राप्त आवेदनों की जाँच करती है और मंत्री परिषद को सिफारिश प्रस्तुत करता है।

राज्य सर्वाधिकार प्राप्त समिति की जनवरी, 2020 से दिसम्बर 2020 तक आयोजित 2 बैठकों में ₹47,408.81 करोड़ के प्रस्तावित निवेश एवं 5,851 व्यक्तियों हेतु रोजगार संभावनाओं से युक्त 5 परियोजनाओं की अनुशंषा की गई।

राज्य में निवेश को आकर्षित करने एवं राज्य की छवि को एक आदर्श निवेश स्थल के रूप में प्रस्तुत करने हेतु संभावित निवेशकों एवं बड़े उद्यमियों से संवाद करने के लिए बी.आई.पी द्वारा निम्न आयोजनों में भाग लिया गया:–

1. जयपुर एण्ड वर्चुअल रिटेल सप्लाई चेन एक्सपो (30–31 अगस्त, 2020)।
2. पी.एच.डी.सी.सी.आई. द्वारा डवलपिंग राजस्थान एज सोलर कंपोनेंट हब इन इंण्डिया–इमेंस अपॉच्यूनिटीज फॉर एमएसएमई विषयक आयोजित वेबीनार (8 नवम्बर, 2020)।
3. एफ.आई.आई.सी.आई. द्वारा डोमेस्टिक मेन्यूफेक्चरिंग एनर्जी सेक्टर पर आयोजित वेबीनार (2 नवंबर, 2020)।
4. सी.आई.आई. राजस्थान स्टेट कॉन्सिल की 9 सितम्बर, 2020 को आयोजित वर्चुअल मीटिंग।
5. सी.आई.आई. द्वारा 23 अक्टूबर, 2020 को आयोजित संयुक्त अरब अमीरात उद्योग सदस्यों के साथ वेबीनार संवाद।
6. रीको द्वारा एसीएमए के सदस्यों लिए दिनांक 23 नवम्बर, 2020 को आयोजित वेबीनार।
7. पी.एच.डी.सी.सी.आई. द्वारा ''डवलपिंग फिल्म सिटिज इन राजस्थान– ट्रेमेंडियस अपॉरच्यूनिटिज फॉर फिल्म मेकिंग एण्ड ट्यूरिज्म प्रोमोशन'' 21 दिसम्बर, 2020 को इंटरएक्टिव वेबिनार।

एकल खिड़की स्वीकृति/अनुमति प्रणाली (सिंगल विण्डो क्लियरेन्स सिस्टम): एकल खिडकी अधिनियम समयबद्ध विभिन्न लाईसेंस, अनुमति और अनुमोदन प्रदान करने के उद्देश्य से लाया गया है। सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम के अंतर्गत दिसम्बर, 2020 तक, 15 विभागों की 105 सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) के दौरान विभिन्न विभागों से अनुमोदन/मंजूरी हेतु कुल 31,844 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 27,278 प्रस्तावों/आवेदनों को विभिन्न विभागों द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है।

वन स्टॉप शॉप प्रणाली

वर्तमान सिंगल विण्डो क्लीयरेन्स सिस्टम को सुदृढ़ बनाने, निवेश प्रस्तावों को और अधिक प्रभावी रूप से सुविधा प्रदान करने और शीघ्र अपेक्षित अनुमोदन/स्वीकृति/अनुमति एक ही स्थान पर समयबद्ध तरीके से प्रदान करने के उद्देश्य से ''वन स्टॉप शॉप'' सुविधा की स्थापना बी.आई.पी में की जा रही है। वन स्टॉप शॉप तहत, निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति/अनुमति प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में एक ''बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेन्ट'' का गठन किया गया है।

राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन (संशोधन) विधेयक, 2020 हेतु गजट नोटिफिकेशन दिनांक 16 सितम्बर, 2020 को जारी किया गया है। वन स्टॉप शॉप सुविधा के तहत, आवेदक द्वारा ऑनलाइन पोर्टल "https//:rajnivesh.rajasthan.gov.in" के माध्यम से आवेदन किया जा सकता हैं।

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको)

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको), राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है। यह राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने

एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने में भी मदद करता है। रीको द्वारा की गई प्रमुख प्रगति निम्नानुसार हैः–

आधारभूत विकासः रीको द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) के दौरान 118.82 एकड़ भूमि विकसित की गई तथा 833 भूखण्ड आवंटित किए गए। इस अवधि के दौरान निगम द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों पर ₹226.30 करोड़ का व्यय किया गया तथा ₹529.61 करोड़ की वसूली की गई।

वित्तीय सहायताः रीको राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु उद्योगों तथा अन्य परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। रीको राज्य में लघु, मध्यम एवं वृहद् श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों के विकास के लिए अनेक प्रकार की रियायतें एवं प्रोत्साहन प्रदान करता है। यह उद्यमियों को तकनीकी तथा प्रबंधकीय सहायता/सेवाएं भी प्रदान करता है।

रीको की एक मुख्य गतिविधि राज्य में स्थापित विविध परियोजनाओं को सावधि ऋण प्रदान करना है। वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) के दौरान सावधि ऋण की स्वीकृति ₹11.10 करोड़ ऋण वितरण ₹32.93 करोड़ एवं वसूली ₹57.85 करोड़ रही है।

केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं

अ) असाईड योजनाएंः केन्द्र सरकार की सहायता से निर्यात संवर्द्धन हेतु आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए विभिन्न असाईड (राज्य) योजनाएं संचालित की जा रही हैं। स्वीकृत 31 परियोजनाओं में से 30 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं एवं एक परियोजना भारत सरकार द्वारा असाईड योजना बन्द कर देने के कारण छोड़ दी गई है। इन योजनाओं पर दिसम्बर, 2020 तक कुल ₹377.97 करोड़ व्यय किया गया है।

ब) लघु विकास केन्द्रः लघु उद्योगों के विकास के लिए ग्रामीण तथा अविकसित क्षेत्रों में एकीकृत संरचना प्रदान करने के लिये लघु विकास केन्द्रों की स्थापना की गई है। वर्तमान में ₹96.16 करोड़ के अनुदान के साथ ₹206.85 करोड़ परियोजना लागत की 35 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इन परियोजनाओं हेतु भारत सरकार द्वारा ₹65.36 करोड़ जारी किए गए हैं। 35 परियोजनाओं में से 17 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) के दौरान समस्त 35 परियोजनाओं पर कुल ₹125.26 करोड़ व्यय किए गए हैं।

रीको द्वारा विकसित विशेष पार्क्स

अ) एग्रो फूड पार्क्सः रीको द्वारा चार एग्रो फूड पार्क्स बोरानाडा (जोधपुर), कोटा, अलवर एवं श्रीगंगानगर में विकसित किए गए हैं। रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र तिंवरी, जोधपुर में लगभग 33 हेक्टेयर भूमि पर ''कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र'' बनाये जाने की योजना तैयार की है।

ब) जापानी क्षेत्र/जोनः रीको द्वारा नीमराना औद्योगिक क्षेत्र, जिला अलवर, राजस्थान में जापानी क्षेत्र स्थापित किया गया है। इस औद्योगिक क्षेत्र में अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनियां जैसे निसीन, मित्सुई, डाइकिन एवं डाइनिची कलर आदि संचालित है। वर्तमान में इस पार्क में 45 इकाइयां कार्यरत हैं। इन इकाइयों के द्वारा लगभग 16,557 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने के साथ ही ₹5,860 करोड़ का निवेश किया गया है।

एक अन्य जापानी क्षेत्र अलवर जिले के घिलोठ औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 534 एकड़ भूमि पर स्थापित किया गया है।

स) विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज): रीको द्वारा दो विशेष आर्थिक क्षेत्र (अब बहुउत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र) जेम्स एण्ड ज्वैलरी प्रथम एवं द्वितीय, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर में स्थापित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) के दौरान लगभग ₹959.66 करोड़ का निर्यात किया गया। दिसम्बर, 2020 तक कुल 11,131 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है।

महिन्द्रा ग्रुप ने रीको के साथ मिलकर महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) में ₹5,248.10 करोड़ निवेश के साथ बहुउत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की है। वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) के दौरान लगभग ₹1,372.16 करोड़ का निर्यात किया गया है। दिसम्बर, 2020 तक कुल 48,062 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है।

निगम की गतिविधियों की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियों का विवरण तालिका–4.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.3 निगम की गतिविधियों की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियां

विवरण	लक्ष्य 2020–21	उपलब्धियां 2020–21#
वित्तीय सहायता (सावधि ऋण)		
अ) स्वीकृति (₹करोड़)	60.00	11.10
ब) वितरित (₹करोड़)	80.00	32.93
स) वसूली (₹करोड़)	120.00	57.85
आधारभूत विकास		
अ) भूमि अवाप्त (एकड़)	*	0.00
ब) भूमि विकसित (एकड़)	*	118.82
स) भूखण्ड आवंटन (संख्या)	2500	833**
अन्य		
अ) आधारभूत विकास पर व्यय (₹करोड़)	675.98	226.30
ब) आधारभूत देय राशि की वसूली (₹करोड़)	909.95	529.61

#दिसम्बर, 2020 तक

*लक्ष्य तय नहीं।

**585 भूखंडों के लिए आवंटन पत्र जारी किए गए, 248 भूखंडों के लिए निविदा स्वीकृत एवं प्रस्ताव पत्र जारी किए गए परन्तु आवंटन पत्र जारी नहीं किए गए।

राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (राजसीको)

राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना लघु उद्योगों एवं कारीगरों को सहायता तथा उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समुचित विपणन की सुविधा प्रदान करने के लिए जून, 1961 में की गई। एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान होने के नाते यह बाजार की मांग को देखते हुए डिजाइन में बदलाव लाने एवं नई तकनीक के साथ नए उत्पादों को पेश करने का प्रयास कर रहा है। निगम राज्य के समृद्ध हस्तशिल्प को उत्थान और बढ़ावा देने के उद्देश्य से कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) के दौरान राजसीको का कारोबार (टर्न ओवर) ₹16.67 करोड़ का रहा है।

निगम द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 10,000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। निगम जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा व भिवाड़ी में स्थित शुष्क बंदरगाहों (इनलैण्ड कन्टेनर डिपो) के माध्यम से राजस्थान के निर्यातकों/आयातकों को निर्यात अवसंरचना सेवाएं प्रदान कर रहा है। वर्तमान में आयात/निर्यात सुविधाएं केवल जोधपुर और जयपुर से प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा हवाई मार्ग से आयात–निर्यात की सुविधाएं सांगानेर एयरपोर्ट, जयपुर में स्थित एयर कार्गो कॉम्पलेक्स के माध्यम से प्रदान की जा रही है।

राजसीको के अन्य कार्यों में लघु औद्योगिक इकाइयों को विपणन सहायता प्रदान करना और राजकीय विभागों को कांटेदार तार, डेज़र्ट कूलर, आर.सी.सी. पाइप, टेन्ट, त्रिपाल, स्टील फर्नीचर, पॉलिथीन बैग्स, एंगल आयरन पोस्ट आदि जैसे लघु उद्योग उत्पादों की आपूर्ति करना है। वर्ष 2020–21 के दौरान लगभग 50 औद्योगिक इकाइयों को ऐसी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त निगम भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड से कच्चा माल जैसे– लोहा–इस्पात और कोयला खरीदता है और राज्य की 50 लघु औद्योगिक इकाइयों को वितरित करता है।

निगम अपने केन्द्रीय भण्डार के माध्यम से हस्तशिल्पियों से सीधे ही हस्तशिल्प वस्तुओं का क्रय करता है और उन्हें जयपुर, उदयपुर, दिल्ली और कोलकाता में स्थित राजस्थली विक्रय केन्द्रों के माध्यम से विपणन करता है। सम्पूर्ण राजस्थान में 450 कारीगरों से हस्तशिल्प वस्तुओं की खरीद की जाती है। शिल्पकारों को प्रोत्साहित करने के लिए निगम द्वारा सम्पूर्ण भारत में प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) के दौरान हस्तशिल्प वस्तुओं का कारोबार (टर्न ओवर) ₹140.41 लाख का रहा है।

राजस्थान वित्त निगम (आर.एफ.सी.)

राजस्थान वित्त निगम की स्थापना राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत वर्ष 1955 में की गई। वित्त निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य राज्य में नवीन उद्योगों की स्थापना, विद्यमान उद्योगों के विस्तारीकरण एवं नवीनीकरण हेतु ₹20 करोड़ तक का ऋण वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराना है। आर.एफ.सी. ने राजस्थान में औद्योगिकीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका/अस्तित्व बना लिया है। राजस्थान वित्त निगम द्वारा इसके प्रारम्भ से 31 मार्च, 2020 तक 83,736 इकइयों को 8,400.45 करोड़ का ऋण वितरण कर राज्य के औद्योगीकरण में महत्वपूर्ण योगदान किया है। निगम द्वारा उद्यमियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निम्नांकित ऋण योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं:–

- सामान्य परियोजना ऋण योजना
- सेवा क्षेत्र हेतु योजना
- वाणिज्यिक रियल एस्टेट सेक्टर हेतु योजना (सी.आर.ई.)
- विशेष वर्ग/व्यक्तियों यथा– अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांग/महिला उद्यमियों हेतु योजना
- एकल खिड़की योजना (₹200 लाख तक परियोजना लागत की लघु एवं एसएसआई इकाईयों के लिए)
- अर्हता प्राप्त पेशेवरों हेतु योजना
- फाइनेन्सिंग अगेंस्ट एसेट्स योजना
- स्विच ओवर ऋण योजना
- सरल योजना
- एम.एस.एम.ई. के वर्तमान ऋणियों हेतु टॉप–अप ऋण योजना
- सौर ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए योजना
- रीको द्वारा औद्योगिक इकाईयों, होटल एवं अस्पतालों के लिए आवंटित भूमि पर वित्त पोषण हेतु ऋण योजना
- आयात लाईसेंस वाली मार्बल प्रसंस्करण इकाइयों के लिए विशेष ऋण योजना
- युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना (वाई.यू.पी.वाई.)

गुड बॉरोअर्स ऋण योजनाएं

- लघु अवधि ऋण योजना (एस.टी.एल)
- कार्यशील पूंजी ऋण योजना
- विशेष कार्य हेतु कार्यशील पूंजी ऋण योजना
- गैर सहायता प्राप्त इकाइयों के लिए कार्यशील पूंजी ऋण योजना
- गोल्ड कार्ड ऋण योजना
- प्लेटिनम कार्ड ऋण योजना
- गुड बॉरोअर्स स्कीम द्वारा प्रवर्तित इकाइयों हेतु ऋण योजना
- फ्लेक्सी ऋण योजना

युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना (वाई.यू.पी.वाई.): राज्य के औद्योगीकरण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उदेश्य से निगम द्वारा वर्ष 2013–14 में ''युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना'' के नाम से नवीन योजना प्रारम्भ की गई। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 1,000 इकाईयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत ऋणों पर ₹150 लाख तक की ऋण सीमा पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है। योजना के अन्तर्गत युवा उद्यमियों की अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित की गई है। आर.एफ.सी. द्वारा योजना के अंतर्गत दिसम्बर, 2020 तक 490 इकाईयों को ₹499.21 करोड के ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

विगत पाँच वर्षों के वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धियों का विवरण तालिका–4.4 में दर्शाया गया है।

तालिका–4.4 राजस्थान वित्त निगम के वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ

(₹करोड़)

वर्ष	ऋण स्वीकृति		ऋण वितरण		ऋण वसूली	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
2017-18	350	386.68	255	267.38	255	259.23
2018-19	300	314.89	260	264.11	250	270.46
2019-20	250	228.60	200	190.00	300	311.53
2020-21*	300	93.38	250	85.11	275	150.72

निगम द्वारा कोविड–19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियों से ऋणियों को निम्न राहत प्रदान की गई है–

- माह अप्रैल, मई और जून, 2020 में देय होने वाली सभी मासिक और 1 जून, 2020 को देय त्रैमासिक किश्तों (मूलधन एवं ब्याज दोनों राशि) को स्थगित कर दिया है और पुनर्गठित पुनर्भुगतान कार्यक्रम के अनुसार वसूल किया गया।
- अप्रैल, मई और जून, 2020 के आस्थगित ब्याज की वसूली से पड़ने वाले वित्तीय भार को कम करने के लिए माह जुलाई, अगस्त और सितम्बर, 2020 में देय होने वाली मूलधन की मासिक किश्तों एवं 1 सितम्बर 2020 को देय होने वाली त्रैमासिक किश्तों को भी स्थगित किया गया है। और आस्थगित मूलधन पुनर्गठित पुनर्भुगतान कार्यक्रम के अनुसार वसूल किया गया।
- मासिक किश्तों की 6 ईएमआई और त्रैमासिक किश्तों की 2 ईक्यूआई की दर (जिस प्रकार की स्थिति हो) से वर्तमान पुनर्भुगतान की अवधि 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई है।
- अगली वास्तविक मासिक किस्त बकाया होने की दिनांक 1 अक्टूबर, 2020 और वास्तविक त्रैमासिक किस्त बकाया होने की दिनांक 1 दिसम्बर, 2020 को देय हुई।
- मासिक किश्त की स्थिति में माह अप्रैल, मई और जून, 2020 में बकाया होने वाले ब्याज का भुगतान जुलाई, अगस्त और सितम्बर, 2020 में देय/वसूली योग्य ब्याज के साथ किया गया।
- त्रैमासिक किश्त की स्थिति में 1 जून, 2020 को देय होने वाले ब्याज का भुगतान 1 सितम्बर, 2020 को देय ब्याज राशि के साथ किया गया।

दिल्ली–मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डी.एम.आई.सी.)

दादरी (उत्तर प्रदेश) और जवाहर लाल नेहरू पोर्ट, मुम्बई के बीच एक वैस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी कुल लम्बाई लगभग 1,483 किमी. है। जिसका लगभग 39 प्रतिशत भाग राजस्थान से होकर गुजरता है।

दिल्ली–मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना भारत की सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य नए औद्योगिक शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना एवं आधारभूत ढांचे को अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी के रूप में परिवर्तित करना है। फ्रेट कॉरिडोर के दोनों तरफ लगभग 150 किमी. के प्रभाव क्षेत्र को दिल्ली–मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में विकसित किये जाने हेतु चयन किया गया है। प्रथम चरण में खुशखेड़ा–भिवाड़ी–नीमराना निवेश क्षेत्र (के.बी.एन.आई.आर.) एवं जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र (जे.पी.एम.आई.ए.) को विकसित किया जा रहा है।

- **खुशखेड़ा–भिवाड़ी–नीमराना निवेश क्षेत्र–** खुशखेड़ा–भिवाड़ी–नीमराना निवेश क्षेत्र लगभग 165 वर्ग किमी. का क्षेत्र है और इसमें अलवर जिले के 42 गाँव सम्मिलित हैं। खुशखेड़ा–भिवाड़ी–नीमराना निवेश क्षेत्र के लिए विस्तृत विकास योजना तैयार की गयी है और इसे अन्तिम रूप दिया गया है। इसके प्रथम चरण (फेज़–1ए) में 532.30 हैक्टेयर भूमि एवं 60 मीटर चौड़ी एप्रोच रोड़ हेतु भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। हितबद्ध खातेदारों को दिसम्बर, 2020 तक मुआवज़ा राशि ₹57.99 करोड़ का भुगतान किया गया है एवं शेष प्रक्रियाधीन है।
- **जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र–** जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र को पाली जिले के 9 गाँव सम्मिलित करते हुए लगभग 154 वर्ग किमी. क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है।

  जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र को 12 अक्टूबर, 2020 को विशेष निवेश क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। रीको को जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है तथा जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के रूप में 12 अक्टूबर, 2020 को अधिसूचना जारी कर नामित किया गया।

राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम, 2016

राज्य में एवं डी.एम.आई.सी. क्षेत्र में ''राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम, 2016'' के नाम से एक विशेष कानून 26 अप्रैल, 2016 को अधिसूचित किया गया और इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों को भी अधिसूचित किया गया है। राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र के विकास हेतु प्रवर्तन एवं निगरानी बाबत एक राज्य स्तरीय ''राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र बोर्ड'' का गठन किया गया है।

अलवर जिले की बहरोड़, मुण्डावर, नीमराना, कोटकासिम एवं तिजारा तहसीलों के 363 गाँवों को सम्मिलित करते हुए एक विशेष निवेश क्षेत्र ''भिवाड़ी इंटिग्रेटेड टाउनशिप (बी.आई.टी.)''

के नाम से घोषित किया गया है। तथा एक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण ''भिवाड़ी इंटिग्रेटेड विकास प्राधिकरण'' (बी.आई.डी.ए.) का भी गठन किया गया है।

दिनांक 28 दिसम्बर, 2020 को जारी एक अधिसूचना के द्वारा, 42 ग्रामों को पृथक कर खुशखेड़ा–भिवाड़ी–नीमराना निवेश क्षेत्र विशेष निवेश क्षेत्र घोषित किया गया है जिसके लिए रीको क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण होगा। भिवाड़ी इंटिग्रेटेड टाउनशिप के शेष 321 ग्रामों के लिए बी.आई.डी.ए. ही क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के रूप में कार्य करना जारी रखेगा।

खादी एवं ग्रामोद्योग

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना असंगठित क्षेत्र के कारीगरों को रोजगार प्रदान करने, उच्च गुणवत्तायुक्त उत्पादों के उत्पादन में सहायता प्रदान करने, दस्तकारों को प्रशिक्षण प्रदान करने और आत्मनिर्भरता की भावना जागृत करने के लिए की गई। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में खादी तथा ग्रामोद्योग के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराने में राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्तमान में, राज्य में खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.): प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार के अन्तर्गत खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दिसम्बर, 2020 तक 228 ग्रामोद्योग इकाईयाँ स्वीकृत की गई एवं 1,742 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है:–

लघु खादी परियोजना: इस परियोजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु ₹50.00 लाख का प्रावधान है। इस परियोजना में ₹50.00 लाख के 2 प्रस्ताव प्राप्त हुए जिन्हें एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में अनुमोदन प्राप्त करने हेतु रखा गया। प्रति प्रस्ताव ₹25.00 लाख की दर से दोनों प्रस्तावों को मंजूरी दी गई और दिसम्बर, 2020 तक ₹15.00 लाख का वितरण किया गया है।

छूट (रिबेट): राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की 150वीं जयन्ती के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा खादी वस्त्रों पर कुल 50 प्रतिशत (35 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा, 10 प्रतिशत एमडीए (मार्केटिंग डवलपमेंट असिस्टेंस) अन्तर्गत एवं 5 प्रतिशत छूट संस्थान द्वारा) की छूट दी गई। यह छूट 2 अक्टूबर, 2019 से 28 फरवरी, 2020 तक दी गई थी। इस अवधि के दौरान लगभग ₹97.28 करोड़ की खुदरा बिक्री की गई।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, राज्य सरकार ने केवल राज्य में उत्पादित राज्य खादी वस्तुओं की बिक्री पर 2 अक्टूबर, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक 5 प्रतिशत की दर से छूट को मंजूरी दी है। एमडीए (मार्केटिंग डवलपमेंट असिस्टेंस) मद की 15 प्रतिशत छूट के साथ कुल 20 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।

अभिनव योजनाएं

1. वित्तीय वर्ष 2019–20 तक 158 खादी एवं ग्रामोद्योग भंडारों का नवीनीकरण किया गया है और इस नवीकरण के कारण बिक्री में 35 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान ₹50 लाख बजट प्रावधान के विरूद्ध 5 खादी एवं ग्रामोद्योग भंडारों को ₹49.38 लाख दिसम्बर, 2020 तक स्वीकृत किए गए हैं।

2. राजस्थान की खादी एवं अन्तर्राष्ट्रीय ब्रांड्स को एक मंच पर साथ लाने के उद्देश्य से भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) एवं एम.एस.एम.ई. राजस्थान सरकार द्वारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लोबलाइजेशन ऑफ खादी का आयोजन हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान (रीपा), जयपुर में दिनांक 30–31 जनवरी, 2020 को किया गया। इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया गया। इस सम्मेलन में इंग्लैण्ड, यूगांडा, आस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस सहित 16 देशों के लगभग 200 खादी विशेषज्ञ व डिजाइनरों ने भाग लिया।

कोविड–19 के दौरान विशेष कार्य

राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (आर.के.वी.आई.बी.) के प्रयासों से, विविध संस्थाओं/समितियों द्वारा तैयार किए गए लगभग 2 लाख मास्क जनता को मुफ्त वितरित किए गए और लगभग 20,000 मास्क आर.के.वी.आई.बी. द्वारा खादी संगठनों के सहयोग से वितरित किए गए।

गत चार वर्षों के दौरान खादी और ग्रामोद्योग की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति क्रमशः तालिका–4.5 तथा 4.6 में दी गई है।

तालिका–4.5 खादी एवं ग्रामोद्योग की वित्तीय प्रगति

(₹लाख)

वर्ष	प्रावधान	व्यय
2017-18	441	204
2018-19	384	334
2019-20	442	315
2020-21*	289	120

* दिसम्बर, 2020 तक

तालिका–4.6 खादी एवं ग्रामोद्योग की भौतिक प्रगति

वर्ष	स्वीकृत/वितरित इकाई				रोजगार संख्या				उत्पादन (₹लाख)	
	भौतिक		वित्तीय (₹लाख)		खादी		ग्रामोद्योग		खादी	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2017-18	743	310	1472.78	917.93	20356	13581	5944	2425	6568.49	5414.57
2018-19	929	448	2322.00	1348.63	18860	16723	7432	2842	6651.90	6904.00
2019-20	1019	445	3058.26	1320.14	22767	13418	8129	2519	9867.16	3519.19
2020-21*	806	228	2418.02	828.85	22852	14349	6466	1742	9915.91	3553.31

* दिसम्बर, 2020 तक

कारखाना एवं बॉयलर्स

इस विभाग का मुख्य कार्य कारखाना अधिनियम, 1948, बॉयलर अधिनियम, 1923 एवं वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 तथा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों को लागू करना है। उपर्युक्त अधिनियमों के प्रावधानों एवं उसके तहत बनाए गए नियमों की अनुपालना हेतु समय–समय पर विभाग के अधिकारियों द्वारा कारखानों का निरीक्षण किया जाता है एवं कारखाना प्रबन्धकों को दिशा–निर्देश जारी किए जाते हैं।

विभागीय अधिकारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) के दौरान 2,524 कारखाना एवं बॉयलर्स के निरीक्षण किए गए।

वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) के दौरान विभाग द्वारा 476 नए कारखानों एवं 82 नए बॉयलर्स का पंजीयन किया गया, जिनमें लगभग 29,549 श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया है।

नए उद्यमियों को विभाग द्वारा लागू किए गए अधिनियमों व इसके मुख्य प्रावधानों की जानकारी देने हेतु विभाग द्वारा एक वेबसाइट www.rajfab.nic.in विकसित की है। उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकरण, नवीनीकरण और नक्शों की स्वीकृति के लिए एक वेब एप्लीकेशन विकसित किया गया है।

कारखानों में सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्य वातावरण सुनिश्चित करने और व्यवसाय–जनित रोगों की जाँच के लिए औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापित की गयी। वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) में, 828 कारखानों से 131 नमूने एकत्र किए गए एवं विश्लेषण किया गया। जिन कारखानों में वायु प्रदूषण निर्धारित मापदण्ड से अधिक पाया गया, उन्हें नियंत्रित करने के लिए कारखाना प्रबन्धकों को सुझाव दिए गए हैं।

औद्योगिक दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए एवं सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने हेतु कारखानों के श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। औद्योगिक दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए दिसम्बर, 2020 तक 98 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 2,988 प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित किया गया।

राजस्थान में खनन क्षेत्र

राजस्थान में खनिज संसाधन

राजस्थान राज्य का भूविज्ञान (जिओलॉजी) प्रत्येक दृष्टिकोण से अद्वितीय है। देश में खनिजों की उपलब्धता और विविधता के मामले में राजस्थान सर्वाधिक समृद्ध राज्यों में से एक है। यहां 81 विभिन्न प्रकार के खनिजों के भण्डार हैं। इनमें से वर्तमान में 57 खनिजों का खनन किया जा रहा है। राजस्थान सीसा एवं जस्ता अयस्क, सेलेनाईट और वॉलेस्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य है। देश में चाँदी, केल्साइट और जिप्सम का लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान में होता है। राजस्थान देश में बॉल क्ले, फॉस्फोराइट, ओकर, स्टिएटाइट, फेल्सफार एवं फायर क्ले का भी प्रमुख उत्पादक है। राज्य का आयामी और सजावटी पत्थर यथा– संगमरमर, सेण्डस्टोन, ग्रेनाईट आदि के उत्पादन में भी देश में प्रमुख स्थान है। भारत में सीमेन्ट ग्रेड व स्टील ग्रेड लाइम स्टोन का राज्य अग्रणी उत्पादक है। वर्तमान में खनन पट्टों को ई–नीलामी प्रक्रिया द्वारा प्रदान किया जा रहा है। राज्य में प्रधान खनिजों के 176 खनन पट्टे, अप्रधान खनिजों के 14,982 खनन पट्टे एवं 17,481 खदान लाईसेन्स विद्यमान हैं। खान एवं भू–विज्ञान विभाग को वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु ₹7,000 करोड़ का राजस्व लक्ष्य तय किया गया जिसके विरूद्ध दिसम्बर, 2020 तक कुल ₹3125.70 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया है।

सघन खनिज सर्वेक्षण एवं पूर्वेक्षण योजना (आई.पी.एस.): वर्ष 2020–21 के लिए खनिज सर्वेक्षण और पूर्वेक्षण योजना के अनुमोदित क्षेत्र कार्यक्रम के अनुसार 8 अन्वेषण कार्यक्रमों के तहत भू–वैज्ञानिक जांच कार्यक्रमों के लिए कुल 42 परियोजनाएं रखी गईं थी। वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) के दौरान किए गए पूर्वेक्षण कार्य की लक्ष्यवार भौतिक उपलब्धियां तालिका–4.7 में दर्शाई गई है।

तालिका–4.7 खान एवं खनिज की प्रगति

कार्य की प्रकृति	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धियां
क्षेत्रीय खनिज सर्वेक्षण (वर्ग किमी.)	1200.00	910.00
क्षेत्रीय भू–गर्भीय मानचित्र (वर्ग किमी.)	399.00	260.62
विस्तृत भू–गर्भीय मानचित्र (वर्ग किमी.)	95.00	57.70
छिद्रण (मीटर)	7800.00	1564.00
भू–भौतिकी सर्वेक्षण (लाइन किमी.)	60.00	40.00

डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट (डी.एम.एफ.टी.) के अर्न्तगत खनन उपागम सड़क: विभाग खनिजों के परिवहन के लिए खनन क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से करवाता है और डी.एम.एफ.टी. के अर्न्तगत वर्ष 2020–21 के लिए ₹3,044.01 करोड़ की मंजूरी दी गई।

खनिजों के अवैध खनन और परिवहन की जांच के लिए विभाग द्वारा 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) में की गई कार्यवाही का विवरण तालिका–4.8 में दर्शाया गया है।

तालिका–4.8 भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

क्र.सं.	विवरण	2020-21*
1	अवैध खनन/निर्गमन/स्टॉक के दर्ज प्रकरणों की संख्या	7458
2	दर्ज कराई गई एफ.आई.आर. की संख्या	526
3	जब्त वाहन/मशीन/औजारों की संख्या	7400
4	अवैध खनन/निर्गमन से वसूल शास्ति राशि (₹करोड़ में)	57.34

* दिसम्बर, 2020 तक

राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (आर.एस.एम.एम.एल.)

राजस्थान राज्य में उपलब्ध खनिजों का वैज्ञानिक रूप से अन्वेषण/उत्खनन करने के उद्देश्य से राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड नाम से एक कम्पनी की स्थापना, कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत दिनांक 30 अक्टूबर, 1974 को की गई।

राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड राज्य का सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से एक है, जो मुख्य रूप से राज्य में औद्योगिक खनिजों के खनन एवं विपणन के कार्यों में कार्यरत है। कम्पनी का मुख्य उद्देश्य लागत प्रभावी तकनीक का प्रयोग करते हुए खनिज सम्पदा का आधुनिक तकनीकों से दोहन करना है। कम्पनी के पास स्टील ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया के साथ अल्प–सिलिका लाइम स्टोन आपूर्ति का दीर्घकालिक अनुबन्ध है।

प्रारम्भ से ही आर.एस.एम.एम.एल. द्वारा खनिज क्षेत्र में खनिजों के अन्वेषण/खुदाई के लिए नई दिशा में प्रयास किए गए। इसके फलस्वरूप कम्पनी उत्पादकता बढ़ाने तथा उच्च लाभ अर्जित करने का मार्ग प्रशस्त कर रही है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, आर.एस.एम.एम.एल. के द्वारा सकल राजस्व तथा कर पूर्व लाभ क्रमशः 96,870.43 लाख तथा 18,162.76 लाख (अनअंकेक्षित) थे। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, आर.एस.एम.एम.एल. के द्वारा सकल राजस्व तथा कर पूर्व लाभ क्रमशः ₹1,04,380.22 लाख तथा ₹21,318.99 लाख है।

राजस्थान स्टेट माइन्स एवं मिनरल्स लिमिटेड अपने वैधानिक एवं अन्य देयताओं को जमा कराने में नियमित रही है। कम्पनी द्वारा दिसम्बर, 2020 तक राजस्थान सरकार को ₹11,598.67 लाख रॉयल्टी, जिला खनिज फाउण्डेशन (डी.एम.एफ.) के बकाया, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट के बकाया (एन.एम.ई.टी.), वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी), लाभांश आदि राजकोष में जमा करवाये गए तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए ₹24,427.43 लाख जमा कराए जाने की सम्भावना है।

कम्पनी की मुख्य गतिविधियों को चार भागों में बांटा गया है जिसे स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रोफिट सेन्टर (एस. बी. यू. एण्ड पी. सी.) कहा जाता है जिस पर सीधा नियंत्रण उदयपुर कॉर्पोरेट ऑफिस का होता है। उपर्युक्त चार एस. बी. यू. एवं पीसी. इस प्रकार हैं–

i. स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रोफिट सेन्टर–रॉकफॉस्फेट झामरकोटड़ा, उदयपुर।
ii. स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रोफिट सेन्टर–जिप्सम बीकानेर।
iii. स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रोफिट सेन्टर–लाईमस्टोन जोधपुर।
iv. स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रोफिट सेन्टर–लिग्नाईट जयपुर।

वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) तक अर्जित परिचालन राजस्व के सन्दर्भ में वित्तीय स्थिति के आंकड़े तालिका–4.9 में दर्शाए गए हैं।

तालिका–4.9 भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

(₹लाख)

विवरण	परिचालन राजस्व 2020-21*
एस.बी.यू. एण्ड पी.सी. रॉक फास्फेट	30915.74
एस.बी.यू. एण्ड पी.सी. लाइम स्टोन	11906.12
एस.बी.यू. एण्ड पी.सी. जिप्सम	2279.30
एस.बी.यू. एण्ड पी.सी. लिग्नाइट	8671.25
106.3 मेगावाट पवन ऊर्जा एवं 5 मेगावाट सोलर ऊर्जा संयंत्र	3209.11

* दिसम्बर, 2020 तक

सामाजिक गतिविधियां

आर.एस.एम.एम.एल. अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में विभिन्न संस्थाओं के लिए निरन्तर योगदान दे रहा है। इस सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) के दौरान सी.एस.आर गतिविधियों पर कुल ₹50.00 लाख एवं वानिकी एवं पौधारोपण पर ₹57.40 लाख व्यय किए गए हैं।

कम्पनी ग्रामीणों के लाभ के लिए खनन क्षेत्रों के आसपास के गांवों में नियमित रूप से चिकित्सा शिविर आयोजित कर रही है। कम्पनी गांवों के विद्यालयों में कम्प्यूटर की स्थापना और पुस्तकें प्रदान करने सहित विभिन्न सुविधाएं प्रदान कर रही है।

तेल एवं प्राकृतिक गैस

संयुक्त राज्य अमेरिका एवं चीन के बाद भारत विश्व में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। देश में विश्व का लगभग 5 प्रतिशत कच्चा तेल खपत होता है। भारत कुल घरेलू उपभोग का लगभग 16 प्रतिशत कच्चा तेल उत्पादित करता है, जबकि शेष 84 प्रतिशत खपत की आवश्यकताएं आयात से पूर्ण होती हैं।

राजस्थान भारत में कच्चे तेल का महत्वपूर्ण उत्पादक है। भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन (32 एम.एम.टी.पी.ए.) में राज्य का योगदान लगभग 22–23 प्रतिशत (7 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष) है और यह बॉम्बे हाई, जो कि लगभग 40 प्रतिशत का योगदान देता है, के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। राज्य में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित 4 पेट्रोलीफेरस बेसिन के अन्तर्गत लगभग 1,50,000 वर्ग किमी. (14 जिलों) क्षेत्र में विस्तृत है।

i. बाड़मेर–सांचोर बेसिन – (बाड़मेर एवं जालौर जिले)
ii. जैसलमेर बेसिन– (जैसलमेर जिला)
iii. बीकानेर – नागौर बेसिन – (बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एवं चूरू जिले)
iv. विंध्ययन बेसिन – (कोटा, बारां, बून्दी, झालावाड़ जिले तथा भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ जिलों का कुछ हिस्सा)

वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) के दौरान पेट्रोलियम विभाग की गतिविधियां

1. कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस का दोहन, उत्पादन एवं विकास की गतिविधियां:–

- मंगला तेल क्षेत्र से खनिज तेल का व्यावसायिक उत्पादन 29 अगस्त, 2009 से प्रारम्भ हुआ और वर्तमान में 14 क्षेत्रों यथा– मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी एवं अन्य सेटेलाइट क्षेत्र से लगभग 1,15,000 बैरल्स खनिज तेल का प्रतिदिन उत्पादन किया जा रहा है।
- वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) के दौरान बाड़मेर–सांचौर बेसिन से कुल 44.05 लाख मैट्रिक टन खनिज तेल का उत्पादन केयर्न एनर्जी इण्डिया द्वारा किया गया तथा जैसलमेर एवं बाड़मेर–सांचौर बेसिन से लगभग 873.87 एम.एम.एस.सी.एम. प्राकृतिक गैस का उत्पादन केयर्न एनर्जी, फोकस एनर्जी, ओ.एन.जी.सी.एल. एवं ऑयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) के दौरान किया गया है।
- राज्य सरकार द्वारा खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस के दोहन हेतु 13 पेट्रोलियम खनन पट्टे स्वीकृत किए गए। 14 पेट्रोलियम अन्वेषण लाईसेन्स (पी.ई.एल.) ब्लॉक्स में अन्वेषण का कार्य प्रगति पर है, जिसके लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाईसेन्स दिए गए हैं।
- बाड़मेर–सांचौर बेसिन में खोजे गए 38 क्षेत्रों में हाइड्रोकॉर्बन्स के 234 मिलियन बैरल तेल के बराबर भण्डार का आंकलन किया गया।
- जैसलमेर बेसिन एवं बाड़मेर–सांचौर बेसिन में ऑयल इण्डिया, ओ.एन.जी.सी., केयर्न इण्डिया व फोकस एनर्जी द्वारा लगभग 13 बिलियन क्युबिक मीटर कम गहनता एवं समृद्ध गैस के भण्डार प्रमाणित किए गए हैं।
- वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) के दौरान ₹1,210.46 करोड़ राजस्व अर्जित किया गया है।
- मैसर्स फोकस एनर्जी द्वारा 8 जुलाई, 2010 से प्राकृतिक गैस का उत्पादन आरम्भ किया और वर्तमान में रामगढ़ विद्युत संयंत्र (110+160 मेगावाट) को आपूर्ति करने के लिए 1–2 लाख घनमीटर प्रतिदिन उत्पादन किया जा रहा है।
- जैसलमेर जिले के बाघेवाला क्षेत्र से लगभग 44,646 बैरल भारी तेल का दोहन किया गया है। वर्तमान में, 150 से 170 बैरल प्रतिदिन भारी तेल का उत्पादन किया जा रहा है।
- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा तेल और गैस अन्वेषण हेतु नवीन हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं लाईसेन्सिंग नीति (एच.ई.एल.पी.) की खुला रकबा लाईसेन्सिंग नीति (ओ.ए.एल.पी.) –चतुर्थ के अर्न्तगत बीकानेर–नागौर बेसिन में एक नवीन ब्लॉक 2 जनवरी, 2020 को आवंटित किया गया और राज्य सरकार द्वारा दिनांक 13 जुलाई, 2020 को पेट्रोलियम अन्वेषण लाईसेन्स (पी.ई.एल.) जारी किया गया है।

2. राजस्थान रिफाईनरी परियोजनाः एच.पी.सी.एल राजस्थान रिफाईनरी लिमिटेड हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन एवं राजस्थान सरकार का क्रमशः 74 प्रतिशत और 26 प्रतिशत की इक्विटी साझेदारी के साथ संयुक्त उद्यम है। 9 मिलियन टन वार्षिक क्षमता की रिफाईनरी सह–पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स परियोजना के कार्य का शुभारम्भ दिनांक 16 जनवरी, 2018 को पचपदरा, जिला बाड़मेर में किया गया। परियोजना की लागत ₹43,129 करोड़ है और यह 2:1 के ऋण इक्विटी अनुपात पर वित्त पोषित है। यह रिफाइनरी बीएस–6 मानक के उत्पादों का उत्पादन करेगी। यह देश की प्रथम ऐसी परियोजना है, जिसमें रिफाईनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स का सम्मिश्रण है। दिसम्बर, 2020 तक ₹37,688 करोड़ के क्रय आदेश जारी किए गए और विभिन्न निर्माण गतिविधियों हेतु ₹5,367 करोड़ का व्यय किया गया है।

पेट्रोलियम क्षेत्र से अर्जित उत्पादन और राजस्व तालिका–4.10 में दर्शाया गया है।

तालिका–4.10 पेट्रोलियम क्षेत्र से अर्जित उत्पादन और राजस्व

वर्ष	क्रूड ऑयल			प्राकृतिक गैस		पी.ई.एल. फीस अनिवार्य किराया आदि (₹ करोड़)	कुल (₹ करोड़)
	रॉयल्टी (₹ करोड़)	उत्पादन (लाख मैट्रिक टन)	उत्पादन (मिलियन बैरल)	रॉयल्टी (₹ करोड़)	उत्पादन एम.एम.एस.सी.एम.		
2017-18	2501.38	77.77	55.99	68.46	721.65	9.24	2579.08
2018-19	3766.05	75.58	50.66	100.47	708.94	16.69	3883.22
2019-20	3183.41	66.29	47.88	126.21	1160.92	10.48	3320.10
2020-21*	1138.97	44.05	31.90	63.70	873.87	7.80	1210.46

* दिसम्बर, 2020 तक

श्रम

श्रम विभाग उच्च औद्योगिक उत्पादन को बनाए रखने और श्रमिकों को समय पर वेतन एवं भत्तों का भुगतान सुनिश्चित करने तथा विभिन्न श्रम कानूनों के प्रवर्तन के माध्यम से रोजगार के नियमों एवं प्रावधानों के प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन द्वारा उनके हितों की रक्षा करने के लिए क्रियाशील है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) के दौरान अर्जित उपलब्धियां

- राज्य सरकार द्वारा दिनांक 19 अगस्त, 2020 को अधिसूचना जारी कर 1 मई, 2019 से न्यूनतम मजदूरी की दरों में अभिवृद्धि कर अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी क्रमशः ₹225, ₹237, ₹249 व ₹299 प्रतिदिन कर दी गई है।
- भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) में 1,79,520 निर्माण श्रमिकों का हिताधिकारियों के रूप में पंजीकरण किया गया तथा 71,325 हिताधिकारियों को कल्याण मण्डल की योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया।
- भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत ₹232.09 करोड़ उपकर राशि एकत्र की गई।
- भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण (बी.ओ.सी.डबल्यू.) योजनाओं के लम्बित मामलों की अधिक संख्या को देखते हुए 12 अप्रैल, 2019 में मुख्यालय पर एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई हैं। नियंत्रण कक्ष द्वारा 29 जनवरी, 2020 तक 5,96,052 आवेदनों का निस्तारण किया गया हैं। इसी क्रम में लंबित पंजीकरणों के निस्तारण के लिए 5 दिसम्बर, 2019 को एक पृथक नियंत्रण कक्ष मुख्यालय पर स्थापित किया गया, जिसके द्वारा दिनांक 8 सितम्बर, 2020 तक 1,82,620 आवेदनों का निस्तारण किया गया है।
- भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा निर्माण श्रमिकों हेतु निम्नलिखित कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैः–
  - निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना
  - निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना

- निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना
- प्रसूति सहायता योजना
- शुभशक्ति योजना
- निर्माण श्रमिक की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना।
- सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना
- निर्माण श्रमिक औजार/टूलकिट योजना

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिये निम्नलिखित नवीन योजनाएं लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

- **निर्माण श्रमिकों के लिए व्यवसायिक ऋण पर ब्याज के पुनर्भरण योजना:** इस योजना के अन्तर्गत पात्र हिताधिकारी को व्यवसाय हेतु वित्तीय संस्थाओं द्वारा अधिकतम ₹5.00 लाख रूपये तक स्वीकृत ऋण पर ब्याज का, पुनर्भरण मण्डल द्वारा किया जायेगा।
- **निर्माण श्रमिक एवं उनके आश्रित बच्चों द्वारा भारतीय/राजस्थान प्रशासनिक सेवा हेतु आयोजित प्रारम्भिक प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन योजना:** इस योजना के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ₹1.00 लाख तथा राजस्थान प्रशासनिक सेवा की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ₹50,000 दिए जाएंगें।
- **निर्माण श्रमिकों के पुत्र/पुत्री का आईआईटी/आईआईएम में प्रवेश मिलने पर ट्यूशन फीस की पुनर्भरण योजना:** इस योजना के अन्तर्गत पात्र हिताधिकारी के पुत्र/पुत्री का भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.)/भारतीय प्रबंधन संस्थान (आई.आई.एम.) पाठयक्रम हेतु प्रवेश लेने पर ट्यूशन फीस का पुनर्भरण मण्डल द्वारा किया जायेगा।
- **निर्माण श्रमिकों को विदेश में रोजगार हेतु वीजा पर होने वाले व्यय का पुनर्भरण योजना:** इस योजना के अन्तर्गत पात्र हिताधिकारी को विदेश में नियोजन के उद्देश्य से वीजा हेतु किए गए व्यय के पुनर्भरण हेतु मण्डल स्तर से अधिकतम ₹5,000/– की राशि पुनर्भरण किया जायेगा।
- **निर्माण श्रमिक अर्न्तराष्ट्रीय खेल प्रतियोगियों हेतु प्रोत्साहन योजना:** इस योजना के अन्तर्गत पात्र हिताधिकारी अथवा उसके बच्चों को अर्न्तराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।
  i. प्रतियोगिता में भाग लेने पर – ₹2.00 लाख
  ii. कांस्य पदक प्राप्त करने पर – ₹5.00 लाख
  iii. रजत पदक प्राप्त करने पर – ₹8.00 लाख
  iv. स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर – ₹11.00 लाख
- **निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना में संशोधन:** इस संशोधन के तहत, 10वीं अथवा 12वीं कक्षा के निर्माण श्रमिकों के मेधावी बच्चों को संबंधित बोर्ड द्वारा घोषित परिणामों में प्रथम दस में स्थान प्राप्त करने पर ₹1.00 लाख प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। पूर्व में यह राशि कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए क्रमशः ₹4,000 और ₹6,000 प्रदान की जा रही थी।
- वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) में विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत 670 मामले निस्तारित किए गए, जिसमें ₹22.33 करोड़ अवॉर्ड की राशि निर्धारित हुई।
- वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) में प्राप्त 2,039 औद्योगिक शिकायतों में से 1,164 का निपटारा किया गया और 175 औद्योगिक विवादों में से 142 का निस्तारण किया गया है।
- श्रमिक संघ अधिनियम–1926 के अन्तर्गत श्रमिकों तथा नियोजकों का पंजीयन किया जाता है। वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) में 27 ट्रेड यूनियनों का पंजीयन किया गया, जिनमें सदस्यों की संख्या 3,157 थी।
- श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) में 266 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है।

रोजगार विभाग

रोजगार कार्यालय रोजगार तलाश करने वालों तथा नियोजकों को क्रमशः उपयुक्त रोजगार/कार्य/नौकरी एवं कार्यबल/श्रमिक प्राप्त करने में सहायता कर अपनी सेवाएं प्रदान करता है। इसके लिए रोजगार कार्यालयों में बेरोजगार आशार्थियों का पंजीयन किया जाता है एवं नियोजकों को उनकी मांग के आधार पर आशार्थी उपलब्ध करवाये जाते हैं।

वर्ष 2020 (दिसम्बर, 2020 तक) में विभिन्न रोजगार कार्यालयों में 1,89,940 बेरोजगार व्यक्तियों का पंजीयन किया गया, जिसमें से 87,713 महिलाएं, 30,840 अनुसूचित जाति, 21,254 अनुसूचित जनजाति तथा 95,061 अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति थे। उक्त समानावधि में 404 रिक्तियों को ज्ञापित किया गया था, जिसके विरूद्ध 78 आशार्थी नियोक्ताओं को उपलब्ध करवाए गए।

विभाग उम्मीदवारों को रोजगार/स्वरोजगार/प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार सहायता शिविरों का आयोजन करता है। शिविरों में सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को आमंत्रित किया जाता है और रोजगार/स्वरोजगार/प्रशिक्षण के अवसरों की सुविधा के लिए उम्मीदवारों और नियोक्ताओं को एक मंच प्रदान किया जाता है। वार्षिक कार्य योजना 2020–21 के तहत, राज्य में इस वर्ष कोविड–19 महामारी के मद्देनजर 188 मासिक कौशल, रोजगार और उद्यमिता/कैम्पस प्लेसमेंट शिविरों का आयोजन ऑनलाइन किया गया और रोजगार के अवसरों के माध्यम से 7,104 रोजगार चाहने वालों को लाभान्वित किया गया है।

हाल के वर्षों में रोजगार विपणन सूचना कार्यक्रम के अन्तर्गत संगठित क्षेत्रों (सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र) के एकत्रित आंकड़ों के अनुसार राज्य में रोजगार की स्थिति तालिका–4.11 में दर्शाई गई है।

तालिका–4.11 संगठित क्षेत्र (सार्वजनिक एवं निजी) में रोजगार

वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र		निजी क्षेत्र		कुल	
	संस्थानों की संख्या	नियोजित व्यक्ति (लाख में)	संस्थानों की संख्या	नियोजित व्यक्ति (लाख में)	संस्थानों की संख्या	नियोजित व्यक्ति (लाख में)
2017	14829	9.61	6377	4.14	21206	13.74
2018	15011	9.69	6631	4.40	21642	14.08
2019	15146	9.72	6479	4.20	21625	13.92
2020*	15359	9.88	6479	4.18	21838	14.06

* जून, 2020 तक

राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना (मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना): राज्य सरकार की इस योजना के तहत, जिसे 1 फरवरी, 2019 को शुरू किया गया था, बेरोजगारी भत्ता ₹3,000 पुरूषों के लिए तथा ₹3,500 महिलाओं, ट्रांसजेडर और दिव्यांगजनों के पात्र बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह अधिकतम दो वर्ष या रोजगार पाने तक जो भी पहले हो, वितरित किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ से दिसम्बर, 2020 तक 2,49,433 आशार्थियों को लाभान्वित किया गया है एवं ₹800.44 करोड़ की राशि का बेरोजगारी भत्ते के रूप में वितरण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान दिसम्बर, 2020 तक 62,912 नवीन स्वीकृतियां जारी की गईं और ₹419.12 करोड़ राशि बेरोजगारी भत्ते के रूप में वितरित की गई है।

मॉडल कॅरियर सेंटर्स (एम.सी.सी.) की स्थापना: भारत सरकार द्वारा रोजगार कार्यालयों के ढाँचे को मॉडल कॅरियर सेंटर के रूप में परिवर्तन करने के संबंध में विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्तावों में 16 मॉडल कॅरियर सेंटर की अनुमति प्राप्त हुई है जिसमें से 3 मॉडल कॅरियर सेंटर्स, बीकानेर, भरतपुर व कोटा ने कार्य प्रारम्भ कर दिया हैं। शेष जिलों जयपुर, अलवर, दौसा, झालवाड़, झुंझुंनू, सवाई माधोपुर, सिरोही, पाली, जैसलमेर, जालौर, बारां, बांसवाड़ा तथा गंगानगर में मॉडल कॅरियर सेंटर की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

राज–कौशल पोर्टल : कोविड–19 महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों को रोजगार अवसर उपलब्ध तथा जनशक्ति एवं नियोक्ताओं को एक मंच पर लाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 5 जून 2020 को राज–कौशल पोर्टल का लोकार्पण किया गया। इसमें राज्य सरकार के पास उपलब्ध विभिन्न प्रकार की जनशक्ति (संनिर्माण, कोविड प्रवासी श्रमिक, पंजीकृत बेरोजगार, आर.एस.एल.डी.सी. प्रशिक्षित, आई.टी.आई. प्रशिक्षित इत्यादि) के डाटा को एक स्थान पर लाया गया है। इस पोर्टल पर 52.64 लाख कुल उपलब्ध श्रमिक/जनशक्ति है तथा 9.59 लाख कुल नियोक्ता उपलब्ध है। इस तरह की पहल करने वाला राजस्थान देश का अग्रणी राज्य है।

राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आर.एस.एल.डी.सी.)

राजस्थान मिशन ऑन लाइवलिहुड (आर.एम.ओ.एल.) राज्य के गरीब एवं कमजोर तबके के लोगों के लिए बड़े पैमाने पर आजीविका को बढ़ावा देने तथा सुविधाजनक बनाने के लिए उचित एवं अभिनव रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से बनाया गया था। आजीविका पर मिशन स्थापित करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य था। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम राज्य में कौशल और उद्यमिता के विकास के लिए निम्नलिखित योजनाओं/परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है :–

आर.एस.एल.डी.सी. द्वारा क्रियान्वित राज्य पोषित योजनाएँ

- रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (ई.एल.एस.टी.पी.)
- नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (आर.एस.टी.पी.)
- मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना (एम.एम.वाई.के.वाई.)

मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना (एम.एम.यू.के.वाई.): मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना (एम.एम.वाई.के.वाई.) शैक्षणिक महाविद्यालयों में कौशल विकास को एकीकृत करने के लिए 7 नवम्बर, 2019 को शुरू की गई है। कॉलेज परिसर में स्थित कौशल विकास केन्द्र, महाविद्यालय के स्नातक स्तरीय छात्रों की रोजगार क्षमता में सुधार के लिए लाइफ स्किल/सॉफ्ट स्किल पाठ्यक्रम उपलब्ध करवा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कॉलेजों में छात्रों को सॉफ्ट स्किल और कौशल आधारित रोजगार प्रदान करना है ताकि प्रशिक्षण के बाद वे मजदूरी या स्वरोजगार के अवसरों का लाभ उठा सकें।

इस योजना का संचालन आर.एस.एल.डी.सी. एवं कॉलेज शिक्षा विभाग (कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय, राजस्थान) के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन आर.एस.एल.डी.सी. द्वारा सूचीबद्ध कौशल प्रशिक्षण प्रदाता संस्थानों द्वारा किया जा रहा है।

योजना के अन्तर्गत विद्यार्थियों के लिये 45 विशेष प्रशिक्षण पाठयक्रम तैयार किए गए हैं, जो कॉलेज के युवाओं के लिए प्रासंगिक हैं। पाठ्यक्रमों की अधिकतम अवधि 350 घण्टे है। प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में 90 घण्टे सॉफ्ट स्किल के लिए निर्धारित है। योजनान्तर्गत पात्रता हेतु अभ्यर्थी की आयु सीमा 17 से 30 वर्ष है।

राज्य पोषित कौशल प्रशिक्षण योजनाओं का पुनर्गठन: विभिन्न श्रेणियों के युवाओं की प्रशिक्षण सम्बन्धी आवयश्कताओं को पूरा करने के लिए आर.एस.एल.डी.सी. की मौजूदा राज्य पोषित योजनाओं का पुनर्गठन किया जा रहा है। रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (ई.एल.एस.टी.पी.) का पुनर्गठन रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम (राजविक) के रूप में तथा समाज के विभिन्न वर्गों की प्रशिक्षण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (आर.एस.टी.पी.) का पुनर्गठन दो योजनाओं यथा सक्षम (स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महा–अभियान) एवं समर्थ के रूप में किया जा रहा है।

- **रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम (आर.ए.जे.के.वी.आई.के.):** इस योजना के अन्तर्गत, प्रत्यक्ष प्रशिक्षण की प्रक्रिया द्वारा कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा तथा कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार सम्बन्धी मांग का पता लगाने एवं इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने में उद्योगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए रिक्रूट–ट्रेन–डिप्लॉय (भर्ती–प्रशिक्षण–नियोजन) मॉडल को अपनाया गया है।

- **स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाभियान (सक्षम):** स्थानीय स्तर पर ही विभिन्न क्षेत्रों में स्वरोजगार की संभावनाओं वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोडते हुए राज्य के युवाओं व महिलाओं को स्वरोजगार हेतु सक्षम बनाते हुए राज्य में स्वरोजगार के अवसरों को स्थापित करना।

- **समर्थ:** इस योजना का उद्देश्य राज्य के निर्धनतम, हाशिये पर मौजूद समुदायों/वर्गों, भिक्षावृत्ति में लिप्त, कच्ची बस्तियों के निवासी, दलितों, आदिवासियों, नारी निकेतन, बालगृह के निवासियों, कारागार बन्दियों को रोजगार/स्वरोजगार की संभावनाओं वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है।

आर.एस.एल.डी.सी. द्वारा क्रियान्वित केन्द्र पोषित योजनाएं

- **दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू–जीकेवाई):** दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की कौशल प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की एक नई पहल/योजना लाइफ एमजी–नरेगा को भी दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में समाहित कर दिया गया है। परियोजना अवधि 2019–22 हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ₹755.93 करोड़ के संशोधित बजट प्रावधानों के साथ आर.एस.

एल.डी.सी. को कुल 1,22,800 के संयुक्त लक्ष्य के विरूद्ध 72,800 युवाओं को प्रशिक्षण का लक्ष्य आवंटित किया गया है।

- **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई):** भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 के अन्तर्गत ₹70.96 करोड़ का केंद्रीय वित्तीय बजट आवंटित किया गया है। योजनातंर्गत 41,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य था, जिसमें से 31,129 युवाओं का नामांकन कर लिया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 के मार्च 2020 को समापन के उपरांत मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 को आरम्भ किया गया है और इसका क्रियान्वयन जनवरी 2021 में शुरू होगा।
- **स्किल एक्यूजीशन एण्ड नोलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन (संकल्प):** यह योजना विश्व बैंक द्वारा पोषित 6 वर्षों के लिए एक परिणाम उन्मुख योजना है, जिसमें कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 60 प्रतिशत एवं राज्य सरकार द्वारा 40 प्रतिशत धनराशि उपलब्ध करवायी जाएगी। यह कार्यक्रम कौशल विकास पहलों की गुणवत्ता एवं बाजार प्रासंगिकता में सुधार करेगा तथा कौशल विकास कार्यक्रमों में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग प्रतिभागियों व समाज के अन्य वंचित समूहों की भागीदारी में भी वृद्धि करेगा।

विशेष योजनाएं

आर.एस.एल.डी.सी. द्वारा उद्योगों के लिए अपनी औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण करने तथा युवाओं को औद्योगिक वातावरण के द्वारा लाभान्वित करने एवं उनके चहुँमुखी विकास के लिए फ्लेक्सी एम.ओ.यू. किए गए।

इसके योजना के अंतर्गत सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 200 युवाओं को राजकीय आईटीआई, जयपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मोबाइल मरम्मत में प्रशिक्षित किया गया है जिसमें से 107 को रोजगार के अवसर प्रदान किये गए हैं।

इस विशेष योजनांतर्गत कैटरपिलर द्वारा राजकीय आईटीआई, झालावाड़ में हैवी अर्थ मूविंग ईक्यूइप्मेन्ट्स के प्रशिक्षण हेतु उत्कृष्टता का केंद्र स्थापित किया गया है जिसके अंतगर्त 371 युवा प्रशिक्षित किये गए हैं एवं उनमें से 173 प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार पर रखा गया है। इस पहल के तहत आर.एस.एल.डी.सी. द्वारा संस्कृत अकादमी जयपुर के साथ एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया है जिसके अंतर्गत पुरोहित प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान दिसम्बर, 2020 तक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रगति तालिका–4.12 में दी गई है।

तालिका 4.12 वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान दिसम्बर, 2020 तक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रगति

योजना	प्रशिक्षित युवाओं की संख्या	क्रियाशील कौशल विकास केन्द्र	प्रशिक्षणरत युवाओं की संख्या
ई.एल.एस.टी.पी.	3868	57	3389
आर.एस.टी.पी.	2540	5	189
डी.डी.यू.–जी.के.वाई.	481	22	1307
पी.एम.के.वी.वाई.	1475	11	1077
एम.एम.वाई.के.वाई.	275	-	-
कुल	**8639**	**95**	**5962**

आर.एस.एल.डी.सी. की अभिसरण योजना (कन्वर्जेन्स स्कीम) के अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण की विभागवार/योजनावार की प्रगति तालिका संख्या–4.13 में दी गई है।

तालिका–4.13 आरएसएलडीसी की अभिसरण योजना (कन्वर्जेन्स स्कीम) के अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण की विभागवार/योजनावार की प्रगति नवम्बर, 2020 तक

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रशिक्षित युवा
1	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड	12885
2	स्थानीय स्वशासन विभाग	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	18108
3	ग्रामीण विकास विभाग	सीमांत प्रदेश विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.)	7370
4	राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद	राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना	7060
5	जनजाति क्षेत्रीय विकास	टीएडी परियोजना	16935
6	श्रम विभाग	भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक	62
7	अल्पसंख्यक विभाग	अल्पसंख्यक विभाग	4712
8	वन विभाग	वन धन योजना	138
9	महिला एवं बाल विकास विभाग	1. स्वावलम्बन योजना	424
		2. महिला स्वयं सहायता समूह प्रशिक्षण	
10	पीएचईडी	जल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन	2000
कुल			**69694**

कौशल पूर्ण राजस्थान के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए नवाचार–

रिक्रूट–ट्रेन–डिप्लॉय (आरटीडी): इसके अन्तर्गत युवाओं को उद्योग/नियोक्ता सर्वप्रथम अस्थायी नौकरी की पेशकश करेंगे, तत्पश्चात उनको प्रशिक्षण प्रदान करेंगे एवं प्रशिक्षण उपरान्त उनका रोजगार नियोजन सुनिश्चित करेंगे। इस पहल के तहत आर.एस.एल.डी.सी. ने सीतापुरा में ज्वेलर एसोसिएशन, जयपुर के माध्यम से प्रशिक्षण प्रारम्भ कर दिया है।

प्रत्यक्ष मनोनयन प्रक्रिया: विस्तृत कार्य क्षेत्र, नियोजन की सुनिश्चिता एवं कौशल में अभिवृद्धि के लिए वृहद उद्योगों, संघों एवं विश्वविद्यालयों की प्रत्यक्ष सहभागिता को स्वीकार किया गया है। इस संबंध में, राजस्थान व्यापार एवं उद्योग महासंघ (एफ.ओ.आर.टी.आई.) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों को मुख्यधारा में लाने हेतु विशेष परियोजनाएँ: आर.एस.एल.डी.सी. ने पुलिस आयुक्तालय, जयपुर के सहयोग से भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों को रोजगार/स्वरोजगार के अवसरों के माध्यम से पुनर्वास के लिए प्रशिक्षण दिया है। जयपुर में शीघ्र ही पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एन.बी.सी. एफ.डी.सी.): आर.एस.एल.डी.सी. द्वारा प्रधानमंत्री–दक्ष योजना के क्रियान्वययन के लिए लक्ष्य आवंटित किए गए हैं। जिसके द्वारा पिछड़े वर्ग के युवाओं को लघु अवधि, दीर्घकालिक प्रशिक्षण और पूर्व शिक्षण (आर.पी.एल.) से लाभान्वित किया जाएगा।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्लंबर/इलेक्ट्रीशियन/फिटर हेतु कौशल प्रशिक्षण: आर.एस.एल.डी.सी. द्वारा प्लंबर/इलेक्ट्रीशियन/फिटर क्षेत्र में 45,000 लाभार्थियों को 3 दिवसीय कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जल एवं स्वच्छता सहायता संगठन (डबल्यू.एस.एस.ओ.) तथा राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एस.डबल्यू.एस.एम.) के साथ समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए हैं। जयपुर में पायलेट प्रोजेक्ट प्रारम्भ किया गया है।

*****

अध्याय

05

आधारभूत संरचना का विकास

- राज्य में दिसम्बर, 2020 तक विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता 21,836 मेगावाट है। जिसमें वर्ष 2020–21 के दौरान 660 मेगावाट की वृद्धि हुई।
- राज्य में 120 मीटर हब की ऊँचाई पर पवन ऊर्जा की क्षमता 1,27,750 मेगावाट है, जिसके विरूद्ध दिसम्बर, 2020 तक 3,734 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता है।
- राज्य में सौर ऊर्जा की क्षमता 142 गीगावाट है, जिसके विरूद्ध दिसम्बर, 2020 तक 2,178 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता है।
- राजस्थान सरकार द्वारा निवेशकों के अनुकूल राजस्थान सौर ऊर्जा नीति, 2019 जारी की गई।
- राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान विंड एण्ड हाईब्रिड एनर्जी पॉलिसी, 2019 जारी की गई।
- राज्य में वर्ष 2020–21 के दौरान दिसम्बर, 2020 तक 30,711 नए कृषि कनेक्शन जारी किए गए।
- राज्य में वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक 2,539 किमी की जिला एवं ग्रामीण सड़कों का सुदृढीकरण एवं नवीनीकरण किया गया।
- कोविड–19 महामारी के दौरान 5 लाख से अधिक यात्रियों को अपने गन्तव्य तक पहुंचाया गया।
- राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा श्रमिकों हेतु 12,289 विशेष श्रमिक सेवाओं का संचालन किया गया।
- राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा हरिद्वार हेतु मोक्ष कलश सेवाओं का संचालन किया गया। इसके अन्तर्गत 25 मई, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 के दौरान 578 वाहनों का संचालन कर 12,481 मोक्ष कलश एवं 24,455 यात्रियों को सुविधा प्रदान की गई।
- आपदा प्रबन्धन एवं सहायता के तहत कृषि आदान अनुदान एवं टिड्डी नियंत्रण हेतु ₹559.25 करोड़ एवं कोविड–19 हेतु ₹656.03 करोड़ जारी किए गए।

आधारभूत संरचना

बुनियादी ढांचे के विकास को सामान्यतः आर्थिक सुदृढ़ता का सूचक माना जाता है। परिवहन सुविधाओं (विशेष रूप से सड़क और रेलवे), संचार सेवाओं (पोस्ट और दूरसंचार) और ऊर्जा क्षेत्र, अर्थव्यवस्था की नींव के प्रमुख स्तम्भों मे से एक है। इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रत्यक्ष रूप से विकास को गति देने में एवं परोक्ष रूप से गरीबी उन्मूलन में, राजस्थान सरकार ने राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास में एक सक्रिय भूमिका निभाई है। बुनियादी ढांचे में किए गए प्रमुख विकास कार्य निम्नानुसार हैं:–

ऊर्जा

ऊर्जा सही रूप में अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहलाती है। यह क्षेत्र सभी क्षेत्रों – कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों को सम्भव बनाता है। इसके अलावा, यह लाखों घरों को रोशन करता है और जन साधारण के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हैं। राजस्थान का बिजली नेटवर्क देश की प्रमुख प्रणालियों में से एक है, जो विभिन्न उपभोक्ताओं की मांगों की पूर्ति करता है।

(अ) ऊर्जा उत्पादन

राज्य में ऊर्जा उत्पादन के प्रमुख स्रोत कोटा, सूरतगढ़ व छबड़ा तापीय संयंत्र, धौलपुर गैस तापीय संयंत्र, माही पन बिजली परियोजनाएं, पवन ऊर्जा, बायोमॉस, कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र, भाखड़ा, व्यास, चम्बल, सतपुड़ा अन्तर्राज्यीय भागीदारी परियोजनाए और राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र, सिंगरौली, रिहन्द, दादरी, अन्ता, ओरैया, दादरी गैस संयंत्र, ऊँचाहार तापीय और टनकपुर, सलाल, चमेरा व उरी जल विद्युत केन्द्रीय परियोजनाएं हैं।

अधिष्ठापित क्षमता

राज्य में मार्च, 2020 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता 21,176 मेगावाट थी। अधिष्ठापित क्षमता में वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक 660 मेगावाट की वृद्धि हुई। इस प्रकार दिसम्बर, 2020 तक अधिष्ठापित क्षमता बढ़कर 21,836 मेगावाट हो गई है। वर्षवार अधिष्ठापित क्षमता तालिका –5.1 एवं चित्र–5.1 में दर्शाई गई है।

तालिका–5.1 वर्षवार ऊर्जा की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता

(मेगावाट)

क्र. सं.	विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21*
1. राज्य की स्वयं/भागीदारी की परियोजनाएं						
(अ)	तापीय	5190.00	5190.00	5850.00	6510.00	7170.00
(ब)	जल विद्युत	1017.29	1017.29	1017.29	1017.29	1017.29
(स)	गैस	603.50	603.50	603.50	603.50	603.50
योग (1)		**6810.79**	**6810.79**	**7470.79**	**8130.79**	**8790.79**
2. केन्द्रीय परियोजनाओं से राज्य को आवंटन						
(अ)	तापीय	1394.41	1793.50	1793.50	1870.46	1870.46
(ब)	जल विद्युत	738.79	738.79	740.66	740.66	740.66
(स)	गैस	221.10	221.10	221.10	221.10	221.10
(द)	परमाणु	456.74	456.74	456.74	456.74	456.74
योग (2)		**2811.04**	**3210.13**	**3212.00**	**3288.96**	**3288.96**
3. आरआरईसी, आरएसएमएमएल एवं निजी क्षेत्र पवन ऊर्जा/बायोमास/सौर ऊर्जा परियोजनाएं						
(अ)	पवन	4123.70	4137.20	4139.20	3734.10	3734.10
(ब)	बायोमास	101.95	101.95	101.95	101.95	101.95
(स)	सौर ऊर्जा	1193.70	1656.70	2411.70	2178.10	2178.10
(द)	तापीय/जल विद्युत	3636.00	3636.00	3742.00	3742.00	3742.00
योग (3)		**9055.35**	**9531.85**	**10394.85**	**9756.15**	**9756.15**
सकल योग (1+2+3)		**18677.18**	**19552.77**	**21077.64**	**21175.90**	**21835.90**

*दिसम्बर, 2020 तक

भविष्य की योजनाः– 660 मेगावाट की सूरतगढ़ तापीय पावर परियोजना इकाई संख्या–8 प्रगतिरत है, जिसे अप्रैल, 2021 तक पूर्ण किया जाना अपेक्षित है।

चित्र : 5.1

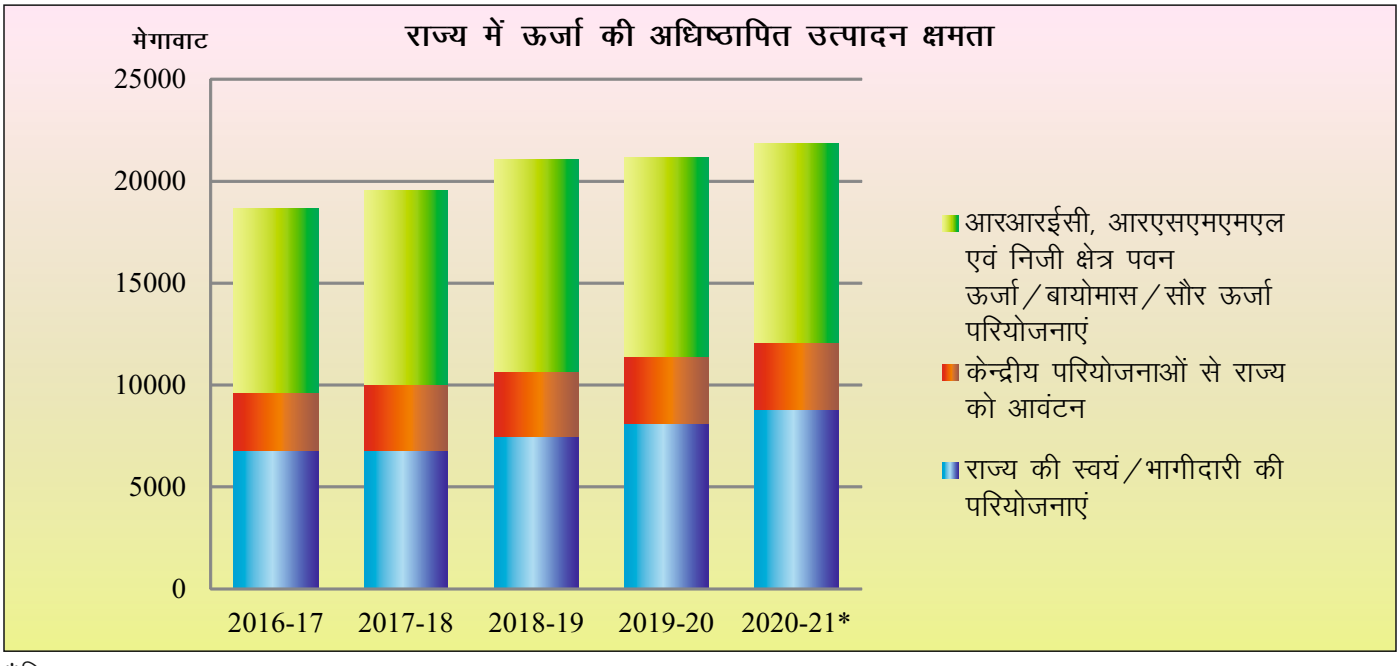

*दिसम्बर, 2020 तक

(ब) प्रसारण तंत्र प्रणाली

प्रसारण नेटवर्क

राज्य में मार्च, 2013 तक कुल अतिरिक्त उच्च वॉल्टेज (ईएचवी) प्रसारण नेटवर्क 29,605 सर्किट किलोमीटर था, जो कि (सार्वजनिक निजी सहभागिता के साथ) मार्च, 2020 तक बढ़कर 41,718 सर्किट किलोमीटर हो गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) में प्रसारण नेटवर्क में 844 सर्किट किलोमीटर की वृद्धि हुई है। राज्य में वर्षवार प्रसारण नेटवर्क तालिका–5.2 में दर्शाया गया है।

तालिका–5.2 राज्य में प्रसारण नेटवर्क

(सर्किट किलोमीटर में)

क्रम संख्या	विवरण	प्रसारण नेटवर्क		
		31 मार्च, 2020 तक	वर्ष 2020–21 में प्रगति (दिसम्बर, 2020 तक)	कुल (दिसम्बर, 2020 तक)
1	765 केवी लाईन	425.50	0.00	425.50
2	400 केवी लाईन	7604.45	173.91	7778.36
3	220 केवी लाईन	15442.94	242.50	15685.44
4	132 केवी लाईन	18245.55	427.38	18672.93
योग		**41718.44**	**843.79**	**42562.23**

अतिरिक्त हाई वॉल्टेज (ईएचवी) प्रसारण के सब स्टेशनों की संख्या एवं क्षमता तालिका –5.3 में दर्शाई गई है।

तालिका संख्या–5.3 ईएचवी सब स्टेशनों की पीपीपी सहित संख्या और क्षमता

क्रम संख्या	विवरण	इकाई	ईएचवी ग्रिड सब स्टेशन		
			31 मार्च, 2020 तक	वर्ष 2020–21 में प्रगति (दिसम्बर, 2020 तक)	कुल (दिसम्बर, 2020 तक)
1	765 केवी जीएसएस	संख्या	2	0	2
	क्षमता	एमवीए	7500	0	7500
2	400 केवी जीएसएस	संख्या	18	0	18
	क्षमता	एमवीए	14385	0	14385
3	220 केवी जीएसएस	संख्या	124	2	126
	क्षमता	एमवीए	30975	820	31795
4	132 केवी जीएसएस	संख्या	459	7	466
	क्षमता	एमवीए	32846.50	1037.50	33884
कुल ईएचवी जीएसएस		**संख्या**	**603**	**9**	**612**
कुल क्षमता		**एमवीए**	**85706.50**	**1857.50**	**87564**

राज्य में ऊर्जा की उपलब्धता एवं उपभोग

राज्य में मार्च, 2013 तक ऊर्जा की उपलब्धता 5,531 करोड़ यूनिट थी, जो कि बढ़कर मार्च, 2020 तक 8,069 करोड़ यूनिट हो गई। वर्ष 2012–13 से वर्ष 2019–20 तक कुल ऊर्जा उपलब्धता में 45.88 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार कुल शुद्ध ऊर्जा के उपभोग में भी 49.83 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्षवार ऊर्जा की उपलब्धता एवं उपभोग चित्र 5.2 में दर्शाई गई है।

चित्र संख्या–5.2

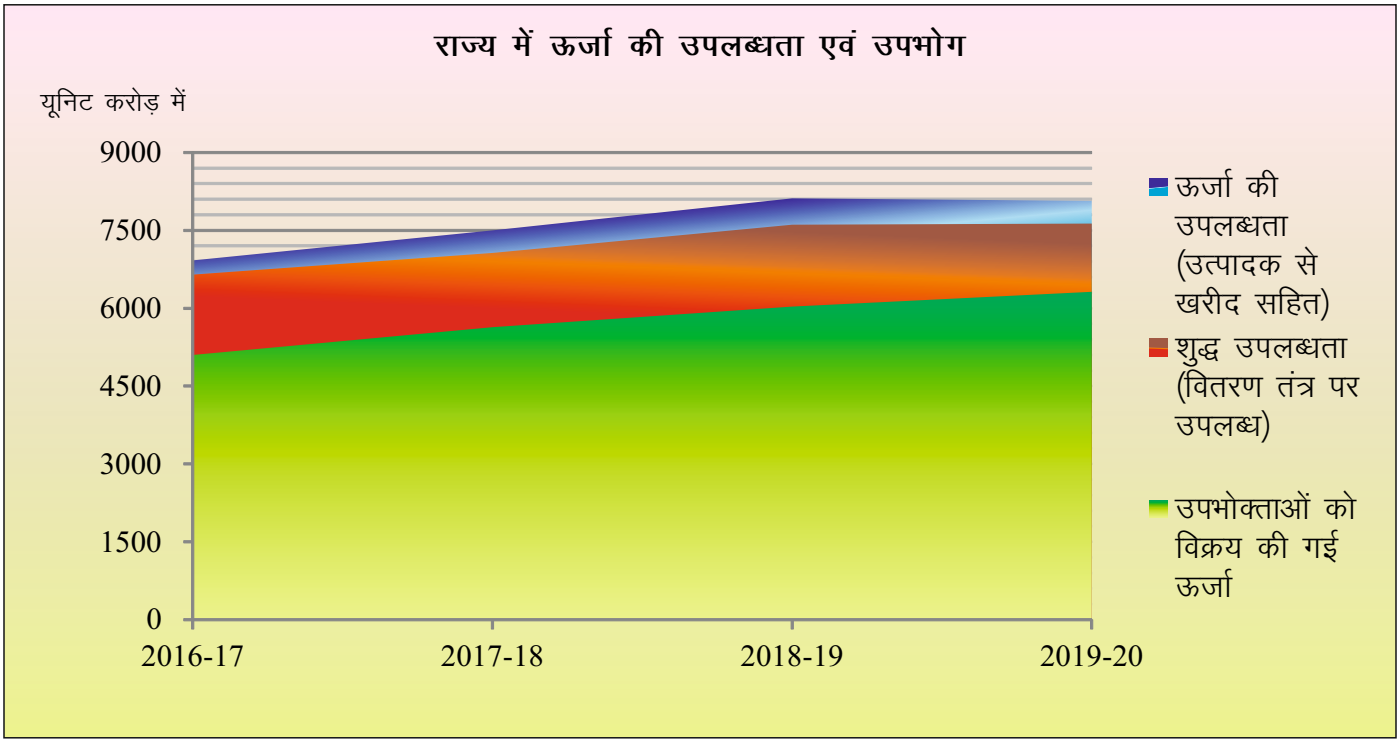

अभिनव योजनाएं

स्मार्ट ट्रांसमिशन नेटवर्क एवं परिसम्पत्ति प्रबन्धन प्रणाली का कार्यान्वयन (एसटीएनएएमएस)

राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम ने स्मार्ट ट्रांसमिशन नेटवर्क एवं परिसम्पत्ति प्रबन्धन प्रणाली को लागू करने का निर्णय किया है। इस प्रणाली के अन्तर्गत निगम का इरादा राजस्थान के प्रसारण तंत्र के विस्तृत क्षेत्र की निगरानी एवं नियंत्रण करना है, रिएक्टिव पावर मैनेजमेंट एवं ग्रिड की स्थिरता/सुरक्षा तथा परिसम्पत्ति के प्रबन्धन के अनुमानित आंकलन के लिए स्मार्ट ग्रिड को सक्षम करना है। जिससे प्रसारण तंत्र का बेहतर संचालन करने के लिए समय पर मूल्यांकन कार्य सम्पादित किया जा सके।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) इन्फ्रास्ट्रक्चर व ऑप्टिकल ग्राउंड वायर (ओपीजीडब्लू) फाइबर नेटवर्क जो कि संचार बैकबोन है, का कार्य अप्रैल, 2021 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। पर्यवेक्षण नियन्त्रण एवं डाटा अधिग्रहण (स्केडा)/ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) के कार्यादेश दिसम्बर, 2018 में जारी किए जा चुके हैं, जून, 2021 तक कार्य का पूर्ण होना अपेक्षित है।

निजी क्षेत्र की भागीदारी से प्रसारण तंत्र एवं विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को विकसित करना

राज्य में प्रसारण तंत्र एवं विद्युत उत्पादन की सुविधाओं को विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र की सहभागिता एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसके द्वारा क्षेत्र की गतिविधियों को तेजी प्रदान की जा रही है।

प्रसारण परियोजना

- राज्य में 132 केवी के 177 सब–स्टेशनों के रखरखाव का कार्य निजी क्षेत्र को सौंपा गया है, जिसके परिणामस्वरूप प्रति सब–स्टेशन लगभग ₹30 लाख की वार्षिक बचत हो रही है।
- राज्य में 400 केवी ग्रिड सब–स्टेशन (जीएसएस) की दो परियोजनाएं अलवर एवं डीडवाना में पीपीपी मोड के अन्तर्गत विकसित की जा चुकी हैं।
- दो प्रसारण परियोजनाएं, सार्वजनिक–निजी सहभागिता प्रणाली के आधार पर वाइब्लिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) योजना के अन्तर्गत ली गई हैं।
  - ➢ 400 केवी डी/सी बीकानेर–सीकर प्रसारण लाइन पीपीपी–6 का निर्माण कार्य पूर्ण कर लाइन चालू की जा चुकी है।
  - ➢ 400 केवी डी/सी सूरतगढ़–बीकानेर प्रसारण लाइन

पीपीपी–7 का निर्माण कार्य पूर्ण कर लाइन चालू की जा चुकी है।

- राज्य में 220 केवी की एक जीएसएस एवं 132 केवी के 15 जीएसएस सम्बन्धित लाइन सहित पीपीपी मॉडल के अन्तर्गत विकसित किए जा चुके हैं।
- राज्य सरकार ने भारत सरकार के कॉम्पीटेटीव बीडिंग दिशा निर्देशों को अपनाया है, जिसमें 765 केवी की एक लाईन एवं 400 केवी का एक ग्रिड सब स्टेशन सम्बन्धित 400 केवी लाईन टेरिफ बेस्ड कॉम्पीटेटीव बीडिंग (टीबीसीबी) प्रणाली पर विकसित करने का निर्णय भी लिया जा चुका है।

(स) वितरण प्रणाली

1. उपभोक्ता

राजस्थान में मार्च, 2020 तक उपभोक्ताओं की संख्या 166.92 लाख थी, जो 2.92 प्रतिशत की वृद्धि के साथ दिसम्बर, 2020 तक 171.80 लाख तक पहुँच गई है। विद्युत कम्पनियों में श्रेणीवार उपभोक्ता तालिका –5.4 में दर्शाए गए हैं।

तालिका–5.4 श्रेणीवार उपभोक्ताओं की संख्या

क्र. संख्या	श्रेणी	31 मार्च, 2020 को उपभोक्ताओं की संख्या	2020–21 के दौरान जारी किये गये कनेक्शनों की संख्या (दिसम्बर, 2020)	दिसम्बर, 2020 को उपभोक्ताओं की संख्या (प्रावधानिक)
1	घरेलू आपूर्ति	13126186	425504	13551690
2	अघरेलू आपूर्ति	1507173	43941	1551114
3	औद्योगिक	286650	10283	296933
4	कृषि	1607025	30711	1637736
5	जन–स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	85672	1941	87613
6	पथ–प्रकाश	22908	2025	24933
7	मिश्रित भार	56754	0	30217*
योग		**16692368**	**514405**	**17180236**

* न्यू टैरिफ कोड के अन्तर्गत मिश्रित श्रेणी में शामिल सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों के उपभोक्ताओं को घरेलू श्रेणी में स्थानांतरण के कारण मिश्रित भार वर्ग के उपभोक्ताओं की संख्या कम हो गई है।

2. ग्रामीण विद्युतीकरण

राज्य में शत प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा दिसम्बर, 2020 तक 43,199 गांवों तथा 1.14 लाख ढाणियों को विद्युतीकृत किया गया एवं 93.88 लाख ग्रामीण परिवारों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराये गये। मार्च, 2019 तक ग्रामीण क्षेत्रों के सभी इच्छुक परिवारों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराये गये।

3. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के क्रियान्वयन का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ बनाना एवं ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में रहने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत सुविधा प्रदान करना है। योजना के लक्ष्य एवं उपलब्धियां तालिका–5.5 में दर्शाई गई हैं।

तालिका–5.5 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के लक्ष्य एवं उपलब्धियां

(संख्या)

विवरण	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	
	लक्ष्य	उपलब्धियां
गाँव	104	104
बीपीएल परिवार	195784	195784
एपीएल परिवार	390245	390245
अविद्युतीकृत ढाणियां	23696	23696

4. कृषि कनेक्शन

- वर्ष 2020–21 के दौरान माह दिसम्बर, 2020 तक 30,711 किसानों को कृषि कनेक्शन जारी किए गए है।
- राज्य सरकार द्वारा दिसम्बर, 2018 से अब तक किसानों को ₹28,334 करोड़ का टैरिफ अनुदान दिया जा चुका है।

5. पीएम कुसुम योजना का क्रियान्वयनः

भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए सोलर पम्प और ग्रिड से जुडे सौर ऊर्जा संयत्रों को स्थापित करने के लिए ''किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महा अभियान (कुसुम)'' योजना स्वीकृत की है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित घटको के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए है –

i. कुसुम घटक–ए : पीएम कुसुम योजना (घटक–ए) के अर्न्तगत राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा 33/11 किलोवाट सब स्टेशनों के 5 किमी की परिधि में स्थित किसानों की बंजर भूमि पर 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु जुलाई, 2020 तक कुल क्षमता 722 मेगावाट हेतु 623 आवेदकों को आवंटन पत्र जारी किए जा चुके है। उक्त 623 सोलर पावर जनरेटर्स (एस.पी.जी.एस.) में से, अब तक कुल 181 एस.पी.जी.एस. द्वारा परियोजना सुरक्षा राशि की गारंटी जमा करा कर विद्युत क्रय अनुबंध हेतु आवेदन किया गया है। अब तक 115 पीपीए के साथ विद्युत क्रय अनुबंध किए जा चुके है, एवं शेष आवेदकों के साथ विद्युत क्रय अनुबंध किए जाने का कार्य प्रगति पर है।

ii. कुसुम घटक–बी : ऑफ ग्रिड कृषि पम्प–सेट आवेदकों को सोलर पम्प–सेट उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 25,000 का लक्ष्य दिया गया है, जिसके लिए बागवानी विभाग के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड को निविदा जारी की गई हैं और बागवानी विभाग द्वारा विभिन्न विक्रेताओं को आवंटन पत्र जारी किए जा चुके हैं। इसके तहत बागवानी विभाग द्वारा 5,248 पंप सेट सौर ऊर्जाकृत किए गए है।

iii. कुसुम घटक–सी : 7.5 एचपी तक की क्षमता वाले कृषि पम्प–सेटो को सौर ऊर्जाकृत करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 12,500 का लक्ष्य दिया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 64 स्थानों पर कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है, 9,833 के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं जबकि 2,912 हेतु निविदा प्रक्रियाधीन हैं।

अक्षय ऊर्जा

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड राज्य में गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन करने हेतु नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की एक नोडल एजेन्सी है एवं ऊर्जा संरक्षण व ऊर्जा दक्षता को राज्य में प्रोत्साहित करने हेतु ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (बीईई) की राज्य नामित एजेन्सी है।

माह दिसम्बर, 2020 तक लागू विभिन्न योजनाओं के राजस्थान अक्षय उर्जा निगम द्वारा, क्रियान्वयन की स्थिति निम्नानुसार हैः–

क. सौर ऊर्जा उत्पादन

अधिकतम सौर विकिरण तीव्रता लगभग 6–7 किलोवाट घण्टे/वर्गमीटर/ प्रतिदिन एवं बहुत कम औसत वर्षा के कारण अधिकतम सौर दिवस (एक वर्ष में 325 दिवस से अधिक) से राजस्थान समृद्ध है। राजस्थान में, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के आंकलन के अनुसार सौर स्रोत से 142 गीगावाट क्षमता सौर ऊर्जा से स्थापित की जा सकती है। शुष्क मरूस्थल के लिए जाना जाने वाला राज्य तेजी से सौर ऊर्जा के सबसे बड़े केन्द्र के रूप में उभर रहा है। राज्य में दिसम्बर, 2020 तक 5,002 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा निवेशकों के अनुकूल राजस्थान सौर ऊर्जा नीति, 2019 जारी की गई है।

ख. सोलर पार्क एवं मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स का विकास

भड़ला, जोधपुर में 2,245 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क चार चरणों (फेज) में विकसित किया गया हैः

i. भड़ला सोलर पार्क फेज–प्रथम (65 मेगावाट) का विकास राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड, जो कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की सहयोगी कम्पनी है, के द्वारा किया गया है। 65 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ हो चुका है।

ii. भड़ला सोलर पार्क फेज–द्वितीय (680 मेगावाट) का विकास राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड जो कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की सहयोगी कम्पनी है, के द्वारा किया गया है। 680 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ हो चुका है।

iii. भड़ला सोलर पार्क फेज–तृतीय (1,000 मेगावाट) आईएल एण्ड एफएस एनर्जी डवलपमेंट कम्पनी एवं राज्य सरकार की संयुक्त उपक्रम कम्पनी (जेवीसी) मैसर्स सौर्य ऊर्जा कम्पनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड (सुराज) द्वारा विकसित किया गया है। 1,000 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ हो चुका है।

iv. भड़ला सोलर पार्क फेज–चतुर्थ (500 मेगावाट) मैसर्स अडानी रिन्युएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है जो कि मैसर्स अडानी रिन्युएबल एनर्जी पार्क लिमिटेड व राज्य सरकार की संयुक्त उपक्रम कम्पनी है। 500 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ हो चुका है।

भड़ला, जोधपुर सोलर पार्क में प्रथम फेज राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेंट कम्पनी द्वारा स्वयं के स्तर पर विकसित किया गया है। द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ फेज को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की सोलर पार्क योजना के अन्तर्गत विकसित किया गया है।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की सोलर पार्क योजना के अन्तर्गत तीन निर्माणाधीन सोलर पार्क का विवरण निम्नानुसार हैः–

- फलौदी–पोकरण सोलर पार्क (750 मेगावाट) का विकास संयुक्त उपक्रम कम्पनी मैसर्स एसेल सौर्य ऊर्जा कम्पनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है जो कि राज्य सरकार एवं एसेल इन्फ्रा लिमिटेड की संयुक्त उपक्रम कम्पनी है।
- फतेहगढ़ फेज–1बी (1,500 मेगावाट) का विकास संयुक्त उपक्रम कम्पनी मैसर्स अडानी रिन्युएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।
- नोख सोलर पार्क (925 मेगावाट) का विकास राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।

ग. सोलर रूफ टॉप पावर जनरेशन स्कीम (फेज–1)

राजस्थान राज्य द्वारा विगत 5 वर्षो के दौरान नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा देय 30 प्रतिशत केन्द्रीय वित्तीय सहायता/अनुदान का लाभ देते हुए तीन योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। वर्तमान में अनुदान योजना के अन्तर्गत लगभग 36 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना राज्य में की गई है। फेज–1 मार्च, 2019 में पूर्ण हो चुका है।

घ. सोलर रूफ टॉप पावर जनरेशन स्कीम (फेज–2)

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सोलर रूफ टॉप पावर जनरेशन स्कीम फेज–2 के क्रियान्वयन के विस्तृत दिशा–निर्देश दिनांक 20 अगस्त, 2019 को जारी किए गए हैं। इस योजना में घरेलू/आवासीय क्षेत्र के लिए केन्द्रीय अनुदान को पुनर्गठित किया गया है जो तालिका 5.6 में दर्शाई गई है।

तालिका–5.6

क्षेत्र	संयंत्र क्षमता	केन्द्रीय अनुदान
आवासीय क्षेत्र	3 किलोवॉट तक	40 प्रतिशत
	3 से अधिक 10 किलोवॉट तक	20 प्रतिशत
ग्रुपहाउसिंग सोसायटी/रेजीडेन्शियल वैलफेयर एसोसिएशन	500 किलोवाट क्षमता तक (प्रति आवास 10 किलोवाट हेतु)	20 प्रतिशत

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत राज्य के वितरण निगमों को कुल 45 मेगावाट (जेवीवीएनएल 25, जेडी.वीवीएनएल 15, तथा एवीवीएनएल 5 मेगावाट) का लक्ष्य आंवटित किया गया है। ऊर्जा विभाग द्वारा अक्षय ऊर्जा निगम को उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु अधिकृत किया गया है।

राज्य में घरेलू रूफटॉप परियोजनाओं की स्थापना का क्रियान्वयन प्रगति पर है। नेट मीटरिंग रेग्युलेशन के अन्तर्गत, सब्सिडी प्रोजेक्ट्स सहित कुल 382 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप संयंत्र स्थापित किए जा चुके है।

ङ. अक्षय ऊर्जा सर्विस कम्पनी (आरईएससीओ) मोड सोलर रूफटॉप योजना

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लि. द्वारा राज्य में सभी राजकीय भवनों पर नेटमीटरिंग प्रणाली के अन्तर्गत आरईएससीओ मोड में रुफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना का कार्य शुरू किया है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लि. द्वारा प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया से 2 क्रियान्वयन भागीदारों का चयन किया गया है और ₹4.15 प्रति यूनिट (25 वर्ष निर्धारित) की दर निर्धारित की है। इन दो फर्मो को 14 मेगावाट क्षमता का आंवटन किया गया। राज्य में उक्त योजना का क्रियान्वयन प्रगति पर है।

च. पवन ऊर्जा कार्यक्रम (पवन ऊर्जा)

राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान विंड एण्ड हाईब्रिड एनर्जी पॉलिसी–2019 दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 को जारी की गई। भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत नेशनल इंस्टीटूयट ऑफ विण्ड एनर्जी द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार राज्य में 120 मीटर हब की ऊंचाई पर पवन ऊर्जा क्षमता लगभग 1,27,750 मेगावाट है। दिसम्बर, 2020 तक कुल 4,337.65 मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं।

छ. जैविक द्रव्य ऊर्जा (बायोमास ऊर्जा)

अक्षय ऊर्जा के विभिन्न स्त्रोंतों में बायोमास ऊर्जा भी एक स्वच्छ ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्त्रोत है। राज्य में बायोमास ऊर्जा के प्रमुख स्त्रोत सरसों की तूड़ी व जूली फ्लोरा है। राज्य में दिसम्बर, 2020 तक 120.45 मेगावाट क्षमता के 13 बायोमास ऊर्जा उत्पादन संयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं जिसमें से 28 मेगावाट क्षमता के 2 संयंत्र वर्ष 2012 से बन्द हैं। वर्तमान में 14 मेगावाट क्षमता के 2 बायोमास संयत्रों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

ज. ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा ऊर्जा दक्ष उपकरणों के प्रयोग को विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा बढ़ावा देने हेतु और पायलट प्रोजेक्ट्स से राज्य में ऊर्जा की बचत की सम्भावनाओं को दर्शाने हेतु ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ऊर्जा संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों की पहचान के लिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसम्बर को प्रति वर्ष 'राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार' समारोह आयोजित करता है। अभी तक 11 पुरस्कार समारोह आयोजित किए जा चुके हैं। उद्योग, सरकारी भवन, अस्पताल, ऊर्जा अंकेक्षक/प्रबंधक, व्यक्तिगत, संस्था इत्यादि प्रमुख श्रेणियों के लिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा संरक्षण पुरुस्कार प्रदान किए जाते हैं।

सड़क

अर्थव्यवस्था के लिए ऊर्जा रीढ़ है, तो सड़कें जीवन रेखा हैं। एक उचित सड़क तंत्र आर्थिक विकास के सबसे महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षाओं में से एक है। परिवहन के सबसे सुलभ, सुविधाजनक और दूरगामी पहुँच के रूप में, सड़कें भौगोलिक बाधाओं को कम करती है, और ग्रामीण–शहरी, अमीर–गरीब के विभाजन और दूसरे रूप में असमानता को बहुत कम करने की क्षमता रखती हैं। सड़कों के माध्यम से रोजगार, सामाजिक, स्वास्थ्य, शैक्षिक और अन्य सभी प्रकार की सेवाओं तक पहुंच संभव हुई है। राज्य में वाहनों की तेज गति से निर्बाध आवाजाही हो इसके लिए सड़क तंत्र में एक्सप्रेसवे के साथ पूरक स्थानीय सड़कें भी होनी चाहिए, जिससे तेजगति के वाहनों का बाधा रहित आवागमन हो सके। अच्छी स्थिति की पक्की सड़कें वाहन की परिचालन लागत में 15 से 40 प्रतिशत की कमी लाती है। यह वर्तमान में चल रहे ऊर्जा संकट और स्थाई विकल्पों की आवश्यकता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।

राज्य सरकार द्वारा जनगणना 2011 के अनुसार उन गांवों को सड़कों से जोड़ने की योजना तैयार की है जो अभी तक सड़कों से नही जुड़े थे। पहले चरण के तहत 57 गांवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है और 330 गांवों में कार्य प्रगति पर हैं।

4 रोड़ ओवर ब्रिज का कार्य पूर्ण हो चुका है। 35 रोड़ ओवर ब्रिज का कार्य प्रगति पर है। 36 रोड़ ओवर ब्रिज की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का कार्य प्रगति पर है। 18 रोड़ अण्डर ब्रिज का कार्य पूर्ण हो चुका है। 38 रोड़ अण्डर ब्रिज का कार्य प्रगति पर है।

गत दो वर्ष के दौरान अर्जित उपलब्धियां

पिछले दो वर्षों के दौरान सड़क विकास पर ₹10,788.31 करोड़ खर्च हुए। 4,248 किलोमीटर लंबाई की नई सड़कों और 689 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया। 3,159 किलोमीटर राज्य राज मार्ग एवं मुख्य जिला सड़कों का विकास किया गया। 16,967 किलोमीटर लम्बाई की अन्य जिला सड़कों एवं ग्रामीण सड़कों का सुदृढीकरण एवं नवीनीकरण किया गया। 193 नए गांवों और बस्तियों को सड़कों से जोडा गया।

पिछले वर्षों में राज्य के सड़क तंत्र को बेहतर बनाने के लिए काफी प्रयास किए गए हैं, फिर भी बहुत बडा अन्तराल है, जिन पर विचार किये जाने की आवश्यकता है। वर्ष 1949 में सड़को की 13,553 किलोमीटर लम्बाई थी, जो मार्च, 2020 तक बढ़कर 2,69,028.16 किलोमीटर हो गयी है। 31 मार्च, 2020 तक राज्य मे सड़कों का घनत्व 78.61 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर सड़क घनत्व 152.04 किमी प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। राज्य में कुल सड़कों की लम्बाई का वर्गीकरण तालिका संख्या 5.7 में दर्शाई गई हैं।

तालिका–5.7 राज्य में 31 मार्च, 2020 तक सड़कों की लम्बाई

(किलोमीटर में)

क्र. सं.	वर्गीकरण	डामर	मैटल	ग्रेवल	मौसमी	योग
1	राष्ट्रीय राजमार्ग	9603.55	0.00	8.00	1006.54	10618.09
2	राज्य राजमार्ग	15580.00	4.20	0.00	37.05	15621.25
3	मुख्य जिला सड़क	8597.39	2.00	47.25	133.31	8779.95
4	अन्य जिला सड़क	45435.91	3184.12	473.18	4698.31	53791.52
5	ग्रामीण सड़क	139623.23	1692.16	36223.39	2678.57	180217.35
महायोग		**218840.08**	**4882.48**	**36751.82**	**8553.78**	**269028.16**

कुल 2,69,028.16 किलोमीटर सड़कों में से 1,68,403.14 किलोमीटर सड़कों का रखरखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 99 प्रतिशत सड़क कार्य ग्रामीण क्षेत्रो में एवं 1 प्रतिशत (1,869 किलोमीटर) सड़क कार्य शहरी क्षेत्रों में किए गए।

राज्य मे जनगणना 2011 के अनुसार 43,264 आबाद ग्राम हैं। वर्ष 2019–20 तथा दिसम्बर, 2020 तक विभिन्न आबादी–समूह के अनुसार डामर की सड़क से जुड़े गांवों का विवरण तालिका–5.8 में दर्शाया गया है।

तालिका–5.8 गांवों का सड़क संयोजन

क्र.सं.	आबादी समूह	कुल आबाद ग्रामों की संख्या (जनगणना 2011 के अनुसार)	सड़कों से जुड़े ग्रामों की संख्या मार्च, 2020 तक	सड़कों से जुड़े ग्रामों की संख्या दिसम्बर, 2020 तक (प्रावधानिक)	सड़कों से जुड़े ग्रामों का प्रतिशत
1	1000 व अधिक	17284	17136	17176	99.38
2	500-1000	12421	11704	11721	94.36
3	250-500	7638	6116	6116	80.07
4	100-250	3518	1739	1739	49.43
5	100 से कम	2403	880	880	36.62
योग		**43264**	**37575**	**37632**	**86.98**

वित्तीय वर्ष 2020–21 के अन्तर्गत सड़क विकास हेतु दिसम्बर, 2020 तक अर्जित उपलब्धियॉ निम्नलिखित है :–

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मिसिंग लिंक, राज्य सड़क निधि एवं ग्रामीण सड़क के अन्तर्गत 821 किलोमीटर डामर सड़कों का निर्माण किया गया।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 250 एवं अधिक आबादी के 6 आबाद (ढ़ाणी/मजरों) को जोड़ा गया।
- राज्य सड़क निधि ग्रामीण सम्पर्क योजना के अन्तर्गत जनगणना 2011 के अनुसार 500 एवं अधिक आबादी के 57 गाँवों को जोड़ा गया।
- 40 किलोमीटर ग्रामीण गौरव पथ (सीसी रोड) का निर्माण किया गया।
- केन्द्रीय सड़क निधि, राज्य सड़क निधि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नाबार्ड एवं सार्वजनिक निजी सहभागिता के अंतर्गत 517 किलोमीटर राज्य राजमार्ग एवं मुख्य जिला सड़कों के चौड़ाईकरण, सुदृढीकरण एवं नवीनीकरण का कार्य किया गया।
- ग्रामीण सड़कों, राज्य सड़क निधि, नाबार्ड, शहरी सड़कों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–III वित्तीय प्रोत्साहन एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत 2,539 किलोमीटर अन्य जिला सड़कों एवं ग्रामीण सड़कों के सुदृढीकरण एवं नवीनीकरण के कार्य किए गए।

जारी की गई स्वीकृतियां :

राज्य सडक निधि : ₹703.31 करोड़ की लागत से 821.25 किलोमीटर लंबी 67 सड़कों के नवीनीकरण के लिए, खनन विभाग को डीएमएफटी (डिस्ट्रिक माइनिंग फाउंडेशन ट्रस्ट) योजना के तहत मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजे गए है। इन कार्यों की निविदाऐं आमंत्रित की गई है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना – III

- राज्य में पीएमजीएसवाई–III के तहत मार्च 2025 तक ₹4,245 करोड़ की अनुमानित लागत से 8,663 किलोमीटर लम्बाई की ग्रामीण सड़कों का उन्नयन कार्य किया जाएगा।
- प्रथम एवं द्वितीय चरण के लिए स्वीकृति जारी कर दी गई।

  प्रथम चरण –₹1,139.06 करोड़ की लागत से 2,198.38 किलोमीटर लम्बाई की सड़को के 237 कार्य।

  द्वितीय चरण –₹1,982.58 करोड़ की लागत से 6 लोंग स्पान ब्रिज सहित 3,622.98 किलोमीटर सड़को के 380 कार्य।

अन्यः

- केन्द्रीय सड़क आधारभूत निधि योजना (सीआरआईएफ) के अर्न्तगत ₹723.53 करोड़ लागत की 530.56 किलोमीटर के राज्य राजमार्ग एवं प्रमुख जिला सड़कों के 32 कार्यों की स्वीकृति जारी की गई।
- नाबार्ड आरआईडीएफ–26 योजना के अर्न्तगत ₹403.83 करोड़ लागत की 2,243.04 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण के 602 कार्यों की स्वीकृति जारी की गई।

वार्षिक योजना 2020–21

वार्षिक योजना परिवर्तित बजट अनुमान 2020–21 में सड़क क्षेत्र के लिए ₹6,277.18 करोड़ का प्रावधान रखा गया था। इस परिवर्तित बजट अनुमान के विरूद्ध दिसम्बर, 2020 तक ₹2,324.85 करोड़ व्यय किए जा चुके है।

बीओटी / पीपीपी / वार्षिक परियोजना

राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना– सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी)

- पीपीपी–वाईबिलिटी गैप फंड (वीजीएफ) –पीपीपी वीजीएफ आधार पर 104.50 किलोमीटर राज्य राज मार्ग की 3 सड़को के विकास के लिए ₹312.79 करोड़ स्वीकृत किए गए। इनमें से 2 कार्य पूर्ण हो गए है एवं 1 कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2020–21 के दौरान दिसम्बर, 2020 तक ₹4.85 करोड़ व्यय किया गया है।
- राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना–I एशियन विकास बैंक पीपीपी (ऐन्यूटी / ईपीसी) –पीपीपी वार्षिकी आधार पर 745.73 किलोमीटर राज्य राज मार्ग की 12 सड़कों के विकास कार्य के लिए ₹1,932.72 करोड़ स्वीकृत किए गए। इनमें से 8 कार्य पूर्ण हो गए है एवं 4 कार्य एशियन विकास बैंक की सहायता से प्रगति पर है। ईपीसी आधार पर ₹519.65 करोड़ लागत के 4 कार्य स्वीकृत किए गए थे, जो पूर्ण हो गए है। वर्ष 2020–21 के दौरान दिसम्बर, 2020 तक ₹493.42 करोड़ व्यय किया गया और 19.19 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया।
- राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना–I एशियन विकास बैंक–II पीपीपी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन (ईपीसी)– ₹1,238.27 करोड़ की लागत से 474.03 किलोमीटर राज्य राजमार्ग की 6 सड़कों का विकास कार्य एशियन विकास बैंक की सहायता से प्रगति पर है। वर्ष 2020–21 के दौरान दिसम्बर, 2020 तक ₹167.78 करोड़ व्यय किया गया और 82.82 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया।
- राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना – II विश्व बैंक– पीपीपी (ईपीसी)– विश्व बैंक की सहायता से ₹969.11 करोड़ की लागत से 327.62 किलोमीटर राज्य राजमार्ग की 3 सड़कों के विकास का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2020–21 के दौरान दिसम्बर, 2020 तक ₹271.99 करोड़ व्यय किया गया और 27.46 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया।

राष्ट्रीय राजमार्ग– इन्जीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एण्ड कंसट्रक्शन (एनएच–ईपीसी) सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से

इन्जीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) मोड़ पर ₹6,102.59 करोड़ लागत की 38 परियोजनाओं के कार्य प्रगति पर है, इनमें से 5 परियोजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)

वर्ष 2020–21 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कार्यो की प्रगति निम्न प्रकार हैः–

- ₹34,534 करोड़ की कुल अनुमानित लागत के 3,105 किलोमीटर लम्बाई के 37 कार्य प्रगतिरत हैं, इनमे से 8 कार्य पूर्ण हो गए है।

- भारतमाला योजना के अन्तर्गत ₹5,263 करोड़ अनुमानित लागत के 1,039 किलोमीटर लम्बाई के 5 कार्य प्रगति पर है। इनमें से 2 कार्य पूर्ण हो गए है।
- दिल्ली–वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे –राजस्थान में 374 किलोमीटर विकसित किया जाना है एवं इसकी अनुमानित लागत ₹11,203 करोड़ है। इनमें से 292 किलोमीटर लम्बाई के 10 पैकेज स्वीकृत किए गए है एवं 62 किलोमीटर लम्बाई के 2 पैकेज की नियत तिथि जारी कर दी गई है।
- सांगरिया–सांचौर–संतालपुर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे राजस्थान में 637 किलोमीटर विकसित किया जाना है, जिसकी अनुमानित लागत ₹11,388 करोड़ है। इनमें से 637 किलोमीटर लम्बाई के 23 पैकेज स्वीकृत किए गए हैं एवं 419.40 किलोमीटर लम्बाई के 15 पैकेज की नियत तिथि जारी कर दी गई है।

विकास पथ

वर्ष 2019–20 की बजट घोषणा के अनुसार आगामी 5 वर्षो में प्रत्येक ग्राम पंचायत में वाल टू वाल विकास पथ का निर्माण किया जाना है। इस संबंध में जारी किए गए मुख्य दिशा निर्देश निम्नलिखित है–

- विकास पथ की चौड़ाई लगभग 5.50 मीटर होगी।
- विकास पथ की औसत लम्बाई 1 किलोमीटर होगी।
- विकास पथ डिजाईन के अनुसार एम 30 ग्रेड के आवश्यक मोटाई के प्रीकॉस्ट सीमेन्ट कंक्रीट ब्लॉक से बनाए जाएंगे।
- विकास पथ के दोनो ओर के घरों की दीवारों के साथ एल शेप में नाली निर्माण किया जाएगा।
- घरों के सामने प्रवेश स्थान पर नाली को ढंका जाएगा।
- विकास पथ के प्रत्येक 250 मीटर पर यूटिलिटि सर्विस पाईप लाईन डाली जाएगी।
- विकास पथ के ग्राम एवं एलाइनमेंट का चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। समिति के सदस्य संबंधित जिला कलेक्टर, विधायक एवं अधीक्षण अभियंता होगे।

प्रथम चरण में 183 ग्राम पंचायतों में 173.75 किलोमीटर लम्बाई एवं ₹143.53 करोड़ की अनुमानित लागत के विकास पथ निर्माण की स्वीकृति नवंबर, 2019 में जारी कर दी गई है। 38 कार्य पूर्ण हो गए है और 145 कार्य प्रगतिरत हैं। वर्ष 2020–21 में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में दो विकास पथ या 8 से 10 किलोमीटर लम्बी सड़क के नवीनीकरण का कार्य किया जायेगा।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आरएसआरटीसी)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आरएसआरटीसी) की स्थापना 1 अक्टूबर, 1964 को सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के अधीन की गई थी। वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा कुल 5,183 स्वयं की एवं अनुबन्ध पर ली गई निजी बसों का संचालन किया जा रहा है। आवश्यकतानुसार माह दिसम्बर, 2020 मे 3,108 बसों का संचालन किया गया। माह दिसम्बर, 2020 में 1,619 मार्गों पर 10.62 लाख किलोमीटर चलकर 5.26 लाख यात्रियों को प्रति दिन परिवहन सुविधा उपलब्ध करायी गयी। वर्ष 2016–17 से वर्ष 2020–21 (माह दिसम्बर, 2020 तक) तक वाहन बेड़े और वास्तविक परिचालन की स्थिति क्रमशः तालिका संख्या–5.9 एवं 5.10 में दर्शाई गई है।

तालिका संख्या–5.9 वर्षवार वाहन बेड़ों की स्थिति

(संख्या)

विवरण / वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21**
निगम वाहन	4284	4528	4270	3751	4259
अनुबन्धित वाहन	351	916	1025	959	924
योग	**4635**	**5444**	**5295**	**4710**	**5183**
बेड़े की औसत आयु (वर्षों में)	5.26	5.43	6.31	6.00	5.55
बेड़े में सम्मिलित नए वाहन	448*	260*	NIL	534	341
नकारा किए गए वाहन	269	277	411	526	274

** दिसम्बर, 2020 तक

*मिडी बसों सहित।

तालिका संख्या–5.10 वर्षवार वास्तविक परिचालन परिणाम

विवरण / वर्ष	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21*$
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि
किमी (करोड़ में)	61.79	58.10	65.87	61.85	61.51	54.38#	57.44	52.19	15.51
वाहन उपयोगिता (किमी / बस / दिन)	405	393	400	388	360	392	385	389	351
बेड़ा उपयोगिता (प्रतिशत)	95	87	90	77	89	68	78	74	36
संचालन आय प्रति किमी (₹ में)	33.53	28.82	35.10	29.84	35.15	31.72	34.49	33.75	32.57

23 दिन की कर्मचारी हड़ताल के कारण संचालन प्रभावित रहा।

*दिसम्बर, 2020 तक।

$कोविड–19 लॉकडाउन के कारण राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी मार्ग निर्देशन (गाइड लाइन) के अनुसार धीरे–धीरे संचालन प्रारम्भ किया गया एंव लक्ष्य निर्धारित नही किया गया।

निगम के अभिनव प्रयास

- निगम बेड़े में 48 इलेक्ट्रिक बसों (12 मीटर लम्बाई की AC बसें) को शामिल करने की प्रक्रिया अन्तिम स्तर पर है।
- राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के 43 बस स्टैण्ड़ों पर यात्रियों को बसों की जानकारी देने हेतु एलईडी डिस्पले सिस्टम लगाया जाना प्रक्रियाधीन।
- अधिक से अधिक ऑनलाईन टिकिट बुकिंग को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा ऑन लाईन टिकिट पर कैश बैक ऑफर प्रारम्भ किया।
- राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा लॉकडाउन खुलने के बाद यात्रियों की आवश्यकतानुसार वाहनों का संचालन प्रारम्भ किया गया।
- माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार श्रमिकों को उनके गन्तव्य तक पहुचाने हेतु राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा 12,289 विशेष श्रमिक सेवाओं का संचालन किया गया।
- राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा हरिद्वार हेतु मोक्षकलश सेवाओं का संचालन किया जा रहा हैं। इसके अन्तर्गत 25 मई, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक 578 वाहनों का संचालन कर 12,481 मोक्ष कलश एवं 24,455 यात्रियों को सुविधा प्रदान की गई।
- कोविड–19 महामारी के दौरान 5 लाख से अधिक यात्रियों को अपने गन्तव्य तक पहुँचाने के उल्लेखनीय कार्य के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को एक्सीलेंस इन ट्रांसपोर्ट केटेगरी में राष्ट्रीय पीएसयू अवार्ड से सम्मानित किया गया।
- राज्य / राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की साधारण एवं द्रुतगामी बसों में 4 फरवरी, 2020 से निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई।
- राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा एबीसीडी (अपनी बस केयर डे) कार्यक्रम की शुरूआत की गई जिसके तहत 1,000 बसों के लक्ष्य के विरूद्ध 950 बसों का रखरखाव का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा अर्द्धसैनिक बलों (बीएसएफ / सीआरपीएफ / आरएसी) के शौर्य पदक धारकों को 20 मई, 2020 से आरएसआरटीसी की सभी श्रेणी की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई।
- राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा गृह रक्षा स्वयं सेवकों को राज्य सीमा में 9 सितम्बर, 2020 से साधारण एवं द्रुतगामी बसों में (स्वयं की यात्रा हेतु) किराये में 25 प्रतिशत रियायत प्रदान की गई।
- राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा महिला दिवस पर 10,09,092 महिलाओं एवं रक्षा बन्धन पर 10,86,092 महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई गई।
- राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा सितम्बर, 2020 में जेईई एवं नीट परीक्षा, 2020 में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र वाले शहर तक आने एवं जाने के लिए साधारण एवं द्रुतगामी बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई।
- राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के लिए सुरक्षित वाहन संचालन हेतु 4001–7500 वाहन बेड़े की श्रेणी में केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय के न्यूनतम दुर्घटना दर से सम्मानित किया गया ।

परिवहन

मोटर वाहन पंजीयन

मजबूत परिवहन व्यवस्था अर्थव्यवस्था के विकास में शक्तिशाली इंजन की तरह है। राज्य में मोटर वाहनों के पंजीकरण में वृद्धि राज्य में परिवहन सुविधाओं की प्रगति को दर्शाता है। यातायात विभाग में वर्ष 2019–20 तक कुल 192.36 लाख मोटर वाहन पंजीकृत हुए थे, जो दिसम्बर, 2020 के अन्त तक 199.50 लाख तक पहुँच गए, जो 3.71 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। राज्य में विभिन्न श्रेणी के वाहनों के पंजीकरण का विवरण तालिका–5.11 एवं चित्र–5.3 में दर्शाया गया है।

तालिका–5.11 राजस्थान में पंजीकृत मोटर वाहन

(संख्या)

क्र. संख्या	वाहनों का प्रकार	वर्ष के अन्त तक वाहनों की संचयी संख्या				
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21*
1	मोटराइज़्ड रिक्शा	90	90	90	90	90
2	दुपहिया वाहन	11250427	12314229	13431554	14620319	15154008
3	ई–रिक्शा	5848	10351	12984	17194	19133
4	ई–कार्ट	183	600	743	1089	1562
5	ऑटो रिक्शा	151425	160015	167779	184403	186726
6	टेम्पो माल वाहक	69555	74533	77911	82700	83890
7	टेम्पो यात्री वाहन	43166	47209	50862	51446	51548
8	कार	988391	1095526	1204005	1307579	1382063
9	जीप	435366	487366	543181	594743	610235
10	ट्रैक्टर	1029721	1092432	1153510	1223825	1286687
11	ट्रैलर	80042	84642	85356	86414	87187
12	टैक्सी	143075	152429	160994	167536	168748
13	बस व मिनी बस	108681	113964	118301	124070	124882
14	ट्रक	561158	613055	665926	718325	733584
15	विविध	39465	44516	50480	56277	60117
योग		**14906593**	**16290957**	**17723676**	**19236010**	**19950460**

*दिसम्बर, 2020 तक

चित्र–5.3

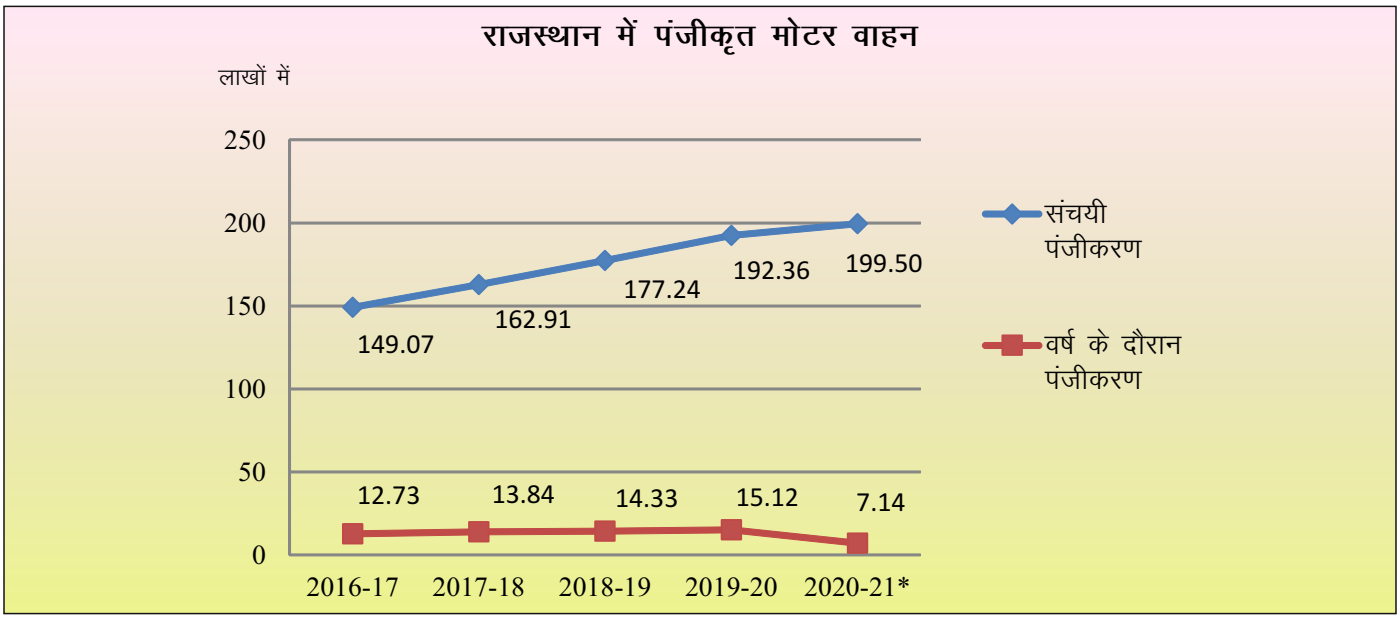

*दिसम्बर, 2020 तक

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान ₹6,000.00 करोड़ के राजस्व लक्ष्य के विरूद्ध दिसम्बर, 2020 तक ₹2,506.30 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया है।

कोरोना प्रबंधन हेतु विभाग के प्रयास

राज्य सरकार द्वारा स्टेट कैरिज/कॉन्ट्रेक्ट कैरिज एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के वाहनों को अप्रैल–2020 से जून–2020 के देय मोटर वाहन कर में पूर्ण छूट प्रदान की गई। साथ ही माह जुलाई, अगस्त, सितम्बर, 2020 में मोटर वाहन कर में क्रमशः 75 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई।

लॉकडाउन अवधि में, राज्य सरकार द्वारा ओमनी बस जो किसी भी परमिट के तहत कवर नही थी (स्पेयर वाहन) को देय मोटर वाहन कर में अप्रेल, मई, जून, 2020 के लिए पूर्ण छूट तथा माह जुलाई, 2020 के लिए 75 प्रतिशत छूट प्रदान की गई।

रेलवे

मार्च, 2018 में राज्य में रेल मार्गों की कुल लम्बाई 5,929 किलोमीटर थी, जो कि मार्च, 2019 के अन्त तक 5,937 किलोमीटर (भारतीय रेलवे की वार्षिक पुस्तक 2018–19 के अनुसार) हो गई है। राज्य में रेलमार्ग 67,415 किलोमीटर लम्बाई के भारतीय रेलमार्ग का 8.81 प्रतिशत है।

डाक एवं दूरसंचार सेवाएं

दूरसंचार अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों के तीव्र विकास एवं आधुनिकीकरण की प्रमुख सहायक सेवा है। हाल के वर्षों में यह प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास एवं अर्थव्यवस्था पर इसके सार्थक प्रभाव के कारण और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

डाक एवं दूरसंचार सेवाएं अर्थव्यवस्था को विकसित करने का एक साधन है तथा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों, खण्डों एवं समुदायों को जोड़ने का कार्य भी करती है। मार्च, 2020 के अन्त तक राज्य में कुल डाकघरों की संख्या 10,307 और टेलीकॉम उपभोक्ताओं की संख्या 660.20 लाख थी। राज्य में डाकघरों तथा टेलीकॉम उपभोक्ताओं की वर्ष 2019 और 2020 तक की स्थिति तालिका–5.12 में दर्शाया गया है।

तालिका–5.12 राज्य में डाकघरों एवं टेलीकॉम उपभोक्ताओं की स्थिति

(मार्च तक)

क्र.सं.	मद	इकाई	2019	2020
1	डाकघर	संख्या	10311	10307
(अ)	ग्रामीण	संख्या	9679	9675
(ब)	शहरी	संख्या	632	632
2	टेलीकॉम उपभोक्ता (तार रहित + तार सहित)	लाख	647.70	660.20
(अ)	तार रहित उपभोक्ता	लाख	642.30	655.30
(ब)	तार सहित उपभोक्ता	लाख	5.40	4.90

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता

राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) में वित्तीय वर्ष 2020–21 के प्रारम्भ में ₹2,096.22 करोड़ शेष के रूप में उपलब्ध थे। वित्तीय वर्ष 2020–21 में ₹1,975.00 करोड़ की राशि के विरूद्ध प्रथम किश्त की राशि ₹987.50 करोड़ प्राप्त हो चुकी है तथा द्वितीय किश्त की राशि ₹987.50 करोड़ भारत सरकार से प्राप्त होना शेष है। किश्तों में भारत सरकार का अंशदान 75 प्रतिशत तथा राज्य सरकार का अंशदान 25 प्रतिशत है। भारत सरकार से राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के अन्तर्गत खरीफ फसल सम्वत्–2076 में बाढ व सूखा तथा रबी फसल सम्वत्–2076 में टिड्डी ज्ञापन के विरूद्ध ₹853.25 करोड़ प्राप्त हुए। इस प्रकार वर्ष 2020–21 के लिये प्रारम्भिक शेष सहित कुल ₹3,936.97 करोड़ की राशि उपलब्ध है, जिसमें से दिसम्बर, 2020 तक निम्नलिखित गतिविधियों के लिये ₹1,458.08 करोड़ की राशि आवंटित की गई है, जिसका विवरण तालिका–5.13 में दर्शाया गया है।

तालिका–5.13 वर्ष 2020–21 में विभिन्न गतिविधियों में आवंटित राशि का विवरण

(₹करोड़)

क्र.सं.	गतिविधि	राशि (दिसम्बर, 2020 तक)
1	राहत गतिविधियाँ (अ) पेयजल (ब) पशु संरक्षण गतिविधियाँ	 6.15 2.53
2	कृषि आदान अनुदान एवं टिड्डी नियंत्रण	559.25
3	कोविड–19	656.03
4	अन्य मद	234.12
योग		**1458.08**

- रबी सम्वत्–2076 में राज्य के 8 जिलों के 960 गांवों को टिड्डी आक्रमण के कारण रबी फसल के लिए अभावग्रस्त घोषित किया गया।
- रबी सम्वत्–2076 में राज्य के 15 जिलों के 861 गांवों को ओलावृष्टि के कारण रबी फसल के लिए अभावग्रस्त घोषित किया गया।
- सम्वत्–2076 में अभाव ग्रसित जिलों में राहत गतिविधियां यथा पशु संरक्षण गतिविधियाँ, पेयजल परिवहन का संचालन किया गया।
- खरीफ सम्वत्–2077 में राज्य के 6 जिलों की 25 तहसीलों को सूखे के कारण अभावग्रस्त घोषित किया गया तथा सूखे के संबंध में एनडीआरएफ से अतिरिक्त सहायता हेतु राशि ₹802.26 करोड़ का ज्ञापन भारत सरकार को भिजवाया गया।

*****

अध्याय

06

उभरता सेवा क्षेत्र

- कोविड–19 के दौरान 'वंदे भारत मिशन' के अन्तर्गत 414 अन्तर्राष्ट्रीय उडानों द्वारा 56,348 प्रवासी भारतीय राजस्थान में आए ।
- माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा स्व. श्री राजीव गांधी के जन्मदिवस के अवसर पर दिनांक 20 अगस्त, 2020 को राजकीय संग्रहालय, बारां का वर्चुअल उद्घाटन किया गया।
- ग्राम–पंचायत स्तर तक परस्पर संवाद के लिए वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग सेट–अप स्थापित किया गया एवं कोविड–19 महामारी के प्रभावी पर्यवेंक्षण लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 185 बार वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग आयोजित की गई।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में चयनित परिवारों के 100 लाख से अधिक जन–आधार कार्ड मुद्रित किये जा चुके है तथा 80.30 लाख से अधिक परिवारों को वितरित किये जा चुके है।
- भारत सरकार द्वारा जन आधार कार्ड को परिवार एवं उसके सदस्यों की पहचान तथा पते के दस्तावेज के रूप में मान्यता प्रदान करते हुये सूचीबद्ध किया गया।
- राजस्थान के स्मारकों और ऐतिहासिक भवनों के संरक्षण के लिए 3डी जी.आई.एस. मॉडल का कार्य आरम्भ किया गया है। मोबाइल वेन द्वारा 10,000 किलोमीटर सड़को के डेटा संग्रह का कार्य किया गया।
- एकीकृत समाधान हेतु जी.पी.एस. तथा सी.सी.टी.वी. कैमरा आधारित सुरक्षा 7 सम्भागीय मुख्यालयों और 26 जिलों में कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर स्थापित किए गए हैं।
- 9 सितम्बर, 2020 की अधिसूचना के द्वारा 'राजस्थान पर्यटन नीति, 2020 को राज्य में लागू किया गया है।
- कोविड–19 महामारी के प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए राज–कोविड इन्फो ऐप विकसित किया गया है एवं जियो फेंसिग तकनीक के द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से क्वारन्टीन प्रक्रिया सुनिश्चित की गई।
- राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2019 में पर्यटन सेक्टर को प्रमुख क्षेत्र (थ्रस्ट सेक्टर) के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया, वर्ष 2020–21 के दौरान ब्याज सब्सिडी / पूंजीगत सब्सिडी का अतिरिक्त लाभ अनुमत किया गया।

राजस्थान में सेवा क्षेत्र का परिदृश्य

सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियां जिनमें कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर और दूरसंचार जैसी उच्च दक्षता वाली गतिविधियां से लेकर प्लम्बर द्वारा दी जाने वाली साधारण सेवा तक की गतिविधियां सम्मिलित है। इसमें विविध प्रकार की गतिविधियों के सम्मिलित होने के कारण सेवा क्षेत्र की कोई एक विशिष्ट परिभाषा नही है। राष्ट्रीय लेखा वर्गीकरण के अनुसार सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत व्यापार, होटल और जलपान गृह, परिवहन, भंडारण, संचार, वित्तीय, बीमा, स्थावर सम्पदा एवं व्यावसायिक सेवाएं तथा सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं सम्मिलित हैं। प्रचलित एवं स्थिर (2011–12) कीमतों पर सेवा क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन चित्र–6.1 में दर्शाया गया है। सेवा क्षेत्र का स्थिर (2011–12) बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.) वर्ष 2011–12 में ₹1.62 लाख करोड़ की तुलना में वर्ष 2020–21 में ₹2.55 लाख करोड़ अनुमानित है, जो इस अवधि में प्रतिवर्ष 5.18 प्रतिशत (सी.ए.जी.आर.) की औसत वृद्धि दर्शाता है। प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर सेवा क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.) वर्ष 2011–12 में ₹1.62 लाख करोड़ की तुलना में वर्ष 2020–21 में ₹4.09 लाख करोड़ अनुमानित है, जो इस अवधि में प्रतिवर्ष 10.86 प्रतिशत (सी.ए.जी.आर.) की औसत वृद्धि दर्शाता है।

चित्र 6.1

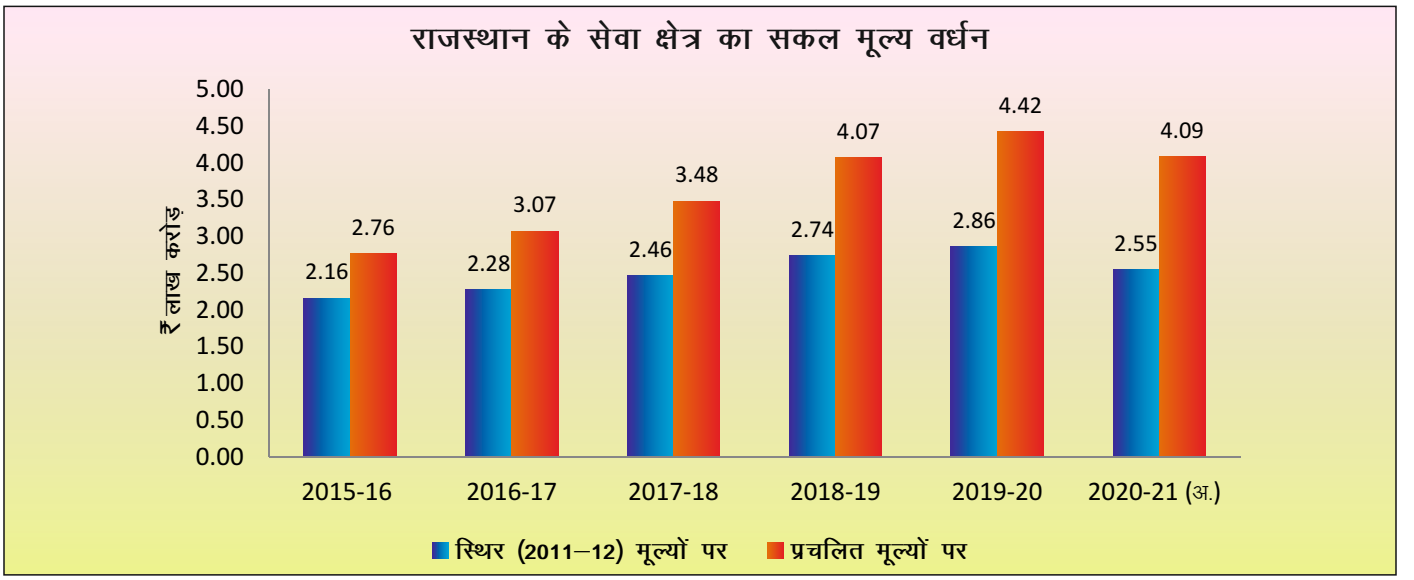

नोटः–वर्ष 2018–19 संशोधित अनुमान–II, वर्ष 2019–20 संशोधित अनुमान–I और वर्ष 2020–21 अग्रिम अनुमान

राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.) में सेवा क्षेत्र का योगदानः

राजस्थान की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2020–21 में भी सेवा क्षेत्र प्रचलित बुनियादी मूल्य पर 45.43 प्रतिशत योगदान के साथ सबसे बड़ा क्षेत्र बना हुआ है। वर्ष 2019–20 से वर्ष 2020–21 में सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.) की क्षेत्रवार संरचना में थोड़ा बदलाव हुआ, वर्ष 2019–20 में सेवा क्षेत्र का योगदान 47.17 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2020–21 में 45.43 प्रतिशत अनुमानित है। राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान वर्ष 2015–16 से 2020–21 तक चित्र–6.2 में दर्शाया गया है।

चित्र 6.2

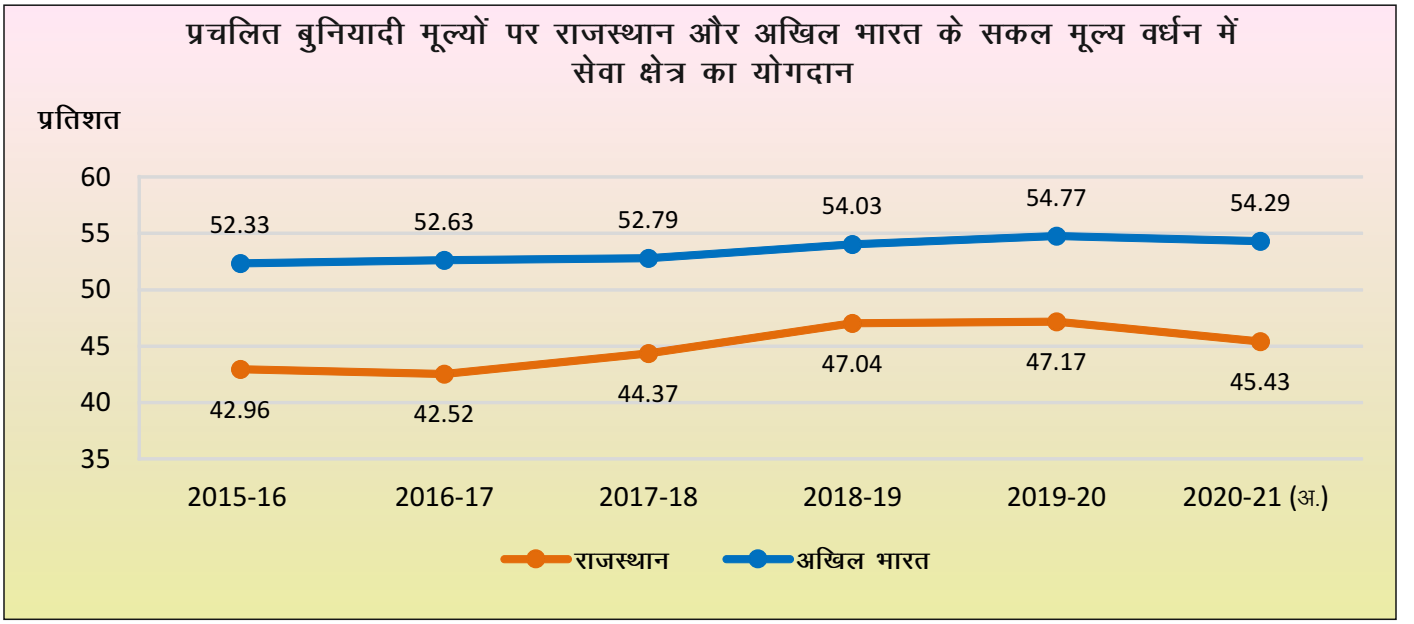

नोटः–राजस्थान के लिए वर्ष 2018–19 संशोधित अनुमान–II, वर्ष 2019–20 संशोधित अनुमान–I और वर्ष 2020–21 अग्रिम अनुमान, अखिल भारत के लिए वर्ष 2019–20 प्रावधानिक अनुमान और वर्ष 2020–21 अग्रिम अनुमान।

सेवा क्षेत्र द्वारा सकल राज्य मूल्य वर्धन में वृद्धि दर स्थिर (2011–12) बुनियादी मूल्यों पर

वर्ष 2020–21 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर परिवर्तनशील रही है, यह कोविड–19 महामारी के दौरान उत्पन्न हुए आर्थिक संकट के कारण यह –10.95 प्रतिशत हो गई है जो कि वर्ष 2019–20 में 4.43 प्रतिशत रही थी, सकल राज्य मूल्य वर्धन की तुलना में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर को चित्र–6.3 में दर्शाया गया है।

चित्र 6.3

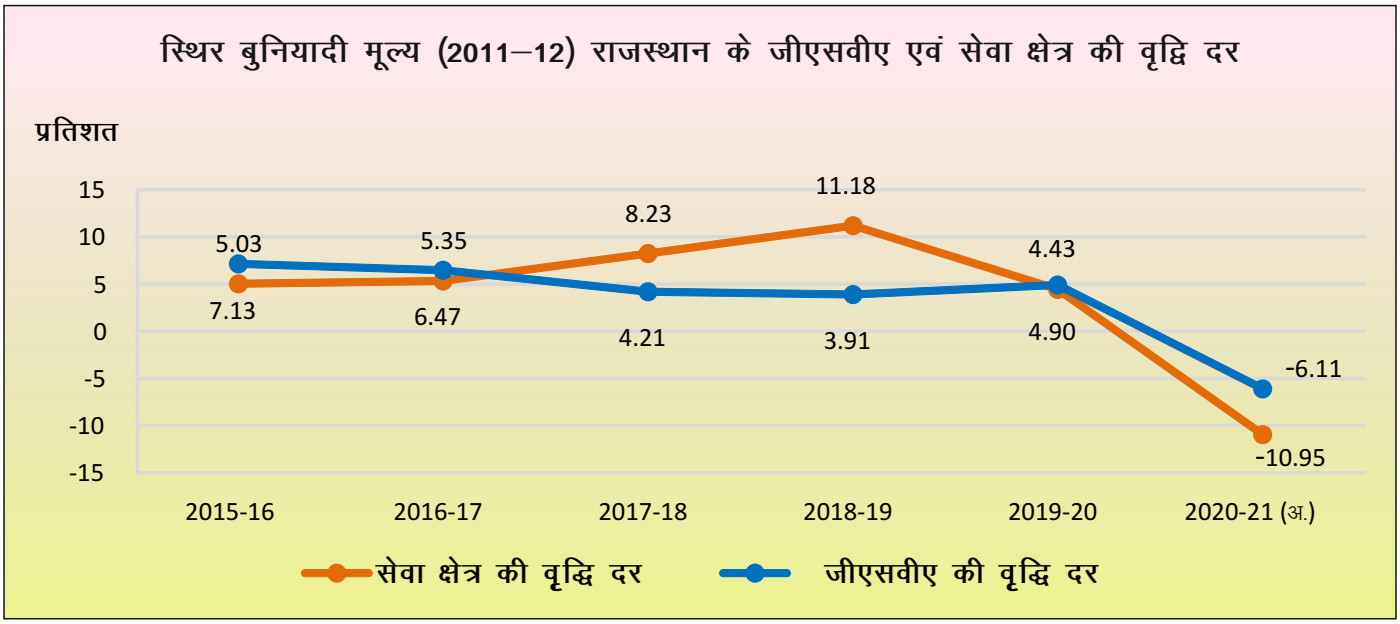

नोटः–राजस्थान के लिए वर्ष 2018–19 संशोधित अनुमान–II, वर्ष 2019–20 संशोधित अनुमान–I और वर्ष 2020–21 अग्रिम अनुमान।

प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर सेवा क्षेत्र का उप क्षेत्रवार वितरण

राजस्थान के सेवा क्षेत्र में व्यापार, होटल और जलपान गृह का महत्त्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 2020–21 में व्यापार, होटल और जलपान गृह का सेवा क्षेत्र के जी.एस.वी.ए. में 26.53 प्रतिशत तथा स्थावर सम्पदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व और पेशेवर सेवाओं का 24.60 प्रतिशत योगदान रहा है। सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत अन्य सेवाओं का योगदान 21.49 प्रतिशत, परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र का योगदान 11.30 प्रतिशत रहा है, जबकि लोक प्रशासन सेवाओं का 8.55 प्रतिशत और वित्तीय सेवाओं का योगदान 7.53 प्रतिशत रहा है। चित्र–6.4 में सेवा क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर क्षेत्रवार वितरण दर्शाया गया है।

चित्र 6.4

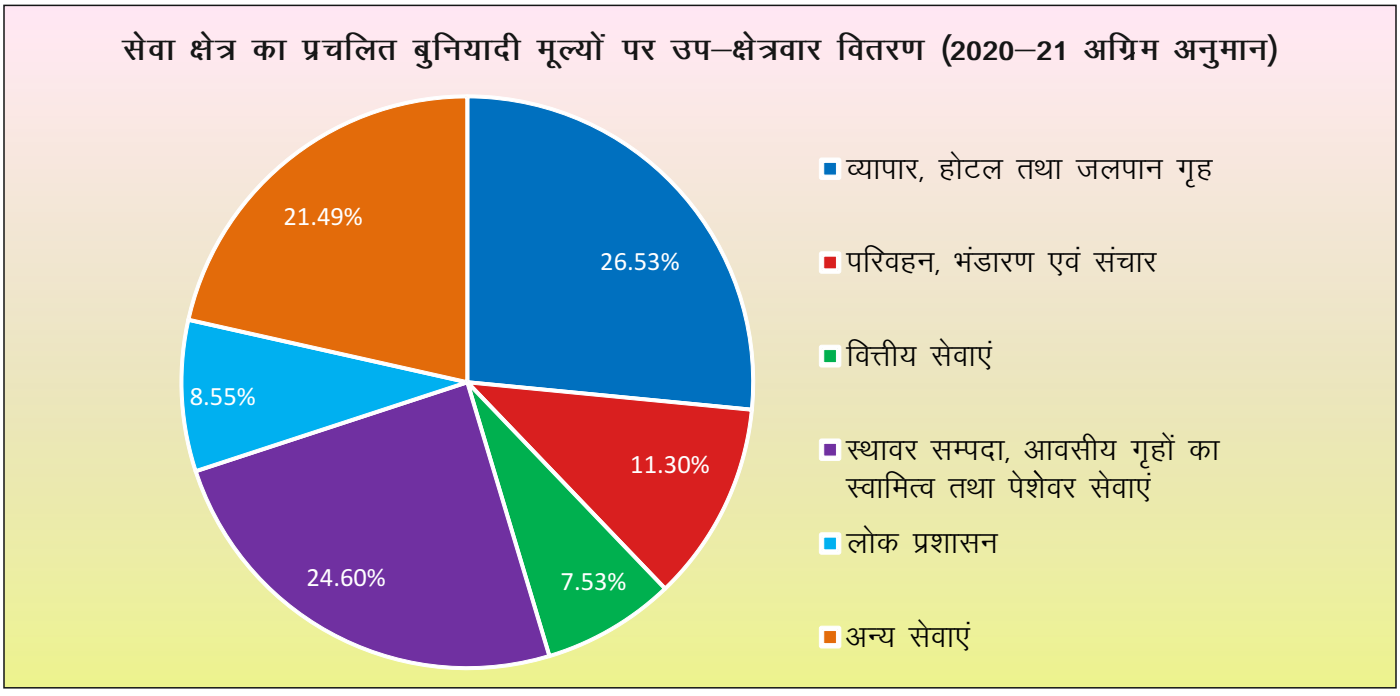

नोटः–वर्ष 2018–19 संशोधित अनुमान–II, वर्ष 2019–20 संशोधित अनुमान–I और वर्ष 2020–21 अग्रिम अनुमान

प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर सेवाओं के उप–क्षेत्रों के योगदान में परिवर्तन

प्रचलित बुनियादी मूल्य पर जी.एस.वी.ए. में सेवा क्षेत्र के विभिन्न उप–क्षेत्रों के परिपेक्ष्य में व्यापार, होटल और जलपान गृह का योगदान वर्ष 2011–12 में 27.07 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2020–21 में 26.53 प्रतिशत अनुमानित है। अन्य सेवाओं का योगदान वर्ष 2011–12 में 15.67 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2020–21 में 21.49 प्रतिशत अनुमानित है। इसी समयावधि में परिवहन, भंडारण और संचार के योगदान में मामूली गिरावट हुई है, जो कि वर्ष 2011–12 में 14.14 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2020–21 में 11.30 प्रतिशत अनुमानित है। इसी प्रकार वित्तीय सेवाओं का योगदान वर्ष 2011–12 में 8.44 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2020–21 में 7.53 प्रतिशत और लोक प्रशासन सेवाओं का योगदान वर्ष 2011–12 में 9.09 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2020–21 में 8.55 प्रतिशत अनुमानित है। सेवा क्षेत्र में उप क्षेत्रों का योगदान वर्ष 2015–16 से 2020–21 तक चित्र–6.5 में दर्शाया गया है।

चित्र 6.5

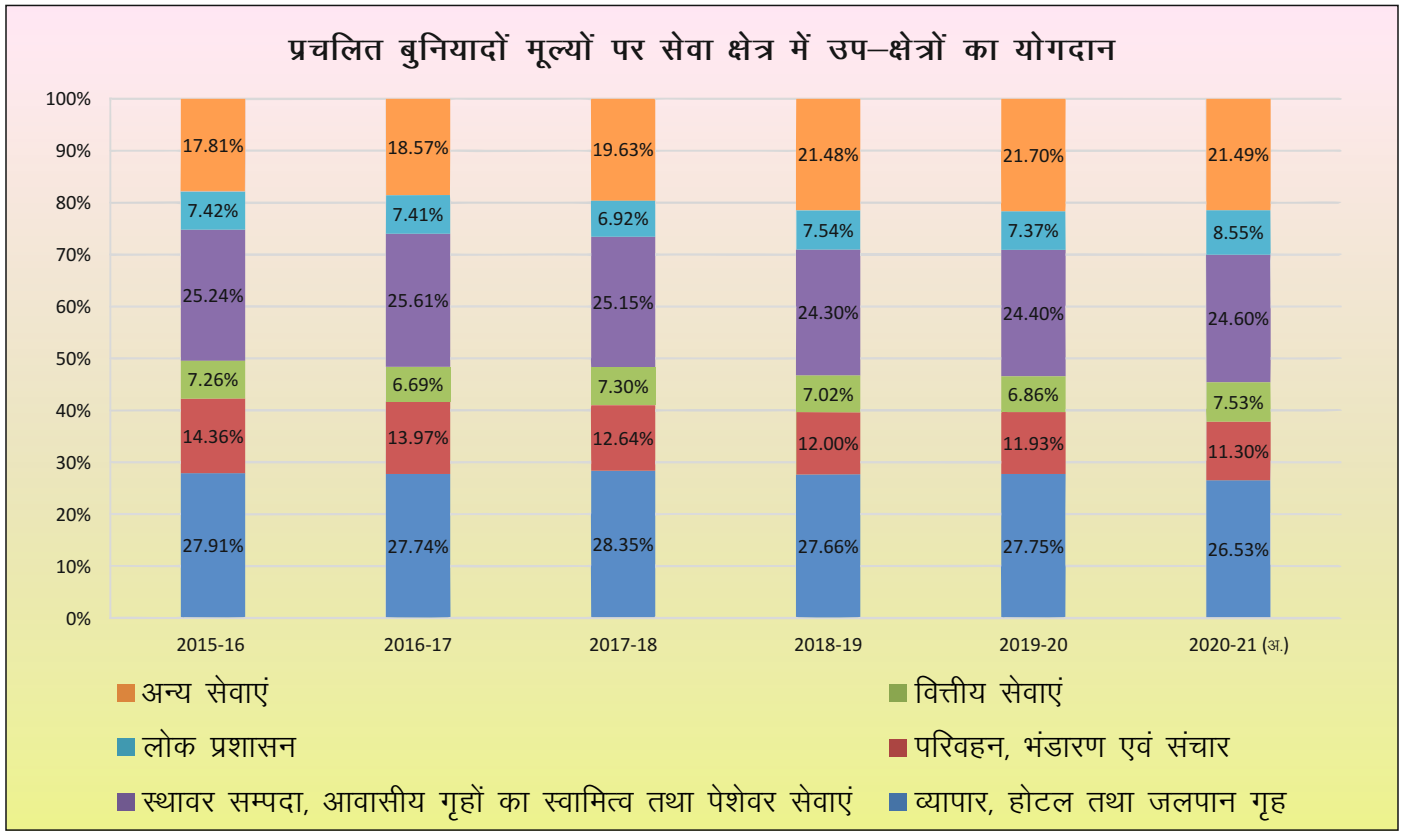

नोटः–वर्ष 2018–19 संशोधित अनुमान–II, वर्ष 2019–20 संशोधित अनुमान–I और वर्ष 2020–21 अग्रिम अनुमान

इसके उत्तरवर्ती वाले भाग में राजस्थान के सेवा क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विभिन्न घटकों की प्रगति पर एक विस्तृत परिदृश्य प्रस्तुत किया गया है। इनमें पर्यटन और आतिथ्य सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, सूचना एवं प्रोद्योगिकी तथा संचार और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शामिल है।

पर्यटन

पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान, भारत के प्रमुख आकर्षक स्थलों में से एक है तथा विश्व के पर्यटन मानचित्र पर अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। यहाँ देशी–विदेशी पर्यटकों हेतु अनेक आकर्षण के केन्द्र है। राजस्थान में पर्यटन के विशेष आकर्षण के केन्द्र शाही रेलगाडी (पैलेस ऑन व्हील्स), किले, महल एवं हवेलियां, मेले एवं त्यौहार, हस्तकलाएं, हैरिटेज होटलों, साहसिक पर्यटन (एडवेंचर ट्यूरिज्म), ग्रामीण एवं ईको–ट्यूरिज्म, धार्मिक पर्यटन तथा मन्दिर स्थापत्य कला, शास्त्रीय संगीत एवं लोक–नृत्य इत्यादि हैं, जो कि राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से राज्य के लिए रोजगार एवं राजस्व का सृजन करते हैं।

राज्य में पर्यटन विकास के लिए सरकार द्वारा उल्लेखनीय प्रयास किए जा रहे हैं। यह राजस्थान के निवासियों के लिए रोजगार एवं आय की असीम सम्भावनाएं रखता है। कलैण्ड़र वर्ष 2020 के दौरान 155.63 लाख(151.17 लाख स्वदेशी एवं 4.46 लाख विदेशी) पर्यटकों ने राजस्थान में भ्रमण किया।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां

पर्यटन में राज्य की प्रमुख उपलब्धियां नीचे दर्शाई गयी हैः–

- राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहित करने तथा नवीन एवं अनुभवजन्य पर्यटन उत्पादों के माध्यम से राज्य को पसंदीदा व अग्रणी पर्यटक गंतव्य स्थल बनाए जाने के उद्देश्य से अधिसूचना 09 सितम्बर, 2020 के द्वारा 'राजस्थान पर्यटन नीति, 2020 को राज्य में लागू किया गया है।
- जोधपुर में 24 अक्टूबर, 2020 को पर्यटक पुलिस स्टेशन स्थापित कर विधिवत शुभारम्भ कर दिया गया है। वर्तमान में राज्य में 3 पर्यटक पुलिस स्टेशन जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में संचालित है।
- 'वंदे भारत मिशन' के अन्तर्गत 22 मई, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक 414 अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों से 56,348 प्रवासी भारतीय राजस्थान में आये। 8,550 प्रवासियों को विभाग द्वारा 7 दिवसीय अनिवार्य होटल क्वारंटीन हेतु उचित दरों पर होटल उपलब्ध कराने संबंधी व्यवस्थाएं की गई।
- लॉकडाउन की अवधि में भारत सरकार के ''स्ट्रैन्डड इन इंडिया'' पोर्टल से प्राप्त डेटा के अनुसार राजस्थान में फंसे 150 से अधिक विदेशी पर्यटकों की वीजा अवधि बढ़वाये जाने संबंधी सहायता एवं विभाग द्वारा सम्बन्धित जिला प्रशासन व विदेशी दूतावास के साथ समन्वय कर अन्तर्राष्ट्रीय फ्लाईटों से उन्हें उनके देश पहुँचने में सहयोग किया गया।
- राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 के फलस्वरूप लॉकडाउन खुलने के उपरान्त राज्य में निर्धारित नियमों के तहत फिल्मों की शूटिंग को पुनः प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान करते हुए इस हेतु दिनांक 22 जुलाई, 2020 को मानक दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। तदुपरांत 12 फिल्मों/वेबसीरीज की शूटिंग राज्य में करवाई गई।
- वर्ष 2020–21 में 31 दिसम्बर, 2020 तक 105 पर्यटन इकाई परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया है। जिनके लिए कुल निवेश ₹1,344.08 करोड़ का प्रावधान किया गया।
- वर्ष 2020–21 में 31 दिसम्बर, 2020 तक विभाग द्वारा 14 पुरासम्पत्तियों को हैरिटेज प्रमाण पत्र जारी किया गया है।
- 120 हेरिटेज होटल्स की सूचना विभागीय वेबसाइट पर पर्यटकों के लिये उपलब्ध करवायी गयी है।
- वित्तीय वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक आवंटित राशि ₹12,076.44 लाख के विरूद्ध ₹3,444.08 लाख व्यय किए जा चुके हैं।

कोरोना प्रबंधन हेतु किये गये निर्णय/नवाचार व उपलब्धियां

पर्यटन क्षेत्र से संबंधित उद्यमियों को राज्य सरकार द्वारा मंत्रिमंडल की आज्ञा 73/2020 के माध्यम से राहत प्रदान करने हेतु निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

- राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2019 के तहत पर्यटन/होटल/मल्टीप्लेक्स सेक्टर की इकाइयों को एक वर्ष लिए अतिरिक्त लाभ स्वीकृत किये गये।
- पर्यटन उद्योग (होटलों और ट्यूर ऑपरेटरों) द्वारा देय एवं जमा एस.जी.एस.टी. पर 6 माह की अवधि (अप्रेल, 2020 से सितम्बर, 2020) की प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया जायेगा।
- राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2019 में पर्यटन सेक्टर को थ्रस्ट सेक्टर के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया, वर्ष 2020–21 में इस योजना के अन्तर्गत ब्याज सब्सिडी/पूंजीगत सब्सिडी का अतिरिक्त लाभ दिया गया।
- परिवहन विभाग द्वारा राजस्थान मोटर वाहन कर अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत 22 सीट की क्षमता से अधिक वाले वाहनों को 1 अप्रेल, 2020 से 30 सितम्बर, 2020 तक मोटर वाहन कर में रियायत प्रदान की गई है।
- होटलों एवं रेस्टोरेंटों हेतु बार लाइसेंस फीस में 25 से 50 प्रतिशत की छूट हेतु वित्त (आबकारी) विभाग द्वारा अधिसूचना 28 अक्टूबर, 2020 जारी की गई है।
- विभाग द्वारा यातायात उद्योग, होटल व्यवसाय और फिल्म उद्योग के लिए कोविड महामारी से बचाव हेतु मार्गदर्शिका का मुद्रण करवाया गया।
- पर्यटकों की सहायता के लिए कला एवं संस्कृति विभाग के सहयोग से सभी राजकीय स्मारकों एवं संग्रहालयों पर कोविड–19 महामारी से बचाव के उपायों को प्रदर्शित कराया गया।

- राज्य सरकार द्वारा चलाये गये जागरूकता अभियान (23–30 जून, 2020) में पर्यटन विभाग द्वारा राज्य भर में राजकीय स्मारकों एवं संग्रहालयों पर 23 जून, 2020 को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से कोरोना महामारी से बचाव के लिए संदेश प्रसारित किये गये।
- विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर फिक्की द्वारा आयोजित वर्चुअल सेमीनार/वेबिनार 'सतत विकास के लिए पर्यटन का पुनरोद्धार का भविष्य' में 27 सितम्बर, 2020 को भाग लिया गया।
- विभाग द्वारा पर्यटकों की सुविधा एवं अधिक विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते वेब पोर्टल www.tourism.rajathan.gov.in पर मेले त्योहारों एवं पर्यटन स्थलों इत्यादि की जानकारी उपलब्ध करवायी जा रही है।
- विभाग द्वारा पर्यटकों की सुविधा एवं अधिक विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए अनेक सोशल मीड़िया प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराये गये है।

वर्ष 2020 में प्राप्त महत्त्वपूर्ण पुरस्कार

- 22 फरवरी, 2020 को नई दिल्ली में आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड के अन्तर्गत राजस्थान को ''बेस्ट इण्डिया वेडिंग डेस्टिनेशन'' पुरस्कार।
- अक्टूबर, 2020 में कॉन्डेनॉस्ट रिडर्स चॉईस अवार्ड– 2020 अन्तर्गत पैलेस ऑन व्हील्स–सेकण्ड लग्ज़ीरियस ट्रेन इन द वर्ल्ड अवार्ड।
- 26 अक्टूबर, 2020 को नई दिल्ली में पिंक सिटी जयपुर को–बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन इन द कन्ट्री एवं रणथम्भौर (सवाई माधोपुर) –बेस्ट वाइल्ड लाईफ डेस्टिनेशन इन द कन्ट्री अवार्ड प्राप्त हुए।
- 25 नवम्बर, 2020 को ट्रेवल और लीज़र इण्डिया एण्ड साउथ एशिया के अन्तर्गत राजस्थान को बेस्ट डोमेस्टिक डेस्टिनेशन अवार्ड।
- 29 नवम्बर, 2020 को ट्रेवल और लीज़र इण्डिया एण्ड साउथ एशिया के अन्तर्गत राजस्थान को बेस्ट वेडिंग एण्ड हनीमून डेस्टिनेशन अवार्ड प्राप्त हुआ।

संस्कृति

जवाहर कला केन्द्र

जवाहर कला केन्द्र (जे.के.के.) दृश्यकला, प्रदर्शनकला के क्षेत्र (नाट्य, संगीत और नृत्य) तथा साहित्य में राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय आकांक्षा हेतु उत्कृष्ठता का केन्द्र है। जवाहर कला केन्द्र के पुर्नरूद्धार के साथ, नियमित उच्च गुणवत्ता वाले कार्यक्रम, जिसमें शास्त्रीय एवं समसामयिक दोनो विधाओं के अन्तर्गत उपर्युक्त कला रूपों की सभी शैलियों के कार्यक्रमों को महत्व देना है।

कोविड–19 महामारी के कारण जवाहर कला केन्द्र द्वारा ऑनलाईन गतिविधियों का मई, 2020 से अब तक आयोजन किया जा रहा है। एक माह की कार्यशाला (10 मई से 27 जून, 2020 तक) के दौरान ऑनलाईन कार्यशाला के माध्यम से विभिन्न कला के विभिन्न रूपों की सर्वोत्कृष्ट आन्तरिक विकास की जानकारी बच्चों को दी गई। ऑनलाईन शिक्षण कक्षों के अतिरिक्त कला और संस्कृति के विभिन्न रूपों से संबंधित ऑनलाइन वार्ता भी आयोजित की गई।

- **दृश्यकला एवं फिल्म**

ए जर्नी विथ मिनियेचर आर्टिस्ट्स ऑफ राजस्थान, इंडियन क्लासिकल स्कल्पचर्स, एक्सप्रेसिंग विथ डूडल आर्ट, कन्टेम्परेरी प्रिंट मेकिंग इन इंडिया, बिल्डिंग इन्क्लूसिव सोसायटी थ्रू आर्ट–प्रथम एवं द्वितीय, हरसत जयपुरी और उनकी शख्सियत, हिन्दी और उसकी लोकतांत्रिकता, पिंकसिटी फेस्टिवल 20 से 29 जनवरी, 2020, समर्थ–अंतर्राष्ट्रीय महिला उत्सव 08 से 13 मार्च, 2020 इत्यादि आयोजन किया गया। ऑनलाईन लर्निंग के उद्देश्य से सितम्बर, 2020 में कैलीग्राफी और बुक बाईंडिंग तथा आर्किटेक्चरल ड्रॉईंग कार्यशाला आयोजित की गई। केन्द्र द्वारा नवाचारों के सूत्रपात के रूप में ''ए कॉल फोर आर्टिस्ट डाटाबेस, मोन्यूमेंट्स मैपिंग ऑफ राजस्थान'' आयोजित किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्चुअल प्रदर्शनियों यथा – दि आर्ट ऑफ इंडियन ट्राईब्स, गज शास्त्र, फोटोग्राफी प्रतियोगिता, स्काउड एण्ड गाईड विभाग के साथ पोस्टर व स्लोगन का आयोजन किया गया।

- **कलाओं का प्रस्तुतिकरण (नाट्य, संगीत और नृत्य)**

सुरजंहा (08 से 10 फरवरी) और सत्याग्रह दिवस के अवसर पर गांधी जी की विचारधारा को प्रदर्शित करने के लिए हिन्दी, उर्दू, पंजाबी और अंग्रेजी भाषाओं के माध्यम से ओपन माइक

कविता प्रतियोगिता आयोजित की गई। राजस्थान के कलाकारों के डेटा बेस को एकत्रित करने के क्रम में ''ए कॉल फोर आर्टिस्ट डाटाबेस स्कीम'' 10 अक्टूबर, 2020 को प्रारम्भ किया गया।

- **साहित्य**

कला और साहित्य के विभिन्न विधाओं को प्रदर्शित करने के लिए ओपन माइक कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हाल ही में कलाकारों से ऑनलाइन गतिविधियों के लिए प्रस्ताव रविन्द्र मंच की सहभागिता से आमंत्रित किए गये।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, नवम्बर, 2020 तक आवंटित राशि ₹675 लाख के विरूद्ध ₹43.73 लाख व्यय (पूंजीगत व्यय सहित) किए जा चुके हैं।

पुरातत्व एवं संग्रहालय

पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, राजस्थान द्वारा कला एवं वास्तुकला के विभिन्न रूपों में समाविष्ट सांस्कृतिक विरासत की खोज, सुरक्षित, सरंक्षण, प्रदर्शन और विवेचन आदि के सम्बन्ध में ठोस प्रयास किए गए हैं।

वर्ष 2020–21 में (दिसम्बर, 2020 तक) विभाग द्वारा पूर्ण एवं प्रगतिरत् कार्यों पर कुल स्वीकृत राशि ₹2,818.78 लाख के विरूद्व 939.89 लाख व्यय किये जा चुके है। वर्ष 2020–21 के दौरान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा निम्नलिखित स्मारकों के संरक्षण एवं जीर्णोद्वार के कार्य किए गए:–

- पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के माध्यम से स्वीकृत निधि के अन्तर्गत निम्नलिखित संरक्षण एवं जीर्णोद्वार कार्य पूर्ण किये गये– मन्दिर समूह–किराडू (बाड़मेर), हर्ष देवल शिव मन्दिर–बिलाड़ा (जोधपुर), सूर्य मन्दिर–बूढ़ादीत (कोटा), सेठानी का जोहड़ा–चूरू, मीनारयुक्त कूप बूटिया (चूरू), जलमहल–कुम्हेर (भरतपुर) एवं किशोरी महल (भरतपुर)।
- पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के माध्यम से स्वीकृत निधि के अन्तर्गत निम्नलिखित संरक्षण एवं जीर्णोद्वार कार्य प्रगतिरत् है– भवानी नाट्यशाला (झालावाड़), छनेरी पनेरी देवालय (झालावाड़), रामगढ़ किला (बारां), मन्दिर समूह आवां (कोटा), फतेहगढ़ किला (अजमेर), फलोदी फोर्ट (जोधपुर), शाहबाद किला (बारां), शेरगढ़ किला अटरू (बारां), डीग किला (भरतपुर), सज्जनगढ़ किला (उदयपुर), तालाब–ए–शाही बाड़ी (धौलपुर), शिव–मंदिर ओसियां (जोधपुर), राव बीकाजी की टेकरी (बीकानेर), बीकानेर शहर के प्राचीन दरवाजे, सुखमहल (बून्दी), चौरासी खम्भों की छतरी (बून्दी) चौपडा महादेव मन्दिर के सामने के भग्नावशेष (धौलपुर) एवं पुरास्थल धूलकोट (उदयपुर)।
- पर्यटन विभाग के माध्यम से स्वीकृत निधि के अन्तर्गत निम्नलिखित विकास कार्य पूर्ण किए गए:– सांभर (जयपुर), धुंधेश्वरधाम– गंगापुरसिटी (सवाई माधोपुर), तिमनगढ़ किला (करौली), बत्तीस खम्भों की छतरी–माण्ड़ल (भीलवाड़ा), प्राचीन सरोवर मोहनसागर– मुहाना (जयपुर), श्री जगदीश धाम– केमरी (करौली), अमर सिंह राठौड़ की छतरी (नागौर), रंगमा तालाब (करौली), शिखरमहल (करौली), श्री पाबूजी मन्दिर कोल्हू (जोधपुर), लक्ष्मीरानी महल (भरतपुर), विमलकुण्ड़ कामां (भरतपुर), मचकुण्ड़ (धौलपुर)।
- पर्यटन विभाग के माध्यम से स्वीकृत निधि के अन्तर्गत निम्नलिखित विकास कार्य प्रगतिरत् है:– प्राचीन स्थल गनमोरा– नादौती (करौली), मालकोट दुर्ग मेड़ता (नागौर), चन्द्रेसल मठ (कोटा), तालाब की पाल पर ऐतिहासिक भवन माण्ड़लगढ़ (भीलवाड़ा), सुनहरी कोठी (टोंक), घाट के बालाजी (जयपुर), बंधे के बालाजी (जयपुर) एवं बौद्ध स्मारक विराट नगर (जयपुर)।
- देवस्थान विभाग के माध्यम से स्वीकृत राज्य निधि के अन्तर्गत सूर्य मन्दिर (झालावाड़) के संरक्षण एवं पुनरूद्धार कार्य पूर्ण किया गया। केशवराय मन्दिर केशोरायपाटन (बूंदी) में संरक्षण एवं पुनरूद्वार का कार्य प्रगति पर हैं।
- सितम्बर, 2020 में विभागीय शोध पत्रिका ''पुरासम्पदा'' का प्रकाशन करवाया गया।
- राजकीय संग्रहालय, बारां का वर्चुअल उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 20 अगस्त, 2020 को किया गया।

देवस्थान विभाग

देवस्थान विभाग मंदिर संस्कृति के संरक्षण और संवर्द्धन का विभाग है। 390 राज्य प्रत्यक्ष प्रभार और 203 राज्य आत्मनिर्भर मन्दिरों और संस्थाओं का सीधा प्रबन्धन देवस्थान विभाग द्वारा किया जा रहा है।

विभाग द्वारा निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही है:–

- **मरम्मत, जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य:** 7 मरम्मत, जीर्णोद्धार एवं विकास कार्यों में से 1 कार्य को निरस्त किया गया एवं 6 कार्य प्रगति पर हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान (दिसम्बर, 2020 तक) स्वीकृत ₹260.66 लाख के विरूद्व ₹42.44 लाख का व्यय किया गया है।
- **ट्रस्ट द्वारा संचालित मंदिरो को सहायता:** इस योजना में राज्य के ट्रस्ट द्वारा संचालित मंदिरो में पूंजीगत परिसम्पत्तियों का सृजन के चिन्हित 8 कार्यो में से 2 कार्य पूर्ण हो चुके एवं 6 कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2020–21 के दौरान (दिसम्बर, 2020 तक) उपलब्ध राशि ₹354.72 लाख में से ₹100 लाख व्यय किए जा चुके हैं।
- **वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना एवं सिंधु दर्शन :** इस योजना में राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को देश के विभिन्न स्थानों यथा– ''रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, वैष्णो देवी, शिरडी, द्वारकापुरी, तिरूपति, कामाख्या, उज्जैन, वाराणसी, अमृतसर, श्रवण–बेलगोला, सम्मेदशिखर, बिहार शरीफ, गोवा, हरिद्वार, कोच्चि, लखनऊ इत्यादि'' की मुफ्त यात्रा और दर्शन की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान (दिसम्बर, 2020 तक) उपलब्ध राशि ₹1,400 लाख मे से ₹289.39 लाख व्यय किया गया। वर्तमान में कोविड–19 महामारी के कारण इस योजना का क्रियान्वयन लंबित है।
- **कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा योजना:** इस योजना के तहत, राज्य के तीर्थयात्रियों को कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए प्रत्येक तीर्थयात्री को ₹1.00 लाख की वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्ष 2020–21 में राशि ₹100 लाख का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में कोविड–19 महामारी के कारण इस योजना का क्रियान्वयन लंबित है।
- **मोक्ष कलश योजना:** इस योजना के अन्तर्गत कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत परिवहन संसाधनों का संचालन सुचारू रूप से नही होने के कारण गरीब परिवारों के मृत प्रियजनों की अस्थियों के यथा समय गंगाजी में विसर्जन हेतु 1 अस्थि कलश के साथ परिवार के 2 सदस्यों को हरिद्वार की निःशुल्क यात्रा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा करवाई गई, इस योजना कार्यकारी संस्था राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम है इस योजना के तहत समस्त व्यय का पुनर्भरण देवस्थान विभाग द्वारा किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 2020 तक 24,455 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया तथा ₹340 लाख का पुनर्भरण देवस्थान विभाग द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आर.एस.आर.टी.सी.) को किया गया।

वित्तीय सेवाएं

बैंकिंग

वित्तीय संस्थाओं द्वारा जमाओं को प्रोत्साहन एवं विभिन्न क्षेत्रों में ऋण वितरण कर राज्य के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाई जा रही है। नियोजित वित्त पोषण प्रदान करने के क्रम में राज्य में विकास कार्यक्रमों हेतु वित्त पोषण की जरूरत के मद्देनजर सरकार द्वारा बैंकों एवं अन्य आवधिक उधार देने वाली संस्थाओं से अधिकाधिक संस्थागत वित्त लेने की व्यवस्था प्रारम्भ की गई है।

राज्य के विकास हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण विनियोग एक महत्वपूर्ण स्रोत है। विभिन्न ऋण आधारित कार्यक्रम यथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, दीनदयाल अन्त्योदय योजना (डी.ए.वाई.), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के विकास की योजनाएं एवं अन्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कमजोर वर्गों के विकास हेतु बैंकों की सहायता से चलाए जा रहे हैं। ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंक विशेषतः क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऋण सहायता देकर कमजोर वर्गों के उत्थान के राष्ट्रीय उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए सहयोग प्रदान करते हैं।

राजस्थान व राष्ट्रीय स्तर पर बैंक शाखाओं, जमाओं एवं ऋण वितरण की सितम्बर, 2019 व सितम्बर, 2020 तक की तुलनात्मक स्थिति तालिका–6.1 में दर्शाई गई है।

तालिका 6.1 बैंक शाखाओं, जमाओं एवं ऋण के तुलनात्मक समंक

क्र.सं.	मद	राजस्थान		भारत	
		सितम्बर, 2019	सितम्बर, 2020	सितम्बर, 2019	सितम्बर, 2020
1.	**क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक**				
	(अ) कार्यालयों / शाखाओं की संख्या	1560	1566	21941	21936
	(ब) जमा (₹करोड़)	28645	32123	440803	494013
	(स) ऋण (₹करोड़)	20359	23109	288742	312818
2.	**विदेशी बैंक**				
	(अ) कार्यालयों / शाखाओं की संख्या	6	7	298	307
	(ब) जमा (₹करोड़)	831	1060	572953	694197
	(स) ऋण (₹करोड़)	897	1070	418302	388722
3.	**निजी क्षेत्र के बैंक**				
	(अ) कार्यालयों / शाखाओं की संख्या	1354	1489	32887	34818
	(ब) जमा (₹करोड़)	82467	95028	3810413	4213854
	(स) ऋण (₹करोड़)	91240	99209	3417984	3654804
4.	**सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक***				
	(अ) कार्यालयों / शाखाओं की संख्या	4260	4272	88400	88612
	(ब) जमा (₹करोड़)	283354	317555	8164686	9004012
	(स) ऋण (₹करोड़)	188353	204876	5655212	5978321
5.	**लघु वित्त बैंक**				
	(अ) कार्यालयों / शाखाओं की संख्या	311	351	3684	4479
	(ब) जमा (₹करोड़)	7160	9629	52862	74708
	(स) ऋण (₹करोड़)	14301	15142	81919	97360
6.	**सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक**				
	(अ) कार्यालयों / शाखाओं की संख्या	7491	7685	147210	150152
	(ब) जमा (₹करोड़)	402457	455395	13041717	14480784
	(स) ऋण (₹करोड़)	315149	343406	9862159	10432025

* भारतीय स्टेट बैंक एवं सहयोगी तथा राष्ट्रीयकृत बैंक सहित।

उपर्युक्त तालिका 6.1 से विदित होता है कि राजस्थान में सितम्बर, 2020 में गत वर्ष सितम्बर, 2019 की तुलना में कुल जमाओं एवं ऋण वितरण में वृद्धि हुई है। राजस्थान में जमाओं में सितम्बर, 2020 में गत वर्ष की समान अवधि की तुलना में 13.15 प्रतिशत की वृद्धि रही है, जबकि इसी समयावधि में अखिल भारतीय स्तर पर यह वृद्धि 11.03 प्रतिशत रही है। राजस्थान में सितम्बर, 2020 में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का ऋण–जमा अनुपात 75.41 प्रतिशत एवं अखिल भारतीय स्तर पर यह अनुपात 72.04 प्रतिशत रहा, जबकि सितम्बर, 2019 में यह अनुपात राजस्थान व अखिल भारतीय स्तर पर क्रमशः 78.30 प्रतिशत एवं 75.62 प्रतिशत था। राजस्थान में गत वर्ष की समान अवधि की तुलना में सितम्बर, 2020 तक कुल ऋण वितरण में 8.97 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह बढ़ोतरी 5.78 प्रतिशत रही है। राज्य की अनुमानित जनसंख्या 795.29 लाख (वर्ष 2020) के अनुसार राजस्थान में औसतन 10,348 व्यक्तियों पर एक बैंक शाखा तथा औसतन 45 वर्ग किमी. पर एक बैंक शाखा कार्यरत है।

डिजिटल भुगतान

राज्य में जिलों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायत स्तर पर नकद/ वित्तीय लेन–देन की सेवाओं के लिए सेवा केन्द्र उपलब्ध है। ऐसे लेनदेनों हेतु 80,109 (सितम्बर, 2020 तक) कियोस्क/ई–मित्र कियोस्क/माइक्रो ए.टी.एम. स्थापित किए गए है।

ई–मित्र नागरिकों को सरकारी सूचनाओं एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए एक बहु सेवा, एकल खिड़की नेटवर्क के रूप में कार्यरत है, इसके अतिरिक्त लाभार्थियों को मोबाईल भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए मोबाईल वॉलेट जैसे– पेटीएम, एम–पैसा से भी इसे एकीकृत किया गया है।

व्यवसायिक संवाददाता (बिजनेस कोरेस्पोन्डेंट)

वित्तीय समावेशन समाज के जरूरतमंद एवं वंचित समूहों यथा– कमजोर वर्ग एवं कम आय वर्ग के लोगों को समय पर पर्याप्त ऋण सस्ती दर पर उपलब्ध करवाने के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है। वित्तीय समावेशन बैंक खाता खोलने तथा वित्तीय सेवाओं के प्रदान करने तक सीमित नहीं होकर इसके आगे औपचारिक वित्तीय सेवाएं यथा– ऋण, बचत, बीमा, धन प्रेषण सुविधाएं, वित्तीय परामर्श तथा सलाहकारात्मक सेवाएं गरीब के द्वार तक उपलब्ध करवाये जाने तक है। वित्तीय समावेशन के अन्तर्गत बैंक द्वारा ब्रिक एवं मोर्टार शाखाओं, बैंकिंग आउटलेट्स एवं व्यावसायिक संवाददाताओं के माध्यम से राज्य में बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहे है। राज्य में 30 सितम्बर, 2020 तक 80,109 ई–मित्र कियोस्क, पे–प्वॉइन्ट्स और 19,512 व्यावसायिक संवाददाता कार्यरत हैं।

स्टैण्ड अप इंडिया योजना

स्टैण्ड अप इंडिया योजना की शुरूआत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना के साथ की गई है। इस योजना का समग्र उद्देश्य संस्थागत ऋण संरचना की सेवा से वंचित आबादी तक ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक की ऋण सुविधा प्रदान करना है। इस ऋण को 7 वर्ष की अवधि में लौटाना होगा जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों द्वारा गैर कृषि क्षेत्र में हरित क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना के लिए दिया जाता है।

इस योजना के परिचालन की सुविधा के लिए लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया ने योजना के व्यापक प्रचार–प्रसार को बढ़ावा देने एवं योजना से संबंधित किसी भी प्रश्न की पूछताछ के लिए एक पोर्टल http://www.standupmitra.in स्थापित किया है। इस योजनान्तर्गत 31 अक्टूबर, 2020 तक (1 अप्रैल, 2020 से 31 अक्टूबर, 2020 तक) 13,642 लाख का बजट प्रावधान किया गया जिसके विरूद्व 19 लाभार्थियों को कुल ₹425.04 लाख की स्वीकृति जारी की गई।

अन्य

- प्रधानमंत्री जन–धन योजना (पी.एम.जे.डी.वाई.) के अन्तर्गत राजस्थान में 31 दिसम्बर, 2020 तक 2.90 करोड़ खाते खोले जा चुके है और 87.70 प्रतिशत (सम्भावित) खातों को आधार से जोड़ा जा चुका है।
- राज्य में ''प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना'' (पी.एम. जे.जे.बी.वाई.) के अन्तर्गत कुल 29.75 लाख व्यक्तियों और ''प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना'' के अन्तर्गत कुल 93.77 लाख (सम्भावित) व्यक्तियों का नामांकन 31 दिसम्बर, 2020 तक किया जा चुका है।
- अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाई.) एक पेंशन योजना है, जो असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर केन्द्रित है। अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत आवेदन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर प्रतिमाह गारण्टेड ₹1,000 न्यूनतम पेंशन प्रदान की जाती है। राज्य में इस योजना के अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 2020 तक 11.49 लाख (सम्भावित) व्यक्तियों का नामांकन किया जा चुका है।

- "प्रधानमंत्री मुद्रा योजना" (पी.एम.एम.वाई.) के तहत राजस्थान में बैंकों, गैर–बैंकिग वित्तीय (एन.बी.एफ.सी.) लघु वित्त संस्थानों और गैर–बैकिंग वित्तीय कंपनियों के माध्यम से वर्ष 2020–21 के दौरान, 31 दिसम्बर, 2020 तक की संवितरण की प्रगति (सम्भावित) नीचे तालिका–6.2 में दर्शाई गयी है।

तालिका 6.2 वर्ष 2020–21 में 31 दिसम्बर तक की सम्भावित प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की प्रगति

श्रेणी	स्वीकृतियों की संख्या	वितरण राशि (₹करोड़)
शिशु	1042118	3003.48
किशोर	259090	3426.02
तरूण	31245	1998.38
योग	**1332453**	**8427.88**

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार

विभाग की महत्वपूर्ण योजनाए/कार्यक्रम

- **जन सूचना पोर्टलः**– नागरिकों को सरकारी सेवाओं की जानकारी सुलभ, पारदर्शी और विश्वसनीय तरीके से प्रदान करने के लिए वर्तमान में संबंधित विभाग से प्राप्त सुझावों के आधार पर विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित पोर्टल विकसित किए जा रहे है। सरकार द्वारा क्रियान्वित सभी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध करवाने हेतु विभाग द्वारा जनसूचना पोर्टल विकसित किया गया है, जिसे समय–समय पर अद्यतन किया जाएगा। वर्तमान में 55 विभागों में चल रही 99 योजनाओं की 277 जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है।

- **यू.आई.डी (आधार)** : भारत सरकार की परियोजना के अन्तर्गत एक 12 अंकों की संख्या, सभी नागरिकों को प्रदान की जाती है, जिसे विशिष्ट पहचान संख्या कहा जाता है। इस विशिष्ट पहचान संख्या का उपयोग सरकारी विभागों द्वारा प्रदान की जा रही सभी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किया जाता है। 30 नवम्बर, 2020 तक 170 करोड़ से अधिक व्यक्तियो का आधार कार्ड़ के लिए सत्यापन किया गया।

- **राजस्थान स्टार्टअपः** राज्य में स्टार्टअप क्षेत्र को गति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार के आदेशों के अन्तर्गत अनेक नवाचारों को लागू किया गया है। आई स्टार्ट पोर्टल (istart.rajasthan.gov.in) स्टार्टअप्स के लिए एक सिंगल विण्डो की तरह कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, चैलेन्ज फोर चेन्ज, राजस्थान स्टैक, क्यू–रेट रैंकिंग सिस्टम, इनक्यूबेटर, आई.स्टार्ट नेस्ट (जयपुर, कोटा एवं उदयपुर) भी राज्य के स्टार्टअप्स को उपलब्ध कराए गए हैं। जोधपुर, अजमेर, भरतपुर और बीकानेर में नये इनक्यूबेटर सेन्टर खोलने का कार्य प्रगति पर है।

- **राजस्थान सम्पर्क पोर्टलः** राजस्थान सम्पर्क पोर्टल का उपयोग केन्द्रीयकृत शिकायत निवारण मंच के रूप में किया जा रहा है। एड–ऑन मॉड्यूल्स जैसे मोबाइल ऐप, रियलिटी चेक मॉड्यूल, जी.आई.एस. एकीकरण और एप्लीकेशन्स जैसे एडवांस डेटा एनालिटिक्स को उपयोगकर्ता के अनुभव में वृद्धि के लिए विकसित और लागू किया गया है। 'स्वतः भाषण मान्यता' (ए.एस.आर.) की कार्यक्षमता के साथ वास्तविकता जांच मॉड्यूल को राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के लिए एक नया टोल फ्री नम्बर–181 प्रारम्भ किया गया है। कोविड–19 के दौरान 2,79,206 से अधिक शिकायतों/समस्याएं वार–रूम द्वारा प्राप्त हुई, लगभग 2,78,559 शिकायतों/समस्याओं समाधान किया गया।

- **वीडियो वॉलः** राज्य की प्रत्येक पंचायत समिति में निवासियों के लिए विभिन्न सरकारी नवाचारों और लाइव ईवेन्ट्स की ऑडियो–वीडियो स्ट्रीमिंग का प्रसारण करने के लिए वीडियोवॉल की स्थापना की गई है।

- **वीसीः** वर्तमान में 380 से अधिक वीसी स्टूड़ियो कार्यरत है। कोविड–19 वायरस के संक्रमण काल में कार्मिकों एवं जनप्रतिनिधियों का आवागमन प्रतिबंधित है अतः आमने–सामने संवाद के लिए वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग का पंचायत स्तर पर व्यापक रूप में उपयोग किया गया। वर्तमान महामारी काल में अब तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 185 बार वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में भाग लिया

गया जिसमें से 88 बार से अधिक कोविड–19 पर अन्य राज्यों, माननीय प्रधानमंत्री से संवाद किया गया।

- **राजनेटः** राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (राजस्वान) के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर तक कनेक्टिविटी के लिए एकीकृत नेटवर्क समाधान प्रदान किया गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत, जिला कलेक्ट्रेट एवं ब्लॉक स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वी.सी. रूम) सुविधा प्रदान की गई। लो–बेन्डविथ सक्षम सॉफ्टवेयर आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा ग्राम पंचायत स्तर तक उपलब्ध करवायी जा रही है। ग्राम पंचायतों और जिला कार्यालयों को 16,800 से अधिक आई.पी. फोन वितरित किए गए।
- **वाई–फाई सुविधाः** सभी विभागीय मुख्यालयों और जिला मुख्यालयों में वाई–फाई सुविधा प्रदान की गई है। राजीव गांधी सेवा केन्द्रों एवं 5,264 ग्राम पंचायतों पर वाई–फाई सुविधा प्रदान की गई है तथा 6,304 हॉटस्पॉट स्थापित किये गये हैं।
- **भौगोलिक सूचना तंत्र (जी.आई.एस.)ः** जी.आई.एस. आधारित डिसीजन सपोर्ट सिस्टम स्थापित किया गया है, जिसमें 12 विभागों द्वारा चलायी जा रही 38 जी.आई.एस. बेस्ड एप्लीकेशन्स को होस्ट किया गया है, जिनमें 50 से अधिक सेवाएं दी जा रही है। राजस्थान के स्मारकों और ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण के लिए 3–डी जी.आई.एस. मॉडल का कार्य आरम्भ किया गया है। 3–डी सिटी प्लेटफॉर्म को डाटा सेन्टर में विकसित किया गया है। मोबाइल बैन द्वारा 10,000 किलोमीटर सड़को के डेटा संग्रह का कार्य किया गया।
- **ई–मित्रः** वर्तमान में सरकारी विभागों/निजी संगठनों की 475 से अधिक सेवाएं राज्य के नागरिकों को 88,382 से अधिक ई–मित्र कियोस्कों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से उपयोगिता बिलों के भुगतान की सुविधा का एकीकरण भी शुरू किया गया है। भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रो पर 9,728 से अधिक ई–मित्र केन्द्र स्थापित किए गए है। 1,000 से अधिक आबादी वाले राजस्व गांवो में 7,080 नए ई–मित्र केन्द्र खोले गए है।
- **ई–मित्र प्लसः** ई–मित्र प्लस, ई–सेवा प्रदान करने में एक क्रान्तिकारी कदम है। यह ए.टी.एम. की भाँति किसी भी मानव इंटरफेस के बिना सीधे सेवाएं प्रदान करता है। ई–मित्र प्लस भारत में अपनी तरह का पहला कियोस्क है। इसके माध्यम से सरकारी दस्तावेजों जैसे– जन्म प्रमाण–पत्र, मूल निवास प्रमाण–पत्र आदि के लिए आवेदन कर सकते हैं तथा इसके अन्दर लगे प्रिन्टर के माध्यम से प्रिन्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें नकद, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जैसी भुगतान की कई सुविधाएं है। निवासियों को अपनी प्रतिक्रिया एवं समस्याओं को सीधे अधिकारियों को दर्ज कराने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा हेतु ई–मित्र प्लस सक्षम है। ये कियोस्क शहरी क्षेत्रों के साथ–साथ राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपलब्ध है। 14,891 से अधिक ई–मित्र प्लस कियोस्क (लगभग 5,000 शहरी एवं 9,891 ग्रामीण क्षेत्रों) स्थापित किए गए हैं।
- **राज–पेमेंटः** यह व्यक्तिगत/फर्मों के लिए भुगतान की एक सुविधा है, जिसे भुगतान के वितरण के लिए किसी भी संगठन द्वारा प्लग–इन कर उपयोग किया जा सकता है।
- **राज ई–साइनः** डिजिटल हस्ताक्षर कार्य आर.आई.एस.एल. के माध्यम से शुरू किया गया है। अब विभागों को किसी भी निजी कम्पनी से डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता नही होगी। विभिन्न विभागीय अनुप्रयोगों में ई–साइन का एकीकरण समयबद्व तरीके से किया जा रहा है।
- **स्टेट पोर्टलः** यह पोर्टल नागरिकों, राजकीय उपयोगर्ताओं, व्यवसायियों और विदेशी नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं की जानकारी/व्यवहार का एकल स्त्रोत है। यह पोर्टल सभी विभागों के वेबपोर्टल के साथ जुड़ा हुआ है।
- **ई–संचार एवं आई–फैक्टः** ई–संचार एक एप्लीकेशन है जिसे आवेदनकर्ता/लाभार्थी के साथ–साथ सरकारी कार्मिकों को विभाग से सम्बन्धित घटनाओं की सूचना एस.एम.एस./वॉइस मैसेज/स्ट्रक्चर क्वेरी के माध्यम से भिजवाए जाने के लिए किसी भी विभागीय एप्लीकेशन से जोड़ सकते है। आई–फैक्ट का उपयोग राजस्थान सम्पर्क के माध्यम से वास्तविकता जांच के लिए किया जा रहा है।
- **स्टेट मास्टर सैन्ट्रलाइज्ड डेटा हबः** मास्टर डेटा हब विभिन्न विभागों के क्लाईंट्स एप्लीकेशन्स हेतु आवश्यक सभी प्रकार के मास्टर डाटा उपलब्ध करवाता है। इसमें भौगोलिक पदानुक्रम से विभागीय अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के मास्टर डाटा शामिल हैं।
- **सरकारी कार्यालयों में क्षमता निर्माणः**
  - ➢ सरकारी विभागों की आई.टी. सक्षमता की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को प्रशिक्षित जन–शक्ति की आवश्यकता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार

विभाग द्वारा सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

- **इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों का पुनर्भरण** : राजकीय क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता के विकास को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने सरकारी कार्मिकों द्वारा एम.सी.ए., बी.सी.ए. एवं आर.के.सी.एल. का सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशानुसार शुल्क का पुनर्भरण करने का निश्चय किया गया।
- **राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आर.के.सी.एल.)** : आर.के.सी.एल. की स्थापना राज्य के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रोद्यौगिकी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु की गई है, जिससे डिजिटल भिन्नता में सेतू का काम करने एवं अन्तिम बिन्दु तक कनेक्टिविटी की समस्या का समाधान उपलब्ध कराया जा सके। आर.के.सी.एल. का आर.एस.सी.आई.टी. प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रमाण–पत्र) राजस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित है तथा राजकीय अनुमोदन उपरान्त राजकीय कार्मिकों को शुल्क पुनर्भरण किया जाता हैं। इसके माध्यम से लगभग 6,000 ज्ञान केन्द्र खोले गये है जिनमें लगभग 55 लाख प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है। कोविड–19 के कारण जनवरी, 2020 से लगभग 27 नए ज्ञान केन्द्र खोले गये है तथा लगभग 2.65 लाख प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है।

- **स्टेट डाटा सेन्टर (एस.डी.सी.)**: स्टेट डाटा सेन्टर विभिन्न सेवाओं की प्रभावी इलेक्ट्रानिक सेवा प्रदान करता है, यह राज्य के विभिन्न विभागों और उद्यमों को सेवाओं/एप्लीकेशन्स को एक कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर पर हॉस्ट करने में सक्षम है।
- **हिन्दी ई–मेल**: राजस्थान पहला एवं एकमात्र राज्य है, जो निवासियों को मातृभाषा हिन्दी में ई–मेल उपलब्ध करवाता है। जिसका डोमेन@राजस्थान.भारत और राजस्थान.इन है
- **डाटा एनालिटिक्स**: करदाताओं की पहचानकर एवं कर राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य यह प्रोजेक्ट राजस्व विभागों यथा वाणिज्यिक कर, परिवहन, आबकारी, पंजीयन एवं मुद्रांक, खान एवं भूविज्ञान विभाग में लागू कर दिया गया है। राज्य में कोरोना महामारी के संक्रमण की वास्तविक स्थिति का चित्रण करने के लिए दैनिक रिपोर्ट भी तैयार की गई।
- **सिंगल साइन ऑन (एस.एस.ओ.)**: यह सभी विभागीय एप्लीकेशन्स के लिए एकल उपयोगकर्ता प्रबन्धक है। इसमें समस्त उपयोगकर्ताओं द्वारा केवल एक बार साइन–इन करने के उपरान्त विभिन्न एप्लीकेशन्स पर कार्य किया जा सकता है। सभी विभागीय एप्लीकेशन्स को एस.एस.ओ. से जोड़ा जा सकता है।
- **राज–काज**:– सरकारी कार्मिकों के अवकाश प्रबंधन एवं अवकाश का नकदीकरण का आवेदन, वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट, अनापत्ति प्रमाणपत्र (पासपोर्ट, विदेश यात्रा और उच्च शिक्षा के लिए), फाइल ट्रेकिंग सिस्टम आदि के मापदंड राज–काज प्राजेक्ट के तहत सिंगल साइन ऑन (एसएसओ) के साथ लागू किए जा रहे है। इसके अन्तर्गत 70 प्रशासनिक विभागों के 382 संस्थानों के 30,794 कार्यालयों को शामिल किया गया है। इस प्राजेक्ट के अतंर्गत 3,17,650 सरकारी कार्मिको का विवरण दर्ज किया गया है। इस मापदंड को सभी सरकारी विभागों में प्रभावी और अनिवार्य बनाने के लिए कार्मिक विभाग द्वारा राज्यव्यापी दिश–निर्देश जारी किए गये है।
- **कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर (अभय)**: एकीकृत समाधान हेतु जी.पी.एस. तथा सी.सी.टी.वी. कैमरा आधारित सुरक्षा 7 सम्भागीय मुख्यालयों और 26 जिलों में कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर स्थापित किए गए हैं। शेष जिलों में कार्य प्रगति पर हैं। इस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत निम्न सम्मिलित हैं:–
  - वीडियो निगरानी तंत्र
  - डायल 100 नियंत्रण तंत्र
  - विधि विज्ञान अनुसंधान प्रणाली
  - दक्ष यातायात प्रबन्धन तंत्र
  - वाहन ट्रेकिंग तंत्र
  - भौगोलिक सूचना तंत्र

कोविड–19 से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम:

- **कोविड–19 महामारी से संबंधित वेबसाइट का संचालन**: कोविड–19 से सम्बन्धित सूचनाओं को विभिन्न स्त्रोतों से एकत्रित कर प्रसारण के लिए www.covidinfo.rajasthan.gov.in वेबसाइट का संचालन किया जा रहा है। जिससे समस्त स्तरो से जारी आदेशों/निर्देशों/प्रेस विज्ञप्तियों आदि को एक ही जगह पर देखा जा सकता है।

- **ई–औषधी–कोविड–19:** ई–औषधी– कोविड–19 महामारी में काम में आने वाली 57 प्रकार की महत्वपूर्ण औषधियों व अन्य आइटमों के स्टॉक की मॉनिटरिंग की जा रही है।
- **राजकोविड इन्फो ऐप:** राजकोविड इन्फो ऐप के माध्यम से मनुष्यों में कोविड–19 के संक्रमण की जानकारी के लिए विभाग द्वारा राजकोविड इन्फो ऐप का संचालन किया गया एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से जियो फेंसिग तकनीक के द्वारा क्वारन्टीन प्रक्रिया के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग की गई।
- **मोबिलिटी पास:** राजकोप सिटीजन ऐप के माध्यम से जिला प्रशासन, जिला पुलिस एवं यातायात विभाग आदि से व्यक्तियो और वाहनों के आपातकालीन आवागमन की अनुमति प्राप्त करने के लिए, ई–पास के लिए आवेदन किया जा सकता है जोकि बिना किसी व्यक्तिगत सम्पर्क के अनुमति प्राप्त की जा सकती है।

राजस्थान जन–आधार योजना

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा परिवर्तित बजट 2019–20 में विभिन्न योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से आमजन तक पहुँचाने के उद्देश्य से 'एक नम्बर, एक कार्ड, एक पहचान' की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 'राजस्थान जन–आधार योजना' लाए जाने की घोषणा की गई। इसके साथ ही राजस्थान जन–आधार योजना के क्रियान्वयन के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण का गठन किए जाने और ई–मित्र परियोजना को भी इस प्राधिकरण के अधीन लाए जाने की घोषणा की गई।

उक्त बजट घोषणा के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 को ''राजस्थान जन–आधार योजना, 2019'' का शुभारम्भ किया गया है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं:–

- राज्य के निवासी परिवारों की जन–सांख्यिकीय एवं सामाजिक–आर्थिक सूचनाओं का डेटा बेस तैयार कर परिवार को ''एक नम्बर, एक कार्ड, एक पहचान'' प्रदान किया जाना, जिसे परिवार एवं उसके सदस्यों की पहचान तथा पते के दस्तावेज के रूप में मान्यता प्रदान कराना।
- लाभार्थियों के नकद लाभ, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से उनके बैंक खातों में तथा गैर–नकद लाभ, आधार/जन–आधार अधिप्रमाणन उपरान्त घर के समीप हस्तांतरित करवाना।
- राज्य के निवासियों को ई–कॉमर्स और बीमा सुविधाओं का विस्तार विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उनके घर के समीप उपलब्ध कराना।
- ई–मित्र तंत्र को जन–आधार प्राधिकरण के अधीन लाकर उसके विनियमन द्वारा प्रभावी नियंत्रण व संचालन करना।
- राज्य में विद्यमान तकनीकी तथा इलेक्ट्रॉनिक ढाँचे का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण किया जाना।
- महिला सशक्तिकरण एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।
- सरकार द्वारा प्रदत्त जनकल्याण के लाभों की योजनाओं हेतु परिवार/परिवार के सदस्यों की पात्रता का निर्धारण करना।

योजना का क्रियान्वयन

- राज्य के सभी निवासी परिवार, जन–आधार पंजीयन कराने हेतु पात्र हैं।
- नामांकित परिवारों को एक 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या प्रदान की जा रही है तथा इस कार्ड में मुखिया सहित प्रत्येक सदस्य की 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान संख्या भी अंकित की गई है।
- दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में चयनित परिवारों के 100 लाख से अधिक जन–आधार कार्ड मुद्रित किये जा चुके है तथा 80.30 लाख से अधिक जन आधार कार्ड लाभार्थी परिवारों को वितरित किये जा चुके है।
- जन आधार प्लेटफार्म के माध्यम से दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 से 30 जून, 2020 तक हस्तांतरित किये गये लाभों का प्रशासनिक प्रतिवेदन सामाजिक अंकेक्षण के उद्देश्य से जन सूचना पोर्टल पर दिनांक 15 जुलाई, 2020 को अपलोड किया जा चुका है।
- जन आधार योजना अन्तर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आयुष्मान भारत महात्मा गाँधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, जननी सुरक्षा योजना इत्यादि 102 योजनाओं/सेवाओं के लाभ हस्तांतरण किए जा रहे हैं।
- भारत सरकार (यूआईडीएआई) के परिपत्र दिनांक 09 मई, 2020 के द्वारा जन आधार कार्ड को परिवार एवं उसके सदस्यों की पहचान तथा पते के दस्तावेज के रूप में मान्यता प्रदान करते हुये सूचीबद्ध किया गया।
- राजस्थान जन–आधार योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था निम्नानुसार है:–
  - **राज्य स्तर पर**– आयोजना विभाग, राजस्थान जन–आधार योजना का प्रशासनिक विभाग है तथा निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय बजट नियंत्रण प्राधिकारी हैं। राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर योजना की क्रियान्वयन एजेन्सी है।

- **जिला स्तर पर–** जिला कलेक्टर जिला जन–आधार योजना अधिकारी है, उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी अतिरिक्त जिला जन–आधार योजना अधिकारी और उप निदेशक (ए.सी.पी.), जिला सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग अतिरिक्त जिला जन–आधार योजना अधिकारी (तकनीकी) हैं।
- **ब्लॉक स्तर पर–** उपखण्ड अधिकारी– ब्लॉक जन–आधार योजना अधिकारी है। ब्लॉक विकास अधिकारी/ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी– अतिरिक्त ब्लॉक जन–आधार योजना अधिकारी एवं प्रोग्रामर, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग अतिरिक्त ब्लॉक जन–आधार योजना अधिकारी (तकनीकी) हैं।

- इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 18 दिसम्बर, 2019 से ही राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020 प्रदेश में प्रभावी हो चुका है।
- राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की स्थापना व गठन तथा कार्यकारिणी समिति से संबंधी अधिसूचना 07 मई, 2020 को प्रकाशित की जा चुकी है।

योजना की वर्तमान स्थिति तालिका–6.3 में दर्शायी गयी है।

तालिका–6.3 राजस्थान जन आधार योजना की प्रगति

(31 दिसम्बर, 2020 तक)

क्र.सं.	कार्य	उपलब्धि
1.	नामांकित परिवारों की संख्या	1.79 करोड़
2.	नामांकित व्यक्तियों की संख्या	6.70 करोड़
3.	कुल लेनदेनों की संख्या (नकद एवं गैर–नकद)	87.69 करोड़
4.	प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के द्वारा कुल नकद लाभ हस्तांतरण	₹ 38006 करोड़

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) की स्थापना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सहयोग से समाज में वैज्ञानिक वातावरण विकसित करने तथा जनता की सामाजिक–आर्थिक स्थिति विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों एवं समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान हेतु की गई।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राज्य के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए तथा विभिन्न कार्यक्रमों में उद्देश्यपूर्ण उपयोग के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के साथ–साथ राज्य की नीति में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के समावेश के लिए विभिन्न विभागों से समन्वय करता है। विभाग के विभिन्न कार्यक्रम एवं गतिविधियों को अजमेर (मुख्यालय–जयपुर), बीकानेर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर स्थित सुस्थापित क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से निष्पादित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्टेट रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर (एस.आर.एस.ए.सी.), जोधपुर द्वारा सुदूर संवेदन गतिविधियां की जा रही हैं।

प्रमुख कार्यक्रम/योजनाएं

राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केन्द्र (एस.आर.एस.ए.सी.), जोधपुर: यह केन्द्र राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के भौतिक एवं स्थानिक समंकों के आधार पर सूचना प्रणाली बनाने का काम कर रहा है। इसके द्वारा विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों यथा– मृदा, जल, वन, कृषि तथा खनिजों के मानचित्र को चिन्हित कर खनन/दोहन एवं प्रबन्धन करने के लिए अल्पावधि एवं दीर्घकालिक प्रायोगिक तथा परिचालन सम्बन्धी सुदूर संवेदी अध्ययन भी किया जाता है।

अनुसंधान एवं विकास प्रभाग: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एप्लीकेशन आधारित अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रभाग की विभिन्न गतिविधियों के अन्तर्गत शैक्षणिक संस्थानों, पेशेवर निकायों को सहायता प्रदान की जाती है। मुख्य योजनाएं–अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं, विद्यार्थी परियोजनाओं, कार्यशाला, सेमीनार, कॉन्फ्रेंस और यात्रा हेतु सहायता प्रदान करना है।

विज्ञान एवं समाज प्रभाग: विज्ञान एवं समाज प्रभाग से सम्बन्धित कार्यक्रमों का व्यापक उद्देश्य राज्य के समग्र विकास

के लिए संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग हेतु प्रौद्योगिकी आधारित अनुप्रयोग उपलब्ध कराना है। सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कुछ प्राथमिक क्षेत्रों को, जिनमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सके, सम्मिलित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रभाग की प्रमुख योजनाएं– उपयुक्त प्रौद्योगिकी पर आधारित पायलट/विशेष परियोजनाएं, विज्ञान व प्रौद्योगिकी संसाधन केन्द्र, महिलाओं के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी दिवस मनाना तथा प्रौद्योगिकी प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र हैं।

उद्यमिता विकास प्रभागः इस प्रभाग की मुख्य योजनाएं उद्यमिता जागरूकता शिविर, उद्यमिता विकास कार्यक्रम और कौशल विकास कार्यक्रम हैं। विद्यालय स्तर पर भी उद्यमिता गतिविधियों को सहयोग प्रदान करने के प्रयास प्रगति पर हैं। विद्यालय स्तर पर नवाचारों को समर्थन देने के लिए स्टार्टअप बूट क्लब, राजकीय मॉडल स्कूलों में प्रारम्भ किए गए हैं।

जैव प्रौद्योगिकी प्रभागः विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विभिन्न कार्यशालाओं, सेमिनारों और जागरूकता कार्यक्रमों, वृहद् और लघु परियोजनाओं के संवर्द्धन एवं निष्पादन के माध्यम से सम्बन्धित बायोटेक क्षेत्रों में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु कदम उठाए हैं। जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में डी.एस.टी. का दृष्टिकोण, बी.टी. (बायोटेक) आधारित अर्थव्यवस्था निर्मित करना, समाज के सभी वर्गों को जैव प्रौद्योगिकी के लाभ को सुनिश्चित करना और उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा राज्य में जैव प्रौद्योगिकी उद्योगों के निर्माण मे सहायता करना है। बायोटेक नीति के तहत एकीकृत कार्यक्रमों के लिए केन्द्र की स्थापना की गई है।

विज्ञान संचार एवं लोकप्रियकरण प्रभागः राजस्थान में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए इस प्रभाग की मुख्य योजनाएं– विज्ञान लोकप्रियकरण हेतु कार्यक्रम एवं गतिविधियां, प्रतियोगिता कार्यक्रम, विज्ञान क्लब, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, बाल विज्ञान कांग्रेस, विद्यालय विज्ञान केन्द्र, विज्ञान केन्द्र एवं विज्ञान पार्क हैं।

पेटेन्ट सूचना केन्द्रः पेटेन्ट सूचना केन्द्र (पी.आई.सी.) की स्थापना प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद (टी.आई.एफ.ए.सी.), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा बौद्धिक सम्पदा (आई.पी.आर.) अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने एवं क्षेत्र में पेटेन्ट दाखिल करने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक संयुक्त परियोजना के रूप में 1998 में की गई। स्टार्टअप, राजकीय मॉडल विद्यालयों में टेक्नॉलोजी बिजनेस इनक्यूबेटर (टी.बी.आई.) के माध्यम से ग्रामीण एवं जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बिज़निस आइडिया पर कार्य करने का अवसर प्रदान करता है।

वर्ष 2020–21 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां संपादित की गई हैं–

- विभाग द्वारा जैव विविधता बोर्ड के साथ संयुक्त रूप से 10 विद्यार्थियों के लिए जैवविविधता प्रोजेक्ट शुरू किये गये है।
- विभाग द्वारा वैज्ञानिक पत्रकारिता, युवा वैज्ञानिकों, युवा उद्यमियों को बढावा देने के लिए भारत की साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन डिज़ाइन इंटरप्रन्योरशिप (एस.टी.आर.आई.डी.ई.) अवार्ड प्रदान करने का प्रशासनिक निर्णय लिया जा चुका है।
- स्कूलों एवं कॉलेजों के छात्रों को विशेषज्ञों की देखरेख में नवाचारों पर कार्य करने हेतु केन्द्रीकृत सुविधाओं के लिए क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र जयपुर में इनोवेशन (नवाचार) हब का कार्य दिसम्बर, 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा जिसकी लागत ₹1 करोड़ है।
- विश्वविद्यालयों में उद्योग उन्मुख शोध प्रारम्भ किये जाने के लिए विभाग द्वारा उद्योग–अकादमी कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है।
- टेलीमेडिसिन ऐडुसेट एवं ड्रोन तकनीकी के द्वारा राज्य के आमजन को बेहतर विशेषीकृत सुविधाएं मिल सकें, इसके लिए विभाग द्वारा विशेषज्ञ समितियों को स्वीकृत कर दिया गया है।
- राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढावा देने, एवं कृषकों, कारीगरों, दस्तकारों, महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए विभाग के अधीन अन्तर विभागीय समिति का गठन किया गया है, जिससे राज्य के संभावित भौगोलिक संकेत (जी.आई.) की पहचान की जा सके एवं उसे रजिस्टर्ड करवाया जा सके। विभाग के प्रयासों से अतिशीघ्र सोजत मेंहदी को भौगोलिक पहचान मिलेगी है। इसके साथ ही विभाग द्वारा नागौरी मेथी, जैसलमेर सैंड स्टोन, लहरिया आदि के लिए भौगोलिक पहचान दिलाने लिए प्रारम्भ कर दिया गया है।
- विभाग द्वारा राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के विज्ञान संकाय के 73 विद्यार्थियों को भारतीय राष्ट्रीय युवा विज्ञान अकादमी के साथ संयुक्त रूप से आई.आई.टी.डी.बी.टी., सी.एस.आई.आर. प्रयोगशालाओं में ई–इन्टर्नशिप का अवसर प्रदान किया गया है। इनमें से 5 विद्यार्थियों को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोजेक्ट में ई–इन्टर्नशिप का अवसर मिला है।

वर्ष 2020–21 के दौरान, विभाग हेतु राशि ₹1,016.77 लाख के बजट प्रावधान को मंजूरी दी गई, जिसमें से दिसम्बर, 2020 तक ₹496.32 लाख व्यय किए जा चुके हैं।

राजस्थान फाउण्डेशन

राजस्थान फाउण्डेशन की स्थापना राज्य के विकास की गतिविधियों में प्रवासियों की भागीदारी बढ़ाने तथा अपनी मातृभूमि के साथ अपनी जड़ों को जोड़े रखने हेतु प्रेरित करने के लिए उनसे लगातार संचार और वार्तालाप बनाए रखने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई। राजस्थान फाउण्ड़ेशन के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार हैं।

राजस्थान फाउण्डेशन भारत तथा विदेशों के विभिन्न शहरों में बसे प्रवासी राजस्थानियों के साथ घनिष्ठ एवं लगातार सम्पर्क कर रहा है और सामाजिक क्षेत्र में गतिविधियाँ शुरू करने के लिए राजस्थान फाउण्डेशन ने विभिन्न शहरों नामतः चेन्नई, कोयम्बटूर, कोलकाता, सूरत, मुम्बई, बैंगलुरू, अहमदाबाद, हैदराबाद, इन्दौर, लंदन, न्यूयॉर्क एवं काठमांडू में चैप्टर्स खोले हैं। यह चैप्टर्स कार्यकारी समिति के साथ नियमित बैठकों का आयोजन एवं नए सदस्यों का नामांकन करते हैं।

राजस्थान फाउण्डेशन द्वारा एक द्विभाषीय (अंग्रेजी एवं हिन्दी) त्रैमासिक न्यूज़लेटर का प्रकाशन कर रहा है, जो देश के भीतर और बाहर प्रवासी राजस्थानी/प्रवासी भारतीयों को व्यापक रूप से वितरित किया जाता है। इस प्रकाशन के माध्यम से राज्य द्वारा उठाए गए विभिन्न विकासात्मक कदमों से प्रवासी राजस्थानियों को अवगत कराया जाता है। राजस्थान फाउण्डेशन के उद्देश्यों को अग्रेषित कराने एवं विभिन्न चैप्टर्स की कार्यकारिणी समितियों के गठन/पुनर्गठन हेतु प्रवासी राजस्थानियों के साथ अन्तर्संवाद के प्रयास किये गए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा समय–समय पर उठाए गए कदमों के अनुसार, वैश्विक कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न संकट से निपटने के लिए, राजस्थान फाउण्डेशन के सभी अधिकारी/कर्मचारी प्रवासियों की मदद के लिए काम करते रहे।

राजस्थान फाउण्डेशन द्वारा किए गए कार्यों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:–

- आवासी आयुक्त के साथ समन्वय कर राज्य सरकार को समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी महत्वपूर्ण सूचनाओं से अवगत कराया गया और भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य समन्वय और सहयोग कर प्रवासियों को वांछित सहायता प्रदान की गई।
- विदेश से लौटने वाले प्रवासी राजस्थानियों की सहायता करने के लिए समन्वय किया गया।
- अंतर–राज्यीय माइग्रेशन सेल की एयर विंग के सदस्य के रूप में, कमिश्नर, राजस्थान फाउंडेशन, नई दिल्ली द्वारा विदेश से आने वाले 70,000 राजस्थानियों के स्वास्थ्य परीक्षण, क्वारंटाईन और वापसी के लिए समन्वय किया गया।
- राजस्थान में कोरोना महामारी से निपटने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया गया।
- इन प्रयासों की निरन्तरता में प्रवासियों में आत्मविश्वास बढ़ाने एवं उनकी कुशलक्षेम जानने हेतु देश एवं विदेश के विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे प्रवासियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई।
- प्रवासी राजस्थानी जो कि राजस्थान में निवेश अथवा डोनेशन संबंधी कार्य करना चाहते है, उनकी राज्य सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग और एनआरआई), प्रमुख सचिव (चिकित्सा और स्वास्थ्य), प्रबंध निदेशक, रीको और अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई।
- देश और विदेश में रहने वाले प्रवासी राजस्थानियों के साथ ऑनलाईन तीज कार्यक्रम का आयोजन विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से प्रदर्शित किया गया।
- प्रवासी राजस्थानियों से लगातार सम्पर्क बनाये रखने के लिए एवं राजस्थान फाउण्डेशन को अधिक विजिबल बनाने हेतु सिम्पली जयपुर के साथ ''हम–राजस्थानी'' प्रोग्राम आयोजित करने हेतु समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) किया गया।
- ''हम–राजस्थानी'' प्रोग्राम के अन्तर्गत कुछ ऐसे प्रवासी राजस्थानियों से रूबरू करवाया गया जिन्होनें अपने कार्यों से देश–विदेश में ख्याति प्राप्त की। इसी श्रृंखला में दिनांक 10 अक्टूबर, 2020 को मेजर जनरल आलोक राज के साथ एवं दिनांक 29 नवम्बर, 2020 को डॉ. विश्वास मेहता, आई.ए.एस. जो कि वर्तमान में केरल राज्य के मुख्य सचिव है, के साथ संवाद किया गया जिसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया गया।
- दीपावली के उपलक्ष्य में दीपोत्सव कार्यक्रम का ऑनलाईन आयोजन किया गया। जिसमें राजस्थानी कलाकारों द्वारा कालबेलिया नृत्य, कठपुतली कला इत्यादि का प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम में दुनिया भर से प्रवासी राजस्थानी ऑनलाईन सम्मिलित हुए। जिन्होंने एक साथ दीप जलाकर एकजुटता का संदेश दिया।

- ''चल मेरी ढोलकी ढमाक–ढम'' कार्यक्रम का 12 से 13 दिसम्बर, 2020 को ऑनलाईन आयोजन किया गया। जिसमें देश–विदेश के बच्चों को राजस्थान की लोक कथा से सांस्कृतिक कला की शिक्षक श्रीमती सीमा मून्दडा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपने शब्दों में कहकर कहानी को सुनाया जिसपर सभी बच्चों ने अच्छी रूचि दिखाई।
- 13 से 20 दिसम्बर, 2020 तक 5वें केयर्न मैराथन में राजस्थान फाउण्डेशन के द्वारा सभी जिला कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों को आमजन से बढ़–चढ़कर भाग लेने का आग्रह कर इस आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
- विश्वभर में चिकित्सा क्षेत्रों में किये जा रहे नवीनतम उपायों की जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु देश–विदेश में बसे विभिन्न प्रवासी राजस्थानी डॉक्टर्स के साथ ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेसिंग आयोजित कर सोशल मीड़िया पर पर प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।

आयोजना (जनशक्ति) विभाग

आयोजना (जनशक्ति) विभाग द्वारा चरणबद्ध रूप से जिला गजेटियर्स का प्रकाशन करने के लिए भी उत्तरदायी है। प्रथम चरण में जोधपुर, अलवर, बांसवाड़ा, करौली, प्रतापगढ़ एवं हनुमानगढ़ जिलों के जिला गजेटियर्स का अद्यतन/तैयार करने का कार्य प्रारम्भ किया गया है।

वर्ष 2020–21 बजट घोषणा कि अनुपालना में द्वितीय चरण में भरतपुर, बीकानेर, जालौर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर के पुराने जिला गजेटियर्स का अद्यतन का कार्य किया जा रहा है।

वर्ष 2020–21 के दौरान, विभाग हेतु राशि ₹327.10 लाख के बजट प्रावधान को मंजूरी दी गई, जिसमें से दिसम्बर, 2020 तक ₹188.78 लाख व्यय किए जा चुके हैं।

मूल्यांकन संगठन

मूल्यांकन योजना प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, जिसके माध्यम से राज्य में चलाए जा रहे विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, प्रभाव, सफलता एवं विफलता का आंकलन कर आवश्यक सिफारिशों का सुझाव दिया जाता है। वर्ष 2020–21 के दौरान (दिसम्बर, 2020 तक), 08 मूल्यांकन प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत किए गए हैं और 19 विभिन्न योजनाओं की मूल्यांकन रिपोर्टो का प्रकाशन विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन है।

*****

अध्याय

07

शहरीकरण और शहरी विकास

- 31 दिसंबर, 2020 तक रेरा के अन्तर्गत कुल 1,377 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पंजीकृत किए जा चुके हैं।
- इंदिरा रसोई योजनान्तर्गत आमजन को ₹8 प्रति थाली में दोपहर/रात्रि भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है व राज्य सरकार द्वारा ₹12 प्रति थाली अनुदान दिया जा रहा है। 31 दिसम्बर, 2020 तक 1,31,035,49 व्यक्ति लाभान्वित किये जा चुके हैं।
- मुख्यमंत्री भोजन योजना के तहत 4 करोड़ फूड पैकिट जरूरत मंदों को वितरित किये गये।
- कोविड–19 के कारण लॉकडाउन के दौरान 1.04 लाख प्रवासी मजदूरों एवं बेघर व्यक्तियों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया गया।
- आवासन मण्डल द्वारा 10 जून, 2020 से 08 जुलाई, 2020 तक 12 दिनों में ''बुधवार नीलामी उत्सव'' के अन्तर्गत 1,213 सम्पत्तियों को बेचा है, जिसकी सराहना वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लंदन यूके द्वारा की गई है।
- राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा, जयपुर शहर के दक्षिणी भाग को विकसित करने के लिए, जयपुर में सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना ''सिटी पार्क'' मानसरोवर में शुरू की गई है।
- बुधवार नीलामी उत्सव के अन्तर्गत ई–बिड सबमिशन द्वारा दिसंबर, 2020 तक कुल 3,267 आवासीय संपत्तियों का निस्तारण किया गया, जिससे ₹490.01 करोड़ प्राप्त हुये।
- जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के फेज–1 का सम्पूर्ण खंड नियमित रूप से संचालित किया जा रहा है तथा चरण 1–बी 23 सितंबर, 2020 को उद्घाटन के बाद जनता के लिए खोला गया।
- जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के फेज–2 (सीतापुरा से अम्बाबाड़ी) और फेज–1 सी (बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर) की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली गई है।

परिचय

शहरीकरण का तात्पर्य जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर स्थानान्तरण, ''शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के अनुपात में क्रमिक वृद्धि'' तथा प्रत्येक समाज के द्वारा इस तरह के बदलाव को स्वीकार करने से है। शहरी क्षेत्र उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों, जैसे सेवाओं और उद्योगो के लिए अधिक उपयुक्त हैं, जो निवासियों की उच्च आय और क्रय शक्ति, कौशल समूह की उपलब्धता और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट, 2019 के अनुसार वर्ष 2007 से विश्व की आधी से अधिक आबादी शहरों में निवास कर रही है और इसकी हिस्सेदारी वर्ष 2030 तक 60 प्रतिशत तक होने का अनुमान है। शहरीकरण आर्थिक विकास का इंजन है और यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि शहरों और महानगरीय क्षेत्रों का वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट, 2019) में लगभग 60 प्रतिशत योगदान है। शहरी बस्तियां विकास की धुरी के रूप में कार्य करती हैं, जहां सरकार द्वारा वाणिज्य और परिवहन की परस्पर क्रिया से ज्ञान और सूचनाओं को साझा करने, नवाचार, उद्यमशीलता और विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा प्रदान किया जाता है।

राजस्थान में शहरीकरण

शेष विश्व की तरह भारत में भी शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। शहरीकरण की प्रवृत्ति राजस्थान में भी राष्ट्रीय स्तर के समान बढ़ रही है। भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या की हिस्सेदारी वर्ष 1961 में 17.97 से बढ़कर वर्ष 2001 में 27.81 प्रतिशत हो गयी और वर्ष 2011 में यह बढ़कर 31.14 प्रतिशत हो गयी। इसी तरह राजस्थान की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या की हिस्सेदारी में वृद्वि की प्रवृति देखी जा सकती हैं, जो वर्ष 1961 में 16.28 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2001 में 23.39 प्रतिशत तथा वर्ष 2011 में 24.87 प्रतिशत हो गई, जैसा कि चित्र– 7.1 में दर्शाया गया है।

चित्र–7.2 और चित्र–7.3 के द्वारा राजस्थान की कुल जनसंख्या, शहरी जनसंख्या और इनसे संबंधित पुरुष और

महिला जनसंख्या के आकार को बताया गया है। वर्ष 2011 में, राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में रहने वाली कुल जनसंख्या 1.70 करोड़ थी, जिसमें पुरुष जनसंख्या 89.09 लाख और महिला जनसंख्या 81.39 लाख थी। वर्ष 2001 में राजस्थान में कुल शहरी जनसंख्या 1.32 करोड़ थी, जिसमें 69.93 लाख पुरुष और 62.21 लाख महिलाएं थी। वर्ष 2011 में राजस्थान की शहरी जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या की हिस्सेदारी 52.26 प्रतिशत और महिला जनसंख्या की हिस्सेदारी 47.74 प्रतिशत थी, जबकि वर्ष 2001 में राज्य की कुल शहरी जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं की हिस्सेदारी क्रमशः 52.92 प्रतिशत और 47.08 प्रतिशत थी।

चित्र 7.1

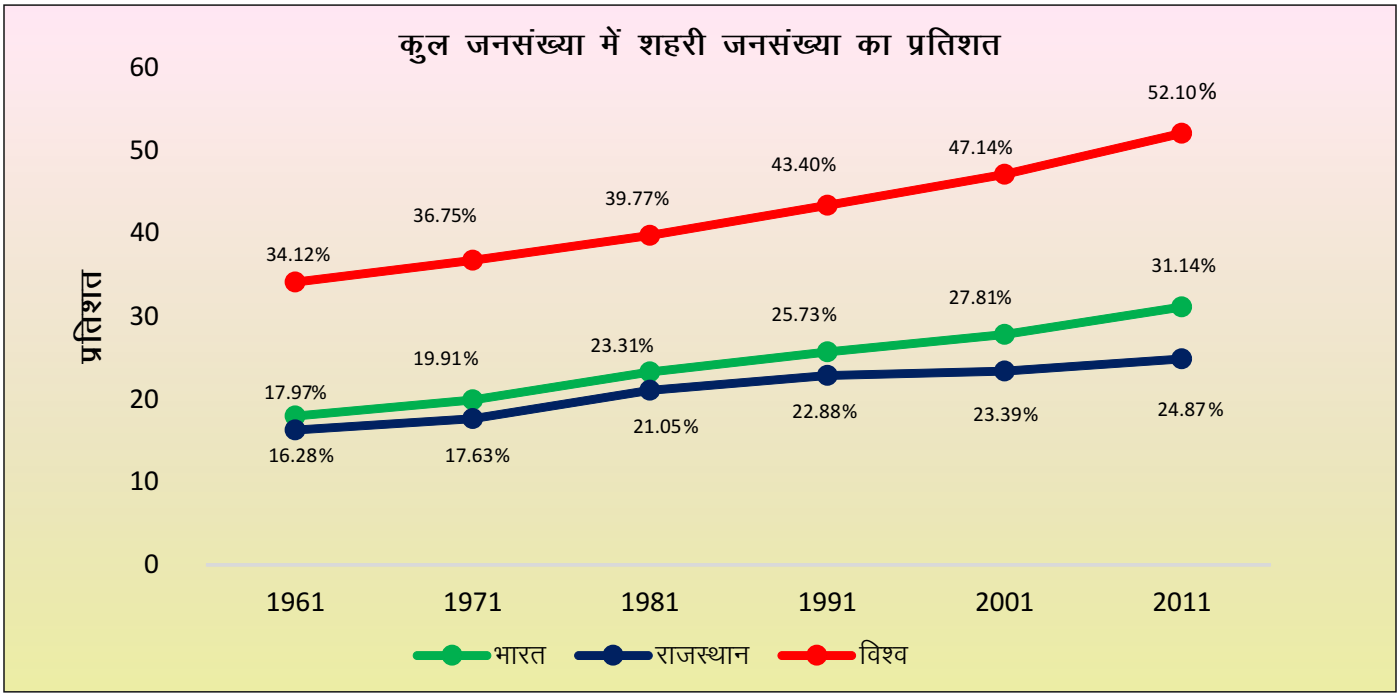

चित्र 7.2

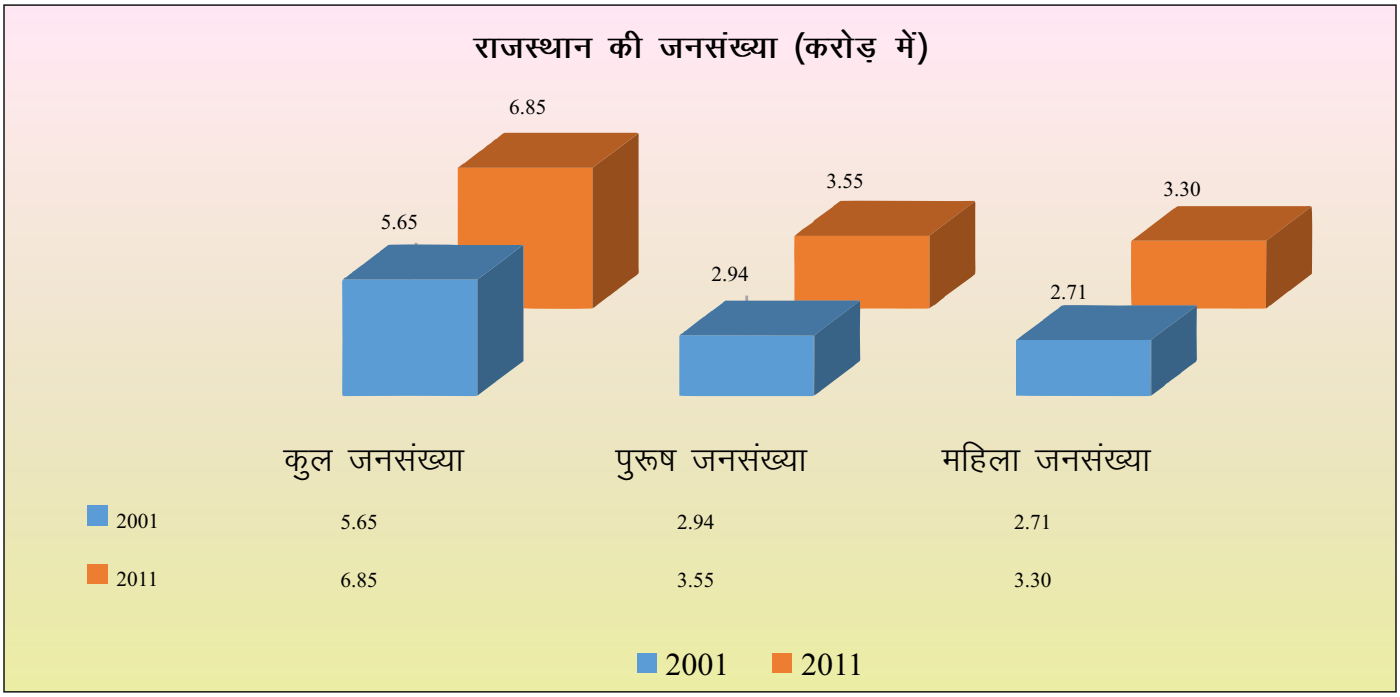

चित्र 7.3

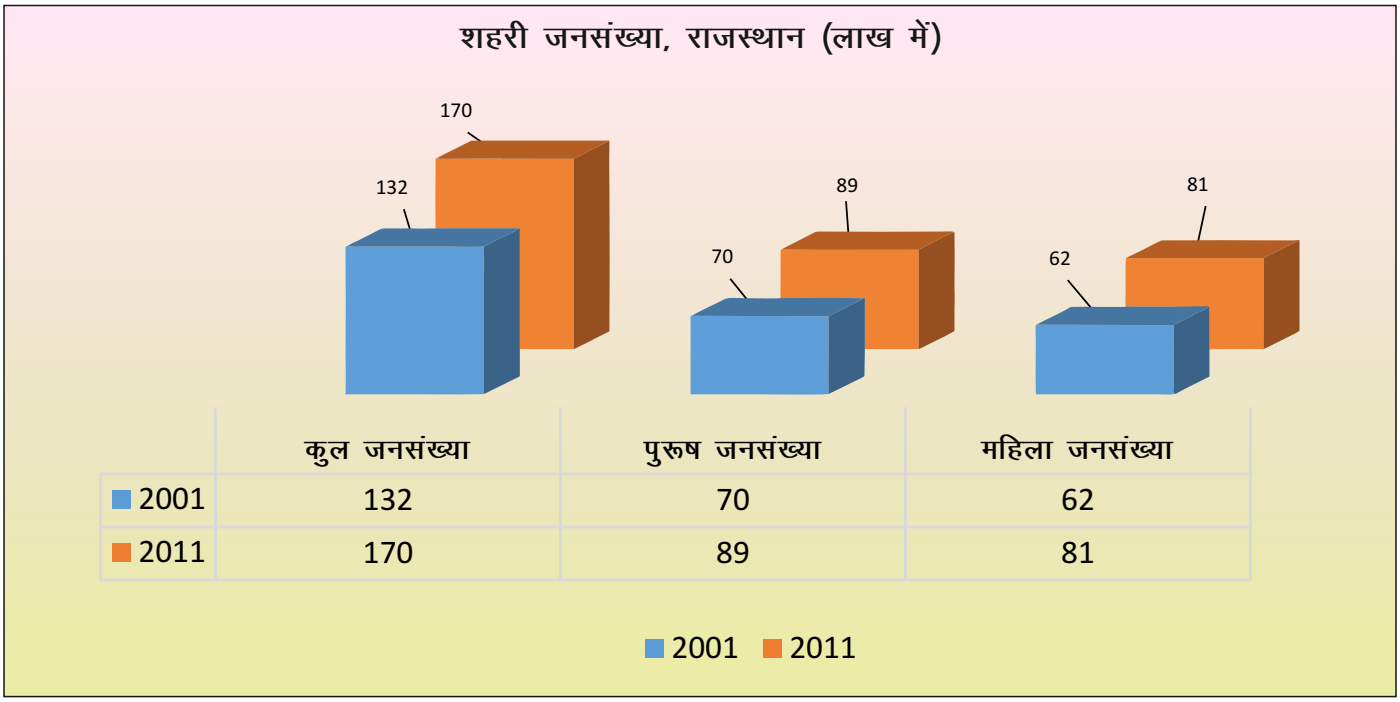

	कुल जनसंख्या	पुरूष जनसंख्या	महिला जनसंख्या
2001	132	70	62
2011	170	89	81

0–6 आयु वर्ग के बच्चों की जनसंख्या

राजस्थान में 0–6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की कुल जनसंख्या वर्ष 2001 और 2011 के बीच लगभग समान रही है, जैसा कि चित्र–7.4 में दर्शाया गया है। इसके बावजूद, राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में बच्चों की जनसंख्या का आकार वर्ष 2001 में 20.64 लाख से बढ़कर वर्ष 2011 में 22.35 लाख हो गया है, जो चित्र–7.5 में दर्शाया गया है। वर्ष 2011 में, बच्चों की कुल शहरी जनसंख्या में 53.37 प्रतिशत लड़के और 46.63 प्रतिशत लड़कियां थीं, जबकि वर्ष 2001 में 52.98 प्रतिशत लड़के और 47.02 प्रतिशत लड़कियां थी।

चित्र 7.4

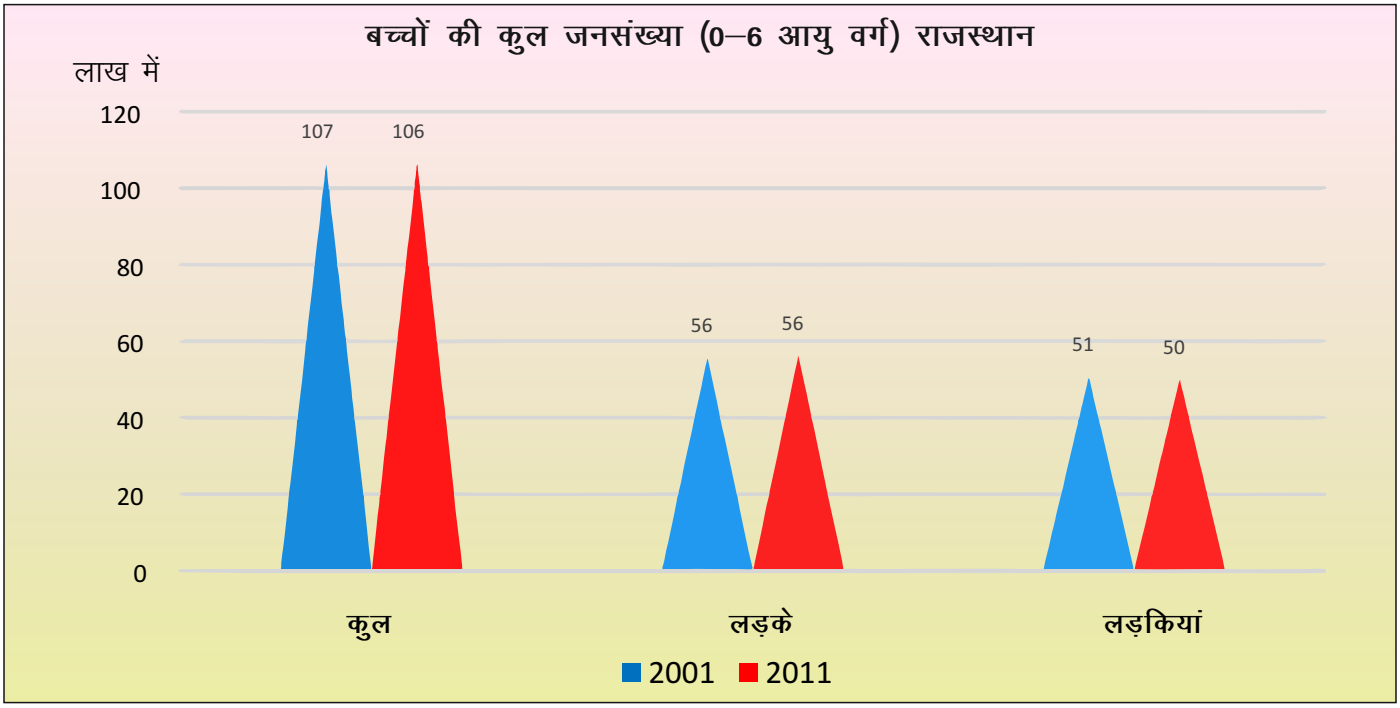

चित्र 7.5

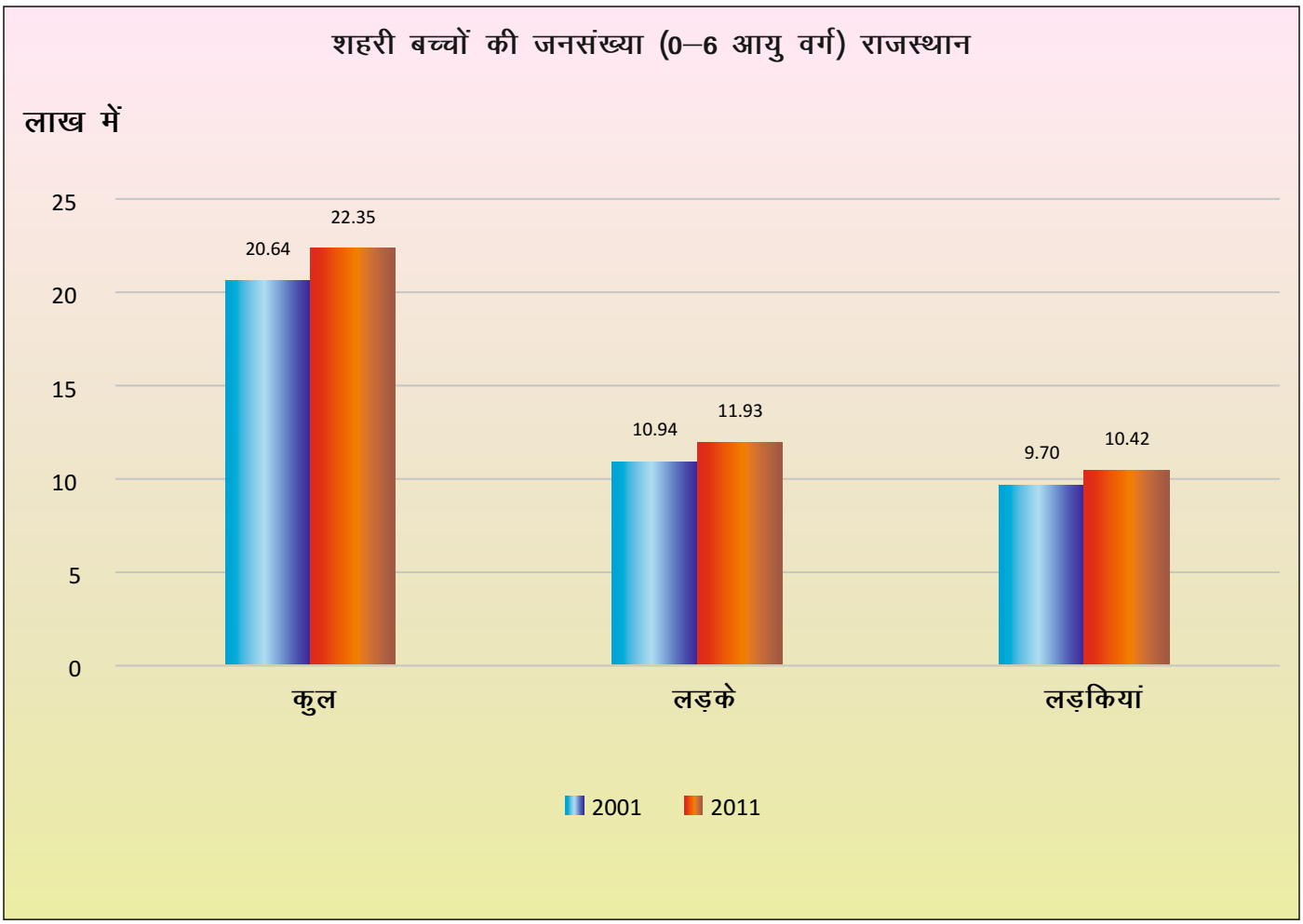

लिंगानुपात

वर्ष 2011 में राजस्थान के शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात प्रति हजार पुरुषों पर 914 महिलाओं का था, जबकि वर्ष 2001 में प्रति हजार पुरुषों पर 890 महिलायें थी, जिससे ज्ञात होता है कि शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात में प्रति हजार पुरुषों पर 24 महिलाओं की वृद्वि हुई है। हालाँकि ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र की तुलना में अधिक संतुलित लिंगानुपात रहा है। वर्ष 2011 में ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 933 महिलाओं का है, जो शहरी क्षेत्र की तुलना में थोड़ा अधिक है। वर्ष 2001 में ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात प्रति हजार पुरुषों पर 930 महिलाओं का था जो शहरी क्षेत्र की तुलना में काफी अधिक था। राजस्थान के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बाल लिंगानुपात (0–6 वर्ष) में इसी प्रकार की समान प्रवृति देखी जा सकती हैं। ग्रामीण राजस्थान ने शहरी राजस्थान की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन दोनों क्षेत्रों में ही वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में बाल लिंगानुपात में गिरावट देखी गई। वर्ष 2001 में, राजस्थान के शहरी क्षेत्र में बाल लिंगानुपात प्रति हजार लड़कों पर 887 लड़कियों का रहा, जबकि ग्रामीण राजस्थान में बाल लिंगानुपात वर्ष 2001 में प्रति 1,000 लड़कों पर 914 लड़कियों का था। वर्ष 2011 में, शहरी राजस्थान में बाल लिंगानुपात प्रति 1000 लड़कों पर 874 लड़कियों तक घट गया, जबकि ग्रामीण राजस्थान में यह घटकर प्रति 1,000 लड़कों पर 892 लड़कियों का हो गया।

साक्षरता दर

विगत वर्षों से, राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सभी स्तरों पर महत्वपूर्ण प्रयास किये गये हैं। जो इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि साक्षरता दर में वर्ष 1961 से 2011 तक लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2001 में राजस्थान में साक्षरता दर 60.40 प्रतिशत थी जो बढ़कर वर्ष 2011 में 66.11 प्रतिशत हो गई। क्षेत्र–वार प्रदर्शन के संदर्भ में, राजस्थान में शहरी क्षेत्र के लिए साक्षरता दर वर्ष 2011 में 79.70 प्रतिशत थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 61.40 प्रतिशत थी, जो चित्र–7.6 में दिखाया गया है।

चित्र 7.6

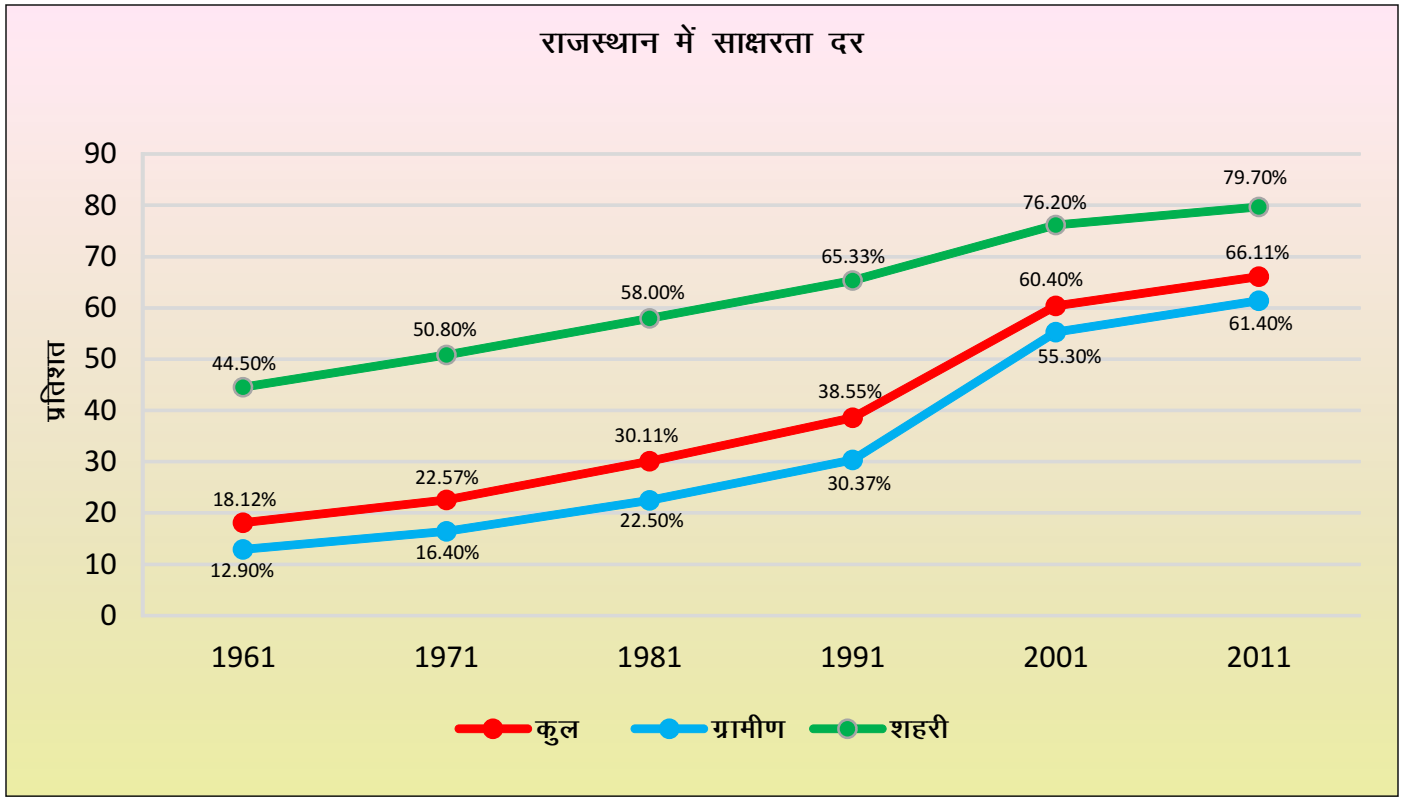

एक लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले नगर/नगरीय समूहः चित्र– 7.7 में जनगणना– 2011 के अनुसार एक लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले नगरों/नगरीय समूह को दिखाया गया है। जयपुर 30.46 लाख की आबादी के साथ जनसंख्या के संदर्भ में राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है और इसके बाद जोधपुर, कोटा और बीकानेर है। बांसवाड़ा सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला शहर है।

चित्र 7.7

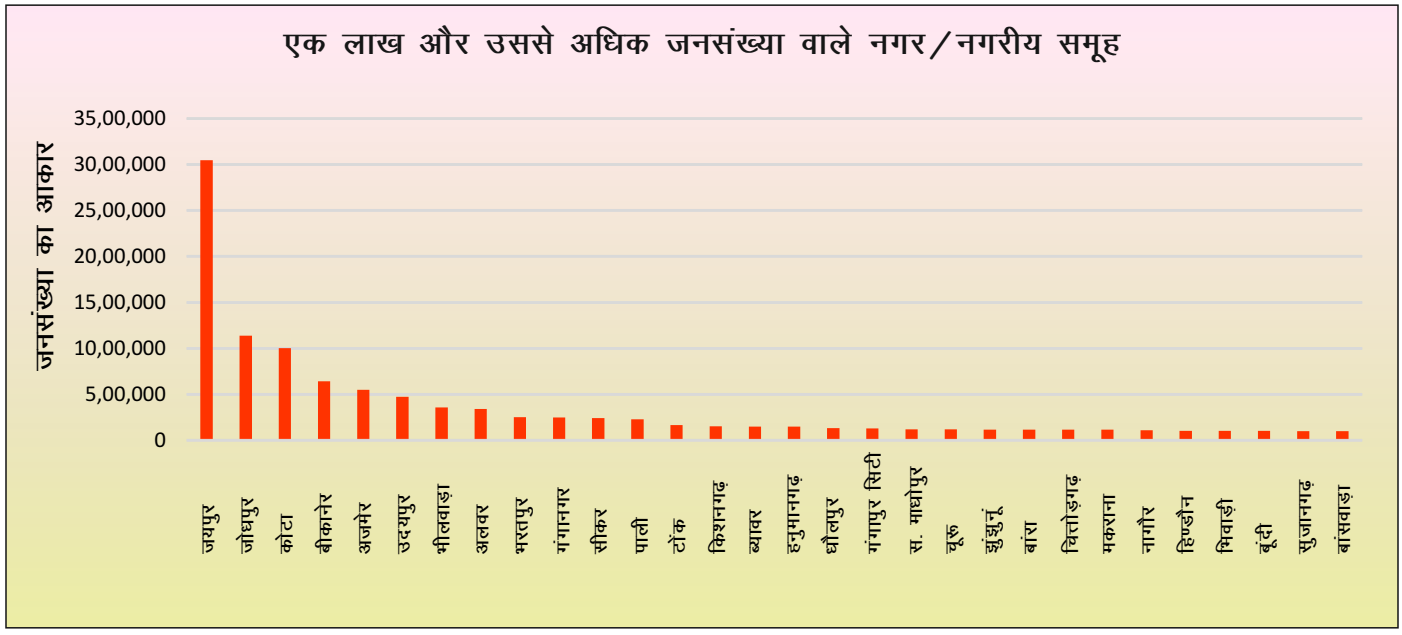

शहरीकरण में स्थानिक परिवर्तन

शहरी आबादी के संदर्भ में राजस्थान में सबसे अधिक शहरीकृत जिलों में कोटा (60.31 प्रतिशत), जयपुर (52.40 प्रतिशत), अजमेर (40.08 प्रतिशत), जोधपुर (34.30 प्रतिशत) और बीकानेर (33.86 प्रतिशत) सम्मिलित हैं, जबकि जालोर (8.30 प्रतिशत), प्रतापगढ़ (8.27 प्रतिशत), बांसवाड़ा (7.10 प्रतिशत), बाडमेर (6.98 प्रतिशत) और डूंगरपुर (6.39 प्रतिशत) सबसे कम शहरी जनसंख्या वाले जिले हैं। जनसंख्या के संदर्भ में शहरीकरण के स्तरों में स्थानिक परिवर्तन का संक्षिप्त विवरण चित्र– 7.8 में है।

चित्र 7.8

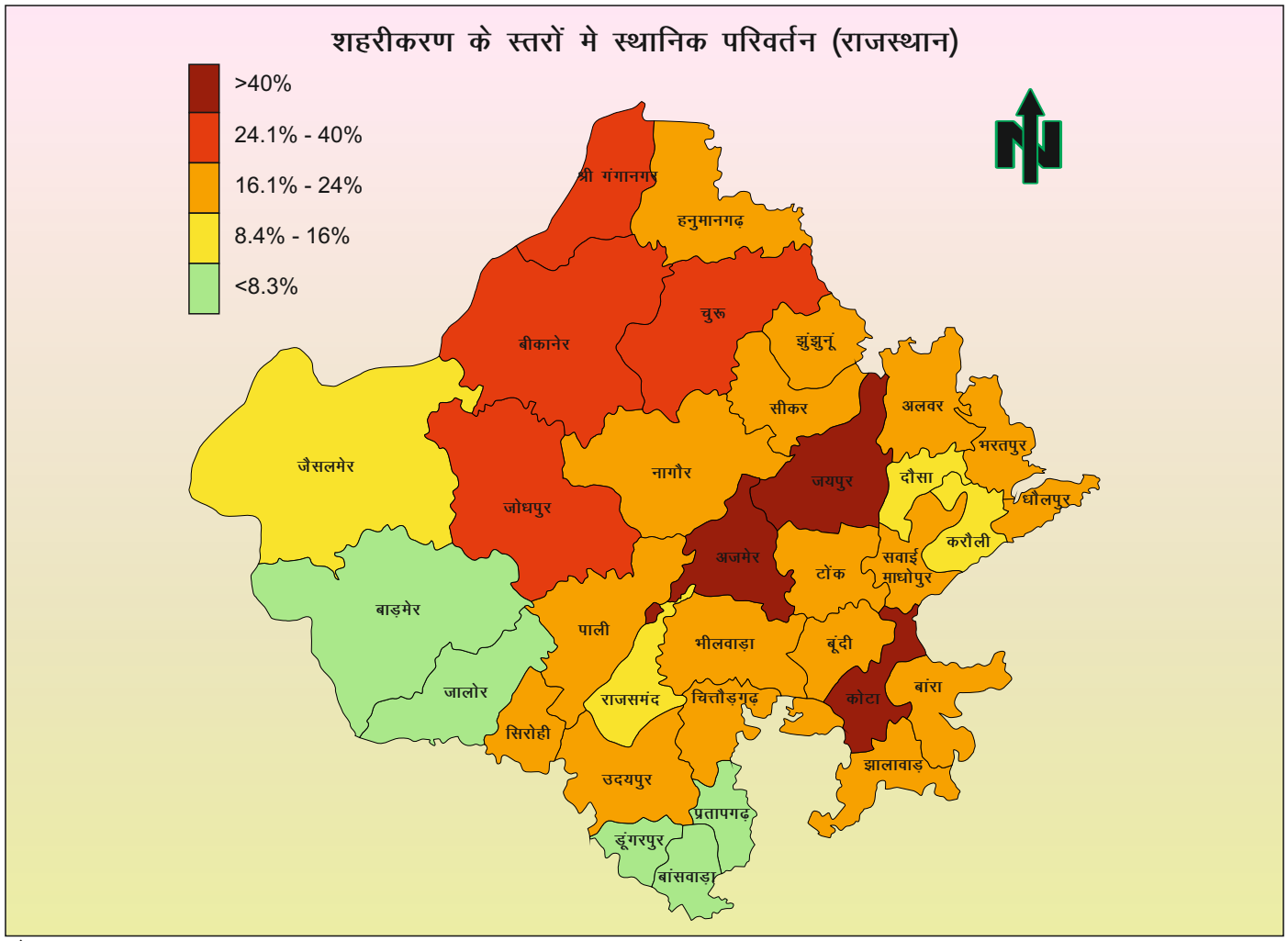

स्रोत : जनगणना 2011

राजस्थान में माइग्रेशन (ग्रामीण से शहरी)

जनगणना–2011 में उपलब्ध ऑकड़ों के अनुसार राजस्थान में पुरूष मुख्यतः रोजगार के अवसरो के लिए तथा महिलाएं मुख्यतः वैवाहिक कारणों से ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं। जनगणना–2011 दर्शाती है कि राष्ट्रीय स्तर पर 794 लाख व्यक्तियों ने और राजस्थान में 32 लाख व्यक्तियों ने ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन किया जो अखिल भारतीय स्तर के ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करने वाले व्यक्तियों का 4 प्रतिशत है। चित्र 7.9 में दर्शाया गया है कि राजस्थान में कुल पलायन करने वाले पुरूषों एवं महिलाओं में से क्रमशः 49.16 प्रतिशत पुरूष काम/रोजगार के बेहतर अवसरों की तलाश में तथा 59.11 प्रतिशत महिलाएं वैवाहिक कारणों से ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर कुल पलायन करने वाले पुरूषों एवं महिलाओं में से क्रमशः 45.06 प्रतिशत पुरूष काम/रोजगार के बेहतर अवसरों की तलाश में तथा 51.80 प्रतिशत महिलाएं वैवाहिक कारणों से ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि राजस्थान और राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तियों का ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन का समान कारण रहा है।

चित्र 7.9

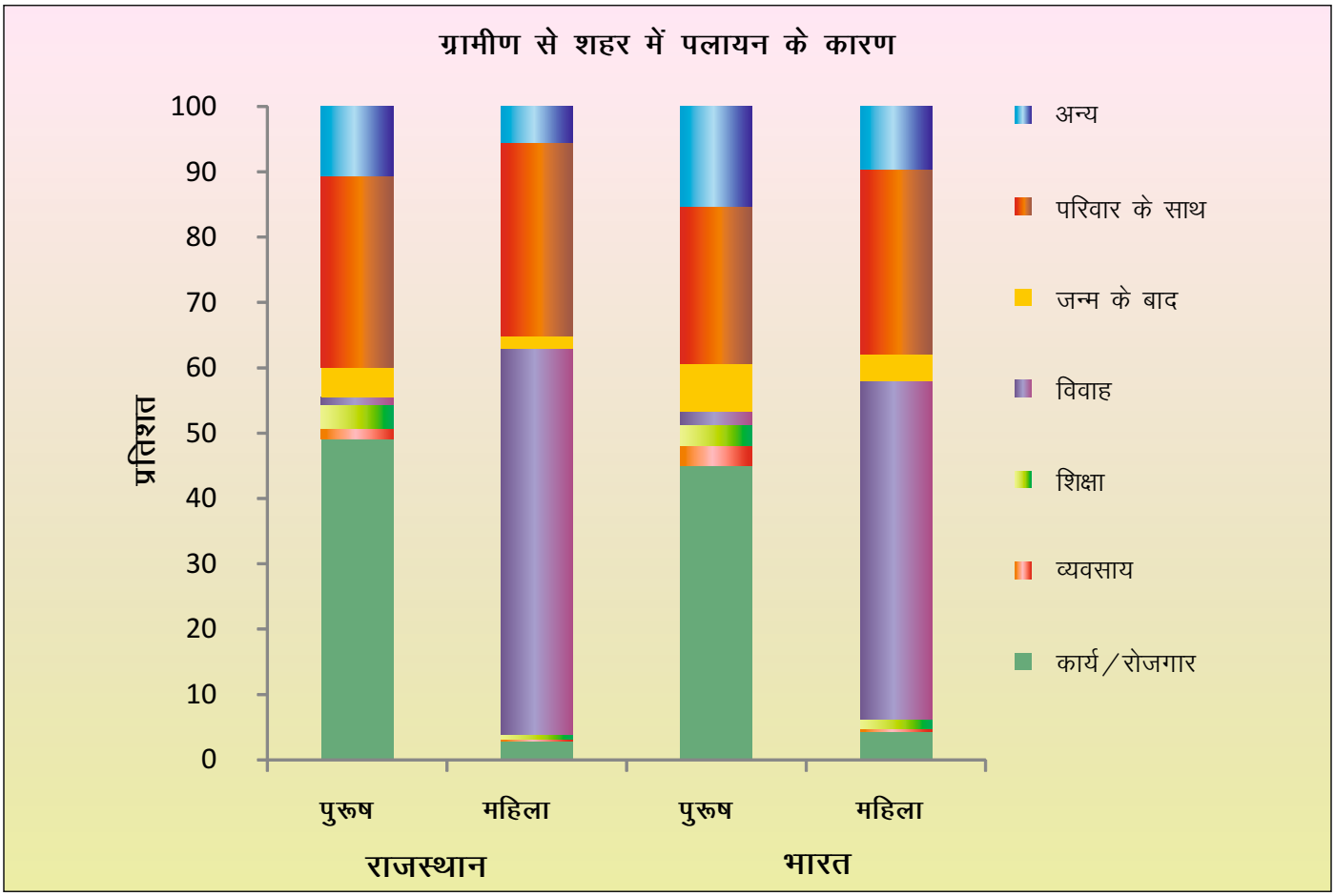

स्त्रोतः जनगणना, 2011

राजस्थान में शहरी आवासों की स्थिति

राजस्थान में 69 प्रतिशत शहरी घर अच्छी स्थिति में है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 68 प्रतिशत घर अच्छी स्थिति में है। भारत की जनगणना, घरों को उनकी स्थिति के आधार पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करती है: अच्छी, रहने–योग्य और जीर्ण–शीर्ण। चित्र 7.10 दर्शाता है कि राजस्थान में आधे से अधिक शहरी घरों को 'अच्छी' स्थिति में वर्गीकृत किया गया है, जबकि 29 प्रतिशत को 'रहने–योग्य' घरों में वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा 2 प्रतिशत शहरी परिवार उचित भौतिक बुनियादी ढांचे के बिना जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं, इसलिए इन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

चित्र 7.10

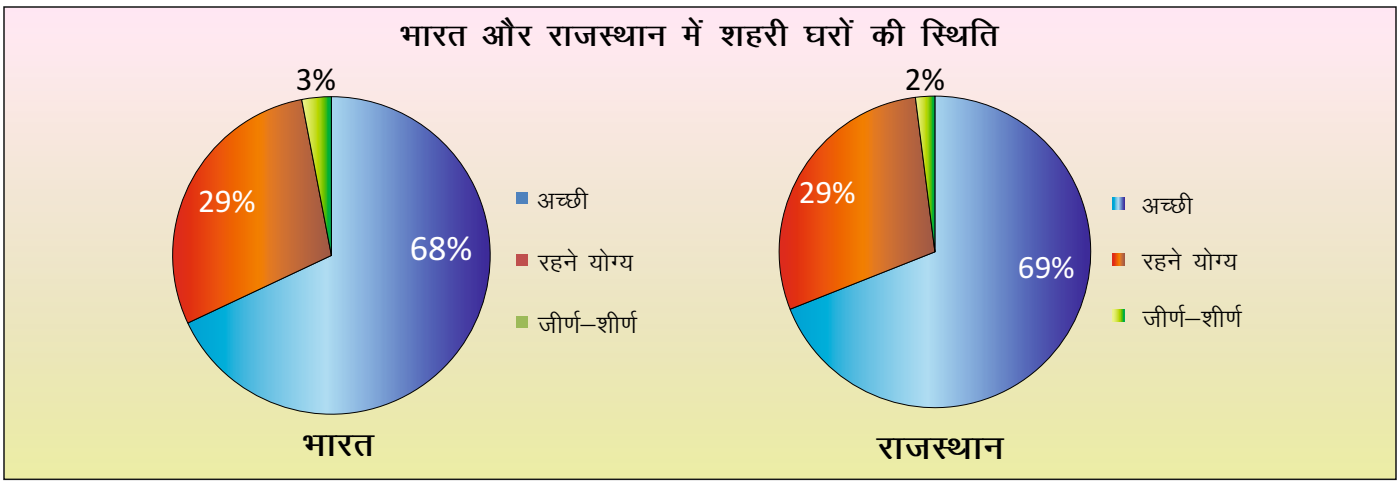

स्त्रोतः जनगणना, 2011

राजस्थान में शहरी विकास

राज्य सरकार द्वारा व्यवस्थित और समन्वित तरीके से शहरी आबादी की आधारभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए राज्य में विकास प्राधिकरणों, शहरी न्यासों, राजस्थान आवासन मण्डल, नगर नियोजन कार्यालय, जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन आदि का गठन किया गया। राज्य में तीन विकास प्राधिकरण (जयपुर, अजमेर और जोधपुर), 14 शहरी न्यास (अलवर, आबू, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, पाली, कोटा, उदयपुर, श्रीगंगानगर, सीकर और सवाई माधोपुर), राजस्थान आवासन मण्डल एवं जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नागरिकों की सुविधाओं के विकास हेतु कार्यरत है।

जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन

फेज–1ए (मानसरोवर से चाँदपोल): जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के फेज–1ए का कार्य पूर्ण हो चुका है और व्यवसायिक संचालन 3 जून, 2015 से प्रारम्भ हुआ है।

फेज–1बी (चांदपोल से बड़ी चौपड): जयपुर मेट्रो रेल परियोजना फेज–1बी चांदपोल से बड़ी चौपड़ 2.01 किलोमीटर का कार्य जयपुर की विरासत को संरक्षित रखते हुये पूर्ण किया गया। यह परियोजना छोटी चौपड़ व बड़ी चौपड़ में दो स्टेशनों के साथ पूर्णतः भूमिगत है। टनल बोरिंग मशीन की सहायता से चांदपोल से बडी चौपड़ के बीच दो सुरंगों का निर्माण किया गया है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत ₹1,126 करोड़ रूपये है, जिसमें से एशियाई विकास बैंक से ₹969 करोड़ का कर्ज और शेष राशि राजस्थान सरकार से ली गई है। सी.एम.आर.एस (कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी, मुंबई) द्वारा 16 मार्च से 18 मार्च, 2020 तक सफल निरीक्षण के उपरान्त, 21 मार्च, 2020 को सी.एम.आर. एस ने संरेखण का वाणिज्यिक संचालन शुरू करने के लिए प्राधिकार पत्र जारी किया।

कोविड़–19 के कारण चरण–1 बी का संचालन शुरू नहीं किया जा सका, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अनुमोदन और सहमति के बाद 23 सितंबर, 2020 को इस खंड का उद्घाटन किया गया। चरण–1 यानी फेज–1ए एवं फेज–1बी को नियमित रूप से 23 सितंबर, 2020 से संचालित किया जा रहा है।

फेज–2 (सीतापुरा से अम्बाबाड़ी): जयपुर मेट्रो फेज–2 सीतापुरा से अंबाबाड़ी के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट 23.5 किलोमीटर प्रस्तावित एलाइनमेंट के साथ तैयार की जा चुकी है। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत ₹4,600 करोड़ है।

फेज–1सी (बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर): माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जयपुर मेट्रो फेज 1–बी, बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर के विस्तार की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के निर्देश दिये गये। इस हेतु दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा डीपीआर तैयार करवाई जा चुकी है। इस परियोजना (बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर) की कुल लम्बाई 2.85 किलोमीटर है एवं अनुमानित लागत ₹870 करोड़ है।

जयपुर विकास प्राधिकरण: जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए), जयपुर क्षेत्र के अवसंरचनात्मक विकास के लिए उत्तरदायी है। यह रिंग रोड, फ्लाईओवर, पुल, पार्किंग स्थल, पार्क, सामुदायिक केंद्र आदि के निर्माण कार्य कराता है। यह वाणिज्यिक परियोजनाओं और आवासीय योजनाओं के विकास के लिए भी उत्तरदायी है। यह आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा कर उनके विकास में मदद करता है। जेडीए के अन्य कार्यों में कच्ची बस्तियों का विकास और पुनर्वास, पर्यावरण विकास आदि शामिल हैं। वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) के दौरान जेडीए द्वारा 191.29 किलोमीटर सड़कें, 4.10 किलोमीटर नालियां, 21.06 किलोमीटर सीवरेज और 72.97 किलोमीटर इलेक्ट्रिक लाइन का निर्माण कराया गया है।

वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) के दौरान, जयपुर विकास प्राधिकरण की कुल प्राप्तियां ₹685.06 करोड़ थीं, जिसमें ₹49 करोड राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड से प्राप्त ऋण शामिल है। वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020) के दौरान ₹725.18 करोड़ का व्यय किया गया है जिसमें से ₹302.77 करोड़ पूंजीगत व्यय था।

वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में बढते हुए यातायात के दबाव को मध्यनजर कई एलीवेटेड रोड तथा आर.ओ.बी के निर्माण कर रहा है। जिसमें मुख्यतः हवा सड़क एलीवेटेड रोड, सीतापुरा आर.ओ.बी, दांतली आर.ओ.बी (एल. सी.–211), जाहोता आर.ओ.बी, झोटवाडा आर.ओ.बी. का विस्तार और बस्सी आर.ओ.बी हैं। इनके अतिरिक्त रिंग रोड परियोजना, रामनिवास बाग भूमिगत पार्किंग फेज–2, पृथ्वीराज नगर क्षेत्र में सीवरेज लाईन आदि के कार्य भी प्रगतिरत् है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण: वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) में जोधपुर विकास प्राधिकरण की कुल प्राप्तियां ₹119.56 करोड़ है। जोधपुर विकास प्राधिकरण ने वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) के दौरान सड़क फ्लाईओवर, पुल, विद्युतीकरण, सीवरेज कार्य, सड़कों के निर्माण, रखरखाव, पार्कों के विकास और अन्य नए निर्माण और रखरखाव कार्यों पर ₹57.40 करोड़ का व्यय किया है।

अजमेर विकास प्राधिकरण: वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) के दौरान अजमेर विकास प्राधिकरण ने ₹33.66 करोड़ प्राप्त किये और ₹34.68 करोड़ व्यय किये। प्राधिकरण की आय बढ़ाने के लिए, 6 नई आवासीय/वाणिज्यिक/संस्थागत भूखंडों की योजनाएं रेरा में पंजीकृत कराई गयी।

रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी, राजस्थान (रेरा)

रियल एस्टेट (रेग्युलेशन एण्ड डवलपमेंट) एक्ट 2016, भारत सरकार द्वारा 1 मई, 2016 से आंशिक रूप से लागू किया था तथा इस अधिनियम के सभी प्रावधान 01 मई, 2017 से प्रभावी हो गये। 01 मई, 2017 को राजस्थान सरकार द्वारा इस अधिनियम को राजस्थान रियल एस्टेट (रेग्युलेशन एण्ड डवलपमेंट) नियम, 2017 के नाम से अधिसूचित किया गया। इस अधिनियम और इन नियमों के अन्तर्गत आवंटियों, प्रमोटरों और रियल एस्टेट एजेन्टों के हितों की रक्षा करते हुए एक स्वस्थ, पारदर्शी, कुशल और प्रतिस्पर्द्धी रियल एस्टेट सेक्टर के विकास और संवर्धन हेतु राजस्थान सरकार द्वारा 6 मार्च, 2019 को राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) एवं रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन किया हैं। संगठन का एक वेब पोर्टल rera.rajasthan.gov.in है। इस वेब पोर्टल के माध्यम से परियोजनाओं/एजेंटों और शिकायतों के लिए सभी आवेदन ऑन–लाइन किये जाते है। इस प्राधिकरण के अर्न्तगत 31 दिसम्बर, 2020 तक की संचयी प्रगति निम्नानुसार है।

- कुल 1,377 रियल एस्टेट प्रोजेक्टस का पंजीकरण रेरा के अन्तर्गत किया जा चुका है।
- कुल 1,817 रियल एस्टेट एजेन्टों का पंजीकरण रेरा के अन्तर्गत किया जा चुका है।
- कुल 1,816 शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से 572 का निस्तारण किया जा चुका है तथा शेष शिकायतों में सुनवाई की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

राजस्थान आवासन मण्डल (आर.एच.बी.)

राज्य में आवास की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए राजस्थान आवासन मण्डल की स्थापना 24 फरवरी, 1970 को एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में की गई। राजस्थान आवासन मण्डल की गतिविधियां, मुख्यतः समाज के विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को वहन करने योग्य लागत पर आवास उपलब्ध कराने पर केन्द्रित हैं।

राजस्थान आवासन मण्डल ने अपनी आवासीय गतिविधियां केवल राज्य के 7 शहरों से प्रारम्भ करते हुए 50 वर्षों के दौरान 65 शहरों तक विस्तृत की है। दिसम्बर, 2020 तक राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा 2,51,431 आवासीय इकाइयां बनाने का कार्य प्रारम्भ किया गया, जिसमें से 2,49,943 इकाइयों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है, 2,46,221 आवासीय इकाइयां आवंटित की गई हैं तथा 2,32,207 इकाइयों का कब्जा आवेदनकर्ताओं को उपलब्ध करवा दिया गया है। उपरोक्त आवासों में 60 प्रतिशत से अधिक आवास आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के लिए निर्मित किए गए हैं। राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा वर्ष 2020–21 मे दिसम्बर तक की गई गतिविधियां तालिका– 7.1 में दी गई हैं –

तालिका–7.1 राजस्थान आवासन मण्डल की गतिविधियां 2020–21 में

क्र.सं.	कार्य	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धियां*
1.	आवासों का निर्माण प्रारम्भ करना	संख्या	लक्ष्य निर्धारित नहीं	992
2.	आवास पूर्ण करना	संख्या	1734	1331
3.	आवासों का आवंटन	संख्या	4965	747
4.	आवासों का कब्जा	संख्या	19915	3510
5.	निर्माण कार्यों पर व्यय	₹करोड़ में	629.50	125.75
6.	प्राप्तियां	₹करोड़ में	786.29	624.07

*दिसम्बर, 2020 तक

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किये जा रहे कुछ नवाचार निम्न लिखित हैः–

- **ई–बिड सबमिशन द्वारा बुधवार नीलामी उत्सव :** लॉकडाउन पश्चात, 10 जून, 2020 से राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा ई–बिड सबमिशन के माध्यम से बुधवार नीलामी उत्सव के अन्तर्गत 50 प्रतिशत तक की छूट के साथ, आमजन के लिए बिना सम्पर्क में आए, 156 मासिक किश्तों में आवास क्रय करने की योजना ''10 प्रतिशत दीजिए गृह प्रवेश कीजिए'' प्रारम्भ की गई। आर.एच.बी. द्वारा दिसम्बर, 2020 तक नीलामी के माध्यम से कुल 3,267 सम्पत्तियों का निस्तारण किया गया, जिससें ₹490.01 करोड़ प्राप्त हुये।

- **अपनी दुकान अपना व्यवसायः** आर.एच.बी द्वारा 7 अक्टूबर, 2020 से ''अपनी दुकान अपना व्यवसाय'' नाम से एक नई योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के तहत आवासन मण्डल द्वारा ई–बिड सबमिशन के माध्यम से 27 वर्ग मीटर क्षेत्र तक के कुल 620 भूखण्डों/निर्मित दुकानों का निस्तारण किया गया, जिसका मूल्य ₹67.83 करोड है। साथ ही ई–नीलामी के माध्यम से 27 वर्ग मीटर से अधिक के क्षेत्र के कुल 95 व्यावसायिक भूखण्डों/दुकानों का निस्तारण किया गया जिनका मूल्य ₹45.52 करोड है। इस योजना के अन्तर्गत निर्मित दुकानों को 25 प्रतिशत छूट के साथ बेचा जा रहा है।

- **प्रीमियम सम्पत्तिः** आर.एच.बी द्वारा ई–नीलामी (खुली नीलामी) के माध्यम से सभी डिस्पोजेबल आवासीय/व्यावसायिक सम्पतियों को चिन्हित कर, प्रीमियम संपतियों के रूप में बिना किसी छूट के पृथक से बेचा जा रहा है। 250 प्रीमियम सम्पत्तियों की बिक्री से ₹150 करोड एवं साथ ही बड़े भूखण्डों की बिक्री से ₹255 करोड़ की प्राप्ति अर्जित की गई है।

- **महात्मा गांधी दस्तकार नगर योजनाः** राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा दस्तकार नगर योजना में ₹81.03 करोड़ का व्यय किया जाकर 750 आवासीय मय कार्यशाला इकाइयों का निर्माण कराया गया। योजना के प्रति आम जनता में रुचि बनाने एवं प्रोत्साहित करने के लिए, मसाला चौक, ओपन एयर थिएटर, फूड कोर्ट, सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रदर्शनी हॉल आदि की तर्ज पर एक नई चौपाटी शुरू की गई है। 1 सितंबर, 2020 से 597 इकाइयों के लिए पंजीकरण योजना नए अवतार के रूप में अर्थात् ''वीकेंड़ होम'' ₹14.99 लाख की लागत के साथ प्रारम्भ की गई। इसके अन्तर्गत 15 अक्टूबर, 2020 तक 166 पंजीकरण प्राप्त हुए हैं और 7 दिसंबर, 2020 को लॉटरी द्वारा 156 इकाइयां आवंटित की गई हैं।

- **मुख्यमंत्री शिक्षक आवास योजना एवं मुख्यमंत्री प्रहरी आवास योजनाः** राज्य के सरकारी शिक्षकों और पुलिस कर्मचारियों को सुविधाजनक आवास प्रदान करने के लिए, आर.एच.बी. द्वारा दो योजनाएं शुरू की गईं। इस योजना के तहत, 20,925 वर्ग मीटर के भूखंड पर सेक्टर 26 प्रताप नगर में ₹55.56 करोड़ की लागत से छः टावरों में 576 मल्टी स्टोरी फ्लैटों (बी+एस+12) का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। इस योजना में ₹18 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। 7 अगस्त, 2020 को 45 प्रहरियों और 501 शिक्षकों को लॉटरी द्वारा 546 फ्लैटों का आवंटन किया गया है।

- **महात्मा गांधी सम्बल आवासीय योजनाः** जोधपुर में ग्राम बड़ली में एक नवीन आवासीय योजना ''महात्मा गांधी सम्बल आवासीय योजना बड़ली'' का सृजन किया गया है। इस योजना में 832.78 बीघा भूमि का आवंटन जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ₹71.50 करोड़ पर किया गया है। योजना के प्रथम चरण में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 335 एवं अल्प आय वर्ग के 153 आवासों के लिए पंजीकरण किया गया। कुल 488 स्वतंत्र आवासों को स्वर्ण जयंती वर्ष 2020 में 24 फरवरी, 2020 से 31 मार्च, 2020 (30 जून, 2020 तक विस्तारित) की अवधि में प्रारम्भ किया गया, जिसमें 3,700 से अधिक आवेदन प्राप्त हुये। प्रथम चरण का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। महात्मा गांधी सम्बल आवासीय योजना बड़ली का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 22 अगस्त, 2020 को किया गया। योजना में जनता के अपार उत्साह के मद्देनजर द्वितीय चरण में 152 मध्यम आय वर्ग–अ के स्वतंत्र आवासों हेतु पंजीकरण योजना 01 सितम्बर, 2020 से प्रारम्भ की गयी, जिसमें 668 आवेदन प्राप्त हुए एवं लॉटरी के माध्यम से 152 आवेदकों को आवास आवंटन कर दिया गया है।

- **''एआईएस रेजीडेन्सी'' आवासीय योजनाः** 2 अक्टूबर, 2020 को स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत सैक्टर–17 प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर स्थित समूह आवासीय योजना हेतु आरक्षित भूखण्ड पर ''एआईएस रेजीडेन्सी'' के तहत उच्च आय वर्ग के बहुमंजिले 192 फ्लैट्स (बी1+बी2+12)

नियोजित कर पंजीकरण प्रारम्भ किये है। योजना में अधिकाधिक राजकीय अधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय अधिकारियों को भी पंजीकरण हेतु पात्रता प्रदान की गई है।

- **विधायकों हेतु आवासः** विधायक नगर (पश्चिम) में विधायकों के लिए बनाए गए 54 फ्लैट पुराने हैं और इसलिए उन्हें ध्वस्त कर उनके स्थान पर विधायकों को बहु मंजिला सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। राजस्थान आवासन मण्डल को जयपुर विकास प्राधिकरण के स्थान पर ''नोडल एजेंसी'' के रूप में नियुक्त किया है। इस योजना के अनुसार, प्रत्येक फ्लैट के 3,200 स्क्वायर फीट के प्रस्तावित बिल्ट अप एरिया के साथ 160 बहुमंजिला इकाइयां (जी+8) की योजना बनाई गई है और ₹250 करोड़ की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति राज्य सरकार के स्तर से जारी की गई।
- **प्रताप नगर, जयपुर में कोचिंग हब का विकासः** राजस्थान आवासन मण्डल प्रताप नगर, सांगानेर योजना में पन्नाधाय सर्कल के पास एक बड़ा कोचिंग सेन्टर विकसित कर रहा है।
- **मानसरोवर, जयपुर में ''सिटी पार्क'' का विकासः** राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा, जयपुर शहर के दक्षिणी भाग को विकसित करने के लिए, जयपुर में सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी ''सिटी पार्क'' परियोजना मानसरोवर में शुरू की गई है। पार्क में 3.50 किलोमीटर लंबी 20 फीट चौड़ी जॉगिंग–वॉकिंग ट्रैक, 1.50 किलोमीटर लम्बा वाटर कैनाल, 21,000 पेड़, 40,000 झाड़ियां, जिम, रेस्तरां, तथा अन्य सुविधाएँ प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त मुक्तकाशी थियेटर तथा लाईट एण्ड साउंड मेलोडी फाउन्टेन लेजर शो के साथ बनाया जा रहा है।
- **जयपुर चौपाटीः** राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर में प्रतापनगर, मानसरोवर एवं दस्तकार नगर नायला योजनाओं में रामनिवास बाग के ''मसाला चौक'' की तर्ज पर ''जयपुर चौपाटी'' विकसित कर रहा है। इसके अतिरिक्त जोधपुर तथा कोटा में भी चौपाटी विकसित की जा रही है।
- **गुणवत्ता नियंत्रण हेतु ''सजग'' मोबाईल ऐप का विकास :** आवासन मण्डल द्वारा बनाये जा रहे आवासों के निर्माण की गुणवत्ता एवं सम्पूर्ण कार्य की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने हेतु 22 अगस्त, 2020 को एक मोबाईल ऐप ''सजग'' विकसित की गई है। इस ऐप के माध्यम से प्रगति, गुणवत्ता, निरीक्षण, निर्देश, तृतीय पक्ष निरीक्षण रिपोर्ट और अनुवर्ती आदि से संबंधित सभी गतिविधियों को एक स्थान पर देखा और मॉनिटर किया जा सकता है।
- **''आरएचबी ग्रीन'' मोबाईल ऐप एवं वेबसाईट का विकास :** सिटी पार्क, मानसरोवर में वृक्षारोपण में जनभागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 16 अगस्त से 30 अगस्त 2020 के मध्य वृक्षारोपण उत्सव मनाया गया। इस हेतु एक मोबाईल ऐप आर.एच.बी ग्रीन ऐप एवं इसी नाम से एक वेबसाईट विकसित की गई। 6 सितम्बर, 2020 को रोटरी क्लब के सहयोग से जापानी ''मियावाकी'' तकनीक से सिटी पार्क में 5,100 पौधे लगाये गये।

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द्वारा कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न संकट को दूर करने एवं प्रबंधन के लिए गए निर्णय/नवाचारः–

जयपुर की नायला योजना की 700 इकाइयों, महला की 1,492 इकाइयों तथा जोधपुर शहर की कुड़ी भगतासनी एवं विवेक विहार योजना की 1,348 आवासीय इकाइयों को ''कोविड–19 क्वारंटाईन सेन्टर'' हेतु विकसित किया गया। इस हेतु आवासन मण्डल द्वारा ₹482.41 लाख का व्यय किया गया।

इस अवधि में, नीलामी की राशि के भुगतान की अवधि को एक वर्ष तक बढाया गया है। अब ई–नीलामी (ओपन ऑक्शन) में शुरू में न्यूनतम बोली मूल्य में अमानत राशि के रूप में संपत्ति के 2 प्रतिशत की आवश्यकता होती है। अमानत राशि को समायोजित करके संपत्ति मूल्य का 15 प्रतिशत 3 दिन में जमा किया जाना है। शेष राशि का 35 प्रतिशत 240 दिवस में तथा 50 प्रतिशत 365 दिवसों में आवटंन पत्र के बाद दो किश्तों में जमा करानी होगी। सम्पूर्ण नीलामी राशि मांग पत्र जारी होने के 15 दिवस में जमा कराने पर सफल बोलीदाता को 2 प्रतिशत की छूट देय होगी।

आवासन मण्डल के समस्त कार्यालयों के मुख्य द्वार पर 'नो मास्क–नो एंट्री' का स्वागत द्वार बनाया गया। 03 अक्टूबर, 2020 को, सम्पूर्ण राजस्थान में एक मुफ्त मास्क वितरण रथ वैन को रवाना किया गया और पूरे राजस्थान में 1 लाख से अधिक फेस मास्क निःशुल्क वितरित किए गए।

आवासन मण्डल द्वारा 10 जून, 2020 से 08 जुलाई, 2020 तक, 12 दिनों में ''बुधवार नीलामी उत्सव'' के अन्तर्गत 1,213 सम्पत्तियों को बेचा है, जिसकी सराहना वर्ल्ड बुक ऑफ

रिकॉर्ड्स, लंदन यूके द्वारा की गई है और आवासन आयुक्त को ''गोल्ड एडिशन 2020'' की श्रेणी में प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।

नगर नियोजन विभाग

विभाग का मुख्य कार्य शहरों/कस्बों के मास्टर प्लान, सेक्टर प्लान एवं अन्य नगरीय योजनाएं बनाकर नगरों के भौतिक विकास को दिशा प्रदान करना तथा विभिन्न राजकीय विभागों, स्थानीय निकायों एवं अन्य राजकीय संस्थाओं को तकनीकी सलाह देना है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की क्षेत्रीय योजना और नीतियों के कार्यान्वयन के लिए भी सहायता करता है।

मास्टर प्लान

मास्टर प्लान किसी भी शहर के लिए लगभग 20 वर्षों के लिए कानूनी संरचनाओ के अन्तर्गत विकास का दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। राज्य के कुल 210 नगर पालिका शहरों/कस्बों में से 184 नगर पालिका शहरों/कस्बों के मास्टर प्लान तैयार किए जाकर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किए जा चुके हैं, जिसमें जयपुर विकास प्राधिकरण (जे.डी.ए) द्वारा तैयार तीन 3 नगरपालिका शहरों यथा–बस्सी, चौमूं और बगरू के मास्टर प्लान शामिल हैं। किशनगढ़ बास टाउनशिप का मास्टर प्लान तैयार कर अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को भिजवाया जा चुका है। हिण्डौन एवं मांडलगढ के द्वितीय मास्टर प्लान भी राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये जा चुके है।

उपरोक्त के अतिरिक्त श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ के मास्टर प्लान तैयार किये जा रहे है। गंगापुर सिटी, सरदारशहर, डूंगरपुर और सुजानगढ़ के द्वितीय मास्टर प्लान का कार्य प्रकियाधीन है और इटावा, खाटूश्यामजी, डेगाना और गढ़ी–परतापुर नए शहर बनाये गये। राज्य सरकार द्वारा इन शहरों के मास्टर प्लान का विस्तार जून 2021 तक बढ़ाये जाने की अधिसूचना जारी की गई और इन शहरों के नए ड्राफ्ट मास्टर प्लान प्रकाशित किए। वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020) के दौरान विभिन्न मदों की प्रावधित राशि ₹371.14 लाख के विरुद्ध ₹197.90 लाख व्यय किए गए हैं।

अब शहरों/कस्बों के मास्टर प्लान केन्द्र सरकार द्वारा जारी अटल मिशन रिजुवेनेशन एवं अरबन ट्रांसफोरमेशन (अमृत) दिशा–निर्देशों के अनुरूप तैयार कर अनुमोदित किए जाने हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.)

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राजस्थान उप क्षेत्र में अलवर एवं भरतपुर जिले सम्मिलित है और दोनों जिलों के लिए परिप्रेक्ष्य वर्ष 2021 के लिए उप–क्षेत्रीय योजनाएँ तैयार की गई हैं और सरकार द्वारा अनुमोदित कर दी गई हैं।
- **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड से वित्तीय सहायता के तहत राजस्थान के एनसीआर उप–क्षेत्र में परियोजनाएं (एन.सी.आर.पी.बी.):** राजस्थान उप–क्षेत्र की एन.सी.आर. सेल, एन.सी.आर.पी.बी. द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं, यथा–जल आपूर्ति उन्नयन योजनाओं/ परियोजनाओं को पांच शहरों (अलवर, भिवाड़ी, बहरोड़, राजगढ़ और तिजारा), जिला अलवर में सड़कों का चौड़ीकरण और उन्नयन, जिला अलवर और भरतपुर आदि में नई ट्रांसमिशन परियोजनाएं (सब–स्टेशन) आदि की नियमित मॉनिटरिंग/समन्वय करती है। उपरोक्त के अतिरिक्त, एन.सी.आर.पी.बी की वित्तीय सहायता से जयपुर में भी आधारभूत परियोजनाएं (एन.सी.आर का काउंटर मेग्नेट क्षेत्र) चल रही हैं और कोटा में जल आपूर्ति की परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं।
- एनसीआर सेल अलवर और भरतपुर जिलों के प्रशासन और स्थानीय निकायों के नियोजन मामलों में तकनीकी सुझाव/सहायता भी प्रदान करता है।

स्वायत्त शासन विभाग

स्वायत्त शासन विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रमों/गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है:–

दीनदयाल अन्त्योदय योजना

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम) और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) को पुनर्गठित कर उसका नाम दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डी.ए.वाई.–एन.यू.एल.एम.) कर दिया गया है। राजस्थान में यह योजना 193 नगरीय निकायों में लागू है। डी.ए.वाई.–एन.यू.एल.एम. के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं:–

- क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सी.बी. एवं टी.)।
- सामाजिक जुड़ाव और संस्थागत विकास (एस.एम. एवं आई.डी.)।
- कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार व प्लेसमेंट (ई.एस.टी. एवं पी.)।

- स्वरोजगार कार्यक्रम (एस.ई.पी.)।
- शहरी सड़क वेन्डर के लिए समर्थन (एस.यू.एस.वी.)।
- शहरी बेघरों के आश्रय के लिए योजना (एस.यू.एच.)।
- अभिनव और विशेष परियोजनाएं ।

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में बजट अनुमान ₹52.40 करोड़ के विरुद्ध, ₹39.30 करोड़ प्राप्त हुए हैं और ₹19.39 करोड़ दिसम्बर, 2020 तक खर्च किए गए हैं।

शहरी जन सहभागी योजना (एस.जे.एस.वाई.)

शहरी विकास में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह योजना आरम्भ की गई। इस योजना के दो प्रमुख घटक– जन चेतना व विकास कार्य हैं। शिविरों, सेमिनारों और कार्यशालाओं (स्वच्छता, जन–स्वास्थ्य, जल भण्डारण, सड़क, विद्यालय/अस्पताल व ऑफिस के निर्माण हेतु) के माध्यम से सामान्य जन जागरूकता पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। योजनान्तर्गत किसी भी परियोजना की लागत राज्य, जन सहयोग और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा क्रमशः 50, 30 और 20 प्रतिशत के अनुपात में साझा की जाती है। योजनान्तर्गत ₹1,000 लाख के बजट प्रावधान के विरुद्ध, दिसंबर, 2020 तक ₹22.50 लाख का व्यय किया गया है।

छोटे एवं मध्यम कस्बों में शहरी आधारभूत ढांचे की विकास योजना (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी)

छोटे एवं मध्यम कस्बों में केन्द्र सरकार द्वारा आधारभूत सुविधाएं शहरी गरीबों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना प्रारम्भ की गई है। यह योजना जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) में चयनित शहरों/कस्बों को छोड़कर सभी शहरों/कस्बों पर लागू की गई है। शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा अमृत योजना के अनुसार इस योजना में प्रगति वाली 11 परियोजनाओं मे हिस्सा राशि 60:20:20 (केन्द्रःराज्यःयू.एल.बी.) कर दी है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य में राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज एवं आधारभूत निगम (आर.यू.डी.एस.आई.सी.ओ.) को नोडल एजेन्सी बनाया गया है। 12 शहरों में 11 सीवरेज परियोजना और 1 जल आपूर्ति परियोजना सहित राशि ₹646.24 करोड़ की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। 11 सीवरेज परियोजनाओं का संचालन चिड़ावा, नवलगढ़, सूरतगढ़, भादरा, लक्ष्मणगढ़, जैतारण, रामगढ़ शेखावाटी, निम्बाहेड़ा, बड़ी सादड़ी, फतेहनगर सनवाड और कुशलगढ़ एवं जलापूर्ति परियोजना का संचालन केकड़ी में किया जा रहा है। स्वीकृतियों के विरूद्ध कुल ₹512.08 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है।

राजीव आवास योजना (आर.ए.वाई.)

योजनान्तर्गत अजमेर शहर के स्लम फ्री सिटी प्लान ऑफ एक्शन (एस.एफ.सी.पी.ओ.ए.) को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है एवं जयपुर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, अलवर, प्रतापगढ़ एवं चित्तौड़गढ़ के स्लम फ्री सिटी प्लान ऑफ एक्शन (एस.एफ.सी.पी.ओ.ए.) का प्रारूप तैयार किया जा चुका है। योजनान्तर्गत भारत सरकार से 16 शहरों के लिए ₹903.15 करोड़ की 19 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें कुल 16,132 आवासों का निर्माण करने के साथ–साथ आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। स्वीकृत 16,132 आवासों में से इस योजना के अन्तर्गत 7,075 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है और 3,688 आवासों का आवंटन किया जा चुका है। योजनान्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा ''सबके लिये आवास–मिशन 2022'' में सम्मिलित किया जा चुका है।

राजस्थान अरबन डवलपमेंट फण्ड (आर.यू.डी.एफ.)

राजस्थान सरकार ने राज्य में शहरी क्षेत्रों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए 26 मार्च, 2010 को राजस्थान शहरी विकास कोष (आर.यू.डी.एफ.) की स्थापना की। राजस्थान अरबन पेयजल, सीवरेज एवं आधारभूत निगम (आर.यू.डी.एस.आई.सी.ओ.) आर.यू.डी.एफ के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य कर रहा है। यह कोष प्रारम्भिक तौर पर ₹400 करोड़ से स्थापित किया गया, जिसमें ₹150 करोड़ राजस्थान सरकार द्वारा तथा ₹250 करोड़ शहरी स्थानीय निकायों/वित्तीय संस्थाओं/बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए जाने हैं। अब इस कोष को संशोधित कर ₹400 करोड़ से बढ़ाकर ₹1,000 करोड़ कर दिया गया है, जिसमें राज्य सरकार की हिस्सा राशि ₹375 करोड़ व शेष ₹625 करोड़ शहरी स्थानीय निकायों/वित्तीय संस्थाओं/बैंकों की है।

सात सीवरेज परियोजनाएं

राजस्थान सरकार द्वारा 7 शहरों (बांसवाड़ा, फतेहपुर शेखावाटी, श्रीगंगानगर, नाथद्वारा, बालोतरा, डीडवाना, मकराना) में सीवर लाईन एवं ट्रीटमेन्ट प्लांट हेतु ₹472.44 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, जिसके विरूद्ध ₹466.38 करोड़ का व्यय अब तक हो चुका है।

स्मार्ट सिटीज मिशन

भारत सरकार द्वारा जून 2015 में स्मार्ट सिटीज मिशन लागू किया गया, जिसके अन्तर्गत मुख्य बुनियादी सुविधा वाले शहरों में नागरिकों को अच्छी गुणवता वाला जीवन, स्वच्छ एवं सतत् पर्यावरण तथा शहरों के विकास के लिये स्मार्ट सोल्यूशन उपलब्ध कराना है। इस मिशन का उदेश्य 5 वर्षो की अवधि में 100 शहरों को सम्मिलित करना है। भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप प्रत्येक शहर के लिए ₹100 करोड़ एवं इसके समान ही राशि राज्य सरकार/नगरीय निकाय द्वारा पाँच वर्ष के लिए दी जाएगी। राजस्थान के 4 शहरों– जयपुर, उदयपुर, कोटा एवं अजमेर को स्मार्ट शहर बनाने के लिए सूची में सम्मिलित किया गया। 31 दिसम्बर, 2020 तक, योजनान्तर्गत कुल प्राप्त राशि ₹1,744 करोड़ के विरूद्व ₹1,237 करोड़ का व्यय किया गया है।

स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ओपन एयर जिम, फायर रेस्क्यू जीप और बाइक, सोलर मास्टर प्लान तैयार करना और सोलर सिटी सेल, स्मार्ट रोड, स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट टॉयलेट, स्ट्रीट लाइटिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हाई लेवल ब्रिज का निर्माण, मल्टी–लेवल फ्लाईओवर, वाई–फाई, एयर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग, मॉस्किटो मॉनिटरिंग, ट्रांसपोर्टेशन सपोर्ट और पार्किंग स्पेस के लिए एलोकेशन, वाटर एटीएम मशीनों की स्थापना की जा रही है। कोष की स्थिति (प्राप्त और स्थानांतरित) और व्यय तालिका– 7.2 में दिए गए हैं।

तालिका 7.2 कोष की स्थिति (प्राप्त और स्थानांतरित) और व्यय

(₹करोड़ में)

शहर	कुल अंश					प्राप्त/ जारी राशि					व्यय
	केन्द्र सरकार 50 प्रतिशत	राज्य सरकार 30 प्रतिशत	संबंधित स्थानीय निकाय 10 प्रतिशत	संबंधित नगर विकास न्यास/विकास प्राधिकरण 10 प्रतिशत	कुल	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	संबंधित स्थानीय निकाय	नगर विकास न्यास/विकास प्राधिकरण	कुल प्राप्त	
जयपुर	500	300	100	100	1000	350	120	68.43	50	588.43	512
उदयपुर	500	300	100	100	1000	250	120	40.50	0	410.50	270
अजमेर	500	300	100	100	1000	200	120	25.70	15	360.70	198
कोटा	500	300	100	100	1000	250	120	10.06	4	384.06	257
कुल	**2000**	**1200**	**400**	**400**	**4000**	**1050**	**480**	**144.69**	**69**	**1743.69**	**1237**

अमृत मिशन

केन्द्र सरकार द्वारा माह जून, 2015 में अटल मिशन रिजुवेनेशन एवं अरबन ट्रांसफोरमेशन (अमृत) योजना आरम्भ की गई। अमृत योजना का फोकस आधारभूत ढांचे के निर्माण पर था, जिसका नागरिकों के लिए बेहतर सेवाओं के प्रावधान से प्रत्यक्ष संबंध है। स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े हुए चयनित 500 भारतीय शहरों में जल आपूर्ति सुविधायें, सीवरेज नेटवर्क, स्टॉर्मवॉटर, नालियाँ, शहरी परिवहन तथा खुले और हरे–भरे स्थानों का प्रावधान इस योजना में शामिल है।

अमृत योजना के अन्तर्गत राजस्थान में कुल 29 शहरों यथा– अलवर, ब्यावर, सीकर, नागौर, भिवाड़ी, पाली, सवाईमाधोपुर, टोंक, हनुमानगढ़, बून्दी, सुजानगढ़, धौलपुर, गंगापुरसिटी, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, चूरू, झुन्झुनू, बारां, किशनगढ़, हिण्डौनसिटी, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर एवं झालावाड़ को चयनित किया गया है। जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबन्धन, नालियां, परिवहन सुविधाएं एवं हरित स्थलों की इस मिशन के अन्तर्गत पहचान की गई हैं। दूसरी किश्त तक, ₹1,395.07 करोड़ प्राप्त हो चुके हैं और ₹1,395 करोड़ संबंधित निकायों/पेरास्टेटल एजेंसियों को जारी किए जा चुके हैं।

भारत सरकार द्वारा तृतीय किश्त के रूप में कुल राशि ₹586.54 करोड़ अमृत योजनान्तर्गत जारी की गई है, जिसमें से ₹268.75 करोड़ राज्य सरकार द्वारा रूडसिको को जारी

किये गये है जो कि संबंधित कार्यकारी एजेन्सियों को स्थानांतरित किये जा चुके है। केन्द सरकार द्वारा जारी तृतीय किश्त के विरूद्ध राजस्थान सरकार द्वारा भी समान रूप से ₹134.37 करोड़ जारी किये गये।

एल.ई.डी. लाईट प्रोजेक्ट

राजस्थान मे स्ट्रीट लाईट के क्षेत्र मे ऊर्जा बचत करने के लिये ''एनर्जी सेविंग प्रोजेक्ट" प्रारम्भ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सड़कों पर रोशनी के स्तर में वृद्धि तथा विद्युत उपभोग मे कमी करना है। 190 स्थानीय निकायों में एलईडी लाईट लगाने का काम लगभग पूर्ण हो चुका है और एक स्थानीय निकाय में कार्य प्रगति पर है। दिसम्बर, 2020 तक राजस्थान में 11.55 लाख एलईडी लाइटें लगाई गई हैं।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)

स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य 31, मार्च 2021 तक सार्वजनिक भागीदारी और सक्रिय सार्वजनिक समर्थन के माध्यम से पूरे भारत में स्वच्छता के बेहतर स्तर को प्राप्त करना है। "स्वच्छ भारत मिशन" के अन्तर्गत व्यक्तिगत घरेलू शौचालय निर्माण, सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय निर्माण तथा शहरी क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। नगर निकायों द्वारा किए गए सर्वे के आधार पर कुल 3.49 लाख शौचालयों का निर्माण किया जाना है, जिसके विरूद्व दिसम्बर, 2020 तक 3.46 लाख घरेलू शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत, सभी शहरी स्थानीय निकाय को क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा कम से कम एक बार प्रमाणित किया जा चुका है। मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार की ओर से अभी तक ₹611.34 करोड़ और राजस्थान सरकार की ओर से आनुपातिक ₹314.61 करोड़ जारी किये जा चुके है।

इंदिरा रसोई योजना

कोई भूखा ना सोये'' की संकल्पना को साकार रूप देते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा 20 अगस्त, 2020 को प्रदेश के सभी 213 नगरीय निकायों में 358 स्थायी रसोइयों के माध्यम से ''इंदिरा रसोई योजना'' का शुभारम्भ किया है। योजनान्तर्गत आमजन को ₹8 प्रति थाली में दोपहर/रात्रि भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है व राज्य सरकार द्वारा ₹12 प्रति थाली अनुदान दिया जा रहा है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष ₹100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। योजनान्तर्गत 31 दिसम्बर, 2020 तक 1,31,035,49 व्यक्ति लाभान्वित किये जा चुके है।

गौरव–पथ

कुल 303.04 किलोमीटर लम्बाई के गौरव पथ का निर्माण कार्य 181 नगरीय निकायों में प्रस्तावित थे, जिसमे से 6 कार्य प्रगति पर है। ₹336.02 करोड़ के 175 गौरव पथ निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

इस आवास योजना का उद्देश्य बेघर आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (वार्षिक आय 3.00 लाख) व अल्प आय वर्ग (वार्षिक आय 3.00 से 6.00 लाख) के परिवारों को सस्ते आवास उपलब्ध करवाना है, इस हेतु निर्धारित लक्ष्य 6.14 लाख आवासों के विरूद्ध माह दिसम्बर, 2020 तक 68,518 आवास अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (ए.एच.पी.) के तहत तथा 87,857 आवास व्यक्तिगत आवास निर्माण एवं अभिवृद्धि (बी. एल.सी) के तहत कुल 1,56,375 आवास केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में स्वीकृत किये जा चुके है। इसके अतिरिक्त 74,645 आवास मुख्यमंत्री जन आवास योजना– 2015 के तहत निजी विकासकर्त्ता की निजी भूमि पर संबंधित विकास प्राधिकरण/विकास न्यास/नगर निकाय द्वारा क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सी.एल.एस.एस.) के तहत स्वीकृत किये गये है। इस प्रकार राज्य में कुल 2,31,020 आवास प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत स्वीकृत किये गये है। स्वीकृत आवासों में से 57,864 आवास निर्माणाधीन है तथा 8,040 आवास पूर्ण किये जा चुके है।

राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि

राज्य में सुव्यवस्थित, सुरक्षित, प्रदूषण रहित, द्रुतगामी एवं सुगम शहरी यातायात प्रबंधन हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (आर.टी.आई.डी. एफ.) का गठन किया गया था। इस प्रकार उक्त निधि में उपलब्ध कुल राशि का उपयोग यातायात प्रबंधन से जुडे विभाग/निकाय/कंपनी एवं निगमों को अनुदान एवं ऋण राशि उपलब्ध करवाये जाने हेतु किया जा रहा है। उक्त निधि में वित्तीय वर्ष 2011–12 से 2020–21 (31, दिसम्बर, 2020) तक कुल राशि ₹3,219.50 करोड संग्रहित की गई है, जिसमें से 31 दिसम्बर, 2020 तक ₹2,389.68 करोड व्यय किए जा चुके हैं।

स्थानीय निकाय विभाग द्वारा राज्य के शहरी नागरिकों को ऑनलाइन सेवायें प्रदान की जा रही है, जो निम्नानुसार हैं:–

- ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम
- ट्रेड लाइसेंस और ऑटो नवीकरण
- फायर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एन.ओ.सी)
- सीवर कनेक्शन

- यूडी/संपत्ति कर
- भूमि संवहन (90ए)

स्थानीय निकाय विभाग द्वारा कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न संकट को दूर करने एवं प्रबंधन हेतु लिए गए निर्णय/नवाचारः

- कोरोना महामारी को रोकने के लिए जागरूकता अभियान के रूप में नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत 2 अक्टूबर, 2020 से राज्य भर में एक जन आंदोलन शुरू किया गया था, जिसके तहत आम जनता को कुल 1.16 करोड़ मुफ्त मास्क वितरित किए गए और 72,64,155 घरों पर स्टिकर लगाए गए।
- मुख्यमंत्री भोजन योजना के तहत 4 करोड़ फूड पैकिट जरूरत मंदो को वितरित किये गये।
- सफाई और अग्निशमन कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण और पीपीई किट प्रदान करने के लिए प्रति कर्मचारी ₹1,000 प्रदान किए गए थे। इसी प्रकार 73,141 पथ विक्रेताओं को ₹3500 प्रति पथ विक्रेता प्रदान किए गए, कुल राशि ₹25.60 करोड़ शहरी स्थानीय निकाय को उपलब्ध कराए गए।
- सम्पूर्ण लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों एवं बेघर व्यक्तियों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने हेतु ₹100 प्रति व्यक्ति/प्रति दिन की दर से 1.04 लाख व्यक्तियों को आश्रय प्रदान कर भोजन उपलब्ध कराया गया, जिस पर ₹1.04 करोड़ व्यय किये गये।
- कोविड–19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना 1 जुलाई, 2020 से आरम्भ की गई है, जिसके अंतर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को पुनः व्यवसाय स्थापित करने हेतु 7 प्रतिशत अनुदानित ब्याज दर पर बैंकों के माध्यम से ₹10,000 का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। जिसमें अब तक 1,94,705 पथ विक्रेताओं का चिन्हीकरण कर, उनके द्वारा ऑनलाईन ऋण हेतु आवेदन किये जा चुके है, जिसमें से 38,412 आवेदन स्वीकृत किये गये है तथा 20,049 ऋण वितरित किये जा चुके हैं।

शहरी जल आपूर्ति

राज्य में 33 जिला मुख्यालयों सहित 222 शहर/कस्बे हैं। राजस्थान के सभी 222 शहरी कस्बों को पाईप पेयजल आपूर्ति प्रणाली (जिनमें घरेलू जल कनेक्शन दिए हुए हैं) द्वारा कवर किया गया है। इन सभी शहर/कस्बों में से 115 शहर/कस्बे सतही जल स्रोत एवं 65 शहर/कस्बे भूगर्भीय जल स्रोत पर आधारित हैं। शेष 42 शहर सतही एवं भूगर्भीय दोनों जल स्रोतों पर आधारित हैं। राज्य के सात प्रमुख शहर यथा– जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा एवं उदयपुर में स्थाई सतही जलस्रोत से पेजयल आपूर्ति की जा रही है। इसके अलावा, सरकार ने भूगर्भीय जल स्रोत पर निर्भरता को कम करने के लिए भूगर्भीय जल स्रोत से सतही जल स्रोतों में जल आपूर्ति योजनाओं को स्थानांतरित करने के लिए एक नीतिगत निर्णय लिया है।

वृहद् पेयजल योजनाओं के अतिरिक्त राज्य में शहरी क्षेत्र में पेयजल के दीर्घकालीन स्थाई समाधान हेतु पेयजल योजनाएं स्वीकृत, क्रियान्वित एवं प्रस्तावित भी की जा रही हैं। सीमित पेयजल के कारण उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रत्येक वर्ष गर्मियों की अवधि में उन क्षेत्रों में पेयजल परिवहन किया जाता है, जो जल आपूर्ति योजनाओं में सम्मिलित नहीं है या सुदूर क्षेत्रों, जहां ग्रीष्मकाल में जलापूर्ति घट जाती है। शहरी क्षेत्रों में किए गए पेयजल परिवहन का वर्षवार विवरण तालिका– 7.3 में दर्शाया गया है।

तालिकाः 7.3 शहरी क्षेत्र में पेयजल परिवहन

वर्ष	पेयजल परिवहन किए गए शहरों/कस्बों की संख्या
2017-18	53
2018-19	61
2019-20	60
2020-21*	52

*दिसम्बर, 2020 तक

राजस्थान में, जल की आपूर्ति के लिए कई एजेंसियां/सरकारी विभाग कार्यरत हैं। इनमें यूएलबी, यूडीएच, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी), विकास प्राधिकरण/यूआईटी और राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम (आर.यू.एस.डी.आई.पी) शामिल हैं।

शहरी क्षेत्र में नलकूप एवं हैंडपम्प निर्माणः

राज्य के अधिकांश कस्बे पेयजल आपूर्ति हेतु भूजल पर निर्भर हैं। पिछले 4 वर्षों में स्थापित नलकूपो और हैंड पंपों की स्थिति तालिका–7.4 में दर्शाई गई है।

तालिकाः– 7.4 नलकूप एवं हैंडपम्प की स्थापना

वर्ष	नलकूपों की संख्या	हैंडपम्पों की संख्या
2017-18	468	377
2018-19	847	716
2019-20	1275	609
2020-21*	535	288

* दिसम्बर, 2020 तक

शहरी क्षेत्र में हैण्डपम्प मरम्मत

जन–स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्थापित हैण्डपम्पों को कार्यशील बनाए रखकर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हैण्डपम्प मरम्मत अभियान चलाया गया है। वर्ष 2020–21 (31 दिसम्बर, 2020 तक) में 21,776 हैण्डपम्पों की मरम्मत की गई है।

शहरी क्षेत्र में पूंजीगत कार्यों के लिए बजट प्रावधान एवं व्यय का विवरण (वृहद् पेयजल परियोजनाओं सहित)

शहरी क्षेत्र में पूंजीगत कार्यों के क्रियान्वयन के लिए विभाग की वार्षिक योजना के अनुसार केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा बजट उपलब्ध कराया गया है। वर्षवार बजट उपलब्धता एवं किए गए व्यय का विवरण तालिका–7.5 में दर्शाया गया है।

तालिका–7.5 बजट एवं व्यय का विवरण (₹ करोड़ में)

वर्ष	उपलब्ध कुल बजट राशि	कुल व्यय
2017-18	1008.96	963.97
2018-19	844.80	801.57
2019-20	788.00	627.15
2020-21*	1005.91	395.44

*दिसम्बर, 2020 तक

*****

अध्याय

08

बुनियादी सामाजिक सेवाएं– शिक्षा एवं स्वास्थ्य

- 1,200 की कुल शैय्याएं क्षमता वाले आरयूएचएस कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल को समर्पित कोविड अस्पताल में बदल दिया गया है।
- राज्य के सभी जिलों में 60 प्रयोगशालाएं हैं जिनमें कोविड–19 का पता लगाने के लिए आरटीपीसीआर जांच सुविधा उपलब्ध है, जिन पर 65,886 जांच प्रतिदिन करने की क्षमता उपलब्ध है।
- राज्य में 43,419 एकांत शैय्याएं, 8,532 ऑक्सीजन सपोर्टेड शैय्याएं एवं 2,180 आईसीयू शैय्याएं उपलब्ध है।
- कोविड–19 के रोगियों के उपचार हेतु कुल 427 चिकित्सा संस्थान उपलब्ध है, इनमें से 287 कोविड केयर सेन्टर, 80 समर्पित कोविड स्वास्थ्य केन्द्र एवं 60 समर्पित कोविड अस्पताल हैं।
- राज्य में कुल 93,738 "स्वास्थ्य मित्र" का ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में चयन कर प्रशिक्षित किया जा चुका है।
- मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजनाः– इस योजना में प्रतिदिन लगभग 1.25 से 1.50 लाख जांचे निःशुल्क की जा रही हैं।
- नौ बैग डेः– राज्य में छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए, छात्रों द्वारा आनन्ददायी सहज रुप से सीखने के लिए शिक्षा के मनोविज्ञान आधारित गतिविधि के मंच पर प्रत्येक शनिवार को "नो बैग डे" प्रारम्भ किया है।
- ई-कक्षाः–कोविड–19 द्वारा उत्पन्न विषम परिस्थितियों को देखते हुए, राज्य में विभाग द्वारा एक नवाचार के रूप में कक्षा 6 से 12 के छात्रों के लिए डिजिटल ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन करके छात्रों को शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए एक स्थाई शिक्षा का प्रावधान की अनूठी पहल की गई है।
- कोविड–19 लॉकडाउन अवधि के दौरान ओडियो शिक्षण सामग्री आकाशवाणी के माध्यम से 30 जून, 2020 तक प्रतिदिन 55 मिनट के लिए प्रसारित की गई।
- महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती वर्ष में उनके न्यासिता के सिद्धांत से प्रेरित होकर "आनंदम" नामक एक अनिवार्य पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है। यह राज्य की अनूठी पहल है और ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है।

राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक क्षेत्र का विकास सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्ध निवेशों में से एक है। इस दृष्टि से राज्य में सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार भी प्राथमिकता के आधार पर हरसंभव प्रयास कर रही है। सामाजिक गतिविधियों यथा – शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण आदि के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों के सम्पूर्ण विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

शिक्षा

राष्ट्रीय और व्यक्तिगत कल्याण में सुधार करने में शिक्षा का बहुआयामी योगदान होता है। शिक्षा सभी मायनों में विकास के महत्वपूर्ण अंशदायी कारकों में से एक है। कोई भी देश मानवीय संसाधनों में सतत् निवेश के बिना सतत् आर्थिक और सामाजिक विकास प्राप्त नहीं कर सकता है। शिक्षा, स्वयं और दुनिया के लोगों के प्रति समझ को समृद्ध करती है। उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार के माध्यम से शिक्षा व्यक्तियों व समाज को व्यापक सामाजिक लाभ की ओर ले जाती है। शिक्षा लोगों में उत्पादकता और रचनात्मकता में वृद्धि करती है और उद्यमिता तथा तकनीकी विकास को भी बढ़ावा देती है।

राज्य सरकार शिक्षा एवं शिक्षा संसाधनों में सुधार के माध्यम से राज्य के लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए ठोस प्रयास कर रही है। राज्य विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता एवं सम्पूर्ण साक्षरता के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रयासरत् है।

प्रारम्भिक शिक्षा

प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में, राज्य में 35,331 राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 19,639 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 14,990 प्रारम्भिक कक्षाओं वाले राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनमें डाईस रिपोर्ट, 2019–20 के अनुसार कुल 62.48 लाख विद्यार्थी नामांकित हैं। प्रारम्भिक शिक्षा में नामांकन तथा शिक्षकों की संख्या की गत पाँच वर्षों की (राजकीय विद्यालय) स्थिति तालिका–8.1 तथा 8.2 में दर्शाई गई है।

तालिका–8.1 प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन तथा शिक्षकों की संख्या

वर्ष	नामांकित विद्यार्थी (लाखों में)	शिक्षकों की संख्या (लाखों में)
2015-16	42.50	1.17
2016-17	40.93	1.08
2017-18	41.27	1.09
2018-19	41.70	1.45
2019-20	41.57	1.52

तालिका–8.2 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन तथा शिक्षकों की संख्या

वर्ष	नामांकित विद्यार्थी (लाखों में)	शिक्षकों की संख्या (लाखों में)
2015-16	21.39	1.38
2016-17	21.96	1.38
2017-18	22.14	1.39
2018-19	21.20	1.08
2019-20	20.91	1.16

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजनाः इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर के माध्यम से सभी सरकारी विद्यालयों में कक्षा–1 से 8 तक नियमित पढ़ने वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करा रही है। वर्ष 2020–21 में पाठ्य पुस्तकों के लिए कुल ₹70.00 करोड़ की राशि प्राप्त की गई एवं दिसम्बर, 2020 तक ₹38.70 करोड़ की पाठ्य पुस्तकें सफलतापूर्वक सभी राजकीय विद्यालयों में वितरित की गई।

विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजनाः यह योजना समस्त राजकीय विद्यालयों के कक्षा–1 से 8 तक एवं कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों एवं वैकल्पिक शिक्षा प्रकोष्ठ के आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों पर लागू है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक बीमा योजना के नवीनीकरण के लिए कुल राशि ₹521.86 लाख का भुगतान किया गया।

प्री–मेट्रिक छात्रवृत्तिः राज्य में प्री–मेट्रिक छात्रवृत्ति एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., एस.बी.सी. और डी.टी.एन.टी सीमान्त क्षेत्र (ओ.बी.सी.) के छात्रों को प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक इस योजना के अन्तर्गत आवटंन राशि ₹2,620 लाख के विरूद्व ₹580 लाख व्यय किए गए।

विधवा/परित्यक्ता महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री सम्बल योजनाः निजी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रारम्भिक शिक्षा (डी.एल.ए.डी.) में दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स करने वाली विधवा/परित्यक्ता महिलाओं को इस योजना के अन्तर्गत ₹9,000 का पुनर्भरण प्रदान किया जा रहा है।

भामाशाह सम्मान समारोहः यह योजना 1 जनवरी, 1995 से स्कूल के शैक्षिक, सह–शैक्षिक और भौतिक विकास में योगदान देने के उद्देश्य से दानदाताओं को प्रेरित करने के लिए शुरू की गई है।

स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमः इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राजकीय एवं गैर राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के समन्वय से करवाया जाता है। राज्य में संयुक्त राष्ट्र बाल शिक्षा कोष (यूनिसेफ) द्वारा किशोरी बालिकाओं (10–19 आयु वर्ग) के एनिमिया नियंत्रण के लिए अलग से एक कार्यक्रम संचालित है।

समग्र शिक्षा

भारत सरकार का प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समग्र शिक्षा एक समयबद्ध फ्लैगशिप कार्यक्रम है। स्कूली शिक्षा के प्रत्येक स्तर के लिए इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं :

- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और छात्रों के सीखने के परिणामों को बढ़ाने का प्रावधान।
- स्कूल शिक्षा में सामाजिक और जेंडर गैप को भरना।
- स्कूल शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर समता और समावेशिता को सुनिश्चित करना।
- विद्यालयों में शिक्षा के न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना।
- शिक्षा के व्यावसायिकरण को बढावा देना।
- राज्य को बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम–2009 को लागू करने में सहयोग करना।
- शिक्षक प्रशिक्षण के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों (एस.सी.ई.आर.टी.)/शिक्षा के राज्य संस्थानों और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डी.आई.ई.टी.) को नोडल एजेन्सियों के रूप में सुदृढ़ीकरण और उन्नयन करना।

राज्य में समग्र शिक्षा का क्रियान्वयन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के रूप में एक एकल राज्य क्रियान्वयन समिति (एस. आई.एस.) द्वारा किया जा रहा है। योजना में केन्द्र व राज्य की वित्त सहभागिता 60:40 होगी।

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 दिनांक 1 अप्रैल, 2010 से लागू किया गया है। इस अधिनियम में निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटें कमजोर और वंचित समूह के बालक/बालिकाओं के लिए आरक्षित की गई है। निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत निःशुल्क प्रवेश की प्रभावी निगरानी एवं समय पर पुनर्भरण (राज्य सरकार के मापदण्डों के आधार पर) के लिए राज्य सरकार द्वारा एक वेबपोर्टल www.rte.raj.nic.in विकसित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 12(जी) के अंतर्गत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों के प्रवेश के लिए आय सीमा ₹1.00 लाख से बढ़ाकर ₹2.50 लाख की गई है। राज्य सरकार द्वारा निजी विद्यालयों को वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक ₹226.48 करोड़ का पुनर्भरण किया गया है।

शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार हैं:–

- 319 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (के.जी.बी.वी.) संचालित हैं, इन विद्यालयों में 37,554 बालिकाएं अध्ययनरत् हैं।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयो में कभी भी नामांकित नहीं हुई एवं बीच में ही विद्यालय छोड़ देने वाली बालिकाओं के नामांकन को प्राथमिकता दी गई है। इन बालिकाओं को ब्रिज कोर्स शिक्षण के साथ प्रदान किया गया है, ताकि वे मूल दक्षताओं को प्राप्त कर सकें, जिन्हें कक्षा–6 मानक पाठ्यक्रम से साथ शुरू करना आवश्यक है।
- 10 मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों में से 09 बालिका आवासीय विद्यालय संचालित हैं। बालिकाओं हेतु उक्त आवासीय विद्यालय मेवात क्षेत्र में हैं, जो शिक्षा की दृष्टि से काफी पिछड़ा है। अलवर जिले में मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अर्न्तगत मेवात छात्रावासों का निर्माण कराया गया है। इन छात्रावासों में 500 बालिकाओं की प्रवेश क्षमता के विरूद्ध वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक, 395 बालिकाओं का नामांकन किया गया है।
- **मीना राजू एवं गार्गी मंचः** मीना राजू मंच में 19,467 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 6–8 तक की बालिकाओं को और गार्गी मंच में 14,841 माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 9–12 तक की बालिकाओं को सम्मिलित किया गया है। इसमें सामाजिक मुद्दों यथा– बाल विवाह एवं दहेज प्रथा आदि पर अभिभावकों में जागरूकता लाई जाती है तथा अनामांकित एवं अनियमित छात्राओं के अभिभावकों को छात्राओं को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित किया जाता है।

- **अध्यापिका मंचः** विद्यालयों में बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने और विद्यालय में छात्राओं के लिए मित्रवत् वातावरण स्थापित करने के लिए अध्यापिका मंच का गठन किया गया है। ब्लॉक स्तर पर 301 अध्यापिका मंचों का गठन किया गया है। अध्यापिका मंच अधिकतम 100 शिक्षकों का समूह है। वर्ष 2020–21 में राज्य के प्रत्येक ब्लॉक से मास्टर ट्रेनर चयनित कर कुल 704 मास्टर ट्रेनर को मीना राजू, गार्गी एवं अध्यापिका मंच का ऑनलाइन आमुखीकरण किया गया। ब्लॉक स्तर पर प्रत्येक राजकीय विद्यालयों से ऑनलाईन आमुखीकरण किया जा रहा है।
- **शैक्षणिक किशोरी मेलेः** शैक्षणिक मेलों का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक वातावरण का निर्माण करना तथा विज्ञान और गणित पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने के साथ बच्चों में रचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करना है। प्रत्येक मेले में गणित और विज्ञान पर आधारित विभिन्न खेलों के 25–30 शैक्षणिक स्टॉल्स लगाई जाती हैं। किशोरी उत्सव का आयोजन पीईईओ, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर किया गया हैं।
- **बालिका शिक्षा हेतु नवाचारः** "सक्षम" (लड़कियों के लिए आत्म–रक्षात्मक प्रशिक्षण) योजना, बालिकाओं के नामांकन, ठहराव एवं सीखने की प्रवृत्ति में वृद्धि करने हेतु लागू की जा रही है।
- **परिवहन वाउचरः** कक्षा–1 से 5 तक के 1 किमी. से अधिक दूरी से आने वाले बच्चे एवं कक्षा–6 से 8 तक के ग्रामीण क्षेत्र से 2 किमी. से अधिक दूरी से आने वाले बच्चों को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से लाभान्वित किया जाता है। यदि साईकिल से लाभान्वित नहीं है तो ग्रामीण क्षेत्र की 5 किमी. से अधिक दूरी से आने वाली कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर से लाभान्वित किया जाता है।
- **उत्कृष्ट विद्यालय योजनाः** आदर्श विद्यालय योजना के अन्तर्गत, प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक चयनित उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय को ''आदर्श विद्यालय'' के रूप में विकसित किया जा रहा है। आदर्श विद्यालय (कक्षा I से X /XII)उत्कृष्ट विद्यालय योजना में मार्गदर्शक एवं संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करेंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में क्रमोन्नत किया जाना है। इस सन्दर्भ में ये उत्कृष्ट विद्यालय प्राथमिक शिक्षा हेतु विशिष्ट केन्द्र के रूप में विकसित होंगे। वित्तीय वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक 10,175 आदर्श एवं 8,592 उत्कृष्ट विद्यालय संचालित हैं।
- **स्कूल प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एकीकृत शाला दर्पण):** स्कूल प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एस.एम.आई.एस) को राजकीय प्राथमिक विद्यालय स्तर पर विद्यालय, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों से सम्बन्धित बुनियादी जानकारी एवं सांख्यिकीय समंकों को लॉग–इन प्रणाली के माध्यम से एकत्रित करने के लिए लागू किया गया है।
- **शिक्षक प्रदर्शन मूल्यांकन कार्यक्रमः** शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता सुधार के लिए शिक्षक प्रदर्शन मूल्यांकन कार्यक्रम शुरू किया गया है। वर्तमान सत्र 2020–21 में 3,04,471 अध्यापकों एवं 20,057 प्रधानाध्यापकों द्वारा शिक्षक प्रदर्शन मूल्याकन प्रपत्र भरा गया है।
- **शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमः** शिक्षकों की क्षमता संवर्द्धन, विद्यालय में पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विद्या की समझ विकसित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप विभाग बेहतर शिक्षण क्षमताओं को सुनिशिचित करता है। शिक्षा की विचार प्रक्रिया में बेहतर बदलाव और शिक्षण क्षेत्र में सुधार और नवाचारों के बारे में उनके बीच जागरूकता सुनिश्चित करता है।
- **निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रमः** नेशनल इनिशिएटिव फोर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेन्ट (निष्ठा) प्रशिक्षण संस्थाप्रधानों एवं अध्यापकों के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। निष्ठा के अन्तर्गत, वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2020–21 में शेष 10,590 प्राथमिक शिक्षकों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण को मंजूरी दी गई है। इस कार्यक्रम में 8,519 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया हैं।
- **विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु गतिविधियां (सी. डबल्यू.एस.एन.):** राजस्थान की समावेशी शिक्षा, समग्र शिक्षा का उद्देश्य कक्षा–1 से 12वीं तक के विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा की निरन्तरता को देखना है। समावेशी शिक्षा घटक राजकीय, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय विद्यालयों में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों को शामिल करता है, जिनके पास विकलांग या विकलांग व्यक्ति के अधिकार (आरपीडब्लूडी) अधिनियम, 2016 की अनुसूची में उल्लिखित एक या अधिक विकलांगता हैं। विभाग विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विभिन्न प्रकार व विभिन्न गतिविधियों से सेवाएं प्रदान कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में स्कूल खुलने पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं निम्नलिखित हैः–

- परिवहन भत्ता ।
- बालिकाओं को स्टाईपेन्ड भत्ता।
- रीडर भत्ता ।
- लैपटॉप प्रशिक्षण ।

- **कम्प्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम (सी.ए.एल.पी.):** सरकार ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में समग्र शिक्षा अभियान (समसा) के तहत कम्प्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम को नवाचार के रूप में शुरू किया है, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उपकरण के रूप में कम्प्यूटर का उपयोग करने के साथ–साथ यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक के साथ अपने विषयों को सीखने के दौरान आनंद ले सकें। माइक्रोसॉफ्ट कम्पनी द्वारा कुल 54,000 शिक्षकों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया गया है। सी.ए.एल.पी कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर में वृद्धि हुई है। वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक कुल 9,514 विद्यालयों में कम्प्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम (सी.ए.एल.पी.) संचालित हुए।
- **राष्ट्रीय आविष्कार अभियान (आर.ए.ए.):** राज्य एवं जिलों में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान गतिविधियों के तहत् विज्ञान एवं गणित क्लबों का गठन, राज्य से बाहर एक्सपोज़र विजिट, प्रारम्भिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु विज्ञान प्रदर्शनी, क्विज प्रतियोगिता एवं पुस्तक मेला का आयोजन, जिलों के उच्च संस्थानों में विद्यार्थियों हेतु अध्ययन भ्रमण जैसी गतिविधियों के आयोजन के लिए वर्ष 2020–21 में ₹102.16 लाख जिलों को हस्तांतरित किये गये है। वर्ष 2020–21 में विद्यार्थियों हेतु विज्ञान मेले प्रबन्धन एवं पर्यवेक्षण हेतु ₹66,000 आर.एस.सी.ई.आर.टी.,उदयपुर को हस्तांतरित किये गये है। उक्त गतिविधियों के आयोजन से 19,639 उच्च प्राथमिक विद्यालय और 14,990 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।
- **राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे (एन.ए.एस.) 2017:** एन.सी.ई.आर.टी., दिल्ली द्वारा शैक्षिक गुणवत्ता के आंकलन हेतु देश में 13 नवम्बर, 2017 को राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे, 2017 कक्षा–3, 5 एवं 8 (चक्र–5) कराया गया। इस सर्वे में कक्षावार निर्धारित सीखने के परिणामों के आधार पर किए गए छात्र आंकलन का राज्य रिपोर्ट कार्ड एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा जारी किया गया है। रिपोर्ट कार्ड के अनुसार राजस्थान के सभी 33 जिलों ने शैक्षिक गुणवत्ता सुधार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख स्थान प्राप्त किया है।

  राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे हेतु राज्य के सभी 33 जिलों से 5,588 विद्यालयों का नमूने के आधार पर चयन किया गया, जिसमें कक्षा–3, 5 व 8 के कुल 1,00,169 विद्यार्थी सम्मिलित हुए, जिसमें कक्षा–3 और 5 में भाषा, गणित और पर्यावरण तथा कक्षा–8 में भाषा, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन विषय में सीखने के परिणाम आधारित शैक्षिक उपलब्धि का आंकलन किया गया। एन.ए.एस.–2017 में राजस्थान की शैक्षिक गुणवत्ता का औसत स्कोर राष्ट्रीय औसत स्कोर से भी अधिक रहा है। राजस्थान के सभी जिलों में कक्षा–3 का औसत स्कोर 64 या उससे अधिक, कक्षा–5 का औसत स्कोर 57 या उससे अधिक एवं कक्षा–8 का औसत स्कोर 51 या उससे अधिक है।
- **राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे (एन.ए.एस.) 2018:** एन.सी.ई.आर.टी. दिल्ली द्वारा शैक्षिक गुणवत्ता के आंकलन हेतु 5 फरवरी, 2018 को राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे, 2018 कक्षा–10 (चक्र–2) कराया गया था। सर्वे में राजस्थान के 2,634 विद्यालयों के कुल 89,844 (50,302 बालक एवं 39,542 बालिकाएं) विद्यार्थियों को शामिल किया गया। एन.ए.एस. 2018 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में बालक एवं बालिकाओं का विषयवार औसत स्कोर लगभग बराबर रहा है, जबकि राजस्थान के औसत अंक राष्ट्रीय औसत अंक से अधिक रहे। विषयवार औसत स्कोर (राजस्थान एवं भारत) और जेण्डर वाइज औसत स्कोर (राजस्थान) की स्थिति तालिका 8.3 तथा 8.4 में दर्शाई गई है।

तालिका–8.3 विषयवार औसत स्कोर (राजस्थान एवं भारत)

कक्षा	गणित		विज्ञान		सा. विज्ञान		अंग्रेजी		आधुनिक भारतीय भाषा	
	राजस्थान	भारत	राजस्थान	भारत	राजस्थान	भारत	राजस्थान	भारत	राजस्थान	भारत
10	38	34	38	34	44	39	37	36	57	49

तालिका–8.4 लिंगानुसार औसत स्कोर (राजस्थान)

कक्षा	गणित		विज्ञान		सा. विज्ञान		अंग्रेजी		आधुनिक भारतीय भाषा	
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
10	39	38	38	38	44	45	37	38	57	57

- **निर्माण कार्यः** मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम.एच.आर.डी.), भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा में प्रारम्भिक शिक्षा हेतु वर्ष 2020–21 में ₹389.78 करोड़ की लागत से प्राथमिक से उच्च प्राथमिक क्रमोन्नत विद्यालयों में कक्षा–कक्ष निर्माण, भवन विहीन विद्यालयों हेतु भवन निर्माण/जर्जर विद्यालय भवनों के पुनर्निमाण, अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण, मॉडल स्कूलों में पूर्व–प्राथमिक कक्षों का निर्माण, मॉडल स्कूलों में बालिका छात्रावासों का निर्माण, के.जी.बी.वी. भवन निर्माण, सुदृढ़ीकरण एवं वृहद मरम्मत के कार्य अनुमोदित किए गए हैं। दिसम्बर, 2020 तक ₹90.73 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

  इसी प्रकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु वर्ष 2020–21 में ₹831.06 करोड़ उच्च प्राथमिक से माध्यमिक क्रमोन्नत विद्यालयों में भवन निर्माण, भवन विहीन/जीर्ण–शीर्ण विद्यालयों के लिए विद्यालय भवन, माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत विद्यालयों में कक्षा कक्ष, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, विज्ञान प्रयोगशाला मय उपकरण, कम्प्यूटर कक्ष, आर्ट एवं क्राफ्ट कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, शौचालय इकाई, पेयजल सुविधा, सीडब्लूएसएन शौचालय एवं महाराव शेखाजी अकादमी के निर्माण कार्य के लिए अनुमोदित किए गए हैं। दिसम्बर, 2020 तक ₹221.45 करोड का व्यय किया जा चुका है।

- **अक्षय पेटिकाः** सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति एवं सामाजिक जुड़ाव के लिए विद्यालयों में अक्षय पेटिका स्थापित की गई। अक्षय पेटिका में अभिभावक, शिक्षक, दानदाता एवं भामाशाह अपनी क्षमता अनुसार राशि दान कर सकते हैं। 64,172 स्कूलों में से 62,229 स्कूलों ने अक्षय पेटिका की स्थापना की है। 1 अप्रेल, 2017 से 31 दिसम्बर, 2020 तक स्कूलों के पास ₹9.51 करोड़ अक्षय पेटिका में संग्रहित किए गए।

माध्यमिक शिक्षा

शिक्षा प्रणाली में माध्यमिक शिक्षा, प्रारम्भिक एवं उच्च शिक्षा के मध्य आवश्यक सेतु है। यहाँ विद्यार्थी रोजगार/उद्यमिता हेतु तैयार होते हैं। वर्तमान में राजकीय क्षेत्र में 14,791 उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय एवं 134 स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल संचालित हैं। राजस्थान में 16,017 उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय निजी क्षेत्र में संचालित हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों में 26.03 लाख बालिकाओं सहित 51.31 लाख विद्यार्थी हैं और 51,365 विद्यार्थी स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों में अध्ययनरत् हैं।

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक निम्नलिखित कार्य किए गए हैंः–

- राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा–9 से 12 में अध्ययनरत् सभी छात्राओं को शिक्षण शुल्क (ट्यूशन फीस) की छूट दी गई है।
- राज्य में 14,791 राजकीय विद्यालयों में से 468 माध्यमिक एवं 747 उच्च माध्यमिक विद्यालय बालिकाओं के लिए संचालित हैं।
- बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु राज्य में तीन एवं चार श्रेणी के 187 कस्तूरबा गॉधी बालिका आवासीय विद्यालयों का संचालन कक्षा 9–12 तक की बालिकाओं के लिए किया जा रहा है, जिनमें 18,440 छात्राएं नामांकित हैं।
- **बालिका शिक्षा फाउण्डेशनः** बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु बालिका शिक्षा फाउण्डेशन की स्थापना वर्ष 1994–95 में की गयी। इस फाउण्डेशन के माध्यम से आर्थिक दृष्टि से निर्धन परिवारों की प्रतिभावान बालिकाओं को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- सत्र 2019–20 में कक्षा–6 से 12 तक की 11.50 लाख बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया। सत्र 2020–21 में कोविड–19 के कारण ब्लॉक स्तर पर

ऑनलाइन/ऑफलाइन आत्मरक्षा प्रशिक्षण आयोजित किया गया है।

- राज्य के शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े 134 खण्डों में सी.बी.एस.ई. से सम्बद्ध अंग्रेजी माध्यम के स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों की स्थापना की गई है। इन विद्यालयों में 51,365 छात्र नामांकित हैं।
- वर्तमान में 905 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के 12 ट्रेड संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 1.58 लाख विद्यार्थी नामांकित हैं।
- वर्ष 2019–20 में नेशनल इनिशिएटिव फोर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेन्ट (निष्ठा) प्रोग्राम के अन्तर्गत 2,30,512 अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों (कक्षा–1 से 8 तक) को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वर्ष 2020–21 में 10,590 लक्ष्य के विरूद्ध 8,519 अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों को निष्ठा प्रोग्राम के अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया है।
- इनक्लूज़िव एजुकेशन ऑफ द डिसेबल एण्ड सैकेण्डरी स्टेज (आई.ई.डी.एस.एस.) प्रोग्राम के अन्तर्गत विशेष योग्यजन की 21 कैटेगिरी को दिव्यांगता एक्ट के तहत शामिल किया गया है। कुल 88,457 विद्यार्थियो को सत्र 2019–20 में लाभान्वित किया गया।
- **ज्ञान संकल्प पोर्टल:** ज्ञान संकल्प पोर्टल एक ऐसा प्लेटफार्म है, जहाँ पर राज्य के प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा के 64,000 विद्यालयों के लिए भामाशाह/दानदाता/सी.एस.आर. कम्पनियों द्वारा सीधे ही विद्यालय/मुख्यमंत्री ज्ञान कोष में राशि दी जा सकती है, जिस पर आयकर अधिनियम की धारा 80–जी के अन्तर्गत छूट प्राप्त है। पोर्टल की प्रारम्भ दिनांक 5 अगस्त, 2017 से अब तक ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से ₹191.32 करोड़ (नकद एवं कार्य) स्वीकृत किए गए हैं।
- **सरकारी स्कूलों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू:** राज्य में वर्ष 2020–21 के लिए बोर्ड एवं एनसीईआरटी की पुस्तके विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु ऑनलाईन उपलब्ध करवाई गई जिससे विद्यार्थियों को घर बैठे ही अध्ययन की सुविधा उपलब्ध हुई।
- राजीव गाँधी कैरियर गाइडेंस पोर्टल का लोकार्पण किया गया एवं राजीव गाँधी कैरियर पोर्टल की मोनिटरिंग हेतु राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर एक प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। 9 से 12 वीं कक्षा के 9 लाख विद्यार्थियों द्वारा इस पोर्टल में दिसम्बर, 2020 तक लॉगिन किया गया है।
- **इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार:** माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अध्ययनरत् सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, अति पिछडा वर्ग, बी.पी.एल. एवं निःशक्त वर्ग (दिव्यांग) की ऐसी बालिकाओं को, जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा–8, 10 एवं 12 (कला, विज्ञान, वाणिज्य तीनों संकाय में अलग–अलग) की परीक्षाओं में प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया हो तथा संस्कृत शिक्षा विभाग की कक्षा–8, प्रवेशिका एवं वरिष्ठ उपाध्याय की बोर्ड परीक्षा में उपरोक्त वर्गों में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली कक्षा–8 की बालिका को ₹40,000, कक्षा–10 की बालिका को ₹75,000 एवं कक्षा–12 (कला, विज्ञान, वाणिज्य) की बालिकाओं को ₹1,00,000 एवं स्कूटी, इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार के रूप में दिया जाता है।
- **विद्यालय क्रमोन्नयन:** सत्र 2020–21 में 88 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में एवं 69 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नयन किया गया।
- **महात्मा गॉधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) की स्थापना:** राष्ट्रपिता महात्मा गॉधी की 150वीं जयन्ती के अवसर पर, महात्मा गॉधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) प्रत्येक जिला मुख्यालय पर कक्षा 1 से 12 के लिए खोले गए हैं। वर्ष 2020–21 में ब्लॉक स्तर पर इस योजना का विस्तार करते हुए समस्त 301 ब्लॉक में से जहां 134 स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल स्थापित है, उन 134 ब्लॉकों को छोड़ते हुए शेष 168 ब्लॉक में राजकीय महात्मा गॉधी विद्यालय स्थापित किए गए हैं।
- **शाला दर्पण (ई–इनीशिएटिव) समय के साथ कदमताल:** राज्य में माध्यमिक तथा प्रारम्भिक शिक्षा के समस्त विद्यालय, विद्यार्थियों तथा कार्यरत कार्मिकों की सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध है। वर्तमान में विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, लैपटॉप, साईकिल इत्यादि का वितरण तथा मोनिटरिंग शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से की जा रही है।

- **स्टूडेन्ट पुलिस कैडेट योजना (एस.पी.सी):** सत्र 2020–21 से राज्य के 1,000 (930 राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं 70 केन्द्रीय विद्यालय) विद्यालयों में एस.पी.सी योजना लागू की गई है। सत्र 2020–21 में कुल ₹356.80 लाख का आंवटन (केन्द्रीय अंशदान ₹214.00 लाख तथा राज्यांश ₹142.80 लाख) विद्यालयों को किया जा चुका है।
- विदेश अध्ययन योजना के अन्तर्गत एक बालिका को ₹25 लाख का भुगतान किया गया।
- **निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरणः** राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा–1 से 8 तक समस्त विद्यार्थियों, कक्षा–9 से 12 तक की समस्त छात्राओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों तथा कक्षा 9 से 12 के उन विद्यार्थियों को, जिनके माता–पिता आयकर दाता नहीं हैं, को निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकें उपलब्ध करवायी जाती हैं एवं राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों में कक्षा–6 से 12 तक के अध्ययनरत् समस्त विद्यार्थियों को भी निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकें उपलब्ध करवायी जाती हैं। वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक 4.95 करोड़ पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जा चुका है।
- **बाल सभाः** बाल सभा लम्बे समय से शिक्षा विभाग की एक नियमित गतिविधि है। स्कूलों में बाल सभा का आयोजन किया जा रहा था, लेकिन अब शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और शिक्षा तथा स्कूलों की अन्य गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना है, इस लिए योजना को जयपुर जिलें में पायलट बेस पर जनवरी, 2019 में शुरू किया गया। इसकी सफलता के बाद, राजस्थान के सभी जिलों में इसे 9 फरवरी, 2019 से शुरू किया गया है।
- **हरित पाठशालाः** 24 अप्रेल, 2019 को "हरित पाठशाला" कार्यक्रम की शुरूआत हुई है। इस योजना का लक्ष्य आने वाले वर्षो में स्कूलों को हरित विद्यालय के रूप में विकसित करना है। शाला दर्पण की रिर्पोट के अनुसार, सत्र 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक विद्यालयों में 10.80 लाख पौधे लगाए गए है।
- **नौ बैग डेः** राज्य में छात्रों के सर्वागीण विकास के लिए, छात्रों द्वारा खुशी से सीखने के लिए शिक्षा के मनोविज्ञान आधारित गतिविधि के मंच पर प्रत्येक शनिवार को "नो बैग डे" प्रारम्भ किया है।
- **ई–कक्षाः** कोविड–19 द्वारा उत्पन्न विषम परिस्थितियों को देखते हुए, राज्य में विभाग द्वारा एक नवाचार के रूप में कक्षा 6 से 12 के छात्रों के लिए डिजिटल ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन करके छात्रों को शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए एक स्थाई शिक्षा का प्रावधान की अनूठी पहल की गई है।

विभाग की लक्षित योजनाओं/कार्यक्रमों पर कोविड–19 महामारी के प्रभाव को दूर करने के लिए किए गए प्रयासः–

समावेशी शिक्षाः–

- समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत कोविड–19 के दौरान विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध करवायी जा रही है। इस हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद मुख्यालय द्वारा राज्य, जिला, ब्लॉक एवं विद्यालय स्तर के अधिकारी/संदर्भ व्यक्ति/विशेष शिक्षको को ऑनलाइन शिक्षण कार्य को गति प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण दिया गया।
- विशेष शिक्षक/संदर्भ व्यक्ति (सीडब्लूएसएन) और अंत में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जोड़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ''स्टेट इनक्लूसिव एडू–राज'', सीडब्लूएसएनके ऑनलाइन लर्निग के लिए स्टेट रिसोर्स ग्रुप, सीडब्लूएसएन के स्टेट ऑनलाइन लर्निग ग्रुप, सीडब्लूएसएन का डिस्ट्रिक्ट ऑनलाइन लर्निग ग्रुप और सीडब्लूएसएन का ब्लॉक ऑनलाइन लर्निग ग्रुप बनाया गया है।
- राजकीय सेठ आनन्दी लाल पोद्दार बधिर विद्यालय, जयपुर एवं राजकीय प्रज्ञा चक्षु अंध उच्च माध्यमिक विद्यालय, उदयपुर को समावेशी सामग्री की तैयारी और चयन के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में नामित किया गया है। ऑनलाइन शिक्षण के लिए समावेशी सामग्री तैयार की गई हैं। प्रतिदिन निर्धारित पाठ्यक्रम की समावेशी सामग्री के ऑडियो को राज्य संसाधन समूह के रूप में व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जिलों और आगे ब्लॉक या स्कूलों और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को साझा किया गया है। पूरे राजस्थान में ऑनलाइन कार्यक्रम को लागू करने के लिए समावेशी शिक्षा एक व्यवस्थित योजना है।

- समावेशी शिक्षा, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम की निगरानी के साथ–साथ उक्त कार्यक्रम को मजबूत बनाने और विशेष आवश्यकताओं वालें बच्चों के लिए और अधिक से अधिक सहायता प्रदान करने के लिए शाला दर्पण पर CWSN ऑनलाइन शिक्षण मॉड्यूल तैयार कर रहा है। उपायुक्त शाला दर्पण, की मदद से दैनिक निगरानी के लिए शाला दर्पण पर CWSN ऑनलाइन शिक्षण मॅड्यूल विकसित किया जा रहा है।

मॉडल विद्यालय :–

वैश्विक महामारी कोविड–19 की विषम परिस्थितियों में, राज्य में संचालित स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में विषय अध्यापकों द्वारा समय–सारणी बनाकर नियमित रूप से ऑनलाईन कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है, जिससे विद्यार्थी नियमित रूप से ऑनलाईन पढाई से लाभान्वित हो सके। गृहकार्य के साथ–साथ प्रतिदिन 10–10 अभिभावकों/विद्यार्थियों से फोन के माध्यम से फीड बैक लिया जाता है। मॉडल विद्यालय द्वारा ऑनलाईन कक्षाओं की प्रत्येक 15 दिवस में प्रगति रिपोर्ट ली जाती है।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) योजनाः–

- कोविड–19 के दौरान कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट (स्माईल) के माध्यम से विषयवस्तु आधारित कन्टेन्ट व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम उपलब्ध कराया जा रहा है।
- दूरदर्शन राजस्थान पर सभी कक्षाओं के लिये रोज सवा तीन घण्टे (12:30–2:30 बजे एवं 3:00 से 4:15 बजे तक) शिक्षादर्शन कार्यक्रम प्रसारित किया गया।
- कोविड–19 लॉकडाउन अवधि के दौरान ऑडियो शिक्षण सामग्री आकाशवाणी के माध्यम से 30 जून, 2020 तक प्रतिदिन 55 मिनट के लिए प्रसारित की गई।
- कक्षा 1–5 एवं 6–8 तथा 9–12 को कक्षा शिक्षण कराने वाले शिक्षकों हेतु ऑनलाईन प्रशिक्षण निष्ठा मॉड्यूल एवं दीक्षा पोर्टल के माध्यम से कराया जा रहा है।
- मिड डे मील योजनान्तर्गत कोविड–19 के कारण विद्यालय बन्द रहने की अवधि में राजकीय विद्यालयों, मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता–पिता/अभिभावक को विद्यालय में खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) एवं चना दाल (कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट की एवज में) वितरण करने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में मिड डे मील योजनान्तर्गत कोविड–19 के कारण विद्यालय बन्द रहने की अवधि 14 मार्च, 2020 से 30 जून, 2020 तक (कुल 94 दिवस), जुलाई, 2020 से अगस्त, 2020 (कुल 48 दिवस) एवं सितम्बर, 2020 से अक्टूबर, 2020 (कुल 49 दिवस) का खाद्यान्न(गेंहू/चावल) वितरण किया जा रहा है।

साक्षरता एवं सतत् शिक्षा

राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण का गठन वर्ष 1988 में किया गया। राज्य में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एन.एल.एम.ए.) के मार्गदर्शन में 1990–91 से संचालित किया जा रहा हैं। साक्षरता एवं सतत् शिक्षा निदेशालय का मुख्य कार्य 15 वर्ष एवं अधिक आयु वर्ग के निरक्षर व्यक्तियों को क्रियाशील साक्षरता प्रदान करने के साथ राष्ट्रीय एकता, परिवार कल्याण, लिंग समानता, भावी विकास एवं व्यावसायिक कौशल, स्वास्थ्य की देखभाल एवं सामाजिक बुराईयों यथा– बाल विवाह आदि पर समुचित जोर देना है। राज्य के समग्र विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है।

साक्षर भारत कार्यक्रमः राज्य में साक्षर भारत कार्यक्रम, प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने एवं सुदृढ़ करने, उन व्यस्कों विशेषकर महिलाओं के लिए शिक्षा के अवसर बढ़ाकर, जो औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर खो चुके हैं तथा ऐसी शिक्षा प्राप्त करने की मानक आयु सीमा पार कर चुके हैं, के लिए स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (डी.एस.ई.एल.), मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम.एच.आर.डी) की केन्द्र प्रवर्तित योजना के रूप में लागू किया गया है। राज्य में यह कार्यक्रम 2009–2018 की अवधि के दौरान लागू किया गया है। कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित लक्ष्य 82.15 लाख के विरूद्व 83.25 लाख निरक्षरों को साक्षर किया गया।

महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं अध्ययन कक्षः राज्य सरकार द्वारा साक्षर भारत कार्यक्रम अवधि के दौरान नव–साक्षरों के लिए प्रत्येक लोक शिक्षा केन्द्र पर महात्मा गाँधी पुस्तकालय एवं अध्ययन कक्ष चालू किए हैं।

महिला शिक्षण विहारः महिला शिक्षण विहार 15–30 आयु वर्ग की तलाकशुदा, विधवा, आदिवासी तथा शिक्षा के अवसरों

से वंचित समूह की महिलाओं के लिए दसवीं कक्षा तक के आवासीय विद्यालय हैं। जीवन स्तर में सुधार के साथ इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वर्तमान में यह शिक्षण विहार कार्यक्रम झालावाड़ जिले में संचालित है। वर्ष 2020–21 में नवम्बर, 2020 तक 100 महिलाओं का पंजीकरण किया गया तथा ₹6.59 लाख व्यय किए गए।

उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षा विभाग सामान्य शिक्षा के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों का प्रबन्धन करता है। देश की आजादी के समय राज्य में सामान्य शिक्षा के मात्र 7 महाविद्यालय थे, परन्तु वर्तमान में महाविद्यालयों की संख्या 2,000 से अधिक हो गई है। राजस्थान में उच्च शिक्षा के तेजी से हुए प्रसार के फलस्वरूप आज प्रदेश में सामान्य शिक्षा के कुल 2,163 महाविद्यालय हैं, जिनमें से 322 राजकीय महाविद्यालय, 16 राजकीय विधि महाविद्यालय, 1,817 निजी महाविद्यालय, 2 स्ववित्तपोषी संस्थाएं तथा 6 निजी सहभागिता से स्थापित महाविद्यालय हैं। विभाग द्वारा 1,407 शिक्षक–प्रशिक्षक महाविद्यालय भी संचालित किए जा रहे हैं। राज्य में 27 राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, 51 निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय तथा 7 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं।

वर्ष 2020–21 की प्रमुख गतिविधियां निम्नलिखित हैं:–

- 48 नवीन राजकीय महाविद्यालय शुरू किए गए।
- 10 राजकीय महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत किया गया है।
- 13 राजकीय महाविद्यालयों में 18 नवीन संकाय शुरू किए गए है।
- 04 राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर 10 नवीन विषय शुरू किए गए है।
- 15 राजकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर 17 नवीन विषय शुरू किए गए है।
- राजकीय महाविद्यालयों में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2020 तक ₹2,348.24 लाख खर्च किए गए है।
- वर्ष 2020–21 में विभिन्न योजनाओं के तहत ₹32,305.64 लाख के बजट प्रावधान के विरूद्व दिसम्बर, 2020 तक ₹19,474.86 लाख का व्यय हुआ है।
- राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के चरणबद्व विकास हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) योजना के अंतर्गत वर्ष 2020–21 में ₹10,614.13 लाख का आवंटन किया गया है। दिसम्बर, 2020 तक ₹1,929.62 लाख खर्च किए गए हैं।
- शैक्षणिक सत्र 2020–21 में आवश्यकता अनुसार स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में 10 से 25 प्रतिशत तक सीटों की वृद्वि की गई है।
- महात्मा गांधी की 150 वीं जयन्ती वर्ष में उनके न्यासिता के सिद्धांत से प्रेरित होकर "आनंदम" नामक एक अनिवार्य पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इस नवाचार का उद्देश्य युवाओं को यह सिखाना है कि समाज सेवा के माध्यम से आनंद को कैसे प्राप्त किया जाए। यह युवाओं को जिम्मेदार नागरिक बनाने में सक्षम बनायेगा ताकि वे एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकें। यह राज्य की अनूठी पहल है और ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है।
- छात्राओं को रोजगारोन्मुख कौशल एवं सूचना–प्रौद्योगिकी आधारित प्रशिक्षण, संवाद कौशल तथा विभिन्न राजकीय योजनाओं के बारे जानकारी दिलवाने के लिये 10 राजकीय कन्या महाविद्यालयों में इन्दिरा प्रियदर्शिनी स्वर्णिम उड़ान योजना शुरू की गई है।
- छात्राओं के लिए जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज, आई टी कौशल, महिला अधिकार जागरुकता, महिला स्वास्थ्य तथा आत्मरक्षा ट्रेनिंग रखी गई है।
- सामुदायिक बुक बैंक योजना शुरू की गई है जिसके तहत 49,595 पुस्तकें एकत्र की है एवं 16,612 जरूरतमंद और प्रतिभाशाली छात्रों को लाभावित्त किया गया है।
- नवम्बर, 2020 तक कुल 1,27,320 वीडियो और 1,35,390 पी.डी.एफ. राजकीय महाविद्यालयों के संकाय सदस्यों द्वारा अपलोड किया गया है।

संस्कृत शिक्षा

संस्कृत भाषा को देव वाणी, देवताओं की भाषा के रूप में जाना जाता है। यह केवल भारतीय संस्कृति का पोषक ही नहीं, बल्कि ज्ञान का एक स्रोत भी है। यह विश्व की प्राचीनतम भाषा है और अभी भी हजारों वर्ष पहले के रूप और संरचना को स्थाई बनाए रखे हुए है। यह शब्द गठन की अद्भुत क्षमता के साथ सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है।

देश की आजादी के बाद से ही संस्कृत भाषा को संरक्षण एवं बढ़ावा देने के लिए प्रयास प्रारम्भ कर दिए गए थे। राजस्थान संस्कृत भाषा के लिए अग्रणी राज्य है, जहाँ एक पृथक निदेशालय अपनी स्थापना के वर्ष 1958 से ही कार्यरत है और 1998 में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। निदेशालय विद्यालय स्तर से स्नातकोत्तर स्तर तक अपनी संस्थाओं के माध्यम से संस्कृत को बढ़ावा देने हेतु कार्य कर रहा है।

वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक संस्कृत शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं पर ₹7,137.30 लाख व्यय किए गए। वर्ष 2020–21 के दौरान शिक्षण संस्थानों की स्थिति तालिका–8.5 में दर्शाई गई है।

तालिका–8.5 संस्कृत शिक्षा के संस्थानों की संख्या

स्तर	राजकीय	निजी
प्राथमिक	424	14
उच्च प्राथमिक	965	260
प्रवेशिका	190	75
वरिष्ठ उपाध्याय	192	27
शास्त्री (स्नातक स्तर)	17	13
आचार्य (स्नातकोत्तर स्तर)	13	14

इन संस्थानों में कुल 1.74 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत् हैं। विभाग राजकीय एवं निजी क्षेत्र में एस.टी.सी. तथा शिक्षा शास्त्री महाविद्यालय भी चला रहा है। वर्ष 2020–21 में एक राजकीय व 15 निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय चल रहे है, जबकि निजी क्षेत्र में 82 शिक्षा शास्त्री महाविद्यालय कार्यरत हैं।

तकनीकी शिक्षा

भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के युग का साक्षी है। वर्तमान समय में तकनीकी शिक्षा की भारी मांग है। तकनीकी शिक्षा विशिष्ट व्यापार, हस्तकला अथवा पेशे का ज्ञान प्रदान करती है।

अभियांत्रिकी / प्रबन्धन शिक्षा

राज्य में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर अभियांत्रिकी की शिक्षा देने हेतु कुल 88 (जिसमें आर्किटेक्चर शाखा वाले दो इंजीनियरिंग कॉलेज शामिल) अभियांत्रिकी महाविद्यालय कार्यरत हैं। इनमें से, 11 राज्य सरकार के अधीन स्वायत्त अभियांत्रिकी कॉलेज, 1 केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित संस्थान, 4 राज्य विश्वविद्यालय के घटक कॉलेज हैं और 72 निजी गैर सहायता प्राप्त कॉलेज हैं, जिनकी कुल वार्षिक प्रवेश क्षमता 34,072 विद्यार्थी है। इसी प्रकार प्रबन्धन शिक्षा में स्नातकोत्तर स्तर तक के 50 एम.बी.ए. संस्थान (7 राजकीय / राजकीय सहायता प्राप्त एवं 43 निजी संस्थान) संचालित हैं, जिनकी वार्षिक प्रवेश क्षमता 3,402 विद्यार्थी है। सभी स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के स्वायत्त / निजी अभियांत्रिकी महाविद्यालय राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा और बीकानेर से सम्बद्ध हैं। एम.बी.ए. संस्थान राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा एवं बीकानेर से सम्बद्ध है। इसके अतिरिक्त, राज्य में भारतीय तकनीकी संस्थान (आई.आई.टी.), जोधपुर, आईआईआईटी कोटा, एमएनआईटी जयपुर तथा एक भारतीय प्रबन्धन संस्थान (आई.आई.एम.), उदयपुर में संचालित है।

पॉलिटेक्निक: राज्य में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए कुल 130 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जिनकी वार्षिक प्रवेश क्षमता 28,299 विद्यार्थी है, संचालित है। जिनमें से 6,546 प्रवेश क्षमता के 36 राजकीय सहशिक्षा पॉलिटेक्निक, 1,015 प्रवेश क्षमता के 8 महिला पॉलिटेक्निक (जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर,

कोटा, सांगानेर एवं भरतपुर) तथा 20,738 प्रवेश क्षमता के 86 निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय संचालित हैं। वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक तकनीकी शिक्षा (पॉलिटेक्निक) के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं पर ₹2,140.79 लाख व्यय हुए। गत पाँच वर्षों की पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों की भौतिक प्रगति तालिका–8.6 में दर्शायी गई है।

तालिका–8.6 गत 5 वर्षों की पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों की प्रगति

वर्ष	कुल पॉलिटेक्निक महाविद्यालय			कुल प्रवेश क्षमता		
	राजकीय	निजी	योग	राजकीय	निजी	योग
2016-17	42	155	197	5470	45115	50585
2017-18	42	140	182	6450	40195	46645
2018-19	43	108	151	6480	29415	35895
2019-20	44	92	136	7215	22781	29996
2020-21*	44	86	130	7561	20738	28299

*दिसम्बर, 2020 तक

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.): औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के अन्तर्गत कार्य कर रहे है। राज्य में शिल्पकार प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2020–21 में कुल 260 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 91,660 सीटें स्वीकृत हैं। जिनमें से 11 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान क्रमशः जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अलवर, उदयपुर, टोंक, बांसवाड़ा एवं लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में हैं। वर्तमान में 229 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश दिये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 3,02,730 प्रवेश क्षमता के 1,715 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। इन संस्थानों में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत अभियांत्रिकी व गैर अभियांत्रिकी के एक से दो वर्ष की अवधि के व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की विभिन्न योजनाओं में वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक ₹9,159.74 लाख व्यय किए गए।

चिकित्सा शिक्षा

राजस्थान में दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 तक 23 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें से 6 राजकीय, एक झालावाड हॉस्पीटल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी, झालावाड, एक राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (आर.यू.एच.एस.) का संगठक कॉलेज, 7 राजस्थान मेड़िकल एज्यूकेशन सोसायटी (राजमेस) के तहत व 8 निजी क्षेत्र में हैं। केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के द्वितीय चरण में धौलपुर मेडिकल कॉलेज एवं केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तृतीय चरण के अन्तर्गत 15 नई मेड़िकल कॉलेज अलवर, बारां, बांसवाड़ा, बून्दी, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, करौली, नागौर, श्रीगंगानगर, सिरोही, दौसा, झुन्झुनूं, हनुमानढ़, टोंक एवं सवाईमाधोपुर की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों की वार्षिक प्रवेश क्षमता 2,830 स्नातक, 1,255 स्नातकोत्तर व 125 अति विशिष्ट दक्षता वाले स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों की है। निजी मेडिकल कॉलेजों की वार्षिक प्रवेश क्षमता 1,300 स्नातक व 427 स्नातकोत्तर विद्यार्थियों की है। इसी प्रकार राज्य में 16 दन्त चिकित्सा कॉलेज हैं, जिनमें से 1 राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (आर.यू.एच.एस.) का संगठक कॉलेज व 15 निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं। राजकीय दन्त चिकित्सा कॉलेज की वार्षिक प्रवेश क्षमता 50 स्नातक एवं 19 स्नातकोत्तर विद्यार्थियों की हैं। निजी दन्त चिकित्सा कॉलेजों की वार्षिक प्रवेश क्षमता 1,460 स्नातक व 303 स्नातकोत्तर विद्यार्थियों की है। सीकर मेडिकल कॉलेज को सत्र 2020–21

में शुरू किया गया है। मेडिकल कॉलेजों से संम्बद्ध अस्पतालों द्वारा अन्तरंग व बहिरंग रोगियों की देखभाल की जा रही है तथा प्रदेश की जनसंख्या के बड़े भाग की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता की पूर्ति की जा रही है, इसके साथ ही पडौसी राज्यों (जैसे हरियाणा, पंजाब, गुजरात, मध्यप्रदेश एवं उत्तरप्रदेश आदि) के रोगियों की देखभाल की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में विभागीय उपलब्धियां एवं नवाचार :–

- 15 नये मेड़िकल कॉलेज अलवर, बारां, बूंदी, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, करौली, नागौर, सिरोही, श्रीगंगानगर, दौसा, झुन्झुनू, हनुमानगढ़, टोंक एवं सवाई माधोपुर को केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अंतर्गत अनुमोदित प्रोजेक्ट प्रति मेडिकल कॉलेज ₹325 करोड रूपये की लागत से स्थापित किया जाना है। इसमें केन्द्र की हिस्सा राशि 60 प्रतिशत एवं राज्य की हिस्सा राशि 40 प्रतिशत है। उक्त मेडिकल कॉलेजों के निर्माण हेतु कार्यकारी एजेन्सीज के साथ एमओयू सम्पादित किया जा चुका है।
- राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में वर्तमान में 1,255 पीजी एवं 125 सुपरस्पेशियलिटी सीटें उपलब्ध है। राजकीय मेडिकल कालेजों में पीजी सीटों की बढ़ोतरी के लिये सघन प्रयास किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने वर्ष 2019–20 में 950 पोस्ट ग्रेजुएट सीटों और 11 सुपर–स्पेशियलिटी सीटों को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा 806 सीटें बढ़ाने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी किया है।
- राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में वर्ष 2019–20 में 650 एमबीबीएस सीटें एवं वर्ष 2020–21 में 230 एमबीबीएस सीटें बढ़ाई गई हैं। इस प्रकार 880 सीटों की वृद्वि की गई जो कि 2018–19 में उपलब्ध 1,950 एमबीबीएस सीटों का 45 प्रतिशत है। वर्तमान में राजकीय क्षेत्र में 2,830 एमबीबीएस सीटें है।
- शैक्षणिक सत्र 2019–20 में बाडमेर में नया मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किया गया। शैक्षणिक सत्र 2020–21 में सीकर में नया मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किया है।
- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के अन्तर्गत ₹150 करोड (प्रति कॉलेज) की लागत से कोटा, बीकानेर एवं उदयपुर में सुपर–स्पेशयलिटी ब्लॉक का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया हैं। सवाईमानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर में ₹200 करोड़ की लागत से निर्मित किये जा रहे सुपर–स्पेशयलिटी ब्लॉक का निर्माण कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है।
- एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर में मानव अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण ऑर्गनाइजेशन एवं कॉर्डिया थोरासिक हृदय प्रत्यारोपण ओटी एवं गहन चिकित्सा इकाई का निर्माण कार्य पूर्ण। इसी प्रकार, 1994 के मानव अंग अधिनियम के तहत जे.एल.एन. चिकित्सालय अजमेर, न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कोटा, महाराणा भूपाल चिकित्सालय उदयपुर एवं पी.बी.एम. हॉस्पिटल बीकानेर को 29 जुलाई, 2020 को 5 साल के लिये अंग ऊतक पुनः प्राप्ति प्रदर्शन प्रमाण–पत्र जारी किए गए है।
- सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में ₹10 करोड की लागत से 50 शैय्याओं के एडवांस मेडिकल आईसीयू एवं ₹2 करोड की लागत से 10 शैय्याओं का स्ट्रोक आईसीयू का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
- राज्य कैंसर केन्द्र निर्माण का कार्य पूरा हो गया है। इस परिसर मे ओपीडी सेवाऐं शुरू की जा चुकी हैं।
- राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के 500 शैय्याओं के नये चिकित्सालय को प्रारंभ किया गया। वर्तमान में, इस अस्पताल को राज्य में एक समर्पित कोविड–19 अस्पताल के रूप में उपयोग किया जा रहा हैं।
- श्वसन रोग की बीमारियों से पीड़ित बच्चों को लाभान्वित करने के लिए जे.के. लोन अस्पताल, (सर पदमपत् मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान) जयपुर में 30 जनवरी, 2020 से ब्रोन्कोस्कोपी शुरू की गई है।
- सर पदमपत् मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान, जयपुर में रजिस्ट्रेशन एवं वेटिंग हॉल तथा ब्लड बैंक की स्थापना की गई हैं। दुर्लभ बिमारी के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हेतु मल्टीनेशनल कम्पनी Genzyme से एमओयू किया गया हैं। बाल सर्जरी विभाग में लेप्रोस्कोपिक सिमुलेशन लैब एवं मिल्क बैंक के लिए जोनल रेफरेंस सेंटर शुरू किया गया हैं।
- मेडिकल कॉलेज, बीकानेर में ₹2.86 करोड की लागत से दन्त चिकित्सालय एवं मेडिकल आईसीयू का निर्माण करवाया गया हैं।

- पी.बी.एम. चिकित्सालय, बीकानेर में प्रसूताओं के लिए दर्द रहित प्रसव की सुविधा शुरू की गई है।
- जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर में ₹442.50 लाख की लागत से 4 ऑपरेशन थियेटर को मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर के रूप में नवीनीकरण किया गया है एवं ₹261.00 लाख की लागत से आपातकालीन ईकाई और दानदाता के सहयोग से ₹240.50 लाख की लागत से ब्रैंकीथैरेपी मशीन स्थापित की गई है।
- मथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर में ₹5 करोड़ की लागत से नवीन कैथ लैब का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।
- मथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर में 4 ऑपरेशन थियेटर, 10 शैय्याओं का आईसोलेशन वार्ड एवं 17 शैय्याओं के आईसीयू का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया हैं।
- मेडिकल कॉलेज, कोटा में ₹1,209.95 लाख की लागत से एक सेन्ट्रल पुस्तकालय का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है।
- मेडिकल कॉलेज, कोटा में ₹1,025.14 लाख की लागत से 150 छात्रों के लिए हॉस्टल का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है।
- मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में जूनियर बॉयज हॉस्टल, लेक्चर थियेटर, ओपीडी एवं एकीकृत इन्वेस्टीगेशन ब्लॉक एवं सीनियर रेजिडेन्ट हॉस्टल का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।
- मेडिकल कॉलेज, डूंगरपुर में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तहत 300 शैय्याओं के नवनिर्मित भवन, रेजिडेन्ट हॉस्टल एवं नर्सेज हॉस्टल का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

कोविड–19 महामारी के प्रबंधन हेतु लिए गय महत्वपूर्ण निर्णय

- कोविड–19 रोगियों के उपचार हेतु प्लाज्मा थेरेपी के समावेश ने रोगियों के जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्य में प्लाज्मा थेरेपी, मेडिकल कॉलेज जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर, अजमेर एवं भीलवाडा में उपलब्ध है।
- 1,200 की कुल शैय्या क्षमता वाले आरयूएचएस कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल को समर्पित कोविड अस्पताल में बदल दिया गया है। एस.एम.एस. चिकित्सालय में 32 शैय्याओं का एक नया आपातकालीन आई.सी.यू. स्थापित किया गया है, जिसमें आरयूएचएस में भर्ती कोविड–19 मरीजों को जिनकी जांच रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है लेकिन हालत गंभीर है, का ईलाज किया जा रहा है।
- आरयूएचएस अस्पताल में तरल ऑक्सीजन भंडारण स्थापित किया जा चुका है। जोधपुर, बीकानेर एवं उदयपुर मेडिकल कॉलेजों में स्थापित की जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इससे इन चिकित्सालयों में ऑक्सीजन की गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

भाषा एवं पुस्तकालय विभाग

सार्वजनिक पुस्तकालयों के प्रशासन और हिन्दी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भाषा और पुस्तकालय विभाग की स्थापना की गई है। वर्तमान में एक राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, 07 सम्भाग स्तरीय पुस्तकालय, 33 जिला स्तरीय पुस्तकालय, 06 पंचायत समिति स्तरीय पुस्तकालय (भाषा और पुस्तकालय विभाग के नियन्त्रण में), 276 पंचायत समिति पुस्तकालय (माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियंत्रण में) कार्य कर रहे हैं।

पुस्तकालय जागरूकता कार्यक्रमः पुस्तकालयों में पाठकों की संख्या बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। इसी उद्देश्य से विभिन्न अन्य गतिविधियाँ भी आयोजित की जा रही हैं। सभी आयु वर्ग के पुरुष और महिला पाठकों को पुस्तकालय सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। वरिष्ठ नागरिक कॉर्नर, महिला कॉर्नर, चिल्ड्रन कॉर्नर, नेत्रहीनों के लिए नियो–लिटरेट कॉर्नर पढ़ने की सुविधा भी चयनित पुस्तकालयों में उपलब्ध है।

पुस्तकालयों में कुल पुस्तकें एवं पाठकों की संख्याः विभाग द्वारा संचालित 47 पुस्तकालयों में वर्तमान में 20.92 लाख पुस्तकें उपलब्ध हैं। वर्ष 2019–20 के अनुसार पुस्तकालयों में पंजीकृत सदस्यों की संख्या 15,640 है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

राज्य सरकार समाज के कमजोर वर्गों, गरीबों और जरूरतमंदों के लिए विशेष जोर देने के साथ–साथ सभी के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति के प्रमुख स्वास्थ्य सुधारों को लागू करने के लिए निरन्तर प्रयासरत हैं। राज्य सरकार संक्रामक एवं अन्य रोगों के नियन्त्रण एवं उन्मूलन तथा राज्य में

उपचारात्मक एवं निवारक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है।

राजस्थान का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा संस्थाओं का संरचनात्मक विकास एवं सुदृढ़ीकरण कर एक सुनियोजित तरीके से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी समुदायों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। राजकीय एलोपैथिक चिकित्सा संस्थाओं (स्वास्थ्य महाविद्यालय चिकित्सालयों के अतिरिक्त) की दिसम्बर, 2020 के अन्त तक की स्थिति तालिका–8.7 में दर्शाई गई है।

तालिका–8.7 चिकित्सा संस्थानों का विवरण

क्र.सं.	चिकित्सा संस्थान	चिकित्सा संस्थानों की संख्या (31 दिसम्बर, 2020 तक)	एन.यू.एच.एम. के अन्तर्गत
1.	चिकित्सालय	107	-
2.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	655	13
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (ग्रामीण)	2147	-
4.	औषधालय (डिस्पेंसरी)	190	-
5.	मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र	118	-
6.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (शहरी)	51	140
7.	उप स्वास्थ्य केन्द्र	14497	-
8.	शैय्याएं *	54877	390

*स्वास्थ्य महाविद्यालय चिकित्सालयों के अतिरिक्त अन्तरंग रोगी शैय्याएं।

वर्ष 2020–21 के दौरान नवीन गतिविधियों का विवरणः

- सीएचसी दूदू,जिला जयपुर को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया गया है।
- सीएचसी सांगानेर, जिला जयपुर एवं सीएचसी खैरथल (किशनगढ़बास) जिला अलवर को सैटेलाईट अस्पताल में क्रमोन्नत किया गया है।

निरोगी राजस्थान अभियान

राजस्थान के समस्त नागरिकों की स्वास्थ्य समस्याओं के निदान व बचाव के उदेश्य से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा 18 दिसम्बर, 2019 को निरोगी राजस्थान अभियान का शुभारम्भ किया गया, जिसके अन्तर्गत बीमारियों से बचाव हेतु निम्नलिखित कार्य किए जाएंगेः–

- जनसंख्या नियंत्रण (परिवार कल्याण कार्यक्रम)।
- वृद्धावस्था की स्वास्थ्य समस्याएं और देखभाल।
- महिला स्वास्थ्य (एनीमिया, कुष्ठ और स्तन केन्सर)।
- मौसमी संचारी रोग।
- किशोरावस्था स्वास्थ्य (एनीमिया, कुपोषण, मोटापा, माहवारी एवं स्वच्छता)।
- असंचारी रोग (जीवन शैली आधारित मोटापा, मधुमेह, बी.पी., मनोरोग, हृदयरोग, पक्षाघात, कैंसर तथा फेफड़े संबंधी रोग)।
- टीकाकरण एवं व्यस्क टीकाकरण (सम्पूर्ण टीकाकरण)।
- ड्रग की लत और बीमारी (शराब, ड्रग्स व तम्बाकू)।
- खाद्य मिलावट।
- प्रदूषण इत्यादि।

इसके लिए प्रत्येक गांव व शहरी वार्ड में एक–एक स्वास्थ्य एवं स्वयं सेवक मित्र (महिला व पुरूष) का चयन किया जाना प्रस्तावित है, जिन्हें "स्वास्थ्य मित्र" नाम दिया गया। राज्य मे प्रत्येक राजस्व ग्राम मे एक–एक स्वास्थ्य मित्र (महिला व पुरूष) कुल 79,731 एवं शहरी वार्ड में एक–एक स्वास्थ्य मित्र (महिला व पुरूष) कुल 14,007 का चयन कर प्रशिक्षित किया जा चुका हैं। उपरोक्त उदेश्यों के लिए स्वयंसेवी व्यक्तियों

द्वारा अवैतनिक रूप से स्वास्थ्य मित्र का कार्य किया जायेगा जो जनता को स्वस्थ रहने हेतु प्रेरित करेगें।

जनता क्लिनिक

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2019–20 की अनुपालना में राज्य में नागरिकों को अपने निवास स्थान के नजदीक तत्काल एवं निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाये जाने की दृष्टि से राज्य में गन्दी बस्तियों, सघन बस्तियाँ, जहाँ आसपास कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, में जनता क्लिनिक खोले जाने हैं। वर्तमान में जयपुर शहर में 12 जनता क्लिनिक संचालित है जिसमें अब तक 1,35,682 मरीजो को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा से लाभान्वित किया गया हैं।

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना

'मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना' 2 अक्टूबर, 2011 को लागू की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत चिकित्सा महाविद्यालय, जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर आने वाले सभी अन्तरंग एवं बहिरंग रोगियों को अधिकांशतः प्रयोग में आने वाली आवश्यक दवाईयाँ निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन (आर.एस.एम.सी.) का गठन चिकित्सा विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए दवाईयां, शल्य चिकित्सा औजार और टांके की खरीद के लिए एक केन्द्रीय खरीद एजेन्सी के रूप में किया गया है। आर.एस.एम.सी. राज्य के सभी 33 जिलों में स्थापित जिला ड्रग वेयर हाउस (डी.डी.डबल्यू.एच.) के माध्यम से सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को दवाईयों की आपूर्ति कर रहा है। वर्ष 2020–21 में आवश्यक दवा सूची में 04 नई औषधियाँ शामिल की गई है। वर्तमान में आवश्यक दवा सूची में दवाएं 709 से बढ़ाकर 713 तथा 181 सर्जिकल्स एवं 77 सूचर्स सूचीबद्ध हैं। दवाईयों की गुणवत्ता की जांच ड्रग टेस्टिंग लैबोरेट्रीज द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। राजकीय चिकित्सा संस्थानों में संचालित निःशुल्क दवा वितरण केन्द्रों पर उपलब्ध कराई जा रही दवाईयों की सूची प्रदर्शित की गई है। बहिरंग रोगियों हेतु दवा वितरण केन्द्र के समयानुसार तथा अन्तरंग एवं आपातकालीन रोगियों के लिए दवा की उपलब्धता 24 घण्टे सुनिश्चित की गई है। इस योजना में जटिल एवं गम्भीर बीमारी के लिए भी दवाईयां उपलब्ध हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक योजना के अन्तर्गत ₹489.82 करोड़ की राशि व्यय की जा चुकी है।

निःशुल्क सैनेटरी नैपकिन वितरण योजना

राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की सभी स्कूल जाने वाली कक्षा–6 से 12 तक की किशोरी बालिकाओं एवं स्कूल नहीं जाने वाली 10 से 19 वर्ष तक की किशोरियों को निःशुल्क सैनेटरी नैपकिन्स उपलब्ध कराने की योजना प्रारम्भ की गई। योजना में प्रत्येक बालिका को प्रतिमाह 12 सैनेटरी नैपकिन्स निःशुल्क वितरित किए जाने का प्रावधान रखा गया। वित्तीय वर्ष 2020–21 में, दिसम्बर, 2020 तक इस योजना के अन्तर्गत ₹10.60 करोड़ के 5.66 करोड़ सैनेटरी नैपकिन्स स्कूल जाने वाली बालिकाओं एवं ₹1.94 करोड़ के 1.14 करोड़ सैनेटरी नैपकिन्स स्कूल नहीं जाने वाली बालिकाओं को वितरित किये गये।

मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना

यह योजना राजकीय अस्पतालों मे आने वाले रोगियों को सम्पूर्ण उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाने एवं अन्य जांच सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के रूप में ''मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना'' चरणबद्ध तरीके से शुरू की गई है। यह योजना मात्र जांचों को निःशुल्क उपलब्ध करवाने के लिए ही नहीं, अपितु इस योजना के माध्यम से राजस्थान के समस्त राजकीय चिकित्सालयों पर जांच सेवाओं का सुदृढ़ीकरण भी किया गया है। दिसम्बर, 2020 तक 34.26 करोड़ जांचें की जाकर 15.54 करोड़ लोगों को इस योजना में लाभान्वित किया जा चुका है। प्रतिदिन लगभग 1.25 से 1.50 लाख जांचे निःशुल्क की जा रही हैं।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एन.एम.एच.पी.)

इस योजना में 1,12,323 नए रोगी एवं 1,92,892 फॉलोअप रोगियों का मेडिकल चेकअप कराया गया तथा एन.एम.एच.पी. के अन्तर्गत 215 शिविर आयोजित कर 3,383 रोगियों का उपचार किया गया। एन.एम.एच.पी. की क्षमता निर्माण पहल के तहत 4,432 स्टाफ को प्रशिक्षित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक इस योजना के अन्तर्गत ₹96.65 लाख व्यय हो चुके हैं।

राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियन्त्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम

राजस्थान के सभी 33 जिले फ्लोरोसिस से प्रभावित है। वर्तमान मे राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियन्त्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम 30 जिलों मे स्वीकृत है। कार्यक्रम के अन्तर्गत माह अप्रेल, 2020 से दिसम्बर, 2020 तक 10,201 सम्भावित मरीजों को

चिन्हित किया गया है। माह अप्रेल, 2020 से दिसम्बर, 2020 तक 1,739 सम्भावित मरीजों के मूत्र की जांच की गयी है, जिनमें से 1,168 मरीजो के पेशाब में फ्लोराईड का स्तर सामान्य से अधिक पाया गया है। 877 पानी के स्त्रोतों की जांच की गयी है। कुल 1,119 मरीजो को प्राथमिक उपचार व दवा वितरण किया गया है।

राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य कार्यकम

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2014–15 में शुरू किया गया था। जिसका उद्देश्य मुख स्वास्थ्य के निर्धारको मे सुधार एवं ग्रामीण व शहरी आबादी में मुख स्वास्थ्य की सेवाओं में उपलब्ध असमानता को कम करना है। वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर, 2020 तक कुल 6,280 केम्प लगाये गये जिसमें 17,06,317 मरीजों के मुख की जांच की गई एवं राजकीय दन्त चिकित्सा संस्थानों में कुल 4,64,916 मरीजों का ईलाज किया गया। वर्ष 2020–21 में राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत भारत सरकार से ₹47.20 लाख की राशि प्राप्त की गई।

आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

इस योजना के अन्तर्गत आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को दो चरणों में विकसित किया गया है। प्रथम चरण में 295, वहीं द्वितीय चरण में 596 आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को विकसित किया गया है। सभी आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रतिमाह लगभग 11 से 12 लाख रोगियों को उपचारित किया जा रहा है तथा 10 से 11 हजार प्रसव कराये जा रहे हैं।

सार्वजनिक–निजी सहभागिता

राज्य में आमजन को सस्ती एवं गरीब तबके के रोगियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 33 राजकीय चिकित्सालयों मे हीमोडायलेसिस की सेवायें एवं 30 राजकीय चिकित्सालयों में पी.पी.पी. मोड पर सी.टी. स्कैन मशीन का संचालन किया जा रहा है। राजस्थान में निःसंतान दम्पत्ति को सस्ती आई.वी.एफ. सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 8 राजकीय चिकित्सालयों यथा– बारां, सवाईमाधोपुर, रामपुरा कोटा, कांवटिया अस्पताल जयपुर, ब्यावर (अजमेर), सीकर, बीकानेर एवं पाली में आई.वी.एफ. केन्द्र पी.पी.पी. मोड पर संचालित किए जा रहे हैं। राजस्थान में आमजन को सस्ती एवं गरीब तबके के रोगियों को एम.आर. आई. जांच सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 4 राजकीय चिकित्सालयों यथा– कांवटिया अस्पताल जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा एवं सीकर में पी.पी.पी. मोड पर एम.आर.आई. मशीन का संचालन किया जा रहा है। इसी प्रकार वर्तमान में 70 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निजी जनसहभागिता से संचालित हो रहे हैं।

शुद्ध के लिए युद्ध अभियान

राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए, राजस्थान सरकार द्वारा 26 अक्टूबर, 2020 से ''शुद्ध के लिए युद्ध'' अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए एक टीम का गठन किया गया है जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, प्रर्वतन अधिकारी, कानूनी मेट्रोलॉजी अधिकारी तथा डेयरी प्रतिनिधि शामिल हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण समिति का गठन किया गया हैं। इस अभियान के अंतर्गत, वर्ष 2020 में 10,175 निरीक्षण करने के बाद 7,439 नमूने लिए गए, जिनमें से 809 घटिया, 376 गलत और 255 असुरक्षित पाए गए।

वर्ष 2020–21 के दौरान दिसम्बर, 2020 तक निम्नलिखित उपलब्धियां रही हैं:–

- ''राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम'' में नए खोजे गए रोगियों के लक्ष्य 1,120 के विरूद्व 335 नए कुष्ठ रोगियों की खोज की गई तथा 491 रोगियों का उपचार कर रोग मुक्त किए गए।
- ''संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम'' के अन्तर्गत 2,25,000 रोगियों की खोज के लक्ष्य के विरूद्व 1,35,125 क्षय रोगियों को डॉट्स पद्धति के अन्तर्गत उपचार पर रखा गया है।
- ''राष्ट्रीय अन्धता नियन्त्रण कार्यक्रम'' के अन्तर्गत 3,30,000 नेत्र ऑपरेशन लक्ष्य के विरूद्व 52,336 नेत्र ऑपरेशन किए जा चुके हैं।
- ''राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एन.वी.बी. डी.सी.पी.)'' में 81.83 लाख के लक्ष्य के विरूद्ध 58.35 लाख रक्त स्लाइडें संग्रहित कर जांच की है।
- ''राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम'' में 16,50,880 व्यक्तियों के खून की जांच की गई है, जिसमें से 3,112 रक्त के नमूने एच.आई.वी. पॉजिटिव पाए गए हैं।
- ''आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम'' में दिसम्बर, 2020 तक 2,85,164 नमूने संकलित किए हैं।
- राजस्थान में असंक्रामक रोगों की रोकथाम एवं नियन्त्रण हेतु भारत सरकार के सहयोग से राज्य के 33 जिलों में राष्ट्रीय कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह एवं स्ट्रोक नियन्त्रण कार्यक्रम (एन.पी.सी.डी.सी.एस.) चलाया जा रहा है। इस

कार्यक्रम के अन्तर्गत कैंसर, हृदय रोग एवं मधुमेह रोग की पहचान हेतु व्यापक स्तर पर स्क्रीनिंग कर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार से कुल ₹5,560.05 लाख प्राप्त हुए हैं, जिसमें से ₹1,261.56 लाख व्यय किए जा चुके हैं।

- भारत सरकार का ''राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम'' (एन.टी.सी.पी.) राज्य के सभी 33 जिलों में संचालित किया जा रहा है। कुल 15,468 रोगियों को तम्बाकू उपभोग छोड़ने के लिए परामर्श प्रदान किया गया है। तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 से लागू है और इसके तहत कुल 9,562 चालान किए गए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक स्वीकृत राशि ₹575.21 लाख के विरूद्व ₹296.44 लाख व्यय किए गए।
- समेकित रोग निगरानी कार्यक्रम (आई.डी.एस.पी.) राजस्थान के समस्त 33 जिलों में चल रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दिसम्बर, 2020 तक ₹342.01 लाख व्यय किए जा चुके हैं।

कोविड–19 को रोकने के लिए प्रभावी प्रबंधन

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) द्वारा कोविड–19 को एक अंतर्राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के मध्यनजर एवं स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त होने वाले महामारी से संबंधित दिशा–निर्देशो के अनुसार राज्य में बचाव, नियंत्रण के लिए विभिन्न उपाय, उपचार, जांच (संपर्क ट्रेसिंग) और सूचना का प्रसार किया गया। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर यात्रियों की स्क्रीनिंग, मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में रोगग्रस्त यात्रियों की पहचान, आईसोलेशन वार्डों में संक्रमित यात्रियों की स्क्रीनिंग और प्रवेश एवं देश के सभी हिस्सों से आने वाले यात्रियों की जानकारी एकत्र करने जैसी गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। राज्य में कोविड– 19 की पहली घटना 2 मार्च, 2020 को जयपुर में एक इटली नागरिक में पाई गई थी। दिसम्बर, 2020 तक राज्य में कुल 3,08,243 रोगी पाये गये है।

- सक्रिय और निष्क्रिय निगरानी के भाग के रूप में, डोर–टू–डोर सर्वेक्षण किया गया और ओपीडी रोगियों की स्क्रीनिंग मार्च, 2020 से शुरू हुई।
- राज्य के सभी जिलों में 60 प्रयोगशालाएं है जिनमें कोविड–19 का पता लगाने के लिए आरटीपीसीआर जांच सुविधा उपलब्ध है, जिन पर 65,886 जांच प्रतिदिन करने की क्षमता उपलब्ध है। जांच हेतु 117 आरटीपीसीआर मशीन उपलब्ध है।
- राजकीय प्रयोगशालाओं में कोविड–19 की जांच निःशुल्क की जा रही हैं तथा निजी प्रयोग शालाओं में जांच हेतु विभाग द्वारा राशि ₹800 निर्धारित की गई हैं।
- कोविड–19 के रोगियों के उपचार हेतु कुल 427 चिकित्सा संस्थान उपलब्ध है, इनमें से 287 कोविड केयर सेन्टर, 80 समर्पित कोविड स्वास्थ्य केन्द्र एवं 60 समर्पित कोविड अस्पताल हैं।
- 225 निजी चिकित्सालयों को कोविड–19 के उपचार हेतु अधिकृत किया जा चुका है।
- राज्य में 43,419 एकांत शैय्याएं, 8,532 ऑक्सीजन सपोर्टेड शैय्याएं एवं 2,180 आईसीयू शैय्याएं उपलब्ध है।
- गंभीर स्थिति में रोगियों को प्लाज्मा थेरेपी की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु, वर्तमान में यह सुविधा जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा एवं उदयपुर के मेडिकल कॉलेजों में शुरू की गई है। 31 दिसम्बर, 2020 तक राज्य में कुल 3,505 यूनिट प्राप्त हुई है इनमें से 3,209 यूनिट मरीजों को लगाई गई हैं।
- राज्य में संदिग्ध कोरोना रोगियों/व्यक्तियों को निगरानी में रखने अथवा उपचार हेतु राज्य में 1,14,288 संगरोध शैय्याओं की पहचान की गई है।
- उच्च जोखिम समूह श्रेणी के व्यक्तियों की निगरानी और जागरूकता लाने के लिए जुलाई, 2020 से घर–घर सर्वे किया जा रहा है।
- कोरोना संबंधित कार्य में लगें चिकित्सकों (₹5,000), पैरामेडिकल स्टाफ (₹2,500) एवं अन्य कार्मिकों (₹2,500) को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
- कोविड–19 ड्यूटी के दौरान कार्मिकों की कोविड से मृत्यु होने पर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की बीमा योजना के अन्तर्गत क्लेम की सुविधा भी उपलब्ध करवायी जा रही है। मृतक के परिवार को ₹50 लाख की राशि दावा राशि के रूप में निर्धारित की गई है। अब तक 19 क्लेम विभाग को प्राप्त हुये है, जिसमें से 06 को क्लेम का भुगतान किया जा चुका है।
- 330 मोबाइल चिकित्सा वैन दूर–दराज के क्षेत्रों में संचालित की जा रही हैं ताकि वहां की आम जनता को चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा सके।
- दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों के लाभ के लिए उपचार सम्बंधी सूचना मांगने और मोबाईल पर परामर्श के लिए टेलीमेडिशन सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
- रेपिड रेस्पोन्स टीम का मेडिकल कॉलेज/जिला स्तर पर गठन किया गया है। यदि जिले में पॉजिटिव पाया जाता है, तो मेडिकल कॉलेज स्तर की रेपिड रेस्पोन्स टीम सर्वप्रथम

जिल में पहुंचकर अपना कार्य सम्पादित करती है। जिलों में उपलब्ध मोबाइल मेडिकल यूनिट व मोबाइल मेडिकल वैन का उपयोग उपचार/रोगियों की जांच/आरआरटी के लिए किया जा रहा है।

- कोविड–19 की रोकथाम व नियंत्रण के लिए भीलवाडा जिले में विशेष रणनीति तैयार की गई। जिससे जिले में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगा दिया गया था और पड़ोसी जिलों की सीमाओं को भी सील कर दिया गया था। रेलवे, रोडवेज व अन्य निजी साधनों के आवागमन पर प्रतिबंध था। उद्योग व कारखाने भी बंद हो गए। सभी संदिग्ध व्यक्तियों की स्क्रीनिंग कर जांच की गई। भोजन, पानी, दूध, दवाईयां व अन्य आवश्यक सामग्री लोगो को घरों पर ही उपलब्ध कराई गई।
- जयपुर शहर के अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र रामगंज में कर्फ्यू, महाकर्फ्यू, सक्रिय व निष्क्रिय निगरानी, सर्विलेंस, आरटीपीसीआर परीक्षण व आईईसी की गयी। गलियों में सर्वे कराने के लिए ड्रोन का उपयोग किया गया। पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों की स्क्रीनिंग के लिए मिसा लिसा मिशन को लॉन्च किया गया। भोजन, पानी, दूध, दवाईया व अन्य आवश्यक सामग्री लोगो को घरो पर ही उपलब्ध कराई गई।
- अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, सांगानेर जयपुर में कुल 244 उड़ानें और 34,341 यात्रियों की जांच की गई।

आयुष्मान भारत–महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना

''आयुष्मान भारत–महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना'' का प्रदेश में दिनांक 1 सितम्बर, 2019 से शुभारम्भ किया गया है। योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब परिवारों (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 एवं आर्थिक, सामाजिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC - 2011) के आधार पर चयनित लाभार्थी परिवार) को निजी चिकित्सालयों में भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान कर बीमारी से वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना एवं जनता के द्वारा स्वास्थ्य पर किए जा रहे व्यय को कम करना है। यह योजना निरन्तर रूप से जारी है।

आयुष्मान भारत–महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की प्रमुख विशेषताएं–

- प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष चिन्हित सामान्य बीमारियों हेतु ₹30,000 तथा चिन्हित गम्भीर बीमारियों हेतु ₹3.00 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा।
- इस योजना में 1,401 डिजीज़ पैकेज सम्मिलित हैं, जिसमें चिन्हित गम्भीर बीमारियों हेतु 663 तृतीयक पैकेज एवं सामान्य बीमारियों हेतु 738 द्वितीयक पैकेज को सूचीबद्ध किया गया है। सामान्य बीमारियों के पैकेज में से 46 पैकेज राजकीय एवं 14 पैकेज निजी चिकित्सा संस्थानों हेतु आरक्षित है।
- पैनल में सम्मिलित अस्पतालों द्वारा आई.पी.डी. चिकित्सा सुविधाएं कैशलेस प्रदान की जाती हैं।
- अस्पताल में भर्ती होने के 10 दिवस पश्चात् तक का व्यय सम्मिलित किया जाता है।
- इस योजना के अन्तर्गत 521 सरकारी व 972 निजी चिकित्सालयों द्वारा सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है।
- इस योजना में 1 सितम्बर, 2019 से 31 दिसम्बर, 2020 तक क्लेम भुगतान पर ₹715.47 करोड़ खर्च किए गए है।
- आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का नवीन चरण दिनांक 30 जनवरी, 2021 से प्रारम्भ होने जा रहा है। इसके लिए दिनांक 14 जनवरी, 2021 को दी न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड एवं राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी के मध्य अनुबंध किया जा चुका है। इस योजना में लगभग ₹1,750 करोड़ का व्यय प्रति वर्ष होगा, जिसकी 79 प्रतिशत लागत राजस्थान राज्य द्वारा वहन किया जाएगी।
- इस नवीन चरण में पात्र लाभार्थियों का बीमा कवर ₹3.30 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख प्रति वर्ष किया गया है जिसमें सामान्य बीमारियों के लिए ₹50,000 एवं परिवार फ्लोटर के आधार पर प्रति परिवार प्रति वर्ष गंभीर बीमारियों के लिए ₹4.5 लाख तक का ईलाज निःशुल्क देय है। साथ ही और अधिक बीमारियां सम्मिलित करते हुए पैकेज की संख्या को 1,401 से बढ़ाकर 1,576 कर दिया गया है।

आयुर्वेद एवं अन्य चिकित्सा पद्धतियां

राज्य में आयुर्वेद विभाग वर्ष 1950 से संचालित हैं। वर्तमान में 121 आयुर्वेद चिकित्सालय (एक बीकानेर हाउस, नई दिल्ली में स्थापित है) व 3 योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय हैं। इसके अतिरिक्त 3,578 आयुर्वेदिक औषधालय तथा 3 योग एवं प्राकृतिक औषधालय, एक शल्य चल चिकित्सा इकाई और 13 चल चिकित्सा इकाईयां भी राज्य मे कार्यरत हैं। 35 आँचल प्रसूता केन्द्र, 33 जरावस्था जन्य व्याधि निवारण केन्द्र, 35 पंचकर्म केन्द्र एवं 33 योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र भी राजस्थान के आयुर्वेद संस्थानों में शामिल हैं। राज्य में कार्यरत आयुर्वेद और अन्य संस्थानों की स्थिति तालिका 8.8 में दर्शाई गई है।

तालिका–8.8 आयुर्वेद एवं अन्य चिकित्सा पद्धतियों की संस्थाओ का विवरण

(संख्या)

चिकित्सा पद्धतियों के नाम	जिला चिकित्सालय	चिकित्सालय		औषधालय		चल चिकित्सा इकाई	कुल संस्थाएं
	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी		
आयुर्वेदिक	33	42	46	3384	194	14	3713
योग एवं प्राकृतिक	-	-	3	1	2	-	6

वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक आयुर्वेद विभाग की उपलब्धियां:–

- कोविड–19 महामारी के कारण, सम्पूर्ण राज्य में 21 जून, 2020 को **"घर पर योग, परिवार के साथ योग"** –थीम पर योग कार्यक्रम ऑनलाईन आयोजित कराया गया।
- राजकीय आयुर्वेद औषधालय–केकडी, जिला अजमेर को 10 शैय्यायुक्त राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया।
- विभाग द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए 36.17 लाख लोगो को वातश्लैष्मिक काढा एवं गिलोय चूर्ण वितरित किया गया। 6.71 लाख से अधिक कोरोना वारियर्स एवं 2,45,898 अधिकारियों/कर्मचारियों को वातश्लेष्मिक काढा एवं गिलोय चूर्ण का वितरण किया है। 29,124 क्वारन्टाईन्स को प्रतिरोधक क्षमता सुधार के लिए औषधियॉ वितरित कर लाभान्वित किया गया है।

राष्ट्रीय आयुष मिशन (आयुष)

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत आयुर्वेद, होम्यो, यूनानी, योग व प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों के सर्वांगीण विकास हेतु राज्य में राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी का मार्च, 2015 को गठन कर राष्ट्रीय आयुष मिशन के कार्यालय की स्थापना की गई।

राष्ट्रीय आयुष मिशन परियोजना के तहत किए जाने वाले दो प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं:–

मुख्य गतिविधियां: राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला अस्पतालों में आयुष सेवाओं की सह–स्थापनाएं, वर्तमान में संचालित सरकारी आयुष अस्पतालों एवं सरकारी आयुष औषधालयों का उन्नयन, 50 बिस्तर तक एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना, केन्द्र एवं राज्य स्तरीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाईयों जैसी सहायक सुविधाएं, आयुष अस्पतालों एवं औषधालयों को आवश्यक औषधियों की आपूर्ति, राज्य और जिला स्तर पर चल सहायता, व्यवहार परिवर्तन, संचार/सूचना शिक्षा और संचार, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि आवश्यक गतिविधियों में शामिल है।

परिवर्तनशील प्रकोष्ठ के अन्तर्गत गतिविधियां: राष्ट्रीय आयुष मिशन के लचीले पूल के तहत गतिविधियों में सार्वजनिक स्वास्थ्य आउटरीच गतिविधियां, आयुष कल्याण केन्द्रों का आयुष विकास और योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा सहित आयुष को मुख्य धारा में लाने पर नवाचार आदि योजनाएं सम्मिलित हैं।

आयुष चिकित्सा घटक 5,211 आयुष औषधालयों के तहत, अस्पतालों को आयुर्वेद/होम्यो/यूनानी दवा की आपूर्ति की गई है। औषधीय पौधों के घटक के तहत 4,500 किसानों को लाभान्वित कर छोटी नर्सरियों के माध्यम से 4,30,720 पौधों का वितरण किया गया है। 565 स्वीकृत सिविल कार्यों में से 421 सिविल कार्य गतिविधियों के तहत औषधालयों में नवीनीकृत/निर्माण किए गए हैं। आयुष योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में नवम्बर, 2020 तक 2,60,544 लाभार्थियों को लाभान्वित किया है। आयुष अस्पताल उन्नयन गतिविधि के तहत 04 एकीकृत आयुष चिकित्सालयों का निर्माण किया गया हैं और 02 का कार्य प्रगति पर है। औषध गुणवत्ता नियंत्रण गतिविधि के तहत 04 रसायनशालाओं का निर्माण/नवीनीकरण कार्य भी प्रगति पर है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दिसम्बर, 2020 तक ₹23,659.94 लाख व्यय किए गए हैं।

होम्योपैथी

होम्योपैथिक चिकित्सा मानव जाति के सम्पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही सरल और आसान, हानिरहित उपचार पद्धति है। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की दिन प्रतिदिन बढती लोकप्रियता एवं इसके महत्व को दृष्टिगत रखते हुए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा होम्योपैथिक के विकास हेतु निदेशालय की घोषणा बजट सत्र

वर्ष 2010–11 में की गई, जिसके फलस्वरूप माह नवम्बर, 2010 से निदेशालय होम्योपेथिक चिकित्सा विभाग स्वतंत्र रूप से प्रारम्भ हो गया हैं। वर्तमान में निदेशालय ''आयुष भवन'' प्रतापनगर, जयपुर में संचालित हैं। वर्तमान में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के तहत राज्य में 6 चिकित्सालय, 185 औषधालय, 5 जिला अस्पताल, 30 सामुदायिक स्वास्थ्य केंन्द्र, 26 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में तथा 2 मोबाईल इकाइयां संचालित है। वर्ष 2020–21 के दौरान दिसम्बर, 2020 तक इस योजना के अन्तर्गत मोबाईल इकाईयों के माध्यम से 16, 272 रोगियों को लाभान्वित किया।

यूनानी

यूनानी चिकित्सा पद्धति विश्व की सबसे पुरानी उपचार पद्धतियों में से एक है, जिसकी शुरूआत आज से 2,500 वर्ष पहले ग्रीस (यूनान) से हुई। वर्तमान में राज्य के अन्तगर्त यूनानी चिकित्सा पद्धति में 11 शहरी चिकित्सालय, 67 ग्रामीण व 195 शहरी औषधालय संचालित है तथा 7 पद आयुर्वेद मोबाईल यूनिट के स्वीकृत किए गए।

- वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक 4,45,017 पुरूष एवं 3,30,478 महिलाओं का इस योजना में उपचार किया गया।
- कोविड–19 गतिविधियों के अन्तर्गत 3,670 इम्युनिटी बूस्टर जोशांदा वितरण एवं 10,154 इम्युनिटी बूस्टर डोज वितरण कैम्प आयोजित कर क्रमशः 2,02,678 और 1,28,996 व्यक्तियों को लाभान्वित किया।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ई.एस.आई.)

कर्मचारी राज्य बीमा योजना एक विशिष्ट प्रकार की सामाजिक सुरक्षा है। राजस्थान में यह योजना कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की धारा 58 के अन्तर्गत 1956 से लागू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न औद्योगिक, वाणिज्यिक संस्थानों, निजी शैक्षणिक संस्थानों, निजी चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों एवं उनके आश्रित परिवारजनों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है।

- योजना के अन्तर्गत, उपरोक्त संस्थानों में जहाँ 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं और जिनकी वेतन सीमा ₹21,000/– प्रति माह तक है उन्हें चिकित्सा लाभ दिया जाता है। उनके साथ, उनके पति/पत्नी, बीमित व्यक्ति पर आश्रित 21 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्राप्त कर रहा पुत्र, अविवाहित पुत्री, शारीरिक एवं मानसिक रूप से निःशक्तजन बच्चे तथा आश्रित माता–पिता को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
- राजस्थान में कुल 14.25 लाख बीमित कर्मचारी एवं लगभग 41.04 लाख आश्रित परिवारजन इस योजना से चिकित्सा लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम एवं राज्य सरकार द्वारा 7/8:1/8 के अनुपात में वित्तीय लाभ दिया जाता है। नियोक्ता द्वारा 3.25 प्रतिशत तथा कर्मचारी द्वारा 0.75 प्रतिशत वेतन का अंशदान कर्मचारी राज्य बीमा निगम को भुगतान किया जाता है।
- कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत वर्तमान में 4 चिकित्सालय (जोधपुर, कोटा, भीलवाड़ा एवं पाली) तथा 74 औषधालयों द्वारा चिकित्सा सेवा प्रदान की जा रही है।
- बीमित व्यक्तियों और उनके आश्रितों को औषधालय स्तर पर निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं एवं रैफरल सेवाएं तथा चिकित्सालय स्तर पर सैकन्डरी चिकित्सा सुविधाएं एवं रैफरल सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। रेफरल या आपातकालीन स्थितियों के बाद योजना के तहत चयनित टाई–अप अस्पतालों के माध्यम से भी सेवाएं कैशलेस उपलब्ध कराई जा रहीं हैं।
- सेवाओं में सुधार और भवनों के रखरखाव के लिए चिकित्सालय स्तर पर चिकित्सालय विकास समितियों का गठन किया गया है।
- लाभार्थियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए निवारक स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जाती है।
- वित्तीय वर्ष 2020–21 में माह अप्रैल, 2020 से दिसम्बर, 2020 तक कुल 10.68 लाख बीमितों एवं उनके आश्रितजनों को चिकित्सकीय परिलाभ दिया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2020–21 में माह अप्रैल, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक ₹13,134.05 लाख व्यय हो चुके हैं।

परिवार कल्याण

जनसंख्या स्थिरीकरण सुनिश्चित करने एवं शिशु व मातृ मृत्यु को कम करने के उद्देश्य से राज्य में परिवार कल्याण एवं जनसंख्या स्थिरीकरण कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं। वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक प्रोविजनल) में 1,39,385 नसबन्दी ऑपरेशन किए गए एवं 4,05,856 लूप व 2,05,143 पी.पी.आई. लूप लगाई गई। इसके अतिरिक्त

3,30,908 ओ.पी.यूज़र्स एवं 4,68,922 सी.सी. यूज़र्स को सेवाएं दी गई हैं। राज्य में वर्तमान में मातृ मृत्यु अनुपात (एम.एम.आर.) 164 प्रति लाख जीवित जन्म (एस.आर.एस. 2016–18) तथा शिशु मृत्यु दर 37 प्रति हजार जीवित जन्म (एस.आर.एस. 2018) है। शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.) पर नियन्त्रण एवं गम्भीर बीमारियों से शिशु एवं गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा हेतु राज्य में सघन टीकाकरण कार्यक्रम निरन्तर क्रियान्वित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में हुई प्रगति को तालिका–8.9 में दर्शाया गया है।

तालिका–8.9 टीकाकरण कार्यक्रम की प्रगति, 2020–21

क्र.सं.	मद	उपलब्धि लाख में (दिसम्बर, 2020 तक)
1.	डी.पी.टी.–3	9.25
2.	बी.सी.जी. टीकाकरण	10.34
3.	खसरा–1 टीकाकरण	10.41
4.	टिटनेस इंजेक्शन (गर्भवती महिला) टी.डी.	10.73
5.	ओ.पी.वी.–3	9.25

राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना (आर.जे.एस.एस.वाई.)

राज्य में शिशु मृत्यु दर एवं प्रसव के दौरान उच्च मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए तथा गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को निःशुल्क दवा एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत निःशुल्क दवा और उपभोग्य वस्तुएं, प्रयोगशाला जाँच, भोजन, रक्त सुविधा तथा यातायात की सुविधा आदि उपलब्ध करवाई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक प्रोविजनल) में 26.95 लाख गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क दवा, 9.93 लाख गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क जांच, 6.58 लाख गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क गरम भोजन, 4.84 लाख गर्भवती महिलाओं को घर से अस्पताल निःशुल्क परिवहन, 41,250 गर्भवती महिलाओं को चिकित्सालय से उच्च चिकित्सा संस्थान पर निःशुल्क परिवहन, 5.44 लाख गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा संस्थान से घर तक निःशुल्क परिवहन एवं 49,891 गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क रक्त सुविधा प्रदान की गई है। निःशुल्क दवा, प्रयोगशाला परीक्षण, रक्त संचार सेवाएं, घर से अस्पताल, अस्पताल से घर और अस्पताल से उच्च स्वास्थ्य संस्थानों तक परिवहन सेवा वाले बच्चों की कुल संख्या क्रमशः 3,33,965, 1,20,736, 3,282, 34,913, 56,887 और 12,765 हैं (दिसम्बर, 2020 तक प्रोविजनल)।

खसरा–रूबेला अभियान

भारत सरकार वर्ष 2023 तक रूबेला/जन्मजात रूबेला सिंड्रोम के खसरा उन्मूलन और नियंत्रण के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राजस्थान में 9 माह से 15 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के टीकाकरण हेतु 22 जुलाई, 2019 से ''खसरा–रूबेला अभियान'' प्रारम्भ किया गया। इस विशाल अभियान में 1.90 करोड़ से ज्यादा बच्चों का टीकाकरण किया गया है।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य एवं पोषाहार (एम.सी.एच.एन.) दिवस

टीकाकरण कवरेज बढ़ाने के लिए, मातृ व शिशु स्वास्थ्य एवं पोषाहार (एम.सी.एच.एन.) दिवस नियमित रूप से मनाए जा रहे हैं। वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक 5.27 लाख मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण सत्र आयोजित किए गए हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) व्यक्तिगत, परिवार, समुदाय और विशेष रूप से स्वास्थ्य प्रणाली के स्तर पर नियमित रूप से प्रभावी स्वास्थ्य सेवा के प्रावधानों को सुनियोजित करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रयास है। शहरी स्वास्थ्य की तरह ही ग्रामीण स्वास्थ्य पर भी मिशन का ध्यान

केन्द्रित है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.) तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) के उप मिशन के रूप मे कार्यरत रहेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कार्यों की उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैः–

आशा सहयोगिनी

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2005) की स्थापना के बाद से, मान्यता प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता (आशा) ने एन.आर.एच.एम. गतिविधियों के क्रियान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आशा कार्यक्रम की समुदाय में कार्य की प्रक्रिया में एक प्रमुख घटक के रूप में पहचान हुई और 15 वर्ष की अवधि में, यह कार्यक्रम दुनिया के सबसे बड़े सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में विकसित हुआ है, जिसके द्वारा स्वास्थ्य में लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। 'आशा' की भूमिका स्वास्थ्य के बिन्दुओं पर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए समुदाय और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आशा एक समुदाय स्तर की कार्यकर्ता है। वह चिकित्सा स्वास्थ्य तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के बीच एक सहयोगिनी के रूप में कार्य करती है। इसलिए राजस्थान में इसको आशा सहयोगिनी के रूप में जाना जाता है। आशा, ग्राम पंचायत द्वारा चुनी जाती है, जो आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सहायता करती है। राज्य की सभी आशा सहयोगिनियों को एक गहन प्रेरक प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजरना होता है। राजस्थान में दिसम्बर, 2020 के अनुसार 52,223 आशा सहयोगिनी कार्यरत हैं।

आशा सहयोगिनी की भूमिका एवं उत्तरदायित्व, स्वास्थ्य देखभाल व फैसिलिटेटर के कार्य, स्वास्थ्य कार्यकर्ता के साथ मिलकर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। वह स्वास्थ्य विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग में टीकाकरण व संस्थागत प्रसव कार्यों में समन्वयक का कार्य करती है। राष्ट्रीय रोग नियन्त्रण कार्यक्रम जैसे–मलेरिया, टी.बी तथा अन्य सभी स्वास्थ्य कार्यों में सहयोग प्रदान करती है। आशा को समुदाय में विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए मौद्रिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.बी.एस.के.)

इस योजना के अन्तर्गत सरकारी विद्यालयों, आँगनबाडी केन्द्रों तथा मदरसों पर जन्म के समय सुविधा में 18 वर्ष तक के सभी बच्चों का Four D's-Defects at birth - Disease, Deficiencies, Developmental Delays and Disabilities (40 चिन्हित बीमारियों) के लिए प्रशिक्षित मोबाईल हैल्थ टीम के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। यदि कोई बच्चा 40 चिन्हित बीमारियों में से किसी से ग्रसित पाया जाता है, तो उसे मांग के अनुसार निःशुल्क रैफरल, फॉलोअप एवं सर्जिकल इलाज दिया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक 54,353 बच्चों का इलाज किया गया है।

जननी एक्सप्रेस

इस योजना के अन्तर्गत 587 जननी एक्सप्रेस वाहन रैफरल ट्रांसपोर्ट सेवा को सुदृढ़ करने के लिए संचालित हैं। इन वाहनों द्वारा वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक 1,17,273 गर्भवती महिलाओं को घर से अस्पताल एवं 2,69,024 को अस्पताल से घर तक एवं 22,234 नसबंदी केशेज रैफरल ट्रांसपोर्ट प्रदान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक 2,478 नवजात शिशुओं को घर से अस्पताल एवं 5,681 नवजात शिशुओं को अस्पताल से घर तक रैफरल ट्रांसपोर्ट प्रदान किया गया है। साथ ही वर्ष 2020–21 में 24,130 गर्भवती महिलाओं एवं 2,720 बीमार नवजातों को उच्च चिकित्सा संस्थान पर रैफर किया गया है। इन वाहनों द्वारा लगभग 63 बच्चों को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.बी.एस.के.) के अन्तर्गत उच्च चिकित्सा संस्थानों पर रैफर किया गया। जननी एक्सप्रेस की सेवाएं ''104'' व ''108'' सुविधा पर कॉल कर प्राप्त की जा रही है।

''108'' टोल फ्री एम्बुलेन्स सेवा योजना

आपातकालीन रोगियों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य में सरकार द्वारा यह योजना सितम्बर, 2008 से प्रारम्भ की गई थी। वर्तमान में 701 एम्बुलेंस, राज्य के सभी जिलों में कार्यरत हैं। वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक इस योजना के अन्तर्गत कुल 2,03,520 व्यक्तियों को चिकित्सा, 32,420 व्यक्तियों को पुलिस सहायता एवं 1,09,347 गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव हेतु रैफरल सेवा 701 एम्बुलेंस द्वारा प्रदान की गई है।

ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति (वी.एच.एस.सी.)

ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति, स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में एक जन–आन्दोलन के रूप में पहला कदम है। इनका मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं का विकेन्द्रीकरण, स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी में समुदाय

की भागीदारी सुनिश्चित करना तथा ग्राम स्वास्थ्य प्लान तैयार कराना है। यह समितियां पंचायत के निर्वाचित सदस्य– जनप्रतिनिधि की अध्यक्षता में सभी गाँवों में गठित की गई है। समिति के अन्य सदस्य आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, और एन.जी.ओ., एस.एच.जी. तथा महिला स्वास्थ्य संघ के प्रतिनिधि होते हैं तथा राज्य में 43,440 वी.एच.एस.सी. गठित की जा चुकी है। समितियों की मासिक बैठकों में ए.एन.एम. के साथ आशा सहयोगिनी एम.सी.एच.एन. दिवस आयोजित करवाने का कार्य करती है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक 2,78,074 मासिक बैठकों का आयोजन किया जा चुका है।

आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्वा एवं होम्योपैथिक (आयुष) को मुख्य धारा में लाना

राज्य में प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों को आयुष मुख्य धारा में लाना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक उद्देश्य है। वर्तमान में एन.एच.एम. के अन्तर्गत 903 आयुष चिकित्सक एवं 25 आयुष कम्पाउण्डर्स कार्यरत हैं। आयुष कार्मिकों को संस्थागत प्रसवों को बढ़ाने तथा एम.एम.आर. और आई.एम.आर. को कम करने हेतु कुशल जन्म सहायक (एस.बी.ए.) का प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ष 2020–21 में दिसवम्बर, 2020 तक आयुष चिकित्सकों द्वारा कुल 9.77 लाख ओ.पी.डी. एवं 2,272 संस्थागत प्रसव करवाए गए हैं।

राजस्थान में आयुष्मान भारत (स्वास्थ्य और कल्याण केंन्द्र)

भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत का शुभारम्भ किया गया। इसके दो प्रमुख घटक हैं:– प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र।

स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र का उद्देश्य

स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र का प्रमुख उद्देश्य व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना है, जिसमें प्रजनन, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं (आर.एम.एन.सी. एच.+ए.) सहित सेवाओं की एक विस्तारित श्रृंखला के लिए निवारक, प्रोत्साहन, पुनर्वास और उपचारात्मक देखभाल, संचारी रोग, असंचारी रोग, रोगी के दर्द सम्बन्धी देखभाल और बुजुर्ग देखभाल, मौखिक स्वास्थ्य, ई.एन.टी. देखभाल और बुनियादी आपातकालीन सेवाएं शामिल है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (ग्रामीण/शहरी) पर चिकित्सा अधिकारी और एचडब्लूसी–एसएचसी पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (एसएचओ)/मध्य–स्तर स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता (एमएलएचपी) द्वारा स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों में सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

दिसम्बर, 2020 तक स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों में निम्न उपलब्धियां रही है।

- कुल प्रगतिशील एचडब्ल्यूसीः 2,293
- जिला डायनामिक डैशबोर्ड एक्सेल पर विकसित किया गया है।
- 7,766 एएनएम, 26,813 आशाओं, 2,198 चिकित्सा अधिकारियों एवं 3,135 स्टाफ नर्स को प्रशिक्षित किया गया है।
- पोर्टल के अनुसार, 7,007 उच्च रक्तचाप, 6,703 मधुमेह, 5,829 ओरल कैंसर, 5,714 स्तन कैंसर और 736 सर्वाइकल कैंसर की जांच की गई है।
- 1,42,654 कल्याण और योग सत्रों में 4,88,477 लाभार्थियों ने भाग लिया।

राजस्थान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत स्वास्थ्य संकेतक ट्रेंड तालिका 8.10 में दिए गए हैं।

नवाचार

मोबाईल ओपीडी

- राजस्थान के दूर–दराज, रेगिस्तानी इलाकों में रहने वाले लोगों के दरवाजे पर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए जहां स्वास्थ्य संस्थानों और सुविधाओं का अभाव है, वहां पर एनएचएम के तहत 210 वाहनों के माध्यम से मोबाइल मेडिकल सेवाएं प्रदान की जाती है।
- मोबाइल ओपीडी वाहनों के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मुफ्त चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना।
- वर्तमान में 360 मोबाईल ओ.पी.डी वाहन संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट एवं खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में चल रहे हैं।
- मोबाइल ओपीडी वाहनों के दल में मोबाइल ओपीडी इकाई/मोबाइल ओपीडी वैन एवं किराए के वाहन के साथ चिकित्सा अधिकारी, नर्सिग/पैरामेडिकल स्टाफ

और आवश्यक दवाओं, प्रयोगशाला उपभोग्य सामग्रियों के साथ कोविड–19 प्रभावित क्षेत्रों में मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने वाले वाहन शामिल हैं।

- वर्तमान में मोबाईल ओपीडी वाहनों के माध्यम से किडनी रोगों, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, खांसी, जुकाम, बुखार आदि के रोगियों और उनके द्वार पर गर्भवती महिलाओं को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
- मोबाईल ओ.पी.डी वाहनों के माध्यम से 31 दिसम्बर, 2020 तक कुल 29,47,782 लाभार्थियों को लाभांवित किया गया हैं।

टेलिकन्सलटेशन (ई–संजीवनी)

स्वास्थ्य एवं परिवर कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और सी–डैक मोहाली/इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिक द्वारा राष्ट्रीय टैली–परामर्श सेवा मंच को डिजायन और विकसित किया गया है। esanjeevaniopd.in पोर्टल को माननीय स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान सरकार द्वारा 04 मई, 2020 को लॉन्च किया गया है। राज्य में टेलिमेडिसिन के स्थान पर e-Sanjeevani TeleConsultation को 13 अप्रैल, 2020 से आरम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 20 तक कुल 6,734 टेलिकन्सलटेशन आयोजित किए गए हैं।

तालिका 8.10 में राजस्थान स्वास्थ्य संकेतक ट्रेंड

वर्ष	शिशु मृत्यु दर (एसआरएस) प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष की आयु तक मृत शिशुओं की संख्या	नवजात मृत्यु दर (एसआरएस) प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 28 दिनों तक नवजात मृत शिशुओं की संख्या	पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (एसआरएस) प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 5 वर्ष तक के मृत बच्चों की संख्या	मातृ मृत्यु अनुपात (एसआरएस) प्रति 1,00,000 जीवित जन्म पर मातृ मृत्यु संख्या	कुल प्रजनन दर (एसआरएस) बच्चें पैदा करने योग्य 1,000 स्त्रियों के जीवित बच्चों की संख्या	संस्थागत प्रसव	पूर्ण टीकाकरण
2005	68	43	-	445 (2001-03)	3.7	32.2% (NFHS-III) 2005-06	26.5% (NFHS-III) 2005-06
2015 (NFHS-IV)	41	-	51	-	2.4	84.00%	54.8%
2018	37	26	40	164 (SRS 2016-18)	2.5	-	-

*****

अध्याय

09

अन्य सामाजिक सेवाएं / कार्यक्रम

- जल जीवन मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में (दिसम्बर, 2020 तक), 4.40 लाख नये नल कनेक्शन प्रदान किये जा चुके हैं।
- इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 19 नवम्बर, 2020 से प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर तथा बारां (सहरिया बहुल) जिलों में प्रारम्भ की गई जिसका लक्ष्य बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाकर जन्म के समय कम वज़न और दुर्बलता की घटनाओं को कम करना है।
- कोविड–19 से प्रभावित वंचित बेसहारा एवं जरूरतमन्द व्यक्तियों का सर्वे कराकर 4.14 लाख परिवारों को एकमुश्त 10 किलोग्राम गेहूं प्रति व्यक्ति एवं 2 किलोग्राम चना प्रति परिवार निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के निर्देश जारी किये जा चुके हैं।
- वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अन्तर्गत 1 नवम्बर, 2020 से विशेष अभियान के तहत 50 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को जोडा गया तथा 31 दिसम्बर, 2020 तक 4.18 करोड लाभार्थियों की आधार सीडिंग हो चुकी है।
- राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना में भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीलिंग (4.46 करोड) के अतिरिक्त चयनित 34 लाख व्यक्तियों हेतु माह अप्रेल एवं मई में 33,999.88 मीट्रिक टन गेहूं निःशुल्क उपलब्ध कराया गया।
- राज्य के 32 जिलों को पिछले एक वर्ष के दौरान केरोसीन मुक्त बनाया गया है।
- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियां योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए है। वर्ष 2020–21 में (माह दिसम्बर, 2020 तक) 1,92,641 विद्यार्थियों को ₹30,990.41 लाख की छात्रवृत्तियां वितरित की गई हैं।
- जून, 2020 से बाट एवं माप के सत्यापन और मुद्रांकन से संबंधित समस्त कार्य ''ई–तुलामान'' वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा रहा है।
- इन्दिरा महिला शक्ति निधि योजना महिलाओं के सर्वांगीण सशक्तिकरण के उद्देश्य से 18 दिसम्बर, 2019 को प्रारम्भ की गयी।
- राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में 1 अप्रैल, 2020 से दिसम्बर, 2020 तक कुल 7,52,392.95 मीट्रिक टन गेहूँ 1,51,82,113 व्यक्तियों को उपलब्ध कराया गया।

राज्य सरकार अपने नागरिको को बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य के नागरिकों को अधिकतम लाभ प्रदान करने की दिशा में विभिन्न विभाग सेवाओं का लगातार परीक्षण और विस्तार कर रहे हैं। सरकार द्वारा प्रदान किये जाने वाले सामाजिक सेवा कार्यक्रमों का उद्देश्य व्यक्तियों, परिवारों, समूहों और समुदायों को उनके व्यक्तिगत और सामूहिक कल्याण को बढ़ाने और समुदायों में समानता और अवसर को बढ़ावा देने में मदद करना है।

इस अध्याय में विकलांग बच्चों का विकास, वयस्कों के लिए सामाजिक सेवा कार्यक्रम, राज्य में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के उत्थान की सेवाएं, विशिष्ट आबादी के लिए सामुदायिक सेवा और अल्पसंख्यक मामलों, महिला सशक्तिकरण, उपभोक्ता अधिकार के कार्यक्रमों / सेवाओं के अवसर का लाभ प्रदान करने से संबंधित योजनाएं तथा सेवाओं की सूचनाओं को सम्मलित किया गया है।

जलापूर्ति

राज्य में भूगर्भीय जल की मात्रा एवं गुणवत्ता की समस्या है। राज्य में पिछले दो दशकों से भू–जल के अत्यधिक दोहन के कारण भू–जल की स्थिति अत्यन्त चिंताजनक हो गई है। राज्य सरकार द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न पेयजल योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। राज्य की भौगोलिक विषमता और भूगर्भीय तथा सतही जल की सीमित उपलब्धता होने के कारण राज्य में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना अत्यन्त जटिल है।

ग्रामीण पेयजल आपूर्ति

राज्य सरकार के अथक प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल समस्या का समाधान किया जा रहा है। राज्य में 1 अप्रैल, 2020 की स्थिति के अनुसार कुल 1,21,978 बस्तियों/ढाणियों में से 50,335 पूर्ण रूप से, 56,982 आंशिक रूप से बस्तियों/ढाणियों को पेयजल उपलब्ध कराया गया है तथा शेष 14,661 बस्तियां/ढाणियां स्वच्छ पेयजल गुणवत्ता से प्रभावित हैं। वित्तीय वर्ष 2019–20 में विभाग द्वारा 2,150 बस्तियों/ढाणियों को पेयजल से लाभान्वित करने का कार्य किया जा रहा है, जिसके विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2019–20 तक 5,060 बस्तियों/ढाणियों को लाभान्वित किया जा चुका है। इनमें से 1,204 गुणवत्ता प्रभावित, 408 अनुसूचित जाति बहुल, 518 अनुसूचित जनजाति बहुल एवं 198 अल्पसंख्यक बहुल बस्तियां/ढाणियां हैं। वित्तीय वर्ष 2019–20 में पेयजल आपूर्ति कराई गई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बस्तियां और कुल आबाद बस्तियां क्रमशः 926 और 5,060 थी।

जल जीवन मिशन (जे.जे.एम.) द्वारा ग्रामीण परिवारो को नल कनेक्शन –

वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए जल जीवन मिशन लागू किया जा रहा है। इस योजना में केन्द्र एवं राज्य की भागीदारी 1:1 प्रतिशत है। जल जीवन मिशन द्वारा राज्य स्तर पर राज्य जल और स्वच्छता मिशन, जिला स्तर पर जिला जल एवं स्वच्छता मिशन, एवं ग्राम स्तर पर ग्राम जल एवं स्वच्छता मिशन कार्यान्वयन एवं निरीक्षण एजेंसी होगी।

31 मार्च, 2020 तक 12.76 लाख कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन और 2020–21 के दौरान (दिसम्बर, 2020 तक) 4.40 लाख नये नल कनेक्शन प्रदान किये जा चुके हैं।

केन्द्र प्रवर्तित योजना (राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम) एवं राज्य आयोजना मद से ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बजट उपलब्ध कराया गया है। विगत चार वर्षों में की गई वित्तीय प्रगति की स्थिति तालिका–9.1 में दर्शाई गई है।

तालिका–9.1 ग्रामीण पेयजल योजना की वित्तीय प्रगति

(₹करोड़ में)

वर्ष	वित्तीय प्रगति	
	उपलब्ध बजट	व्यय
2017-18	3884.29	3613.20
2018-19	3515.92	3141.86
2019-20	3735.03	2632.49
2020-21*	3991.55	1950.58

*दिसम्बर, 2020 तक

आर.ओ.प्लांट्स स्थापित करने की परियोजना

इस परियोजना के तहत पेयजल के खारेपन एवं फ्लोराईड की समस्याओं सहित बहु–गुणवत्ता सम्बन्धी समस्याओं के समाधान हेतु पेयजल गुणवत्ता प्रभावित ढ़ाणियों में 33 आर.ओ. प्लांट्स लगाने का कार्य जन–स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किया जा रहा है। यह कार्य विभिन्न चरणों में किया जा रहा है। इस प्रकार अब तक, 4,056 आर.ओ. प्लांट्स स्वीकृत कर 3,612 प्लांट्स दिसम्बर, 2020 तक चालू किये गये है।

सौर ऊर्जा आधारित बोरवैल पम्पिंग सिस्टम एवं डी–फ्लोरिडेशन संयंत्र परियोजना

राज्य में पानी की कमी और अनियमित बिजली की आपूर्ति वाले दूरदराज़ के ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा आधारित 1,044 बोरवेल पम्पिंग सिस्टम चालु करने के लिए परियोजना प्रारम्भ की गई और सभी 950 सौर ऊर्जा आधारित संयंत्र दिसम्बर, 2020 तक स्थापित किये जा चुके हैं। वर्ष 2015–16 से 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) के दौरान कुल 2,622 सौर उर्जा आधारित डी–फ्लोरिडेशन की स्थापना के लिए काम शुरू किया गया है। इस प्रकार कुल 3,414 स्वीकृत सौर उर्जा आधारित डी–फ्लोरिडेशन संयंत्रो के विरूद्ध 5 चरणों में, 2,622 सौर उर्जा आधारित डी–फ्लोरिडेशन संयंत्रो को दिसम्बर, 2020 तक चालू किया जा चुका है।

ग्रामीण क्षेत्र में नलकूप, हैण्डपम्प निर्माण

राज्य के अधिकांश गाँवो में पेयजल व्यवस्था भू–जल आधारित है। विगत वर्षों में निर्मित नलकूप एवं हैण्डपम्पों का विवरण चित्र 9.1 में दर्शाया गया है।

चित्रः 9.1

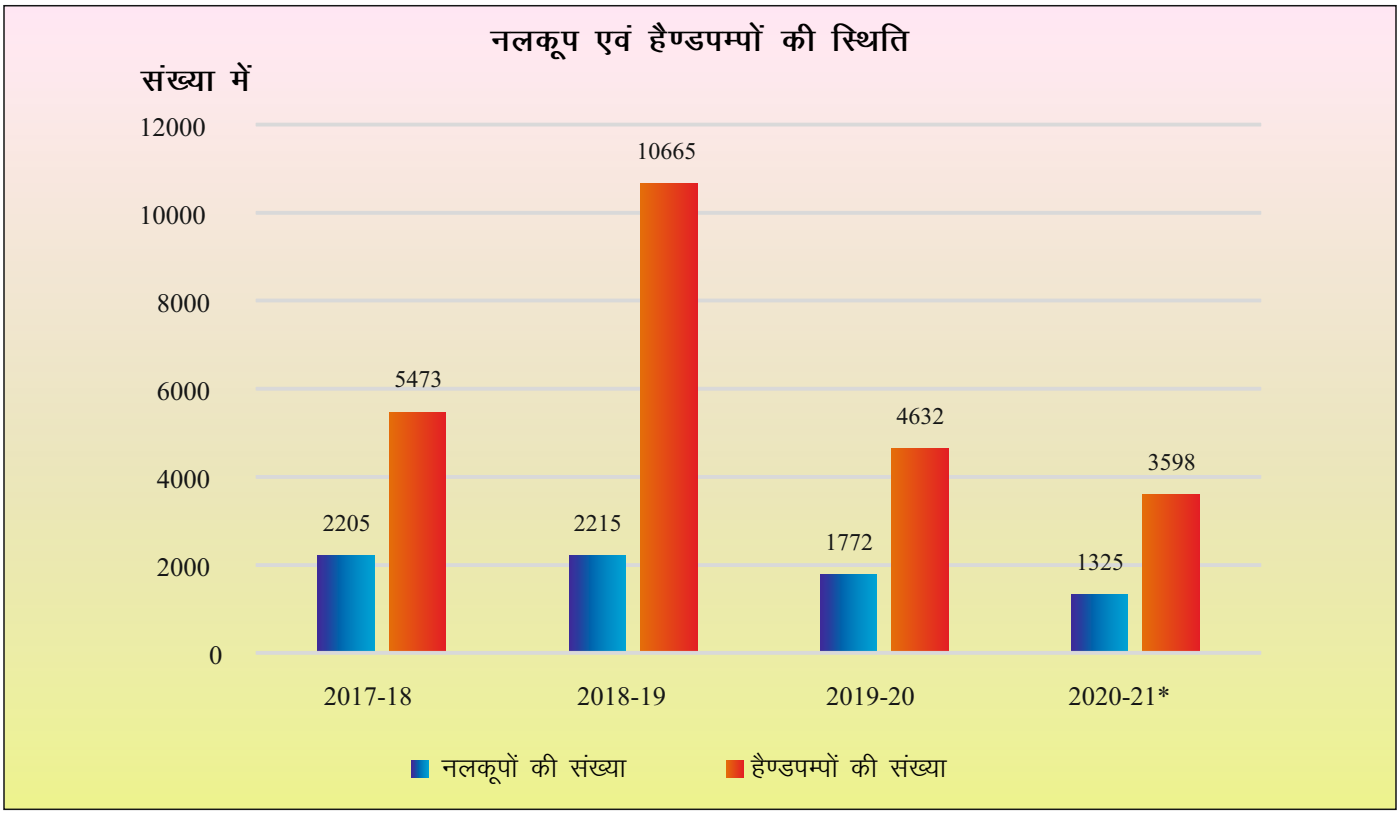

*दिसम्बर, 2020 तक

पेयजल परिवहन

राज्य में प्रतिवर्ष ग्रीष्मकाल में, उन क्षेत्रों में पेयजल परिवहन किया गया है, जो या तो पेयजल योजनाओं से लाभान्वित नहीं हैं अथवा जहाँ सूदूर छोर के क्षेत्रों में ग्रीष्म समय में पेयजल आपूर्ति में कमी हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षवार पेयजल परिवहन का विवरण चित्र 9.2 में दर्शाया गया है।

चित्रः 9.2

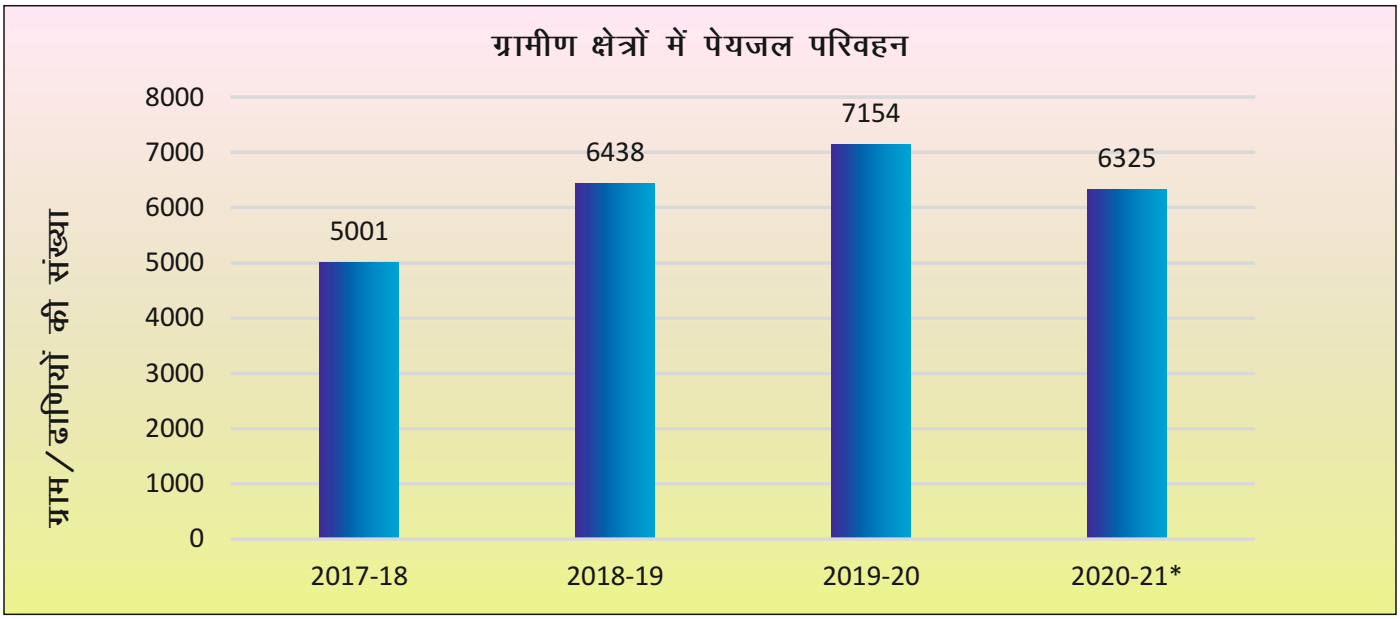

*दिसम्बर, 2020 तक

ग्रामीण क्षेत्र में हैण्डपम्प मरम्मत

जन–स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हैण्डपम्पों को कार्यशील बनाए रखकर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हैण्डपम्प मरम्मत अभियान नियमित रूप से चलाया जाता है। वर्ष 2020–21 में (31 दिसम्बर, 2020 तक), 1,53,623 हैण्डपम्पों की मरम्मत की गई है।

वृहद् पेयजल परियोजनाएं

राज्य की दीर्घकालिक पेयजल समस्या के स्थायी समाधान हेतु राज्य में उपलब्ध कुछ सतही स्रोत जैसे– इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (5,485 ग्राम, 39 कस्बे), चम्बल नदी (5,334 ग्राम, 29 कस्बे), नर्मदा नदी (902 ग्राम, 3 कस्बे), बीसलपुर बांध (3,067 ग्राम, 21 कस्बे) तथा जवाई बांध (785 ग्राम, 10 कस्बे) इत्यादि हैं। 126 वृहद पेयजल परियोजनाओं के लिए राशि ₹37,076.14 करोड़ लागत की स्वीकृत की गई है, जिनसे 104 कस्बे, 17,550 ग्राम तथा 12,606 ढ़ाणियों को पीने योग्य पानी की आपूर्ति कर लाभान्वित किया जाना है।

इन परियोजनाओं पर दिसम्बर, 2020 तक ₹28,282.48 करोड़ व्यय कर 92 कस्बों, 11,637 गाँवो तथा 10,745 ढ़ाणियों को लाभान्वित किया जा चुका है। अब तक 79 वृहद् पेयजल परियोजनाएं, जिनकी लागत राशि ₹11,898.68 करोड़ है, को पूर्ण कर 37 कस्बों, 5,400 ग्रामों तथा 6,198 ढ़ाणियों को लाभान्वित किया गया तथा इन परियोजनाओं पर राशि ₹10,601.33 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। वर्तमान में 35 वृहद् पेयजल परियोजनाएं, ₹22,241.81 करोड़ लागत राशि की प्रगति पर हैं, जिसमें 55 कस्बे, 6,237 ग्राम तथा 4,547 ढ़ाणियों को लाभान्वित किया जा चुका है। इन परियोजनाओं पर राशि ₹17,462.17 करोड़ का व्यय किया गया है।

जल संसाधन विभाग द्वारा ₹1,366.90 करोड़ की 3 परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही है जिसके विरूद्ध ₹207.76 करोड़ खर्च किये जा चुके हैं। ₹1,558.68 करोड़ लागत की 5 परियोजनाएं प्रारम्भ करना प्रक्रियाधीन है।

ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति परिदृश्यः

कुल 1,21,978 बस्तियों में से 1,12,509 बस्तियों को सम्मिलित करके राज्य को छः अलग–अलग योजनाओं से लाभान्वित किया जा चुका है। इन बस्तियों में कुल 43,364 मुख्य बस्तियां एवं 78,614 अन्य बस्तियां है।

मिड–डे–मील योजना (एम.डी.एम.एस.)

इस योजना का मूल उद्देश्य सरकारी, स्थानीय निकाय, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों, विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों (वैकल्पिक नवीन शिक्षा केन्द्रों–शिक्षा कर्म मण्डल) और मदरसों में कक्षा–1 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की पोषण स्थिति में सुधार करना है। इस योजना ने नामांकन बढ़ाने, विद्यार्थियों को नियमित रूप से विद्यालय आने और विद्यार्थियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मिड–डे–मील कार्यक्रम 66,341 सरकारी विद्यालयों और संस्थानों में लागू है। इसमें कक्षा–1 से 8 तक पढ़ने वाले लगभग 62.67 लाख (कक्षा–1 से 5 में 41.37 लाख और कक्षा–6 से 8 में 21.30 लाख) विद्यार्थी शामिल हैं। इस योजना के तहत, कक्षा–1 से 5 के लिए प्रति विद्यार्थी 100 ग्राम (गेहूँ/चावल) प्रतिदिन और कक्षा–6 से 8 के लिए प्रति विद्यार्थी 150 ग्राम प्रतिदिन प्रदान किया जा रहा है।

मिड–डे–मील के तहत वितरण किये जाने वाले भोजन में कक्षा–1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन होता है और कक्षा–6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन होता है। वितरण किये जाने वाले भोजन की विविधता को व्यापक रूप से सराहा गया है और यह विद्यार्थियों के लिए भी रूचिकर है। कक्षा–1 से 5 के लिए खाना बनाने की लागत प्रति विद्यार्थी ₹4.97 प्रतिदिन और कक्षा–6 से 8 के लिए खाना बनाने की लागत प्रति विद्यार्थी ₹7.45 प्रतिदिन है।

मिड–डे–मील में "उत्सव भोज" योजनाः इस योजना में कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत और सामाजिक अवसरों यथा– जन्म दिवस, जन्म उत्सव, शादी की सालगिरह आदि पर पूर्ण भोजन, मिठाईयां, कच्चा माल, उपकरण और बर्तन प्रदान कर सकता है। वर्तमान में, राज्य में मिड–डे–मील योजना के माध्यम से 66,341 विद्यालयों को लाभान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एन.ए.बी.एल.) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के माध्यम से मिड–डे–मील नमूनों में पोषक मूल्यों का परीक्षण किया जाता है।

वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) के दौरान, मिड–डे–मील योजना के तहत बजट प्रावधान ₹814.90 करोड़ के विरूद्ध ₹317.61 करोड़ का व्यय किया गया है।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयानुसार कोविड–19 के अन्तर्गत विद्यालय बन्द रहने की

अवधि में मिड डे मील योजनान्तर्गत विद्यार्थियों के माता–पिता को खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) एवं कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट से दाल, तेल, मसालों आदि का वितरण किया जा रहा हैं।

समेकित बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.)

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में राज्य में 304 बाल विकास परियोजनाएं संचालित हैं। इनमें से 22 परियोजनाएं शहरी क्षेत्रों में, 37 परियोजनाएं जनजाति क्षेत्रों में तथा शेष 245 परियोजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हैं। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत राज्य में कुल 62,020 आँगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं, जिनमें से 55,816 मुख्य आँगनबाड़ी केन्द्र तथा 6,204 मिनी आँगनबाड़ी केन्द्र हैं। इनमें दिसम्बर, 2020 तक 55,694 मुख्य आँगनबाड़ी केन्द्र एवं 5,919 मिनी आँगनबाड़ी केन्द्र क्रियाशील है। शेष केन्द्रों को भी क्रियाशील बनाने के प्रयास किये जा रहे है।

लक्षित लाभार्थियों को प्रदान की जा रही सेवाओं की सूची तालिका–9.2 में दर्शाई गयी है। तीन सेवाएं (क्रम संख्या–4 से 6) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आँगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध करवाई जाती है।

तालिका–9.2 आँगनबाडी केन्द्रों पर सेवाएं

क्र. सं.	सेवाएं	लाभार्थी
1.	पूरक पोषाहार	6 माह से अधिक तथा 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे, गर्भवती–धात्री महिलाएं एवं 11 से 14 वर्ष की किशोरी बालिकाएं (विद्यालय नहीं जाने वाली)
2.	बचपन और शाला पूर्व शिक्षा	3–6 वर्ष तक की आयु के बच्चे
3.	पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा	15–45 वर्ष की महिलाएं एवं किशोरी बालिकाएं
4.	टीकाकरण	0–6 वर्ष के बच्चे एवं गर्भवती महिलाएं
5.	स्वास्थ्य जाँच	0–6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती –धात्री महिलाएं एवं किशोरी बालिकाएं
6.	सन्दर्भ (रेफरल) सेवाएं	0–6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती तथा धात्री महिलाएं

प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजनाः इस योजना का प्रमुख उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हें शिशुओं (0 से 6 माह) के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देखरेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है। लाभार्थी को कुल ₹5,000 की राशि तीन किश्तों (क्रमशः ₹1,000, ₹2,000 तथा ₹2,000) में दी जाती है। लाभार्थी को राशि का भुगतान केवल बैंक/डाकघर के माध्यम से उनके खातों में सीधे दिए जाने का प्रावधान है। भारत सरकार द्वारा दिसम्बर, 2020 तक दिए गए 12,97,820 लाभार्थियों के लक्ष्य के विरूद्ध 12,66,151 (97.56 प्रतिशत) लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

किशोरियों के लिए योजना (एस.ए.जी.): किशोरी बालिकाओं के आत्म–विकास के लिये सहयोगात्मक वातावरण तैयार करते हुए किशोरी बालिकाओं को शिक्षित, सशक्त, आत्मनिर्भर एवं जागरूक नागरिक बनाने के उद्देश्य से 11–14 आयु वर्ग की स्कूल नहीं जाने वाली बालिकाओं को आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पोषणीय एवं गैर–पोषणीय सेवाओं से लाभान्वित किए जाने हेतु सम्पूर्ण राज्य में 1 जून, 2018 से किशोरी बालिकाओं के लिये योजना की शुरूआत की गई। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 में राज्य में कुल 0.49 लाख किशोरी बालिकाओं का सर्वे कर आँगनबाड़ी केन्द्रों पर लाभावित्त किया गया। वर्ष 2020–21 में (दिसम्बर, 2020 तक) राज्य में कुल 0.37 लाख किशोरी बालिकाओं का सर्वे कर आँगनबाड़ी केन्द्रों पर लाभावित्त किया गया है।

पोषण अभियानः पोषण अभियान का उद्देश्य आंगनबाडी केन्द्रों के माध्यम से माता एवं शिशुओं के पोषण में सुधार के लिए सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करना है। सितम्बर 2019, में वित्तीय वर्ष 2018–19 में सराहनीय कार्यो के लिए 9 राज्यों को विभिन्न श्रेणियों में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पुरस्कार दिया गया था, जिनमें राजस्थान को प्रथम उत्कृष्ट समग्रता पुरस्कार प्रदान किया गया जिसके तहत राजस्थान को ₹1.50 करोड़ की राशि प्राप्त हुई।

महिला कल्याण कोषः आँगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत मानदेय कार्मिकों यथा– आँगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सहयोगिनी के कल्याण हेतु यह कोष राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। इस कोष का संचालन भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से वर्ष 2006–07 से निरन्तर किया जा रहा है। इस कोष के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष छःमाही आधार पर अंशदान देने का प्रावधान किया गया है। आँगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए ₹750 वार्षिक एवं शेष सभी कार्मिकों के लिए ₹376 वार्षिक अंशदान नियत किया गया है। कोष के माध्यम से ₹10,000 की बीमा की सुविधा भी सदस्य को उपलब्ध करवाई जाती है। इस योजना से जुड़ने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति की बीमा धन की राशि ₹10,000 के साथ जमा बचत राशि मय ब्याज जीवन बीमा निगम द्वारा भुगतान किया जा रहा है। सदस्य के सेवा विमुक्ति पर बचत राशि मय ब्याज भुगतान किये जाने का प्रावधान है।

इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना (आई.जी.एम.पी. वाई.): प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर तथा सहरिया बहुल जिला बारां में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 19 नवम्बर, 2020 से प्रारंभ की गई। इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने हेतु इन जिलों में दूसरी संतान के जन्म पर लाभार्थियों को पॉच चरणों में ₹6,000 सीधे खाते में हस्तान्तरित किये जाते है।

इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का प्रमुख उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं और 3 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाकर जन्म के समय कम वज़न और दुर्बलता की घटनाओं को कम करना है। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों की पालना के साथ–साथ राजस्थान सरकार की कुपोषण निवारण रणनीति **'सुपोषित राजस्थान– विजन 2022'** का लक्ष्य पूरा करने के लिए सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार रणनीति को अपनाना भी हैं।

यह योजना महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत समेकित बाल विकास सेवाएं और चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की स्वास्थ्य प्रणाली का उपयोग करते हुए लागू की गई हैं।

अन्य

समेकित बाल विकास सेवाओं में जन सहभागिता बढ़ाने के लिए ''नन्द घर योजना'' प्रारम्भ की गई हैं। वर्तमान में नन्द घर योजना के अर्न्तगत 1,549 आँगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण/नवीनीकरण का कार्य किया गया था। सुविधा संवर्धन कार्यक्रम के तहत, 515 आँगनबाड़ी केन्द्रों को टी.वी. और सोलर पेनल, 1,577 आँगनबाड़ी केन्द्रों को यूनिफॉर्म के साथ झूला, बर्तन, दरी वितरित किये गये। 1,984 केन्द्रों को दीवार घड़ी भी वितरित की गयी। 187 केन्द्रों में, 15 निर्धुम चूल्हे, अलमारी, वजन मशीन, लोहे के रैक, ट्राईसाईकिल भी दिये गये है।

- पूरक पोषण कार्यक्रम (एस.ए.जी.) के तहत, विभाग ने आँगनबाड़ी केन्द्रों के लगभग 40 लाख लाभार्थियों को प्रीमिक्स और गर्म पकाया भोजन (गेहूं, चावल और चना दाल) के बजाय अनाज उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।
- 4 मई, 2020 से 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को बचपन की शिक्षा (ई.सी.ई.) सीखने की सामग्री कलेण्डर, वीडियो, आदि अभिभावकों तक साप्ताहिक भिजवाये जा रहे हैं।
- 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को ई.सी.ई. सामग्री, आँगनबाड़ी केन्द्रो के माध्यम से घर–घर जाकर पंजीकृत लाभार्थियों को मेरी फुलवारी की पाठ्य पुस्तक की 13.01 लाख प्रतियों की आपूर्ति करने का निर्णय लिया गया है।

बाल अधिकारिता

बाल अधिकारों के संरक्षण एवं सुरक्षित वातावरण बनाने हेतु वर्ष 2013 में बाल अधिकारिता विभाग की स्थापना की गई थी। निदेशालय द्वारा निम्नलिखित योजनाओं का संचालन किया जा रहा है:–

बाल संरक्षण योजना (सी.पी.एस.): बाल संरक्षण एक व्यापक योजना है, जिसका उद्देश्य देश में बालकों/बालिकाओं हेतु संरक्षित परिवेश तैयार करना है। इस योजना का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में वैधानिक एवं सहायक सेवाएं प्रदान करना, सभी स्तरों पर क्षमताओं की वृद्वि हेतु साक्ष्य आधारित निगरानी और मूल्यांकन डाटा बेस तथा ज्ञान आधारित बाल संरक्षण सेवाओं का निर्माण और परिवार एवं समुदाय स्तर पर सुदृढ़ीकरण में गुणवत्ता प्राप्त करना है। इस योजना में वित्तीय वर्ष 2020–21 में ₹5,934 लाख बजट प्रावधान है, जिसमें से (माह दिसम्बर, 2020 तक) राशि ₹3,560.40 लाख का व्यय किया गया।

कामकाजी महिलाओं हेतु नेशनल क्रेच स्कीमः भारत सरकार द्वारा समुदाय में कामकाजी महिलाओं के बच्चों को डे–केयर सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य में नेशनल क्रेच स्कीम लागू की गई है। वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) के दौरान, इस योजना में ₹8 लाख का व्यय किया गया।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.)

राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कई उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से संस्थागत रूप से लागू किया गया था, जैसे– कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करना, आपूर्ति में कमी आने पर आवश्यक वस्तुओं की राशनिंग तथा समाज के गरीब व जरुरतमंद वर्गों को बुनियादी वस्तुओं की सस्ती दरों पर आपूर्ति सुनिश्चित करना है। उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क स्थापित करना, खाद्यान्नों का आवंटन व वितरण, राशन कार्ड जारी करना, उचित मूल्य की दुकानों के कामकाज का पर्यवेक्षण एवं निगरानी आदि की जिम्मेदारी राज्य सरकार में निहित है। उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से गेहूं, चावल, चीनी एवं केरोसीन जैसी आवश्यक वस्तुओं का वितरण मासिक आधार पर नियमित रूप से किया जाता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन.एफ.एस.ए.) के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों के मापदण्डों की समीक्षा कर खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के सम्बन्ध में 27 सितम्बर, 2018 को नवीनतम अधिसूचना जारी की गई। वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की समावेशन सूची में कुल 32 श्रेणियाँ हैं। एनएफएसए के तहत भारत सरकार से प्रति माह 2,32,631 मीट्रिक टन की मात्रा प्राप्त की जा रही हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, नवम्बर, 2020 से हर महीने 12,000 सेक्स वर्कर्स को मुफ्त में राशन किट वितरित किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनाः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत ए.ए.वाई. परिवारों के राशन कार्ड धारकों को प्रति राशन कार्ड पर 35 किग्रा. गेहूं और बी.पी.एल. और स्टेट बी.पी.एल. को प्रति इकाई प्रतिमाह 5 किग्रा. गेहूं ₹2 प्रति किलोग्राम के बजाय ₹1 प्रति किलोग्राम से प्रदान किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 2020 से दिसम्बर, 2020 तक कुल 7,52,392.95 मीट्रिक टन गेहूँ 1,51,82,113 व्यक्तियों को उपलब्ध कराया गया।

- मृतक डीलर के आश्रितों को उचित मूल्य की दुकान का आवंटन अनुकम्पा के आधार पर किया गया।
- राज्य के 32 जिलों को पिछले एक वर्ष के दौरान केरोसीन मुक्त बनाया गया है।

वन नेशन वन राशन कार्ड योजनाः इस योजना में, जिला रसद अधिकारी एवं जिला प्रशासन द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार करवाकर आधार सीडिंग कार्य पूर्ण करवाया जा रहा है। 1 नवम्बर, 2020 से विशेष अभियान के तहत 50 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को जोडा गया और 31 दिसम्बर, 2020 तक 4.18 करोड लाभार्थियों की आधार सीडिंग की जा चुकी है।

सहरिया, खैरवा तथा कथौड़ी जनजाति को खाद्य सुरक्षा

राज्य के बारां जिले के 30,651 सहरिया एवं 2,303 खैरवा तथा उदयपुर जिले के 754 कथौड़ी जनजाति के परिवारों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 35 किग्रा. गेहूं प्रतिमाह प्रति परिवार निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है। एन.एफ.एस.ए. के तहत खाद्यन्न आवंटन का वर्षवार आवंटन और उठाव मात्रा का विवरण तालिका–9.3 में दर्शाया गया है।

तालिका–9.3 वर्षवार विभिन्न योजना में खाद्यान्न का आवंटन

(मै.टन)

वर्ष	आवंटन मात्रा	उठाव मात्रा
2017-18	2311837	2210741
2018-19	2610851	2556092
2019-20	2691862	2671217
2020-21*	2093498	2091818

*दिसम्बर, 2020 तक

उचित मूल्य की दुकानों पर पॉस (PoS) मशीनों की स्थापना

उचित मूल्य की दुकानों पर पॉस (PoS) मशीनों की उपलब्धता चरणबद्ध तरीके से की गई हैं और उचित मूल्य की दुकानों पर उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरान्त राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। पॉस (PoS) मशीन से होने वाले वितरण का सम्पूर्ण रिकॉर्ड ऑनलाइन रहने से किसी भी समय, किसी भी स्तर पर राशन सामग्री के स्टॉक का भौतिक सत्यापन सम्भव है। पॉस (PoS) मशीन द्वारा बायोमैट्रिक सत्यापन के पश्चात् राशन सामग्री के वितरण से न केवल पी.डी.एस. सामग्री की कालाबाजारी पर अंकुश लगा है, बल्कि लक्षित लाभार्थियों तक पी.डी.एस. सामग्री की पहुँच सुनिश्चित हो सकी है।

किसी लाभार्थी का अंगूठा निशान (फिंगर प्रिन्ट) मिलान नहीं होने की स्थिति में लाभार्थी के पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर ओ. टी.पी. प्रेषण अथवा प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से बाइपास सिस्टम एक्टिवेट करवाकर राशन प्राप्त करने की भी व्यवस्था है। विभाग द्वारा 'डिस्ट्रिक्ट पोर्टेबिलिटी' के अन्तर्गत यह भी प्रावधान किया गया है कि कोई लाभार्थी अपनी राशन सामग्री जिलें में किसी भी राशन की दुकान से प्राप्त कर सकता है।

राज्य में राज्य स्तरीय पोर्टेबिलिटी पहले से ही लागू की जा चुकी है। वर्ष 2019–20 में पॉस (PoS) मशीनों के माध्यम से गेहूं वितरण के 11.31 करोड़ लेनदेन किए गए हैं, जबकि वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक कुल 8.64 करोड़ लेनदेन हुआ।

कोविड–19 महामारी के दौरान उपलब्ध कराई गई सहायताः

- राजस्थान सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त गेहूं माह अप्रेल, मई एवं जून, 2020 में तथा 11 अगस्त, 2020 से 30 नवम्बर, 2020 तक निःशुल्क उपलब्ध कराया गया।
- राजस्थान सरकार द्वारा कोविड–19 महामारी के दौरान खाद्य सुरक्षा योजना में भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीलिंग (4.46 करोड़) से अधिक चयनित 34 लाख व्यक्तियों हेतु माह अप्रेल एवं मई 33,999.88 मीट्रिक टन गेहूं निःशुल्क उपलब्ध कराया गया।
- राजस्थान सरकार द्वारा निःसहाय एवं अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को 24,287.78 मीट्रिक टन गेहूं एवं 1,734.27 मीट्रिक टन चना एकमुश्त 10 किलोग्राम गेहूं प्रति व्यक्ति एवं 2 किलोग्राम चना प्रति परिवार निःशुल्क उपलब्ध कराया गया।
- माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिये गये आदेशों की पालना में, कोविड–19 से प्रभावित वंचित बेसहारा एवं जरूरतमन्द व्यक्तियों का सर्वे कराकर 1 जनवरी, 2021 से 4.14 लाख परिवारों को एकमुश्त 10 किलोग्राम गेहूं प्रति व्यक्ति एवं 2 किलोग्राम चना प्रति परिवार निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।

उपभोक्ता मामलात् विभाग

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य स्तर पर राज्य आयोग एवं जिला स्तर पर सभी जिलों में पूर्णकालिक जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंचों का गठन किया गया है। जयपुर जिले में 4 तथा जोधपुर जिले में 2 मंच कार्यरत हैं। राज्य में कुल 37 जिला मंच एवं 7 सर्किट बैंच (सम्भागीय मुख्यालय) कार्यरत हैं। दिसम्बर, 2020 तक राज्य आयोग एवं जिला मंचों में 5,60,466 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनमें से 5,12,778 प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है।

राज्य स्तरीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1800–180–6030) का संचालन मार्च, 2011 से किया जा रहा है। उपभोक्ताओं द्वारा ऑनलाइन शिकायतें वेबपोर्टल www.consumeradvice.in पर भी दर्ज करवाई जा रही हैं। वर्तमान में (दिसम्बर, 2020 तक) हेल्पलाइन द्वारा 47,899 शिकायतों का निस्तारण किया गया हैं। विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ, उपभोक्ता मामले विभाग के अन्तर्गत कार्यरत है। जून, 2020 से बाट एवं माप के सत्यापन और मुद्रांकन से संबंधित समस्त कार्य ई–तुलामान वेब पेज के माध्यम से ऑनलाइन किया जा रहा है।

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड़ (आर.एस.एफ.सी.एस.सी.एल.)

कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत वर्ष 2010 में राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड़ की स्थापना की गई थी, जिसने 27, दिसम्बर, 2010 से कार्य करना प्रारम्भ किया।

चीनी के वितरण के लिए यह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक नोडल एजेन्सी हैं। राज्य में अन्त्योदय परिवारों को प्रति माह 1 किलोग्राम चीनी प्रति राशन कार्ड/प्रति परिवार के अनुसार

वितरित की जा रही है। निगम द्वारा खुले बाजार से चीनी खरीद कर उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से पात्र परिवारों को चीनी का वितरण किया जाता हैं।

वित्तिय वर्ष 2019–20 के चतुर्थ तिमाही के दौरान, अन्त्योदय परिवारों द्वारा उचित मूल्य की दुकानो के संचालको से 1,055.84 मीट्रिक टन की चीनी प्राप्त की गई हैं। वर्तमान वित्तिय वर्ष 2020–21 दौरान, राजस्थान राज्य गंगानगर चीनी मिल लिमिटेड़ से 15,203.06 क्विंटल चीनी की खरीद की गई हैं। जीएसटी सहित अन्त्योदय परिवारों को ₹18 प्रति किलोग्राम चीनी वितरित की जा रही है।

अप्रेल, 2020 से दिसम्बर, 2020 की अवधि के दौरान, अन्त्योदय परिवारों द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के संचालकों से 2,187.05 मीट्रिक टन चीनी प्राप्त की गई है।

निगम द्वारा राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान किए गये महत्वपूर्ण निर्णयों और उपलब्धियों का विवरणः

- वर्ष 2019–20 में लगभग 26.80 लाख मैट्रिक टन गेहूं की आपूर्ति की गई।
- वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में लगभग 20.89 लाख मैट्रिक टन गेहूं, पी.एम.जी. के.ए.वाई. में 17.64 लाख मैट्रिक टन गेहूं, आत्मनिर्भर भारत योजना में 44,600 मैट्रिक टन गेहूं, सी.एम.जी.के.ए. वाई. में 33,993.69 मैट्रिक टन गेहूं और राज्य सरकार की अन्य श्रेणियों में 18,741 मैट्रिक टन गेहूं। आर.एस.एफ.सी. एस.सी. द्वारा कुल 39.50 लाख मैट्रिक टन गेहूं की आपूर्ति की गई हैं।
- वर्ष 2020–21 में नवम्बर, 2020 तक पी.एम.जी.के.ए.वाई. प्रथम के अन्तर्गत 33,501 मैट्रिक टन दाल, पी.एम.जी. के.ए.वाई. द्वितिय के अन्तर्गत 44,203.58 मैट्रिक टन साबुत चना, आत्मनिर्भर भारत योजना में 2,235 मैट्रिक टन साबुत चना, और राज्य सरकार की अन्य श्रेणियों में 1,474.25 मैट्रिक टन चना। आर.एस.एफ.सी.एस.सी. द्वारा कुल 81,413.83 मैट्रिक टन चना / दाल आपूर्ति की गई हैं।
- समेकित बाल विकास सेवाएं योजना अन्तर्गत, 75,418.97 मैट्रिक टन चना दाल की आपूर्ति आर.एस.एफ.सी.एस.सी. द्वारा की गई हैं। वर्ष 2020–21 में. प्रथम और द्वितिय तिमाही में निगम द्वारा 32,577.36 मैट्रिक टन गेहूं और 25,065.27 मैट्रिक चावल की आपूर्ति की गई हैं। तृतीय तिमाही के लिए 16,278.55 मैट्रिक टन गेहूं और 13,293.90 मैट्रिक चावल की आपूर्ति की गई हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

समाज के कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के सर्वांगीण विकास एवं उत्थान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु राज्य में निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं:–

अनुप्रति योजनाः इस योजना में अनुसूचित जाति / जनजाति / विशेष पिछड़ा वर्ग / अन्य पिछड़ा वर्ग / सामान्य वर्ग के बी.पी.एल. श्रेणी के प्रत्येक अभ्यर्थी और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (मुख्य परीक्षा में 85 प्रतिशत अनिर्वाय) के विद्यार्थियों को अखिल भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ₹1 लाख, राज्य की प्रशासनिक सेवा में उत्तीर्ण होने पर ₹50,000 और आई. आई.टी., आई.आई.एम., एन.आई.टी., एन.एल.यू. एवं राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पर भी ₹40,000 से ₹50,000 प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है। राजकीय इंजीनियरिंग / मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के लिए ₹10,000 दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में (माह दिसम्बर, 2020 तक) ₹29.43 लाख की राशि व्यय कर 98 अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया गया है।

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियांः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्रों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही हैं, जिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय ₹2.50 लाख तक, अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय ₹1.5 लाख तक, आर्थिक पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय ₹1 लाख तक और मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के अभिभवकों की वार्षिक आय ₹5 लाख तक है, को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही हैं। वर्ष 2020–21 में (माह दिसम्बर, 2020 तक) 1,92,641 विद्यार्थियों को ₹30,990.41 लाख की छात्रवृत्तियां वितरित की गई हैं। वर्षवार प्रगति तालिका–9.4 में दर्शाई गई है।

तालिका–9.4 उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियों की वर्षवार प्रगति

योजना	वर्ष	लाभान्वितों की संख्या	व्यय (₹लाख में)
अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ	2017-18	400221	52743.56
	2018-19	566883	69710.52
	2019-20	744567	84626.57
	2020-21*	137217	21809.60
अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ	2017-18	67341	8441.02
	2018-19	54890	7390.98
	2019-20	54639	7620.37
	2020-21*	14404	3097.15
आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ	2017-18	1054	94.06
	2018-19	1256	128.63
	2019-20	1738	171.80
	2020-21*	570	69.90
विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ (देवनारायण)	2017-18	48107	6687.00
	2018-19	48670	7200.00
	2019-20	50438	7889.00
	2020-21*	40070	5895.59
मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्तियाँ	2017-18	420	308.08
	2018-19	767	256.39
	2019-20	677	205.39
	2020-21*	380	118.17
योग	**2017-18**	**517143**	**68273.72**
	2018-19	**672466**	**84686.52**
	2019-20	**852059**	**100513.13**
	2020-21*	**192641**	**30990.41**

* दिसम्बर, 2020 तक

छात्रावास सुविधाः विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इन छात्रावासों में आवास, भोजन, पोशाक, स्टेशनरी, कोचिंग आदि की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में (दिसम्बर, 2020 तक) ₹4,887.92 लाख की राशि व्यय की गयी है।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजनाः सहयोग एवं उपहार योजना का नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कर दिया गया हैं। इस योजना के अन्तर्गत लड़कियों को विभिन्न चरणों में लाभान्वित किया जा रहा हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के बी.पी.एल. परिवार की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की लड़कियों के विवाह पर ₹31,000 उपहार स्वरूप दिए जाते हैं, यदि लड़की दसवीं पास है तो अतिरिक्त ₹10,000 तथा यदि लड़की स्नातक है तो ₹20,000 की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इसी प्रकार शेष सभी श्रेणियों के बी.पी.एल. परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्ड धारक, आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाएं, विशेष योग्यजन व्यक्ति, पालनहार में लाभार्थियों की लड़कियों की शादी और 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला खिलाड़ियों को भी स्वयं की शादी में ₹21,000 दिये जा रहे हैं, यदि लड़की दसवीं पास है तो अतिरिक्त ₹10,000 तथा यदि लड़की स्नातक है तो ₹20,000 की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इस योजना में वर्ष 2020–21 में (माह दिसम्बर, 2020 तक) 6,073 लड़कियों को ₹2,416.68 लाख की राशि से पुरस्कृत किया गया हैं।

आवासीय विद्यालयः इस योजना के अन्तर्गत, 25 आवासीय विद्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन राजस्थान आवासीय शैक्षिक संस्थान सोसायटी (आर.आर.ई.आई.एस.) द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग एवं अन्य आर्थिक पिछड़े वर्ग जिनकी पारिवारिक आय ₹8 लाख प्रतिवर्ष तक है, के गरीब बच्चों के लिए चलाए जा रहे हैं। इन विद्यालयों में सुविधाओं के तौर पर आवास, भोजन, पोशाक, लेखन सामग्री, चिकित्सा आदि सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में (माह दिसम्बर, 2020 तक) ₹2,521.12 लाख की राशि व्यय कर 8,978 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनाः केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के स्थान पर इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन 19 नवम्बर, 2007 से प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के मापदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवार के 60 वर्ष व अधिक आयु के व्यक्तियों को पेंशन देय है। 60 वर्ष से अधिक एवं 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को ₹750 प्रतिमाह एवं 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को ₹1,000 प्रतिमाह पेंशन देय है। इस योजना की प्रगति तालिका–9.5 में दर्शाई गई है।

तालिका–9.5 इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की वर्षवार प्रगति

वर्ष	लाभान्वितों की संख्या	व्यय (₹लाखों में)
2017-18	793625	23854.72
2018-19	502274	20736.61
2019-20	770019	21698.87
2020-21*	768669	26241.64

* दिसम्बर, 2020 तक

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजनाः इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना केन्द्र सरकार द्वारा 7 अक्टूबर, 2009 से प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के मापदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवार की 40 वर्ष व अधिक की आयु की विधवा महिलाएं पेंशन की पात्र हैं। 40 वर्ष से अधिक किन्तु 55 वर्ष से कम आयु की पेंशनर्स को ₹500 प्रति माह, 55 वर्ष व अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम आयु की पेंशनर को ₹750 प्रतिमाह, 60 वर्ष व अधिक किन्तु 75 वर्ष से कम आयु की पेंशनर को ₹1,000 प्रतिमाह एवं 75 वर्ष व अधिक आयु की पेंशनर को ₹1,500 प्रतिमाह पेंशन

देय हैं। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में (माह दिसम्बर, 2020 तक) ₹12,691.59 लाख की राशि व्यय कर 3,71,713 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजनाः इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना केन्द्र सरकार द्वारा 24 नवम्बर, 2009 से शुरू की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के मापदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवार के वे व्यक्ति, जो बहु निःशक्तता से ग्रसित है और जिनकी आयु 18 वर्ष व अधिक है, पेंशन के पात्र हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु व 55 वर्ष से कम आयु की महिला एवं 18 वर्ष से अधिक व 58 वर्ष से कम आयु के पुरूष पेंशनर को ₹750 प्रतिमाह, 55 वर्ष व अधिक की महिला तथा 58 वर्ष व अधिक के पुरूष किन्तु 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को ₹1,000 प्रतिमाह, 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को ₹1,250 प्रतिमाह पेंशन देय है, तथा 18 वर्ष व अधिक आयु के कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजन व्यक्ति को ₹1,500 प्रतिमाह पेंशन देय है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में (माह दिसम्बर, 2020 तक) ₹985.39 लाख की राशि व्यय कर 25,577 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजनाः वृद्धावस्था पेंशन के अन्तर्गत 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिलाओं एवं 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरूषों को वृद्धावस्था सम्मान पेंशन के रूप में ₹750 प्रतिमाह व 75 वर्ष की आयु होने के पश्चात ₹1,000 प्रतिमाह पाने के लिए पात्र है। इस योजना की प्रगति तालिका–9.6 में दर्शाई गई है।

तालिका–9.6 मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना की वर्षवार प्रगति

वर्ष	लाभान्वितों की संख्या	व्यय (₹लाख में)
2017-18	4101779	290852.13
2018-19	2901396	290580.96
2019-20	4528941	449190.86
2020-21*	4757856	457017.86

* दिसम्बर, 2020 तक

मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजनाः इस योजना के अन्तर्गत विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन दी जा रही है। इस योजना में ₹500 प्रतिमाह (पात्र लाभार्थी जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक और 55 वर्ष से कम) ₹750 प्रतिमाह (पात्र लाभार्थी जिनकी आयु 55 व अधिक और 60 वर्ष से कम) ₹1,000 प्रतिमाह (पात्र लाभार्थी जिनकी आयु 60 व अधिक और 75 वर्ष से कम) और ₹1,500 प्रतिमाह (पात्र लाभार्थी जिनकी आयु 75 वर्ष व अधिक) पेंशन दी जा रही है। इस योजना की प्रगति तालिका–9.7 में दी गई है।

तालिका–9.7 मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना की वर्षवार प्रगति

वर्ष	लाभान्वितों की संख्या	व्यय (₹लाख में)
2017-18	894047	55018.69
2018-19	970231	146940.34
2019-20	1473089	180126.01
2020-21*	1620032	149168.50

* दिसम्बर, 2020 तक

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजनाः इस योजना में, विशेष योग्यजनों को ₹750 प्रतिमाह (55 वर्ष से कम आयु की महिला एवं 58 वर्ष से कम आयु के पुरूष पेंशनर का), 55 वर्ष व अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष व अधिक आयु के पुरूष किन्तु 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को ₹1,000 प्रतिमाह, 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को ₹1,250 प्रतिमाह पेंशन देय है। सिलिकोसिस और कुष्ठ रोग पीड़ित व्यक्तियों को भी ₹1,500 प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में (दिसम्बर, 2020 तक) कुल ₹41,160.29 लाख की राशि उपलब्ध करवाकर 5,40,411 विशेष योग्यजनों को लाभान्वित किया गया है।

लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजनाः लघु एवं सीमान्त वृद्ध कृषकों में, जिन महिलाओं की आयु 55 वर्ष व अधिक तथा पुरूषों की आयु 58 वर्ष व अधिक हो तथा 75 वर्ष से कम हो, वृद्धजन सम्मान पेंशन ₹750 प्रतिमाह देय हैं व 75 वर्ष व अधिक आयु होने पर ₹1,000 प्रतिमाह पेंशन देय है। चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में (दिसम्बर, 2020 तक) ₹19,689.46 लाख की राशि उपलब्ध करवाकर 2,71,111 लघु एवं सीमान्त वृद्ध कृषकों को लाभान्वित किया गया है।

पालनहार योजनाः यह योजना उन बच्चों की देखभाल के लिए आरम्भ की गई थी, जिनके माता–पिता दोनों की मृत्यु हो गई है या आजीवन कारावास या मौत की सजा काट रहे हों या माता की मृत्यु हो गई है और पिता आजीवन कारावास काट रहा हो या इसके विपरीत पिता की मृत्यु हो गई है और माता आजीवन कारावास काट रही हो। प्रारम्भ में यह योजना अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए थी, किन्तु बाद में इसे बढ़ाकर सभी जाति के अनाथ बच्चों, विधवा के बच्चों (तीन बच्चों तक), कानूनी रूप से विवाहित विधवा के बच्चों, कुष्ठ रोग से प्रभावित माता/पिता के बच्चों, एच.आई.वी./ए.आई. डी.एस. से संक्रमित माता/पिता के बच्चों, जिन बच्चों की माँ नाते (तीन बच्चों तक) गई हो, विशेष योग्यजन माता–पिता के बच्चों एवं परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला के बच्चों के लिए लागू की गई थी। ऐसे बच्चों का उत्तरदायित्व लेने वाले व्यक्ति को 'पालनहार' कहा गया है। इस योजना के अन्तर्गत 0–6 वर्ष की आयु के आँगनबाड़ी जाने वाले बच्चों को ₹500 प्रतिमाह एवं 6–18 वर्ष की आयु के विद्यालय जाने वाले बच्चों को ₹1,000 प्रतिमाह दिए जाते हैं। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में (माह दिसम्बर, 2020 तक) ₹43,490.79 लाख व्यय कर 4,71,999 बच्चों को लाभान्वित किया गया है।

मुख्यमंत्री हुनर विकास योजनाः सरकारी एवं अनुदानित बाल गृहों के बालकों, पालनहार योजना के अन्तर्गत लाभान्वित बच्चों को मुख्य धारा में लाने एवं स्वावलम्बी बनाने हेतु व्यावसायिक, तकनीकी तथा उच्च शिक्षा की सुविधा, कौशल विकास प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना संचालित की जा रही है। वर्ष 2020–21 में (माह दिसम्बर, 2020 तक) राशि ₹20.24 लाख व्यय कर 54 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाहः अस्पृश्यता निवारण के एक प्रयास के रूप में सवर्ण हिन्दू तथा अनुसूचित जाति के बीच अन्तर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने हेतु ''डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना'' का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के युवक/युवती द्वारा सवर्ण हिन्दू जातियों के युवती/युवक से विवाह करने पर दम्पति को अन्तर्जातीय विवाह योजनान्तर्गत ₹5 लाख प्रति युगल स्वीकृत किए जा रहे हैं। इस योजना में, वित्तीय वर्ष 2020–21 में (माह दिसम्बर, 2020 तक) ₹1,582.50 लाख का वितरण किया गया हैं और 317 जोड़े लाभान्वित हुए हैं।

सम्भाग स्तरीय नारी निकेतन/राज्य स्तरीय महिला सदनः राज्य सरकार ने महिलाओं के उत्थान, सुरक्षा और जीवनयापन के लिए सम्भागीय मुख्यालयों पर नारी निकेतनों की स्थापना की है। माह दिसम्बर, 2020 तक इन नारी निकेतनों में 450 रहवासियों की स्वीकृत संख्या के विरूद्ध 236 महिला और 17 बच्चे है। वर्ष 2020–21 में (माह दिसम्बर, 2020 तक) ₹269.57 लाख का व्यय किया जा चुका है।

अन्त्येष्टि अनुदान योजनाः इस योजना के तहत लावारिस शवों के अन्तिम संस्कार के लिए चिन्हित गैर सरकारी संगठनों को ₹5,000 दिये जाते हैं। वर्ष 2020–21 में (माह दिसम्बर, 2020 तक) 445 लावारिस शवों के अंतिम संस्कार में ₹22.25 लाख का व्यय किया गया है।

वृद्ध कल्याण योजनाः इन केन्द्रों में मुफ्त आवास, भोजन, चाय, नाश्ता, मनोरंजन, आवश्यक दैनिक उपयोग की सुविधाएं आदि प्रदान करके वृद्धावस्था पेंशनधारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। वर्तमान में, केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य के 22 जिलों में सरकारी/गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कुल 45 वृद्धाश्रम संचालित किए जा रहे है। वर्ष 2020–21 के दौरान (माह दिसम्बर, 2020 तक) वृद्धावस्था कल्याण योजना के तहत ₹204.90 लाख व्यय किए गए।

नवजीवन योजनाः आजीविका के लिए वैकल्पिक अवसर/संसाधन प्रदान करने, निरक्षरता को दूर करने और

व्यक्तियों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने, अवैध शराब के निर्माण एवं भंडारण और बिक्री में शामिल समुदायों को प्रदान करने के उद्देश्य से नवजीवन योजना शुरू की गई है। इस योजना के घटकों में कौशल विकास, ऋण अनुदान, बुनियादी सुविधाओं का विकास, इन परिवारों के बच्चों का निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश, नवजीवन योजना छात्रवृत्ति आदि से संबंधित कार्य शामिल है। वर्ष 2020–21 के दौरान (माह दिसम्बर, 2020 तक) ₹324.63 लाख व्यय कर 4,143 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

विशेष योग्यजन

राज्य सरकार द्वारा विशेष योग्यजनों के व्यापक कल्याण हेतु ध्यान केन्द्रित किया गया है। विशेष योग्यजनों की समस्याओं के सम्पूर्ण समाधान तथा उनके कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011 में पृथक से एक विभाग की स्थापना की गई है। राज्य सरकार द्वारा शारीरिक एवं विमन्दित व्यक्तियों के चिन्हीकरण एवं पुनर्वास हेतु शिविरों के आयोजन किये जा रहे है। ऐसे व्यक्तियों के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। विशेष योग्यजनों को कल्याणकारी लाभ प्रदान करने हेतु विभाग कई योजनाओं को लागू करने के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं का संक्षिप्त परिदृश्य नीचे दर्शाया गया है:–

विशेष योग्यजन छात्रवृति योजनाः इस योजना अन्तर्गत राजकीय एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में नियमित अध्ययनरत पात्र विशेष योग्यजन विद्यार्थियों को जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख से अधिक न हो ऐसे परिवारों के विशेष योग्यजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति व पिछड़ी जाति वर्ग एवं सामान्य श्रेणी के विशेष योग्यजन विद्यार्थियों को फीस पुनर्भरण की सुविधा दी जा रही है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 में (माह दिसम्बर, 2020 तक) ₹0.10 लाख व्यय हुए और 23 विशेष योग्यजनों को लाभान्वित किया गया।

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजनाः इस योजना में ₹5 लाख तक का ऋण, स्वरोजगार हेतु ऐसे विशेष योग्यजनों को दिया जाता है, जिनकी स्वयं और परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹2 लाख से कम है। राज्य सरकार द्वारा ₹50,000 की अनुदान राशि अथवा ऋण राशि का 50 प्रतिशत तक, जो भी कम हो, प्रदान की जाती है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 में (माह दिसम्बर, 2020 तक) ₹360.48 लाख व्यय हुए और 795 विशेष योग्यजनों को लाभान्वित किया गया।

सुखद दाम्पत्य योजनाः इस योजना के अन्तर्गत विशेष योग्यजन (पुरूष/स्त्री) को विवाह पश्चात् सुखी पारिवारिक जीवन व्यतीत करने हेतु ₹50,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त आयोजक (पंजीकृत सोसायटी) के लिए भी ₹20,000 की सहायता प्रदान की जाती है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 में (माह दिसम्बर, 2020 तक) ₹127.50 लाख व्यय हुए और 255 विशेष योग्यजनों को लाभान्वित किया गया।

कृत्रिम अंग/उपकरण लगवाने हेतु आर्थिक सहायताः इस योजना के अन्तर्गत पात्र विशेष योग्यजनों (आयकर दाता नहीं), को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता एवं कृत्रिम अंग/उपकरण के लिए ₹10,000 तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 में (माह दिसम्बर, 2020 तक) ₹82.17 लाख व्यय हुए और 970 विशेष योग्यजनों को लाभान्वित किया गया।

अनुप्रति योजनाः इस योजना अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवाओं एवं राज्य प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले राजस्थान राज्य के विशेष योग्यजनों को प्रोत्साहन राशि ₹5,000 से लेकर ₹65,000 तक देने का प्रावधान है। राष्ट्रीय स्तर की इंजीनियरिंग, मेडिकल और शीर्ष शैक्षणिक संस्थानो में प्रवेश लेने वाले राजस्थान राज्य के विशेष योग्यजनों को प्रोत्साहन राशि ₹40,000 से ₹50,000 देने का प्रावधान है। इसी प्रकार राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज हेतु राशि ₹10,000 का अनुदान प्रदान किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में (माह दिसम्बर, 2020 तक) राशि ₹0.50 लाख व्यय कर 2 विशेष योग्यजनों को लाभान्वित किया जा चुका है।

सिलिकॉसिस पॉलिसीः राज्य सरकार ने 3 अक्टूबर, 2019 को सिलिकॉसिस नीति प्रारम्भ की है। उक्त नीति में खदानों, कारखानों, पत्थर तोड़ने, पत्थर की घिसाई, पत्थर पीसकर पाउडर बनाने, गिट्टी बनाने, सैंड स्टोन से मूर्ति बनाने इत्यादि कार्यों से धूल के सम्पर्क में आने से श्रमिक एक लाइलाज बीमारी सिलिकॉसिस से पीड़ित हो जाता है। इस नीति में सिलिकॉसिस पीड़ित व्यक्ति को अर्थिक मदद के साथ–साथ ऐसे कार्य स्थल एवं श्रमिकों की पहचान, पुनर्वास, बीमारी की रोकथाम व नियन्त्रण के उपाय अपनाए जाएंगे।

राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के क्रियान्वयन हेतु राजस्थान राजपत्र में 24 जनवरी, 2019 को राज्य सरकार द्वारा इस नियम को प्रकाशित किया जा चुका है। उक्त नियमों

के प्रावधानों के अनुसार विशेष योग्यजनों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण का लाभ 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया गया।

आस्था योजनाः ऐसे परिवार जिनमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के 40 प्रतिशत से अधिक विशेष योग्यजन होने पर उन परिवारों को आस्था कार्ड़ जारी किये जाते है, जिससे इन परिवारों को बी.पी.एल के समकक्ष सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। वर्ष 2013–14 से आस्था कार्ड़ धारी परिवारों को राज्य सरकार के सभी संबंधित विभागों द्वारा बी.पी.एल के लिये चलाई जा रही योजनाओं का लाभ प्राप्त होता है। दिसम्बर, 2020 तक कुल आस्था कार्ड़ धारी 18,750 परिवार है।

इसके अतिरिक्त, राज्य के विशेष योग्यजनों के कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं:–

- **पोलियो करेक्शन ऑपरेशन शिविर हेतु अनुदान योजनाः** इस योजना के अन्तर्गत स्वयंसेवी संस्थाओं को ₹5,000 प्रति पोलियो करेक्शन ऑपरेशन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
- **राज्य स्तरीय पुरस्कार योजनाः** अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, 3 दिसम्बर को प्रतिवर्ष 2 विभिन्न श्रेणियों में राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जो स्वैच्छिक संगठन, कार्यालयों, एजेन्सियों और अन्य में विशेष योग्यजनों के लिए उत्कृष्ट कार्य करते हैं। इस योजना में पुरस्कार के रूप में ₹10,000 से ₹15,000 प्रति व्यक्ति / प्रति संस्थान को प्रशंसा पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किये जाते है। इस योजना में वित्तीय वर्ष 2020–21 में (दिसम्बर, 2020 तक), ₹5.60 लाख खर्च किये जा चुके हैं और 52 व्यक्तियों एवं 5 संस्थाओं को लाभान्वित किया गया है।
- **विशेष योग्यजनों हेतु खेलकूद प्रतियोगिताएं:** विशेष योग्यजनों के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जाता है।
- **विशेष योग्यजन पेंशनधारी को स्वयं का व्यवसाय आरम्भ करने हेतु एकमुश्त वित्तीय सहायताः** इस योजना में विशेष योग्यजन पेंशनधारी को स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु एकमुश्त वित्तीय सहायता राशि ₹15,000 दी जाती है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को अपनी पेंशन बन्द करवानी होगी।

विभाग द्वारा कोविड–19 महामारी का सामना करने हेतु उठाये गये कदम

- राजकीय मानसिक विमंदित पुर्नवास गृह जामड़ोली, जयपुर तथा स्वंय सेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित मानसिक विमन्दित पुर्नवास गृह में कोविड–19 के संक्रमण की रोक थाम हेतु मेडिकल प्रोटोकाल के अनुसार दिशा निर्देश जारी कर पालना करवायी गयी।
- उक्त गृहों में कोविड 19 के तहत अपनाये जा रहे सुरक्षात्मक उपायों की मॉनिटरिंग हेतु सप्ताह में 2 बार विभागीय अधिकारियों के माध्यम से निरीक्षण करवाये गये।
- उक्त गृहों में 1,573 विशेष योग्यजन आवासित रहे, जिनकी नियमित अन्तराल में स्वास्थ्य जांच करवायी गयी।

अल्पसंख्यक मामलात

अल्पसंख्यक समुदाय को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करवाने और उनके स्वास्थ्य एवं आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक मामलात विभाग का पृथक से गठन किया गया है।

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति (पी.एम.एस.) योजनाः इस योजना का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन एवं मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा का अवसर प्रदान करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना है। यह योजना उन निर्धन विद्यार्थियों हेतु लागू है, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ₹2 लाख से कम हो तथा गत परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित किए हों। वर्ष 2020–21 में नये एवं पुनः आवेदकों को 50 प्रतिशत अंको में छूट प्रदान की गयी।

मैरिट कम मीन्स (एम.सी.एम.) छात्रवृत्ति योजनाः इस योजना का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन एवं मेधावी विद्यार्थियों को स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शिक्षा के इच्छुक विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना है। यह योजना अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा उन विद्यार्थियों हेतु लागू की गई है, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ₹2.50 लाख से कम हो तथा गत परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित किए हों। वर्ष 2020–21 में पुनः आवेदकों को 50 प्रतिशत अंको में छूट प्रदान की गयी।

अनुप्रति योजनाः इस योजना में राजस्थान मूल के अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, पारसी एवं जैन) के युवाओं / विद्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित क्रमशः अखिल भारतीय सिविल सेवा एवं राजस्थान सिविल सेवा के विभिन्न स्तरों पर उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। आई.आई.टी, आई.आई.एम., ए.आई.आई.एम.एस., एन.आई.टी.,

कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (सी.एल.ए.टी.), इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स एण्ड एप्लाइड रिसर्च (कोलकाता और बैंगलुरू) एवं जी.ओ.आई./एम.सी.आई. सर्टिफाइड मेडिकल कॉलेजों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इस योजना में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों (10+2 स्तर) एवं राज्य के इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश सुरक्षित करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ₹2 लाख से कम हो। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में (माह दिसम्बर, 2020 तक) ₹1.60 लाख व्यय किए गए एवं 5 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है।

छात्रावास सुविधाः जिला मुख्यालय और अल्पसंख्यक आबादी वाले ब्लॉकों में अल्पसंख्यक लड़कियों एवं लड़कों को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। वर्तमान में इस योजना के अन्तर्गत गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित छात्रावासों में मैस भत्ता, जिसमें आवास और बोर्डिंग सम्मिलित है, के लिए ₹2,000 प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह एवं अधिकतम 9 माह 15 दिवस की अवधि के लिए एवं सरकारी छात्रावासों में मैस भत्ते के लिए ₹2,500 प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह एवं अधिकतम 9 माह 15 दिवस की अवधि के लिए दिए जाने का प्रावधान है।

अल्पसंख्यक मामलात विभाग विभागीय लक्ष्यों की पूर्ति हेतु, दो प्रकार से यथाः विभागीय छात्रावास और अधिकृत गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से छात्रावास की सुविधा प्रदान कर रहा है, यह योजना विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में नियमित अध्ययन करने वाले अल्पसंख्यक छात्र–छात्राओं की ड्रॉप–आउट की दर में भी कमी लाने में सहायक है।

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पी.एम.जे.वी.के.): प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम केन्द्रीय प्रवर्तित योजना है, जिसमें अल्पसख्यंक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने को लक्षित किया गया है। योजनान्तर्गत राज्य के अल्पसंख्यक बाहुल्य 16 जिलों के 2 जिला मुख्यालय, 15 ब्लॉक्स एवं 17 कस्बों में आर्थिक, चिकित्सा, शैक्षणिक एवं कौशल विकास के आधारभूत संरचना के विकास कार्य करवाये जा रहे हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 12 वीं पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना अवधि 2017–18 से 2020–21 (माह दिसम्बर, 2020 तक) के दौरान राज्य को योजनान्तर्गत राशि ₹46,853.51 लाख के 2,556 कार्यों एवं साइबर ग्राम में 10,400 छात्र की स्वीकृति प्रदान की गई।

अल्पसंख्यकों को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षणः अल्पसंख्यक युवाओं के लिए राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आर.एस.एल.डी.सी.) के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। वार्षिक योजना, 2020–21 के लिए राशि ₹200 लाख का बजट प्रावधान रखा गया है। वर्ष 2020–21 के लिए 1,070 युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया हैं, जिसके विरूद्ध 33 जिलों के 2,306 युवाओं के 80 समर्पित बैचों की एक सूची आर.एस.एल.डी.सी. को भेजी गयी हैं।

स्वरोजगार एवं शिक्षा के लिए ऋणः राज्य में राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड (आर.एम.एफ.डी.सी.सी.) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम (एन.एम.डी.एफ.सी.) राज्य एजेन्सी के रूप में कार्यरत है। उक्त संस्था द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं एवं महिलाओं को स्वरोजगार हेतु रियायती ब्याज दर पर व्यावसायिक ऋण प्रदान किया जाता है एवं रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रम के लिए शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में (माह दिसम्बर, 2020 तक) ₹143.23 लाख की राशि व्यय कर 50 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

मदरसा बोर्ड

मदरसा आधुनिकीकरण योजनाः मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत पंजीकृत मदरसों की आधारभूत संरचना के विकास एवं आवश्यकतानुसार भौतिक सामग्री उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है। मदरसों की आधारभूत संरचना में कक्षा–कक्ष, पेयजल सुविधा, शौचालय एवं किचन शेड के निर्माण तथा भौतिक सामग्री में जैसे कम्प्यूटर, यू.पी.एस., प्रिन्टर, स्मार्ट क्लास रूम, ड्यूल डेस्क, स्टाफ फर्नीचर, अलमीरा, लाईब्रेरी बुक्स, टीचर्स लर्निंग मेटेरियल, ई–कन्टेन्ट एवं कम्प्यूटर एडेड लर्निंग उपकरण आदि का प्रावधान है। योजना में निर्माण कार्य हेतु प्राथमिक स्तर के मदरसों को अधिकतम ₹15 लाख एवं उच्च प्राथमिक स्तर के मदरसों को अधिकतम राशि ₹25 लाख का प्रावधान किया गया है एवं कुल स्वीकृत राशि का 90 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा एवं 10 प्रतिशत मदरसा प्रबन्धन समिति द्वारा वहन किये जाने का प्रावधान है। योजना में वर्ष 2019–20 में कुल 47 मदरसों में निर्माण कार्य राशि ₹761 लाख के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में, 36 मदरसों के निर्माण कार्य के लिए ₹538.48 लाख का प्रशासनिक अनुमोदन जारी किया जा चुका है।

कोविड–19 प्रबंधन हेतु किये गये निर्णय / नवाचार एवं अर्जित उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण–

- राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा संचालित पंजीकृत मदरसों में शैक्षणिक कार्य हेतु स्माइल प्रोजेक्ट अर्न्तगत कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है।
- काविड–19 के दौरान वक़्फ़ बोर्ड की तरफ से ज़रूरतमंद व परेशान लोगों की मदद करने की दृष्टि से ज़रूरी खाद्य सामग्री की लगभग 1,000 किट बोर्ड के कर्मचारियों व समाज के लोगों की सहायता से घर–घर उपलब्ध कराये गये ।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उत्थान

राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उत्थान हेतु कार्यरत है। राज्य सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम के माध्यम से इन वर्गों के आर्थिक एवं सामाजिक हितों की रक्षा हेतु वचनबद्ध है। विशेष केंद्रीय सहायता योजना के तहत निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में, गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) और समकक्ष आय वर्ग से संबंधित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए राशि ₹10,000 तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तालिका–9.8 में दी गई है।

तालिका–9.8 विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक)

क्र.सं.	योजना का नाम	भौतिक (संख्या)		वित्तीय (राशि ₹लाखों में)	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
(अ) बैंकिंग योजनाएं					
1.	पैकेज ऑफ प्रोग्राम (शहरी)	4700	578	470.00	43.30
2.	पैकेज ऑफ प्रोग्राम (ग्रामीण)	10120	2208	1012.00	297.57
3.	ऑटोरिक्शा	100	0	10.00	0.10
4.	उन्नत नस्ल गाय / भैंस / बकरी	4519	409	451.90	74.22
5.	व्यक्तिगत पम्प सैट्स	100	0	10.00	0.60
6.	मुद्रा योजना	3000	175	300.00	19.40
(ब) गैर–बैंकिंग योजनाएं					
1.	बकरी पालन	9310	6401	931.00	547.40
2.	कुँओं का विद्युतीकरण / सौर ऊर्जा	2200	210	220.00	20.38
3.	कार्यशाला / दुकान	4016	2850	401.60	336.80
4.	आधुनिक कृषि यंत्र	4600	220	460.00	23.30
5.	दक्षता विकास व प्रशिक्षण	1000	0	150.00	0.00
6.	राष्ट्रीय निगम की योजनाएं (एन.एस.एफ.डी.सी एवं एन.एस.के.एफ.डी.सी.)	7214	336	721.40	37.16
(स) आधारभूत संरचना विकास कार्य प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अनुसार					
एनीकट, तालाब, सामुदायिक सुविधा केन्द्र आदि का निर्माण		225	0	2250.00	176.63
योग (अ+ब+स)		**51104**	**13387**	**7387.90**	**1576.86**

जनजाति क्षेत्रीय विकास

विभाग द्वारा जनजाति के लोगो के सर्वांगीण विकास हेतु अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। वर्ष 2020–21 में कुल राशि ₹648.69 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है, जिसमें राज्य योजना, विशेष केन्द्रीय सहायता, संविधान की धारा 275(1) अन्तर्गत योजनाएं एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना में क्रमशः ₹387.81 करोड़, ₹110 करोड़, ₹138.50 करोड़ एवं ₹12.38 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। माह दिसम्बर, 2020 तक कुल राशि ₹401.40 करोड़ का उपयोग किया जा चुका है, जिसमें राज्य योजना, विशेष केन्द्रीय सहायता, संविधान की धारा 275(1) अन्तर्गत योजनाएं एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना में क्रमशः ₹237.69 करोड़, ₹49.67 करोड़, ₹109.20 करोड़ एवं ₹4.84 करोड़ का व्यय किया गया है।

आदिवासी क्षेत्र के विकास की विभिन्न योजनाओं के तहत वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक भौतिक उपलब्धियां तालिका–9.9 में दी गयी है।

तालिका–9.9 जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रमों की प्रगति

क्र.स.	योजना	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धियां (दिसम्बर, 2020 तक)
1	आश्रम छात्रावास संचालन (विद्यार्थी)	संख्या	25295	23481
2	आवासीय विद्यालय संचालन (विद्यार्थी)	संख्या	10550	9286
3	खेल छात्रावास संचालन (विद्यार्थी)	संख्या	875	866
4	माँ बाडी संचालन (विद्यार्थी)	संख्या	78270	76170
5	प्रतिभावान जनजाति विद्यार्थियों को छात्रवृति	संख्या	3774	459
6	महाविद्यालयी जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृति	संख्या	27524	9868
7	कक्षा–11 व 12 की जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृति	संख्या	27555	7157
8	महाविद्यालयी जनजाति विद्यार्थियों को कमरा किराया पुर्नभरण	संख्या	18750	6247
9	कथौड़ी, सहरिया एवं खैरवा जनजाति व्यक्तियों को निःशुल्क घी, दाल व तेल वितरण	संख्या	130069	130069
10	मल्टीपरपज छात्रावास/जनजाति कॉलेज छात्रावास संचालन (विद्यार्थी)	संख्या	1000	–
11	पी.एम.टी./पी.ई.टी./आई.आई.टी. प्रवेश परीक्षा हेतु कोचिंग	संख्या	313	11
12	क्षय रोग नियन्त्रण	संख्या	7325	5452
13	कृषि/पशुपालन/उद्यानिकी विकास कार्यक्रम संकर मक्का बीज – खरीफ फसल	परिवार	590000	590000
14	विद्यालय एवं महाविद्यालय में अतिरिक्त कक्षा कक्ष	संख्या	14	14
15	सामुदायिक भवन निर्माण	संख्या	21	12
16	नहर निर्माण	कि.मी.	15.00	प्रक्रियाधीन
17	लिफ्ट का निर्माण	संख्या	28	प्रक्रियाधीन
18	एनिकट निर्माण	संख्या	5	प्रक्रियाधीन
19	पेयजल योजना/सौलर पनघट/पंप और टेंक/हेण्डपम्प स्थापना	संख्या	178	13
20	जनजाति बस्तियों को सेवा केन्द्रों से जोडना	कि.मी.	29.25	5

महिला सशक्तिकरण

महिलाओं का सशक्तिकरण समाज के सम्पूर्ण विकास का आधार है। राज्य की जनसंख्या में लगभग आधी जनसंख्या महिलाओं की है। अतः समाज के विकास की कल्पना महिलाओं की समान भागीदारी और सक्रियता के बिना संभव नहीं हो सकती। महिलाओं का वास्तविक सशक्तिकरण आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से अधिकारयुक्त वातावरण बनाये जाने पर निर्भर करता है, जो बराबरी के आधार पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं के लिए सहायक हो सके। सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास तथा उनकी सुरक्षा, संरक्षण, पुनर्स्थापन के लिए समय–समय पर कई कार्यक्रम लागू किए गए हैं।

महिला विकास कार्यक्रमः राज्य में महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए विभिन्न "साथिन" (मानदेय महिला कार्यकर्त्ता) कार्य कर रही है, जो न केवल महिलाओं एवं राज्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के बीच सेतु का कार्य करना है, बल्कि महिलाओं को उनके मूलभूत अधिकारों के प्रति सचेत करना भी साथिन का कार्य है। साथिन की आवश्यकता ऐसी बुराईयों एवं ऐसी परिस्थितियों के प्रति, जिनमें महिलाएं बहुधा अपने आपको परेशान, शोषित एवं पीड़ित पाती हैं, के विरूद्ध जागरूकता निर्माण करने के लिए भी है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा द्वारा एक साथिन का चयन किया जाता है। राजस्थान में महिलाओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए वर्तमान में 8,468 साथिन कार्य कर रही है। वार्षिक योजना 2020–21 में ₹3,780 लाख के प्रावधान के विरूद्ध माह दिसम्बर, 2020 तक ₹2,510.18 लाख का व्यय किया गया है।

प्रारंभ में कोविड–19 महामारी के कारण लॉकडाउन अवधि के दौरान महिला विकास कार्यक्रम को कुछ समय के लिए मंदी का सामना करना पड़ा लेकिन जल्दी ही साथिनों के सहयोग ने कोविड–19 से संबंधित सर्वेक्षण को शुरू कर के समर्थन करना शुरू किया व साथ ही आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ साथिनों ने जरूरतमंदो को मास्क वितरित किय।

सामूहिक विवाह हेतु अनुदान (सामूहिक विवाह योजना): सामूहिक विवाह योजना, बाल विवाह, दहेज प्रथा एवं व्यक्तिगत विवाहों पर होने वाले व्यय को कम करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा ₹18,000 प्रति जोड़े की दर से अनुदान दिया जाता है, जिसमें से ₹15,000 की राशि वधू को और ₹3,000 आयोजनकर्ता संस्था को विवाह आयोजन हेतु दिए जाते हैं। इस योजना की प्रगति तालिका–9.10 में दर्शाई गई है।

तालिका–9.10 सामूहिक विवाह योजना की वर्षवार प्रगति

वर्ष	लाभान्वित जोड़े	व्यय (₹लाख में)
2017-18	6856	1201.18
2018-19	4139	729.42
2019-20	3592	768.59
2020-21*	4505	730.54

* दिसम्बर, 2020 तक

नोटः कोविड–19 के कारण वर्ष 2020–21 में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया लेकिन इस समय में शेष भुगतान दिया गया है।

किशोरियों के लिए योजनाएं

गैर–पोषण घटकः इस योजना का लक्ष्य स्कूल न जाने वाली 11 से 14 वर्ष की किशोरियों को पुनः औपचारिक स्कूली शिक्षा या गैर पोषण घटक के अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करना है। गैर पोषण घटक के अन्तर्गत अन्य सेवाएं यथा– आयरन फोलिक एसिड (आई.एफ.ए.), पूरकता, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन कौशल शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँचने के लिए परामर्श / मार्गदर्शन है। एकीकृत बाल विकास सेवाओं से प्राप्त बेस लाइन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019–20 में लाभार्थियों की संख्या 49,631 थी, जो कि वर्ष 2020–21 तक के दौरान घटकर 39,420 हो गई है। इसका अर्थ है कि 11–14 वर्ष की लड़कियां स्कूली शिक्षा से जुड़ी हैं जो प्रगति का संकेत है।

मुख्यमंत्री राजश्री योजनाः राज्य में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने और राज्य में बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना की घोषणा की गई। यह एक प्रमुख योजना है, जो राज्य में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता लाने की उम्मीद करती है। इस योजना के अन्तर्गत राजस्थान राज्य से संबंधित जून, 2016 या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पात्र है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक पात्र बालिका के अभिभावक/संरक्षक को 6 किश्तों में कुल राशि ₹50,000 की राशि प्रदान की जाती है। 20.89 लाख बालिकाओं को प्रथम किश्त एवं 13.96 लाख बालिकाओं को द्वितीय किश्त के द्वारा लाभान्वित किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर, 2020 तक बजट प्रावधान ₹250 करोड़ के विरूद्व ₹150 करोड़ का व्यय किया गया है।

''बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ'' योजनाः ''बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ'' योजना को सरकार के फ्लेगशिप और अभिसरण कार्यक्रमों में से एक के रूप में प्रारम्भ किया गया, जिससे बाल लिंगानुपात और जीवन चक्र निरंतरता पर महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दो को सम्बोधित किया जा सके। योजना का उद्देश्य जेण्डर आधारित चयन को रोकना है ताकि बालिका का अस्तित्व ओर सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, साथ ही बालिका की शिक्षा और भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

इस योजना के तहत समुदाय के सदस्यों में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न गतिविधियॉ जैसे बैठकें, प्रशिक्षण, कार्यशालाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य मीडिया की गतिविधियॉ आयोजित की गई। विभाग ने गतिविधियों के संचालन के लिए डिजिटल प्लेफार्म का उपयोग करने के लिए प्रयास किए हैं। इस योजना के तहत, वित्तिय वर्ष 2019–20 में राज्य बजट प्रावधान ₹21.81 लाख है, जिसमें से ₹10.84 लाख का व्यय और भारत सरकार (जिलों के लिए) से ₹886.61 लाख का बजट प्राप्त हुआ, जिसमें से ₹436.37 लाख का व्यय किया गया। वित्तिय वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर, 2020 तक राज्य बजट प्रावधान ₹25.60 लाख है, जिसमें से ₹7.16 लाख का व्यय और भारत सरकार (जिलों के लिए) से ₹724.77 लाख का बजट प्राप्त हुआ, जिसमें से ₹207.86 लाख का व्यय किया गया।

महिला सुरक्षा एवं संरक्षणः महिलाओं के संरक्षण से जुड़े निम्नलिखित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु एक विशिष्ठ महिला संरक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना की गई हैः–

- **महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र (एम.एस.एस.के.):** योजना में वित्तीय वर्ष 2020–21 में आवंटित बजट ₹110 लाख है, जिसके विरूद्व दिसम्बर, 2020 तक ₹74.45 लाख का व्यय किया गया है। सभी 40 एम.एस.एस.के. से प्राप्त 78,950 प्रकरण में से 68,741 प्रकरण दिसम्बर, 2020 तक निस्तारित किए जा चुके हैं।
- अपराजिता/सखी वन स्टॉप सेन्टर
- जिला महिला सहायता समिति
- 24 घण्टे महिला हेल्पलाईन

निम्नलिखित अधिनियमों को लागू किया जा रहा हैंः

- घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम, 2005
- महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेधात्मक एवं सुधार) से संरक्षण अधिनियम, 2013
- राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2015 एवं नियम, 2016

जेण्डर प्रकोष्ठः जेण्डर प्रकोष्ठ, राज्य की बजट प्रणाली में जेण्डर अवधारणा को प्रोत्साहित करने हेतु गठित किया गया है तथा विभिन्न विभागों के बजट की जेण्डर के परिप्रेक्ष्य में समीक्षा हेतु सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है। जेण्डर संवेदनशीलता, जेण्डर संवेदी बजट, जेण्डर आधारित आंकड़े एवं जेण्डर बजट स्टेटमेन्ट की अवधारणा को विकसित करने हेतु राज्य में सभी जिला स्तरों पर आमुखीकरण कार्यशालाएं आयोजित करवाई जाती हैं।

अमृता हाटः अमृता हाट महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित/मूल्य संवर्द्धित उत्पादों को प्रदर्शन एवं विपणन का अधिकतम अवसर प्रदान करने के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का एक मजबूत और स्थापित माध्यम है। इन हाट बाजारों के अतिरिक्त महिला सशक्तिकरण निदेशालय भी महिला स्वयं सहायता समूहों को आई.आई.टी.एफ., शिल्पग्राम उत्सव, अन्य विभागों के मेलों आदि में भी भागीदारी का अवसर प्रदान कर रहा है। वार्षिक योजना 2020–21 के लिए माह दिसम्बर, 2020 तक ₹127.60 लाख के प्रावधान के विरूद्व ₹16.61 लाख का व्यय किया गया है।

इन्दिरा महिला शक्ति निधि (आई.एम.शक्ति): राजस्थान सरकार ने ₹1,000 करोड़ के बजट आवंटन के साथ इन्दिरा महिला शक्ति निधि की घोषणा की है। यह योजना महिलाओं के सर्वांगीण सशक्तिकरण पर केन्द्रित होगी। कौशल विकास

की सभी योजनाओं को एक साथ एक छत के नीचे लाया जाएगा, जिसे इन्दिरा महिला शक्ति निधि कहा जाएगा। यह योजना 18 दिसम्बर, 2019 को निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रारम्भ की गयी है:–

- उद्योगों की स्थापना के लिए महिलाओं को सहायता प्रदान करना।
- नवीन अनुसंधान के लिए सहायता प्रदान करना।
- कौशल विकास के लिए महिलाओं और लड़कियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
- शिक्षा के लिए जागरूकता।
- महिला पीड़ितों के पुनर्वास के लिए सहायता प्रदान करना।

उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु महिला अधिकारिता निदेशालय द्वारा तैयार की गई निम्नलिखित योजनाएं संचालित किये जाने हेतु स्वीकृत की गयी है:

- इन्द्रा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना
- इन्द्रा महिला शक्ति प्रशिक्षण आवाम कौशल संवर्धन योजना
- लड़कियों / महिलाओं को निःशुल्क आर.एस.–सी.आई.टी. प्रशिक्षण
- लड़कियों / महिलाओं को निःशुल्क आर.एस.–सी.एफ.ए. प्रशिक्षण
- कौशल सामर्थ्य योजना
- शिक्षा सेतु योजना

महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य में लागू की जा रही अन्य योजनाएं हैं:–

- महिला सशक्ति कार्यक्रम केन्द्र (एम.एस.के.)
- धन लक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्र।
- महिला स्वयं सहायता समूहों को उचित मूल्य की दुकानों का आवंटन।
- बाल विवाह की रोकथाम।

बीस सूत्री कार्यक्रम–2006

बीस सूत्री कार्यक्रम वर्ष 1975 में प्रारम्भ किया गया तथा वर्ष 1982, 1986 एवं वर्ष 2006 में पुनः संरचित किया गया। पुनः संरचित कार्यक्रम को बीस सूत्री कार्यक्रम (बी.सू.का.), 2006 के नाम से जाना जाता है, यह 1 अप्रैल, 2007 से लागू हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पर्यावरण संरक्षण सहित अनेक योजनाओं तथा जिनका प्रभाव विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर पर पड़ता है, को गति प्रदान करना है।

बीस सूत्री कार्यक्रम–2006 के अन्तर्गत कुल 65 मोनिटरिंग योग्य मदें सम्मिलित की गई हैं, इनमें से 12 रेंकिंग योग्य मदों की मोनिटरिंग राज्य स्तर पर की जा रही है। राज्य स्तर पर मोनिटरिंग किए जा रहे मुख्य सूत्रों की प्रगति निम्नानुसार है:–

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (मनरेगा): सूत्र संख्या–01ए

यह अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में एक वर्ष में प्रति परिवार कम से कम 100 दिवस के रोजगार की गारण्टी प्रदान करता है। इसमें महिलाओं की एक तिहाई भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 में 3,288.90 लाख मानव दिवस रोजगार सृजित किए जाकर ₹4,973.49 करोड़ मज़दूरी का भुगतान किया गया। वर्ष 2020–21 के दौरान, दिसम्बर, 2020 तक 3,432.36 लाख मानव दिवस रोजगार सृजित कर ₹5,764.46 करोड़ मज़दूरी का भुगतान किया गया।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.): सूत्र संख्या–01एफ01 I, II, III

यह योजना 1 अप्रैल, 2013 से प्रारम्भ की गई तथा वर्ष 2015–16 से बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत इस योजना की मोनिटरिंग की जा रही है। महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:–

- वर्ष 2019–20 के दौरान, वार्षिक लक्ष्य 55,083 के विरूद्ध 57,904 नए एवं पुनर्जीवित स्वयं सहायता समूहों को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया, जो लक्ष्य का 105.12 प्रतिशत था। वर्ष 2020–21 के दौरान (दिसम्बर, 2020 तक), वार्षिक लक्ष्य 20,000 के विरूद्ध 9,506 नए व पुनर्जीवित स्वयं सहायता समूहों को एन.आर.एल.एम. के अर्न्तगत सम्मिलित किया गया, जो लक्ष्य का 47.53 प्रतिशत है।
- वर्ष 2019–20 के दौरान, वार्षिक लक्ष्य 41,500 के विरूद्ध 22,695 स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फण्ड उपलब्ध कराया गया, जो लक्ष्य का 54.69 प्रतिशत था। वर्ष 2020–21 के दौरान (माह दिसम्बर, 2020 तक), वार्षिक लक्ष्य 27,000 के विरूद्ध 26,109 स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फण्ड उपलब्ध कराया गया, जो लक्ष्य का 96.70 प्रतिशत है।

- वर्ष 2019–20 के दौरान, वार्षिक लक्ष्य 16,900 के विरूद्ध 13,766 स्वयं सहायता समूहों को कम्युनिटी इनवेस्टमेंट फण्ड (सी.आई.एफ.) उपलब्ध करवाया गया, जो कि लक्ष्य का 81.46 प्रतिशत था। वर्ष 2020–21 के दौरान (दिसम्बर, 2020 तक) वार्षिक लक्ष्य 10,700 के विरूद्ध 8,987 स्वयं सहायता समूहों को कम्युनिटी इनवेस्टमेंट फण्ड उपलब्ध कराया गया, जो कि लक्ष्य का 83.99 प्रतिशत है।

ग्रामीण आवासः– प्रधानमंत्री आवास योजना (पी.एम.ए. वाई.): सूत्र संख्या–06ए01

वर्ष 2019–20 के दौरान, वार्षिक लक्ष्य 4,50,816 के विरूद्ध 1,68,075 आवासों का निर्माण करवाया गया, जो कि लक्ष्य का 37.28 प्रतिशत था। वर्ष 2020–21 के दौरान (माह दिसम्बर, 2020 तक) वार्षिक लक्ष्य 2,18,500 के विरूद्ध 4,33,306 आवासों का निर्माण करवाया गया, जो लक्ष्य का 50.43 प्रतिशत है।

शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / निम्न आय वर्ग के आवासः सूत्र संख्या–06बी01

वर्ष 2019–20 के दौरान, 9,780 आवासों का निर्माण कराया गया था। वर्ष 2020–21 के दौरान (माह दिसम्बर, 2020 तक) 6,335 आवासों का निर्माण कराया गया।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

अ. शामिल बस्तियां (आंशिक शामिल व स्लिप्ड बैक): सूत्र संख्या–07ए03

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान लक्ष्य 1,750 के विरूद्ध 1,584 बस्तियों को सम्मिलित किया गया, जो कि कुल लक्ष्य का 90.51 प्रतिशत था।

ब. जल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों का कवरेजः सूत्र संख्या–07ए04

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, लक्ष्य 817 के विरूद्ध 1,204 बस्तियों को सम्मिलित किया गया, जो कि लक्ष्य का 147.37 प्रतिशत था।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमः– लक्षित जल सम्बन्धों की संख्या (एफ.एच.टी.सी.): सूत्र संख्या 07ए05

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान (माह दिसम्बर, 2020 तक) वार्षिक लक्ष्य 20,69,816 के विरूद्ध 4,40,275 घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध करवाये गये, जो कि लक्ष्य का 21.27 प्रतिशत है।

संस्थागत प्रसवः सूत्र संख्याः 08ई01

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 13,30,716 संस्थागत प्रसव कराए गए। वर्ष 2020–21 के दौरान (माह दिसम्बर, 2020 तक) 10,17,857 संस्थागत प्रसव हुए।

अनुसूचित जाति उपयोजना (एस.सी.एस.पी.) घटक के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता (एस.सी.ए.) एवं एन.एस.एफ.डी.सी. के रियायती ऋणों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति परिवारों को सहायताः सूत्र संख्या 10ए02

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, वर्ष 2019–20 के दौरान 16,698 अनुसूचित जाति के परिवारों को सहायता प्रदान कराई गई। वर्ष 2020–21 के दौरान (माह दिसम्बर, 2020 तक) 13,387 अनुसूचित जाति के परिवारों को सहायता प्रदान कराई गई।

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के अन्तर्गत लाभान्वित अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या : सूत्र संख्या 10ए03

इस योजना के अन्तर्गत, वर्ष 2019–20 के दौरान, कुल 2,92,036 विद्यार्थी लाभान्वित हुए थे। वर्ष 2020–21 के दौरान (माह दिसम्बर, 2020 तक) कुल 67,829 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

समेकित बाल विकास सेवाओं (आई.सी.डी.एस.) का सार्वभौमिकरणः सूत्र संख्या 12ए01

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, वर्ष 2019–20 के दौरान लक्ष्य 304 के विरूद्ध 304 आई.सी.डी.एस. ब्लॉक्स क्रियाशील थे, जो कि लक्ष्य का 100 प्रतिशत था। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान (माह दिसम्बर, 2020 तक) भी लक्ष्य 304 के विरूद्ध 304 आई.सी.डी.एस. ब्लॉक्स क्रियाशील थे, जो कि लक्ष्य का 100 प्रतिशत था।

आँगनबाड़ी केन्द्रों का संचालनः सूत्र संख्या 12बी01

वर्ष 2019–20 के दौरान लक्ष्य 62,020 के विरूद्ध 61,469 आँगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं, जो कि लक्ष्य का 99.11 प्रतिशत था। वर्ष 2020–21 के दौरान (माह दिसम्बर, 2020 तक) लक्ष्य 62,020 के विरूद्ध 61,613 आँगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं, जो कि लक्ष्य का 99.34 प्रतिशत हैं।

शहरी निर्धन परिवारों को सहायताः सूत्र संख्या 14ए01

सात सूत्री चार्टर– भूमि पट्टा का आवंटन, सस्ता घर, जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 के दौरान, 14,282 परिवारों को यह सहायता

उपलब्ध कराई गई। वर्ष 2020–21 के दौरान (माह दिसम्बर, 2020 तक) 14,224 परिवारों को यह सहायता उपलब्ध कराई गई।

वृक्षारोपण के तहत कवर किया गया क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि): सूत्र संख्या 15ए01

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान लक्ष्य 24,533.26 हैक्टेयर के विरूद्ध 28,509.98 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण करवाया गया, जो कि लक्ष्य का 116.21 प्रतिशत था। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान (माह दिसम्बर, 2020 तक) लक्ष्य 29,756.69 हैक्टेयर के विरूद्ध 51,195.38 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कराया गया, जो कि लक्ष्य का 58.12 प्रतिशत है।

बीज पौधरोपण (सार्वजनिक एवं वन भूमि): सूत्र संख्या 15ए02

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, वर्ष 2019–20 के दौरान लक्ष्य 160.187 लाख के विरूद्ध 179.649 लाख पौधरोपण सार्वजनिक एवं वन भूमि पर कराया गया, जो कि लक्ष्य का 112.15 प्रतिशत था। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान लक्ष्य 332.77 लाख के विरूद्ध 196.446 लाख (माह दिसम्बर, 2020 तक) पौधरोपण कराया गया, जो कि लक्ष्य का 59.03 प्रतिशत है।

ग्रामीण सड़कें– पी.एम.जी.एस.वाई.: सूत्र संख्या 17ए01

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अन्तर्गत, वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान निर्धारित लक्ष्य 150 किमी. के विरूद्ध 104.394 किमी. सड़कों का निर्माण किया गया, जो कि लक्ष्य का 69.60 प्रतिशत है। वर्ष 2020–21 के दौरान (माह दिसम्बर, 2020 तक) लक्ष्य 2,200 किमी. के विरूद्ध 129.900 किमी. सड़कों का निर्माण किया गया, जो लक्ष्य का 5.90 प्रतिशत है।

गाँवों का विद्युतीकरण: (दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना): सूत्र संख्या 18बी01

सभी गाँवों का विद्युतीकरण होने के कारण, भारत सरकार से लक्ष्य आवंटित नहीं हुये हैं।

ऊर्जावान पम्पसेट: सूत्र संख्या 18डी01

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, वर्ष 2019–20 के दौरान निर्धारित लक्ष्य 40,700 के विरूद्ध 90,762 कुँओं का ऊर्जीकरण किया गया, जो कि लक्ष्य का 223 प्रतिशत था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, वर्ष 2020–21 के दौरान (माह दिसम्बर, 2020 तक) निर्धारित लक्ष्य 44,770 के विरूद्ध 30,711 कुँओं का ऊर्जीकरण किया गया, जो कि लक्ष्य का 68.60 प्रतिशत है।

*****

अध्याय

10

राज्य वित्त एवं विकास के अन्य संसाधन

- वर्ष 2019–20 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद से 3.77 प्रतिशत रहा है।
- 2019–20 में ऋण एवं अन्य देनदारियां सकल राज्य घरेलू उत्पाद से 35.31 प्रतिशत रही है।
- वर्ष 2020–21 हेतु स्कीमवार परिव्यय ₹1,10,200.82 करोड़ था, जिसमें से सर्वाधिक आवंटन (49.70 प्रतिशत) सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर हुआ।
- कुल ₹23,753.88 करोड़ की 13 बाह्य सहायतित परियोजनाओं में से 10 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है।
- ₹16,563.42 करोड़ की निवेश राशि की 184 सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजनाएं 31 दिसम्बर, 2020 तक पूर्ण हो चुकी हैं।

राजकोषीय प्रबन्धन

भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में कमी की प्रवृति वर्ष 2019–20 में भी रही। कोविड–19 महामारी के परिणामस्वरूप वर्ष 2019–20 की आखिरी तिमाही में वृद्धि दर में अधिक कमी हुई। आर्थिक गतिविधियों की धीमी वृद्धि दर का प्रभाव राज्य वित्त पर भी पडा। वर्ष 2019–20 में मुख्य राजकोषीय लक्ष्यों के सन्दर्भ में वित्तीय स्थिति का सारांश तालिका 10.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 10.1 राजकोषीय चर 2019–20

राजकोषीय चर/संकेतक	एफ.आर.बी.एम. अधिनियम	एम.टी.एफ.पी.एस. (संशोधित)	वास्तविक
राजस्व आधिक्य (+)/ घाटा (-) (राशि करोड़ रुपये में)	राजस्व आधिक्य अथवा शून्य घाटा	(-) 28041	(-) 36371
राजस्व आधिक्य / राजस्व घाटा का प्राप्तियों से अनुपात (प्रतिशत रूप में)	-	(-) 17.89	(-) 25.96
राजकोषीय घाटा (राशि करोड़ रुपये में)	-	32214	37654
राजकोषीय घाटे का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात (प्रतिशत रूप में)	3.00% या कम	3.16%	3.77%*
बकाया देनदारियों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात (प्रतिशत रूप में)	34.00% से अधिक नहीं	33.43%	35.31%*

* सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2011–12 की श्रृंखला पर आधारित – राशि ₹9,98,999 करोड़
(एम.टी.एफ.पी.एस.– मध्यम कालिक राजवित्तीय नीति विवरण)

राजकोषीय घाटा : वर्ष 2019–20 के संशोधित अनुमानों में अनुमानित ₹33,214 करोड़ के स्थान पर वास्तविक राजकोषीय घाटा ₹37,654 करोड़ रहा, जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.77 प्रतिशत है। संशोधित अनुमान 2019–20 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.16 प्रतिशत अनुमानित किया गया था। राजकोषीय घाटे में वृद्धि का एक कारण यह भी रहा कि केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्र सरकार के घटते हिस्से के कारण राज्य सरकार को केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के संचालन हेतु राज्यांश के रूप में अधिक व्यय करना पड़ा।

राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति/वित्तीय मानकों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार तालिका 10.2 एवं चित्र 10.1 से 10.11 तक में दर्शाया गया है।

तालिका 10.2 राजकोषीय स्थिति/परिमाप

(₹करोड़)

मद	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	2	3	4	5	6
1. राजस्व प्राप्तियां	100285	109026	127307	137873	140114
(i) स्वयं का कर राजस्व	42713	44372	50605	57380	59245
(ii) कर भिन्न राजस्व	10928	11615	15734	18603	15714
(iii) केन्द्रीय करों में हिस्सा	27916	33556	37028	41853	36049
(iv) केन्द्रीय सहायता	18728	19483	23940	20037	29106
2. गैर साख पूंजीगत प्राप्तियां	1472	1741	15150	15178	15690
इसमें से उदय योजनान्तर्गत व्यय			15000	15000	14722
3. कुल प्राप्तियां (राजस्व प्राप्तियां + गैर साख पूंजीगत प्राप्तियां)	101757	110767	142457	153051	155804
4. कुल व्यय	164827	157085	167799	187524	193458
इसमें से उदय योजनान्तर्गत व्यय	40050	22372	15000	15000	14722
(i) राजस्व व्यय	106239	127140	145841	166773	176485
इसमें से					
(क) उदय योजनान्तर्गत व्यय		9000	12000	12000	13816
(ख) ब्याज भुगतान	12008	17677	19720	21695	23643
(ii) पूंजीगत परिव्यय	21986	16980	20624	19638	14718
इसमें से उदय योजनान्तर्गत व्यय	5700	3000	3000	3000	906
(iii) उधार एवं अग्रिम	36602	12965	1334	1113	2255
इसमें से उदय योजनान्तर्गत व्यय	34350	10372	0	0	0
5. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2011–12 की श्रृंखलानुसार)	681482	760587	828661	921789	998999
6. राजस्व आधिक्य (+) / घाटा (-)	-5954	-18114	-18534	-28900	-36371
6.(अ) राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (-) (उदय योजना रहित)	-5954	-9114	-6534	-16900	-22555
7. राजकोषीय घाटा	63070	46318	25342	34473	37654
7.(अ) राजकोषीय घाटा (उदय योजना रहित)	23020	23946	25342	34473	37654
8. प्राथमिक आधिक्य (+) / घाटा (-)	-51062	-28641	-5622	-12778	-14011
8.(अ) प्राथमिक आधिक्य (+)/ घाटा (-) (उदय योजना रहित)	-11012	-6269	-5622	-12778	-14011
9. राजकोषीय घाटे का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात (प्रतिशत)	9.25	6.09	3.06	3.74	3.77
9.(अ) राजकोषीय घाटे का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात (प्रतिशत) (उदय योजना रहित)	3.38	3.15	3.06	3.74	3.77
10. राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि दर (प्रतिशत)	9.81	8.72	16.77	8.30	1.63
11. राज्य के स्वयं के कर राजस्व में वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.45	3.88	14.05	13.39	3.25
12. सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत)	14.72	14.33	15.36	14.96	14.03

मद	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	2	3	4	5	6
13. सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राज्य के स्वयं का कर राजस्व (प्रतिशत)	6.27	5.83	6.11	6.22	5.93
14. वेतन एवं मजदूरी पर कुल व्यय	25872	30016	37611	49790	49066
(i) राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत	25.80	27.53	29.54	36.11	35.02
(ii) राजस्व व्यय से प्रतिशत (ब्याज एवं पेंशन भुगतान के अतिरिक्त)	31.03	30.89	33.52	39.93	37.15
15. ब्याज भुगतान व्यय	12008	17677	19720	21695	23643
(i) राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत	11.97	16.21	15.49	15.74	16.87
(ii) राजस्व व्यय से प्रतिशत	11.30	13.90	13.52	13.01	13.40
16. राजकोषीय देनदारियां (ऋण एवं अन्य दायित्व)	209386	255002	281182	311374	352702
सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत	30.73	33.53	33.93	33.78	35.31

चित्र 10.1

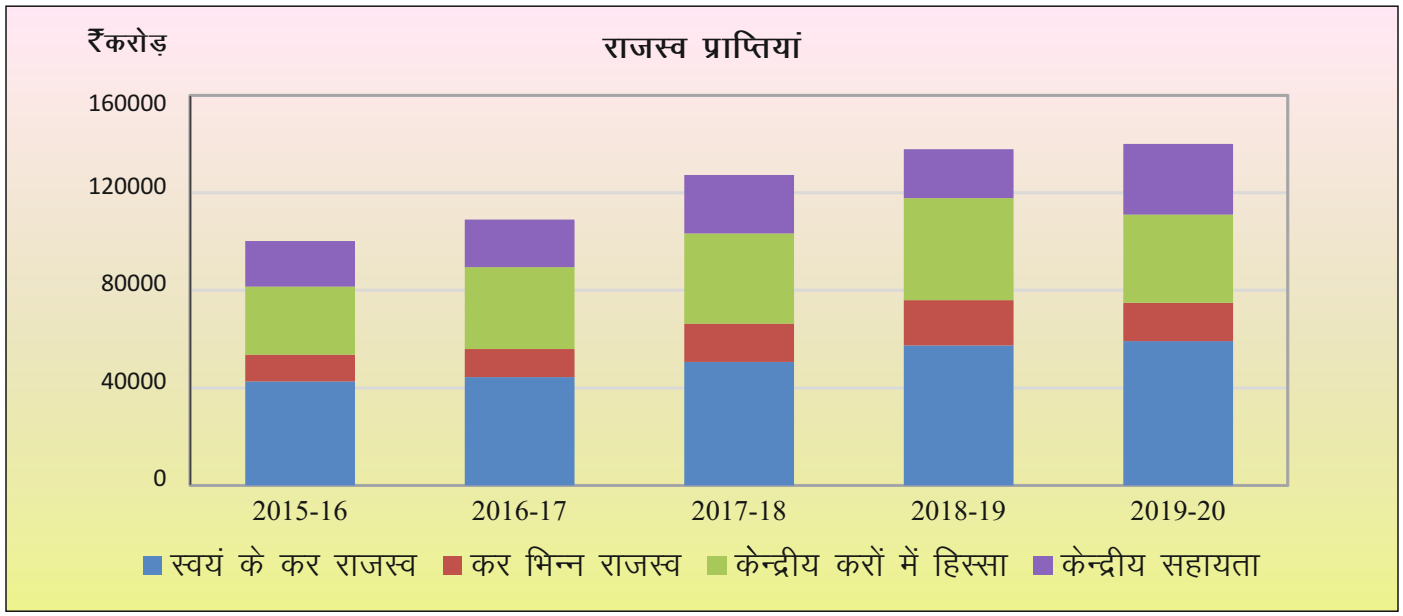

चित्र 10.2

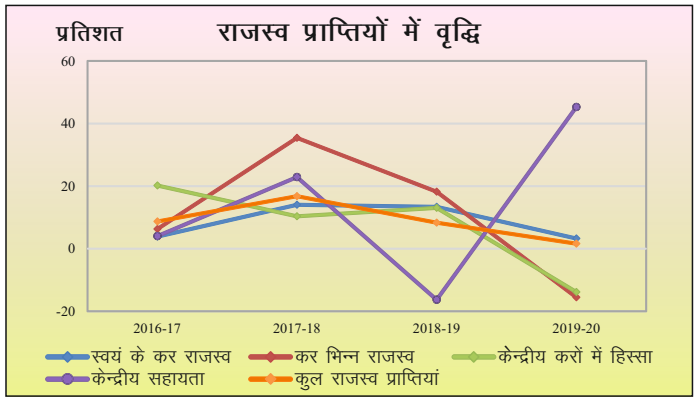

चित्र 10.3

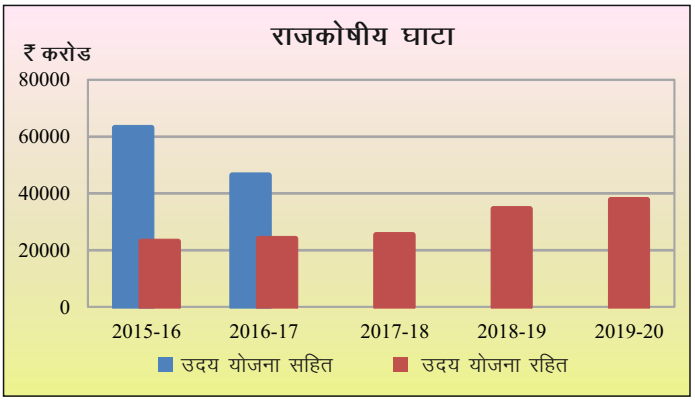

चित्र 10.4

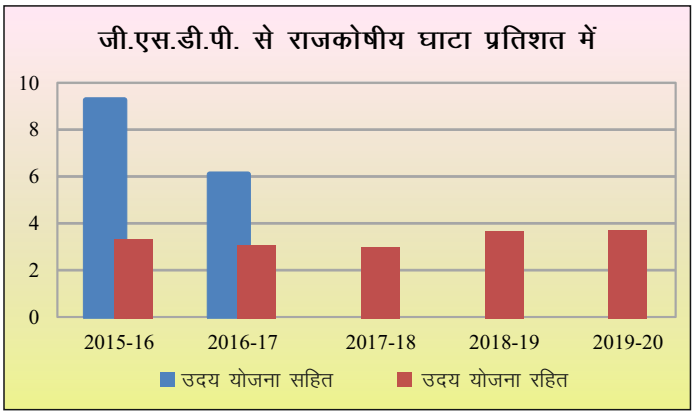

चित्र 10.5

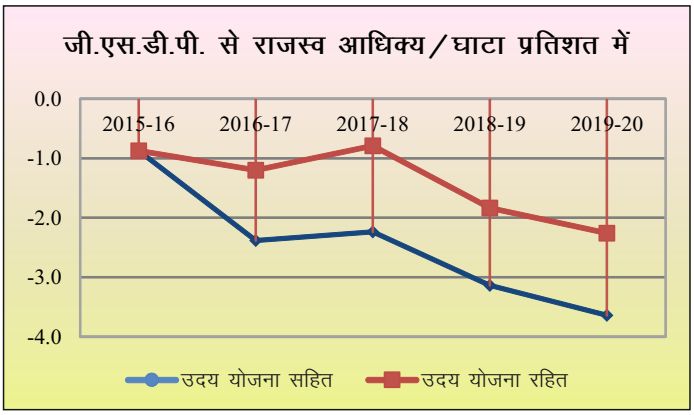

चित्र 10.6

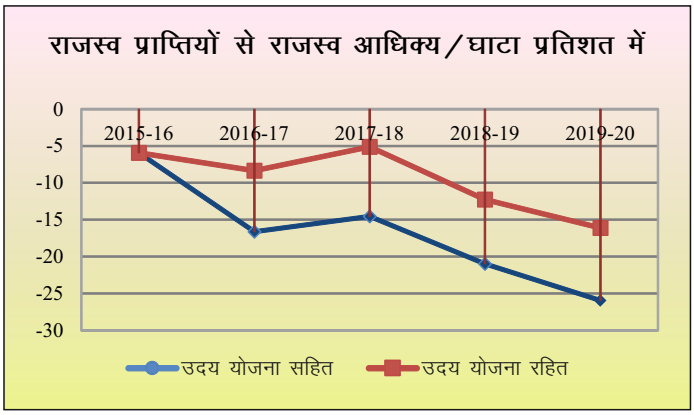

चित्र 10.7

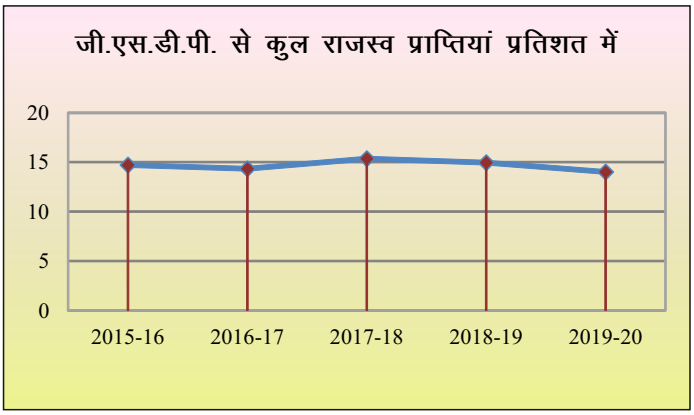

चित्र 10.8

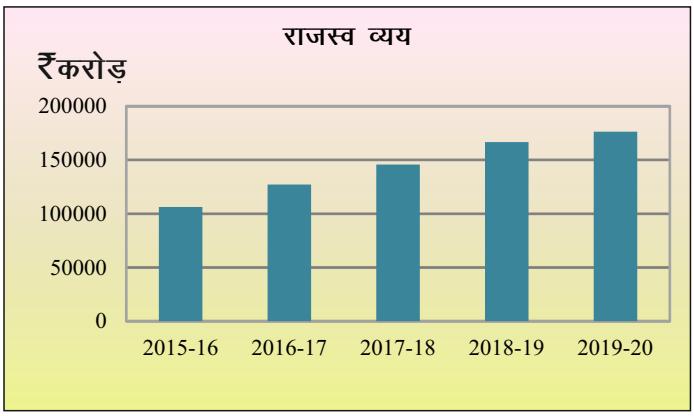

चित्र 10.9

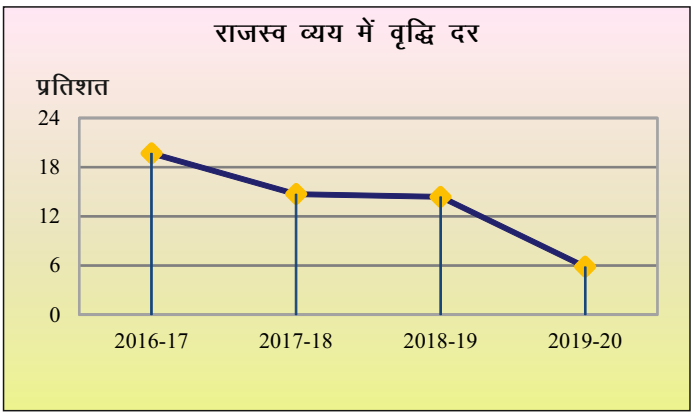

चित्र 10.10

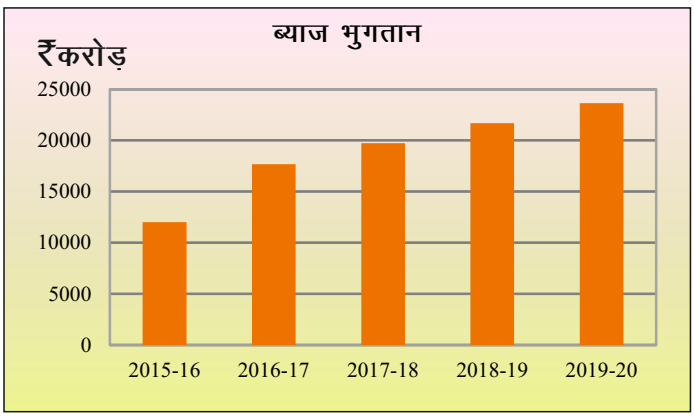

चित्र 10.11

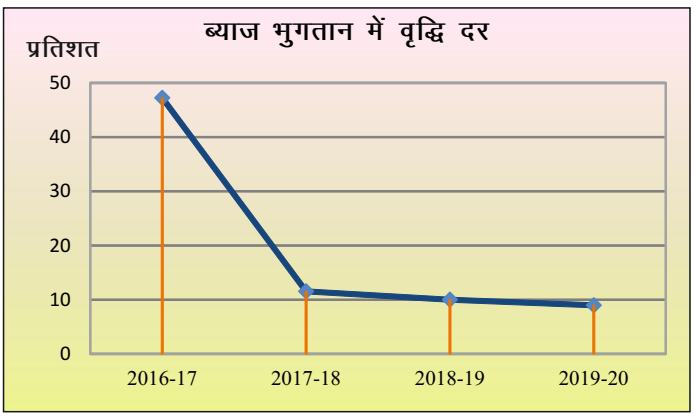

राजस्व व्यय का सेवावार तुलनात्मक विवरण तालिका 10.3 एवं चित्र 10.12 में दर्शाया गया है।

तालिका 10.3 राजस्व व्यय का सेवावार तुलनात्मक विवरण

(₹करोड़)

मद	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल राजस्व व्यय	106239	127140	145841	166773	176485
सामान्य सेवाएं (सहायतार्थ अनुदान व अंशदान को सम्मिलित मानते हुए)	31016 (29.20)	39203 (30.84)	43450 (29.79)	54364 (32.60)	56186 (31.83)
सामाजिक सेवाएं	43349 (40.80)	49372 (38.83)	53064 (36.39)	65687 (39.39)	68313 (38.71)
आर्थिक सेवाएं	31874 (30.00)	38565 (30.33)	49327 (33.82)	46722 (28.01)	51986 (29.46)

नोटः कोष्ठक में दिए हुए समंक सम्बन्धित वर्ष के कुल राजस्व व्यय से प्रतिशत दर्शाते हैं।

चित्र 10.12

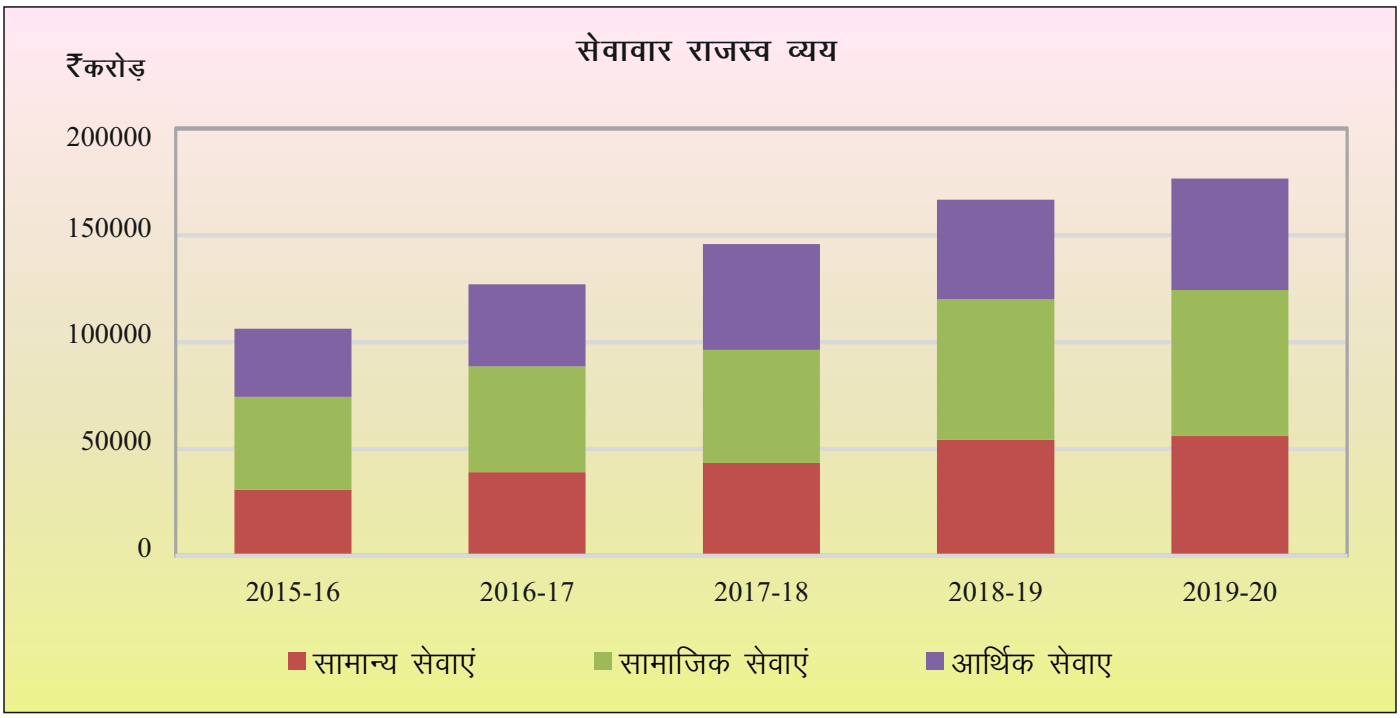

वर्ष 2019–20 में राजकोषीय स्थिति की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैः–

प्राप्तियों की प्रवृत्ति : वर्ष 2019–20 में राजस्व प्राप्तियों में गत वर्ष की तुलना में 1.63 प्रतिशत वृद्धि हुई। राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि दर कम रहने का मुख्य कारण केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सा राशि में गत वर्ष की तुलना में 13.87 प्रतिशत राशि कम प्राप्त होना रहा है। राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 3.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कि भू–राजस्व में 25.71 प्रतिशत, राज्य आबकारी में 10.32 प्रतिशत, मुद्रांक एवं पंजीयन में 8.97 प्रतिशत, वाहन कर में 8.18 प्रतिशत, बिक्री कर में 7.11 प्रतिशत एवं विद्युत शुल्क में 5.35 प्रतिशत की वृद्धि तथा माल एवं सेवा कर में (–)4.29 प्रतिशत की कमी के परिणामस्वरूप रही।

व्यय की प्रवृत्ति : राज्य के कुल व्यय (उदय योजना रहित) का भार वहन करने में राजस्व प्राप्तियों का योगदान वर्ष 2018–19 में 79.92 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2019–20 में 78.39 प्रतिशत रहा है तथा शेष राशि पूंजीगत प्राप्तियों एवं ऋण से पूरित की गई है। वर्ष 2019–20 में योजनाओं पर व्यय (उदय योजना रहित) राशि ₹88,927 करोड़ हुआ जो कि गत वर्ष की तुलना में 5.67 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2019–20 में वेतन एवं मज़दूरी पर व्यय, कुल व्यय (पेंशन भुगतान व ब्याज को छोड़कर) का 37.15 प्रतिशत रहा है। वर्ष 2019–20 में वेतन तथा मजदूरी में पिछले वर्ष की तुलना में 1.45 प्रतिशत की कमी रही है। वर्ष 2019–20 में विकासात्मक व्यय अर्थात् सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय ₹1,36,809 करोड़ (उदय योजना सहित) रहा है, जो कि समग्र व्यय का 70.7 प्रतिशत है। विकासात्मक व्यय का विवरण तालिका 10.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 10.4 विकासात्मक व्यय का विवरण

(₹करोड़)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
सामाजिक सेवाएं	49531	55805	60495	72836	74089
आर्थिक सेवाएं	83839	61641	63326	59736	62720
इसमें से उदय योजना	40050	22372	15000	15000	14722
कुल विकासात्मक व्यय	133370	117446	123821	132572	136809
कुल व्यय	164827	157085	167799	187524	193458
विकासात्मक व्यय कुल व्यय से प्रतिशत	80.9%	74.8%	73.8%	70.7%	70.7%

पूंजीगत परिव्ययः वर्ष 2019–20 में पूंजीगत परिव्यय उदय योजना सहित तथा उदय योजना रहित क्रमशः ₹14,718 करोड़ तथा ₹13,812 करोड़ रहा है।

राजकोषीय देनदारियां (ऋण एवं अन्य दायित्व): वर्ष 2018–19 के अन्त में कुल राजकोषीय देनदारियां ₹3,11,374 करोड़ थी, जिसमें ₹41,328 करोड़ की वृद्धि के साथ 31 मार्च, 2020 को यह ₹3,52,702 करोड़ हो गई। इस प्रकार वर्ष 2018–19 की तुलना में राजकोषीय देनदारियों में 13.27 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राजकोषीय देनदारियों के घटक इस प्रकार हैः– (i) आन्तरिक ऋण ₹2,42,077 करोड़, (ii) केन्द्र सरकार से ऋण ₹17,303 करोड़, (iii) राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि ₹51,469 करोड़ तथा (iv) आरक्षित निधि एवं जमा ₹41,853 करोड़।

वर्ष 2019–20 में राजकोषीय देनदारियों का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात 251.73 प्रतिशत रहा। वर्ष 2019–20 के अन्त में राजकोषीय देनदारियॉ राज्य के स्वयं के राजस्व (कर एवं करेत्तर) का 4.71 गुना रही है। वर्ष 2019–20 में राजकोषीय देनदारियां राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 35.31 प्रतिशत रही है।

राजकोषीय समेकन : वर्ष 2019–20 में ₹36,371 करोड़ का राजस्व घाटा रहा। वर्ष 2019–20 में राजकोषीय घाटा ₹37,654 करोड़ रहा, जो कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 3.77 प्रतिशत है। राजकोषीय घाटा वर्ष 2018–19 में ₹34,473 करोड़ था जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में 3.74 प्रतिशत था।

पंचवर्षीय/वार्षिक योजनाओं/स्कीमवार आय–व्ययक की समीक्षा

पंचवर्षीय/वार्षिक योजनाओं का अनुमोदित उद्व्यय एवं व्यय तालिका–10.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 10.5 पंचवर्षीय/वार्षिक योजनाओं का अनुमोदित उद्व्यय एवं व्यय विवरण

(₹करोड़)

योजना अवधि	अनुमोदित उद्व्यय	वास्तविक व्यय
प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–1956)	64.50	54.15
द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956–1961)	105.27	102.74
तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961–1966)	236.00	212.70
वार्षिक योजना (1966–1967)	48.87	48.90
वार्षिक योजना (1967–1968)	43.65	39.88
वार्षिक योजना (1968–1969)	40.08	47.98
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969–1974)	306.21	308.79
पंचम पंचवर्षीय योजना (1974–1979)	847.16	857.62
वार्षिक योजना (1979–1980)	275.00	290.19
षष्ठम पंचवर्षीय योजना (1980–1985)	2025.00	2130.69
सप्तम पंचवर्षीय योजना (1985–1990)	3000.00	3106.18
वार्षिक योजना (1990–1991)	961.53	975.57
वार्षिक योजना (1991–1992)	1166.00	1184.41
अष्ठम पंचवर्षीय योजना (1992–1997)	11500.00	11998.97
नवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002)	27650.00	19566.82
दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007)	31831.75	33951.21
ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012)	71731.98	93954.34
बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017)	196992.00	318065.73
स्कीमवार आय–व्ययक अनुमान (2017–2018)	81157.97	78117.34
स्कीमवार आय–व्ययक अनुमान (2018–2019)	107865.40	99743.07
स्कीमवार आय–व्ययक अनुमान (2019–2020)	116735.96	105133.94*
स्कीमवार आय–व्ययक अनुमान (2020–2021)	110200.82	68487.53#

* अनन्तिम व्यय, # दिसम्बर, 2020 तक

स्कीमवार परिव्यय (2020–21)

वर्ष 2020–21 में स्कीमवार परिव्यय ₹1,10,200.82 करोड़ रखा गया। मुख्य मदवार आवंटन का विवरण तालिका–10.6 व चित्र–10.13 में दर्शाया गया है।

तालिका–10.6 स्कीमवार परिव्यय का मदवार आवंटन 2020–21

(₹करोड़)

क्र.सं.	मुख्य विकास मद/क्षेत्र	राशि
1.	कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं	9363.89
2.	ग्रामीण विकास	11878.04
3.	विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	76.20
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	3620.25
5.	ऊर्जा	18505.06
6.	उद्योग एवं खनिज	951.82
7.	परिवहन	6834.38
8.	वैज्ञानिक सेवाएं एवं अनुसंधान	12.77
9.	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं	54767.76
10.	आर्थिक सेवाएं	1681.87
11.	सामान्य सेवाएं	2508.78
योग		**110200.82**

चित्र–10.13

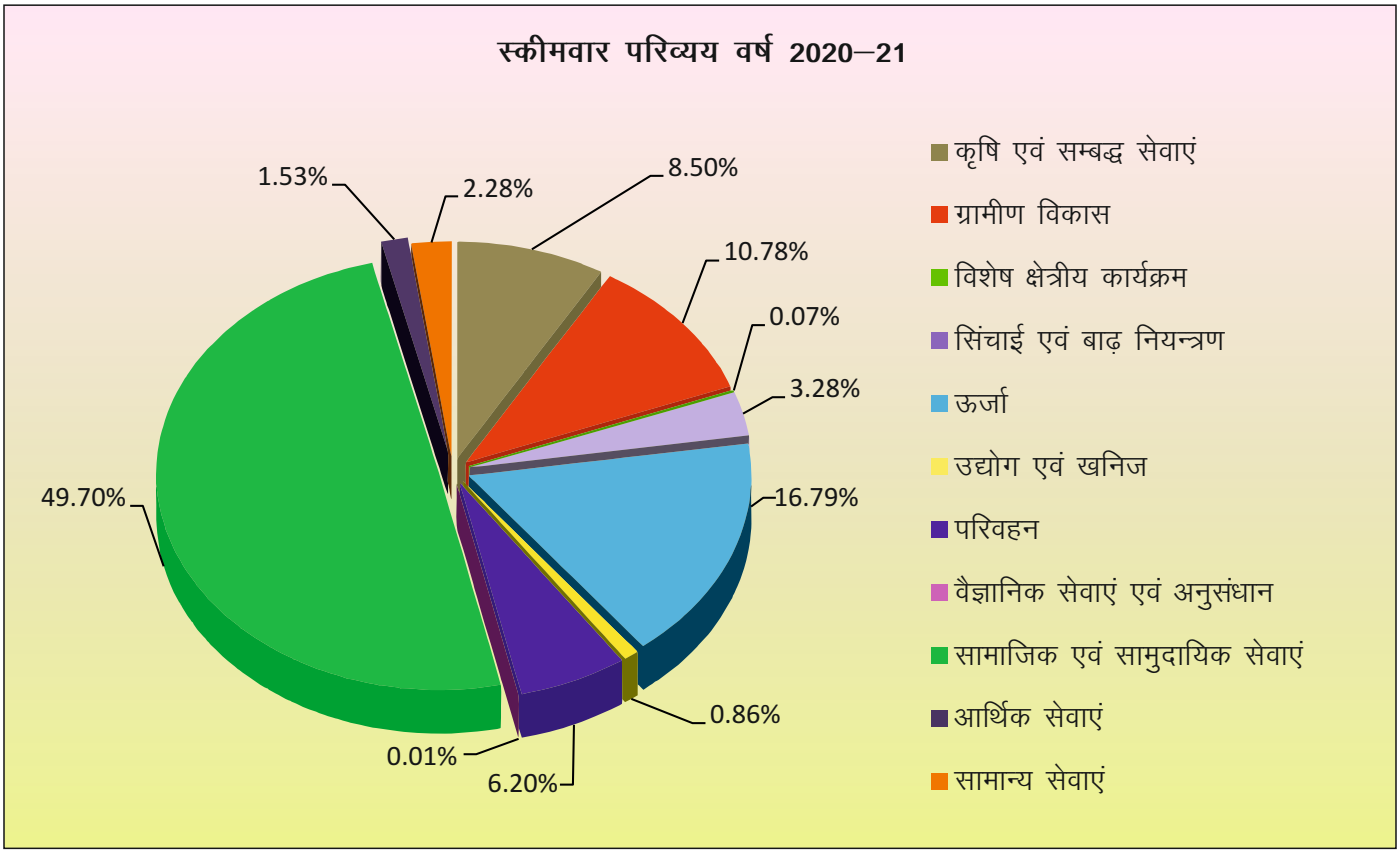

वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के स्कीमवार बजट के अन्तर्गत व्यय को तालिका 10.7 में दर्शाया गया है।

तालिका–10.7 स्कीमवार बजट के अन्तर्गत वर्षवार व्यय

(₹लाख)

क्र.सं.	मुख्य मद	व्यय	
		2019–20*	2020–21#
1.	कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं	859245.42	661297.07
2.	ग्रामीण विकास	1353109.38	756510.56
3.	विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	9999.13	2746.15
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	259883.17	138171.82
5.	ऊर्जा	2638781.50	902897.14
6.	उद्योग एवं खनिज	44669.27	32281.90
7.	परिवहन	551517.51	261134.19
8.	वैज्ञानिक सेवाएं एवं अनुसंधान	932.50	627.51
9.	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं	4289211.58	3703799.85
10.	आर्थिक सेवाएं	150635.46	127287.06
11.	सामान्य सेवाएं	355409.22	262000.18
योग		**10513394.14**	**6848753.43**

* अनन्तिम व्यय, # दिसम्बर, 2020 तक

बाह्य सहायतित परियोजनाएं

परिचय : राज्य के त्वरित विकास के लिए राज्य सरकार विभिन्न आधारभूत एवं सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं एवं दानदाताओं से ऋण/वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है।

विश्व बैंक समूह, जापान अन्तर्राष्ट्रीय को–ऑपरेशन एजेन्सी (जे.आई.सी.ए.), एशियन विकास बैंक (ए.डी.बी.), एजेन्सी फ्रेन्चाइज डी डवलपमेन्ट (ए.एफ.डी.), के.एफ.डबल्यू., जर्मनी, न्यू डवलपमेन्ट बैंक आदि प्रमुख बाह्य ऋण एजेन्सियां हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों यथा–सिंचाई, जलापूर्ति, वानिकी, सड़क, शहरी विकास, आधारभूत संरचना, ऊर्जा एवं कृषि में राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही हैं।

राज्य सरकार को अनेक क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पेयजल, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, आधारभूत सुविधाएं, स्वास्थ्य, ऊर्जा, सड़क और आजीविका क्षेत्र राज्य सरकार के उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र हैं। राजस्थान के निवासियों का जीवन स्तर सुधारने में बाह्य ऋण/वित्तीय सहायता की विशेष भूमिका है। यह स्रोत राज्य के लिए वृहद् तौर पर अतिरिक्त संसाधनों की पूर्ति करता है। विभिन्न क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण एवं आवश्यक परियोजनाएं भी बाह्य वित्तीय सहायता से वित्त पोषित है।

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, भारत सरकार 1 अप्रैल, 2005 या उसके बाद स्वीकृत सभी नई बाह्य सहायतित परियोजनाओं के लिए उसी आधार पर बाह्य वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, जिन शर्तों पर वह विदेशी संस्था से ऋण प्राप्त करती है। राज्य सरकार अब उन सेवा शर्तो यथा–परिपक्वता, ऋण स्थगन एवं ऋण समापन पर विदेशी ऋण प्राप्त कर रही है, जिन शर्तों पर भारत सरकार बाह्य एजेन्सियों से ऋण लेती है।

वित्तीय वर्ष 2020–21

वित्तीय वर्ष 2020–21 के प्रारम्भ में राज्य में 12 बाह्य सहायतित परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही थी। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना माह जून 2020 में एवं जयपुर मैट्रो रेल लाईन–1

फेज–बी और शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (आर.यू.आई.डी.पी. फेज–3) की अवधि सितम्बर, 2020 में पूर्ण हो चुकी है। एक नई परियोजना राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना का ऋण अनुबंध 12 अक्टूबर, 2020 को हो चुका है। वर्तमान में चल रही बाह्य सहायतित परियोजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में ₹3,064.36 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसके विरूद्ध दिसम्बर, 2020 तक ₹1,668.34 करोड़ व्यय किए गए हैं।

तालिका–10.8 बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की वित्तीय स्थिति का विवरण

(₹करोड़)

क्र. सं.	परियोजना का नाम/वित्त पोषित संस्था/ परियोजना अवधि	कुल परियोजना लागत	वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक व्यय	परियोजना प्रारम्भ से दिसम्बर, 2020 तक कुल व्यय
1.	राज. वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना द्वितीय चरण **(जे.आई.सी.ए.)** अक्टूबर, 2011 से मार्च, 2021 तक	1152.53	7.53	#1108.47
2.	राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना **(विश्व बैंक)** जुलाई, 2012 से जून, 2020 तक	699.84	69.47	700.65
3.	राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना–नागौर **(जे.आई.सी.ए.)** जनवरी, 2013 से जनवरी, 2022 तक	2938.00	182.01	@2462.83
4.	जयपुर मेट्रो रेल लाईन–1 फेज बी **(ए.डी.बी.)** जून, 2014 से सितम्बर, 2020	1126.00	44.83	# 1034.67
5.	ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना के अन्तर्गत अन्तर्राज्य विद्युत प्रसारण तन्त्र **(के.एफ.डब्ल्यू.)** अक्टूबर, 2015 से दिसम्बर, 2020	793.90	45.57	583.92
6.	राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम– आर.यू.आई.डी.पी. चरण तृतीय **(ए.डी.बी.)** नवम्बर, 2015 से सितम्बर, 2020	3672.00	381.15	1649.94
7.	राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना **(ए.डी.बी.)** अक्टूबर, 2020 से नवम्बर, 2027	3076.00	50.61	50.61
8.	राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम–I ट्रान्च –1 **(ए.डी.बी.)** नवम्बर, 2017 से मार्च, 2022	2452.36	224.95	*2623.87
9.	राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम–I ट्रान्च –2 **(ए.डी.बी.)** दिसम्बर, 2019 से मार्च, 2024	2617.07	168.43	275.33
10.	राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम– II **(विश्व बैंक)** अक्टूबंर, 2019 से मार्च, 2024	2996.70	308.17	490.53
11.	राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना **(जे.आई.सी.ए.)** अक्टूबर, 2017 से अक्टूबर, 2024	1069.40	62.68	387.41
12.	रेगिस्तान क्षेत्र के लिये जल क्षेत्र पुनर्रचना परियोजना ट्रान्च –1 **(एन.डी.बी.)** मई, 2018 से अगस्त, 2023	958.00	118.64	795.79
13.	राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन के सुदृढ़ीकरण की परियोजना **(विश्व बैंक)** जुलाई, 2018 से मार्च, 2024	202.08	4.27	43.73
योग		**23753.88**	**1668.34**	**12207.75**

अन्य योजनाओं के राज्यांश शामिल, @ एन.आर.डबल्यू.डी.पी का अंश शामिल, * पी.पी.पी. का हिस्सा शामिल

कार्यान्वित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की परियोजनावार प्रगति निम्न प्रकार हैः–

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज–2 (आर.एफ.बी.पी.–II) – जे.आई.सी.ए.

यह परियोजना जापान इंटरनेशनल को–ऑपरेशन एजेन्सी (जे.आई.सी.ए.) से वित्त पोषित है। परियोजना की कुल लागत ₹1,152.53 करोड़ निर्धारित की गई है, जिसमें से ₹884.80 करोड़ की राशि जे.आई.सी.ए. से ऋण के रूप में एवं शेष ₹267.73 करोड़ की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी। परियोजना माह अक्टूबर, 2011 से प्रभावी चल रही है एवं मार्च, 2021 तक पूर्ण की जानी है।

परियोजना का मुख्य उद्देश्य साझा वन प्रबन्धन (जे.एफ.एम.) की प्रक्रिया से वृक्षारोपण एवं जैव विविधता संरक्षण के कार्यों के द्वारा वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि करना, जैव विविधता संरक्षित करना तथा वनों पर निर्भर जन–समुदाय के आजीविका के अवसरों को बढ़ाकर राजस्थान प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक व आर्थिक विकास में योगदान करना है।

परियोजना के अन्तर्गत राज्य के 15 जिलों यथा– बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, सीकर, झुन्झुनूं, नागौर, चूरू, सिरोही, बाड़मेर, जालौर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जयपुर तथा 7 वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों यथा– कुम्भलगढ़, फुलवारी की नाल, जयसमन्द, सीतामाता, बस्सी, कैला देवी एवं रावली टोडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।

परियोजना के अन्तर्गत मुख्य कार्यों में वनीकरण, जैव विविधता संरक्षण, मृदा और जल संरक्षण, आजीविका एवं गरीबी उन्मूलन उपयुक्त वानिकी प्रथाओं के माध्यम से किए जा रहे हैं। परियोजना के कार्य यथासम्भव ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति/पारिस्थितिकीय विकास समिति एवं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सम्पन्न किए रहे हैं।

परियोजना अवधि के दौरान 83,675 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य पूर्ण हो गये है, इसके अलावा 2,00,000 क्यूबिक मीटर चेक–डेम, 5,00,967 रनिंग मीटर कन्टूर बन्डिंग एवं जैव विविधता संरक्षण हेतु 5,000 हैक्टेयर में क्लोजर के कार्य भी पूर्ण हो चुके हैं। माचिया, सज्जनगढ एवं नाहरगढ जैविक उद्यान का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं अभेड़ा जैविक उद्यान, कोटा का कार्य प्रगति पर है।

परियोजना के अन्तर्गत प्रारम्भ से दिसम्बर, 2020 तक ₹1,108.47 करोड़ व्यय किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 में ₹12.06 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिसके विरूद्ध माह दिसम्बर, 2020 तक ₹7.53 करोड़ व्यय किए गए हैं।

राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना – विश्व बैंक

यह परियोजना विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना की संशोधित लागत ₹699.84 करोड है जिसमें से ₹569.84 करोड़ विश्व बैंक एवं राज्यांश के एवं ₹130 करोड़ कृषकों की हिस्सा राशि शामिल है। परियोजना जुलाई, 2012 से प्रारम्भ की गई एवं जून, 2020 में समाप्त हो गयी है। अब शेष बची हुई गतिविधियाँ फरवरी, 2021 तक विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत फ्रंट लोडिंग राशि से करवाई जायेगी।

परियोजना का उद्देश्य राजस्थान के चुने हुए क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता एवं कृषकों की आय में उत्तरोत्तर वृद्धि करना है।

परियोजना का क्रियान्वयन राजस्थान के 8 कृषि जलवायु खण्डों में कुल 17 क्लस्टर्स के लगभग 2,76,827 हैक्टेयर क्षेत्र में होगा, जिनमें से 4 नहरी जल सिंचित, 3 भू–जल, 7 जल ग्रहण कलस्टर्स और 3 नहरी एवं जलग्रहण सिंचित से सम्बन्धित क्लस्टर का परियोजना के अन्तर्गत विकास हेतु चयन किया गया है। परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियां सम्बन्धित विभागों यथा– कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, जलग्रहण तथा भू–संरक्षण, जल संसाधन एवं भू–जल विभाग के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी। परियोजना से सीधे तौर पर लगभग 2,58,015 किसानों को लाभान्वित किया जाएगा, जिसमें मुख्यतः छोटे कृषकों के आय स्तर में सतत् वृद्धि होगी।

कृषि विभाग द्वारा 1,190 डिग्गीयों का निर्माण, 1,447 हैक्टेयर में मिनी स्प्रिंकलर की स्थापना, 14,707 हैक्टेयर में फव्वारा सिंचाई, 61,941 हैक्टेयर में फसल तकनीकों का प्रदर्शन, 4,320 हैक्टेयर में चारा उत्पादन प्रदर्शन का आयोजन हुआ। फार्म मशीनरी के तहत किसानों को 24,527 आईटम्स् वितरित किए गए। उद्यानिकी विभाग द्वारा ग्रीन हाउस/शेड नेट हाउस 4,24,401 वर्ग मीटर में, 1,379 किसानों के खेतों पर सोलर पैनल/पंप, 1,354 हैक्टेयर में फलदार पौधों का उत्पादन प्रदर्शन, 1,795 हैक्टेयर में सब्जी उत्पादन प्रदर्शन किया गया। पशुपालन विभाग द्वारा परियोजना के चयनित क्षेत्रों में नस्ल सुधार हेतु 2,097 बकरियां तथा 5,215 बकरों का वितरण, 27,376 क्लीन मिल्क किट का वितरण और 7,696

पशु स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए। इसी प्रकार जल ग्रहण विकास विभाग के अन्तर्गत कृषि योग्य क्षेत्र में 15.11 लाख मीटर फील्ड बण्ड स्थापित किए गए और 744 फार्म पौण्ड/डग आउट पौण्ड, 605 टांको और 74 मिनी परकोलेशन टैंक/संकन पौण्ड का निर्माण किया गया है। गैर कृषि भूमि पर 63 नाडी का निर्माण, 239 मिनी परकोलेशन टैंक और 196 मिट्टी से निर्मित चैक डैम/डग आउट पौण्ड का निर्माण किया गया है। 132 हैक्टेयर क्षेत्र में चारागाह विकसित किया गया है। बहते जल के भण्डारण हेतु 204 मिनी परकोलेशन टैंक, 81 मिट्टी से निर्मित चैक डैम/डग आउट पौण्ड और 593 जल संचयन ढांचों का निर्माण किया गया। जल संसाधन विभाग द्वारा 79 जल उपयोगकर्ता संघों के भवनों को निर्मित किया गया है एवं 3 नहरों के रख–रखाव और आधुनिकीकरण का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। भू–जल विभाग ने भू–जल की निगरानी के लिए 96 पीजो मीटर व ऑब्जर्वेशन कुँओं का और 83 टेलीमैट्रिक डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डरस् का निर्माण किया है। किसानों के निजी कुँओं पर 199 पानी के मीटर लगाए गये हैं।

मूल्यांकन एवं प्रबोधन एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2019 तक परियोजना में क्रियान्वित गतिविधियों का प्रभाव बहुत उत्साहवर्धक रहा है जो निम्नानुसार है–

- कृषि कार्य में प्रयुक्त जल की मात्रा 2,039 क्यूबिक मीटर प्रति हैक्टेयर से घटकर 1,606 क्यूबिक मीटर प्रति हैक्टेयर हो गयी है, अर्थात प्रयुक्त जल में 21.20 प्रतिशत की कमी आई है। साथ ही जल उपयोग दक्षता ₹14.24 प्रति क्यूबिक मीटर से बढकर ₹30.10 प्रति क्यूबिक मीटर (110.8 प्रतिशत) हो गयी है।
- परियोजना गतिविधियों के कारण आधार वर्ष उत्पादकता से प्रमुख फसलों की उत्पादकता –जैसे बाजरा (28 प्रतिशत), गेहूं (18 प्रतिशत), सरसों (25 प्रतिशत), मक्का (23 प्रतिशत), चना (22 प्रतिशत), जौ (34 प्रतिशत) में वृद्धि हुई है । बकरी वंश में प्रति पशु वजन15 किग्रा से बढकर 19.54 किग्रा हुआ है तथा बकरियों के दूध का औसतन उत्पादन भी 0.8 लीटर प्रति पशु से बढ़कर 1.09 लीटर प्रति पशु हो गया है।
- आधार वर्ष मार्जिन वैल्यू के मुकाबले सकल मार्जिन में 49 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। नवीन/बेहतर सिंचाई सुविधाओं के कारण सकल सिंचित क्षेत्र में 20 प्रतिशत से 57.20 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।
- परियोजना के उद्देश्य के अनुसार फसलों के उचित चयन और फसलों के पैटर्न में बदलाव के कारण कम पानी वाली फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल में 15 प्रतिशत से 53.27 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। बेस लाईन सर्वे के आधार पर कृषि उत्पादों की बिक्री में औसत रूप से 78.40 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।

परियोजना के अन्तर्गत प्रारम्भ से माह दिसम्बर, 2020 तक ₹700.65 करोड़ (₹149.36 करोड़ कृषकों की योगदान राशि सहित) का व्यय हुआ है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में ₹176 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिसके विरूद्ध माह दिसम्बर, 2020 तक ₹69.47 करोड़ व्यय किए गए हैं।

राजस्थान ग्रामीण जलप्रदाय एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना–नागौर–जे.आई.सी.ए.

यह परियोजना जापान अन्तर्राष्ट्रीय को–ऑपरेशन एजेन्सी (जे.आई.सी.ए.) द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना की लागत ₹2,938 करोड़ है, जिसमें जे.आई.सी.ए. से ऋण के रूप में ₹2,212 करोड़, राज्यांश के रूप में ₹387 करोड़ एवं भारत सरकार के अंश के रूप में ₹339 करोड़ व्यय किए जाएंगे। परियोजना जनवरी, 2013 से प्रारम्भ हो चुकी है तथा जनवरी, 2020 तक पूर्ण की जानी थी, जिसकी अवधि बढ़ाकर जनवरी, 2022 कर दी गई है।

परियोजना का मुख्य उद्देश्य परियोजना के कार्य क्षेत्र में जल वितरण व्यवस्था हेतु सतत् आधारभूत संरचना का निर्माण, स्वास्थ्य में सुधार एवं जल जनित बीमारियों में कमी करना, निवासियों के जीवन स्तर में सुधार विशेषकर महिला एवं वर्गों के व्यक्तियों के जीवन स्तर के उत्थान का कार्य, प्रभावी एवं कुशल फ्लोरोसिस उन्मूलन कार्यक्रम द्वारा फ्लोरोसिस का नियंत्रण एवं रोकथाम करना है।

इस परियोजना के माध्यम से नागौर जिले के 986 ग्रामों और 7 कस्बों यथा– लाडनूँ, परबतसर, मकराना, डीडवाना, डेगाना, नावां एवं कुचामन में इंदिरा गांधी नहर से पीने योग्य जल उपलब्ध कराया जाएगा। इस परियोजना से जायल–मातासुख क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना से लाभान्वित सभी 120 ग्रामों एवं नावां–दूदू–बीसलपुर परियोजना के 97 ग्रामों को भी लाभान्वित किया जायेगा। परियोजना में नोखा–दहिया (बीकानेर) में 250 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता का जल शोधन संयंत्र, 477 किमी. मुख्य पाइप लाईन, 1,966 किमी. राईजिंग पाइप लाईन, 939 किमी. यू.पी.वी.सी. एवं 4,965 किमी. एच.डी.पी.ई. वितरण पाइप लाईन, 44 पम्प हाऊस मय

स्वच्छ जलाशय, 294 उच्च जलाशय एवं नहरी पानी के वितरण हेतु 316 किमी. विद्युत लाईन बिछाया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2045 की आबादी को ध्यान में रखते हुए इससे 6,13,899 शहरी एवं 24,05,000 ग्रामीण व्यक्तियों को सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध हो सकेगा।

परियोजना के कार्यों को 10 पैकेजों में विभाजित किया गया है। सभी 9 आधारभूत विकास पैकेज के कार्य आदेश दिये जा चुके हैं जिनमें से 3 जल वितरण प्रणाली पैकेज पूर्ण हो गये है और पानी की आपूर्ति शुरू कर दी गयी है। वर्तमान में परियोजना से 7 कस्बे और 437 गाँव लाभान्वित हो रहे हैं। 2 कल्स्टर वितरण प्रणाली (सी.डी.एस.) पैकेज (एन.आर.डी. डबल्यू.पी. द्वारा वित्त पोषित) पूर्ण किये गये है, शेष 4 सी.डी. एस. (जे.आई.सी.ए. द्वारा वित्त पोषित) पैकेज का कार्य प्रगति पर है। फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना–पैकेज 10 के कार्य के लिए जे.आई.सी.ए. रिव्यु मिशन के निर्णयानुसार उक्त कार्य की निविदाएं मय प्रचार–प्रसार गतिविधियां, जी.आई.एस. व एम.आई.एस. घटक के साथ–साथ तैयार करने व निविदा जारी करने का कार्य जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पी. एच.ई.डी.) के जल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन (डबल्यू.एस. एस.ओ.) को सौंपा गया है, जिसकी अनुमानित लागत ₹50 करोड़ की है। डबल्यू.एस.एस.ओ. द्वारा पी.एम.एस.सी. के तकनीकी सहयोग से निविदा दस्तावेज तैयार कर निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं। वर्तमान में निविदाओं के मूल्यांकन का कार्य प्रक्रियाधीन है।

कोविड–19 वैश्विक महामारी के कारण कलस्टर वितरण प्रणाली के कार्य, जो कि जुलाई, 2020 तक पूर्ण किये जाने थे, अब जून, 2021 तक पूर्ण होने सम्भावित हैं। विभाग अभिवृद्धित अवधि में सभी कार्य पूर्ण करवाये जाने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रहा है, जिसमें डिजाईन की स्वीकृति, संवेदकों को शीघ्रता से भुगतान, पी.एम.सी. व पी.एम.एस.सी. स्टॉफ के साथ संवेदकों से निरन्तर संवाद ताकि अवरोध मुक्त वातावरण में कार्य आगे बढ़ सके।

परियोजना के अन्तर्गत प्रारम्भ से दिसम्बर, 2020 तक ₹2,462.83 करोड़ व्यय किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 में ₹213 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिसके विरूद्ध माह दिसम्बर, 2020 तक ₹182.01 करोड़ व्यय किए गए हैं।

जयपुर मेट्रो रेल लाईन–1 फेज बी – ए.डी.बी.

यह परियोजना एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना की कुल लागत ₹1,126 करोड़ है, जिसमें ए.डी.बी. से ऋण के रूप में ₹969 करोड़ एवं राज्यांश के रूप में ₹157 करोड़ प्राप्त होंगे। परियोजना जून, 2014 से प्रारम्भ हुई व सितम्बर, 2020 को समाप्त हो गयी है।

परियोजना का मुख्य उद्देश्य जयपुर शहर में वृहद् त्वरित यातायात प्रणाली में सुधार लाना है। इस परियोजना में लगभग 2.44 किमी. लम्बाई में चाँदपोल से बड़ी चौपड़ तक भूमिगत रेल लाईन व अन्य निर्माण तथा इसमें 2 स्टेशन शामिल हैं।

2.44 किमी. लम्बी इस भूमिगत मेट्रो लाईन के लिए टनल बोंरिग मशीन 1 एवं 2 के माध्यम से टनल खुदाई का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। ट्रेक बेड कॉन्क्रीटिंग एवं सभी 5 क्रॉस पैसेज का कार्य, सभी टनलिंग गतिविधियॉ, टीबीएम मशीनों को बाहर निकालने सहित पूर्ण कर ली गयी है। छोटी चौपड़ एवं बड़ी चौपड़ भूमिगत स्टेशनों पर टॉप स्लेब, रूफ स्लेब एवं कॉन्कोर्स स्लेब का कार्य पूर्ण हो चुका है। चाँदपोल से बड़ी चौपड़ तक ट्रेक बिछाने व दोनो स्टेशनों के संरचनात्मक कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं।

कमिशनर मैट्रो रेल सुरक्षा (सी.एम.आर.एस.), मुम्बई द्वारा दिनांक 17 एवं 18 मार्च, 2020 को सम्पूर्ण कार्य का निरीक्षण करने के उपरान्त दिनांक 21 मार्च, 2020 को चाँदपोल से बड़ी चौपड़ के मध्य यात्री सेवा प्रारम्भ करने के लिये अधिकार–पत्र जारी किया गया। कोविड–19 के कारण फेज–1बी का संचालन मार्च, 2020 में प्रारम्भ नहीं किया जा सका, परन्तु उसके पश्चात केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त होने पर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा फेज–1बी का लोकार्पण दिनांक 23 सितम्बर, 2020 को किया गया। सम्पूर्ण फेज–1 (फेज–1ए एवं फेज–1बी) पर मेट्रो ट्रेनों का संचालन 23 सितम्बर, 2020 से नियमित रूप से यात्री सेवा में किया जा रहा है।

परियोजना के अन्तर्गत प्रारम्भ से दिसम्बर, 2020 तक ₹1,034.67 करोड़ व्यय किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 में ₹134 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिसके विरूद्ध माह दिसम्बर, 2020 तक ₹44.83 करोड़ व्यय किए गए हैं।

ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना के अन्तर्गत अन्तर्राज्य विद्युत प्रसारण तन्त्र–के.एफ.डबल्यू.

यह परियोजना के.एफ.डबल्यू. फ्रेंकफर्ट एम. मेन, जर्मनी द्वारा वित्त पोषित है। इस परियोजना की लागत ₹1,018.30 करोड़ थी। कुछ परियोजनाओं को ड्रोप/स्थगित करने और कुछ नई

परियोजनाओं को शामिल करने के कारण परियोजना लागत को संशोधित कर ₹793.90 करोड़ किया गया है, जिसमें से 60 प्रतिशत (₹476.34 करोड़) के.एफ.डबल्यू. का ऋण भाग एवं 40 प्रतिशत (₹317.56 करोड़) नेशनल क्लीन एनर्जी फण्ड द्वारा अनुदान है। परियोजना अक्टूबर, 2015 से चल रही है एवं दिसम्बर, 2020 तक पूर्ण की जानी है। राज्य सरकार द्वारा आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार के माध्यम से के.एफ. डबल्यू. को परियोजना अवधि जून, 2021 तक बढ़ाए जाने के लिए अनुरोध किया गया है।

इस परियोजना के अन्तर्गत पश्चिमी राजस्थान में पवन ऊर्जा व सौर ऊर्जा की क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर एवं जोधपुर क्षेत्र में परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही है।

के.एफ.डबल्यू. द्वारा वित्त पोषित जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर एवं जोधपुर क्षेत्र के अन्तर्गत परियोजना, जिसकी लागत ₹1,018.30 करोड़ (निर्माणावधि के दौरान ब्याज को सम्मिलित करते हुए) में कुल 11 आई.सी.बी. पैकेज थे। कुल परियोजना लागत ₹1,018.30 करोड़ में से ₹532 करोड़ (परियोजना लागत) के आदेश जारी किये जा चुके हैं जिसमें जैसलमेर–2 में एक 400 के.वी. (2 x 500 एम.वी.ए.) का ग्रिड सब–स्टेशन व सम्बन्धित 320 किमी. परिसंचरण लाईनों का निमार्ण कार्य शामिल है। इन परियोजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है ।

इस स्कीम की शेष रही परियोजनाओं, जिनकी लागत मूल्य ₹486.32 करोड़ है, को राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम से चर्चा के बाद स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि सौर व पवन उर्जा उत्पादन कर्ताओं ने क्षेत्र में संयंत्रों की स्थापना का कार्य अपेक्षित गति से नहीं किया। अभी तक कोई परियोजना निमार्ण कार्य शुरू नहीं किया है। अब के.एफ.डब्ल्यू., नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय इलेक्ट्रिसिटी अधिकरण द्वारा यह सहमति दी गई है कि ₹486. 32 करोड़ की स्थगित परियोजना के स्थान पर ₹261.96 करोड की पूर्व में अनुमोदित वैकल्पिक परिसंचरण परियोजनाओं को के.एफ.डब्ल्यू. के वित्त पोषण से जैसलमेर, बाडमेर, बीकानेर एवं जोधपुर जिलों में सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा के दोहन हेतु राज्य के हाथ में लिया जावे। इस परियोजना के अन्तर्गत ₹203.27 करोड़ की लागत से छतरगढ में 220 केवी का ग्रिड सब–स्टेशन मय संबंद्ध विद्युत लाईन्स तथा 220 केवी डीसी आंकल–जैसलमेर लाईन का कार्य जनवरी, 2021 तक पूर्ण किया जाना संभावित है। 400 केवी ग्रिड सब–स्टेशन, आंकल पर ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि (एम.वी.ए.) के लिए ₹58.69 करोड़ की लागत से अधिक उच्च वोल्टेज (ई.एच.वी.) लाईन्स का कार्य मार्च, 2021 तक पूर्ण होना संभावित है।

परियोजनान्तर्गत प्रारम्भ से दिसम्बर, 2020 तक ₹583.92 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में ₹50.43 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिसके विरूद्ध माह दिसम्बर, 2020 तक ₹45.57 करोड़ व्यय किए गए हैं।

राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम – आर.यू.एस.डी.पी. (आर.यू.आई.डी.पी. तृतीय चरण) –ए.ड़ी.बी.

यह परियोजना एशियन विकास बैंक (ए.डी.बी.) द्वारा वित्त पोषित है। ए.डी.बी. द्वारा आर.यू.आई.डी.पी. प्रोजेक्ट ऋण के अन्तर्गत 250 मिलियन यू.एस. डॉलर एवं प्रोग्राम ऋण के अन्तर्गत 250 मिलियन यू.एस. डॉलर स्वीकृत किए गए हैं। परियोजना की कुल लागत 610 मिलियन यू.एस. डॉलर (लगभग ₹3,672 करोड़ है, जिसमें ₹660 करोड़ राज्यांश के रूप में) होगी। परियोजना नवम्बर, 2015 से चल रही है तथा सितम्बर, 2020 तक पूर्ण की जानी थी। प्रोजेक्ट ऋण सितम्बर, 2020 में समाप्त हो चुका है। अब राज्य सरकार द्वारा राज्य कोष के माध्यम से जून, 2022 तक शेष कार्य पूर्ण किये जाने का निर्णय लिया गया है।

परियोजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान राज्य के चयनित शहरों के निवासियों को जलापूर्ति सेवा प्रदान करना, सम्पूर्ण स्वच्छता सहित सीवरेज क्षेत्र में सुधार करना है।

परियोजना ऋण घटक के उपयोग से पांच परियोजनाओं में चयनित शहरों यथा टोंक, श्रीगंगानगर, झुझुनू, पाली तथा भीलवाड़ा (केवल सीवरेज कार्य) में जलापूर्ति तथा सीवरेज प्रणाली सुधार के कार्य किए जाएगें। परियोजना के तहत मुख्य कार्य जलापूर्ति वितरण, निरन्तर दबाव वाली आपूर्ति के लिए जिला क्षेत्र के आधार पर नेटवर्क सुधार, जल राजस्व छीजत में कमी और शत–प्रतिशत मीटर आधारित गृह कनेक्शन सेवा और सीवरेज नेटवर्क, जल उपचार, गृह कनेक्शन, उपचारित अपशिष्ठ का पुनरूपयोग आदि से संबंधित होंगें। इन अनुबन्धो में दीर्घ अवधि (10 वर्ष) तक के अनुरक्षण, मरम्मत एवं परिचालन के प्रावधान हैं। सभी शहरों में कार्य प्रगति पर है।

प्रोग्राम ऋण घटक की राशि द्वारा राज्य में नीतिगत सुधारों और समग्र संस्थानिक विकास व शहरी क्षेत्र की शासन व्यवस्था में सुधार के लिए सहयोग प्रदान किया जाना है। हनुमानगढ़, बीकानेर, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, कोटा, माउण्ट

आबू और उदयपुर में सीवरेज कार्य तथा बांसवाड़ा में जल निकासी कार्यों को प्रोग्राम ऋण के अन्तर्गत शामिल किया गया है। प्रोग्राम ऋण की राशि को दो किश्तों में (125 मिलियन यू.एस. डॉलर) अनुमोदित नीतिगत सुधारों के अनुपालन पर जारी किया गया है।

प्रोजेक्ट ऋण कार्यों में सीवर लाईन के अन्तर्गत कुल 1,573 किमी. में से 933 किमी. सीवर लाईन डाली जा चुकी है तथा 5 सीवरेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) में से 2 एसटीपी एवं 7 सीवरेज पम्पिंग स्टेशनों (एसपीएस) में से 2 एसपीएस निर्माण कार्य पूर्ण किये जा चुके है। जलापुर्ति क्षेत्र में, पेयजल योजना के अन्तर्गत 2,134 किमी में से 1,540 किमी पाईप लाईन डाली जा चुकी है साथ ही 12 पानी की टंकी में से 8 पानी की टंकी, 2 जल शोधन संयत्र में से 1 जल शोधन संयत्र, 9 स्वच्छ जलाशय में से 6 स्वच्छ जलाशय बनाये जा चुके है।

प्रोग्राम ऋण कार्यों में सीवर लाईन के अन्तर्गत कुल 1,232 किमी में से 650 किमी सीवर लाईन डाली जा चुकी है तथा 13 किमी. लम्बाई का ड्रेनेज कार्य पूर्ण हो गया है। अन्य सम्बद्ध कार्यों में 14 सीवरेज शोधन संयंत्र एवं 13 सीवरेज पम्पिंग स्टेशन के निर्माण कार्य प्रगति पर है। बांसवाड़ा शहर में ड्रेनेज से संबंधित कार्य पूर्ण किया जा चुका है। बीकानेर, झालावाड़, सवाई–माधोपुर, कोटा, माउंटआबू और उदयपुर का सीवरेज कार्य प्रगति पर है तथा कार्य संवेदक की धीमी कार्य प्रगति के कारण हनुमानगढ़ शहर के कार्य को निरस्त कर दिया गया है।

परियोजना के अन्तर्गत प्रारम्भ से दिसम्बर, 2020 तक ₹1,649.94 करोड़ व्यय किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 में ₹505 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिसके विरूद्ध माह दिसम्बर, 2020 तक ₹381.15 करोड़ व्यय किए गए हैं।

राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना – ए.डी.बी.

यह परियोजना एशियन विकास बैंक (ए.डी.बी.) द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना की कुल लागत ₹3,076 करोड़ जिसमें से ₹2,154 करोड़ (300 मिलियन यू.एस. डॉलर) ए.डी.बी. द्वारा एवं ₹922.00 करोड़ (128.50 मिलियन यू.एस. डॉलर) राज्यांश के द्वारा वित्त पोषित किये जायेगे। परियोजना के ऋण अनुबंध पर 12 अक्टूबर, 2020 को हस्ताक्षर हो चुके है। परियोजना नवम्बर, 2027 तक पूर्ण की जानी है।

परियोजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान राज्य के चयनित शहरों में जलापूर्ति एवं स्वच्छता में सुधार करना है। परियोजना में 14 शहरों को शामिल किया गया है। परियोजना के तहत 7 शहरों यथा आबू रोड़, बांसवाड़ा, खेतड़ी, कुचामन, मंडावा, सरदारशहर और सिरोही में जलापूर्ति एवं स्वच्छता कार्य सम्पन्न किये जाएंगे। इसी तरह 06 शहरों यथा मकराना, प्रतापगढ़, रतनगढ़, डीडवाना, फतेहपुर एवं लाड़नूँ में सीवरेज कार्य और लक्ष्मणगढ़ शहर में जलापूर्ति कार्य सम्पन्न किए जाएंगे। 07 शहरों यथा फतेहपुर, रतनगढ़, लक्ष्मणगढ़, सरदारशहर, प्रतापगढ़, सिरोही और आबू रोड़ हेतु ₹1,209.99 करोड़ की राशि के कार्य आदेश जारी किये गये है।

परियोजना के अन्तर्गत प्रारम्भ से दिसम्बर, 2020 तक ₹50.61 करोड़ व्यय किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 में ₹175 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिसके विरूद्ध माह दिसम्बर, 2020 तक ₹50.61 करोड़ व्यय किए गए हैं।

राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम – 1 ट्रांच –1 ए.डी.बी.

यह परियोजना एशियन विकास बैंक (ए.डी.बी.) द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना की कुल लागत ₹2,452.36 करोड़ है, जिसमें से ए.डी.बी. के ऋण के रूप में ₹1,430 करोड़ (220 मिलियन यू.एस.डॉलर), ₹224.39 करोड़ राज्यांश एवं ₹797.97 करोड़ निजी हिस्सा राशि है। परियोजना नवम्बर, 2017 से प्रारम्भ हो चुकी है एवं मार्च, 2022 तक पूर्ण की जानी है।

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य राजमार्गों पर यातायात दक्षता एवं सुरक्षा को सुधारना है। परियोजना में 1,000 कि.मी. लम्बाई के राजमार्गों एवं मुख्य जिला सड़कों को मध्यम लेन या दो लेन करना तथा सड़कों के प्रबन्धन, सड़क सुरक्षा एवं परियोजना प्रबंधन हेतु प्रस्तावों के परीक्षण एवं निविदा प्रक्रिया तैयार कर उसको व्यवस्थित करने में पी.पी.पी. डिवीजन की दक्षता निर्माण करना सम्मिलित है।

ट्रॉन्च–प्रथम के अन्तर्गत चार पैकेजों में 980 कि.मी. लम्बाई के 16 राजमार्गों के विकास के कार्य आवंटित किये जा चुके हैं। (तीन पैकेजों के अन्तर्गत 746 कि.मी. लम्बाई के विकास के 12 राजमार्ग पी.पी.पी. एन्यूटी मोड़ पर एवं एक पैकेज के अन्तर्गत 234 कि.मी. लम्बाई के चार राजमार्ग ई.पी.सी. मोड़ पर)। माह दिसम्बर, 2020 तक 960 किमी. लम्बाई के राजमार्गों के विकास का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 797 कि.मी. लम्बाई वाले 12 राजमार्गों का कार्य पूर्ण होने पर टोल वसूली का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।

परियोजना के अन्तर्गत प्रारम्भ से दिसम्बर, 2020 तक

₹2,623.87 करोड़ व्यय किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 में ₹181 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिसके विरूद्ध माह दिसम्बर, 2020 तक ₹224.95 करोड़ व्यय किए गए हैं।

राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम –1 ट्रांच–2 ए.डी.बी.

यह परियोजना एशियन विकास बैंक (ए.डी.बी.) द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना की कुल लागत ₹2,617.07 करोड़ है, जिसमें ए.ड़ी.बी. से ऋण के रूप में ₹1,310.81 करोड़ व ₹849.20 करोड़ राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे एवं निजी शेयर के रूप में ₹457.06 करोड़ प्राप्त होंगे। परियोजना दिसम्बर, 2019 से प्रारम्भ की जा चुकी है एवं मार्च, 2024 तक पूर्ण की जानी है।

परियोजना का उद्देश्य यातायात की दक्षता में सुधार एवं राजमार्गों पर सुरक्षा है। इस परियोजना के अन्तर्गत सड़क सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सुविधाओं के साथ शामिल दो लेन या मध्यवर्ती–लेन मानकों के लिए राज्य राजमार्गों और जिला सड़कों के लगभग 754 कि.मी. के निर्माण या पुनरूद्धार, संचालन और रखरखाव एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के पी.पी.पी. प्रकोष्ठ की परियोजना प्रबंधन दक्षता में वृद्धि, विशेष रूप से सड़क दुर्घटना रोकथाम उपाय, मॉनेटिरिंग एवं सड़क सुरक्षा में सुधार करना है।

इस परियोजना में 6 पैकेजों के अन्तर्गत 754 कि.मी. लम्बाई के 11 राजमार्गों को विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इनमें से 4 पैकेजों के अन्तर्गत 474 कि.मी. लम्बाई के 6 राजमार्गों को ई.पी.सी. मोड पर एवं 2 पैकेजों के अन्तर्गत 280 कि.मी. लम्बाई के 5 राजमार्ग हाइब्रिड एन्यूटी मोड पर तैयार करवाये जाने प्रस्तावित है। ई.पी.सी. मोड के 474 कि.मी. लम्बाई के 6 राजमार्गों के कार्य आदेश जारी किये जा चुके हैं, जिनका कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए निर्धारित 188 कि.मी. लम्बाई लक्ष्य के विरूद्ध दिसम्बर, 2020 तक 177 कि.मी. लम्बाई में डेन्स बिटुमिनस मैकडॉम/बिटुमिनस मैकडॉम (डी.बी.एम/बी.सी.) एवं सीमेंट कंक्रीट निर्माण पूर्ण किये जा चुके हैं।

कोविड–19 के प्रभाव के कारण इन सभी 6 राजमार्गों के कार्य की समाप्ति में देरी संभावित है। परियोजना पर पडे प्रभाव को कम करने की दृष्टि से हाईब्रिड एन्यूटी मोड पर 280 कि.मी. लम्बाई के 5 राजमार्गों की निविदाऐं आमंत्रित करने में देरी की गयी है ताकि चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त देनदारियों से बचा जा सके।

परियोजना के अन्तर्गत प्रारम्भ से दिसम्बर, 2020 तक ₹275.33 करोड़ व्यय किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 में ₹300 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिसके विरूद्ध माह दिसम्बर, 2020 तक ₹168.46 करोड़ व्यय किए गए हैं।

राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम –2– विश्व बैंक

यह परियोजना विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना की कुल लागत ₹2,996.70 करोड़ है, जिसमें विश्व बैंक से ऋण के रूप में ₹1,779.43 करोड़, राज्य सरकार द्वारा ₹893.63 करोड़ की राशि वहन की जायेगी एवं निजी अंश के रूप में ₹323.64 करोड़ प्राप्त होंगे। परियोजना अक्टूबर, 2019 से क्रियान्वित की जाकर मार्च, 2024 तक पूर्ण की जानी है।

परियोजना का उद्देश्य राजस्थान राज्य के चयनित राजमार्गो पर यातायात प्रवाह में सुधार करना एवं राज्य मार्गो के बेहतर प्रबन्ध के लिए क्षमता निर्माण करना है।

परियोजना के अन्तर्गत 816 कि.मी. लम्बाई के राजमार्गों का मध्यम लेन या दो लेन मे उन्नयन करना, राजस्थान राजमार्ग प्राधिकरण का संचालन, संस्थागत सुदृढ़ीकरण, सड़क सुरक्षा व परियोजना प्रबन्धन सहायता शामिल है।

इस परियोजना में 8 पैकेजों के अन्तर्गत 816 कि.मी. लम्बाई के 11 राजमार्गों को विकसित किया जाना सम्मिलित है। 3 पैकेजों में 328 कि.मी. लम्बाई के 3 राजमार्गों को तैयार करने का कार्य ई.पी.सी. मोड पर आवंटित किया जा चुका है जो कि प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए निर्धारित 329 कि.मी. लम्बाई के लक्ष्य (अनुबंध के अनुसार अनुपातिक प्रगति के आधार पर) के विरूद्ध दिसम्बर, 2020 तक 293 कि.मी. लम्बाई में डेन्स बिटुमिनस मैकडॉम/ बिटुमिनस मैकडॉम (डी.बी.एम/बी.सी.) एवं सीमेंट कंक्रीट निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 178 कि.मी. लम्बाई के 3 राजमार्गों की निविदाएँ आमंत्रित की जा चुकी है। कोविड–19 के प्रभाव के कारण राज्य सरकार के पास उपलब्ध सीमित वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए ई.पी.सी. मोड पर प्रस्तावित 3 राजमार्गों के 328 कि.मी. के विकास कार्यों की निविदाऐं आमंत्रित करने में देरी की गयी है ताकि वित्तीय वर्ष 2020–21 में अतिरिक्त देनदारियों से बचा जा सके। इसी प्रकार चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त देनदारियों से बचने हेतु हाईब्रिड एन्यूटी मोड पर 309 कि.मी. लम्बाई के 5 राजमार्गों के कार्यों की निविदाएँ आमंत्रित करने में देरी की जा रही है।

परियोजना के अन्तर्गत प्रारम्भ से दिसम्बर, 2020 तक ₹490.53 करोड़ व्यय किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 में ₹450.70

करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिसके विरूद्ध माह दिसम्बर, 2020 तक ₹308.17 करोड़ व्यय किए गए हैं।

राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना– जे. आई.सी.ए.

यह परियोजना जापान इंटरनेशनल को–ऑपरेशन एजेन्सी द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना की कुल लागत ₹2,348.87 करोड़ है। जे.आई.सी.ए. द्वारा दो ट्रांच के रूप में वित्तीय सहायता दी जायेगी जिसके लिए प्रत्येक ट्रांच हेतु अलग–अलग ऋण अनुबन्ध किये जायेंगें। पहली ट्रांच की परियोजना लागत ₹1,069.40 करोड़ (16,148 मिलियन येन) है, जिसमें ₹908.94 करोड़ (13,725 मिलियन येन) जे.आई.सी.ए. ऋण राशि एवं ₹160.46 करोड़ (2,423 मिलियन येन) की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी। परियोजना अक्टूबर 2017 से चल रही है एवं अक्टूबर 2024 तक पूर्ण की जानी है।

परियोजना के अन्तर्गत 27 जिलों में 137 सिंचाई परियोजनाओं में पुनरूद्धार एवं नवीकरण कार्य किये जायेंगे। इस परियोजना से 4.70 लाख हैक्टेयर खेती योग्य सिचिंत क्षेत्र को लाभ मिलेगा।

ट्रांच–1 के अन्तर्गत राज्य के 21 जिलों–अलवर, अजमेर, बारां, भरतपुर, भीलवाडा, बूंदी, चित्तौडगढ, धौलपुर, डूँगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ, झालावाड, करौली, कोटा, पाली, प्रतापगढ, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक एवं उदयपुर की 2.62 लाख हैक्टेयर कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र (सी.सी.ए.) की 65 लघु तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का जीर्णोद्धार कार्य किया जायेगा।

65 उप परियोजनाओं में से 46 उप परियोजनाओं के जीर्णोद्धार का कार्य प्रगति पर है। 7 उप परियोजनाओं के सिविल कार्य पूर्ण हो चुके हैं। शेष 12 उप परियोजनाओं की निविदाएं प्रक्रियाधीन है।

परियोजना के अन्तर्गत प्रारम्भ से दिसम्बर, 2020 तक ₹387.41 करोड़ व्यय किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 में ₹465.40 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिसके विरूद्ध माह दिसम्बर, 2020 तक ₹62.68 करोड़ व्यय किए गए हैं।

रेगिस्तान क्षेत्र में जल क्षेत्र पुनःसंरचना परियोजना–एन.डी.बी.

यह परियोजना न्यू डवलपमेन्ट बैंक (एन.डी.बी.) द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना की अनुमानित लागत ₹3,291.63 करोड़ है एवं यह परियोजना 5 वर्षों में 3 ट्रॉन्चेज में क्रियान्वित की जायेगी। प्रथम ट्रांन्च की ₹958 करोड़ की लागत में से ₹669.40 करोड़ (100 मिलीयन यूएस डॉलर) एन.डी.बी. द्वारा और ₹288.60 करोड़ (43.11 मिलीयन यूएस डॉलर) की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी। परियोजना मई, 2018 से चल रही है एवं अगस्त, 2023 तक पूर्ण की जानी है।

परियोजना अन्तर्गत इन्दिरा गांधी फीडर एवं मुख्य नहर की 114 कि.मी. लम्बाई में रिलाईनिंग, वितरिकाओं का जीर्णोद्धार, मरम्मत/सुधार, 22,851 हैक्टेयर जल प्लावन क्षेत्रों में भूमि सुधार तथा सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली सहित सिंचित क्षेत्र विकास कार्य कराये जायेंगें।

परियोजना क्रियान्वयन से हनुमानगढ एवं श्रीगंगानगर जिले के 22,851 हैक्टेयर क्षेत्र को सेम की समस्या से मुक्ति मिलेगी जिससे 1,100 क्यूसेस पानी की बचत होगी जिसका उपयोग राज्य के हनुमानगढ, श्रीगंगानगर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, झुंझुंनूं, सीकर एवं चुरू जिलों में बेहतर सिंचाई एवं पेयजल सुविधाओं पर होगा। इसके अतिरिक्त रावी–व्यास नदियों के व्यर्थ बहकर जाने वाले पानी को उपयोग में लिया जायेगा।

परियोजना अन्तर्गत आई.जी.एफ. और आई.जी.एम.सी. के 30.42 कि.मी. में रिलाईनिंग और प्रणाली की 786.46 कि.मी. नहरों के आवश्यक मरम्मत एवं रख–रखाव के कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

वर्ष 2020 के कार्यों में इन्दिरा गांधी फीडर व मुख्य नहर के 73 पैकेजों के अन्तर्गत (43.43 कि.मी. लंबाई में रिलाईनिंग का कार्य राशि ₹205 करोड़ की लागत) कार्य करवाया जाना था परन्तु कोविड–19 महामारी के कारण सम्पूर्ण देश में लॉक डाउन होने से इन्दिरा गांधी फीडर एवं मुख्य नहर के जीर्णोद्धार के कार्य नहीं कराये जा सके एवं एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिए गए। क्लोजर के कार्यों के स्थगन उपरान्त निर्धारित राशि के व्यय हेतु, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार नये मरम्मत एवं रख–रखाव के प्रस्तावों पर विचार कर रहा है। जल संसाधन विभाग द्वारा इन नये मरम्मत एवं रख–रखाव के कार्यों के लिए 11 पैकेजों जिनकी लागत ₹302.79 करोड़ है, की निविदाएं आमंत्रित की गयी है।

परियोजना के अन्तर्गत आरम्भ से माह दिसम्बर, 2020 तक ₹795.79 करोड़ व्यय किये गये है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में ₹378.70 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिसके विरूद्ध माह दिसम्बर, 2020 तक ₹118.64 करोड़ व्यय किए गए हैं।

राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन के सुदृढीकराण की परियोजना– विश्व बैंक

यह परियोजना विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना की कुल लागत ₹202.08 करोड़ है, जिसमें विश्व बैंक से ऋण राशि ₹141.46 करोड़ है (21.7 मिलीयन यू. एस. डॉलर) और ₹60.62 करोड़ (9.30 मिलीयन यूएस डॉलर) की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी। परियोजना 26 जुलाई, 2018 से चल रही है एवं मार्च, 2024 तक पूर्ण की जानी है।

परियोजना का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही और सार्वजनिक खर्च में दक्षता बढाने के लिए बेहतर नियोजन और बजट निष्पादन में योगदान करना है और राजस्व प्रणालियों एवं क्षमता को मजबूत करना है। एस.पी.एम.एफ. परियोजना के अन्तर्गत आने वाले विभागों के लिए विभिन्न सलाहकारों की सेवाएं और आई.टी. हार्डवेयर को शामिल किया गया है।

परियोजना के मुख्य घटक हैः–

- सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन ढांचे को मजबूत करना
- व्यय और राजस्व प्रणाली को मजबूत करना
- परियोजना प्रबंधन और क्षमता निर्माण

परियोजना के अन्तर्गत सलाहकारों के लिए 11 अनुबन्ध निष्पादित किये गये थे, जिनमें से 5 अनुबन्ध से सम्बन्धित कार्य पूर्ण हो चुका है व 6 अनुबन्ध से सम्बन्धित कार्य जारी है।

परियोजना के अन्तर्गत आरम्भ से माह दिसम्बर, 2020 तक ₹43.73 करोड़ व्यय किये गये है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में ₹23.07 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिसके विरूद्ध माह दिसम्बर, 2020 तक ₹4.27 करोड़ व्यय किए गए हैं।

सार्वजनिक निजी सहभागिता

परिचय

उत्पादकता, विकास और गरीबी उन्मूलन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक आधारभूत संरचना है। आधारभूत संरचना क्षेत्रों में पर्याप्त क्षमता के कारण उच्च उत्पादकता, परिवहन और लॉजिस्टिकस् लागत में कमी और प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि आती है। तीव्र आर्थिक विकास, बढ़ती शहरी आबादी, गांवो से शहरों की ओर बढता पलायन और चौतरफा सामाजिक और आर्थिक विकास से विद्यमान आधारभूत संरचना पर भार बढ़ा है। सार्वजनिक आधारभूत संरचना की बढ़ती मांग के वित्त–पोषण में सरकारी बजटीय संसाधन तेजी से बाधित हो रहे हैं।

राजस्थान सरकार का मानना है कि निजी पूंजी के द्वारा आधारभूत संरचना की व्यवस्था में नवाचारों और दक्षता को बढाने के समग्र उद्देश्य के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

राजस्थान सरकार, प्रदेशवासियों को सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति के स्तर में सुधार एवं दक्षता सुनिश्चित करने के लिए और सम्पूर्ण राज्य में गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक आधारभूत संरचना में निरन्तर विस्तार और इसे उन्नत करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके लिए, सरकार द्वारा सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) के माध्यम से निजी क्षेत्र की दक्षता, पहल और वित्त का भी उपयोग किया जा रहा है।

निजी सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत पहल

नवीन आधारभूत संरचना परिसम्पत्तीयों के सृजन के साथ–साथ विद्यमान परिसम्पत्तीयों के प्रबंधन दोनों में, पीपीपी को बढावा एवं समर्थन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा की कई नीतियों और संस्थागत नवाचारों के फलस्वरूप, राज्य विशेषकर सड़क, ऊर्जा, शहरी आधारभूत संरचना और स्वास्थ्य क्षेत्रों में, सफल कार्यान्वयन के साथ विगत वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि का साक्षी रहा है।

राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के उद्देश्य से कई उपाय किए हैं, जो निम्न प्रकार हैः–

अ. संस्थागत व्यवस्था

राज्य में पीपीपी परियोजनाओं के सफल विकास और निष्पादन हेतु एक प्रभावी व्यवस्था प्रदान करने के लिए, राज्य सरकार ने एक त्रि–स्तरीय संस्थागत ढांचा अपनाया है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: –

1) **अनुमोदन समितियां** –

   क) **काउन्सिल फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेन्ट (सी. आई.डी)** – आधारभूत संरचना परियोजनाओं, विशेषकर सार्वजनिक–निजी सहभागिता आधार पर विकसित की जा रही परियोजनाओं के नीतिगत मुद्दों संबंधी निर्णय करने हेतु राज्य सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में काउन्सिल फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेन्ट (सी.आई. डी) का गठन किया गया है। सी.आई.डी विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर निर्णय लेती है तथा उन सभी पी. पी.पी. परियोजनाओं को अनुमति प्रदान करती है, जिनकी लागत ₹500 करोड़ से अधिक है।

ख) एम्पावर्ड कमेटी फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट (ई.सी.आई.डी) – राज्य सरकार द्वारा, सी.आई.डी के कार्यों के सुचारू संचालन में सहयोग के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक एम्पावर्ड कमेटी फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट (ई.सी.आई.डी.) का भी गठन किया गया है। ई.सी.आई.डी. द्वारा सी.आई.डी. को प्रस्तुत करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने, समीक्षा करने, नीतिगत पत्रों पर सिफारिशें प्रस्तुत करने के साथ सी.आई.डी. के निर्णयों के क्रियान्वयन का फॉलोअप एवं परीवीक्षण का कार्य भी किया जाता है। सी.आई.डी. के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार अन्य कार्यवाही भी इस कमेटी के द्वारा सम्पन्न की जाती है। आयोजना विभाग का पीपीपी सैल, सी.आई.डी एवं ई.सी.आई.डी. के सचिवालय के रूप में कार्य करता है।

ग) एम्पावर्ड कमेटी फॉर रोड सेक्टर प्रोजेक्टस्– राजस्थान स्टेट हाइवे डवलपमेन्ट प्रोग्राम (आर.एस. एच.डी.पी.) के अन्तर्गत सम्मिलित सड़क परियोजनाओं पर विचार कर स्वीकृती प्रदान करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक एम्पावर्ड कमेटी का पृथक से गठन किया गया है। इस कमेटी का प्रशासनिक विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग है।

घ) स्विस चैलेंज प्रस्तावों के लिए स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमेटी (एस.एल.ई.सी.)– राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (संशोधित) नियम–2015 के प्रावधानों के अनुसार स्विस चैलेंज पद्धति के अन्तर्गत प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए भी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमेटी (एस.एल.ई.सी.) का गठन किया गया है। यह स्टेट लेवल कमेटी, स्विस चैलेंज पद्धति के अन्तर्गत प्राप्त परियोजना प्रस्तावों (पी.पी.पी. एवं गैर पी.पी.पी. दोनों) पर विचार व परीक्षण कर स्वीकृति प्रदान करती है। इस कमेटी का प्रशासनिक विभाग, आयोजना विभाग है।

2) पीपीपी सैल (नोडल एजेंसी)– सार्वजनिक–निजी सहभागिता परियोजनाओं में राज्य सरकार के प्रयासों में समन्वय के लिए वर्ष 2007–08 में आयोजना विभाग के अन्तर्गत राज्य नोडल एजेंसी के रूप में पीपीपी सैल का गठन किया गया। यह सैल पीपीपी से संबंधित उत्तम क्रियाविधियों, दिशा–निर्देशों, योजनाओं आदि समस्त सूचनाओं के संग्राहक के रूप में कार्य करता है। यह सी. आई.डी., ई.सी.आई.डी. एवं एस.एल.ई.सी. के सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है। पीपीपी सैल, आयोजना विभाग के प्रभारी शासन सचिव जो राज्य पीपीपी नोडल अधिकारी के रूप में कार्यरत है, के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन है।

3) संबंधित प्रशासनिक विभाग/एजेंसी (कार्यकारी एजेंसी)– राजस्थान सरकार के प्रशासनिक विभाग/एजेंसी, अपने क्षेत्राधिकार के सभी विषयों पर राज्य सरकार द्वारा जारी राजस्थान रूल्स ऑफ बिजनिस में यथा निर्धारित पीपीपी मोडैलिटी अन्तर्गत परियोजनाओं की पहचान, विकास और क्रियान्वयन करने के लिए सक्षम हैं।

ब. निजी क्षेत्र सहभागिता के साथ राज्य सरकार द्वारा उन्नत संयुक्त उपक्रम

1) प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान (पीडीकोर) को पीपीपी मोड में बैंकेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को विकसित करने के लिए राज्य सरकार के विभागों और वैधानिक उपक्रमों की सहायता के लिए दिसंबर 1997 में एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में गठित किया गया था।

2) रोड़ इन्फ्रास्ट्रक्टचर डवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान (रिडकोर) को राज्य में मेगा हाइवे प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2004 में विकसित किया गया।

3) सौर्य ऊर्जा कम्पनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड (एसयूसीआरएल) को भादला (जोधपुर) में 1,000 मेगावाट के सौर पार्कों के चरणबद्ध तरीके से विकास के लिए वर्ष 2014 में विकसित किया गया।

4) एस्सेल सौर्य ऊर्जा कम्पनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड (ई.एस.यू.सी.आर.एल.) को जोधपुर और जैसलमेर में 750 मेगावाट के सौर पार्कों के विकास के लिए वर्ष 2014 में विकसित किया गया।

5) अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड (एआरईपीआरएल) को जैसलमेर और भादला (जोधपुर) में 2,000 मेगावाट के सौर पार्कों के चरणबद्ध तरीके से विकास के लिए वर्ष 2015 में विकसित किया गया।

स. परियोजना विकास कोष (पीडीएफ)

निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ आधारभूत संरचना

परियोजनाओं के विकास में सहायता के लिए वर्ष 2003 में प्रारम्भ में 5 वर्षो के लिए ₹4.50 करोड़ का एक कोष बनाया गया था, जिसे बाद में 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया गया।

वर्ष 2011 में भी निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ राज्य में आधारभूत संरचना परियोजनाओं के विकास और सहायता के लिए ₹25 करोड़ के प्रारम्भिक कोष से राजस्थान आधारभूत संरचना परियोजना विकास कोष (आर.आई.पी.डी.एफ.) बनाया गया। आर.आई.पी.डी.एफ. 18 जून, 2015 से निष्प्रभावी/विघटित हो गया है।

वर्तमान में विभिन्न परियोजनाओं के लिए परियोजना विकास आवश्यकताओं की लागत की पूर्ति, संबंधित प्रशासनिक विभाग या तो उनके विशिष्ट/बजटीय प्रावधानों के अन्तर्गत अथवा इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड (IIPDF) के तहत, केंद्रीय सहायता लेकर कर सकते है।

द. सौदा सलाहकार सेवाएं

राज्य के प्रशासनिक विभाग सौदा सलाहकार सेवाओं (वित्तीय परामर्शदाता, तकनीकी परामर्शदाता और कानूनी सलाहकार) की प्राप्ति के लिए राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (आरटीपीपी) नियम, 2013 के तहत निर्धारित प्रक्रिया अनुसार खुले विज्ञापन मार्ग के माध्यम से सक्षम हैं। आरटीपीपी नियम, 2013 अन्तर्गत, प्राथमिकता पर, निम्नलिखित में से किसी एक से परामर्शदात्री सेवाएं लेने का भी प्रावधान है:–

1. राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम (रा.रा.स.वि.नि.)
2. वेपकोस, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा सरंक्षण मंत्रालय भारत सरकार के संरक्षण के अधीन एक पब्लिक सेक्टर उपक्रम।
3. नेबकॉन, नाबार्ड के पूर्णरूपेण स्वामित्व वाला एक समनुषंगी।
4. राईट्स लिमिटेड, भारतीय रेल, भारत सरकार के संरक्षण के अधीन एक पब्लिक सेक्टर उपक्रम।
5. पी.एफ.सी. कन्सल्टिंग लिमिटेड (पी.एफ.सी.सी.एल.), पावर फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पी.एफ.सी.), भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी।
6. एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ई.ई.एस.एल.), एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पी.एफ.सी.), रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आर.ई.सी.) और पावरग्रिड की एक संयुक्त उद्यम कम्पनी।

य. वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना

राज्य सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्र में पीपीपी को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2007 में एक सामाजिक क्षेत्र की वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना जारी की गई।

पीपीपी प्रारूप पर विकसित की जा रही ऐसी आधारभूत संरचना परियोजनाओं, जो आर्थिक रूप से न्यायसंगत हैं, लेकिन बड़े पूंजी–निवेश की आवश्यकताओं, दीर्घकालीन समायावधि और व्यावसायिक स्तर पर उपयोगकर्ता शुल्क बढ़ाने में असमर्थता आदि के कारण वाणिज्यिक रूप से वायबल नहीं हैं, के लिए भारत सरकार की ''आधारभूत संरचना में पीपीपी को वित्तीय समर्थन के लिए योजना'' के अन्तर्गत पूंजीगत अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता आकर्षित कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा नवंबर, 2020 में इस योजना को सामाजिक आधारभूत संरचना हेतु निम्नलिखित उप–योजनाओं अन्तर्गत अधिक वीजीएफ समर्थन देने के लिए पुनर्निर्मित किया गया है:–

उप–योजना –1: भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा 100 प्रतिशत परिचालन लागत की वसूली के साथ सामाजिक क्षेत्र की अवसंरचना परियोजनाओं यथा अपशिष्ट जल उपचार, जल आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) के लिए टीपीसी का अधिकतम 60 प्रतिशत (30 प्रतिशत +30 प्रतिशत प्रत्येक) संवर्धित वीजीएफ सहायता प्रदान की जा सकती है।

उप–योजना –2: यह केवल स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में नमूना/पायलट परियोजनाओं का समर्थन करने तक ही सीमित है। इस श्रेणी के तहत पात्र परियोजनाओं में कम से कम 50 प्रतिशत परिचालन लागत वसूली होनी चाहिए। केंद्र सरकार परियोजना के कैपेक्स के लिए परियोजना की टीपीसी का अधिकतम 40 प्रतिशत तक और राज्य सरकार टीपीसी के अधिकतम 40 प्रतिशत तक वीजीएफ समर्थन, आगे प्रदान कर सकती है।

इसके अलावा, भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा कॉमर्शियल ऑपरेशन डेट (सीओडी) के बाद पहले 5 वर्षों के लिए परिचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत (25 प्रतिशत +25 प्रतिशत प्रत्येक) तक वीजीएफ समर्थन प्रदान किया जा सकता हैं।

इस योजना के अन्तर्गत शामिल किए गए अन्य सभी क्षेत्रों को परियोजना के कैपेक्स के लिए परियोजना की टीपीसी का अधिकतम 40 प्रतिशत वीजीएफ समर्थन मिलता रहेगा, जहां केंद्र सरकार परियोजना के कैपेक्स के लिए परियोजना के

टीपीसी के अधिकतम 20 प्रतिशत तक वीजीएफ समर्थन प्रदान करेगी और राज्य सरकार कैपेक्स के लिए टीपीसी के अधिकतम 20 प्रतिशत तक का वीजीएफ समर्थन आगे बढ़ा सकती है।

र. मॉनिटरिंग क्रियाविधि

राज्य की पीपीपी परियोजनाओं की प्रगति की नियमित रूप से, दोनों, परियोजना प्राधिकारी के स्तर पर मासिक एवं विभागीय स्तर पर मासिक/त्रैमासिक आधार पर मॉनिटरिंग की जाती है। आयोजना विभाग के पीपीपी सैल द्वारा भी राज्य की पीपीपी परियोजनाओं की तीन श्रेणियों यथा पूर्ण की गई परियोजनाओं, प्रगतिरत परियोजनाओं और प्रक्रियाधीन/पाइपलाइन परियोजनाओं की स्थिति की त्रैमासिक समीक्षा की जाती है।

ल. अन्य समर्थककारी प्रयास

पीपीपी के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में निम्नांकित द्वारा भी सहायता मिली है:–

1) **सड़क विकास नीति, 2013**

राजस्थान वर्ष 1994 में, राजस्थान राज्य सड़क विकास नीति, 1994 के तहत सड़क क्षेत्र में बिल्ड–ऑपरेट–ट्रांसफर (बीओटी) आधारित परियोजनाओं के लिए निजी क्षेत्र के प्रवेश को प्रशस्त करने की नीति तैयार करने वाला देश का प्रथम राज्य था। हाल के वर्षों में सड़क क्षेत्र की कई परियोजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने में राज्य अग्रणी रहा है।

2) **राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम, 2004**

राज्य में सड़क विकास निधि अधिनियम, 2004 पारित किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत पेट्रोल/डीजल पर ₹1 का उपकर (सैस) लागू कर एक स्थायी सड़क कोष बनाया गया। उपकर की दरों को समय–समय पर संशोधित किया जाता है। इस अधिनियम के तहत एकत्रित धनराशि का उपयोग राज्य में सड़कों के विकास और रखरखाव के लिए किया जा रहा है।

3) **राजस्थान राज्य राजमार्ग अधिनियम, 2014**

राजमार्गों की उद्घोषणा, विकास, संचालन, सुरक्षा, राजमार्गों के नियमन, भूमि के उपयोंग में सुविधा के साथ–साथ राजमार्गों एवं अन्य सड़कों के लिए भूमि के अधिग्रहण, राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के गठन और इससे संबंधित आनुषंगिक मामलों के निस्तारण को सुविधाजनक बनाने के लिए वर्ष 2015 में एक व्यापक राजस्थान राज्य राजमार्ग अधिनियम बनाया गया।

4) **क्षमतावर्द्धन (कैपेसिटी बिल्डिंग)**

राज्य सरकार का मानना है कि स्थायी आधार पर पीपीपी परियोजनाओं के सफल प्रबंधन और क्रिर्यान्वयन के लिए सार्वजनिक संस्थानों, सरकारी अधिकारियों और अन्य सभी हितधारकों के बीच पर्याप्त क्षमता के विकास की आवश्यकता है। इसके लिए, आयोजना विभाग का पीपीपी सैल, पीपीपी परियोजनाओं की पहचान, उपापन और पोस्ट अवॉर्ड प्रबंधन में क्षमता विकसित करने हेतु प्रशासनिक विभागों के नोडल अधिकारियों की सहायता कर रहा है।

आर्थिक मामलात् विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा के.एफ.डब्ल्यू. (जर्मन विकास बैंक) के सहयोग से वर्ष 2010 में प्रारम्भ, नेशलन पीपीपी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम (एन.पी.सी.बी.पी.), राजस्थान राज्य में सफलतापूर्वक लागू किया गया। इसका उद्देश्य सरकार के संबंधित प्रशासनिक विभागों/कार्यकारी एजेन्सियों के वरिष्ठ एवं मध्यम स्तर के अधिकारियों को पीपीपी परियोजनाओं की अवधारणा, संरचना, अवॉर्ड, क्रियान्वयन और मॉनिटंरिग में सक्षम बनाने के लिए बड़े स्तर पर संबंधित प्रशासनिक विभागों/कार्यान्वयन एजेंसियों के वरिष्ठ और मध्यम स्तर के अधिकारियों की क्षमताओं को बढ़ाना था।

एन.पी.सी.बी.पी. की परिणति को चिह्नित करने के लिए, आयोजना विभाग के पीपीपी सैल, राजस्थान सरकार को आर्थिक मामलात् विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मार्च, 2014 में कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सराहनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

आयोजना विभाग का पीपीपी सैल राज्य में उपलब्ध सभी राष्ट्रीय और राज्य प्रशिक्षण संस्थानों को पीपीपी पर रिसोर्स सर्पोट प्रदान कर रहा है।

व. राज्य की पीपीपी परियोजनाओं की स्थिति

सड़क, ऊर्जा, शहरी आधारभूत अवसंरचना, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय विकास हुआ है। राज्य की पीपीपी परियोजनाओं का तीन श्रेणियों में यथा पूर्ण परियोजनाओं, क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं और प्रक्रियाधीन/पाइपलाइन परियोजनाओं का 31 दिसम्बर, 2020 की स्थिति में समग्र संक्षिप्त विवरण तालिका–10.9 में दर्शाया गया है।

तालिका–10.9 31 दिसम्बर, 2020 को क्षेत्रवार संचालित सार्वजनिक–निजी सहभागिता परियोजनाओं की स्थिति

क्र.स.	सेक्टर	पूर्ण परियोजनाएं		क्रियान्वित की जा रही परियोजनाएं		प्रक्रियाधीन / विचाराधीन परियोजनाएं	
		संख्या	₹करोड़	संख्या	₹करोड़	संख्या	₹करोड़
1	सड़कें (राज्य एवं राष्ट्रीय राजमार्ग)	70	8142.29	5	597.87	10	1565.04
2	शहरी आधारभूत ढांचा*	25	455.74	10	610.97	18	13326.35
3	ऊर्जा	11	7097.90	9	1335.92	3	1635.45
4	जलापूर्ति	1	46.00	-	-	1	365.00
5	सूचना प्रौद्योगिकी	1	54.01	-	-	-	-
6	सामाजिक*	61	607.12	6	40.60	6	217.43
7	अन्य	15	160.36	1	14.06	1	1.00
योग		**184**	**16563.42**	**31**	**2599.42**	**39**	**17110.27**

*नोटः विभिन्न शहरों में जन सुविधाओं का संचालन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व सम्बद्ध उप केन्द्रों का संचालन, सी.टी. स्कैन मशीन का संचालन सी.टी. स्कैन एवं एम.आर.आई. मशीनों की स्थापना एवं संचालन, आई.वी.एफ. केन्द्रों का संचालन, हिमोडाईलिसिस का संचालन, स्वचालित ड्राइविंग ट्रेक और फुट ओवर ब्रिज को सम्बन्धित श्रेणी में एक परियोजना के रूप में दर्शाया गया है।

उपरोक्त सारांश यह दर्शाता है कि 31 दिसम्बर, 2020 तक ₹16,563.42 करोड़ रुपये के निवेश वाली 184 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है, 31 परियोजनाएं जिनकी लागत ₹2,599.42 करोड़ है, के अन्तर्गत वर्तमान में कार्य प्रगति पर है और ₹17,110.27 करोड़ लागत की अन्य 39 परियोजनाएं प्रक्रियाधीन अथवा पाइपलाइन में हैं।

*****

अध्याय

11

सतत् विकास गोल्स

- ''ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्डः द 2030 एजेण्डा फॉर सस्टेनेबल डवलपमेंट'' में 17 सतत् विकास गोल्स एवं 169 टार्गेट्स सम्मिलित है। इसे संयुक्त राष्ट्र (यू.एन.) महासभा के 25 सितम्बर, 2015 को आयोजित 70वें सत्र में 193 देशों द्वारा अंगीकार किया गया। ये 1 जनवरी, 2016 से प्रभावी हुये।
- सतत् विकास गोल्स सार्वभौमिक, अन्तर्संबंधित एवं अविभाज्य हैं तथा इसलिये सभी को साथ में लाने के लिये व्यापक एवं सहभागी दृष्टिकोण की आवश्यकता है ताकि ''कोई भी पीछे ना रहे''।
- भारत में एस.डी.जी. के लिये नीति आयोग नोडल है और एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स के दो संस्करण जारी किये है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मत्रांलय ने एस.डी.जी. की मोनिटरिंग के लिये 302 संकेतको (वर्तमान में) को सम्मिलित कर नेशनल संकेतक फ्रेमवर्क तैयार किया है।
- राजस्थान सरकार एस.डी.जी. एजेण्डा 2030 को साकार करने एवं अर्जित करने के लिये प्रतिबद्ध है तथा महत्वपूर्ण पहलें एवं प्रयास किये है।
- आयोजना विभाग नोडल विभाग है तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय में एस.डी.जी. कार्यान्वयन केन्द्र कार्य कर रहा है।
- राज्य में राज्य एवं जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं मोनिटरिंग समितियां संस्थापित की गई है।
- राज्य ने एस.डी.जी. पर जिलो के प्रदर्शन को मापने एवं जिलो के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का निर्माण करने के लिये सतत् विकास गोल्स सूचकांक 1.0 जारी किये है।

पृष्ठभूमि

सहस्त्राब्दि विकास गोल्स की सफलता को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से, संयुक्त राष्ट्र (यू.एन.) महासभा ने 25 सितम्बर, 2015 को आयोजित अपने 70वें सत्र में, **''ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्डः द 2030 एजेण्डा फॉर सस्टेनेबल डवलपमेंट''** शीर्षक वाले फ्रेमवर्क को अंगीकार किया।

यह एजेंडा लोगों, पृथ्वी एवं समृद्धि के लिए एक कार्य योजना है। यह अधिक स्वायत्ता के साथ सार्वभौमिक शांति को सशक्त करने का आह्वान करता है। यह रेखांकित करता है कि अत्यधिक गरीबी सहित गरीबी का उसके सभी रूपों एवं आयामों में उन्मूलन करना सबसे बड़ी वैश्विक चुनौती एवं सतत् विकास के लिये नितान्त आवश्यक है।

सतत् विकास के लिए एजेंडा 2030 निम्नलिखित 5 पीज् (Ps) पर केन्द्रित एक कार्य योजना है:

लोग (People) : गरीबी एवं भुखमरी का उनके सभी स्वरूपों एवं आयामों में अंत करना तथा यह सुनिश्चित करना कि सभी मनुष्य स्वस्थ वातावरण में गरिमा एवं समानता सहित अपनी क्षमताओं का निर्वहन कर सके।

पृथ्वी (Planet) : सतत् उपभोग एवं उत्पादन के द्वारा, प्राकृतिक संसाधनों का संधारणीय प्रबंधन कर एवं जलवायु परिवर्तन पर तत्काल कार्यवाही करने सहित पृथ्वी को क्षय से बचाना ताकि यह वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके।

समृद्धि (Prosperity) : यह सुनिश्चित करना कि सभी मनुष्य समृद्ध और परिपूर्ण जीवन जी सके एवं प्रकृति के साथ सामंजस्य में आर्थिक, सामाजिक और प्रौद्योगिकीय प्रगति होवे।

शांति (Peace) : भय और हिंसा से मुक्त, शांतिपूर्ण, न्यायशील और समावेशी समाजों को प्रोत्साहन देना क्योकि शांति के बिना सतत् विकास और सतत् विकास के बिना शांति नहीं हो सकती है।

साझेदारी (Partnership) : सतत् विकास के लिए सभी देशों, सभी हितधारकों और सभी लोगों को सबसे गरीब एवं सबसे कमजोर लोगों की जरूरतों पर केन्द्रित एक मजबूत वैश्विक एकजुटता की भावना पर आधारित पुनः सक्रिय वैश्विक साझेदारी के माध्यम से इस एजेण्डे को लागू करने के लिए आवश्यक साधन जुटाने की आवश्यकता है।

सभी देशों द्वारा 17 सतत् विकास गोल्स एवं 169 टार्गेटस वाले फ्रेमवर्क को स्वीकार किया गया है जो इस नए सार्वभौमिक एजेंडा के आकार एवं आकांक्षा को प्रदर्शित करता हैं। ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के आधार पर तैयार किये गये एवं वो जो अर्जित नहीं कर सके उन्हें पूरा किया जाना है। इनमें सभी के लिए मानव अधिकारों की सुलभता और सभी महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए लैंगिक समानता एवं सशक्तिकरण प्राप्त करना अर्न्तनिहित हैं। ये एक दूसरे से संबद्ध एवं अविभाज्य है तथा सतत् विकास के तीन आयामोंः आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण को समानता प्रदत्त करते हैं।

सतत् विकास गोल्स सार्वभौमिक (सभी विकसित, विकासशील और अविकसित देशों के लिए), परस्पर जुड़े हुये एवं अविभाज्य है तथा इसलिए सभी को साथ लाने में व्यापक एवं सहभागी दृष्टिकोण आवश्यक है ताकि **''कोई भी पीछे न रहे''**। सतत विकास गोल्स की अन्तःसम्बद्धता एवं एकीकृत प्रकृति इस नये एजेंडे के साकार होने को सुनिश्चित करने की दृष्टि से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। यदि हम एजेंडे की व्यापकता को हमारी आकांक्षाओ के अनुरूप साकार करते हैं तो सभी के जीवन में अत्यधिक सुधार होगा तथा हमारी दुनिया बेहतर हो जायेगी।

चित्र 11.1: एस.डी.जी. 2030 वैश्विक एजेण्डा

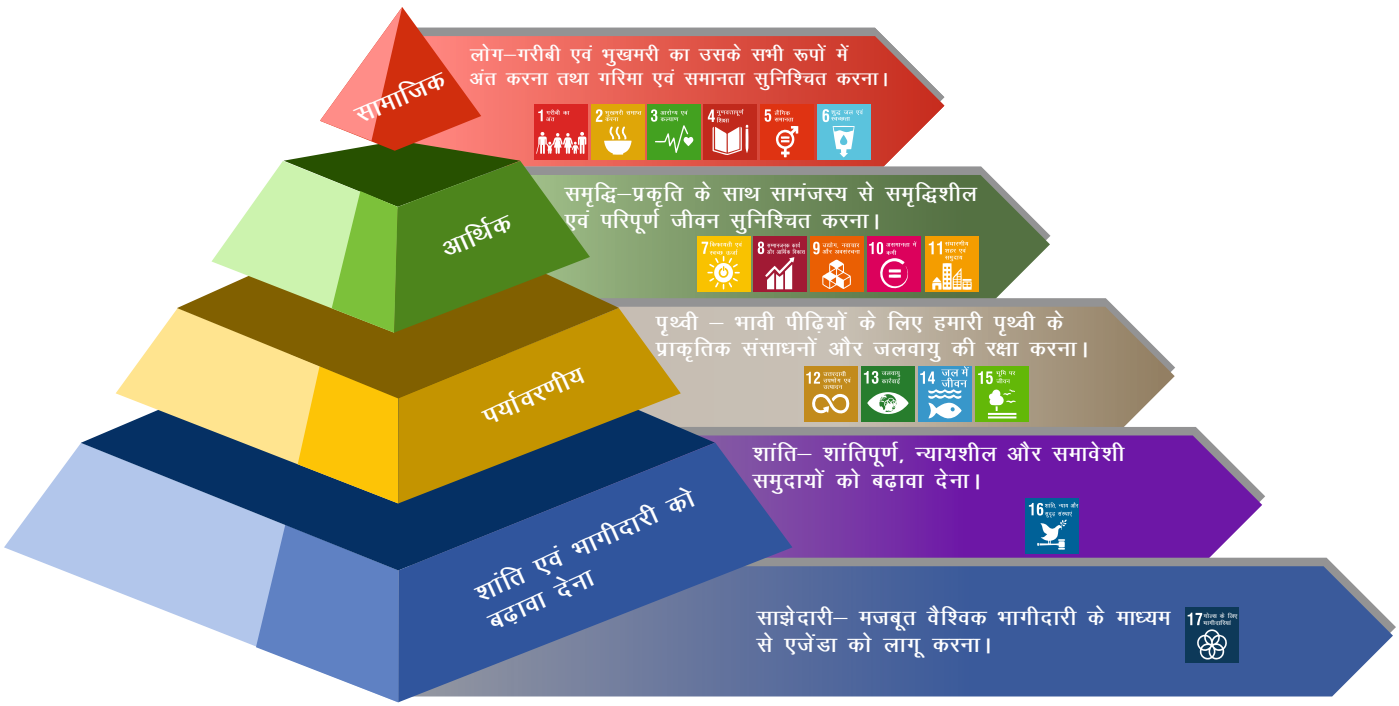

सतत् विकास के 17 गोल्स और इससे संबद्ध 169 टार्गेट्स 01 जनवरी, 2016 से प्रभावी हुए हैं। वर्तमान में, संयुक्त राष्ट्र ने एस.डी.जी. की मॉनिटरिंग के लिये 247 वैश्विक संकेतक तैयार किये है। सतत् विकास गोल्स वैधानिक रूप से बाध्यकारी नहीं हैं लेकिन वास्तव में ये अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व बन गये है तथा आगामी 15 वर्षो में देशो के घरेलू व्ययों की प्राथमिकताओं को नये सिरे से निर्धारित करने को प्रवृत्त करते है। राष्ट्रों से यह अपेक्षा की गई है कि इन्हे अपनाये और गोल्स को अर्जित करने के लिए नेशनल मोनिटरिंग फ्रेमवर्क तैयार करे। इनका कार्यान्वयन एवं सफलता देशों की अपनी संधारणीय विकास नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों पर निर्भर करेंगी।

सतत् विकास गोल्स

गोल 1: गरीबी का अंत

गरीबी एक बहु–आयामी अवधारणा है। यह न केवल आय की कमी या संसाधनों तक पहुंच की कमी के रूप में बल्कि यह शिक्षा के अवसरों में कमी, भुखमरी एवं कुपोषण, सामाजिक भेदभाव

तथा निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने की अक्षमता/कमी को भी प्रकट करती है। गरीबी का उसके सभी स्वरूपों में उन्मूलन करना मानव जाति के समक्ष सबसे बडी चुनौतियों में से एक है। यह नही भूलना चाहिये कि अत्यंत अभाव की स्थिति न केवल कल्याण एवं अवसर के बारे में है, यह सभी के लिये अस्तित्व का प्रश्न भी है। गरीबी को उसके सभी स्वरूपो में सभी जगह से समाप्त करने में राष्ट्र की प्रगति को मापने के लिए इस गोल में 7 टार्गेट्स सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क में इस गोल के लिए 21 संकेतक सम्मिलित हैं।

गोल 2: भुखमरी समाप्त करना

सतत् विकास गोल 2 का उद्देश्य वर्ष 2030 तक भुखमरी एवं कुपोषण के सभी स्वरूपो को समाप्त करना है, यह सुनिश्चित करना है कि सभी लोगो विशेषकर जो अभावों में हैं, के पास वर्ष पर्यन्त पर्याप्त पौष्टिक भोजन उपलब्ध होवें। इसके साथ इसमें आगामी 15 वर्षो में कृषि उत्पादकता को दोगुना करने ओर पर्याप्त आय का सृजन करने, जन आधारित ग्रामीण विकास को बढ़ावा तथा पर्यावरण संरक्षण का भी लक्ष्य है। सतत् कृषि को प्रोन्नत करने, छोटे किसानों को बढ़ावा देने तथा भूमि, प्रौद्योगिकी एवं बाजारों तक समान पंहुच बनाने जैसे उपाय गरीबी एवं भुखमरी के उन्मूलन हेतु केन्द्र में है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता में सुधार के लिये बुनियादी ढांचे एवं प्रौद्योगिकी में निवेश के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की भी आवश्यकता है। इस गोल में भोजन की उपलब्धता, पोषण में सुधार एवं सतत् कृषि को बढ़ावा देने के लिए 8 टार्गेट्स हैं। राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क में इस गोल के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन को मापने के लिए 19 संकेतक सूचीबद्ध किये गये हैं।

गोल 3: आरोग्य एवं कल्याण

सहस्त्राब्दि विकास गोल्स (एम.डी.जी.), जो कि बाल मृत्युदर को कम करने, मातृ स्वास्थ्य में सुधार तथा एच.आई.वी./एड्स, तपेदिक, मलेरिया एवं अन्य बीमारियों से निपटने पर केंद्रित थे को आगे बढ़ाते हुए एजेण्डा के गोल 3 में प्रजनन, मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य; संक्रामक, असंक्रामक एवं पयार्वरणीय बीमारियों; सबके लिए स्वास्थ्य कवच; तथा सुरक्षित, प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण व किफायती दवाईयों एवं टीको की सुलभता सहित सभी प्रमुख स्वास्थ्य प्राथमिकताओं का उल्लेख किया गया है। बीमारियों की घटनाएं लोगों के सम्पूर्ण आरोग्य को प्रभावित करती है, परिवारों एवं राजकीय संसाधनो पर भार बढाती है, समाजो को निर्बल बनाती है। गोल 3 का उद्देश्य बदलती दुनिया की उभरती स्वास्थ्य समस्याओं को उजागर करना है। इस गोल में सभी के स्वस्थ जीवन एवं आरोग्य में सुधार को मापने के लिये 13 टार्गेट्स है। इन टार्गेट्स की प्रगति को मापने एवं मोनिटर करने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर कुल 42 संकेतक चिह्नित किये गये है।

गोल 4: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के अवसर लोगों के जीवन में बेहतरी और सतत् विकास के आधार है। सतत् विकास गोल 4 का उद्देश्य सभी बालक और बालिकाओं द्वारा प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा को पूर्ण करना है तथा सभी तक गुणवत्तापूर्ण तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के समान अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। इसका उद्देश्य सभी को सुगम व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, लिंग एवं आर्थिक सम्पन्नता के भेद का उपशमन तथा सभी तक गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की पंहुच की प्राप्ति भी है। इस गोल में समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा जीवन पर्यन्त सीखने के अवसरों को बढ़ावा देने को मापने के लिये 10 टार्गेट्स हैं। इन टार्गेट्स की प्रगति को मोनिटर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कुल 19 संकेतकों की पहचान की गई है।

गोल 5: लैंगिक समानता

महिलाओं एवं लड़कियों के विरूद्ध होने वाले सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना न केवल एक मूलभूत मानव अधिकार है बल्कि यह समुदायों के सुरक्षित भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। महिलाओं एवं लड़कियों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सम्मानजनक कार्यो के समान अवसर तथा राजनीतिक एवं आर्थिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में समान प्रतिनिधित्व से वृहद स्तर पर अर्थव्यवस्थाओं में स्थाईत्व आयेगा और समाजों व मानवता को अधिक लाभ प्राप्त होगा। गोल 5 का उद्देश्य महिलाओं एवं लड़कियों के विरूद्ध होने वाले सभी प्रकार के भेदभाव को सर्वत्र समाप्त करना है। महिलाओं को भूमि व संपत्ति, यौन व प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रौद्योगिकी व इंटरनेट के क्षेत्र में समान अधिकार देने की आवश्यकता है। आज सार्वजनिक कार्यालयों में पहले से कहीं अधिक महिलाएं हैं, लेकिन और अधिक महिला नेत्रियों को प्रोत्साहित करना वृहत्तर लैंगिक समानता हासिल करने में सहायक होगा। लैंगिक समानता तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण की सुनिश्चितता के इस गोल को मॉनिटर करने के लिये 9 टार्गेट्स हैं। इन टार्गेट्स की प्रगति को मोनिटर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कुल 29 संकेतकों की पहचान की गई है।

गोल 6: शुद्ध जल एवं स्वच्छता

मानव जीवन में स्वच्छ जल और स्वच्छता सबसे महत्वपूर्ण है। स्वच्छ जल और स्वच्छता लोगों को न केवल बीमारियों से सुरक्षित करती है अपितु उन्हें आर्थिक रूप से और अधिक उत्पादक भी बनाती है। पानी की कमी, पानी की खराब गुणवत्ता और अपर्याप्त स्वच्छता दुनिया भर के गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा, रोजगार और शैक्षिक अवसरों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। सतत् विकास गोल 6 सभी के लिए पानी की उपलब्धता एवं स्थायी प्रबंधन और स्वच्छता सुनिश्चित करता है तथा वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य में जल एवं स्वच्छता पर अधिक ध्यान देने को प्रतिपादित करता है। एजेंडा 2030 यह प्रतिपादित करता है कि सामाजिक विकास और आर्थिक समृद्धि स्वच्छ जलाशयों एवं पारिस्थितिकी के स्थायी प्रबंधन पर निर्भर करती है। सभी के लिये जल एवं स्वच्छता की उपलब्धता और स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिये इस गोल के अन्तर्गत 8 टार्गेट्स है। इन टार्गेट्स की प्रगति को मापने और मोनिटर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कुल 16 संकेतकों की पहचान की गई है।

गोल 7: किफायती और स्वच्छ ऊर्जा

आर्थिक विकास के चक्र को गतिशीलता देने में ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका है और समाजों के विकास की प्रक्रिया में इसकी भूमिका को कम नहीं आंका जा सकता है। यह दुनिया की लगभग हर बड़ी चुनौती और अवसरों के केंद्र में है, वो चाहे व्यवसाय प्रारम्भ करना हो या खाद्य उत्पादन व आय बढ़ाना आदि है। सतत् ऊर्जा एक अवसर है जो कि जीवन, अर्थव्यवस्था और पृथ्वी को बदल सकती है। गोल 7 का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता में वृद्धि करना, नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों के अधिक उपयोग और सभी के लिए स्थायी और आधुनिक ऊर्जा को बढ़ावा देना है। इस गोल के अन्तर्गत सभी को सस्ती, निरन्तर बाधा रहित, स्थायी एवं आधुनिक ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 5 टार्गेट्स है। इन टार्गेट्स की प्रगति को मापने और मोनिटर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कुल 5 संकेतकों की पहचान की गई है।

गोल 8: सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास

सतत् विकास गोल 8 का उद्देश्य तकनीकी नवाचार के माध्यम से उच्च उत्पादकता को प्राप्त करके एवं स्थायी आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। उद्यमशीलता और रोजगार सृजन को बढावा देने के लिये, बेगार श्रम, दास–प्रथा एवं मानव तस्करी के उन्मूलन के प्रभावी उपाय करना जैसी नीतियों का संवर्द्धन करना इस गोल के केन्द्र में है। यह गोल वर्ष 2030 तक सभी महिलओं एवं पुरूषों के लिये पूर्णकालिक एवं सम्मानजनक आय मूलक रोजगार व सम्मानजनक कार्य की व्यवस्था करना, अनौपचारिक रोजगार एवं लिंग आधारित आय के भेद को कम करना तथा सकुशल व सुरक्षित काम करने के वातावरण को बढावा देने से सम्बद्ध है। इस गोल के अन्तर्गत सभी के लिए सम्मानजनक कार्य एवं समुदायों के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिये 12 टार्गेट्स है। गोल की प्रगति को मापने और निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कुल 32 संकेतकों की पहचान की गई है।

गोल 9: उद्योग, नवाचार और अवसंरचना

सतत् विकास गोल 9 का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय, स्थायी और लचीली बुनियादी ढ़ांचे का विकास करना, आर्थिक विकास एवं मानव कल्याण के सम्बल तथा सभी के लिये किफायती व सुगमता पर केन्द्रित टिकाऊ एवं लचीली अवसंरचना वाली सुविधाओं का विकास करने सहित कई टार्गेट्स के साथ समावेशी एवं स्थायी औद्योगिकीकरण को बढावा देना है। कई देशों के सतत् विकास को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आधारभूत अवसंरचनाओं जैसे परिवहन, सिंचाई, ऊर्जा आदि में निवेश करना महत्वपूर्ण है। इस गोल की प्रगति को मापने के लिये 8 टार्गेट्स है। इन टार्गेट्स की प्रगति को मापने और निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कुल 16 संकेतकों की पहचान की गई है।

गोल 10: असमानता में कमी लाना

वैश्विक स्तर पर आय एवं सम्पति में असमानता गंभीर एवं व्यापक रूप में हो रही है। सतत् विकास गोल 10 का उद्देश्य आर्थिक के साथ–साथ एक देश में उम्र, लिंग, विकलांगता, धर्म या अन्य स्थिति के आधार पर व्याप्त असमानताओं को कम करना है, साथ ही देशों के मध्य असमानताओं को भी कम करना है। असमानता न केवल प्रगति में बाधक है अपितु यह लोगों को अवसरों से भी वंचित करती है और अंततः अत्यधिक गरीबी की स्थिति की ओर अग्रसर करती है। इस गोल में मुख्यतः वित्तीय बाजारों एवं संस्थानों को विनियमित करने एवं उनकी मॉनिटरिंग करके तथा जहाँ आवश्यकता है, उन क्षेत्रो में विकास सहायता एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढावा देकर असमानता में कमी करने के लिये 10 टार्गेट्स है। इन टार्गेट्स की प्रगति को मापने और मोनिटर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कुल 9 संकेतकों की पहचान की गई है।

गोल 11: संधारणीय शहर और समुदाय

शहरों का निरन्तर विकास राष्ट्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योकि इनसे लोगों को आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्धशील होने के अवसर उपलब्ध होते हैं। शहरीकरण के परिणामस्वरूप नई नौकरियों एवं रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ है तथा गरीबी में कमी आई है। शहरी क्षेत्र में तीव्र विकास की चुनौतियों का बेहतर ससांधनों के उपयोग तथा प्रदूषण एवं गरीबी को कम करने सहित बुनियादी सेवाओं, ऊर्जा एवं आवास की सुलभ उपलब्धता के प्रावधानों के साथ में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने पर ध्यान देकर सामना किया जा सकता है। सतत् विकास गोल 11 में शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, आवश्यकता अनुकूल एवं संधारणीय् बनाने के लिए 10 टार्गेट हैं। टार्गेट्स की प्रगति को मापने और मोनिटर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कुल 15 संकेतकों की पहचान की गई है।

गोल–12: उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन

गोल 12 का उद्देश्य चिरस्थायी उपभोग और उत्पादन के तरीकों को सुनिश्चित करना है। सतत उपभोग एवं उत्पादन इस प्रकार परिभाषित है ''सेवाओं एवं संबंधित उत्पादों का उपयोग जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करे एवं जीवन बेहतर व सुगम बनाये, जंहा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग तथा हानिकारक सामग्री के साथ साथ सेवा या उत्पाद के सम्पूर्ण जीवन–चक्र के अपशिष्ट व प्रदूषकों के उत्सर्जन को कम से कम करना जिससे कि भविष्य की आवश्यकताऐं खतरे में न पडें''(ओस्लो गोष्ठी 1994)। सतत् उपभोग और उत्पादन से संबंधित गोल 12 प्राकृतिक संसाधनो के कुशल उपयोग, ऊर्जा दक्षता एवं संधारणीय बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के बारे में है। इसमें उपभोक्ताओं में जागरूकता को बढ़ावा तथा शिक्षा के माध्यम से चिरस्थायी् उपभोग एवं कचरे में कमी लाना समाहित है। गोल 12 में सतत् उपभोग एवं उत्पादन के तरीकों को मापने के लिए 11 टार्गेट्स हैं। इन टार्गेट्स की प्रगति को मापने और मोनिटर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कुल 15 संकेतकों की पहचान की गई है।

गोल–13: जलवायु कार्रवाई

गोल 13 का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही करना है। दुनिया समुद्र के बढ़ते स्तरों, मौसम की विषम परिस्थितियों और ग्रीनहाउस गैसों की बढ़ती मात्रा का सामना कर रही है जो सभी के जीवन, विशेषकर तटीय क्षेत्रों की आबादी के लिए खतरा है। बढ़ते ग्रीनहाउस गैसो के उत्सर्जन के कारण, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने हेतु अनुकूल प्रभावी योजनाओं और वित्त की उपलब्धता व क्षमताओं में वृद्धि सहित त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता है। गोल 13 जलवायु संबंधित खतरों के लिये लचीली एवं अनुकूल क्षमताओं का निर्माण करने तथा राष्ट्रीय नीतियों में इस प्रकार के उपायों को शामिल करने का उल्लेख करता है। यह न केवल शुरूआती चेतावनी पर बल्कि इसके प्रभावों में कमी करने पर भी ध्यान केन्द्रित करता है। यह इसके लिए देशो के मध्य भागीदारिता और प्रतिबद्धता की भूमिका पर बल देता है। गोल 13 में जलवायु संबंधी खतरों के बदलते प्रभावों को मापने के लिए 5 टार्गेट्स हैं। इन टार्गेट्स की प्रगति को मापने और मोनिटर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कुल 5 संकेतकों की पहचान की गई है।

गोल–14: जल में जीवन

नदियों, झीलों, समुद्रों और महासागरों के रूप में पानी पृथ्वी की सतह के 70 प्रतिशत सतह को घेरे हुये है एवं जीवन निर्वहन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महासागर और समुद्र सबसे अधिक विविध विषम पारिस्थितिक तंत्रो को उत्पन्न करते हैं, जलवायु में योगदान एवं नियत्रंण करते है, भोजन, सामग्री, पदार्थ एवं ऊर्जा सहित प्राकृतिक संसाधन प्रदान करते है तथा कार्बन संग्राहक के रूप में भी कार्य करते हैं। एजेंडा 2030 विशेष रूप से गोल 14 जलीय जीवन द्वारा सामना करने वाली कुछ चुनौतियों यथा समुद्रीय भोजन एवं पोषण प्रदूषण के खतरों, संसाधनों में कमी एवं जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की अधोगति एवं हानि, महासागरों के अम्लीकरण का उल्लेख करता है, जिन सभी का प्राथमिक कारण मानव द्वारा की गई कार्यवाही है। यह गोल फसलों एवं अत्यधिक मत्स्याखेट को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने, समुद्र एवं तटीय पारिस्थितिकी को संरक्षित करने, महासागरों के स्वास्थ्य में सुधार हेतु वैज्ञानिक जानकारी को बढावा देने तथा परम्परागत मछुआरों की समुद्रीय संसाधनो एवं बाजारों तक पहुँच बढ़ाने सहित सुधारात्मक मानवीय उपायो की पैरवी करता है। गोल 14 में जल संबंधी पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और सेवाओं को मापने के लिए 10 टार्गेट्स हैं। इन टार्गेट्स की प्रगति को मापने और मोनिटरिंग करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कुल 11 संकेतकों की पहचान की गई है।

गोल–15: भूमि पर जीवन

गोल 15 का उद्देश्य स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा, पुनःस्थापन एवं सतत् उपयोग को बढावा देना, वनों का निरन्तर प्रबंधन करना, मरूस्थलीकरण को रोकना, भूमि क्षरण को रोकना एवं पूर्व रूप में लाना और जैव विविधता की हानियों को रोकना है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें वन एवं आर्द्रभूमियों समाहित है, सभी के लिए वस्तुऐं/उत्पाद जैसे लकड़ी, निर्माण के लिये कच्चा माल तथा ऊर्जा एवं भोजन उपलब्ध कराता है। इसके अलावा, मृदा की गुणवत्ता में सुधार, पानी की गुणवत्ता में सुधार के साथ–साथ जल प्रवाह एवं भूमि कटाव का नियंत्रण सहित अनेक सेवाऐं स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा प्रदान की जाती है। गोल 15 प्रकाश डालता है कि कैसे यह तंत्र बाढ़ व भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं की जोखिमों को कम करने, कृषि प्रणालियों की उत्पादकता को बनाये रखने में योगदान देता है और जलवायु को भी नियंत्रित करता है। इसके अलावा यह स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित, पुर्नस्थापित एवं प्रोन्नत करने के लिये ठोस कार्यवाही की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है। इस गोल में पारिस्थितिकी तंत्रो की सेहत में परिवर्तन और स्थिति को मापने के लिए 12 टार्गेट्स हैं। इस गोल की प्रगति को मोनिटर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 16 संकेतकों की पहचान की गई है।

गोल–16: शांति, न्याय और सुदृढ संस्थाएं

गोल 16 सतत् विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देने, सभी को न्याय के लिए सुगम पहुंच प्रदान करना और सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह और समावेशी संस्थानों का निर्माण के लिए प्रयास करना है। हिंसा और सशस्त्र संघर्ष विकास, उन्नति और समाज के कल्याण के लिए सबसे महत्वपूर्ण और विनाशकारी चुनौती है। वर्ष 2030 का वैश्विक सतत् विकास एजेंडा पारदर्शी व प्रभावी स्थानीय शासन एवं न्यायिक तंत्र को बढ़ावा, अपराध और यौन व लैंगिक हिंसाओ को कम करने, मानव हत्या एवं तस्करी के मामलो से निपटने तथा बाल अधिकारों के हनन को भी समाप्त करने पर जोर देता है। यह सभी स्तरों यथा व्यक्तिगत, रिश्तों, समुदायों और सामाजिक स्तर पर हिंसा की चुनौतियों से निपटने पर बल देता है। गोल 16 में शांतिपूर्ण एवं न्याय मूलक समाज की रचना सुनिश्चित करने के लिये 12 टार्गेट्स है। इन टार्गेट्स की प्रगति को मापने और मोनिटर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कुल 19 संकेतकों की पहचान की गई है।

गोल–17: गोल्स के लिए भागिदारियां

सतत् विकास गोल 17 सतत् विकास हेतु वैश्विक भागीदारी को क्रियान्वित करने एवं पुनर्जीवित करने के साधनों को मजबूत करने के लिए समर्पित है। सतत् विकास को प्राप्त करने के लिए विभिन्न हितधारकों जैसे सरकार, समाजों आदि के बीच साझेदारी आवश्यक है। गोल 17 में वैश्विक भागीदारी के कार्यान्वयन एवं पुनर्जीवित करने के साधनों को सुदृढ करने के लिए 19 टार्गेट्स हैं। टार्गेट्स की प्रगति का पता लगाने के लिए कुल 13 राष्ट्रीय संकेतकों की पहचान की गई है।

सतत् विकास गोल्स के प्रति भारत की प्रतिबद्धता

भारत पृथ्वी की कुल मानव जाति के छठे भाग का घर है जो देश को पृथ्वी एवं इसके लोगों की समृद्धि एवं स्थिरता सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भागीदार बनाता है। भारत पृथ्वी एवं इसके सभी जीवों के सुखद भविष्य की दिशा में कार्य करने की अपनी भूमिका एवं उतरदायित्व से भलीभांति परिचित है। भारत अपने सामाजिक–आर्थिक–पर्यावरणीय संकतको में सुधार करके सतत् विकास गोल्स को अर्जित करने एवं देश को आगे ले जाने के लिये प्रतिबद्ध है। सतत् विकास गोल्स के लिये शासन के विभिन्न स्तरों पर निरन्तर एक बहु–स्तरीय रणनीति और कार्रवाईयों में अन्तः सम्बद्धता की आवश्यकता है।

सतत विकास गोल्स की समन्वित एवं अन्तःनिर्भरता की प्रकृति सरकारो को राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय प्राथमिकताओं का निर्धारण करने, अर्जित करने योग्य गोल्स एवं टार्गेट्स के निर्धारण करने एवं तदनुसार विकास कार्यवाही करने के लिये समग्र फ्रेमवर्क प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्तर पर समान विचारों एवं समन्वय से मॉनिटरिंग प्रणाली एवं सूचना तंत्र विकसित करने पर बल दिया गया है। नीति आयोग तथा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा अन्य सम्बद्ध मंत्रालयों के समर्थन से इस प्रक्रिया की पहल की गई है।

नीति आयोग देश में सतत् विकास गोल्स के क्रियान्वयन की देखरेख कर रहा है। नीति आयोग एजेंडा 2030 को चलाने के इस प्रयास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, जिसमे सहभागिता एवं प्रतिस्पर्धा की भावना है। यह केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्यों एवं केन्द्र शासित क्षेत्रों तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र एजेन्सियों, बुद्धिजीवियों (थिंक टैंक) एवं सिविल सोसायटी संगठनों के साथ मिलकर सतत् विकास गोल्स को अपनाने, क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिये कार्य कर रहा हैं।

नीति आयोग का कार्य न केवल सामयिक रूप से डेटा एकत्रित करना है वरन् गोल्स एवं टार्गेट्स को अर्जित करने के लिये केवल मात्रात्मक रूप में ही नही बल्कि गुणवत्ता के उच्च मानक भी बनाये रखने हेतु सक्रिय रूप से कार्य करना है।

नीति आयोग को शीर्ष समन्वयक एजेंसी के रूप में चिह्नित किया गया है व इसने निम्नलिखित नये प्रयास किये है–

- केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं (सीएसएस), संबंधित कार्यक्रमों की सतत विकास गोल्स एवं टार्गेट्स के साथ मैंपिग तथा प्रत्येक टार्गेट्स के लिए मुख्य एवं अन्य सम्बद्ध मंत्रालय की पहचान की गई।
- सतत विकास गोल्स इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट के आधार पर सभी राज्यों एंव केन्द्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग करना।

एस.डी.जी. इण्डिया इण्डेक्स

नीति आयोग सभी राज्यो एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को गोल्स के बारे में एक–दूसरे से सीखने के अवसरों के सृजन सहित एक साझा समझ बनाने हेतु एक साथ ला रहा है। 17 गोल्स में से प्रत्येक के अन्तर्गत वास्तविक परिणामों की प्रगति के निरंतर मापन के बिना सतत् विकास गोल्स का क्रियान्वयन अपूर्ण है। सतत् विकास गोल्स की प्रगति को मापने तथा राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के मध्य प्रतिस्पर्धा को विकसित करने के उद्देश्य से नीति आयोग द्वारा एस.डी.जी. इंडिया इण्डेक्स के दो संस्करण जारी किये गये हैं। ये सूचकांक राज्य सरकारों को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेरित करने के लिए एक तात्कालिक माध्यम है। यह सूचकांक, एसडीजी और टार्गेट्स पर उपलब्धियों के आधार पर राज्यों को रैंक देते है जो कि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक सुशासन की भावना को प्रबल बनाता है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स के परिणामों के आधार पर, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों यथा अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेंट में वर्गीकृत किया गया है, जहां अचीवर श्रेणी उच्चतम रैंक एवं एस्पिरेंट श्रेणी निम्नतम रैंक का प्रतिनिधित्व करती है।

एस.डी.जी. इण्डिया इण्डेक्स 1.0: एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स 1.0 इंडेक्स का पहला संस्करण अर्थात एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स बेसलाईन रिपोर्ट, 2018 (एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स 1.0) दिसम्बर, 2018 में जारी किया गया था। यह सूचकांक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को 13 गोल्स (गोल 12, 13, 14 एवं 17 को छोड़कर, मुख्यतः समंकों के अभाव के कारण) के 62 संकेतकों के समूह पर मापता है। इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान को एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स 1.0 में समग्र स्कोर 59 के साथ परफॉर्मर श्रेणी में रखा गया है। अखिल भारतीय समग्र स्कोर 57 रहा था।

एस.डी.जी. इण्डिया इण्डेक्स 2.0: यह इंडेक्स का दूसरा संस्करण है जो इसके पहले संस्करण के आधार पर बना है। यह दिसम्बर, 2019 में जारी किया गया था। सूचकांक का निर्माण 100 संकेतकों का उपयोग करके किया गया है जो 16 गोल्स (गोल 17 को छोड़कर, एस.डी.जी. 17 के राष्ट्रीय संकेतको के डेटा उपलब्ध नहीं होने के कारण) के 54 टार्गेट्स को कवर करते हैं। इसमें 100 में से 68 संकेतक सीधे नेशनल इण्डिकेटर फ्रेमवर्क (एन.आई.एफ.) से लिये गये हैं, 20 एन. आई.एफ. संकेतकों को सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में समंको की उपलब्धता के आधार संशोधित या परिष्कृत किया गया है। इसके अलावा, 12 संकेतक ऐसे है जो कि एन.आई. एफ. का हिस्सा नहीं हैं, उन्हें संबद्ध मंत्रालयों के साथ परामर्श कर शामिल किया गया है। एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स 2.0 में एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स के पहले संस्करण के आधार पर ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों यानी अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेंट श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान को एस.डी. जी. इंडिया इंडेक्स 2.0 में समग्र सूचकांक स्कोर 57 के साथ परफॉर्मर श्रेणी में रखा गया है। अखिल भारतीय समग्र स्कोर 60 रहा है। एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स 2.0 में भारत एवं राजस्थान के प्रदर्शन को चित्र 11.2 एवं तालिका 11.1 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 11.1: गोलवार भारत एवं राजस्थान का सूचकांक स्कोर

गोल	भारत का सूचकांक स्कोर	भारत की सूचकांक श्रेणी	राजस्थान सूचकांक स्कोर	राजस्थान की सूचकांक श्रेणी
1. गरीबी का अंत	50	परफॉर्मर	56	परफॉर्मर
2. भुखमरी को समाप्त करना	35	एस्पिरेंट	35	एस्पिरेंट
3. आरोग्य एवं कल्याण	61	परफॉर्मर	58	परफॉर्मर
4. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा	58	परफॉर्मर	51	परफॉर्मर
5. लैंगिक समानता	42	एस्पिरेंट	39	एस्पिरेंट
6. शुद्ध जल एवं स्वच्छता	88	फ्रंटरनर	76	फ्रंटरनर

गोल	भारत का सूचकांक स्कोर	भारत की सूचकांक श्रेणी	राजस्थान सूचकांक स्कोर	राजस्थान की सूचकांक श्रेणी
7. किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा	70	फ्रंटरनर	61	परफॉर्मर
8. सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास	64	परफॉर्मर	65	फ्रंटरनर
9. उद्योग, नवाचार और अवसंरचना	65	फ्रंटरनर	38	एस्पिरेंट
10. असमानता में कमी लाना	64	परफॉर्मर	70	फ्रंटरनर
11. संधारणीय शहर और समुदाय	53	परफॉर्मर	61	परफॉर्मर
12. उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन	55	परफॉर्मर	30	एस्पिरेंट
13. जलवायु कार्रवाई	60	परफॉर्मर	60	परफॉर्मर
15. भूमि पर जीवन	66	फ्रंटरनर	75	फ्रंटरनर
16. शांति, न्याय और सुदृढ़ संस्थाएं	72	फ्रंटरनर	76	फ्रंटरनर
समग्र स्कोर	60	परफॉर्मर	57	परफॉर्मर

गोल 17 के लिये एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स की गणना नही की गई है।

एस.डी.आई. स्कोर 0–49	एस्पिरेंट
एस.डी.आई. स्कोर 50–64	परफॉर्मर
एस.डी.आई. स्कोर 65–99	फ्रंटरनर
एस.डी.आई. स्कोर 100	अचीवर

चित्र 11.2: एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2.0 पर प्रदर्शन

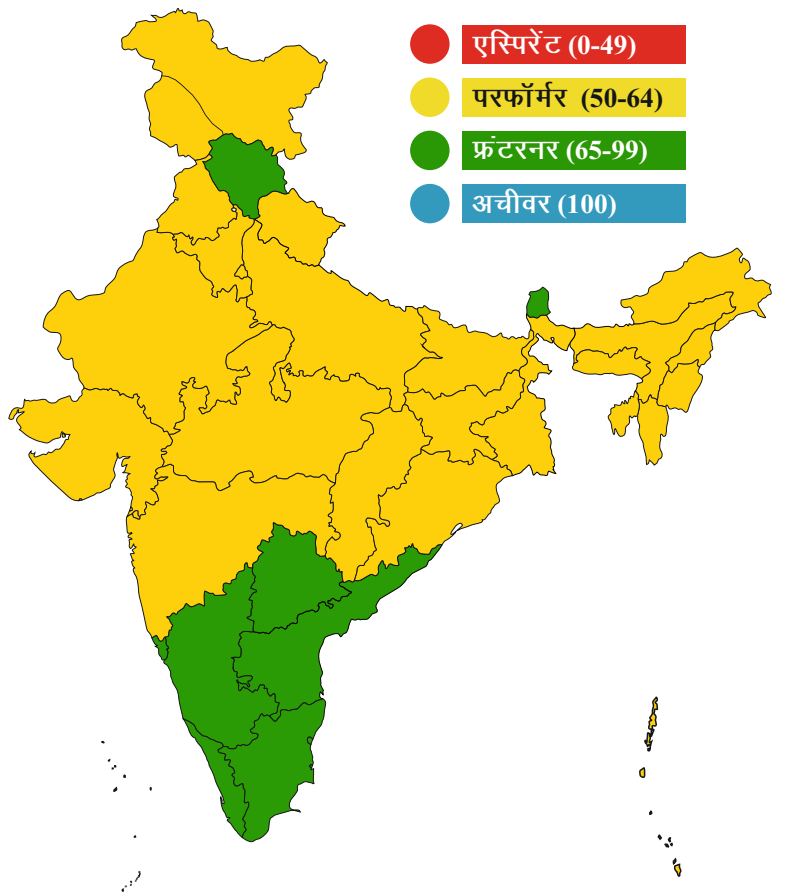

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई है, जो सतत विकास गोल्स एवं इससे संबंद्ध टार्गेट्स की प्रगति की मॉनिटरिंग करने में सहायक होगा। राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (एन.आई.एफ.) के सांख्यिकीय संकेतक राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर एस.डी.जी. की मॉनिटरिंग करने के आधार स्तम्भ होगें तथा विभिन्न एस.डी.जी. के अन्तर्गत गोल्स को अर्जित करने में नीतियों के परिणामों को वैज्ञानिक रूप से मापेगें। इसी अनुरूप सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 302 संकेतकों वाला राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क तैयार किया है और संयुक्त राष्ट्र, इंडिया इकाई के सहयोग से राष्ट्रीय एस.डी.जी. डैशबोर्ड भी तैयार किया गया है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय वैश्विक स्तर पर एस.डी.जी. के संकेतक फ्रेमवर्क की मंत्रणाओं में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। मंत्रालय द्वारा प्रकाशित/जारी किये गये कुछ प्रकाशन/प्रतिवेदन इस प्रकार हैः–

- एस.डी.जी. नेशनल इंडीकेटर्स फ्रेमवर्क बेसलाईन रिपोर्ट, 2015–16
- सस्टेनेबल डवलपमेंट गोल्स (एस.डी.जी.)– नेशनल इंडीकेटर्स फ्रेमवर्क, प्रोग्रेस रिपोर्ट, 2020 (वर्जन 2.1)
- सस्टेनेबल डवलपमेंट गोल्स (एस.डी.जी.)– नेशनल इंडीकेटर्स फ्रेमवर्क, प्रोग्रेस रिपोर्ट (वर्जन 2.0)

राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (एन.आई.एफ.)

राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (एन.आई.एफ.) राष्ट्रीय स्तर पर सतत् विकास गोल्स की प्रगति की मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग का एक फ्रेमवर्क है। वर्तमान में, सतत् विकास गोल्स की मॉनिटरिंग के लिये 302 संकेतकों वाले एन.आई.एफ. का द्वितीय संस्करण प्रभावी है। एन.आई.एफ. के प्रथम संस्करण में 306 संकेतक सम्मिलित थे। ये संकेतक न केवल सतत् विकास गोल्स की मॉनिटरिंग में मदद करते हैं बल्कि नीति निर्माताओं एवं कार्यकारी एजेंसियों को नीति/दिशा–निर्देशों के निर्माण तथा विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यपालकों को उपयुक्त निर्देश जारी करने में भी सहायता करते है। यह एक परिवर्तनशील फ्रेमवर्क है जिसे आवयश्कतानुसार, परिवर्तित परिदृश्य एवं उपलब्धियों के स्तरों के अनुरूप संशोधित किया जा सकता है। गोलवार संबंद्ध टार्गेट्स, वैश्विक एवं राष्ट्रीय संकेतको की संख्या का विवरण तालिका संख्या 11.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 11.2: एस.डी.जी. टार्गेट्स, वैश्विक एवं राष्ट्रीय संकेतको की संख्या

गोल का विवरण	टार्गेट्स की संख्या	वैश्विक संकेतको की संख्या	राष्ट्रीय संकेतको की संख्या
गोल 1: गरीबी का अंत	7	12	21
गोल 2: भुखमरी को समाप्त करना	8	14	19
गोल 3: आरोग्य एवं कल्याण	13	26	42
गोल 4: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा	10	11	19
गोल 5: लैंगिक समानता	9	14	29
गोल 6: शुद्ध जल एवं स्वच्छता	8	17	16
गोल 7: किफायती और स्वच्छ ऊर्जा	5	6	5
गोल 8: सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास	12	17	32
गोल 9: उद्योग, नवाचार और अवसंरचना	8	12	16
गोल 10: असमानता में कमी	10	11	9
गोल 11: संधारणीय शहर और समुदाय	10	15	15
गोल 12: उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन	11	13	15
गोल 13: जलवायु कार्रवाई	5	7	5
गोल 14: जल में जीवन	10	10	11
गोल 15: भूमि पर जीवन	12	14	16
गोल 16: शांति, न्याय और सुदृढ़ संस्थाए	12	23	19
गोल 17: गोल्स के लिए भागीदारियां	19	25	13
कुल	**169**	**247**	**302**

सतत् विकास गोल्स के प्रति राजस्थान की प्रतिबद्धता

राजस्थान सरकार राज्य के समग्र विकास के लिए पूर्णरूप से प्रतिबद्ध है। **''कोई भी पीछे ना रहे''** के उद्देश्य से एस.डी.जी. एजेंडा 2030 को साकार करने के अपने प्रयासो में राजस्थान सरकार ने महत्वपूर्ण पहलें की है। इसमें कुशल कार्यान्वयन व एस.डी.जी टार्गेट्स के साथ संबद्ध योजनाओं की मैपिंग, योजनागत आवंटन के साथ एस.डी.जी को जोड़ना, संगठित क्षमता निर्माण एवं प्रभावी प्रतिपालन के प्रयास सम्मिलित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश में सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए सतत् विकास गोल्स को प्रभावी रूप से लागू करने एवं इन्हें अर्जित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। राजस्थान द्वारा की गई कुछ पहलें इस प्रकार हैं :

संस्थागत व्यवस्था

- राज्य में सतत् विकास गोल्स के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आयोजना विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है।
- संकेतकों तथा प्रगति की सामयिक समीक्षा हेतु समंको का संकलन के लिए आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय (डी.ई.एस.) में एस.डी.जी. कार्यान्वयन केन्द्र/प्रकोष्ठ कार्यरत है।
- मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं मोनिटरिंग समिति संस्थापित है।
- इस राज्य स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर सतत् विकास गोल्स के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 8 सेक्टॉरल वर्किंग ग्रुप्स का गठन किया गया है। सेक्टॉरल वर्किंग ग्रुप्स और उनसे संबंधित गोल्स तालिका 11.3 में दर्शाये गये है।
- धरातल पर बेहतर कार्य योजना एवं एस.डी.जी. के क्रियान्वयन के स्थानीयकरण को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार द्वारा संबंधित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय एस.डी.जी. क्रियान्वयन और मोनिटरिंग समिति का गठन किया गया है। सभी 33 जिलों ने उक्त जिला स्तरीय समिति का गठन कर दिया है तथा इसकी प्रथम बैठक संबद्ध विभागो के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ आयोजित की जा चुकी है।

तालिका संख्या–11.3 सेक्टॉरल वर्किंग ग्रुप्स एवं उनसे संबंधित गोल्स

ग्रुप का नाम	संबंधित गोल
ग्रुप–1: गरीबी उन्मूलन एवं खाद्य सुरक्षा	1, 2 एवं 12
ग्रुप–2: स्वास्थ्य देखभाल, जल एवं स्वच्छता	3 एवं 6
ग्रुप–3: शिक्षा	4 एवं 5
ग्रुप–4: विकास, रोजगार, औद्योगिकीकरण एवं आधारभूत संरचना	7, 8, 9 एवं 11
ग्रुप–5: सामाजिक सुरक्षा एवं अधिकारिता	5 एवं 10
ग्रुप–6: जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी तंत्र का सतत् उपयोग	13 एवं 15
ग्रुप–7: शांति एवं न्याय, भागीदारी को बढ़ावा देना	16 एवं 17
ग्रुप–8: आधारभूत संरचना	6, 7, 9 एवं 11

मोनिटरिंग फ्रेमवर्क का विकास

- राज्य में सतत् विकास गोल्स की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने के लिए विभिन्न विभागों में नोडल एवं फोकल प्वॉइन्ट अधिकारी मनोनीत किए गए है।
- राज्य द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं (सी.एस.एस.) एवं राज्य सरकार की योजनाओं/ कार्यक्रमों/नवाचारों के साथ गोल्स एवं संबद्ध टार्गेट्स की मैंपिग का कार्य पहले ही किया जा चुका है।
- वित्त (बजट यूनिट) विभाग के बजट परिपत्र दिनांक 5 सितंबर, 2019 की अनुपालना में सभी विभागीय योजनाओं के बजट को सतत विकास गोल्स/टार्गेट्स के साथ मैप किया जा चुका है।

प्रकाशन एवं प्रतिवेदन

- राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क के क्रम में आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा **'राजस्थान एस.डी.जी. स्टेट्स रिपोर्ट–2020'** माह जनवरी, 2020 में जारी की गई। इस रिपोर्ट में एन.आई.एफ. के कुल 215 संकेतक सम्मिलित किये गये है तथा इसमें नीति आयोग द्वारा चिह्नित 158 योजना से सम्बद्ध संकेतक भी सम्मिलित किये गये है।

- प्रभावी किये गये नवाचारों में एस.डी.जी. पुस्तिका (हिन्दी में) का प्रकाशन सम्मिलित है जो सतत् विकास गोल्स तथा इनसे संबंधित केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के बारे में सामान्य जानकारी उपलब्ध करवाती है।
- हितधारको में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु एस.डी.जी. ब्रोशर/लीफलेट भी जारी किया गया है।
- एक अनुकरणीय गतिविधि के रूप में, जयपुर जिले की गोविन्दगढ़ पंचायत समिति का ब्लॉक लेवल एस.डी.जी. इण्डेक्स तैयार कर जारी किया गया, जिसमें गोविन्दगढ़ पंचायत समिति की 45 ग्राम पंचायतें शामिल है। यह इण्डेक्स ग्राम पंचायत स्तरीय 24 संकेतकों पर बनाया गया है, यह गोविन्दगढ़ पंचायत समिति की स्थानीय स्थिति को प्रदर्शित करता है।
- सतत् विकास गोल्स पर जिलों के प्रदर्शन को मापने के लिये राजस्थान सतत् विकास लक्ष्य सूचकांक 1.0 जारी किया गया है।

राजस्थान सतत् विकास गोल्स सूचकांक

राजस्थान एस.डी.जी. सूचकांक का उद्देश्य सतत् विकास गोल्स पर जिलों के प्रदर्शन को मापना है। इसके अतिरिक्त, एस.डी.जी. इंडेक्स, कौनसे गोल को अर्जित कर लिया गया तथा कहां और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है, को समझने के लिये गोलवार संकेतक स्तरीय स्कोर भी उपलब्ध करता है। राजस्थान राज्य के सतत् विकास गोल्स सूचकांक को तैयार करने में नीति आयोग के सतत् विकास गोल्स सूचकांक 1.0 में उपयोग में लिए गये 62 संकेतको के समूह में से संकेतको का चयन कर सूचकांक 1.0 की ही गणनाविधि को उपयोग में लिया गया है। इस एस.डी.जी. सूचकांक को तैयार करने में कुल 12 गोल्स के 31 संकेतकों का उपयोग किया गया है। सूचकांक को तैयार करने के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्त्रोतों के समंकों का उपयोग किया गया है। राजस्थान के प्रत्येक जिले के लिये गोलवार स्कोर तैयार करने के लिये इन समंको का संकलन किया गया है, तत्पश्चात् इनका उपयोग जिले के लिए समग्र विकास गोल सूचकांक तैयार करने में किया गया है। प्रत्येक गोल के लिए, एस.डी.जी. स्कोर की रेंज/सीमा 0 से 100 के बीच है, जहां 0 ग्रुप में सबसे खराब है और 100 यह दर्शाता है कि उस गोल के सभी टार्गेट्स/सभी गोल्स को अर्जित कर लिया गया है। परिणाम दर्शाता है कि इंडेक्स में शीर्ष 2 जिले झुंझुनू (स्कोर–69.66) व जयपुर (स्कोर–69.36) है जबकि सबसे निचले पायदान के 2 जिलें बारां (स्कोर–52.19) एवं जैसलमेर (स्कोर–51.57) रहे है। इस सूचकांक में राजस्थान का समग्र स्कोर 56.53 रहा है। राजस्थान सूचकांक 2.0 का कार्य प्रगति पर है।

सतत् विकास गोल्स पर कोविड–19 का प्रभाव

वैश्विक स्तर पर कोविड–19 महामारी के कारण अभूतपूर्व स्वास्थ्य, आर्थिक एवं सामाजिक संकट ने जीवन एवं आजीविका पर खतरा उत्पन्न कर दिया है। कई देशों में स्वास्थ्य प्रणालियां व्यापक रूप से चरमरा गयी है। विश्व के आधे कामगारों की अजीविका बुरी तरह से प्रभावित हुई है। हाल ही के वर्षो में अर्जित थोडी बहुत प्रगति मिट गयी है, 1.6 बिलियन से अधिक छात्र स्कूल जाने से वंचित (ड्रॉपआउट) हो गये हैं तथा दसों मिलियन लोग वापस अत्यधिक गरीबी और भुखमरी की स्थिति में लौट गये हैं। कोविड–19 ने केवल जीवन के स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक पहलुओं पर ही प्रतिकूल प्रभाव नही डाला है बल्कि कई चीजों में सकारात्मक बदलाव भी आये हैं, जैसे स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ हुई है, कार्य संस्कृति में बदलाव आया है तथा घर से काम करने की प्रवृति व्यापक रूप से लागू की गई है। इस महामारी काल में सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं के उपयोग में वृद्धि हुई है।

आज के परिदृश्य में एस.डी.जी. न केवल कोविड–19 महामारी पर विजय पाने के लिये बल्कि जलवायु परिवर्तन, गरीबी एवं असमानता को समूल रूप से मिटाने, महिलाओं एवं लड़कियों को यथार्थ रूप से सशक्त बनाने तथा सभी जगह और अधिक समावेशी एवं न्यायसंगत समाज का निर्माण करने आदि में जीत हासिल करने के लिए आकांक्षाओं, गतिशीलता, नेतृत्वशीलता एवं सामूहिक कार्यवाही की मांग करता है। ''कोई पीछे ना रहे'' के लिये हमारे प्रयासों को सुदृढ एवं संयोजित करने तथा एक बेहतर जीवनयापन योग्य संसार का निर्माण करने के लिये क्रांतिकारी प्रयासों की आवश्यकता है इसके लिये आज वैश्विक सहयोग एवं एकजुटता बाध्यकारी है।

राजस्थान सरकार ने कोविड–19 वैश्विक माहामारी के विरूद्ध लड़ने एवं कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए वर्तमान स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ कर अनेक रणनीतिक पहलें एवं नवाचार लागु किये है। लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार ने राज्य में आने वाले प्रवासियों के लिए आजीविका के अनेक अवसरो का सृजन भी किया है।

*****

आर्थिक समीक्षा

2020-21

साँख्यिकीय परिशिष्ठ

साँख्यिकीय परिशिष्ठ

परिशिष्ठ	पृष्ठ	विषय
1	प 1	महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक
2	प 3	सकल/शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय
3	प 4	प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन
4	प 5	प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन का क्षेत्रवार अंशदान
5	प 6	प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर क्षेत्रवार सकल राज्य मूल्य वर्धन की वृद्धि दर
6	प 7	स्थिर (2011–12) बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन
7	प 8	स्थिर (2011–12) बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन का क्षेत्रवार अंशदान
8	प 9	स्थिर (2011–12) बुनियादी मूल्यों पर क्षेत्रवार सकल राज्य मूल्य वर्धन की वृद्धि दर
9	प 10	प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर शुद्ध राज्य मूल्य वर्धन
10	प 11	स्थिर (2011–12) बुनियादी मूल्यों पर शुद्ध राज्य मूल्य वर्धन
11	प 12	सकल स्थाई पूँजी निर्माण
12	प 13	बजट–अधिशेष (+)/घाटा (–)
13	प 14	बजट (प्राप्तियां)
14	प 16	बजट (व्यय)
15	प 18	योजनावार व्यय
15 अ.	प 20	कार्यक्रमवार बजट व्यय
16	प 21	राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक
17	प 22	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
18	प 23	संगठित क्षेत्र में रोजगार
19	प 24	कृषि उत्पादन सूचकांक
20	प 26	फसलवार उत्पादन
21	प 28	फसलवार क्षेत्रफल
22	प 30	स्रोतवार सकल सिंचित क्षेत्रफल
23	प 31	स्रोतवार शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल
24	प 32	ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता
25	प 33	राज्य में सड़कों की लम्बाई
26	प 34	राज्य में पंजीकृत वाहन
27	प 36	स्वास्थ्य सूचक
28	प 38	राज्य में साक्षरता दर
29	प 39	जिलेवार जनसांख्यिकीय जनगणना 2011
30	प 41	राजस्थान में अकाल/अभाव की स्थिति से हुई क्षति
31	प 42	राज्यवार महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक

1. महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक

सूचक	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	2	3	4	5	6	7
सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों पर	₹ करोड़	434837	493551	551031	615642	681482
सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर (2011–12) कीमतों पर	₹ करोड़	434837	454564	486230	521509	563340
शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों पर	₹ करोड़	395331	446382	494236	551517	610713
शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर (2011–12)कीमतों पर	₹ करोड़	395331	409802	434292	465408	501922
प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर	₹	57192	63658	69480	76429	83426
प्रति व्यक्ति आय स्थिर (2011–12) कीमतों पर	₹	57192	58441	61053	64496	68565
सकल स्थाई पूंजी निर्माण ⊖	₹ करोड़	147946	161156	194011	200210	203488
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (2011–12=100)		147.66⊕⊕	108.92	115.89	117.98	119.25
कृषि उत्पादन सूचकांक ** (2005-06 से 2007-08)=100		153.49	147.50	156.16	143.34	145.62
कुल खाद्यान्न उत्पादन **	000 मै.टन	21925	20060	20719	19643	18288
थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1999–2000=100)		222.67	253.21	259.88	267.97	273.55
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ◇						
(i) जयपुर (आधार वर्ष 2001=100)		192	214	230	238	245
(ii) अजमेर (आधार वर्ष 2001=100)		191	215	233	240	248
(iii) भीलवाड़ा (आधार वर्ष 2001=100)		192	215	236	245	259
राजकीय स्वास्थ्य संस्थाऐं (आधुनिक चिकित्सा)	संख्या	13867	15212	17538	17553	17550
स्कूल शिक्षण संस्थाऐं	संख्या	114371	114299	120174	133400	135338

◇कलेण्डर वर्ष से संबंधित

⊕⊕ आधार वर्ष 2004–05=100 कलेण्डर वर्ष से संबधित

⊖ प्रावधानिक

** कृषि वर्ष से संबंधित है

लगातार...

1. महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक

सूचक	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	2	8	9	10	11	12
सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों पर	₹ करोड़	760587	828661	921789*	998999#	957912$
सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर (2011–12) कीमतो पर	₹ करोड़	596746	624831	655713*	688714#	643222$
शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों पर	₹ करोड़	682626	744622	829068*	899143#	862633$
शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर (2011–12) कीमतों पर	₹ करोड़	529650	554429	580594*	610292#	570143$
प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर	₹	91924	98188	107890*	115492#	109386$
प्रति व्यक्ति आय स्थिर (2011–12) कीमतों पर	₹	71324	73109	75555*	78390#	72297$
सकल स्थाई पूंजी निर्माण ϴ	₹ करोड़	211986	236610	264622	271696	उ.न.
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (2011–12=100)		122.11	133.08	140.37	126.90	115.67##
कृषि उत्पादन सूचकांक (2005–06) से (2007–08)=100		175.12	170.17	183.08	201.69	उ.न.
कुल खाद्यान्न उत्पादन **	000 मै.टन	23140	22105	23160	26581	उ.न.
थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1999–2000=100)		287.24	292.34	301.74	316.00	334.19~~
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ◇						
(i) जयपुर (आधार वर्ष 2001=100)		257	268	282	313	325^^
(ii) अजमेर (आधार वर्ष 2001=100)		256	260	272	292	300^^
(iii) भीलवाड़ा (आधार वर्ष 2001=100)		269	274	278	296	307^^
राजकीय स्वास्थ्य संस्थाऐं (आधुनिक चिकित्सा)	संख्या	17556	17564	17536	17536	17765Ø
स्कूल शिक्षण संस्थाऐं	संख्या	134077	98160	83742	84664	84885

राज्य घरेलू उत्पाद समंक 2011–12 श्रृंखला पर आधारित
* संशोधित अनुमान-II
\# संशोधित अनुमान-I
उ.न. उपलब्ध नहीं
$ अग्रिम अनुमान
** कृषि वर्ष से संबंधित है
~~दिसम्बर 2020 तक
ϴ प्रावधानिक
^^जनवरी से अगस्त 2020 तक
अप्रैल से दिसम्बर 2020 तक (प्रावधानिक)
Ø दिसम्बर, 2020 तक
◇कलेण्डर वर्ष से संबंधित, माह सितम्बर, 2020 से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का नवीन आधार वर्ष 2016=100 जारी हुआ है, जिसकी सूचना अध्याय 01 में स्थित है।

2. सकल/शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय

वर्ष	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹करोड़)		शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (₹करोड़)		प्रति व्यक्ति आय (₹)	
	प्रचलित	स्थिर	प्रचलित	स्थिर	प्रचलित	स्थिर
1	2	3	4	5	6	7
2004-05	127746	127746	112636	112636	18565	18565
2005-06	142236	136285	125333	120202	20275	19445
2006-07	171043	152189	151428	134350	24055	21342
2007-08	194822	160017	172250	140471	26882	21922
2008-09	230949	174556	203939	152284	31279	23356
2009-10	265825	186245	233767	161159	35254	24304
2010-11	338348	213079	300907	185366	44644	27502
2011-12	434837	434837	395331	395331	57192	57192
2012-13	493551	454564	446382	409802	63658	58441
2013-14	551031	486230	494236	434292	69480	61053
2014-15	615642	521509	551517	465408	76429	64496
2015-16	681482	563340	610713	501922	83426	68565
2016-17	760587	596746	682626	529650	91924	71324
2017-18	828661	624831	744622	554429	98188	73109
2018-19 *	921789	655713	829068	580594	107890	75555
2019-20#	998999	688714	899143	610292	115492	78390
2020-21$	957912	643222	862633	570143	109386	72297

पूर्णांकन के कारण योग मिलान नहीं है।
*संशोधित अनुमान–II
#संशोधित अनुमान-I
$अग्रिम अनुमान
राज्य घरेलू उत्पाद समंक 2004–05 से 2010–11, 2004–05 श्रृंखला पर आधारित
राज्य घरेलू उत्पाद समंक 2011–12 से 2020–21, 2011–12 श्रृंखला पर आधारित

3. प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन

(₹करोड़)

क्षेत्र	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19*	2019-20#	2020-21$
1	2	3	4	5	6	7
1. फसलें	82053	101561	92423	102342	120611	129469
2. पशुपालन	63514	75621	89678	96121	106829	114109
3. वानिकी	21607	24432	22986	22982	22954	23217
4. मत्स्य पालन	532	704	784	864	947	923
5. खनन	46866	50958	55826	46056	47840	37287
6. विनिर्माण	76945	78766	82389	89498	89916	83766
7. विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति एवं उपयोगी सेवाएँ	19240	23480	27257	26448	28499	28911
i विद्युत, गैस एवं अन्य उपयोगी सेवाएँ	16553	20599	24118	22715	24466	24544
ii जल आपूर्ति	2687	2881	3139	3733	4033	4367
8. निर्माण	56002	59473	64733	74004	77799	73065
9. व्यापार, होटल तथा जलपान गृह	77093	85149	98602	112644	122707	108424
i व्यापार तथा मरम्मत सेवाएं	73425	81053	94053	107569	117259	103349
ii होटल तथा जलपान गृह	3668	4096	4549	5076	5448	5075
10. रेलवे	4881	5716	5255	5734	6049	4942
11. अन्य परिवहन	21851	24246	26337	29412	32235	26468
12. भंडारण	147	167	206	281	327	382
13. संचार	12779	12768	12162	13417	14155	14414
14. वित्तीय सेवाऐं	20058	20540	25371	28583	30326	30751
15. स्थावर सम्पदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व, वैधानिक एवं व्यावसायिक सेवाऐं	69702	78621	87472	98946	107897	100517
16. लोक प्रशासन	20490	22752	24071	30697	32603	34924
17. अन्य सेवाऐं	49200	57017	68267	87471	95952	87812
बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन	642960	721972	783819	865501	937645	899381
कृषि क्षेत्र	167705	202319	205872	222309	251341	267718
उद्योग क्षेत्र	199054	212677	230205	236006	244054	223028
सेवा क्षेत्र	276201	306976	347742	407186	442250	408634

पूर्णांकन के कारण योग मिलान नहीं है।
* संशोधित अनुमान–II
#संशोधित अनुमान-I
$अग्रिम अनुमान
राज्य घरेलू उत्पाद समंक 2015–16 से 2020–21, 2011–12 श्रृंखला पर आधारित

4. प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन का क्षेत्रवार अंशदान

(प्रतिशत)

क्षेत्र	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19*	2019-20#	2020-21$
1	2	3	4	5	6	7
1. फसलें	12.76	14.07	11.79	11.82	12.86	14.40
2. पशुपालन	9.88	10.47	11.44	11.11	11.39	12.69
3. वानिकी	3.36	3.38	2.93	2.66	2.45	2.58
4. मत्स्य पालन	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
5. खनन	7.29	7.06	7.12	5.32	5.10	4.15
6. विनिर्माण	11.97	10.91	10.51	10.34	9.59	9.31
7. विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति एवं उपयोगी सेवाएँ	2.99	3.25	3.48	3.06	3.04	3.21
i विद्युत, गैस एवं अन्य उपयोगी सेवाएँ	2.57	2.85	3.08	2.62	2.61	2.73
ii जल आपूर्ति	0.42	0.40	0.40	0.43	0.43	0.49
8. निर्माण	8.71	8.24	8.26	8.55	8.30	8.12
9. व्यापार, होटल तथा जलपान गृह	11.99	11.79	12.58	13.01	13.09	12.06
i व्यापार तथा मरम्मत सेवाएं	11.42	11.23	12.00	12.43	12.51	11.49
ii होटल तथा जलपान गृह	0.57	0.57	0.58	0.59	0.58	0.56
10. रेलवे	0.76	0.79	0.67	0.66	0.65	0.55
11. अन्य परिवहन	3.40	3.36	3.36	3.40	3.44	2.94
12. भंडारण	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04
13. संचार	1.99	1.77	1.55	1.55	1.51	1.60
14. वित्तीय सेवाऐं	3.12	2.84	3.24	3.30	3.23	3.42
15. स्थावर सम्पदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व, वैधानिक एवं व्यावसायिक सेवाऐं	10.84	10.89	11.16	11.43	11.51	11.18
16. लोक प्रशासन	3.19	3.15	3.07	3.55	3.48	3.88
17. अन्य सेवाऐं	7.65	7.90	8.71	10.11	10.23	9.76
बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
कृषि क्षेत्र	26.08	28.02	26.26	25.69	26.80	29.77
उद्योग क्षेत्र	30.96	29.46	29.37	27.27	26.03	24.80
सेवा क्षेत्र	42.96	42.52	44.37	47.04	47.17	45.43

पूर्णांकन के कारण योग मिलान नहीं है।
* संशोधित अनुमान–II
# संशोधित अनुमान-I
$ अग्रिम अनुमान
राज्य घरेलू उत्पाद समंक 2015–16 से 2021–21, 2011–12 श्रृंखला पर आधारित

5. प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर क्षेत्रवार सकल राज्य मूल्य वर्धन की वृद्धि दर

(प्रतिशत)

क्षेत्र	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19*	2019-20#	2020-21$
1	2	3	4	5	6	7
1. फसलें	5.73	23.78	-9.00	10.73	17.85	7.34
2. पशुपालन	19.09	19.06	18.59	7.18	11.14	6.81
3. वानिकी	0.30	13.08	-5.92	-0.02	-0.12	1.15
4. मत्स्य पालन	-8.29	32.26	11.42	10.17	9.59	-2.53
5. खनन	-4.81	8.73	9.55	-17.50	3.87	-22.06
6. विनिर्माण	24.54	2.37	4.60	8.63	0.47	-6.84
7. विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति एवं उपयोगी सेवाएँ	43.43	22.03	16.09	-2.97	7.75	1.44
i विद्युत, गैस एवं अन्य उपयोगी सेवाएँ	52.24	24.44	17.08	-5.81	7.71	0.32
ii जल आपूर्ति	5.75	7.22	8.96	18.91	8.04	8.28
8. निर्माण	-0.62	6.20	8.84	14.32	5.13	-6.08
9. व्यापार, होटल तथा जलपान गृह	10.87	10.45	15.80	14.24	8.93	-11.64
i व्यापार तथा मरम्मत सेवाएं	11.05	10.39	16.04	14.37	9.01	-11.86
ii होटल तथा जलपान गृह	7.51	11.66	11.05	11.59	7.32	-6.84
10. रेलवे	9.28	17.11	-8.08	9.12	5.50	-18.30
11. अन्य परिवहन	8.21	10.96	8.62	11.68	9.60	-17.89
12. भंडारण	-15.61	13.78	23.21	36.73	16.35	16.72
13. संचार	21.48	-0.09	-4.75	10.31	5.50	1.83
14. वित्तीय सेवाऐं	4.89	2.40	23.52	12.66	6.10	1.40
15. स्थावर सम्पदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व, वैधानिक एवं व्यावसायिक सेवाऐं	8.08	12.80	11.26	13.12	9.05	-6.84
16. लोक प्रशासन	7.23	11.04	5.80	27.53	6.21	7.12
17. अन्य सेवाऐं	16.61	15.89	19.73	28.13	9.70	-8.48
बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन	10.16	12.29	8.57	10.42	8.34	-4.08
कृषि क्षेत्र	9.57	20.64	1.76	7.98	13.06	6.52
उद्योग क्षेत्र	10.11	6.84	8.24	2.52	3.41	-8.62
सेवा क्षेत्र	10.57	11.14	13.28	17.09	8.61	-7.60

पूर्णांकन के कारण योग मिलान नहीं है।
* संशोधित अनुमान–II
# संशोधित अनुमान-I
$ अग्रिम अनुमान
राज्य घरेलू उत्पाद समंक 2015–16 से 2021–21, 2011–12 श्रृंखला पर आधारित

6. स्थिर (2011–12) बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन

(₹करोड़)

क्षेत्र	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19*	2019-20#	2020-21$
1	2	3	4	5	6	7
1. फसलें	73153	75949	72580	76410	84918	86676
2. पशुपालन	45691	52261	56496	60103	66433	70199
3. वानिकी	17549	20027	18984	19015	18999	19340
4. मत्स्य पालन	466	551	593	613	638	670
5. खनन	52098	58665	59909	40387	41004	35908
6. विनिर्माण	69761	71845	73314	77029	77181	71001
7. विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति एवं उपयोगी सेवाएँ	9235	9915	11007	11975	12508	13077
i विद्युत, गैस एवं अन्य उपयोगी सेवाएँ	7141	7767	8723	9373	9915	10415
ii जल आपूर्ति	2094	2147	2285	2602	2592	2662
8. निर्माण	44960	46354	47666	50452	52046	49042
9. व्यापार, होटल तथा जलपान गृह	56971	59703	66994	74817	77383	65466
i व्यापार तथा मरम्मत सेवाएं	54260	56831	63904	71446	73948	62401
ii होटल तथा जलपान गृह	2711	2872	3091	3371	3435	3064
10. रेलवे	4152	4398	3972	4257	4410	3466
11. अन्य परिवहन	18519	19906	21103	22716	24513	18196
12. भंडारण	108	117	140	187	206	231
13. संचार	10843	10499	9758	10357	10763	9971
14. वित्तीय सेवाऐं	18581	19056	21924	22918	23972	23781
15. स्थावर सम्पदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व, वैधानिक एवं व्यावसायिक सेवाऐं	54414	57204	59797	63231	66101	58264
16. लोक प्रशासन	15856	16892	17266	20869	21666	22221
17. अन्य सेवाऐं	36539	39755	45291	54423	56899	53020
बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन	528897	563097	586795	609757	639640	600527
कृषि क्षेत्र	136859	148789	148654	156141	170988	176884
उद्योग क्षेत्र	176053	186778	191896	179842	182737	169028
सेवा क्षेत्र	215985	227530	246245	273774	285914	254615

पूर्णांकन के कारण योग मिलान नहीं है।
* संशोधित अनुमान–II
# संशोधित अनुमान-I
$ अग्रिम अनुमान
राज्य घरेलू उत्पाद समंक 2015–16 से 2021–21, 2011–12 श्रृंखला पर आधारित

7. स्थिर (2011–12) बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन का क्षेत्रवार अंशदान

(प्रतिशत)

क्षेत्र	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19*	2019-20#	2020-21$
1	2	3	4	5	6	7
1. फसलें	13.83	13.49	12.37	12.53	13.28	14.43
2. पशुपालन	8.64	9.28	9.63	9.86	10.39	11.69
3. वानिकी	3.32	3.56	3.24	3.12	2.97	3.22
4. मत्स्य पालन	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11
5. खनन	9.85	10.42	10.21	6.62	6.41	5.98
6. विनिर्माण	13.19	12.76	12.49	12.63	12.07	11.82
7. विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति एवं उपयोगी सेवाएँ	1.75	1.76	1.88	1.96	1.96	2.18
i विद्युत, गैस एवं अन्य उपयोगी सेवाएँ	1.35	1.38	1.49	1.54	1.55	1.73
ii जल आपूर्ति	0.40	0.38	0.39	0.43	0.41	0.44
8. निर्माण	8.50	8.23	8.12	8.27	8.14	8.17
9. व्यापार, होटल तथा जलपान गृह	10.77	10.60	11.42	12.27	12.10	10.90
i व्यापार तथा मरम्मत सेवाएं	10.26	10.09	10.89	11.72	11.56	10.39
ii होटल तथा जलपान गृह	0.51	0.51	0.53	0.55	0.54	0.51
10. रेलवे	0.79	0.78	0.68	0.70	0.69	0.58
11. अन्य परिवहन	3.50	3.54	3.60	3.73	3.83	3.03
12. भंडारण	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04
13. संचार	2.05	1.86	1.66	1.70	1.68	1.66
14. वित्तीय सेवाऐं	3.51	3.38	3.74	3.76	3.75	3.96
15. स्थावर सम्पदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व, वैधानिक एवं व्यावसायिक सेवाऐं	10.29	10.16	10.19	10.37	10.33	9.70
16. लोक प्रशासन	3.00	3.00	2.94	3.42	3.39	3.70
17. अन्य सेवाऐं	6.91	7.06	7.72	8.93	8.90	8.83
बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
कृषि क्षेत्र	25.88	26.42	25.33	25.61	26.73	29.45
उद्योग क्षेत्र	33.29	33.17	32.70	29.49	28.57	28.15
सेवा क्षेत्र	40.83	40.41	41.97	44.90	44.70	42.40

पूर्णांकन के कारण योग मिलान नहीं है।
* संशोधित अनुमान–II
# संशोधित अनुमान-I
$ अग्रिम अनुमान
राज्य घरेलू उत्पाद समंक 2015–16 से 2021–21, 2011–12 श्रृंखला पर आधारित

8. स्थिर (2011–12) बुनियादी मूल्यों पर क्षेत्रवार सकल राज्य मूल्य वर्धन की वृद्धि दर

(प्रतिशत)

क्षेत्र	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19*	2019-20#	2020-21$
1	2	3	4	5	6	7
1. फसलें	-6.55	3.82	-4.44	5.28	11.14	2.07
2. पशुपालन	10.50	14.38	8.10	6.38	10.53	5.67
3. वानिकी	2.22	14.13	-5.21	0.16	-0.09	1.80
4. मत्स्य पालन	-8.35	18.25	7.65	3.36	4.10	4.92
5. खनन	28.14	12.61	2.12	-32.59	1.53	-12.43
6. विनिर्माण	25.72	2.99	2.04	5.07	0.20	-8.01
7. विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति एवं उपयोगी सेवाएँ	3.48	7.36	11.02	8.79	4.45	4.55
i विद्युत, गैस एवं अन्य उपयोगी सेवाएँ	3.75	8.77	12.30	7.45	5.79	5.04
ii जल आपूर्ति	2.57	2.56	6.39	13.90	-0.38	2.70
8. निर्माण	-1.60	3.10	2.83	5.84	3.16	-5.77
9. व्यापार, होटल तथा जलपान गृह	4.87	4.80	12.21	11.68	3.43	-15.40
i व्यापार तथा मरम्मत सेवाएं	4.96	4.74	12.44	11.80	3.50	-15.61
ii होटल तथा जलपान गृह	3.03	5.95	7.61	9.09	1.90	-10.81
10. रेलवे	5.98	5.92	-9.68	7.16	3.60	-21.40
11. अन्य परिवहन	6.34	7.49	6.01	7.64	7.91	-25.77
12. भंडारण	-20.18	7.96	19.38	33.77	10.39	11.75
13. संचार	19.58	-3.17	-7.06	6.13	3.93	-7.36
14. वित्तीय सेवाऐं	2.46	2.55	15.05	4.53	4.60	-0.80
15. स्थावर सम्पदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व, वैधानिक एवं व्यावसायिक सेवाऐं	1.94	5.13	4.53	5.74	4.54	-11.86
16. लोक प्रशासन	2.80	6.53	2.22	20.87	3.82	2.56
17. अन्य सेवाऐं	7.99	8.80	13.93	20.16	4.55	-6.82
बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन	7.13	6.47	4.21	3.91	4.90	-6.11
कृषि क्षेत्र	-0.33	8.72	-0.09	5.04	9.51	3.45
उद्योग क्षेत्र	16.78	6.09	2.74	-6.28	1.61	-7.50
सेवा क्षेत्र	5.03	5.35	8.23	11.18	4.43	-10.95

पूर्णांकन के कारण योग मिलान नहीं है।
* संशोधित अनुमान–II
# संशोधित अनुमान-I
$ अग्रिम अनुमान
राज्य घरेलू उत्पाद समंक 2015–16 से 2021–21, 2011–12 श्रृंखला पर आधारित

9. प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर शुद्ध राज्य मूल्य वर्धन

(₹करोड़)

क्षेत्र	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19*	2019-20#	2020-21$
1	2	3	4	5	6	7
1. फसलें	71437	89996	79972	88901	104770	112465
2. पशुपालन	62629	74654	88595	94955	105534	112725
3. वानिकी	21405	24240	22768	22740	22713	22974
4. मत्स्य पालन	485	647	727	805	883	860
5. खनन	39211	42791	47104	39090	40605	31648
6. विनिर्माण	63292	64602	66893	72607	72946	67956
7. विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति एवं उपयोगी सेवाएँ	12952	15646	18824	16773	18073	18335
i विद्युत, गैस एवं अन्य उपयोगी सेवाएँ	11381	13983	17056	14568	15691	15755
ii जल आपूर्ति	1571	1663	1768	2205	2382	2579
8. निर्माण	52673	55826	60561	69180	72728	68303
9. व्यापार, होटल तथा जलपान गृह	73061	80604	93846	107095	116667	103070
i व्यापार तथा मरम्मत सेवाएं	69817	76975	89815	102595	111838	98571
ii होटल तथा जलपान गृह	3243	3628	4031	4500	4829	4499
10. रेलवे	3985	4715	4171	4456	4701	3841
11. अन्य परिवहन	18697	20413	21437	23390	25635	21049
12. भंडारण	123	140	173	235	273	319
13. संचार	9874	9587	8441	8960	9452	9626
14. वित्तीय सेवाऐं	19646	20076	24823	27942	29646	30061
15. स्थावर सम्पदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व, वैधानिक एवं व्यावसायिक सेवाऐं	60244	68173	77124	87296	95192	88681
16. लोक प्रशासन	16475	18479	19812	25507	27090	29019
17. अन्य सेवाऐं	46003	53422	64510	82848	90881	83171
बुनियादी मूल्यों पर शुद्ध राज्य मूल्य वर्धन	572191	644011	699780	772780	837789	804101
कृषि क्षेत्र	155956	189537	192061	207402	233899	249024
उद्योग क्षेत्र	168127	178866	193382	197650	204352	186241
सेवा क्षेत्र	248108	275608	314337	367728	399538	368836

पूर्णांकन के कारण योग मिलान नहीं है।
* संशोधित अनुमान–II
# संशोधित अनुमान-I
$ अग्रिम अनुमान
राज्य घरेलू उत्पाद समंक 2015–16 से 2021–21, 2011–12 श्रृंखला पर आधारित

10. स्थिर (2011–12) बुनियादी मूल्यों पर शुद्ध राज्य मूल्य वर्धन

(₹करोड़)

क्षेत्र	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19*	2019-20#	2020-21$
1	2	3	4	5	6	7
1. फसलें	64846	67214	63389	66770	74205	75741
2. पशुपालन	44899	51413	55603	59200	65435	69144
3. वानिकी	17370	19861	18806	18829	18813	19151
4. मत्स्य पालन	424	500	542	562	585	614
5. खनन	45691	51941	52909	34973	35507	31095
6. विनिर्माण	57517	59141	59749	62764	62888	57852
7. विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति एवं उपयोगी सेवाएँ	3602	2896	3634	3785	3953	4133
i विद्युत, गैस एवं अन्य उपयोगी सेवाएँ	2378	1656	2347	2248	2422	2846
ii जल आपूर्ति	1224	1239	1287	1537	1531	1287
8. निर्माण	41855	42874	43705	46007	47461	44722
9. व्यापार, होटल तथा जलपान गृह	53364	55677	62959	70327	72744	61528
i व्यापार तथा मरम्मत सेवाएं	51033	53218	60306	67419	69780	58884
ii होटल तथा जलपान गृह	2331	2459	2653	2908	2963	2643
10. रेलवे	3373	3538	3073	3239	3356	2638
11. अन्य परिवहन	15581	16397	16723	17426	18805	13959
12. भंडारण	88	94	112	150	166	185
13. संचार	8381	7782	6613	6708	6972	6459
14. वित्तीय सेवाऐं	18223	18650	21457	22393	23423	23236
15. स्थावर सम्पदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व, वैधानिक एवं व्यावसायिक सेवाऐं	46348	48416	51503	54363	56831	50093
16. लोक प्रशासन	12201	13010	13508	16456	17084	17522
17. अन्य सेवाऐं	33718	36597	42107	50684	52991	49378
बुनियादी मूल्यों पर शुद्ध राज्य मूल्य वर्धन	467479	496002	516393	534638	561218	527448
कृषि क्षेत्र	127539	138989	138341	145361	159038	164650
उद्योग क्षेत्र	148664	156852	159997	147529	149809	137802
सेवा क्षेत्र	191276	200161	218055	241748	252371	224996

पूर्णांकन के कारण योग मिलान नहीं है।

* संशोधित अनुमान–II

संशोधित अनुमान-I

$ अग्रिम अनुमान

राज्य घरेलू उत्पाद समंक 2015–16 से 2020–21, 2011–12 श्रृंखला पर आधारित

11. सकल स्थाई पूँजी निर्माण

(₹करोड़)

वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
1	2	3	4
2004-05	8885	35948	44833
2005-06	9886	41492	51378
2006-07	15010	49363	64373
2007-08	25108	51051	76159
2008-09	29272	59479	88751
2009-10	34305	61727	96032
2010-11	47873	76044	123917
2011-12	27257	120689	147946
2012-13	33395	127761	161156
2013-14	47062	146949	194011
2014-15	51480	148730	200210
2015-16	56170	147318	203488
2016-17	59279	152707	211986
2017-18	61227	175383	236610
2018-19	66819	197803	264622
2019-20	70059	201637	271696

*वर्ष 2011–12 से वर्ष 2019–20 तक प्रावधानिक है।

12. बजट–अधिशेष (+)/घाटा (–)

(₹करोड़)

वर्ष	राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष (+)	बजट घाटा (-)/ अधिशेष (+)	प्रारम्भिक घाटा (-)/ अधिशेष (+)	राजकोषीय घाटा
1	2	3	4	5
2004-05	-2142.60	-124.92	-973.98	6145.98
2005-06	-660.02	205.75	59.93	5150.07
2006-07	638.38	272.13	1732.09	3969.73
2007-08	1652.98	-921.29	2534.62	3408.37
2008-09	-826.75	544.70	-749.07	6973.32
2009-10	-4747.18	-206.42	-3529.66	10298.79
2010-11	1054.86	546.98	3242.95	4126.05
2011-12	3357.45	61.79	4265.96	3625.86
2012-13	3451.22	-78.23	-194.46	8534.51
2013-14	-1039.21	49.10	-6126.08	15189.28
2014- 15	-3215.06	24.91	-8536.62	18999.51
2015-16*	-5954.12	458.02	-51061.65	63069.96
2015-16#	-5954.12	458.02	-11011.89	23020.19
2016-17*	-18114.14	-491.44	-28641.01	46317.95
2016-17#	-9114.14	-491.44	-6268.82	23945.75
2017-18*	-18534.34	6.79	-5621.62	25341.61
2017-18#	-6534.34	6.79	-5621.62	25341.61
2018-19*	-28900.16	-81.36	-12777.72	34472.92
2018-19#	-16900.16	-81.36	-12777.72	34472.92
2019-20(सं. अ.)*	-28041.04	22.17	-8454.93	32213.98
2019-20(सं. अ.)#	-14224.57	22.17	-8454.93	32213.98
2020-21(ब. अ.)	-12345.61	33.17	-8428.57	33922.77

सं. अ. संशोधित अनुमान
ब. अ. बजट अनुमान

*उदय योजना सहित
#उदय योजना रहित

13. बजट (प्राप्तियां)

(₹करोड़)

वर्ष	राजस्व प्राप्तियां			विविध पूंजीगत प्राप्तियां
	कर राजस्व	कर भिन्न राजस्व	केन्द्रीय सहायता	
1	2	3	4	5
2004-05	12720.43	2146.15	2897.01	-
2005-06	15180.31	2737.67	2921.21	0.81
2006-07	18368.61	3430.61	3792.96	-
2007-08	21802.33	4053.93	4924.36	1.16
2008-09	23942.22	3888.46	5638.17	4.21
2009-10	25672.41	4558.22	5154.39	8.94
2010-11	33613.75	6294.12	6020.33	13.42
2011-12	40354.10	9175.10	7481.56	15.73
2012-13	47605.50	12133.59	7173.92	8.12
2013-14	52150.77	13575.25	8744.36	10.27
2014- 15	58489.91	13229.50	19607.50	14.57
2015-16	70628.85	10927.88	18728.40	24.34
2016-17	77927.52	11615.56	19482.91	27.84
2017-18	87633.42	15733.72	23940.04	16.61
2018-19	99232.69	18603.01	20037.32	20.13
2019-20(सं. अ.)	106400.57	19597.44	30717.55	25.00
2020-21(ब. अ.)	123915.78	19595.73	29892.91	30.00

सं. अ. संशोधित अनुमान
ब. अ. बजट अनुमान

लगातार...

13. बजट (प्राप्तियां)

(₹करोड़)

वर्ष	राजस्व प्राप्तियों के अतिरिक्त प्राप्तियां				कुल प्राप्तियां
	लोक ऋण	ऋण एवं अग्रिम	आकस्मिक निधि	सार्वजनिक लेखा (शुद्ध)	
1	6	7	8	9	10
2004-05	11791.40	124.63	0.00	911.21	30590.82
2005-06	5495.30	237.61	0.00	853.20	27426.11
2006-07	4222.14	513.90	0.00	1800.14	32128.36
2007-08	5063.33	1780.73	0.00	-730.44	36895.40
2008-09	7477.87	89.23	165.00	2472.78	43677.94
2009-10	8796.42	112.00	0.00	4241.02	48543.40
2010-11	7977.35	318.41	0.00	12.92	54250.30
2011-12	5918.40	1229.31	0.00	1259.66	65433.87
2012-13	9955.00	1101.56	0.00	3207.99	81185.68
2013-14	14491.44	315.53	0.00	4862.56	94150.18
2014- 15	18140.82	1004.44	300.00	5843.65	116630.39
2015-16*	60998.17	1447.34	0.00	7488.84	170243.81
2015-16#	20948.40	1447.34	0.00	7488.84	130194.04
2016-17*	43888.85	1713.52	0.00	6952.22	161608.44
2016-17#	21516.66	1713.52	0.00	6952.22	139236.24
2017-18*	28556.57	15133.41	0.00	8465.50	179479.26
2017-18#	28556.57	133.41	0.00	8465.50	164479.26
2018-19*	37846.81	15158.42	0.00	13459.55	204357.92
2018-19#	37846.81	158.42	0.00	13459.55	189357.92
2019-20(सं. अ.)*	44689.55	15824.58	0.00	7596.39	224851.08
2019-20(सं. अ.)#	44689.55	1102.62	0.00	7596.39	210129.12
2020-21(ब. अ.)	45281.49	751.56	0.00	6297.19	225764.67

सं. अ. संशोधित अनुमान *उदय योजना सहित

ब. अ. बजट अनुमान #उदय योजना रहित

14. बजट (व्यय)

(₹करोड़)

वर्ष	राजस्व व्यय					पूँजीगत परिव्यय				
	आयोजना भिन्न	आयोजना	केन्द्र प्रवर्तित योजना	राज्य निधि	कुल	आयोजना भिन्न	आयोजना	केन्द्र प्रवर्तित योजना	राज्य निधि	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2004-05	17164.22	2236.68	505.29	_	19906.19	67.79	3044.93	375.57	_	3488.29
2005-06	18367.68	2430.25	701.28	_	21499.21	60.59	3733.80	499.29	_	4293.68
2006-07	21153.68	2910.27	889.85	_	24953.80	141.78	3833.26	834.31	_	4809.35
2007-08	23993.98	4094.23	1039.43	_	29127.64	944.28	4576.18	1035.09	_	6555.55
2008-09	28524.99	4361.58	1409.03	_	34295.60	-195.85	4884.25	1211.55	_	5899.95
2009-10	33845.30	5027.69	1259.20	_	40132.19	-644.60	5275.61	543.72	_	5174.73
2010-11	36120.68	6938.75	1813.91	_	44873.34	20.06	4954.05	276.51	_	5250.62
2011-12	41237.77	10457.85	1957.69	_	53653.31	16.33	6828.25	274.67	_	7119.25
2012-13	49226.49	12105.71	2129.59	_	63461.79	1.36	10301.24	380.98	_	10683.58
2013-14	58145.26	15153.39	2210.94	_	75509.59	-12.23	13308.77	368.12	_	13664.66
2014- 15	67098.09	27443.88	0.00	_	94541.97	15.31	16087.37	0.00	_	16102.69
2015-16*	74601.35	31637.88	0.00	_	106239.23	-9.75	21995.01	0.00	_	21985.26
2015-16#	74601.35	31637.88	0.00	_	106239.23	-9.75	16295.01	0.00	_	16285.26
2016-17*	79657.59	47482.55	0.00	_	127140.14	12.26	16967.46	0.00	_	16979.72
2016-17#	79657.59	38482.55	0.00	_	118140.14	12.26	13967.46	0.00	_	13979.72
2017-18*	0.00	0.00	0.00	145841.52	145841.52	0.00	0.00	0.00	20623.28	20623.28
2017-18#	0.00	0.00	0.00	133841.52	133841.52	0.00	0.00	0.00	17623.28	17623.28
2018-19*	0.00	0.00	0.00	166773.19	166773.19	0.00	0.00	0.00	19638.20	19638.20
2018-19#	0.00	0.00	0.00	154773.19	154773.19	0.00	0.00	0.00	16638.20	16638.20
2019-20(सं. अ.)*	0.00	0.00	0.00	184756.60	184756.60	0.00	0.00	0.00	17688.73	17688.73
2019-20(सं. अ.)#	0.00	0.00	0.00	170940.13	170940.13	0.00	0.00	0.00	16783.24	16783.24
2020-21(ब. अ.)	0.00	0.00	0.00	185750.03	185750.03	0.00	0.00	0.00	21618.95	21618.95

सं. अ. संशोधित अनुमान *उदय योजना सहित

ब. अ. बजट अनुमान #उदय योजना रहित

लगातार...

14. बजट (व्यय)

(₹करोड़)

वर्ष	लोक ऋण	ऋण एवं अग्रिम	आकस्मिक निधि	कुल पूँजीगत व्यय	कुल व्यय
1	12	13	14	15	16
2004-05	6681.55	639.72	0.00	10809.56	30715.75
2005-06	992.48	434.18	0.00	5720.34	27219.55
2006-07	1780.43	312.65	0.00	6902.43	31856.23
2007-08	1845.81	287.69	0.00	8689.05	37816.69
2008-09	2432.63	340.06	165.00	8837.64	43133.24
2009-10	2945.08	497.82	0.00	8617.63	48749.82
2010-11	3317.24	262.12	0.00	8829.98	53703.32
2011-12	3490.42	1109.10	0.00	11718.77	65372.08
2012-13	4706.71	2411.83	0.00	17802.12	81263.91
2013-14	4115.62	811.21	0.00	18591.49	94101.08
2014- 15	4960.04	700.78	300.00	22063.51	116605.48
2015-16*	4959.03	36602.26	0.00	63546.55	169785.79
2015-16#	4959.03	2252.49	0.00	23496.78	129736.02
2016-17*	5014.57	12965.45	0.00	34959.74	162099.88
2016-17#	5014.57	2593.26	0.00	21587.54	139727.68
2017-18*	11673.66	1334.01	0.00	33630.95	179472.47
2017-18#	11673.66	1334.01	0.00	30630.95	164472.47
2018-19*	16914.80	1113.09	0.00	37666.10	204439.28
2018-19#	16914.80	1113.09	0.00	34666.10	189439.28
2019-20(सं. अ.)*	20049.79	2333.78	0.00	40072.31	224828.91
2019-20(सं. अ.)#	20049.79	2333.78	0.00	39166.82	210106.95
2020-21(ब. अ.)	17622.74	739.78	0.00	39981.47	225731.50

सं. अ. संशोधित अनुमान
ब. अ. बजट अनुमान

*उदय योजना सहित
#उदय योजना रहित

15. योजनावार व्यय

(₹करोड़)

क्षेत्र		प्रथम योजना 1951-56	द्वितीय योजना 1956-61	तृतीय योजना 1961-66	वार्षिक योजना 1966-69	चतुर्थ योजना 1969-74	पंचम योजना 1974-79	वार्षिक योजना 1979-80	षष्ठम् योजना 1980-85
1		2	3	4	5	6	7	8	9
I	कृषि एवं सम्बद्ध सेवाऐं	2.88	8.26	14.83	10.95	15.60	46.85	20.35	121.42
II	ग्रामीण विकास	3.04	12.52	14.48	4.15	3.00	19.24	18.12	123.32
III	विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV	सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	31.31	27.86	87.88	46.59	105.26	271.17	76.31	553.29
V	ऊर्जा	1.24	15.15	39.36	46.82	93.98	248.97	100.00	566.13
VI	उद्योग एवं खनिज	0.46	3.37	3.31	2.06	8.55	34.53	11.87	83.65
VII	परिवहन	5.55	10.17	9.75	4.41	9.99	84.20	22.57	251.04
VIII	वैज्ञानिक सेवाऐं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
IX	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाऐं	9.12	25.05	42.86	21.67	72.07	149.05	39.74	419.88
X	आर्थिक सेवाऐं	0.55	0.11	0.23	0.11	0.34	0.83	0.16	1.50
XI	सामान्य सेवाऐं	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	2.78	1.07	10.31
योग		**54.15**	**102.74**	**212.70**	**136.76**	**308.79**	**857.62**	**290.19**	**2130.69**

लगातार...

15. योजनावार व्यय

(₹करोड़)

क्षेत्र	सप्तम् योजना 1985-90	वार्षिक योजना 1990-91	वार्षिक योजना 1991-92	अष्टम् योजना 1992-97	नवम् योजना 1997-02	दशम् योजना 2002-07	ग्यारहवीं योजना 2007-12	बारहवीं योजना 2012-17
1	10	11	12	13	14	15	16	17
I कृषि एवं सम्बद्ध सेवाऐं	203.41	79.56	95.27	1112.14	1050.07	1013.70	5610.22	16162.99
II ग्रामीण विकास	210.41	73.60	101.84	871.40	1686.42	3004.22	8254.56	34865.23
III विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	1.73	0.40	1.00	39.03	149.41	237.67	526.80	1094.68
IV सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	690.51	177.49	218.14	1836.19	2259.65	3769.83	3760.16	6800.71
V ऊर्जा	921.77	275.13	347.11	3253.90	5258.06	10699.24	37619.30	123502.63
VI उद्योग एवं खनिज	145.57	88.72	62.22	638.98	646.79	567.41	888.50	1207.34
VII परिवहन	142.48	42.40	60.30	868.20	1882.56	3105.56	5228.00	16914.47
VIII वैज्ञानिक सेवाऐं	2.41	1.76	2.46	16.65	10.10	7.17	75.19	160.38
IX सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाऐं	736.26	222.31	278.44	3095.79	6397.50	10164.93	29450.68	107556.70
X आर्थिक सेवाऐं	12.28	5.88	8.08	71.67	84.18	1020.19	1474.64	5949.85
XI सामान्य सेवाऐं	39.35	8.32	9.55	195.02	142.08	361.29	1066.29	3850.75
योग	**3106.18**	**975.57**	**1184.41**	**11998.97**	**19566.82**	**33951.21**	**93954.34**	**318065.73**

15अ. कार्यक्रमवार बजट व्यय

(₹करोड़)

क्षेत्र		कार्यक्रमवार बजट व्यय			
		2017-18	2018-19	2019-20*	2020-21#
1		18	19	20	21
I	कृषि एवं सम्बद्ध सेवाऐं	3864.85	7288.73	8592.45	6612.97
II	ग्रामीण विकास	12208.62	10413.97	13531.09	7565.11
III	विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	297.91	189.21	99.99	27.46
IV	सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	2268.18	2481.55	2598.83	1381.72
V	ऊर्जा	16199.34	25183.88	26387.82	9028.97
VI	उद्योग एवं खनिज	343.03	388.78	446.69	322.82
VII	परिवहन	6027.74	6310.44	5515.18	2611.34
VIII	वैज्ञानिक सेवाऐं	16.44	15.45	9.33	6.27
IX	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाऐं	34269.61	41765.08	42892.12	37038.00
X	आर्थिक सेवाऐं	1769.53	2426.15	1506.35	1272.87
XI	सामान्य सेवाऐं	852.09	3279.83	3554.09	2620.00
योग		**78117.34**	**99743.07**	**105133.94**	**68487.53**

*अनन्तिम व्यय # दिसम्बर, 2020 तक

16. राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक

आधार वर्ष 1999–2000=100

वर्ष	प्राथमिक वस्तु समूह			ईधन, शक्ति, प्रकाश उपस्नेहक समूह	विनिर्मित समूह	समस्त वस्तुऐं सामान्य सूचकांक
	कृषि	खनिज	संयुक्त			
भार	29.933	3.961	33.894	16.253	49.853	100.000
1	2	3	4	5	6	7
2004-05	114.74	110.69	114.27	188.29	118.77	128.54
2005-06	118.29	120.11	118.50	216.78	120.87	135.68
2006-07	132.21	148.56	134.11	229.21	134.47	149.76
2007-08	145.29	153.56	146.26	227.65	149.42	161.06
2008-09	167.37	154.16	165.82	241.06	164.02	177.15
2009-10	182.67	180.05	182.37	239.79	166.00	183.54
2010-11	195.67	207.85	197.09	259.73	179.46	198.48
2011-12	220.38	226.65	221.11	281.16	204.66	222.67
2012-13	272.68	240.99	268.98	307.10	224.91	253.21
2013-14	269.58	252.29	267.57	360.51	221.83	259.88
2014-15	272.04	266.71	271.42	376.64	230.19	267.97
2015-16	291.06	283.91	290.22	372.72	229.89	273.55
2016-17	305.31	297.41	304.39	408.37	236.09	287.24
2017-18	291.61	309.01	293.64	433.14	245.55	292.34
2018-19	298.50	327.21	301.85	464.76	248.52	301.74
2019-20	320.30	339.58	322.55	468.66	261.77	316.00
2020-21*	331.07	357.98	334.22	520.15	273.54	334.19

*दिसम्बर 2020 तक

नोटः– अप्रैल–मई 2020 के थोक मूल्य सूचकांक कोविड–19 महामारी के कारण जारी नहीं किया जा सका।

17. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

कलेण्डर/वित्तीय वर्ष	विनिर्माण क्षेत्र	खनिज क्षेत्र	विद्युत क्षेत्र	सामान्य
1	2	3	4	5
2004	227.69	171.59	271.07	228.88
2005	101.76	110.24	103.04	102.09
2006	109.19	121.17	103.00	108.98
2007	111.71	141.92	101.43	111.62
2008	123.27	154.47	106.55	122.66
2009	140.77	164.96	107.21	138.55
2010	140.83	171.70	132.51	140.92
2011	145.79	193.77	153.17	147.66
2012-13	101.48	128.17	102.51	108.92
2013-14	108.72	134.04	110.67	115.89
2014-15	108.99	132.49	131.11	117.98
2015-16	110.29	134.49	130.53	119.25
2016-17	115.71	135.04	125.32	122.11
2017-18	134.71	132.85	124.96	133.08
2018-19	143.39	134.76	137.70	140.37
2019-20	125.93	125.60	135.15	126.90
2020-21*	114.68	114.34	124.16	115.67

2004 का आधार वर्ष 1993–1994 = 100
2005 से 2011 तक आधार वर्ष 2004–2005 = 100
वर्ष 2012-13 से 2020-21 तक आधार वर्ष 2011–12 = 100
* दिसम्बर, 2020 तक (प्रावधानिक)

18. संगठित क्षेत्र में रोजगार

(संख्या लाखों में)

वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	योग
1	2	3	4
2004	9.28	2.45	11.73
2005	9.45	2.52	11.97
2006	9.52	2.65	12.17
2007	9.55	2.77	12.32
2008	9.59	2.91	12.50
2009	9.62	3.09	12.71
2010	9.54	3.21	12.75
2011	9.46	3.38	12.84
2012	9.51	3.55	13.06
2013	9.53	3.70	13.23
2014	9.60	3.86	13.46
2015	9.52	4.00	13.52
2016	9.65	4.05	13.70
2017	9.61	4.14	13.74
2018	9.69	4.40	14.08
2019	9.72	4.20	13.92
2020*	9.88	4.18	14.06

स्त्रोत : रोजगार विभाग के रोजगार बाजार सूचना योजना पर आधारित है।

* जून, 2020 तक

19. कृषि उत्पादन सूचकांक

आधार वर्ष (2005–06 से 2007–08=100)

कृषि वर्ष	अनाज	दलहन	तिलहन	रेशे (कपास एवं सण)*	मसालें #
भार	35.476	14.857	33.021	8.850	3.053
1	2	3	4	5	6
2004-05@	139.45	116.11	212.90	84.82	165.00
2005-06@	129.33	77.35	232.41	97.66	118.58
2006-07@	174.83	128.01	201.53	82.84	149.32
2007-08	113.27	118.75	83.45	103.90	134.62
2008-09	115.95	139.32	102.94	87.49	131.80
2009-10	95.48	53.38	87.16	108.85	143.47
2010-11	158.68	247.10	130.11	103.27	172.84
2011-12	152.73	181.05	116.72	208.57	245.51
2012-13	145.27	148.90	125.91	184.12	197.81
2013-14	147.21	188.66	119.67	155.05	218.16
2014-15	141.24	149.65	108.26	184.05	165.70
2015-16	133.52	154.17	111.25	146.37	274.42
2016-17	161.02	265.73	129.85	188.02	344.20
2017-18	150.37	282.66	123.52	228.11	338.60
2018-19	158.09	294.13	153.87	246.19	342.74
2019-20(अ)	179.95	348.87	151.07	335.92	365.45

मिर्च, लहसुन, धनिया, अदरक, हल्दी सम्मिलित है।
*वर्ष 2007–08 से रेशे में सिर्फ कपास सम्मिलित है।
@आधार वर्ष 1991–92 से 1993–94=100
अ= अन्तिम

लगातार...

19. कृषि उत्पादन सूचकांक

आधार वर्ष (2005–06 से 2007–08=100)

कृषि वर्ष	फल एवं तरकारियां $	गन्ना	तम्बाकू/ इसबगोल*	ग्वार बीज	समस्त फसलें
भार	0.575	0.962	0.055	3.150	100.000
1	7	8	9	10	11
2004-05@	250.69	23.65	39.68	94.46	154.24
2005-06@	318.00	41.25	30.45	165.61	153.84
2006-07@	317.83	53.76	26.72	183.81	167.63
2007-08	106.92	104.49	124.41	149.52	106.08
2008-09	95.74	68.21	174.40	151.61	115.77
2009-10	94.84	60.60	354.52	24.37	88.69
2010-11	124.18	64.96	288.06	185.21	158.77
2011-12	165.24	79.37	304.14	222.14	153.49
2012-13	120.42	74.64	252.97	243.65	147.50
2013-14	157.93	63.83	278.39	344.07	156.16
2014-15	224.78	71.17	297.76	330.34	143.34
2015-16	337.53	93.44	365.08	267.31	145.62
2016-17	310.62	85.95	467.76	168.89	175.12
2017-18	267.94	67.17	573.49	152.10	170.17
2018-19	163.74	78.82	490.49	124.01	183.08
2019-20(अ)	243.41	57.37	432.11	154.47	201.69

$ आलू, प्याज, शंकरकन्दी, सिंघाड़ा सम्मिलित है।

* वर्ष 2004–05 से वर्ष 2006–07 तक तम्बाकू एवं आगे के वर्षों के लिये इसबगोल का सूचकांक हैं।

@आधार वर्ष 1991–92 से 1993–94=100

अ= अन्तिम

20 फसलवार उत्पादन

(मैं. टन)

कृषि वर्ष	अनाज			दलहन		
	खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	रबी	कुल
1	2	3	4	5	6	7
2004-05	4695452	6123545	10818997	500799	843413	1344212
2005-06	3599596	6324088	9923684	359209	540736	899945
2006-07	5100362	8348190	13448552	550571	929194	1479765
2007-08	6866501	7665427	14531928	949853	602654	1552507
2008-09	6701751	8165843	14867594	817100	1009157	1826257
2009-10	3535934	8121776	11657710	133407	568722	702129
2010-11	8961999	11360203	20322202	1603097	1648814	3251911
2011-12	8621619	10950717	19572336	1313399	1039429	2352828
2012-13	6378906	11725908	18104814	636970	1318342	1955312
2013-14	6284051	11964559	18248610	773380	1697502	2470882
2014-15	6904383	10789160	17693543	962955	987058	1950013
2015-16	5092507	11204241	16296748	1046966	943333	1990299
2016-17	6377020	13344122	19721142	1879235	1539463	3418698
2017-18	6277655	12193726	18471381	1870091	1763595	3633686
2018-19	6621882	12779625	19401507	1867668	1890887	3758555
2019-20(अ)	7125406	14961111	22086517	1775638	2718551	4494189

अ= अन्तिम

लगातार...

20 फसलवार उत्पादन

(मैं. टन)

कृषि वर्ष	खाद्यान्न			तिलहन			गन्ना	कपास (लिंट)
	खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	रबी	कुल		
1	8	9	10	11	12	13	14	15
2004-05	5196251	6966958	12163209	1588523	3972926	5561449	276642	129988
2005-06	3958805	6864824	10823629	1516613	4418292	5934905	482634	149683
2006-07	5650933	9277384	14928317	1360196	3806737	5166933	628963	126956
2007-08	7816354	8268081	16084435	1866389	2362957	4229346	594056	146576
2008-09	7518851	9175000	16693851	1694516	3506119	5200635	387814	123424
2009-10	3669341	8690498	12359839	1481554	2955059	4436613	344559	153561
2010-11	10565096	13009017	23574113	2269595	4371908	6641503	369354	145690
2011-12	9935018	11990146	21925164	2787234	2977811	5765045	451282	294229
2012-13	7015876	13044250	20060126	2555573	3815597	6371170	424349	261022
2013-14	7057431	13662061	20719492	2240571	3799990	6040561	362881	218737
2014-15	7867338	11776218	19643556	2421530	2898996	5320526	404616	259645
2015-16	6139453	12147574	18287027	2244005	3267135	5511140	531267	206487
2016-17	8256255	14883585	23139840	2563053	3955656	6518709	488652	265245
2017-18	8147746	13957321	22105067	2567783	3546350	6114133	381868	321800
2018-19	8489550	14670512	23160062	2843321	4821104	7664425	448115	347311
2019-20(अ)	8901044	17679662	26580706	2520529	4753638	7274167	326188	473894

अ= अन्तिम

21. फसलवार क्षेत्रफल

(हैक्टेयर)

कृषि वर्ष	अनाज			दलहन		
	खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	रबी	कुल
1	2	3	4	5	6	7
2004-05	6316950	2185889	8502839	2488817	1087496	3576313
2005-06	6714435	2326252	9040687	2363984	1126113	3490097
2006-07	6728402	2797723	9526125	2151465	1055749	3207214
2007-08	6933290	2841988	9775278	2603680	1265123	3868803
2008-09	6985633	2582221	9567854	2383203	1288045	3671248
2009-10	7210619	2618724	9829343	2483702	919903	3403605
2010-11	7541113	3365466	10906579	2915289	1836481	4751770
2011-12	6776318	3214516	9990834	2971521	1477714	4449235
2012-13	5794042	3372226	9166268	1956669	1288694	3245363
2013-14	6110864	3516534	9627398	2221340	1976445	4197785
2014-15	5852346	3664303	9516649	2038707	1323525	3362232
2015-16	5782024	3368429	9150453	2830818	1035964	3866782
2016-17	5902931	3628879	9531810	4100379	1645183	5745562
2017-18	5849553	3326318	9175871	4239817	1620991	5860808
2018-19	5866486	3225883	9092369	4274556	1631449	5906005
2019-20(अ)	5993764	3802008	9795772	3838772	2497233	6336005

अ= अन्तिम

लगातार...

21. फसलवार क्षेत्रफल

(हैक्टेयर)

कृषि वर्ष	खाद्यान्न			तिलहन			गन्ना	कपास
	खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	रबी	कुल		
1	8	9	10	11	12	13	14	15
2004-05	8805767	3273385	12079152	1468348	3685927	5154275	5724	437776
2005-06	9078419	3452365	12530784	1615089	3669351	5284440	7922	471563
2006-07	8879867	3853472	12733339	1312317	3215383	4527700	10897	349602
2007-08	9536970	4107111	13644081	1518290	2498852	4017142	10401	369179
2008-09	9368836	3870266	13239102	1822203	2842098	4664301	6526	302687
2009-10	9694321	3538627	13232948	1843810	2314286	4158096	5986	444540
2010-11	10456402	5201947	15658349	1829587	3688814	5518401	5512	335871
2011-12	9747839	4692230	14440069	2119242	2507195	4626437	6415	567576
2012-13	7750711	4660920	12411631	2080205	2837943	4918148	5805	540644
2013-14	8332204	5492979	13825183	2197741	3081415	5279156	5261	393088
2014-15	7891053	4987828	12878881	1984087	2477568	4461655	5575	486553
2015-16	8612842	4404393	13017235	2283838	2559394	4843232	6141	447649
2016-17	10003310	5274062	15277372	2026160	2800416	4826576	6854	471167
2017-18	10089370	4947309	15036679	1927066	2222532	4149598	5427	584230
2018-19	10141042	4857332	14998374	1988121	2824991	4813112	5370	629244
2019-20(अ)	9832536	6299241	16131777	2317209	3481277	5798486	4465	760490

अ= अन्तिम

22. स्रोतवार सकल सिंचित क्षेत्रफल

(हैक्टेयर)

कृषि वर्ष	नहरें	तालाब	कुऐं एवं नल कूप	अन्य स्रोत	योग
1	2	3	4	5	6
2004-05	1957957	85534	4972511	77185	7093187
2005-06	2352358	82764	5293095	89819	7818036
2006-07	2370432	137194	5363387	87173	7958186
2007-08	2515493	103568	5382200	87194	8088455
2008-09	2460916	33631	5338314	77066	7909927
2009-10	2109132	18099	5107124	74418	7308773
2010-11	2463576	57635	5718997	81617	8321825
2011-12	2729980	72124	5999495	101289	8902888
2012-13	2885036	94113	6347171	129147	9455467
2013-14	2975815	70210	6649262	169581	9864768
2014-15	3067957	72149	6874357	156322	10170785
2015-16	3255513	66867	7116780	123285	10562445
2016-17	3219237	100588	7215168	189450	10724443
2017-18	3179567	68866	7232471	122598	10603502
2018-19	3336113	35536	7485631	164115	11021395

23. स्रोतवार शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल

(हैक्टेयर)

कृषि वर्ष	नहरें	तालाब	कुऐं एवं नल कूप	अन्य स्रोत	योग
1	2	3	4	5	6
2004-05	1457471	82407	4266653	73416	5879947
2005-06	1705767	76740	4426605	84834	6293946
2006-07	1703284	130791	4580694	80976	6495745
2007-08	1687753	101724	4572049	82534	6444060
2008-09	1583116	30565	4558657	72710	6245048
2009-10	1423923	16597	4338313	71081	5849914
2010-11	1628746	55676	4897427	78876	6660725
2011-12	1843797	68785	5111105	97888	7121575
2012-13	1900662	91686	5382149	124623	7499120
2013-14	1859107	67461	5561022	162037	7649627
2014-15	1928740	69699	5733278	149993	7881710
2015-16	1979480	66193	5775257	117067	7937997
2016-17	2018266	99296	5956495	182955	8257012
2017-18	1926523	68160	5870501	119753	7984937
2018-19	2016562	34978	6069433	161983	8282956

24. ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता

(मेगावाट)

वर्ष	अधिष्ठापित क्षमता
1	2
2004-05	5296.11
2005-06	5453.88
2006-07	6089.43
2007-08	6420.69
2008-09	7019.48
2009-10	8076.51
2010-11	9188.22
2011-12	10308.45
2012-13	12275.88
2013-14	14371.61
2014-15	15907.81
2015-16	17439.78
2016-17	18677.18
2017-18	19552.77
2018-19	21077.64
2019-20	21175.90
2020-21*	21835.90

*दिसम्बर 2020 तक

25. राज्य में सड़कों की लम्बाई

(किलोमीटर)

वर्ष	राष्ट्रीय राज मार्ग	राज्य राज मार्ग	मुख्य जिला सड़कें	अन्य जिला सड़कें	ग्रामीण सड़कें	कुल
1	2	3	4	5	6	7
2004-05	5655	10139	6735	22615	117976	163120
2005-06	5655	11594	7328	21412	121139	167128
2006-07	5655	11668	7447	23681	125063	173514
2007-08	5714	11750	7658	24424	132914	182460
2008-09	5722	11758	7673	24418	137235	186806
2009-10	5724	11866	7829	24480	138635	188534
2010-11	5724	11873	10137	24062	137606	189402
2011-12	7260	10953	9900	25033	136854	190000
2012-13	7310	10937	10168	25761	137518	191694
2013-14	7310	11971	9509	25626	141434	195850
2014-15	8016	11421	9815	29603	149487	208342
2015-16	8168	15607	7646	30313	155973	217707
2016-17	8202	15438	8462	31431	163321	226854
2017-18	9079	15543	8802	32175	170971	236572
2018-19	10600	15518	8758	53432	175937	264244
2019-20	10618	15621	8780	53792	180217	269028

26. राज्य में पंजीकृत वाहन

(संचयी संख्या)

कलेण्डर/वित्तीय वर्ष	ई–रिक्शा और ई–कार्ट	दुपहिया वाहन	आटो रिक्शा	सामान ढोने वाले टेम्पों	यात्री वाहन टेम्पो	कार एवं स्टेशन वैगन
1	2	3	4	5	6	7
2004	_	2940515	59443	16426	10292	226329
2005	_	3302263	66155	21308	11549	259423
2006	_	3744732	73673	27761	12551	297597
2007	_	4167274	80962	33488	13159	345719
2008	_	4614532	87639	38483	13807	388302
2009	_	5104760	94446	42126	16355	441447
2010	_	5707735	101415	45379	19635	502952
2011	_	6443070	108359	48768	22902	570183
2011-12	_	6629743	110456	49812	23889	591069
2012-13	_	7465863	117990	53418	27432	659542
2013-14	_	8331142	125638	56668	31031	733916
2014-15	_	9272233	133006	60736	34498	814079
2015-16	1431	10258009	141576	64959	38531	899307
2016-17	6031	11250427	151425	69555	43166	988391
2017-18	10951	12314229	160015	74553	47209	1095526
2018-19	13727	13431554	167779	77911	50862	1204005
2019-20	18283	14620319	184403	82700	51446	1307579
2020-21#	20695	15154008	186726	83890	51548	1382063

दिसम्बर, 2020 तक

लगातार...

26. राज्य में पंजीकृत वाहन

(संचयी संख्या)

कलेण्डर / वित्तीय वर्ष	जीप	ट्रैक्टर	ट्रेलर	टैक्सी	बसें और मिनी बसें	ट्रक	अन्य वाहन*	कुल
1	8	9	10	11	12	13	14	15
2004	134441	426235	57875	36520	57542	186431	4828	4156877
2005	145134	455400	59128	41220	60343	201691	5492	4629106
2006	155137	493277	61148	46349	62832	224361	6851	5206269
2007	164298	529604	64335	52991	65108	246107	9435	5772480
2008	180198	561141	66600	57800	68426	262906	11910	6351744
2009	197780	597354	68820	65536	72334	282753	13820	6997531
2010	221436	634473	70259	75038	77000	314546	15855	7785723
2011	247036	685200	71171	85850	81747	350411	18863	8733560
2011-12	254840	699881	71665	89053	83345	362028	19787	8985568
2012-13	288056	768645	73732	103690	88616	401983	23068	10072035
2013-14	319490	841290	74568	114615	93892	434379	27801	11184430
2014-15	357188	907139	75709	123275	97650	472365	31141	12379019
2015-16	396572	969287	76707	131912	102818	517604	34894	13632176
2016-17	435366	1029721	80042	143075	108681	561158	39555	14906593
2017-18	487366	1092432	84642	152429	113964	613055	44606	16290957
2018-19	543181	1153510	85356	160994	118301	665926	50570	17723676
2019-20	594743	1223825	86414	167536	124070	718325	56367	19236010
2020-21#	610235	1286687	87187	168748	124882	733584	60207	19950460

*मोटर रिक्शा की सूचना सम्मिलित है।

दिसम्बर, 2020 तक

27. स्वास्थ्य सूचक

वर्ष	अशोधित जन्म दर *		अशोधित मृत्यु दर **		शिशु मृत्यु दर #	
	भारत	राजस्थान	भारत	राजस्थान	भारत	राजस्थान
1	2	3	4	5	6	7
2004	24.1	29.0	7.5	7.0	58	67
2005	23.8	28.6	7.6	7.0	58	68
2006	23.5	28.3	7.5	6.9	57	67
2007	23.1	27.9	7.4	6.8	55	65
2008	22.8	27.5	7.4	6.8	53	63
2009	22.5	27.2	7.3	6.6	50	59
2010	22.1	26.7	7.2	6.7	47	55
2011	21.8	26.2	7.1	6.7	44	52
2012	21.6	25.9	7.0	6.6	42	49
2013	21.4	25.6	7.0	6.5	40	47
2014	21.0	25.0	6.7	6.4	39	46
2015	20.8	24.8	6.5	6.3	37	43
2016	20.4	24.3	6.4	6.1	34	41
2017	20.2	24.1	6.3	6.0	33	38
2018	20.0	24.0	6.2	5.9	32	37

स्त्रोतः– एस.आर.एस. बुलेटिन (संदर्भित वर्ष)
* प्रति हजार मध्यवर्षीय जनसंख्या में जीवित जन्मों की संख्या
** प्रति हजार मध्यवर्षीय जनसंख्या में मृत्युओं की संख्या
# प्रति हजार जीवित जन्मों में शिशु मृत्यु की संख्या

लगातार...

27. स्वास्थ्य सूचक

वर्ष	जीवन प्रत्याशा दर (वर्षों में)	
	भारत	राजस्थान
1	8	9
2000-04	63.9	64.1
2001-05	64.3	64.5
2002-06	64.7	64.9
2003-07	65.0	65.2
2004-08	65.4	65.8
2005-09	65.7	66.2
2006-10	66.1	66.5
2007-11	66.5	66.8
2008-12	67.0	67.2
2009-13	67.5	67.5
2010-14	67.9	67.7
2011-15	68.3	67.9
2012-16	68.7	68.3
2013-17	69.0	68.5
2014-18	69.4	68.7

स्त्रोत :– एस. आर. एस. आधारित एब्रीज्ड जीवन तालिका आरजीआई

28. राज्य में साक्षरता दर

(प्रतिशत)

जनगणना वर्ष	कुल			ग्रामीण			शहरी		
	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1951	13.88	2.66	8.50	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
1961	28.08	7.01	18.12	21.74	3.19	12.95	59.93	26.89	44.55
1971	33.87	10.06	22.57	27.04	4.80	16.44	64.53	34.94	50.82
1981	44.77	14.00	30.11	35.32	6.78	22.47	72.29	41.46	58.05
1991	54.99	20.44	38.55	47.64	11.59	30.37	78.50	50.24	65.33
2001	75.70	43.85	60.41	72.16	37.34	55.34	86.45	64.67	76.20
2011	79.19	52.12	66.11	76.16	45.80	61.44	87.91	70.73	79.68

उ. न. उपलब्ध नहीं

स्त्रोतः भारत की जनगणना –(संदर्भ अवधि)

नोटः– साक्षरता दर 1951, 1961 तथा 1971 के लिए जनसंख्या आयु वर्ग 5 वर्ष एवं अधिक को सम्मिलित किया गया है तथा साक्षरता दर 1981 से 2011 के लिए जनसंख्या आयु वर्ग 7 वर्ष एवं अधिक को सम्मिलित किया गया है।

29. जिलेवार जनसांख्यिकीय जनगणना 2011

जिला	जनसंख्या					लिंगानुपात (स्त्रियों की संख्या प्रति हजार पुरूषों पर)		जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग कि. मी.)	जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर 2001–2011 (%)
	पुरुष	महिला	कुल	ग्रामीण	शहरी	समस्त	वर्ष 0–6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अजमेर	1324085	1258967	2583052	1547642	1035410	951	901	305	18.6
अलवर	1939026	1735153	3674179	3019728	654451	895	865	438	22.8
बांसवाड़ा	907754	889731	1797485	1669864	127621	980	934	397	26.5
बारां	633945	588810	1222755	968541	254214	929	912	175	19.7
बाड़मेर	1369022	1234729	2603751	2421914	181837	902	904	92	32.5
भरतपुर	1355726	1192736	2548462	2053363	495099	880	869	503	21.4
भीलवाड़ा	1220736	1187787	2408523	1895869	512654	973	928	230	19.2
बीकानेर	1240801	1123136	2363937	1563553	800384	905	908	78	24.3
बून्दी	577160	533746	1110906	888205	222701	925	894	192	15.4
चित्तौडगढ़	783171	761167	1544338	1259074	285264	972	912	197	16.1
चूरु	1051446	988101	2039547	1463312	576235	940	902	147	20.3
दौसा	857787	776622	1634409	1432616	201793	905	865	476	23.5
धौलपुर	653647	552869	1206516	959066	247450	846	857	398	22.7
डूंगरपुर	696532	692020	1388552	1299809	88743	994	922	368	25.4
गंगानगर	1043340	925828	1969168	1433736	535432	887	854	179	10.0
हनुमानगढ़	931184	843508	1774692	1424228	350464	906	878	184	16.9
जयपुर	3468507	3157671	6626178	3154331	3471847	910	861	595	26.2
जैसलमेर	361708	308211	669919	580894	89025	852	874	17	31.8
जालौर	936634	892096	1828730	1676975	151755	952	895	172	26.2
झालावाड़	725143	685986	1411129	1181838	229291	946	912	227	19.6
झुंझुनू	1095896	1041149	2137045	1647966	489079	950	837	361	11.7
जोधपुर	1923928	1763237	3687165	2422551	1264614	916	891	161	27.7
करौली	783639	674609	1458248	1240143	218105	861	852	264	20.9
कोटा	1021161	929853	1951014	774410	1176604	911	899	374	24.4
नागौर	1696325	1611418	3307743	2670539	637204	950	897	187	19.2
पाली	1025422	1012151	2037573	1577567	460006	987	899	164	11.9
प्रतापगढ़	437744	430104	867848	796041	71807	983	933	195	22.8
राजसमन्द	581339	575258	1156597	972777	183820	990	903	248	17.7
सवाई माधोपुर	704031	631520	1335551	1069084	266467	897	871	297	19.6
सीकर	1374990	1302343	2677333	2043427	633906	947	848	346	17.0
सिरोही	534231	502115	1036346	827692	208654	940	897	202	21.8
टोंक	728136	693190	1421326	1103603	317723	952	892	198	17.3
उदयपुर	1566801	1501619	3068420	2459994	608426	958	924	262	23.7
राजस्थान	35550997	32997440	68548437	51500352	17048085	928	888	200	21.3

लगातार...

29. जिलेवार जनसांख्यिकीय जनगणना 2011

जिला	साक्षरता दर प्रतिशत में								
	कुल			ग्रामीण			शहरी		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अजमेर	82.4	55.7	69.3	76.5	41.3	59.1	90.8	76.5	83.9
अलवर	83.7	56.3	70.7	82.1	52.2	67.9	91.0	74.7	83.4
बांसवाड़ा	69.5	43.1	56.3	67.7	40.1	54.0	91.0	79.3	85.2
बारां	80.4	52.0	66.7	78.4	47.8	63.6	87.8	67.5	78.0
बाड़मेर	70.9	40.6	56.5	69.4	38.6	54.8	88.6	66.6	78.2
भरतपुर	84.1	54.2	70.1	83.1	50.5	67.9	88.1	68.8	79.0
भीलवाड़ा	75.3	47.2	61.4	71.3	40.6	56.0	89.0	71.8	80.7
बीकानेर	75.9	53.2	65.1	70.6	44.3	58.1	85.7	69.5	78.0
बून्दी	75.4	46.6	61.5	72.3	41.2	57.3	87.7	67.4	77.9
चित्तौडगढ़	76.6	46.5	61.7	73.3	40.2	56.8	90.8	74.3	82.7
चूरु	78.8	54.0	66.8	76.9	51.1	64.4	83.4	61.3	72.6
दौसा	83.0	51.9	68.2	81.8	49.4	66.3	91.0	69.4	80.7
धौलपुर	81.2	54.7	69.1	81.2	52.4	68.1	81.3	62.9	72.7
डूंगरपुर	72.9	46.2	59.5	71.5	44.0	57.6	91.4	77.1	84.4
गंगानगर	78.5	59.7	69.6	75.9	55.3	66.2	85.3	71.3	78.7
हनुमानगढ़	77.4	55.8	67.1	75.9	53.1	65.1	83.3	66.8	75.4
जयपुर	86.1	64.0	75.5	82.5	51.7	67.6	89.2	75.1	82.5
जैसलमेर	72.0	39.7	57.2	69.4	35.5	53.8	87.4	66.2	78.0
जालौर	70.7	38.5	54.9	69.4	36.8	53.3	84.2	56.9	71.1
झालावाड़	75.8	46.5	61.5	73.0	41.5	57.6	89.5	72.1	81.1
झुंझुनू	86.9	61.0	74.1	86.8	59.8	73.4	87.4	65.0	76.5
जोधपुर	79.0	51.8	65.9	74.6	41.2	58.5	86.7	71.3	79.4
करौली	81.4	48.6	66.2	80.9	46.5	65.0	84.1	60.0	72.8
कोटा	86.3	65.9	76.6	82.2	54.0	68.6	88.9	73.7	81.7
नागौर	77.2	47.8	62.8	76.0	45.2	60.9	81.9	58.8	70.6
पाली	76.8	48.0	62.4	73.6	43.5	58.4	87.1	63.9	75.8
प्रतापगढ़	69.5	42.4	56.0	67.3	39.0	53.2	92.2	77.1	84.8
राजसमन्द	78.4	48.0	63.1	75.9	43.3	59.5	91.1	72.3	81.9
सवाई माधोपुर	81.5	47.5	65.4	79.4	42.4	61.9	89.8	67.2	79.0
सीकर	85.1	58.2	71.9	84.9	56.4	70.8	85.8	64.3	75.4
सिरोही	70.0	39.7	55.3	64.6	32.7	49.0	89.3	66.9	78.7
टोंक	77.1	45.4	61.6	75.5	39.7	58.0	82.9	64.8	73.8
उदयपुर	74.7	48.4	61.8	69.6	39.8	54.9	93.4	81.2	87.5
राजस्थान	79.2	52.1	66.1	76.2	45.8	61.4	87.9	70.7	79.7

30. राजस्थान में अकाल/अभाव की स्थिति से हुई क्षति

कृषि वर्ष	प्रभावित जिलों की संख्या	प्रभावित ग्रामों की संख्या	प्रभावित जनसंख्या (लाखों में)	भू–राजस्व * निलंबित (₹लाख)
1	2	3	4	5
2004-05	31	19814	227.65	167.77
2005-06	22	15778	198.44	123.21
2006-07	22	10529	136.73	36.49
2007-08	12	4309	56.12	39.86
2008-09	12	7402	100.12	47.69
2009-10	27	33464	429.13	459.04
2010-11	2	1249	13.67	9.53 @
2011-12	11	3739	49.95	30.77 @
2012-13	12	8030	120.90	65.44 @
2013-14	17	10225	159.38	101.44
2014-15	13	5841	74.30	15.35
2015-16	19	14487	194.87	171.55 @
2016-17	13	5656	90.38	62.00 @
2017-18	16	6838	106.50	89.38 @
2018-19	9	5555	72.50	14.85 @
2019-20	21	14331	150.72	-
2020-21	6	2062	21.62	-

* वित्तीय वर्ष के समंक
@ संभावित

31. राज्यवार महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक

राज्य	भौगोलिक क्षेत्रफल (लाख वर्ग कि.मी.) 2011	देश के कुल क्षेत्रफल में राज्य का प्रतिशत 2011	भारत की कुल जनसंख्या मे राज्य की जनसंख्या का प्रतिशत 2011	जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग कि.मी. 2011	नगरीय जनसंख्या का कुल जनसंख्या से प्रतिशत 2011	साक्षरता दर प्रतिशत 2011
1	2	3	4	5	6	7
1 आन्ध्र प्रदेश	1.63	4.96	4.09	304	29.5	67.4
2 असम	0.78	2.39	2.58	398	14.1	72.2
3 बिहार	0.94	2.86	8.60	1106	11.3	61.8
4 गुजरात	1.96	5.97	4.99	308	42.6	78.0
5 हरियाणा	0.44	1.34	2.09	573	34.9	75.6
6 हिमाचल प्रदेश	0.56	1.69	0.57	123	10.0	82.8
7 कर्नाटक	1.92	5.83	5.05	319	38.7	75.4
8 केरल	0.39	1.18	2.76	860	47.7	94.0
9 मध्य प्रदेश	3.08	9.38	6.00	236	27.6	69.3
10 महाराष्ट्र	3.08	9.36	9.28	365	45.2	82.3
11 उड़ीसा	1.56	4.74	3.47	270	16.7	72.9
12 पंजाब	0.50	1.53	2.29	551	37.5	75.8
13 राजस्थान	**3.42**	**10.41**	**5.66**	**200**	**24.9**	**66.1**
14 तामिलनाडू	1.30	3.96	5.96	555	48.4	80.1
15 तेलंगाना*	1.12	3.41	2.89	312	38.9	66.5
16 उत्तर प्रदेश	2.41	7.33	16.50	829	22.3	67.7
17 पश्चिम बंगाल	0.89	2.70	7.54	1028	31.9	76.3
अखिल भारत	32.87	100.00	100.00	382	31.1	73.0

* स्त्रोतः– स्टेटिकल ईयर बुक, 2018 डी. ई. एस. तेलंगाना

लगातार...

31. राज्यवार महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक

राज्य	शिशु मृत्यु दर (प्रति हजार जीवित जन्म) 2018	जोतों का औसत आकार (हैक्टेयर) 2015–16	प्रति हैक्टेयर खाद का अनुमानित उपभोग (कि.ग्राम./हैक्टर) 2018–19 *	उद्योगों से प्रति व्यक्ति शुद्ध मूल्य संवर्धन (₹) 2014–15#
1	**8**	**9**	**10**	**11**
1 आन्ध्र प्रदेश	29	0.94	173.32	5483
2 असम	41	1.09	73.69	2565
3 बिहार	32	0.39	227.30	570
4 गुजरात	28	1.88	135.47	27465
5 हरियाणा	30	2.22	224.46	18128
6 हिमाचल प्रदेश	19	0.95	63.32	44231
7 कर्नाटक	23	1.35	183.22	9259
8 केरल	7	0.18	36.38	3384
9 मध्य प्रदेश	48	1.57	90.29	2815
10 महाराष्ट्र	19	1.35	125.95	17687
11 उड़ीसा	40	0.95	70.59	3973
12 पंजाब	20	3.62	224.49	7142
13 राजस्थान	**37**	**2.73**	**60.75**	**4557**
14 तामिलनाडू	15	0.75	186.43	12756
15 तेलंगाना	27	1.00	245.29	7973
16 उत्तर प्रदेश	43	0.73	170.09	2051
17 पश्चिम बंगाल	22	0.76	161.12	1994
अखिल भारत	32	1.08	133.12	7814

1 अक्टूबर, 2014 की अनुमानित जनसंख्या पर आधारित (जनगणना–2001)

* कृषि सांख्यिकी, एट ए ग्लान्स 2019, भारत सरकार

लगातार...

31. राज्यवार महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक

राज्य	प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग (कि.वा.)* 2018–19	प्रति लाख जनसंख्या पर मोटर वाहन $ की संख्या 2016–17	प्रति सौ वर्ग कि.मी. क्षेत्र में सड़कों की लम्बाई# (कि.मी.) 2016–17
1	12	13	14
1 आन्ध्र प्रदेश	1480	18500	108.29
2 असम	341	9270	430.63
3 बिहार	311	5971	222.54
4 गुजरात	2378	34833	92.19
5 हरियाणा	2082	33813	184.08
6 हिमाचल प्रदेश	1418	19018	112.82
7 कर्नाटक	1396	28497	188.25
8 केरल	757	31576	619.18
9 मध्य प्रदेश	1084	16805	111.16
10 महाराष्ट्र	1424	24991	202.78
11 उड़ीसा	1628	15365	195.03
12 पंजाब	2046	33631	276.98
13 राजस्थान	**1282**	**20267**	**77.61**
14 तामिलनाडू	1866	37507	201.01
15 तेलंगाना	1896	26796	112.54
16 उत्तर प्रदेश	606	11933	177.67
17 पश्चिम बंगाल	703	7918	362.88
अखिल भारत	1181	19824	152.02

* उपयोगिता तथा अनुपयोगिता से सम्बन्धित (स्त्रोत–सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी ऑथोरेटी मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर)–पी.आई.बी. जी.ओ.आई.
$ (कुल परिवहन + गैर परिवहन) (बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड पॉपुलेशन, 1 अक्टूबर, 2016) (जनगणना–2001)
# जे आर वाई सड़कों के अतिरिक्त (स्त्रोत–बेसिक रोड स्टेटिसटिक्स ऑफ इण्डिया 2016–17 भारत सरकार)

लगातार...

31. राज्यवार महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक

राज्य	प्रति लाख जनसंख्या पर बैंक (संख्या) # (सितम्बर, 2020)	प्रति व्यक्ति बैंक जमा # (₹) (सितम्बर, 2020)	प्रति व्यक्ति बैंक ऋण # (₹) (सितम्बर, 2020)
1	**15**	**16**	**17**
1 आन्ध्र प्रदेश	14	68141	82021
2 असम	8	48266	21352
3 बिहार	6	31753	11739
4 गुजरात	12	113986	79264
5 हरियाणा	17	176131	91135
6 हिमाचल प्रदेश	22	150351	45389
7 कर्नाटक	16	168711	105943
8 केरल	19	165527	101338
9 मध्य प्रदेश	8	50734	34009
10 महाराष्ट्र	11	229522	219526
11 उड़ीसा	11	77101	29490
12 पंजाब	22	144802	79206
13 राजस्थान	**10**	**57747**	**43546**
14 तामिलनाडू	15	125138	129125
15 तेलंगाना	14	146925	138045
16 उत्तर प्रदेश	8	52363	20987
17 पश्चिम बंगाल	9	89203	41331
अखिल भारत	11	106713	76877

#1 अक्टूबर, 2020 पॉपुलेशन प्रोजेक्शन फॉर इण्डिया एण्ड स्टेट्स 2011–2036,
रिपोर्ट ऑफ दा टेक्निकल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन प्रोजेक्शन जुलाई, 2020
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक–आरबीआई की जमा और साख पर तिमाही सांख्यिकी – आर. बी. आई.

योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर
वेबसाईट : http//statistics.rajasthan.gov.in • ई-मेल : dir.des@rajasthan.gov.in
फोन : 0141-2222740